एकादश माला, खंड 3, अंक 12

गुरुवार, 11
21 ज्येष्ठ, 1920

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)



(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार, 11 जून, 1998/21 ज्येष्ठ, 1920 (शक)
का
शुद्धि-पत्र
....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
आवरण पृष्ठ	1	एकादश माला	द्वादश माला
51	18	(ख) और (घ)	(ग) और (घ)
129	नीचे से 2 और 7	वेतमानों	वेतनमानों
153	15	श्री बिशनलाल दिलेर	श्री बिशनलाल दिलेर
180	14	श्री सतमान सिंह बैंस	श्री सतनाम सिंह बैंस
399	नीचे से 8	श्री रामदास अठावले	श्री रामदास आठवले

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 12, गुरुवार, 11 जून, 1998/21 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 222, 224 और 225	1–32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 223 और 226 से 241	32–54
अतारांकित प्रश्न संख्या 2263 से 2433	54–312
सभा पटल पर रखे गए पत्र	312–320
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में एस.ओ.पी., 20 : 20 : 05 मिक्सचर और पोटाश की कमी	378–383
श्री एच.डी. देवगौड़ा	378
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	378
नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक—पुरःस्थापित	383–395
नियम 377 के अधीन मामले	395
(एक) राजस्थान में जयपुर में बनास पेयजल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	395
(दो) हिमाचल प्रदेश में स्वान नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के सरणीकरण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	396
(तीन) संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सालखन मुर्मू	396

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(चार)	ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को दिए जा रहे मानदेय की राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
	श्री पुन्नू लाल मोहले	397
(पांच)	भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु अलग मंत्रालय/विभाग का गठन किए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल सोना राम चौधरी	397
(छह)	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड को दुर्गापुर इकाई के बॉयलर और अन्य मशीनरी की मरम्मत हेतु 45 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	398
(सात)	अफगानिस्तान से विस्थापित और भारत आने के इच्छुक भारतीय मूल के लोगों की वीसा संबंधी तथा अन्य समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	399
(आठ)	मुम्बई विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर गंदी बस्तियों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुम्बई महानगर पालिका को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास आठवले	399
(नौ)	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए.सी. जोस	400
(दस)	असम में नौगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर उपमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नृपेन गोस्वामी	400
सामान्य बजट, 1998-99—सामान्य चर्चा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96		401–620
	श्री चेतन चौहान	403
	श्री रूपचन्द पाल	408
	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	414
	श्री मुरासोली मारन	423
	श्री उत्तम सिंह पवार	432
	श्री नादेन्दला भास्कर राव	437
	डा. एस. वेणुगोपालाचारी	442
	श्री भजन लाल	446
	श्री पी. चिदम्बरम	449
	श्री भगवान शंकर रावत	467

श्रीमती गीता मुखर्जी 471

श्रीमती भावना कर्दम दवे 477

प्रो. ए.के. प्रेमाजम 481

श्रीमती आभा महतो 485

डा. प्रभा ठाकुर 487

कुमारी ममता बनर्जी 491

श्री सुशील कुमार शिंदे 499

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन 507

प्रो. अजित कुमार मेहता 513

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 517

श्री मनोरंजन भक्त 520

श्री शिवराज सिंह चौहान 525

प्रो. सैफुद्दीन सोज 528

श्री वारकला राधाकृष्णन 532

श्री आर.एस. गवई 534

श्री पारसनाथ यादव 538

श्री मोतीलाल वोरा 540

प्रो. रीता वर्मा 544

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 550

डा. मदन प्रसाद जायसवाल 553

श्री के.डी. सुल्तानपुरी 557

श्री सी.पी. राधाकृष्णन 560

श्री पी.सी. चाक्को 564

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या 569

श्री भेरूलाल मीणा 574

श्री बी.एम. मेनसिंकाई 576

श्री तपन सिकदर 578

श्री विजय हाण्डिक 579

श्री मित्रसेन यादव 582

डा. रमेश चंद तोमर 585

श्री रामदास आठवले 588

श्री चन्द्रशेखर साहू 589

श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला 591

श्री के.एच. मुनियप्पा 592

श्री बिक्रम देव केशरी 594

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी 597

श्री राम रघुनाथ चौधरी 598

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते 605

श्री जुआल उराम 606

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 608

श्रीमती उषा मीणा 609

वैद्य विष्णु दत्त 611

श्री शैलेन्द्र कुमार 613

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र 616

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी 618

लोक सभा

गुरुवार, 11 जून, 1998/21 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय खनन कंपनियाँ

*222. **श्री वी.वी. राघवन:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनिज क्षेत्र में पूर्वेक्षण और खोज करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय खनन कंपनियों से प्राप्त हुये कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पूर्वेक्षण और खनन अधिकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं। खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार, पूर्वेक्षण और खनन अधिकार, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, भारत में पंजीकृत किसी कंपनी या भारतीय नागरिक को ही दिये जा सकते हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी खनिज के बारे में कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दिया जाएगा।

भारत सरकार ने, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत, हवाई पूर्वेक्षण के लिए बड़े क्षेत्र देने के बारे में, 30.10.1996 को दिशा-निर्देश जारी किये थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, सरकार ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात तथा बिहार सरकारों से प्राप्त 36 प्रस्तावों को अनुमोदन दे दिया है। ये पूर्वेक्षण लाइसेंस, भारतीय सहायक कंपनियों/विदेशी खनन कंपनियों के संयुक्त उद्यमों और विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग वाली भारतीय कंपनियों को दिए गए हैं जिनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

भारत सरकार द्वारा 30 अक्तूबर, 1996 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बड़े क्षेत्रों के लिए हवाई पूर्वेक्षण के बारे में दी गई मंजूरियों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	खनिज	क्षेत्र/जिला/राज्य	केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी की तारीख
1	2	3	4	5
1.	मै. बीएचपी मिनरल इंडिया (प्रा.) लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और सहयोगी खनिज	2532.14 वर्ग कि.मी. जिला टोंक, अजमेर, बूंदी भीलवाड़ा, (राजस्थान)	3.6.1997

1	2	3	4	5
2.	मै. बीएचपी मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और सहयोगी खनिज	2637.58 वर्ग कि.मी. जिला टोंक, सवाई माधोपुर और बूंदी (राजस्थान)	3.6.1997
3.	मै. बीएचपी मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और सहयोगी खनिज	2305.64 वर्ग कि.मी. जिला जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर (राजस्थान)	3.6.1997
4.	मै. बीएचपी मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना तथा सहयोगी खनिज	903.84 वर्ग कि.मी. जिला भीलवाड़ा, (राजस्थान)	3.6.1997
5.	मै. सीआरए एक्सप्लो-रेशन इंडिया (प्रा.) लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और सहयोगी खनिज	1915.52 वर्ग कि.मी. जिला अजमेर (राजस्थान)	3.6.1997
6.	मै. हिन्दुस्तान जिंक लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना चांदी और सहयोगी खनिज	2777.30 वर्ग कि.मी. जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)	30.6.1997
7.	मै. हिन्दुस्तान जिंक लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	2339.58 वर्ग कि.मी. जिला अजमेर तथा टोंक (राजस्थान)	30.6.1997
8.	मै. हिन्दुस्तान जिंक लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	2329.31 वर्ग कि.मी. जिला टोंक और जयपुर (राजस्थान)	30.6.1997
9.	मै. हिन्दुस्तान जिंक लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	2344.37 वर्ग कि.मी. जिला अजमेर (राजस्थान)	30.6.1997

1	2	3	4	5
10.	मै. मैटमिन फाइनैंस एण्ड होल्डिंग लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	181.47 वर्ग कि.मी. जिला सिरोही (राजस्थान)	11.8.1997
11.	मै. मैटमिन फाइनैंस एण्ड होल्डिंग्स लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	44.00 वर्ग कि.मी. जिला डुंगरपुर (राजस्थान)	11.8.1997
12.	मै. मैटमिन फाइनैंस एण्ड होल्डिंग लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	138.62 वर्ग कि.मी. जिला डूंगरपुर (राजस्थान)	11.8.1997
13.	मै. एसीसी-सीआरए एक्सप्लोरेशन (इंडिया) प्रा. लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, बिसमथ, कैडमियम और सहयोगी खनिज	517.00 वर्ग कि.मी. जिला सीकर और झुंझुनु (राजस्थान)	11.8.1997
14.	मै. मैरीडीयन मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लि.	सीसा, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, कैडमियम, बिसमथ और सहयोगी खनिज	670.985 वर्ग कि.मी. जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)	29.8.1997
15.	मै. मैरीडीयन मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लि.	सीसा, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, कैडमियम, बिसमथ और सहयोगी खनिज	632.84 वर्ग कि.मी. जिला भरतपुर (राजस्थान)	29.8.1997
16.	मै. मैटमिन फाइनैंस एण्ड होल्डिंग्स लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	300 वर्ग कि.मी. जिला झुंझुन (राजस्थान)	9.9.1997
17.	मै. मैटमिन फाइनैंस एण्ड होल्डिंग्स लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	348.40 वर्ग कि.मी. जिला सीरोही (राजस्थान)	9.9.1997
18.	मै. मैटमिन फाइनैंस एण्ड होल्डिंग्स लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	106.00 वर्ग कि.मी. जिला सीरोही (राजस्थान)	9.9.1997
19.	मै. मैटमिन फाइनैंस एण्ड होल्डिंग लि.	तांबा, सीसा, जिंक, निकिल, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	71.00 वर्ग कि. मी. जिला सीरोही (राजस्थान)	9.9.1997

1	2	3	4	5
20.	मै. मैटमिन फाइनैंस एण्ड होल्डिंग्स लि.	तांबा, सीसा, जिंक, निकिल, सोना, चांदी और सहयोगी खनिज	1350 वर्ग कि.मी. जिला सीकर और नागौर (राजस्थान)	9.9.1997
21.	मैसर्स मेरिडियन मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, स्वर्ण, चांदी, कैडमीयम, बीस्मुथ और सहयोगी खनिज	2812.50 वर्ग कि.मी. जि. अलवर और दौसा (राजस्थान)	25.9.1997
22.	मैसर्स बी एच पी मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, स्वर्ण और सहयोगी खनिज	1310 वर्ग कि.मी. जि. भीलवाड़ा और अजमेर (राजस्थान)	23.2.1998
23.	मैसर्स बी एच पी मिनरल्स (इंडिया (प्रा.) लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, स्वर्ण और सहयोगी खनिज	1486 वर्ग कि.मी. राजासामन्द और अजमेर (राजस्थान)	23.2.1998
24.	मैसर्स मैटमिन फाइनैन्स और होल्डिंग लिमिटेड	तांबा, सीसा, जस्ता, स्वर्ण, चांदी, निकल, और सहयोगी खनिज	236.00 वर्ग कि.मी. जि. सिरोही (राजस्थान)	30.4.1998
25.	मैसर्स मैटमिन फाइनैन्स और होल्डिंग लिमिटेड	तांबा, सीसा, जस्ता, स्वर्ण, चांदी, निकल और सहयोगी खनिज	5025 वर्ग कि.मी. जिला बनासकांठा (गुजरात)	30.4.1998
26.	मैसर्स मैटमिन फायनैन्स और होल्डिंग लिमिटेड	तांबा, सीसा, जस्ता, स्वर्ण, चांदी, निकल और सहयोगी खनिज	156.00 वर्ग कि.मी. जिला बनासकांठा (गुजरात)	30.4.1998
27.	मैसर्स मेरिडियन मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	सीसा, जस्ता, तांबा, स्वर्ण, निकल, चांदी, बीस्मथ, कैडमीयम और सहयोगी खनिज	3162.50 वर्ग कि.मी. जिला उदयपुर (राजस्थान)	30.4.1998
28.	मैसर्स मेरिडियन मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	सीसा, जस्ता, तांबा, स्वर्ण और सहयोगी खनिज	2100.00 वर्ग कि.मी. जिला नागौर और चुरू (राजस्थान)	30.4.1998

1	2	3	4	5
29.	मैसर्स मेरिडियन मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	सीसा, जस्ता, तांबा, स्वर्ण, बीस्मुथ, केडमीयम चांदी और सहयोगी खनिज	311.125 वर्ग कि.मी. जिला अजमेर (राजस्थान)	30.4.1998
30.	मैसर्स आरबीडब्ल्यू मिनरल्स इन्ड. लिमिटेड	सीसा, जस्ता, तांबा, स्वर्ण, निकल, चांदी, केडीमियम और सहयोगी खनिज	100.87 वर्ग कि.मी. जि. पाली (राजस्थान)	30.4.1998
31.	मैसर्स आरबीडब्ल्यू मिनरल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	सीसा, जस्ता, तांबा, स्वर्ण, कैडीमीयम, चांदी और सहयोगी खनिज	3875.00 वर्ग कि.मी. जिला बून्दी, टोंक, भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	30.4.1998
32.	मैसर्स आरबीडब्ल्यू इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	सीसा, जस्ता, तांबा, स्वर्ण, निकेल, बीस्मथ, केडीमियम, चांदी और सहयोगी खनिज	3000.00 वर्ग कि.मी. जिला पाली और राजसमन्द (राजस्थान)	30.4.1998
33.	मैसर्स जीओमैसोर सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	तांबा, सीसा, जस्ता, स्वर्ण, मोलबडेनम, हीरा, निकेल, और प्लेटिनम	3490.00 वर्ग कि.मी. जिला नागपुर, भंडारा और गड़चिरौली (महाराष्ट्र)	30.4.1998
34.	मैसर्स फेलप्स डोज एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड	तांबा और सहयोगी खनिज	2472 वर्ग कि.मी. जिला सिंघभूम (पूर्व) और सिंघभूम (पश्चिम) बिहार	13.5.1998
35.	मैसर्स डब्ल्यू.एस.आई.एल. मिनरल्स सैन्ड्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	तांबा, सीसा, जस्ता, स्वर्ण, चांदी और सहयोगी खनिज	1709.705 वर्ग कि.मी. भीलवाड़ा, अजमेर, पाली और राजसमन्द (राजस्थान)	5.6.1998
36.	मैसर्स डब्ल्यू.एस.आई.एल. मिनरल्स सैन्डस इंडिया प्रा. लिमिटेड	तांबा, सीसा, जस्ता, स्वर्ण, चांदी और सहयोगी खनिज	1200.00 वर्ग कि.मी, जिला उदयपुर (राजस्थान)	5.6.1998
		कुल	51917.55 वर्ग कि.मी.	

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर): महोदय, कुल मिलाकर, 32 जगहों पर विभिन्न भारतीय और विदेशी कंपनियों को खनन के अधिकार प्रदान किए गए। 32 कम्पनियों में से केवल एक कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र की है और अन्य सभी कम्पनियां या तो विदेशी कम्पनियां हैं या निजी क्षेत्र की कम्पनियां हैं। क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो उन्हें किस कारणवश खनन अधिकार नहीं दिया गया?

श्री नवीन पटनायक: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा 1991 में उदारीकरण की नीति लागू किये जाने से पूर्व विदेशी कम्पनियों को खनन कम्पनियों में 40 प्रतिशत इक्विटी धारण करने की अनुमति थी। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में, मैं कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की किसी अन्य कम्पनी से कोई दूसरा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री वी.वी. राघवन: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और अन्य संबंधित खनिजों के संबंध में खनन के अधिकार देने के लिए क्या शर्तें हैं। गवेषण कार्य पूरा होने के बाद यदि पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, तो क्या इन कम्पनियों को उत्पादक दोहन के लिए लाइसेंस दिये जायेंगे। अत: क्या मैं इन अधिकारों को प्रदान करने की शर्तों के बारे में जान सकता हूं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है। 10.45 पूर्वाह्न तक प्रश्न का उत्तर उपलब्ध नहीं था। इस बीच मैं नोटिस कार्यालय में प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ। यदि समय पर उत्तर उपलब्ध नहीं होता है, तो हम अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? कृपया इस पहलू पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया सुनिश्चित करें कि सदस्यों को उत्तर अग्रिम रूप से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

श्री नवीन पटनायक: महोदय, मैं यह सुनिश्चित करूंगा। छ: कम्पनियां हैं जिन्होंने खनन अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है लेकिन उन्हें अलग से आवेदन करना है। श्री नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित मई 1993 की नई खनन नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है जिसके अंतर्गत वित्तीय, औद्योगिक और व्यापार के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1991 में शुरू किये गये आधारभूत संरचनात्मक सुधार किये गये थे। राष्ट्रीय खनिज नीति मार्च, 1993 में घोषित की गई थी।

राष्ट्रीय खनिज नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

तेरह प्रकार के खनिज अर्थात् लौह-अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम, सल्फर, सोना, हीरा, तांबा, सीशा, जस्ता, मोलीबडेनन, टंगस्टन, अयस्क, निकल और प्लेटिनम समूह में धातुओं को अनन्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था। खनिज दोहन का काम निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। इस तरह अब समस्त खनन क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खुला है जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी शामिल है। अधिक मूल्य वाले दुर्लभ खनिजों के अन्वेषण और खनन के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग और विदेशी भागीदारी की अनुमति दी गई है। खनन क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यमों में विदेशी इक्विटी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना है। इक्विटी में विदेशी निवेश को आमतौर पर 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। लेकिन यह सीमा किसी खनन प्रसाधन उद्योग के कैप्टिव खानों पर लागू नहीं होगा। प्रत्येक मामले के आधार पर अधिक इक्विटी धारिता पर भी विचार किया जा सकता है। संक्षेप में राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में खनिज क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को बढ़ावा देने और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को महत्व दिया गया है।

श्री वी. वी. राघवन: कम्पनियों, खासतौर पर विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस देने की शर्तें क्या हैं? यही मेरा सीधा सा प्रश्न है।

श्री नवीन पटनायक: 1993 से पूर्व, केवल 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति थी। वर्तमान नीति में, 1993 से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्वीकृति के अध्यधीन विदेशी कम्पनियों को भारत के खनन कम्पनियों में 100 प्रतिशत इक्विटी धारण करने की अनुमति दी जा सकती है। जनवरी, 1997 में लोहा, मैंगनीज अयस्क, बाक्साइट, तांबा, जस्ता और शीशा आदि के खनन के संबंध में 50 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की स्वत: अनुमति प्राप्त थी। इसी प्रकार जनवरी, 1997 से खनन से संबंधित सेवाओं जैसे भूवेधन, शाफ्टिंग आदि, कतिपय मिश्र धातुओं और धातु-शोधन संबंधी उद्योगों में 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की स्वत: अनुमति प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने शर्तों के बारे में पूछा है।

श्री नवीन पटनायक: मैं खनन नीति के बारे में बता रहा हूं।

श्री वी. वी. राघवन: गारंटी क्या है।

श्री नवीन पटनायक: खनिज प्रोस्पेक्टिंग के लिये विशाल भू-क्षेत्र कम्पनी की शर्तों के अध्यधीन और भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति अथवा परित्यण के आधार पर दिये जाते हैं।

श्री सी. गोपाल: भारत सरकार के खान और खनिज अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत हवाई प्रोस्पेक्टिंग के लिए विशाल क्षेत्र देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये थे। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें क्या हैं। क्या 1993,

1994, 1995, 1996 की अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त कम्पनियों को कोई वरीयता दी गई है और क्या तमिलनाडु से लाइसेंस देने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे।

अध्यक्ष महोदय: श्री सी. गोपाल, कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए की यह प्रश्न अन्तरराष्ट्रीय खनन कम्पनियों से सबंधित है न कि तमिलनाडु की कम्पनियों से।

श्री सी. गोपाल: मैं जानना चाहता हूं कि दिशा-निर्देशों में क्या है।

श्री राजेश पायलट: माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं। माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या तमिलनाडु से कोई प्रस्ताव मिला है।

श्री राजेश पायलट: वह प्रश्न का दूसरा भाग है। पहले उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में पूछा था। इसमें गलत क्या है?

श्री नवीन पटनायक: मैं उनके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। तमिलनाडु से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। माननीय सदस्य श्री वी. वी. राघवन ने जो प्रश्न पूछा था वह यह था कि क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने खनन क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग और गवेषण के लिए अन्तरराष्ट्रीय खनन कम्पनियों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है? यदि माननीय सदस्य उसका उत्तर चाहते हैं तो वे एक अलग नोटिस भेज सकते हैं। मैं उसका उत्तर दूंगा।

यदि माननीय सदस्य उसका उत्तर जानना चाहते हैं तो वे मुझे एक अलग नोटिस भेज सकते हैं। मैं उन्हें इस बारे में सूचना दे दूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से निकलता है। क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि उन्हें इसके लिए एक अलग नोटिस की आवश्यकता है? ...*(व्यवधान)*। मंत्री महोदय इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं। यह सीधा सा प्रश्न है। यदि मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ है कि वे तैयारी करके नहीं आए हैं। वह बिना तैयरी के ही आए हैं। वह कागजों से पढ़ रहे हैं। उन्हें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होकर आना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: वह यह नहीं बता रहे हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देश क्या हैं। यह सीधा प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नवीन पटनायक: मैं केवल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये नीतियां आर्थिक उदारीकरण आदि के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई थी, उस सरकार के कुछ सदस्य इस समय विपक्ष में बैठे हैं। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई अलग नीति नहीं है। जहां कहीं भी खनिज संसाधनों की मिलने की सम्भावना है। उस क्षेत्र के लिए लाइसेंस दिया जाता है। यदि पिछड़े क्षेत्रों में इन संसाधनों की उपलब्धता की सम्भावना है, तो राज्य सरकारों द्वारा उन क्षेत्रों के लिए लाइसेंसों के लिए अनुशंसा की जा सकती है। सभी अनुशंसाएं राज्य सरकारों से आती हैं। राज्य सरकारों को अनुशंसा करनी होती है।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलुम्बर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हाल ही में राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक और एक आस्ट्रेलियन कम्पनी ने हवाई सर्वेक्षण किया था, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या-क्या धातुएं मिली और कहां-कहां मिली? क्या उसमें आस्ट्रेलियन कम्पनी को भी खनन करने का अधिकार दिया जाएगा? इन दोनों कम्पनियों के संबंध में आपकी किस प्रकार की नीति होगी? अभी आपने कहा कि खनन का पूर्व सरकार ने निजीकरण किया था, लेकिन वर्तमान में आपकी सरकार है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या नीति रहेगी, यह भी आप हमें बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

इस्पात के आंकड़ों का आस्ट्रेलियाई कम्पनी द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेकानाल): मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। वे शर्तों के बारे में बोल रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि 1993 की खनिज नीति के अनुसार क्या खान लेने के लिए इस निजी कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाना आवश्यक है।

मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि राज्य सरकार का कार्यनिष्पादन इस संबंध में क्या रहा है।

मैं विशेष रूप से दो राज्य सरकारों के बारे में जानना चाहता हूं। पहला है उड़ीसा और दूसरा है राजस्थान, जहां देश में अधिकांश खनिज पदार्थ हैं। जहां तक आवेदन पत्रों पर कार्यवाही का संबंध है इन राज्य सरकारों का क्या दृष्टिकोण रहा है।

मेरे प्रश्न का तीसरा हिस्सा यह है कि क्या किसी विदेशी कम्पनी ने उड़ीसा में खनन कार्य में रुचि दिखाई है? यदि हां, तो उन्होंने किन-किन खनिजों के खनन का प्रस्ताव किया है? क्या भारत सरकार को उड़ीसा में उन खनिजों के भण्डार की मात्रा की जानकारी है?

श्री नवीन पटनायक: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहूंगा कि बड़े क्षेत्र के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं और केवल इसका अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। यदि बड़े क्षेत्र के लिए पूर्वेक्षण लाइसेन्स के प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं होते हैं तो केन्द्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है।

अब तक केन्द्र सरकार को उड़ीसा के बड़े क्षेत्र के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों को पूर्वेक्षण लाइसेन्स के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु पूरा-पूरा प्रयास किया है ताकि भारत के खनन क्षेत्र में निवेश की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

30 मई, 1997 और जून, 1997 को खान मंत्रालय के सचिव के स्तर पर उड़ीसा के खान और भूविज्ञान सचिव को पत्र भेजे गए थे तथा 12 जुलाई 1997 को तत्कालीन इस्पात और खान मंत्री यानि कि मेरे पूर्ववर्ती श्री वैश्य द्वारा उड़ीसा के मुख्य मंत्री को पत्र भेजा गया था। खान मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई, 1997 और 15 मई, 1998 को पूर्वेक्षक, विदेशी निवेशक तथा उड़ीसा के अधिकारियों और खान मंत्रालय के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के अधिकारियों की त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थी। तत्कालीन इस्पात और खान मंत्री उड़ीसा के मुख्य मंत्री से 18 जुलाई, 1997 को मिले थे। *...(व्यवधान)* खान मंत्रालय के सचिव 1 जुलाई, 1997 को उड़ीसा के मुख्य सचिव से भी मिले थे। *...(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं यह नहीं जानना चाहता। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी विदेशी कम्पनी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। उन्होंने आपके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब श्री अजीत जोगी बोलें।

...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं उड़ीसा के बारे में जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: वे उड़ीसा के बारे में भी उत्तर दे चुके हैं।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं उन विदेशी कम्पनियों के बारे में जानना चाहता हूँ जो पूर्वेक्षण कार्य कर रही हैं और खनन कार्य भी कर रही हैं। यदि ऐसा हो तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनकी किन खनिजों में रुचि है? क्या केन्द्र सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी है? *...(व्यवधान)* उन्हें उड़ीसा और महानदी बेसिन में हीरों के बड़े भण्डार मिले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार को इसकी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे।

...(व्यवधान)

श्री नवीन पटनायक: महोदय, सभा-पटल पर पत्र रख दिए गए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य महोदय, कृपया बैठ जाएं।

श्री नवीन पटनायक: उड़ीसा के ढेकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद के प्रश्न के उत्तर में हम राज्य सरकार से सूचना एकत्र करके भेज देंगे।

माननीय सदस्य के अगले प्रश्न के उत्तर में.....

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैंने उन्हें उसकी अनुमति नहीं दी है। अत: आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में जो हीरे की खोज हुई है, उसके बारे में है। सौभाग्य से हमारे आदिवासी इलाके में हीरे की बहुत बड़ी मात्रा देवभोग और उसके आसपास के इलाकों में पाई गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन हीरे की खदानों को मल्टीनेशनल कम्पनियों को दिये जाने के बारे में केन्द्र सरकार सहमत है? अगर ऐसा किया जाएगा तो देश की बहुमूल्य सम्पत्ति का 90 प्रतिशत हिस्सा मल्टीनेशनल कम्पनियां देश के बाहर ले जाएंगी, क्योंकि हीरे में केवल दस प्रतिशत रायल्टी है। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा और यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या हीरे की जो खदानें छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में पाई गई हैं और जिनके बारे में टेंडर्स और कोटेशंस आमंत्रित किये गये हैं उनको आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नहीं देंगे, जिससे देश की बहुमूल्य सम्पत्ति देश में ही रहे, देश के बाहर न जा सके।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी: मैं अंग्रेजी जानता हूं कृपया अंग्रेजी में बोलें।

श्री नवीन पटनायक: एफ.आई.पी.बी. द्वारा अनुमोदित किये जाने पर हीरों के खनन में भी विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जाती है। भारत सरकार को इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

श्री अजीत जोगी: यह गलत है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संस्तुत डी.बी.एस. के प्रस्ताव को भारत सरकार को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश

*224. प्रो.+ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बुनियादी ढांचे के विकास और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) आवास क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति के प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। इस बावत मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल को पेश किया जाएगा और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद समुचित आदेश जारी किये जाएंगे।

इस मंत्रालय द्वारा तैयार मौजूदा अनिवासी भारतीय स्कीम के अनुसार, अनिवासी भारतीय राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के लोगों तथा ओवरसीज कारपोरेट निकायों (जिनमें अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों की 60% तक प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी है) को आवास निर्माण और शहरी विकास क्षेत्र में पूंजी निवेश की अनुमति है। इस स्कीम में प्राइवेट व सार्वजनिक, पुरानी और नई सभी कंपनियों, यदि वे सुविधायुक्त प्लाटों के विकास अथवा व्यापार केन्द्रों/कार्यालयों सहित रिहायशी, वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण, बस्ती, शहर और क्षेत्र स्तर की शहरी अवस्थापना विकास सुविधाओं (सड़कों व पुलों सहित) भवन सामग्रियों के निर्माण और आवास विकास के लिए वित्त व्यवस्था के कारोबार में लगी हैं, को मुनाफे के प्रत्यावर्तन पर 16% रोक तथा ओवरसीज कारपोरेट निकायों से अर्जित लाभ व ब्याज पर बिना किसी रोक के साथ, 3 वर्ष की प्रतिबंधित अवधि के बाद प्रत्यावर्तन सुविधा सहित अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों को 100% तक के इक्विटी शेयर/परिवर्तनीय ऋण पत्र (डिबेंचर) जारी करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाउसिंग सैक्टर में क्या फौरिन इन्वैस्टमेंट का प्रपोजल एन.आर.आईज और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भी है? अगर मल्टीनेशनल कम्पनियों के लिए भी है तो क्या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली और सड़कों के लिए आपने पहले 16 प्रतिशत के प्रौफिट की बात मानी है, क्या हाउसिंग के लिए भी वही मापदंड होंगे। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि इसमें आपने मैक्सिमम लिमिट क्या रखी हैं, क्या प्रस्ताव रखा है, क्या क्राइटेरिया रखा है? देश में आज मुश्किल उन लोगों की है जिनके पास मकान नहीं हैं, या छोटे मकान हैं या जो मकान पर ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं या इन्सटालमेंट्स में पैसा दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे छोटे लोग जो लाखों की संख्या में हैं उनके लिए आप क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं वे मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सरकार वास्तव में घरेलू क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। उत्तर यह है कि हम अभी भी विचार करने की स्थिति में हैं। इस पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

चूंकि हमने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, जिसकी जानकारी हम इस सभा को दें, यदि यह सभा अनुमति दे तो मैं कुछ असुविधाजनक तथ्य सभा को बता सकता हूं बल्कि मैं सभा का मत जानना चाहूँगा जिससे हमें अपनी नीति बनाने में मदद मिलेगी। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या वहाँ पर अनिवासी भारतीय हैं। अनुबंध में आप पायेंगे कि अनिवासी भारतीय निवेश योजनाएं पहले से ही हैं। कृपया अनुबंध-I देखिए। वर्ष 1992 में हमने अनिवासी

भारतीय योजना के प्रथम भाग का उद्घाटन किया था। वर्ष 1993 में किसी अनिवासी भारतीय से संबद्ध एक और योजना चलाई गई। तत्पश्चात्, 1994 में हमने पुन: विदेश-स्थित पंजीकृत कंपनियों को भारत में आवास-क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति दी। इसका परिणाम यह हुआ कि इन अनिवासी भारतीयों ओ.सी. बीज या अन्य को निवेश करने की अनुमति देने के बावजूद भी भारत में लगभग मात्र 500 करोड़ रुपये का ही निवेश हुआ है। मेरे विचार में यह राशि कम है। भारत में वर्ष 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997 में मात्र 365 करोड़ रुपये ही निवेश हुआ। पाँच वर्ष के समय में केवल 365 करोड़ आये हैं जबकि देश को जरूरत 1,50,000 करोड़ रुपये की है जो संपूर्ण राष्ट्रीय बचत का लगभग एक-चौथाई है। इसकी वजह से अनिवासी भारतीयों का निवेश भी अपना उद्देश्य प्राप्त करने असफल रहा है। यह तो सागर में एक बूंद के समान है।

अत:, हम गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं। मैं इस सभा के सामने एक जानकारी रखना चाहता हूँ कि सिंगापुर सरकार भी यहाँ सीधे आकर आवास क्षेत्र में निवेश करना चाहती है। परन्तु हमारी अपनी नीति के अंतर्गत हमें उन्हें यह बताना पड़ा कि हम उन्हें यहाँ आने की अनुमति केवल अनिवासी भारतीय योजना के अंतर्गत ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे सारी बात स्पष्ट रखना चाहते हैं और अनिवासी भारतीय अथवा अन्य किसी ऐसी योजना के माध्यम से नहीं आना चाहते। हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं। परन्तु मुझे यह बात अवश्य स्वीकार करनी चाहिए कि इस समय हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के पक्ष में हैं। अत:, कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

परन्तु जब हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देते हैं तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्देश्य और राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा जायेगा। कम से कम हम उन पर पाँच वर्ष का निवेश करने के लिए जोर डाल सकते हैं। अनिवासी भारतीयों और अन्य लोगों के लिए यह अवधि तीन वर्ष की है। परन्तु इस प्रकार के निवेश के लिए कम से कम पाँच वर्ष की अवधि रखने के लिए जोर डाला जायेगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें एक वर्ष में 13 लाख आवास एककों का निर्माण करना है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या थोड़ी कम है क्योंकि वहाँ हमें एक वर्ष में केवल 7 लाख आवास एकक ही बनाने हैं।

यदि माननीय सदस्य हमारे लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। परन्तु साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ...*(व्यवधान)* यदि सभा ऐसा चाहती है, तो मैं इसका स्वागत करूँगा।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: माननीय मंत्री जी, प्रश्न के "बी" और "सी" पार्ट के लिए आपने नहीं सोचा है। "बी" पार्ट में यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, मैंने यह भी पूछा है। "सी" पार्ट में मैंने जानना चाहा था कि इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है।

मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या क्राइटेरिया है। जो बड़े घरों में रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, छोटे घरों की प्राब्लम है। जो लोग छोटे घरों में रहते हैं, गृहविहीन हैं, या जो लाखों बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए आपने क्या क्राइटेरिया रखा है? कितनी मैक्सिमम लिमिट रखी है क्योंकि इतने पैसे उनके पास नहीं हैं जिससे वे मकान खरीद सकें। क्योंकि डी.डी.ए. ने जो मकान दिल्ली में बनाए हैं वे खाली पड़े हैं। उसका कारण यह है कि जो बड़े लोग हैं वे उन्हें खरीदते नहीं हैं और छोटे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे उन्हें खरीद सकें। अगर फौरेन इन्वेस्टमेंट की गयी तो उनके लिए आपने क्या क्राइटेरिया रखा है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब बीस लाख लोगों को प्रतिवर्ष आप मकान देंगे, तो छोटे घरों के लिए आपने क्या क्राइटेरिया रखा है? जो लोग पैसा एक साथ नहीं दे सकते हैं क्या उनको इन्साटलमेंट पर मकान दिये जाएंगे और क्या फौरेन इन्वेस्टर्स 16 प्रतिशत पर मान जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस बारे में कुछ दिन और इन्तजार करें। प्रधान मंत्री महोदय ने 27 अप्रैल को ही घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा 60 दिनों के भीतर कर दी जायेगी और इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय होगा। 60 दिन की अवधि इस माह की 27 तारीख को समाप्त हो गई। इस महीने की 27 तारीख से पहले एक व्यापक राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा कर दी जायेगी और इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। वास्तव में, हम इस सभा में कल सुबह अपनी नीति रखना चाहते हैं जो इस सत्र के प्रथम चरण का अंतिम दिन है ताकि माननीय सदस्य सत्र अवकाश के समय उस पर विचार कर सकें और अपने विचार प्रकट कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हमें हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं के कारण मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। अत:, मैं समझता हूं कि हमें कुछ दिन और इंतरजार करना पड़ेगा। माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वे सभी राष्ट्रीय आवास नीति में होंगे और उन्हें और प्रश्न नहीं करने पड़ेंगे।

श्री सुव्रत मुखर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में आवासीय घरों की आधार संरचना के विकास और निर्माण का कार्य सीधे सरकार के नियंत्रणाधीन था और उसके बावजूद भी इस

क्षेत्र में घोटाले संबंधी कुछ मुद्दे उठाये गये और संबद्ध मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। यह मामला अभी भी लंबित है।

इस परिप्रेक्ष्य में जबकि आप इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को अनुमति दे रहे हैं, तो उन्हें संवर्द्धकों में परिवर्तित करने की प्रत्येक संभावना रहेगी और यह विदेशी निवेशकों और संवर्द्धकों के लिए लाभकारी क्षेत्र होगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या घरों के वितरण पर सरकार का सीधा नियंत्रण होगा अथवा निजी निवेशक यह काम करेंगे।

श्री राम जेठमलानी: अलग-अलग भवन निर्माताओं से विभिन्न स्थानों पर की गई संविदाओं के आधार पर व्यापक प्रावधान किये जायेंगे। कुल मिलाकर नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि धनी लोगों को लाभार्जन के लिए निर्माण करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु उन्हें वह लाभ निर्धन लोगों के लिए घर बनाने के लिए पुन: लगाना पड़ेगा। जैसा कि सभा को मालूम है, जहाँ तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, हमारी जरूरत हजारों-करोड़ रुपये में होती है परन्तु बजट में मेरे मंत्रालय को प्रत्यक्ष रूप से एक रुपया भी नहीं मिला।

माननीय वित्त मंत्री से मुझे बजट में जो मिलने की घोषणा हुई है और जो अभी भी चर्चाधीन है तथा जिस पर अभी भी चर्चा चल रही है, केवल 131 करोड़ रुपये हैं, जो हुडको में इक्विटी के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। अब, मुझे एक रुपये की भी सहायता के बिना ही शहरी क्षेत्र में सात लाख आवास एकक बनाने का चमत्कार करना है ...*(व्यवधान)* अत:, हमें निजी क्षेत्र को व्यापक भागीदारी के लिए आमंत्रित करना होगा और निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते समय इसका ब्यौरा तैयार करना होगा। प्रत्येक संवर्द्धक के साथ की गई प्रत्येक संविदा की शर्तें मैं आपको नहीं बता सकता। यह क्षेत्र पर, शहर पर निर्भर करता है।

परन्तु मैं आपको अवश्य बता दूँ कि 225 वर्गमीटर से बड़े घर न बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो कोई भी अमीर आदमी नहीं लेगा। ये देश के गरीब लोगों के लिए ही होंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: आपने एम.पीज़ को रहने के लिए अभी तक मकान नहीं दिया है। वे रोड पर रह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा प्रश्न, इस प्रश्न की सीमाओं के परे है। किन्तु यह माननीय मंत्री जी के अनुपूरक उत्तर से उपजा है। अत: मैं स्वीकार करता हूँ कि यह क्षेत्र से बाहर है।

श्री राम जेठमलानी: सामान्यत: मैं इन तकनीकी बातों को नहीं उठाता हूं। मेरे पास जो भी सूचना उपलब्ध है, मैं दे दूंगा।

श्री राजेश पायलट: मैं उसे स्वीकार करूँगा। वे एक सक्षम मंत्री हैं और वे इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें मंत्रालय के बजटीय आबंटन में से 131 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे, किन्तु शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत विकास प्राधिकरण किसानों को दिये ऋण पर ब्याज से करोड़ों रुपये कमा रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि राष्ट्रीय आवास नीति लाने से पहले क्या वे इस पर विचार करेंगे। जब भी वे किसानों से जमीन अधिगृहित करते हैं, वह बहुत कम मूल्य पर ली जाती है किन्तु जब वे उन प्लाटों का आवंटन करते हैं तो वे उस मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य पर आबंटित करते हैं, जो उन्हें भूमि अधिगृहित करते समय दिया गया था और वे नागरिकों से बहुत अधिक धनराशि लेते हैं।

क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किसानों को विकास प्रभार घटाकर प्लाटों की कीमत का भुगतान करेंगे ताकि किसान भी उस लूट में हिस्सा पा सकें जो किसानों की ओर से विकास प्राधिकरणों ने मचा रखी है?

श्री राम जेठमलानी: महोदय, मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छे वायदे से शुरू किया कि वे मुझसे वह प्रश्न पूछेंगे जो मेरे मुख्य प्रश्न से उठा है। अब दुर्भाग्य से मुझसे ग्रामीण विकास मंत्री के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने को कह रहे हैं। मैं केवल शहरी विकास मंत्री हूं ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: यह ग्रामीण विकास के अधीन नहीं आता। डी.डी.ए. उनके अधीन है।

श्री राम जेठमलानी: चूंकि उन्होंने यह आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपये बनाये जा रहे हैं, मैं अपने आपको इस आरोप का लगभग दोषी मानता हूं, जो उन्होंने लगाया है। यह सत्य है कि यहां अत्यधिक भ्रष्टाचार है। किन्तु मैं यह आश्वासन देता हूं कि जब तक मुझमें थोड़ी-सी भी शक्ति शेष रहेगी, मैं इस तरह के भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयत्न करूंगा और इसे समाप्त करूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: महोदय, ये मेरी बात का गलत अर्थ समझ रहे हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं है। यह नीति का प्रश्न है; उन्हें नीति बदलनी होगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन: हमें आपका संरक्षण चाहिए। मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देना है। महोदय आपको सदस्यों का साथ देना है, मंत्री का नहीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपका साथ दे रहा हूं किन्तु साथ ही आपको भी अध्यक्षपीठ का साथ देना है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी: मैं उनको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब कभी भी किसानों से कोई भूमि ली जाती है, तो पर्याप्त मुआवजे क्या भुगतान किया जाता है और किया जाता रहेगा। अन्ततः वह एक न्यायिक कार्य है। डिस्ट्रिक्ट जज को अन्ततः यह निर्णय लेना होता है कि क्या मुआवजा दिया जाना है। हम यह भूमि अधिगृहण अधिनियम के अन्तर्गत कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा: किन्तु वे निर्णय लेने में अत्यधिक समय लगा रहे हैं। वे काफी लम्बे समय से जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के चक्कर लगा रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी: मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूं कि न्यायिक तंत्र विलम्ब द्वारा खराब हो रहा है। किन्तु कृपया मुझे इस बारे में कुछ करने के लिये कुछ समय दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अभी तक आपने कोई स्पष्ट हाउसिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। आपने स्वीकार किया है कि माननीय प्रधान मंत्री जी बहुत जल्दी हाउसिंग पालिसी की घोषणा करने वाले हैं। आज देश में गांवों और शहरी इलाकों में झुग्गी-झोंपड़ी और स्लम्स में रहने वाले लोगों की समस्या है, जो स्लम्स में जीवन बसर करते हैं। सम्भवतः आज ही आपने शहरी भूमि हदबंदी से संबंधित बिल इंट्रोड्यूस करने का इरादा प्रकट किया है यानी आप सीलिंग को समाप्त करके लैंड ओनर्स को प्रोटैक्ट करना चाहते हैं। इससे शहरों में, स्लम्स में रहने वाले गरीब लोगों का पलायन होगा, उन्हें शहरों से निकाला जाएगा। क्या आप उनके लिए अपनी नीति में कोई बंदोबस्त करने जा रहे हैं? आपके विभाग से स्लम अफोडेशन के लिए पैसा मिलता है। आप शहरों में रहने वाले लोगों को मकान और दूसरी सहायता देकर आगे बढ़ाएंगे। आपने गरीब लोगों को 20 लाख मकान देने की चर्चा की। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री लालू प्रसाद: आपने 20 लाख मकान देने की बात अपने एजेंडा में कही है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम लेकर आई थी जिसे इन्दिरा आवास योजना कहते हैं। क्या आप उसी योजना के तहत 20 लाख गरीब परिवार के लोगों के लिए मकान बनाने की बात कह रहे हैं। वह योजना पहले से ही चल रही है। क्या सरकार देशवासियों के हाथ धोने के लिए, कुर्ता-पायजामा पहनने के लिए, धोती पहनने के लिए या मकान बनाने के लिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री लालू प्रसाद: मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि हम कब तक विदेशियों पर आश्रित रहेंगे? क्या विदेशी लोग ही यहां मकान बनाएंगे, हाथ धुलाएंगे और कुर्ता पहनाएंगे? आपकी क्या नीति है? क्या आप इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले मकानों की संख्या बढ़ाएंगे और शहरी हदबंदी कानून को वापस लेंगे? तभी यह सरकार गरीबों के लिए हुडको या दूसरी किसी एजेंसी से, पैसा देकर मकान बनाने में सफल हो सकती है। सरकार का इस बारे में क्या इरादा है? आप विदेश पर निर्भर करते हैं या देश पर निर्भर करते हैं?

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों में इनके द्वारा पूछे गये लम्बे प्रश्न क्या एक बहुत ही संक्षिप्त उत्तर सुनने का धैर्य होगा।

सर्वप्रथम, मैं इस देश के निर्धन लोगों के प्रति माननीय सदस्य की चिन्ता की सराहना करता हूं किन्तु मुझे इस बात पर एतराज है कि आप का दावा है कि निर्धन व्यक्तियों के लिए केवल आप ही चिन्तित हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। हम भी उतने ही चिन्तित हैं और हम उनके बारे में अधिक चिन्तित हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर: महोदय, यह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: दूसरा हम सभी इंदिरा आवास योजना की प्रशंसा करते हैं, जो कुछ वर्ष पूर्व शुरू की गयी थी किन्तु माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि अभी तक इंदिरा आवास योजना को 1100 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। यह धनराशि ग्रामीण निर्धनों की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य के लिए पूर्णतया अपर्याप्त है। किन्तु कृपया हमें यह श्रेय दें कि पहली बार हमने इस प्रवृत्ति को उलट दिया है। यह प्रवृत्ति इन्दिरा आवास योजना में भागीदारी को कम करने की थी। इस बजट में, हमने इसे 1100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपये कर दिया है *...(व्यवधान)* अब मुझे आपके प्रश्न के अंतिम भाग का जवाब

देने दें। आपके प्रश्न के अंतिम भाग में केवल एक उत्तर की आवश्यकता है कि यदि इस देश में निर्धन लोग वे लाभ नहीं उठा पाये हैं जो उनके लिए बने हैं, यदि वे चीजें जो उनके लिए बनी हैं, वे उनकी जेब में नहीं गई है। इस देश की प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार है ...*(व्यवधान)* यहां ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ निगल गये। हम इस तंत्र को साफ-सुथरा बनाने और यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक रुपया जो निर्धन लोगों के लिए है, वितरण की प्रक्रिया में एक भी पैसा चोरी हुये बिना उन्हीं की जेबों में जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 225 श्री भगवान शंकर रावत।

...(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा: यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। अत: इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा की सहमति हो, तो मुझे आधे घण्टे की चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अजित कुमार पांजा: कृपया सभा की सहमति ले लें और चर्चा होने दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों की संख्या में कमी

***225. श्री भगवान शंकर रावत:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''एअर टैक्सी आपरेटरों'' के आ जाने के कारण इंडियन एअरलाइन्स के यात्रियों की संख्या में तेजी से कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) हवाई टैक्सी प्रचालकों के उभरने से, प्रारंभ में अंतर्देशीय सेक्टर पर इंडियन एयरलाइंस द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या घटी थी। मुख्य कारण थे:-

(1) लेवेल प्लेइंग फील्ड की अनुपस्थिति में, निजी प्रचालकों ने लाभकारी ट्रंक मार्गों पर अपनी पूरी विमान क्षमता लगा दी जिसे इंडियन एयर लाइंस द्वारा पर्याप्त रूप से सेवित किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक रूप से निजी प्रचालकों के यात्रियों में वृद्धि हुई जिससे इंडियन एयरलाइंस को घाटा हुआ।

(2) निजी प्रचालकों द्वारा अधिक परिलब्धियों की पेशकश किए जाने से निजी प्रचालकों के पास पलायन के कारण कमांडरों तथा योग्य इंजीनियरों की कमी। इसके परिणामस्वरूप, विमान उपयोगिता अब तक के सबसे कम स्तर पर पहुंच गयी।

(ग) यात्रियों में वृद्धि करने के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:

(1) निम्न द्वारा बढ़ी हुई विमान उपयोगिता:

- कमांडरों की बढ़ी हुई उत्पादकता।
- कमांडरों की बढ़ी हुई उपलब्धता।
- इंजीनियरों की बढ़ी हुई उत्पादकता के परिणामस्वरूप प्रतिदिन विमान की बढ़ी हुई उपलब्धता।
- एलायंस एयर का आरंभ करना।

(2) निम्न द्वारा यात्रियों को आकर्षित करना:-

- उत्पाद सुधार।
- नवीन तथा अभिघाती विपणन रणनीति।
- परिष्कृत समयबद्ध कार्य-निष्पादन।
- कम्पनी की क्षमता के बारे में सूचना का प्रसार।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रावत जी, आप बोलें।

...(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत: अध्यक्ष महोदय, कुछ खामोशी हो तो मैं कुछ पूछूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: मेरा निवेदन है कि एयर टैक्सी सर्विस जो प्राइवेट सर्विस थी *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: मेरा जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, जवाब आ चुका है, आप बैठिये।

श्री भगवान शंकर रावत: एयर टैक्सी सर्विस जो प्राइवेट सर्विस थी, उनकी डेढ़ सौ करोड़ की देयताएं हैं, उसके बावजूद भी इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं के मुकाबले टैक्सी सर्विस प्रोफिट में गई; आखिर इसके कारण क्या हैं, इस उत्तर में कारण नहीं बताये गये हैं। मेरे सवाल का दूसरा खंड है और मैं जानना चाहूंगा कि घाटे के मार्गों पर भी टैक्सी ऑपरेटर्स को ऑपरेट करना था, एक परसेंट रूट पर जाना था लेकिन ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा मत कीजिए। जवाब आ चुका है, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास अठावले जी, आपको यह शोभा नहीं देता, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस मुद्दे पर पहले ही आधा घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं, आपको बोलने का समय दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, मैंने पहले ही आधा घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: मान्यवर, टैक्सी ऑपरेटर्स पर डेढ़ सौ करोड़ से ऊपर की भारत सरकार की देयताएं हैं। ऐसा शासन ने आखिर क्यों किया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तरित वरण तोपदार: महोदय, क्या आपने अपनी व्यवस्था दे दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही आधा घंटे की चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: उसके बाद जिन रूट्स पर उन्हें चलाया गया, उनसे अभी तक वह पैसा वसूल नहीं किया गया। उसके बाद भारत सरकार कहती है कि ल्यूकरेटिव रूट्स पर जो कम्पटीशन हुआ उसमें इंडियन एयरलाइंस पिछड़ गई। मैं जानना चाहता हूं कि उसके पिछड़ने के क्या कारण थे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अनुबंध में यह तय हुआ था कि यह परसेंट फ्लाइट नार्थ-ईस्ट में डाउन ल्यूकरेटिव रूट्स, घाटे के रूट्स पर होंगी। लेकिन एयर टैक्सी सर्विसेज को इस बात के लिए क्यों नहीं विवश किया गया कि ये घाटे के रूट पर चलें। मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन ने ऐसा क्यों किया और आगे शासन की इस बारे में क्या योजना है? ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, आप इस पर आधे घंटे की चर्चा कराइये। ...*(व्यवधान)* इस पर डिस्कशन रखिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लालूजी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आप इस पर चर्चा कराइए ...*(व्यवधान)* हम इनकी कलई खोलकर रख देंगे। ...(व्यवधान) हम देखना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात न करें।

श्री अनन्त कुमार: अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण में मैंने पहले ही कहा है कि निजी टैक्सी प्रचालकों के कारण इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में कमी आई है। अब इसमें वृद्धि हो रही है।

महोदय, जहाँ तक श्री भगवान शंकर रावत द्वारा मार्ग वितरण हिदायतों के संबंध में पूछे गये प्रश्न का संबंध है, मैं यह कहना चाहूँगा कि हमने इन हिदायतों को तैयार किया है। हमने वायु मार्गों

को तीन श्रेणी में विभक्त किया है। प्रमुख मार्गों को प्रथम श्रेणी मार्ग, उत्तर-पूर्व के मार्गों को श्रेणी-2 मार्ग तथा अन्य मार्गों को जो कि उक्त श्रेणी-1 और 2 में नहीं आते, को श्रेणी-3 मार्गों में रखा है। यह मार्ग वितरण दिशा-निर्देश हैं।

इस मार्ग वितरण दिशा-निर्देश के अनुसार, प्रत्येक परिचालक, जिसमें इंडियन एयरलाइन्स तथा निजी एयर टैक्सी ऑपरेटरों को 50% : 10% : 1% के विशेष अनुपात में उड़ान भरना अनिवार्य होगा। इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। जब कभी भी एयर टैक्सी आपरेटरों ने इस अनिवार्यता को पूरा नहीं किया। उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई है और इसे ठीक किया गया है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या शासन ने यह स्वीकार किया है कि एयर टैक्सी के कम्पीटीशन में इंडियन एयरलाइंस पिछड़ेगी, लेकिन उसके पिछड़ने का कोई कारण नहीं बताया है। मैंने इसके पिछड़ने का कारण पूछा था। हम यह मानकर चलते हैं कि इंडियन एयरलाइंस प्राइवेट स्पर्धा में हिम्मत हार गई है और पीछे रह जायेगी। क्या शासन की यह नीति है कि जिन रूट्स पर इस समय एयर सर्विसेज नहीं हैं, जैसे आगरा-दिल्ली-जयपुर जो एक ट्राइएंगुलर टूरिस्ट रूट है या इस तरह के जो और रूट्स हैं, उन पर जो सेवाएं नहीं हैं, क्या इन नये रूट्स को खोलकर एयर टैक्सी ऑपरेटर को देने की सरकार की कोई योजना है? यदि है तो उसका विवरण क्या है, जिससे कि इंडियन एयरलाइंस को घाटा भी न हो और सेवाओं को अधिक क्षेत्र में व्यापक रूप से फैलाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार: अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य से इस बात पर असहमत हूँ कि देश में निजी एयर टैक्सी प्रचालकों के कारण बाजार में इंडियन एयरलाइंस की भागीदारी में कमी आई है। आजतक, वास्तव में इंडियन एयरलाइंस की कुल बाजार भागीदारी 65 प्रतिशत है और एयर टैक्सी आपरेटरों का नागर उड्डयन में 34 प्रतिशत हिस्सा है। 11 अनुसूचित एयर टैक्सी आपरेटरों में से अब मात्र दो निजी एयर टैक्सी प्रचालक हैं। यदि हम 1992 में देखें जबकि पूर्णतया एकाधिकार था, इंडियन एयरलाइंस की भागीदारी 95.10 प्रतिशत थी। किन्तु जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है कि जबसे हमने निजी प्रचालकों के लिए घरेलू आकाश को खोला है यह प्रतिस्पर्धा के कारण घटना आरम्भ हो गया है। 1995 में यह घटकर 76, 65 और 59 प्रतिशत रह गया और वर्ष 1997 में मांग 58 प्रतिशत रह गयी। किन्तु 1997 में पुन: यह 65 प्रतिशत हो गया। अत: हमने बाजार नहीं खोया। हम बाजार में पुन: उठ रहे हैं। बाजार में पुन: उठने के लिए इंडियन एयरलाइंस लगातार सुधारात्मक उपाय विशेषकर, उत्पाद सुधार नवीन तथा अभिघाती विपणन रणनीति तथा निष्पादन में सुधार किया है। हम इन सभी चीजों में लगे हैं।

माननीय सदस्य ने आगरा-जयपुर-दिल्ली वायु मार्ग के लिए एक सुझाव दिया है। हम सारे मामले की जांच करेंगे और इस पर अनुकूल विचार करेंगे।

श्री शिवराज वी. पाटील (लातुर): वर्तमान में भारत में एयर टैक्सी सेवा उपलब्ध है। राज्य सरकारें भी विभिन्न स्थानों के लिए वायुयान उड़ा रही है। इंडियन एयर लाइंस भी है। वायुदूत ने कार्य करना बन्द कर दिया है। परिणाम यह हुआ कि हम उन क्षेत्रों में उड़ान नहीं भर रहे हैं जहाँ कि इस सुविधा की नितान्त अनिवार्यता थी। हम उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी उड़ान उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। विभिन्न जिलों के लिए उड़ान बन्द कर दी गई है जिसके कारण अब परेशानी हो रही है। हवाई यात्रा आधुनिक युग में एक विलासिता नहीं है। यह एक ऐसी सुविधा है जो कि उद्योगों को पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में ले जाती है। यदि आपके पास हवाई सुविधा है, तो उद्योग देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर सरकार का उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए उड़ान जारी रखने की क्या नीति है, हम उन क्षेत्रों में जहाँ पूर्व में उड़ान सुविधा उपलब्ध थी, के लिए उड़ान सुविधा जारी रखते हैं और एयर टैक्सी के बारे में हम क्या नीति अपनाने जा रहे हैं। राज्य, इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत तथा अन्य निगम जो कि बाजार विमानन के पास है। वायुयान उड़ा रहे हैं? क्या वे दीर्घावधि के लिए इस प्रयोजनार्थ कोई ठोस योजना तैयार कर रहे हैं ताकि यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण सम्भव हो सकता है तथा देश के सभी जिलों को वायुयान/वायुसेवा से जोड़ा जा सकता है।

श्री अनन्त कुमार: मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ जो कि इस सदन के पूर्व अध्यक्ष और मेरे पूर्ववर्ती रह चुके हैं। उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, बाजार विमानन के लोकतंत्रीकरण की धारणा पर विचार कर रहा है।

प्रो. पी. जे. कुरियन: यह एक खतरनाक धारणा है। कृपया इसका लोकतंत्रीकरण न करें। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: जब मैं यह कहता हूं कि नागर विमानन के लोकतंत्रीकरण की बात करता हूँ तो मेरा आशय इस देश के 95 करोड़ जनता को अधिक वायुसेवाएं प्रदान करना है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मौजूदा नागर विमानन सेवाएं और आधारभूत ढांचा अपर्याप्त है। इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है।

जब हम नागर विमानन के लोकतंत्रीकरण की बात करते हैं तो इसमें दो मुद्दे प्रमुख हैं। मैं प्रो. कुरियन के इस बारे में विचार

जानना चाहूंगा। दो प्रमुख मुद्दे हैं-(1) नागर विमानन की पहुंच (2) और जीवनक्षमता। पहुंच दो मुद्दों पर आधारित है (1) हवाई अड्डों का आधारभूत ढांचा (2) हवाई जहाज। देश में, वर्तमान में 120 हवाई अड्डे हैं। इनमें से 55 कार्यरत हैं और अन्य अर्ध-कार्यरत हैं। मैं सभी हवाई अड्डों का दौरा कर रहा हूं। मैंने अब तक 10 हवाई अड्डों का दौरा कर लिया है। हम विभिन्न हवाई अड्डों में दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं। जहां तक एयरक्राफ्ट का संबंध है, न तो इंडियन एयरलाइन्स और न ही निजी प्रचालकों, एक दो निजी क्षेत्रीय प्रचालकों को छोड़कर, के पास छोटे एयरक्राफ्ट हैं। अगर इस छोटे एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे तो, इन उप क्षेत्रीय रूटों को अर्थक्षम नहीं बनाया जा सकता। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं।

अब हमने सभी मुख्यालयों तक वायुसेवा का विस्तार कर दिया है। तथापि, देश के प्रत्येक राज्य में, तीन-चार मुख्यालय स्थान ऐसे हैं, जो महत्वपूर्ण हैं और उन्हें वायु सेवा से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए हमें 30 और 50 सीटों वाले एअरक्राफ्ट खरीदने होंगे। सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। अगले कुछ दिनो में इंडियन एअरलाइन्स द्वारा 50 सीटों वाले छह और निजी आपरेटर्स द्वारा सोलह ऐसे विमान खरीदे जाने हैं। मैं इस माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि हम अगले कुछ ही दिनों में बाईस 50 सीटों वाले एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी देने जा रहे हैं। इससे हम देश के सभी मुख्यालयों को जोड़ सकेंगे। ऐसा होने पर हम उप-क्षेत्रीय क्षेत्रों को वायुसेवा से जोड़ सकेंगे।

श्री अजित कुमार पांजा : श्रीमन्, निजी प्रचालकों को देशीय सेवा में लाने का उद्देश्य प्रतियोगिता की भावना पैदा करना और इंडियन एयरलाइन्स की सेवा में सुधार करना था। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ और युवा मंत्री महोदय बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। महोदय को अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये उत्तर ही नहीं दोहराने चाहिएं।

मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि एअरक्राफ्टों में सफाई के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है। वे काफी गंदे हैं। यात्रियों को अच्छा भोजन परोसने की ओर क्या कार्यवाही की गई है? एअरक्राफ्टों की सफाई नहीं की जा रही है। देशीय एअरक्राफ्टों की खस्ता हालत के बारे में क्या किया जा रहा है? दो वर्ष पूर्व दिल्ली हवाई अड्डे पर अग्निकांड हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखे गए इस हवाई अड्डे की स्थिति सुधारने की ओर कुछ नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि इस ओर क्या कार्य किया गया है। उन्हें उत्पाद सुधार, नवीन राजनीति और अभिघाती रणनीति आदि जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब बड़े-बड़े शब्द हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। मंत्री महोदय को एक-एक करके सभी मुद्दों का उत्तर देना चाहिए।

श्री अनंत कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही 'ऐसस' नाम से एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इससे हमें यात्रियों की राय प्राप्त होती है। अगर मंत्री महोदय हमारा कार्यनिष्पादन चार्ट देखें तो पायेंगे कि यह सही है। जहां तक इंदिरा गांधी हवाई अड्डे, नई दिल्ली का संबंध है, वहां $1^1/_2$ वर्ष पूर्व आग लग गई थी। कल ही मैंने वहां का दौरा किया था। एक माह के अन्दर ही हम इसे पुन: आरम्भ करने जा रहे हैं और नये टर्मिनल को चालू करने जा रहे हैं 2,250 से अधिक यात्रियों को सभी मूल और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: श्रीमन्, आन्ध्र प्रदेश में नागर विमानन मंत्री द्वारा एअर टैक्सी सेवा आरम्भ किये जाने के कारण, वायु एयर यातायात बिल्कुल ठप्प हो गया है। उदाहरण के तौर पर, तिरुमला तिरुपति देस्थानम ने हवाई अड्डे और एअर टर्मिनल में सुधार के लिए सात करोड़ रुपये दिए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष नियुक्त होने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय ने वहां का दौरा किया था। मैं नहीं जानता कि वहां उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से क्या वायदा किया है। जिन्होंने तिरुपति की अनदेखी की है, वे ज्यादा दिन अपने पद पर बने नहीं रहे हैं। अलाइंस एयरलाइन्स सप्ताह में दो दिन ही वहां सेवा प्रदान कराती है। क्या माननीय मंत्री महोदय यातायात में सुधार की ओर ध्यान देंगे. चाहे वहां कितना ही घाटा क्यों न हो। भगवान वेंकटेश्वर नागर विमानन मंत्रालय का ध्यान रखेंगे। मैं मंत्री महोदय से इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, सदस्य महोदय को लिखित उत्तर भेज़ सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

इस्पात की उत्पादन लागत

***223. श्री विजय सिंह सोय: क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के मिश्र धातु इस्पात संयंत्रों को अधिक उत्पादन लागत के कारण अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): (क) और (ख) सेल के मिश्र/विशिष्ट इस्पात संयंत्रों का निष्पादन मुख्यत:

प्रतिस्पर्धा मांग में कमी तथा आदान मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने से बिक्री से प्राप्ति कम होने के कारण प्रभावित हुआ है।

(ग) सेल इन संयंत्रों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए निरन्तर कदम उठा रहा है जिनमें तकनीकी-आर्थिक प्राचलों में सुधार, मांगोन्मुखी उत्पादन, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करके तथा उद्यमशील एवं ग्राहकोन्मुखी विपणन आदि के माध्यम से बिक्री बढ़ाकर लागत में कमी करना शामिल है।

[अनुवाद]

घरेलू विमान यात्रा के किराये में वृद्धि

*226. **श्री हरिन पाठक:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू विमान यात्रा के किरायों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) इंडियन एयरलाइंस को अब तक कुल मिलाकर कितना घाटा हुआ है; और

(घ) घाटे को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) अंतर्देशीय विमान किराए सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किये जा रहे हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की वर्ष 1989-90 से 1996-97 तक संचित हानि 1045.60 करोड़ रुपए है।

(घ) इंडियन एयरलाइंस ने हानियों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव करती है:-

(1) मांगों की पुनर्संरचना (2) लाभप्रद केन्द्रों का सृजन (3) अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि (4) विमानचालकों के प्रशिक्षण पैटर्न में परिवर्तन (5) एलायंस एयर का सृजन (6) ग्राहक सेवाओं में सुधार (7) कम्पनी की क्षमता के बारे में सूचना का प्रसार करके समष्टि छवि में सुधार (8) बाजार शेयर में सुधार के लिए अभिघाती विपणन रणनीति (9) बहाली तथा पूंजीगत व्यय पर सख्त नियंत्रण (10) केलकर समिति द्वारा सुझायी गयी पूर्व-स्थिति बहाली संबंधी रणनीति।

[हिन्दी]

एयर इण्डिया द्वारा पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध न कराया जाना

*227. **श्री सतनाम सिंह कैंथ:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि एयर इंडिया गत तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एयर इंडिया वे सुविधायें प्रदान नहीं करता जोकि अन्य विमानन कंपनियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान प्रदान की जाती हैं;

(घ) क्या इस कारण एयर इंडिया की क्षमता का कम उपयोग हो पा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार):

विवरण

(क) से (च) गत तीन वर्षों में एयर इंडिया को हुए घाटे का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	घाटा (करोड़ रुपयों में)
1995-96	271.84
1996-97	296.94
1997-98 (अनंतिम)	280.43

भिन्न-भिन्न विमानन कंपनियों में भिन्न-भिन्न सुविधायें दी जाती हैं। तथापि, एयर इंडिया अपनी उड़ानों में अच्छी सेवाएं प्रदान करने का प्रयत्न करता है। एयर इंडिया द्वारा दी जाने वाली यात्री सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) परिष्कृत श्रव्य तथा दृश्य प्रणाली।

(2) बी 747-400 की प्रथम श्रेणी तथा एग्जीक्यूटिव श्रेणी और ए 310 की एग्जीक्यूटिव श्रेणी में वैयक्तिक टेलीविजन प्रदान की गयी है।

(3) बी 747-400 विमान पर विमानगत दूरभाष प्रणाली प्रदान की गयी है।

(4) बी 747-400 विमान पर विमानगत फैक्स प्रणाली प्रदान की गयी है।

सभी अंतरराष्ट्रीय विमानकम्पनियों के लिए सीट गुणक सीजन तथा प्रचलित प्रतिस्पर्द्धा पर निर्भर करता है। तथापि, इसके सीट गुणक में सुधार के लिए, एयर इंडिया सतत् रूप से अपनी उड़ानों में नई सेवा संकल्पनाएं प्रदान करता है, जैसे:-

(1) प्रथम तथा एग्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों के लिए ठेली चेक-इन।

(2) मुम्बई तथा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मल्टी चेक-इन।

(3) परस्पर प्रभावी कम्प्यूटर उड़ान सूचना प्रणाली।

(4) विमान अंतरंग का स्तरोन्नयन।

[अनुवाद]

पंचायत चुनाव

*228. **श्रीमती रानी नरह:**
श्री अनिल बसु:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में पंचायती राज निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं, जहां नियमित रूप से चुनाव नहीं कराए जाते;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने पंचायती राज निकायों को आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान नहीं की हैं;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का देशभर में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (च) संविधान के अनुच्छेद 243ड़ में प्रावधान है कि सभी पंचायतें, जब तक किसी विद्यमान कानून के अंतर्गत पहले भंग न कर दी जाएं, 5 वर्ष के लिए कार्य करती रहेंगी और पंचायतों के गठन के लिए चुनाव पांच वर्ष की इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व अथवा इसके भंग होने की तारीख से छह महीने की अवधि के समाप्त होने से पूर्व करा लिए जायेंगे।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पांडिचेरी, गोवा की जिला परिषदों और असम को छोड़कर सभी राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 243-ङ के अनुसार चुनाव कराए जा रहे हैं।

2. कुछ राज्यों ने राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों के अभाव में पंचायती राज निकायों को आवश्यक वित्तीय शक्तियां अभी तक प्रदान नहीं की हैं। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के राज्य वित्त आयोगों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को दे दी हैं। असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने राज्य वित्त आयोगों की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। गुजरात, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली और दमण व दीव को राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं जिन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी कार्रवाई की जानी है। बिहार, गोवा और सिक्किम के राज्य वित्त आयोगों द्वारा अभी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी हैं। राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार करने से पंचायती राज संस्थाओं को काफी मजबूती मिलेगी।

3. संविधान का अनुच्छेद 243-छ राज्य सरकारों को पंचायतों को आवश्यक शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व प्रदान करने की शक्ति देता है ताकि वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 02 अगस्त, 1997 को पंचायती राज पर मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां/कार्यों और उत्तरदायित्वों की सुपुर्दगी जैसी बकाया मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में सिफारिश की गई कि (क) पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकारी शक्तियों की सुपुर्दगी, कार्यों के निर्धारण और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सुस्पष्ट विस्तृत कार्यकारी अनुदेश जारी किए जाएं (ख) राज्यों द्वारा पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएं और कार्यों के लिए तकनीकी नियमावली भी तैयार की जाए जिससे विभिन्न स्तरों पर पंचायतें इन नियमावली में उल्लिखित पारदर्शी दिशा-निर्देशों के आधार पर विकास कार्य निष्पादित कर सकें (ग) पंचायती राज संस्थाओं को उपयुक्त स्तर के विभागीय कार्यकर्ता उपलब्ध कराए जाएं तथा इन कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण की शक्तियां भी दी जाएं (घ) पंचायतों के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित

करने के लिए कदम उठाए जाएं (ङ) राज्य सरकार अपने राज्य वित्त आयोग से रिपोर्टें शीघ्र देने का अनुरोध करें। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों, कार्यों और उत्तरदायित्वों की सुपुर्दगी से संबंधित मामलों की जांच करने तथा पंचायती राज प्रणाली को कारगर बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनाने की सिफारिश की गई। समिति ने राज्यों को पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की सिफारिश की:-

1. लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा पर छोड़ा जाए।

2. 10,000 रुपए तक के कार्यों के लिए तकनीकी मंजूरी की आवश्यकता को छोड़ा जाए।

3. ग्राम पंचायतों को पर्याप्त जनशक्ति समर्थन उपलब्ध कराने में परिवर्तन लाया जाए।

4. ग्राम पंचायतों को ऐसी जनशक्ति पर संपूर्ण नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया जाए।

5. जिला परिषद् अध्यक्षों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का अध्यक्ष बनाया जाए।

6. निलम्बन/भंग करने से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं को अपनी बात करने का उचित अवसर दिया जाए।

7. ग्राम पंचायत अध्यक्ष ग्राम सभा के प्रति पूर्णतया जवाबदेह होगा।

8. जिला आयोजना समिति का शीघ्र गठन किया जाए।

शक्तियों की सुपुर्दगी एक अनवरत प्रक्रिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र धीरे-धीरे शक्तियों का प्रत्यायोजन कर रहे हैं जिससे पंचायतों को अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वाह करने के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करने का समय मिलेगा। राज्य कर्मचारियों की बैठकों और राज्य सरकारों को प्राप्त पत्रों के जरिए सरकार द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। हाल ही में स्थिति की समीक्षा करने के लिए पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक बैठक 13.5.1998 को सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान अपनाये गये प्रस्तावों का प्रारूप सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया। कई राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त होने पर इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जायेगा और इन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजा जायेगा।

दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर "एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम" की स्थापना

*229. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री नरेश पुगलीया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमान यात्रा सुरक्षा में सुधार हेतु दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों के लिए अमरीका की कम्पनी मैसर्स रेथियॉन द्वारा सप्लाई किया गया "एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम" लगाने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या यह उपकरण आई.सी.ए.ओ. द्वारा निर्धारित सुरक्षित उतरने की सुविधाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह समझौता निरस्त कर दिया गया है; और

(घ) आई.सी.ए.ओ. के विनिर्देशों के अनुरूप उपकरणों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 423.89 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंत्रण प्रणालियों के स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। उपकरण अवतरण प्रणाली की संस्थापना किया जाना आधुनिकीकरण कार्य का एक अंग है जो मैसर्स रेथियॉन, टर्न-की ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।

(ख) से (घ) मई, 1995 में दिल्ली हवाई अड्डे पर संस्थापित श्रेणी-2 उपकरण अवतरण प्रणाली को अब श्रेणी-1 के रूप में प्रचालित किया जा रहा है चूंकि उपस्कर इकाइयों विशिष्टताओं को पूरा नहीं करता। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सप्लायर को विसंगतियों को दूर करने और इस प्रणाली को श्रेणी-2 प्रचालनों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु कहा है। मैसर्स रेथियॉन ने बिना किसी लागत के श्रेणी-2 प्रणाली को आगामी 6 महीने के भीतर संस्थापित करने पर सहमति दे दी है।

[हिन्दी]

बिना टिकट यात्री

*230. **श्री राम पाल सिंह:**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, वर्षवार, बिना टिकट यात्रा करते हुए कितने यात्री पकड़े गए;

(ख) ऐसे पकड़े गये यात्रियों से उक्त अवधि के दौरान जुर्माने के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) क्या बिना टिकट यात्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) 1996-97 के दौरान बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकट पर यात्रा करते हुए 80.23 लाख व्यक्ति पकड़े गए थे और उनसे जुर्माने सहित रेलवे को देय राशि के रूप में 81.44 करोड़ रुपये वसूल किये गये थे। 1997-98 के दौरान ऐसे 93.47 लाख व्यक्ति पकड़े गये थे और उनसे जुर्माने सहित रेलवे को देय राशि के रूप में 106.11 करोड़ रुपये वसूल किए गए थे जो पिछले वर्ष अर्थात् 1996-97 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में क्रमश: पकड़े गये व्यक्तियों में 16.5% और वसूल की गई राशि में 30.3% की वृद्धि का द्योतक है।

(ग) और (घ) बिना टिकट/अनियमित यात्रा पर नियंत्रण रखने के लिए रेलों द्वारा रेल मजिस्ट्रेट, राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) और रेल सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) के सहयोग से लगातार नियमित और आकस्मिक जांच की जाती है। प्रत्येक महीने एक कार्य योजना भी बनाई जाती है और इसे सभी क्षेत्रीय रेलों को परिपत्रित किया जाता है जिसमें उन्हें बिना टिकट यात्रा की संभावना वाले विभिन्न स्थानों और खंडों पर विनिर्दिष्ट तारीखों और अवधियों के दौरान विभिन्न किस्म की जांच करने के निर्देश दिए जाते हैं। टिकट जांच कर्मचारियों को बिना टिकट वाले अधिकाधिक यात्रियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है।

[अनुवाद]

यात्रियों की ग्रीष्मकालीन भीड़

***231. डा. चिंता मोहन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों से ग्रीष्मकाल में रेल यात्रियों की संख्या में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अतिरिक्त यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवर्ष दर्ज की गई यात्रियों की संख्या में औसत वृद्धि का अनुमान क्या है;

(घ) क्या सरकार यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त रेलगाड़ियां उपलब्ध करने के लिए भी आवश्यक प्रबंध करती है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1995, 1996, 1997 और वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रबंध का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ग्रीष्मकाल के व्यस्ततम महीने के दौरान यात्री यातायात, मासिक औसत यातायात की तुलना में लगभग 12% बढ़ जाता है। जिस महीने में कम यातायात प्राप्त होता है उसकी तुलना में व्यस्ततम महीने के दौरान होने वाली मांग लगभग 22% बढ़ जाती है। यह रुख हाल ही के वर्षों में देखने में आया है।

(घ) जी हां।

(ङ) यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ को सम्हालने के लिए रेलें विशेष गाड़ियां चलाती हैं और जहां तक व्यावहारिक और वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण होता है, गाड़ियों में ज्यादा डिब्बे लगाती हैं। वर्ष-वार किए गए प्रबंध निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	विशेष गाड़ियों की संख्या	सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि
1995	1155	35 जोड़ी गाड़ियां
1996	1214	33 जोड़ी गाड़ियां
1997	1347	53 जोड़ी गाड़ियां
1998	1959	75 जोड़ी गाड़ियां

निर्धन व्यक्तियों के लिए मकान

***232. श्री पी.सी. थामस:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धन व्यक्तियों और कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में निर्धन व्यक्तियों के लिए मकान बनाने संबंधी कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे मकानों के निर्माण में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस कार्य में "कार्पाट" को शामिल होने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में "कार्पाट" आवास निर्माण की गतिविधियों में शामिल है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) इन्दिरा आवास योजना जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त बंधुआ मजदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण गरीबों को मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सारे देश में कार्यान्वित की जा रही है।

विगत तीन वर्षों के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन विवरण-I में दिया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) राज्यों के नाम बताने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया जाता है।

विवरण–I

इन्दिरा आवास योजना

(रुपए लाख में)

राज्य का नाम	आबंटन		
	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	8764.21	8870.30	8970.34
अरुणाचल प्रदेश	79.71	79.71	80.71
असम	2555.95	2919.68	2952.83
बिहार	17079.21	17398.92	17597.09
गोवा	86.12	86.12	87.63
गुजरात	3450.09	3255.70	3292.97
हरियाणा	1084.63	782.14	790.96
हिमाचल प्रदेश	273.65	273.65	276.72
जम्मू व कश्मीर	1056.07	556.07	562.66
कर्नाटक	5213.33	5956.29	6024.43
केरल	1896.68	2167.06	2191.85

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	11338.39	11240.56	11368.58
महाराष्ट्र	9064.06	9669.47	9779.75
मणिपुर	102.16	102.16	103.77
मेघालय	119.54	119.54	121.07
मिजोरम	50.36	50.36	50.73
नागालैंड	128.13	128.13	129.14
उड़ीसा	6298.60	7195.91	7277.74
पंजाब	486.85	556.24	562.65
राजस्थान	5087.49	4670.13	4723.84
सिक्किम	166.65	46.65	47.27
तमिलनाडु	7468.73	8018.92	8110.20
त्रिपुरा	132.69	132.82	134.90
उत्तर प्रदेश	20400.14	21616.11	21863.19
पश्चिम बंगाल	6957.87	7949.67	8039.87
अंडमान व निकोबार द्वी.स.	47.17	47.17	47.27
दादरा व नगर हवेली	25.61	25.61	25.37
दमन व दीव	15.08	15.08	14.99
लक्षद्वीप	23.65	23.65	24.21
पांडिचेरी	46.18	46.18	47.27
कुल	109499.00	114000.00	115300.00

विवरण-II

राज्य के नाम

आन्ध्र प्रदेश

असम

बिहार

गुजरात

हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

कर्नाटक

केरल

मध्य प्रदेश

मणिपुर

मिजोरम

उड़ीसा

पंजाब

राजस्थान

तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

पवन हंस लिमिटेड का संचालन

*233. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन हंस लिमिटेड का अपनी सेवाओं के संचालन में विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सेवाओं के संचालन के इस विस्तार के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की विस्तार योजना में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:-

1. तीर्थयात्रा के स्थलों जैसे वैष्णों देवी, केदारनाथ/बद्रीनाथ के लिए सेवाएं,
2. उत्तर-पूर्वी राज्यों में सेवाएं,
3. अन्त:शहरी तथा चिकित्सा/आपातकालीन सेवाएं,
4. जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के लिए विशेष हेलीकॉप्टरों का प्रावधान,
5. अंटार्कटिका अभियान के लिए सहायक सेवाएं।

मानार्थ रेल पास

*234. **श्री संजय सिंह:**
श्री जयसिंहजी चौहान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उनके मंत्रालय द्वारा जारी मानार्थ रेल पासों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ऐसे कितने व्यक्तियों का पता चला है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अधिकतम नि:शुल्क रेल पास जारी करने के संबंध में कोई मानदंड और सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो गत दो महीनों के दौरान ऐसे कितने रेल पास जारी किए गए?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान मौद्रिक लाभ के लिए मानार्थ पासों के दुरुपयोग के 15 मामले पकड़े गए हैं।

(ग) मानार्थ पास जारी करने के संबंध में मानदण्ड पहले ही मौजूद हैं तथा मानार्थ पास जारी करने की संख्या के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(घ) पिछले दो महीनों के दौरान विवेकाधीन शक्तियों के तहत, एकल उपयोग हेतु केवल 9 मानार्थ चेक पास जारी किए गए हैं जबकि 1997-98 और 1996-97 में क्रमश: 4,018 और 6,161 पास जारी किए गए थे।

पंचायती राज

*235. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान की राशि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार का अनुदानों की राशि को बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से अनुदान प्राप्त होता है। सर्वप्रथम, संविधान के अनुच्छेद 243-आई के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोगों से पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य तथा राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, महसूल और फीस की शुद्ध और राज्यों की समेकित निधि से मिलने वाली अनुदान सहायता के राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल से सिफारिश करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य वित्त आयोग को पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय सुझाने के संबंध में भी सिफारिश करनी होती है दूसरे, पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुदान प्राप्त होता है। उपर्युक्त के अलावा जवाहर रोजगार योजना की निधियों का जिले में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों, मध्य स्तरीय पंचायतों और ग्राम पंचायतों के बीच 15 : 15 : 70 के अनुपात में बंटवारा किया जाता है। दस लाख कुओं की योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम नामक मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत भी पंचायतों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

यदि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों को संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों से मिलने वाले सहवर्ती वित्तों के बगैर ही पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया जाए तो ये अनुदान पंचायतों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। सरकार ने राज्यों को पंचायतों की समुचित वित्तीय शक्तियां सौंपने और कार्यों के लिए तकनीकी नियमावली तैयार करने को भी कहा है ताकि विभिन्न स्तरों पर पंचायतें इन नियमावलियों में उल्लिखित पारदर्शी दिशा-निर्देशों के आधार पर विकास कार्यों को संचालित करने में समर्थ बन सकें।

2. अनुच्छेद 280 (बीबी) में विनिर्दिष्ट है कि केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों में योगदान करने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के वास्ते आवश्यक उपाय करने के संबंध में राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। ग्यारहवां वित्त आयोग 1 अप्रैल, 2000 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए पंचायतों को संसाधन देने की सिफारिश करेगा। आशा है कि ग्यारहवां वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगा और पंचायतों के संबंध में उचित वित्तीय प्रबंधों की सिफारिश करेगा।

छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के समेकित विकास संबंधी योजना

*236. **श्री ए. सिदराजू:**
श्री मुकुल वासनिक:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों से छोटे और मध्यम शहरों के समेकित विकास के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गयी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छोटे व मझोले कस्बों के समेकित विकास की अगस्त, 1995 से लागू योजना दिशा निर्देशों के तहत, राज्य स्तरीय अनुमोदन समितियों द्वारा अनुशंसित 224 कस्बों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 31 मार्च, 1998 तक 171 कस्बों के प्रस्तावों पर भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी, जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया में है।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 9.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

विवरण

छोटे व मझोले कस्बों के समेकित विकास योजना के दिशानिर्देशों के तहत राज्य-वार प्राप्त और भारत सरकार द्वारा मंजूर प्रस्तावों की संख्या और 1997-98 के दौरान उनके लिए जारी राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कस्बों की संख्या		1997-98 के दौरान उनके लिए जारी राशि
		प्रस्तावित	मंजूर	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	19	15	0.9564
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	0.0800
3.	असम	3	3	0.2100
4.	बिहार	14	10	0.0000
5.	गोवा	–	–	–
6.	गुजरात	11	10	2.1300
7.	हरियाणा	4	4	0.2200
8.	हिमाचल प्रदेश	5	3	0.1500
9.	जम्मू व कश्मीर	1	1	–
10.	कर्नाटक	21	15	0.5400
11.	केरल	8	5	0.8241
12.	मध्य प्रदेश	21	15	0.5400
13.	महाराष्ट्र	16	12	0.2900
14.	मणीपुर	2	2	0.0900
15.	मेघालय	–	–	–
16.	मिजोरम	1	1	0.1200
17.	नागालैंड	2	2	0.9000
18.	उड़ीसा	8	5	0.3600
19.	पंजाब	11	6	0.3900
20.	राजस्थान	9	9	0.8000
21.	सिक्किम	1	1	0.1200
22.	तमिलनाडु	17	14	–
23.	त्रिपुरा	4	2	0.1600
24.	उत्तर प्रदेश	32	23	1.1600
25.	पश्चिम बंगाल	10	10	0.3000
26.	दादर एवं नगर हवेली	1	1	–
27.	दमण एवं दीव	1	1	0.1080
28.	पाण्डिचेरी	–	–	–
	योग :	224	171	9.8525

कोंकण रेल परियोजना के लिए केन्द्रीय अनुदान

***237. श्री के.सी. कोंडय्या:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोंकण रेल निगम ने कोंकण रेल परियोजना के लिए कितनी पूंजी का कर्ज लिया है;

(ख) कोंकण रेल निगम द्वारा यह राशि कब लौटाई जानी है;

(ग) क्या कोंकण रेल निगम ने कर्ज ली गई पूंजी को लौटाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ लाभार्थी राज्यों से अनुदान की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) 2472 करोड़ रुपए।

(ख) कोंकण रेल निगम द्वारा वर्ष 2006-07 तक दायिताओं का भुगतान कर दिए जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस का पुनर्गठन

*238. **श्री आर. साम्बासिवा राव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इंडियन एयरलाइंस के पुनर्गठन के लिए 325 करोड़ रुपये के पैकेज के समझौते पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि नौवीं योजना अवधि में आबंटित 525 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त है;

(ग) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस के पुनर्गठन संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक आरंभ किये जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) नागर विमानन मंत्रालय के वर्ष 1998-99 के लिए बजट में केलकर समिति द्वारा की गई सिफारिश पर इंडियन एयरलाइंस में अतिरिक्त इक्विटी निवेश के लिए 475 करोड़ रुपये में से 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो नौवीं योजना के लिए प्रक्षेपित कुल अपेक्षाओं का एक भाग है।

(ख) और (घ) केलकर समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(1) वित्तीय पुन:संरचना, जिसमें क्षतिपूर्ति के रूप में 922 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश, सहायक ऋण, इक्विटी और इंडियन एयरलाइंस तथा इसके कर्मचारियों द्वारा अंशदान शामिल हैं। इसमें से, 475 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिया जाना है।

(2) विमान-बेड़ा योजना।

(3) मार्ग युक्तिकरण।

(4) मानव संसाधन प्रबंधन।

सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

घरेलू हवाई अड्डों का विकास

*239. **श्री रंजीब बिस्वाल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घरेलू हवाई अड्डों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में इनमें से कितने हवाई अड्डों का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश हवाई अड्डों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जिनकी ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ङ) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान इन हवाई अड्डों के विकास के लिए कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के रख-रखाव में तथा स्वामित्व वाले 87 अंतर्देशीय हवाईअड्डे हैं। इसके अतिरिक्त, रक्षा हवाईअड्डों पर 28 सिविल एन्कलेव हैं। उपरोक्त में से, 50 सिविल हवाईअड्डे तथा 20 सिविल एन्क्लेव प्रचालन में हैं जिन्हें विभिन्न एयरलाइनों द्वारा प्रचालित की जा रही उड़ानों द्वारा सेवित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) हवाईअड्डों का विकास तथा स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और आवश्यकतानुसार विकास कार्य किए जाते हैं।

(ङ) और (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 1998-99 के दौरान टर्मिनल भवनों के विस्तार तथा निर्माण और अन्य प्रचालनात्मक कार्यों के लिए 346.07 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, वैमानिकी संचार सुविधाओं के विकास के लिए 104.96 करोड़ रुपए तथा ग्राउंड और सुरक्षा सेवाओं के स्तरोन्नयन के लिए 98.05 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

विमान-दुर्घटनाओं को रोकने संबंधी समिति की रिपोर्ट

*240. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान दुर्घटनाओं के बारे में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की अध्यक्षत में गठित समिति ने आगामी दस वर्षों में दुर्घटना-दर को वर्तमान दर से आधी दर तक लाए जाने के लिए किसी व्यापक कार्य योजना की सिफारिश की है;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशें क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत सिफारिशों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) से (ङ) समिति ने 84 सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक व्यवस्था, प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ सिफारिशें आंतरिक व्यवस्था से संबंधित हैं जिन्हें लागू करने पर नाममात्र का वित्तीय भार पड़ेगा तथा इन्हें संबंधित संगठनों द्वारा बिना अधिक समय गंवाए लागू किया जा सकता है, जबकि शेष सिफारिशों के कार्यान्वयन/उन पर आगे कार्रवाई किए जाने में समय लगेगा तथा इस पर खर्च भी आएगा। समिति की सिफारिशों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है।

निजी एयरलाइनों की उड़ानें

*241. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी निजी एयरलाइनें देश में समय-सारणी के अनुसार दूरवर्ती स्थानों से और दूरवर्ती स्थानों के लिए व्यावसायिक उड़ानों का संचालन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन एयरलाइनों के नाम क्या हैं जो देश के दूरवर्ती स्थानों से उड़ानों का संचालन कर रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन निजी एयरलाइनों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन प्राप्त करने तथा देश में विभिन्न क्षेत्रों खासकर, देश के दूरस्थ स्थानों की विमान परिवहन सेवाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मार्ग-वितरण मार्ग-दर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। तदनुसार, देश के भीतर किन्हीं अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं का प्रचालन करने वाले प्रत्येक प्रचालक से यह अपेक्षित है कि वह ट्रंक मार्गों (श्रेणी-1) पर लगाई गई क्षमता का कम-से-कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप (श्रेणी-2) को जोड़ने वाले स्टेशनों के लिए लगाने की व्यवस्था करे। तीन निजी विमान कम्पनियों में से केवल अर्चना एयरवेज श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 मार्गों पर प्रचालन नहीं करती। जबकि जेट एयरवेज उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा जम्मू व कश्मीर में कुछेक स्टेशनों को जोड़ती है, सहारा इंडिया एयरलाइंस केवल उत्तर-पूर्व में स्टेशनों को जोड़ती है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विमान सेवाओं के और आगे विकास के लिए प्रोत्साहन देने तथा क्षेत्रीय विमान सेवाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के लिए "हुडको" की योजना

2263. **श्रीमती कमल रानी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक उत्तर प्रदेश की कितनी आवासीय परियोजनाएं हुडको के विचाराधीन हैं;

(ख) हुडको द्वारा अनुमोदित विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लिए राज्यवार कुल कितना ऋण आवंटित किया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) आज की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश की 17 आवासीय परियोजनाएं हडको में प्रक्रियाधीन है जिनमें 35.78 करोड़ रुपए ऋण मांगा गया है। (विवरण-I)

(ख) और (ग). हुडको, आवासीय परियोजनाओं के लिए वार्षिक ऋण नियतन करता है, इसमें से 50% नियतन, प्रत्येक वर्ष के शुरू में प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल तथा आबादी के आधार पर दिया जाता है तथा शेष 50% विभिन्न राज्यों की मांग तथा कार्य निष्पादन को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। हुडको द्वारा 1998-99 के दौरान सभी राज्यों में आवासों के लिए किया गया ऋण नियतन 1470 करोड़ रुपये हैं।

30.4.98 की स्थिति के अनुसार, हडको ने विभिन्न राज्यों की एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत 97.92 करोड़ रुपये की परियोजना लागत तथा हडको द्वारा 63.73 करोड़ रुपये के ऋण राशि की 60 स्कीमें मंजूर की हैं। इन स्कीमों के पूरा होने पर, 10,842 निर्मित/उन्नत रिहायशी मकान मुहैया होंगे। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 1998-99 के लिए उत्तर प्रदेश में हडको ने अभी तक कोई स्कीम मंजूर नहीं की है।

विवरण I

30.4.98 को समाप्त माह की राज्य/एजेंसी-वार प्रक्रियाधीन आवासीय स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/एजेंसी	स्कीम का नाम	आवंटन संख्या	रिहायशी मकान	ऋण राशि						योग	प्रारंभ
					ई.डब्लू. एस.	ई.डब्लू. एस (ओ)	एल. आई जी.	एम. आई. जी.	एच. आई. बी.	ओ. एस. एच.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर प्रदेश												
1.	इलाहाबाद वि.प्रा.	404 ईडब्ल्यूएस, हाकी इलाहाबाद	178	400	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100.48	2.7.97
2.	-वही-	595 ईडब्ल्यूएस, शांतिपुरम, इलाहाबाद	179	595	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	149.50	2.7.97
3.	-वही-	306 ईडब्ल्यूएस, बीड सराय -वही-	780	306	0.00	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	94.55	2.7.97
4.	-वही-	350 ईडब्ल्यूएस, उगरपुर, बीघा-वही-	781	350	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	108.14	2.1.97
5.	-वही-	504 ईडब्ल्यूएस, हलीदीपुरम -वही-	782	504	0.00	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	155.72	2.1.97
6.	-वही-	436, ईडब्ल्यूएस, देवप्रयाग -वही-	783	336	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	88.40	2.1.97
7.	आगरा वि.प्रा.	1050 ईडब्ल्यूएस मकन-हल्दी विहार आगरा, फिरोजपुर रोड, आगरा	745	1050	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	362.50	2.6.97
8.	-वही-	3000 ईडब्ल्यूएस, यूनिट, ईएच, आगरा	766	3000	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	13.6.97
9.	बरेली वि.प्रा.	40 एलआईजी आवास स्कीम-राई गंगानगर, बरेली	783	40	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80	27.3.97
10.	-वही-	380 ईडब्ल्यूएस, परतुपुर, जियोदरक बरेली	795	301	0.00	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	91.76	14.7.97
11.	रित	स्टाफ किराया आवास स्कीम, अगवानपुर गांव, मुरादाबाद	404	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.6.97
12.	बिल्डको हाउ. एवं कन्स. प्रा.लि.	141 मकानों का निर्माण-गौतम राम से इलाहाबाद, रायबरेली रोड	623	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.55	186.55	14.6.96
13.	-वही-	232 मकानों का निर्माण-उदता-2 से-3, रायबरेली	758	232	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	5.3.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	भालविकास्टील जगदीशपुर	मालविकास स्टील जगदीशपुर के लिए स्टाफ आवास	188	526	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	15.4.97
15.	मथुरा-वृन्दावन वि. प्रा.	एलआईजी, राधापुरम आवास स्कीम मथुरा	821	0	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	3.2.98
16.	रिसास	सरस्वतीपुरम कालोनी रायबरेली रोड लखनऊ	806	0	0.00	0.00	0.00	97.06	0.00	0.00	97.06	18.11.97
17.	वैशाली	वैशाली कारपो. हाउसिंग स्कीम, 6, पार्क रोड, लखनऊ	825	0	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	15.1.98

विवरण II

30.4.1998 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कार्यनिष्पादन रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	स्कीम परियोजना का नाम	लागत	ऋण राशि	जारी की गई राशि	प्राप्त किया गया धन-भुगतान	ई डब्ल्यू एस (आर)	ई डब्ल्यू एस (यू)	एल आई जी	एम आई जी	एम आई जी/ किराया	उन्नत	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	22.11	14.60	9.71	0.47	0	246	0	287	212	0	0	745
2.	बिहार	0	0.00	0.00	0.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	दिल्ली	0	0.00	0.00	2.40	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	13	9.19	6.91	2.33	0.04	271	1016	75	0	0	0	0	2362
5.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	केरल	7	35.33	19.42	15.23	0.00	1575	0	425	0	58	1200	0	3258
7.	कर्नाटक	3	5.33	4.33	0.00	5.80	0	1859	15	0	0	0	0	1874
8.	महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	1.82	2.42	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	मध्य प्रदेश	2	1.88	1.14	1.16	0.36	0	0	80	24	0	0	0	104
10.	मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	नागालैण्ड	0	0.00	0.00	0.00	1.09	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	उड़ीसा	0	0.00	0.00	0.22	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	पाण्डिचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	राजस्थान	4	2.47	1.76	0.29	0.10	0	433	97	0	0	0	0	530
15.	तमिलनाडु	19	21.71	15.57	18.50	0.03	0	969	0	1000	0	0	0	1969
16.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0.00	0.46	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	प. बंगाल	0	0.00	0.00	2.38	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग :	60	90.72	63.73	54.54	11.41	1846	5523	692	1311	270	1200	0	10842

[अनुवाद]

बज-बज-फालटा रेल मार्ग हेतु सर्वेक्षण

2264. श्री समीर लाहिड़ी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बज बज से फालटा तक रेलमार्ग के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

ग्रामीण गोदाम/शीतागार

2265. श्री तथागत सत्पथी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और दूसरे राज्यों में राज्यवार कितने ग्रामीण गोदामों और शीतागारों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या उड़ीसा में बहुत कम ग्रामीण गोदाम और शीतागार हैं;

(ग) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त राज्य में अतिरिक्त गोदामों और शीतागारों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) मार्च, 1992 तक केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण गोदामों की स्थापना की योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल, 1992 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण गोदामों/शीतागारों के निर्णय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। लेकिन उड़ीसा सरकार से अभी तक उड़ीसा राज्य में ग्रामीण गोदामों के निर्माण का कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने उड़ीसा में 429 लाख रुपये की लागत से 12,500 टन की क्षमता वाले 3 शीतागार इकाइयों के निर्माण में सहायता दी है। ये ईकाइयां निर्माणाधीन हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता प्राप्त ग्रामीण गोदामों/शीतागारों की राज्यवार संस्था संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) उड़ीसा के ग्रामीण गोदामों/शीतागारों की संख्या के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का उड़ीसा राज्य में 8390 टन की क्षमता वाले 27 ग्रामीण गोदामों और 22 विपणन गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है और निगम ने उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र के दो शीतागारों के निर्माण की सहायता और विद्यमान ईकाइयों के आधुनिकीकरण/पुनर्वास के लिए 220 लाख रुपए का परिव्यय निर्धारित किया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गोदामों की संख्या	क्षमता (लाख टन में)	शीतागारों की संख्या	क्षमता (टन में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0
5.	गुजरात	0	0	0	0
6.	हरियाणा	0	0	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
8.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0
9.	कर्नाटक	345	0.5140	0	0
10.	केरल	55	0.1178	0	0
11.	मध्य प्रदेश	83	1.4116	4	22000
12.	महाराष्ट्र	9	0.4810	0	0
13.	मणिपुर	1	0.0005	0	0
14.	मेघालय	1	0.0010	0	0
15.	मिजोरम	0	0	0	0
16.	नागालैंड	28	0.0140	0	0
17.	उड़ीसा	0	0	3	12500
18.	पंजाब	0	0	0	0
19.	राजस्थान	0	0	0	0
20.	सिक्किम	0	0	0	0
21.	तमिलनाडु	6	0.4200	0	0
22.	त्रिपुरा	0	0	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	290	1.0775	10	53000
25.	संघ राज्य क्षेत्र	2	0.0125	0	0
	कुल	820	4.0499	17	87500

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दुकानों की नीलामी

2266. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 9 फरवरी, 1998 को समाचार पत्रों में दुकानों/रेस्तरां/कियोस्क/स्टाल आदि की नीलामी का विज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार नीलामी की गई और इसका मूल्य कितना था; और

(ग) कितनी दुकानों/रेस्तरां/कियोस्क/स्टाल आदि की नीलामी नहीं हुई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) नीलामी, 18, 19 व 20 फरवरी, 1998 को की गई थी। इन तारीखों को नीलाम की गई दुकानों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जिन दुकानों की कोई बोली नहीं आई उनके ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण

सीएससी नं.5, सैक्टर-9, रोहिणी (नीलामी की तारीख 18.2.98)

क्र.सं.	दुकानें	सुरक्षित मूल्य	बोली राशि
1	2	3	4
1.	1	1084000 रु.	31.05 लाख रुपये
2.	2	354000 "	15.21 "
3.	6	366000 "	12.25 "
4.	9	1084000 "	26.10 "
5.	10	732000 "	16.32 "
6.	11	617000 "	15.00 "
7.	12	707000 "	14.51 "
8.	13	617000 रु.	16.21 लाख रुपये
9.	16	247000 "	6.85 "
10.	20	182000 "	7.06 "
11.	23	249000 "	7.01 "
12.	26	193000 "	8.91"
13.	28	1137000 "	18.51 "
14.	29	1258000 "	32.05 "
15.	30	247000 "	11.61 "
16.	32	354000 "	15.01 "
17.	5 (प्रथम तल)	526000 "	11.13 "
18.	11 -वही-	732000 "	12.06 "
सीएससी, पाकेट-बी (यू)-पीतमपुरा			
19.	38	334000 "	3.38 "
सीएससी, सै. डी पाकेट-2 बसंतकुंज			
20.	20	785000 "	11.50 "
सीएससी नं. 5, सै.-14, रोहिणी (नीलामी की तारीख: 19.2.98)			
21.	2	319000 "	15.26 "
22.	3	334000 "	17.73 "
23.	8	651000 "	15.01 "

1	2	3	4
24.	10	1597000 रु.	20.03 लाख रुपये
25.	11	330000 "	13.00 "
26.	14	862000 "	14.00 "
27.	18	326000 "	8.03 "
28.	21	334000 "	7.99 "
29.	23	334000 "	8.26 "
30.	1 (प्र.त.)	923000 "	9.28 "
एलएससी, पाकेट-डी व ई, सरिता विहार			
31.	110 (प्र.त.)	1767000 "	17.79 "
सीएससी, एसबीआई, पश्चिम विहार			
32.	1	189000 "	5.14 "
33.	15	-वही-	5.20 "
34.	16	-वही-	5.51
35.	27	189000 "	5.50 "
36.	23 (हलवाई दुकान)	638000 "	9.31 "
नीलमी की तारीख: 20.2.98			
जनकपुरी के प्लाट नं. 1, 2 व 5 में जिला केन्द्र			
37.	1/44	550000 "	5.77 "
एलएससी, ब्लाक-एम, विकासपुरी (ब्लाक नं. 2)			
38.	1	288000 "	5.13 "
39.	2	390000 "	5.60 "
40.	7	390000 "	5.29 "
जनकपुरी, ब्लॉक "सी" के प्लाट सं. 32 से 57 में सामुदायिक केन्द्र			
41.	23	347000 "	3.50 "

विवरण II

(नीलामी की तारीख : 18.2.98)

सी.एस.सी. नं. 5, सैक्टर 9, रोहिणी

क्र.सं.	दुकान	कब से नीलामी नहीं हुयी है
1	2	3
1.	12 (प्रथम तल)	26.9.97
सी.एस.सी., शालीमार बाग, ब्लाक-सी, पाकेट-सी		
2.	7	26.9.92
3.	8	-वही-
4.	19	-वही-
सी.एस.सी., पाकेट-बी (यू), पीतमपुरा		
5.	9	8.2.90
6.	26	-वही-
7.	31 (प्रथम तल)	-वही-

(नीलामी की तारीख 19.2.98)

सी.एस.सी. सं. 5, सैक्टर-14, रोहिणी

8.	7	13.10.97
9.	9	-वही-
10.	12	-वही-
11.	15	-वही-
12.	1	-वही-
13.	2	-वही-
14.	रेस्तरां (प्रथम तल)	-वही-
15.	कार्यालय-1 (प्रथम तल)	-वही-

1	2	3
एलएससी, पाकेट-डी व ई, सरिता विहार		
16.	109 (प्रथम तल)	24.6.94
17.	112 (प्रथम तल)	–वही–
18.	113 (प्रथम तल)	–वही–
19.	114 (प्रथम तल)	–वही–
सीएससी, एस बी आई, पश्चिम विहार		
20.	101 (प्रथम तल)	
21.	102 (प्रथम तल)	
सीएससी, दिलशाद गार्डन, पाकेट-1		
22.	4	20.4.90
23.	8	–वही–
24.	10	–वही–
25.	25	–वही–
26.	हलवाई दुकान	–वही–
तिलक नगर में छोटी सब्जी मंडी में स्टाल		
27.	9 (स्टाल)	24.8.94
28.	15	–वही–
29.	275	–वही–
30.	39	–वही–
31.	102	–वही–
32.	111	–वही–
33.	200	–वही–
34.	206	–वही–

1	2	3
		(नीलामी की तारीख 20.2.98)
जनकपुरी प्लाट 1, 2 व 5 में जिला केन्द्र (प्लाट नं. 1)		
35.	1/2	28.10.97
36.	1/5	–वही–
37.	1/8	–वही–
38.	1/19	–वही–
39.	1/25	–वही–
40.	1/26	–वही–
41.	1/27	–वही–
42.	1/34	–वही–
43.	1/35	–वही–
44.	1/37	–वही–
45.	1/38	–वही–
46.	1/46	–वही–
47.	1/53	–वही–
48.	1/56	–वही–
49.	1/61	–वही–
50.	1/125 (भूमिगत तल)	–वही–
51.	1/127 (भूमिगत तल)	–वही–
52.	1/129 (भूमिगत तल)	–वही–
एलएलसी, ब्लाक-एम, विकासपुरी (ब्लाक-1)		
53.	2	13.10.97
54.	3	–वही–
55.	4	–वही–

1	2	3
56.	9	13.10.97
57.	10	–वही–
जनकपुरी, ब्लाक-सी के प्लाट सं. 32 से 57 में सामुदायिक केन्द्र		
58.	11	24.1.94
59.	20	–वही–
60.	22	–वही–
61.	25	–वही–
62.	26	–वही–
63.	31	–वही–
64.	32	–वही–

हुडको-रोहिणी योजना का आबंटन

2267. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोहिणी, दिल्ली में सेक्टर 21, 22, 23, 24 में एम.आई.जी./एल.आई.जी. फ्लैट संपर्क सड़कों और बिजली कनेक्शनों के प्रावधानों के बिना आबंटित किये गये और आबंटियों को आबंटन स्वीकार करने को बाध्य किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये सुविधायें कब तक प्रदान कर दी जाएंगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इंजीनियरिंग विंग से कम्पलीशन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही इन सेक्टरों में एम आई जी/एल आई जी फ्लैट आबंटित किए गए थे आवंटन स्वीकार करने के लिए आवंटियों पर दबाव नहीं डाला गया था।

(ख) उक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन सेक्टरों में पहुंच मार्ग पहले से ही उपलब्ध हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य दिसम्बर, 1998 तक पूरा किया जाना है।

खनिज अन्वेषण निगम को हानि

2268. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज अन्वेषण निगम (एमईसी) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) खनिज अन्वेषण निगम (एमईसी) के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां।

(ख) खनिज गवेषण निगम लि. (एमईसीएल) निम्नलिखित कारणों से 1991 से घाटे में चल रही है:-

(1) विगत वर्षों में प्राप्त अपनी क्षमता के अनुरूप संविदागत और प्रमोशनल कार्य की उपलब्धता में कमी।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों, विशेषकर कोल इंडिया लि., जो एमईसीएल का एक प्रमुख ग्राहक है, को मिलने वाली सरकारी बजट सहायता में भारी कमी।

(3) उदारीकरण की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में अपनी इकाईयाँ स्थापित की जो गवेषण कार्य सहित खनिज क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए प्रयासरत हैं जिसके परिणामस्वरूप एमईसीएल के पारम्परिक व्यवसाय में कमी आई।

(4) कुल कारोबार की तुलना में मंजूरी बिल का अधिक अनुपात।

(5) कंपनी की समूची प्रचालन दक्षता में कमी।

(ग) विशेषज्ञ समिति द्वारा 1995 में की गई सिफारिशों के अनुसरण में सरकार एमईसीएल के पुनरुद्धार के लिए एक पैकेज को क्रियान्वित कर रही है जिसमें कंपनी की प्रशासनिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना और इसकी प्रचालन उत्पादकता में सुधार लाना शामिल है। इससे कंपनी के घाटे में काफी कमी आई है।

रेलवे लाइन का विस्तार और दोहरीकरण

2269. श्री अनिल बसु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से तारकेश्वर रेलवे लाइन को आरामबाग से होते हुए विष्णुपुर तक बढ़ाने और सियोराफुली तथा तारकेश्वर के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री प्रभारी, पुस्तकालय सेवाएं, जन शिक्षा विस्तार विभाग से दि. 9.4.98 का एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) तारकेश्वर से आरामबाग तक लाइन के विस्तार के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा। विष्णुपुर तक लाइन के विस्तार पर विचार आरामबाग तक लाइन का निर्माण शुरू कर दिए जाने के पश्चात किया जाएगा जो उस समय के यातायात संभाव्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। जहां तक शेवड़ाफुली और तारकेश्वर के दोहरीकरण का संबंध है, इस लाइन पर यातायात का स्तर इसके दोहरीकरण के औचित्य को फिलहाल सिद्ध नहीं करता।

बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2270. श्री अजय मुखोपाध्याय: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या उसमें कोई विदेशी सहायता शामिल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आधुनिकीकरण के कार्य में कोई सरकारी/निजी/विदेशी कंपनी शामिल थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर मार्च, 1998 तक खर्च की गई कुल राशि 1776.88 करोड़ रुपए है (अनंतिम)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आधुनिकीकरण कार्य में शामिल सरकारी/निजी/विदेशी कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	पैकेज	कंपनी	सरकारी/निजी/विदेशी
क.	सतत ढलाई	एच एस सी एल	सरकारी
		एल एंड टी	निजी
		ए बी बी	निजी
		वी ए आई, आस्ट्रिया वोएस्ट-एल्पाइन इंडस्ट्रियानलगेन्बो	विदेशी
ख.	पुनर्तापन भट्टी	एच एस सी एल	सरकारी
		मैकन	सरकारी
		इटालियाम्पियन्ती, इटली अब टैक्निट	विदेशी
ग.	तप्त पत्ती मिल एवं क्वायलर	ए बी बी	निजी
		एस एम एस आई	निजी
		सैलोमन-सीमैग, इंडिया	
		सिम्पलैक्स	निजी
		टी जी एस	निजी
		टाटा ग्रोथ सोप	
		बी ए आई, आस्ट्रिया वोएस्ट-एल्पाइन इंडस्ट्रियानलगेन्बो	विदेशी
		एस एम एस ए जी, जर्मनी	विदेशी
		सैलोमन-सीमंग, एकियान्जिसलस्कापट	
		जी एफ ए, जर्मनी	विदेशी
घ.	स्वदेशी	एच ई सी, ब्रैथवेट, एच एस सी एल	सरकारी
		सीमैन्स, वैलमैन	निजी
		बी एस बी के, एन आई सी सी ओ, के पी सी, टैल्को, फिलिप्स अशोक लेलैण्ड इत्यादि	

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जांच के दायरे में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी

2271. डा. विजय सोनकर शास्त्री: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 1998 के ''पॉयनियर'' में ''डिफेंस मिनिस्ट्री आफिसियल्स इन सी बी आई नेट फॉर ग्राफ्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1997 के दौरान नई दिल्ली स्थित नियंत्रक रक्षा लेखा (मुख्यालय) के कार्यालय ने दो प्राइवेट फर्मों को फर्जी मंजूरियां और नकली फुटकर बिलों के अंतर्गत बड़ा भुगतान किए जाने का पता लगाया है। आंतरिक जांच-पड़ताल के बाद यह मामला विस्तृत जांच किए जाने के लिए सी बी आई को भेजा गया था। प्राइवेट फर्मों द्वारा नकली और फर्जी बिलों के अंतर्गत लगभग 8.37 करोड़ रुपये की कुल राशि का दावा किया गया है।

(ग) सी बी आई ने दो अलग-अलग प्राथमिकियां (एफ आई आर) दर्ज की हैं। इसके साथ-साथ इस मामले में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। भविष्य में ऐसी चूकों को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है।

[हिन्दी]

भोपाल में ऊपरी पुलों का निर्माण

2272. श्री सुशील चन्द्र वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल नगर में भोपाल-दिल्ली-इटारसी और भोपाल-इन्दौर रेल मार्ग के फाटकों पर ऊपरी पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि नहीं तो, उक्त सर्वेक्षण कब तक किया जाएगा; और

(घ) इसकी लागत में रेल मंत्रालय और राज्य सरकार का कितना योगदान होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। दो प्रस्ताव हैं, एक. किलोमीटर 829/4 पर हबीबगंज में ऊपरी सड़क पुल और दूसरा, समपार संख्या 252-ए पर भोपाल-उज्जैन लाइन पर ऊपरी सड़क पुल।

(ख) केवल हबीबगंज में ऊपरी सड़क पुल के लिए।

(ग) दूसरे प्रस्ताव अर्थात कॉर्ड लाइन पर ऊपरी सड़क पुल के स्थान पर पी डब्ल्यू डी के साथ संयुक्त निरीक्षण एक माह के अन्दर शुरू किया जाएगा।

(घ) हबीबगंज में ऊपरी सड़क पुल के लिए राज्य सरकार बोट आधार पर निष्पादित कराने के लिए संभावना का पता लगा रही है। भोपाल-उज्जैन कार्ड लाइन पर ऊपरी सड़क पुल लागत में भागीदारी के आधार पर प्रारंभ किया जाएगा।

[अनुवाद]

एक रैंक एक पेंशन योजना

2273. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न सशस्त्र सेवाओं में ''एक रैंक एक पेंशन'' की व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) इस मांग पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असैनिक रक्षा कर्मियों के पेंशन मामले

2274. श्री रामेश्वर पाटीदार: क्या रक्षा मंत्री असैनिक रक्षा कर्मियों के पेंशन मामलों के बारे में 12 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5649 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असैनिक रक्षा कर्मियों के 934 पेंशन मामलों में से अब तक कुल कितने मामले निपटाए गए;

(ख) इस समय कुल लम्बित मामले कितने हैं तथा ये कितने समय से लम्बित पड़े हैं;

(ग) उनके शीघ्र निपटान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) इस प्रकार के सभी मामले कब तक निबटा दिए जाएंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) पेंशन से संबंधित लंबित 934 मामलों में से 579 मामलों को पहले ही निपटाया जा चुका है।

(ख) से (घ) नामित व्यक्तियों के बारे में विवाद होने, अपेक्षित दस्तावेजों आदि के उपलब्ध न होने के कारण 355 मामले लेखा प्राधिकारियों के पास लंबित पड़े हुए हैं। इन मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दावेदारों को लेखा परीक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का सुझाव दिया गया है। संबंधित व्यक्ति/संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज/सूचना उपलब्ध कराते ही इन मामलों को तत्काल निपटा दिया जाता है।

रोजगार आश्वासन योजना

2275. श्री खारवेल स्वाइन: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत खंडों को ''क'', ''ख'' और ''ग'' श्रेणियों में बांटने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक खंड के लिए पूरी धनराशि भेजती है; और

(ग) यदि हां, तो 1997-98 के दौरान उड़ीसा के बालासोर जिले के लिए पूरी धनराशि न भेजने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) आरंभ में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत किस्तें जारी करने हेतु ब्लाकों को ग्रामीण आबादी के आधार पर ''क'', ''ख'' और ''ग'' श्रेणियों में बांटा गया था। 1996-97 से सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सभी ब्लाकों को श्रेणी ''ग'' में रखा गया है।

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत एक ब्लाक के लिए कोई निर्धारित वार्षिक आबंटन नहीं है। कोई जिला उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत हिस्सा खर्च कर लेने के बाद ब्लाक के लिए निधि जारी करने का प्रस्ताव भेज सकता है।

(ग) 1997-98 के दौरान बालासोर जिले के 12 ब्लाकों को दो किस्तें जारी की गयी थीं। जिले के 8 ब्लाकों को प्रथम किस्त जारी करते वक्त, राज्य के मैचिंग अंश की रिलीज में कमी के कारण 4.40 लाख रुपए काट लिए गए थे। 1997-98 हेतु तीसरी किस्त जारी करने के लिए प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद 6 अप्रैल, 1998 को प्राप्त हुआ था।

बॉक्साइट खान

2276. श्री रामपाल उपाध्याय: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में बॉक्साइट खानों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग अथवा राज्य खान निदेशालय द्वारा राजस्थान में कुछ नई बॉक्साइट खानों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नए क्षेत्रों में पता लगाए गए बॉक्साइट भण्डारों का परिमाण कितना है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) राजस्थान में बॉक्साइट की कोई खान नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

2277. श्री छत्रपाल सिंह: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को कितनी अनुदान राशि जारी की गई और अनुदान स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) ऐसे कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठन हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान अनुदान स्वीकृत किया गया और राज्यवार अनुमोदित की गई उनकी परियोजनाओं का स्वरूप कैसा है; और

(घ) राज्यवार ऐसे कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठन हैं जिनकी परियोजनाएं नामंजूर की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यूरेनियम का भण्डार

2278. श्री फ्रांसिस्को सारदीना: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण भारत में यूरेनियम के भण्डार हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) यूरेनियम का भण्डार आंध्र प्रदेश में पाया गया है।

केरल में प्रमुख परियोजना

2279. **श्री ए.सी. जोस**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने किसी जिले को पूर्ण रोजगार प्राप्त जिला बनाने के संबंध में केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता और स्वीकृति के लिए किसी प्रमुख परियोजना को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए सरकार ने किन जिलों की पहचान की है और परियोजना के लिए कुल लागत कितनी होगी; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा चाटील): (क) जी, हां। केरल सरकार से त्रिसूर जिले में "कृषि आधारित परियोजना के जरिए पूर्ण रोजगार हेतु प्रायोगिक परियोजना" नामक एक प्रायोगिक परियोजना अभिनव जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अनुमोदित और वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) इस परियोजना को जांच समिति की 23.9.1997 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने परियोजना पर विचार किया और इसे रद्द कर दिया क्योंकि यह परियोजना योजना के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली छावनी के स्टाफ के लिए आवासीय आबंटन

2280. **श्री चमनलाल गुप्त**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अधिकारियों ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ इस आशय का कोई समझौता किया है कि दिल्ली छावनी में केन्द्रीय विद्यालय खोलते समय इन विद्यालयों के स्टाफ को आवासों का आबंटन किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या रक्षा अधिकारियों ने समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने आप इसमें संशोधन कर लिये हैं;

(घ) इसका कारण और औचित्य क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) समझौते के अनुसार, दिल्ली एरिया के रक्षा प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ को कम से कम 50 प्रतिशत आवास उपलब्ध कराए जाने हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के लिए संयुक्त आरक्षण कम्पनी

2281. **श्री के.एस. राव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का अबेकस इंडिया के सहयोग से देश में आरक्षण प्रणाली के विस्तार हेतु एक नई कंपनी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या उद्देश्य पूरे किए जायेंगे?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) निम्नलिखित शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव है:

एअर इंडिया	25.5 प्रतिशत
इंडियन एयरलाइंस	25.5 प्रतिशत
अबेकस	49 प्रतिशत

प्रस्तावित कंपनी का मुख्य उद्देश्य एक विश्व श्रेणी की कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली तक भारतीय यात्रा अभिकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।

अनधिकृत कालोनियों में अवैध उद्योग

2282. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में काम कर रहे अवैध उद्योगों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) दिल्ली सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जिलों के उपायुक्त/सब डिविजल मजिस्ट्रेटों की सहायता से दिल्ली के रिहायशी/अनधिकृत क्षेत्रों में काम कर रही सभी औद्योगिक इकाईयों का सर्वेक्षण किया गया है। रिहायशी/अनधिकृत क्षेत्रों में काम कर रही औद्योगिक इकाईयों को पुनर्स्थापित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए पुनर्वास उपायों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने रिहायशी/अनधिकृत क्षेत्रों में काम कर रही सभी इकाईयों के लिए औद्योगिक प्लाटों/फ्लैटों के आवंटन हेतु आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में करीब 52 हजार आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इन आवेदन-पत्रों की प्रारंभिक जांच पहले ही की जा चुकी है तथा 9600 मामलों में पात्र आवेदकों को औद्योगिक वास आवंटन हेतु अस्थायी पत्र जारी किए गए हैं। तथापि, रिहायशी/अनधिकृत क्षेत्रों में ऐसी इकाईयों को, नये औद्योगिक क्षेत्रों में वैकल्पिक औद्योगिक वास आवंटन होने तक काम करने की अनुमति दी गई है।

उद्योगों को पुनर्स्थापित करने संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति इस प्रकार है:-

(1) अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचित करीब 935 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया है। इसके अलावा, 3000 एकड़ भूमि की, अधिग्रहण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में इसके विकास के लिए पहचान की गई है।

(2) बवाना औद्योगिक परिसर, होलम्बी तथा चांदपुर स्थलों पर उद्योगों के पुनर्स्थापन के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संबंधी कार्य पहले ही मैसर्स कन्सलटिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज को सौंपा जा चुका है।

(3) झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में फ्लैट फैक्टरी परिसर का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है।

(4) नये औद्योगिक क्षेत्रों की आयोजना तथा विकास के लिए एक मेगा कन्सलटेंट की नियुक्ति हेतु पहले ही प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां मांगी जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

2283. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला पंचायतों को उनकी आवश्यकता अनुसार समय या धनराशि स्वीकृत नहीं की;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में जिलावार इसके अंतर्गत मांग व आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आबंटित धनराशि जिला पंचायतों तक पिछले वर्ष जून-जुलाई में पहुंच सकी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, 15.8.95 से लागू हुआ। इसके तीन घटक हैं अर्थात राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु वाले निराश्रितों को प्रति माह 75 रुपए, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जक की स्वाभाविक मृत्यु होने पर 5,000 रुपए और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 10,000 रुपए तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों तक 300 रुपए की दर से सहायता प्रदान कराना है।

भारत सरकार ने संख्यात्मक सीमा के आधार पर न कि संबंधित राज्य/जिले द्वारा की गई मांग के आधार पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का दावा करने हेतु अर्हक वित्तीय हकदारी निर्धारित की है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा विभिन्न मानदण्डों जैसे जनसंख्या, गरीबी अनुपात, कुल जनसंख्या की तुलना में विशिष्ट आयु वर्ग के अनुपात पर आधारित है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की निधियां सीधे संबंधित जिला प्राधिकारियों को जारी की जाती हैं। निधियों की रिलीज पहले जारी निधियों में से कुल उपलब्ध निधियों के पर्याप्त उपयोग/खर्च (पहली किस्त के कम से कम 50% या अधिक और दूसरी किस्त के 60% या

अधिक) की राज्य द्वारा सूचना दिए जाने पर निर्भर करती है। इसके अलावा 1997-98 के दौरान दूसरी किस्त की रिलीज के लिए 1995-96 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण-पत्र मांगे गए थे। उपर्युक्त शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण मध्य प्रदेश के सभी जिलों को पूर्ण राशि जारी नहीं की जा सकी। वर्ष 1997-98 के लिए मध्य प्रदेश का जिलेवार आबंटन और निधियों की रिलीज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीनों योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पात्र जिलों को जून, 1997 से मार्च, 1998 तक की पहली किस्त जारी की गई। इसी प्रकार दूसरी किस्त फरवरी, 1998 से मार्च 1998 के दौरान जारी की जा सकी। स्वीकृति आदेश के जारी होते ही राशि टेलीग्राफ अंतरण के जरिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के खाते में भेज दी जाती है जिसका रखरखाव संबंधित जिला प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

विवरण

(रुपए लाख में)

राज्य : मध्य प्रदेश — राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

वर्ष : 1997-98

क्र.सं.	जिला	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	
		आबंटन	रिलीज*	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बालाघाट	94.63	94.63	58.98	53.98	15.63	7.82
2.	बस्तर	157.73	157.73	93.69	93.69	26.00	13.00
3.	बेतुल	81.86	81.86	53.14	53.14	13.50	13.50
4.	भिंड	84.46	101.26	54.28	54.28	13.96	6.98
5.	भोपाल	93.64	93.64	58.51	58.81	15.41	0.00
6.	बिलासपुर	262.81	236.76	136.02	136.02	43.54	21.77
7.	छतरपुर	80.22	119.53	52.34	52.34	13.27	0.00
8.	छिंदवाड़ा	108.67	108.67	65.03	65.03	17.92	8.96
9.	दामोह	62.23	108.56	44.11	44.11	10.30	5.15
10.	दतिया	27.48	27.55	28.03	14.02	4.58	4.58
11.	देवास	71.14	71.14	48.44	48.44	11.81	5.91
12.	धार	94.74	59.54	59.09	29.55	15.63	7.82

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	दुर्ग	166.07	166.07	91.98	91.98	55.06	55.06
14.	गुना	90.79	137.59	57.26	57.26	14.94	7.47
15.	ग्वालियर	97.87	63.40	60.57	60.57	16.16	8.08
16.	होशंगाबाद	87.79	87.79	55.89	55.89	14.49	7.25
17.	इन्दौर	127.19	127.19	74.07	74.07	20.98	10.49
18.	जबलपुर	183.58	277.69	106.16	106.16	30.27	30.27
19.	झबुआ	77.65	59.89	57.43	57.43	12.96	6.48
20.	खांडवा (पश्चिम निमार)	99.19	82.36	61.15	61.15	16.39	0.00
21.	खरगांव	140.50	198.53	80.25	80.25	23.18	11.59
22.	मंडला	89.46	89.46	56.58	56.58	14.79	7.40
23.	मंडसौर	107.75	97.82	65.03	32.52	17.76	8.88
24.	मुरैना	118.51	79.95	70.08	70.08	19.52	9.76
25.	नरसिंहपुर	54.53	54.53	40.44	40.44	14.20	7.10
26.	पन्ना	47.67	45.37	37.36	18.68	7.93	0.00
27.	रायगढ़	119.31	119.31	70.35	70.35	19.75	19.75
28.	रायपुर	270.73	270.73	140.19	140.19	44.77	0.00
29.	रायसेन	60.72	60.72	43.42	43.42	10.07	5.04
30.	राजगढ़	68.79	68.79	31.74	31.74	11.36	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	राजनंदगांव	99.79	132.55	61.32	61.32	16.47	8.24
32.	रतलाम	67.35	54.27	46.50	23.25	11.21	0.00
33.	रीवा	107.74	138.39	65.03	65.03	17.69	8.35
34.	सागर	114.14	215.74	68.02	68.02	18.83	0.00
35.	सरगुजा	144.29	183.41	81.91	81.91	23.87	23.87
36.	सतना	101.52	50.76	62.17	31.09	16.68	0.00
37.	सेहोर	58.30	58.30	42.27	42.27	9.61	4.31
38.	सियोनी	69.35	81.99	47.88	47.88	11.44	11.44
39.	शहडोल	120.81	105.34	71.09	71.09	19.98	9.99
40.	शाजापुर	71.59	86.57	48.44	48.44	11.81	11.81
41.	शिवपुरी	78.50	88.09	51.67	51.67	12.96	6.48
42.	सिधी	95.15	73.79	59.20	29.60	15.63	0.00
43.	टीकमगढ़	65.19	46.73	45.48	45.48	10.75	5.38
44.	उज्जैन	95.84	139.32	59.55	29.78	15.86	0.00
45.	विदिशा	67.25	67.25	46.38	46.38	11.14	5.57
	कुल	4584.53	4870.56	2808.52	2595.08	790.06	386.65

*इसमें 977.83 लाख रुपये की वचनबद्ध देयता शामिल है।

[अनुवाद]

मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का क्षेत्रीय कार्यालय बंद होना

2284. **श्रीमती गीता मुखर्जी:**
श्री इन्द्रजीत गुप्त:

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता में मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) के क्षेत्रीय कार्यालय बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) खनिज गवेषण निगम लि. (एम ई सी एल) का कलकत्ता में कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तथापि कम्पनी के पाँच एरिया कार्यालयों में से एक कार्यालय कलकत्ता में स्थित है। अन्य चार एरिया कार्यालय नागपुर, हैदराबाद, राँची और जयपुर में है। एम ई सी एल के पुनरुद्धार के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समितियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि इस संगठन की तीन-टियर व्यवस्था की बजाय दो-टियर व्यवस्था में पुनर्संरचना करने के लिए, पहले उपाय के रूप में, सभी एरिया कार्यालयों को बंद कर दिया जाना चाहिए और प्रोजेक्ट प्रबंधकों को सीधे मुख्यालय में रिपोर्ट करनी चाहिए। समिति की इस सिफारिश को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है. तथापि कुछ कर्मचारियों की प्रशासनिक आधार पर पुन: तैनाती की गई है।

मिलियन वैल्स स्कीम

2285. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1996 से कार्यान्वित की गयी "मिलियन वैल्स स्कीम" की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) व्यय की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार उसके क्या परिणाम रहे?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) दस लाख कुओं की योजना 1.1.96 से एक स्वतंत्र योजना बनने के बाद कुल 1188.45 करोड़ रुपये के खर्च से कुल 246842 कुओं का निर्माण किया गया है।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत 1.1.96 के बाद राज्यवार खर्च की गई राशि और निर्मित कुओं को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	खर्च की गई राशि	निर्मित कुओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6940.67	26882
2.	अरुणाचल प्रदेश	120.34	323
3.	असम	2608.11	5383
4.	बिहार	15275.98	51026
5.	गोआ	23.58	63
6.	गुजरात	3014.99	6875
7.	हरियाणा	366.75	1189
8.	हिमाचल प्रदेश	433.14	1338
9.	जम्मू व कश्मीर	612.09	3947
10.	कर्नाटक	7253.33	8685
11.	केरल	3027.41	7644
12.	मध्य प्रदेश	9070.97	40584
13.	महाराष्ट्र	10785.25	21273
14.	मणिपुर	98.38	865
15.	मेघालय	105.04	1507

1	2	3	4
16.	मिजोरम	80.68	818
17.	नागालैंड	46.90	688
18.	उड़ीसा	8984.03	40756
19.	पंजाब	107.62	0
20.	राजस्थान	2157.94	5857
21.	सिक्किम	93.34*	225
22.	तमिलनाडु	11066.88	15195
23.	त्रिपुरा	228.62	2596
24.	उत्तर प्रदेश	27380.21	331
25.	प. बंगाल	9013.59	2609
26.	अ. नि. द्वीपसमूह	12.81	17
27.	दा. ना. हवेली	8.15	24
28.	दमन व दीव	2.17	2
29.	लक्षद्वीप	17.85	140
30.	पांडिचेरी	1.38	0
	जोड़	118844.86	246842

*जनवरी, 1996 से मार्च 1996 तक के महीनों में खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों की मांगें

2286. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी नवम्बर-दिसम्बर 1997 में ''नियमानुसार काम'' करने संबंधी आन्दोलन कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जुल्का समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वायु यातायात नियंत्रकों ने उनके विभिन्न भत्तों में वृद्धि की मांगों पर जोर देने के लिए हड़ताल की, जबकि संचार अधिकारियों ने योग्यता भत्ते में वृद्धि की मांग की।

(ग) संबंधित यूनियनों से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद स्वीकृत किए गए, बढ़ी हुई दर/योग्यता भत्तों से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे, जो अब कार्यान्वित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में हिन्दी का प्रयोग

2287. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: 'क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंग्रेजी में कंप्यूटर के उपयोग एवं रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों द्वारा अपना मूल कार्य अंग्रेजी में ही किए जाने के कारण रेलवे हिन्दी के इस्तेमाल में पिछड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या तकरीबन हरेक आधुनिक उपकरण में केवल रोमन लिपि का प्रयोग किया जा रहा है तथा ''ए'' क्षेत्र के हरेक स्टेशनों में हिन्दी की अनदेखी की जा रही है और आरक्षण टिकटें भी अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) रेलें भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों की तुलना में हिन्दी के प्रयोग में अभी भी आगे है। रेलों पर खरीदे गए कम्प्यूटर पर हिन्दी में भी काम करने की सुविधा उपलब्ध है। कम्प्यूटरों के उत्तरोत्तर उपयोग से, सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। जहां तक रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों और

अन्य सदस्यों का संबंध है, उनके द्वारा हिन्दी में यथासम्भव अधिक से अधिक कार्य करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) इस आशय के अनुदेश मौजूद हैं कि खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, कम्प्यूटर आदि पर हिंदी में भी कार्य करने की सुविधा होनी चाहिए। "क" क्षेत्र में स्थित स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले टिकट हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित किये जाते हैं जबकि "ख" और "ग" क्षेत्रों के टिकट हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित किए जाते हैं। जहां तक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण टिकटों का संबंध है। ये हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में होती हैं।

[अनुवाद]

हैदराबाद विमानपत्तन में "एयरो" पुलों को शुरू करना

2288. श्री चंदूलाल अजमीरा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद हवाई अड्डे पर "एयरो" पुलों को शुरू करने के क्या कारण हैं;

(ख) इन "एयरो" पुलों की क्या लागत है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) विमानपार्किंग और यात्री टर्मिनल भवन के दो तलीय प्रचालन के लिए एप्रन स्थान के अभाव के कारण, एयरोब्रिजों की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(ख) हैदराबाद हवाई अड्डे पर संस्थापित किये जाने वाले चार एयरोब्रिजों की कुल लागत 685 लाख रुपए है।

(ग) यद्यपि दो एयरोब्रिजों की संस्थापना अक्तूबर, 1997 में की गयी थी तथापि, सप्लायर द्वारा उपस्करों की सर्विसिंग और कुछ क्षतिग्रस्त पुर्जों को बदलने के कारण, इसको चालू करने में विलम्ब हो गया था। अंततः, ये 31.5.1998 को चालू हो गये थे। टर्मिनल में परिवर्तन हो जाने के बाद, अंतर्देशीय स्थल की ओर के दो एयरोब्रिजों के अक्तूबर, 1998 में चालू हो जाने की आशा है।

कोझीकोड में इस्पात का काम्पलेक्स

2289. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल द्वारा केरल के कोझीकोड में इस्पात काम्पलेक्स का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मास रेपिड ट्रांसपोर्ट

2290. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में "मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम" के लिए विदेशी विशेषज्ञता ग्रहण की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली की द्रुतगामी परिवहन प्रणाली परियोजना की कुल अनुमानित लागत (अप्रैल, 1996 मूल्यों पर) 4860 करोड़ रुपए है। परियोजना की आंशिक वित्त व्यवस्था (लागत का करीब 56%), ओईसीएफ (जापान) के ऋण से की जा रही है। ओईसीएफ दिशानिर्देशों में उनके द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित परियोजनाओं के सृजन में कार्यान्वयन के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति का प्रावधान है।

दिल्ली की द्रुत परिवहन प्रणाली के कुछ विशिष्ट मामलों में विशेषज्ञता राय देने वाले सामान्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति संबंधी बातचीत पूरी हो गई है। लेकिन सामान्य पारदर्शी करार, ओईसीएफ (जापान) की सहमति के बाद ही प्रभावी होगा।

(ग) इस दिल्ली परिवहन परियोजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई है। परियोजना को मार्च, 2005 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

तट रक्षक बल को अलग करना

2291. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से तट रक्षक बल को अलग करने तथा इसे तीव्रगामी नौकाओं और पोर्टेबल संचार प्रणाली से सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया है कि जखाऊ में एक स्टेशन स्थापित करने के लिए तटरक्षक बल को उपयुक्त भूमि आबंटित की जाए। इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन तट रक्षक विकास योजना 1997-2002 के प्रस्ताव में शामिल है।

सरकारी भूमि पर धार्मिक ढांचों का अनधिकृत निर्माण

2292. श्री आरिफ मोहम्मद खां: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से मन्दिर, मस्जिद तथा चर्च बनाये जाने के कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) इनके द्वारा कितनी सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है; और

(ग) इस तरह के कितने अनधिकृत निर्माणों को नियमित कर दिया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका, भूमि और विकास कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा सूचित स्थिति इस प्रकार है:

संगठन का नाम	धार्मिक प्रयोजन के लिए अनधिकृत निर्माण संबंधी मामलों की संख्या	अतिक्रमित क्षेत्र	नियमित किये गये मामलों की संख्या
दिल्ली विकास प्राधिकरण	ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया	34 एकड़	सरकारी भूमि पर ऐसे अनधिकृत निर्माण को नियमित नहीं किया गया है।
नई दिल्ली नगर पालिका	54	अतिक्रमण से संबधित सूचना एनडीएमसी के पास उपलब्ध नहीं है।	-वही-
भूमि और विकास कार्यालय	155	94,500 वर्ग मी.	-वही-
दिल्ली छावनी बोर्ड	4	350.575 वर्ग मी.	-वही-
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	106	25514.38 वर्ग मी.	-वही-

दिल्ली नगर निगम से इसी तरह की सूचना अब तक एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

खगड़िया-समस्तीपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2293. श्री हीरा लाल राय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में खगड़िया-समस्तीपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस आमान परिवर्तन के काम को चालू वित्त वर्ष के दौरान समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस कार्य को बजट में शामिल कर लिया गया है और इसे आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

कलकत्ता विमानपत्तन का दर्जा बढ़ाना

2294. कुमारी ममता बनर्जी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता विमानपत्तन "ख" श्रेणी का विमानपत्तन है;

(ख) क्या सरकार का विचार कलकत्ता विमानपत्तन में विमानों के रख-रखाव को देखते हुए इसका दर्जा बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) जी, नहीं। कलकत्ता हवाई अड्डा एक पूर्णरूपेण अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त निर्माण कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं/योजनाएं बनाई जा रही हैं:-

(1) 10.78 करोड़ रुपए की लागत से अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का परिवर्धन।

(2) 6.87 करोड़ रुपए की लागत से एयरोलिंकों, सुरक्षा होल्ड, एप्रन इत्यादि का निर्माण।

(3) 3.64 करोड़ रुपए की लागत से रिमोट बे के लिए एक नये एप्रन का निर्माण।

(4) 5.00 करोड़ रुपए की लागत से 6 बे का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण।

(5) 30.00 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक राडार का संस्थापन।

पांडिचेरी, सेलम और वाहाकुलम से विमान सेवाएं

2295. श्री एन. डेनिस: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांडिचेरी, सेलम और वाहाकुलम (तूतीकोरिन) हवाई अड्डों से विमान सेवाएं आरम्भ करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) इन सेक्टरों पर इंडियन एयरलाइंस के मौजूदा जेट विमान-बेड़े के प्रचालनों हेतु यातायात पर्याप्त नहीं है। छोटे विमान रखने वाले निजी प्रचालकों को व्यवहार्यता के आधार पर अपने नेटवर्क में पांडिचेरी, सेलम तथा वाहाकुलम (तूतीकोरिन) जैसे नए स्टेशनों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

चेन्नई में महानगर परिवहन परियोजना

2296. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई में महानगर परिवहन परियोजना मंजूर कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब शुरू की गई और इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) वर्ष 1983-84 में चेन्नई बीच से लुज तक व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना का प्रथम चरण स्वीकृत किया गया था। यह 19.10.97 को यातायात के लिए चालू की गई है। अब तक कुल लगभग 236.56 करोड़

रु. की धनराशि खर्च की गई है। तिरूमलाई (लुज) से वेलाचेरी तक व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 1995-96 में स्वीकृत किया गया था। अब तक कुल लगभग 13.30 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

नई दिल्ली स्थित बंगलों को बदला जाना

2297. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री मुकुल वासनिक:

क्या *शहरी कार्य और रोजगार मंत्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित बंगलों के स्थान पर बहुमंजिला इमारतें बनाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) लुटियन बंगला जोन के पुनर्विकास के समूचे प्रश्न पर इस क्षेत्र के ऐतिहासिक स्वरूप तथा भूमि संसाधन के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रख कर विचार करने के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एम.एन. बुच की अध्यक्षता में पांच विशेषज्ञों सहित एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को दे देगी।

दुकानों का आवंटन

2298. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वसन्त विहार, सेन्ट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग काम्पलेक्स, नई दिल्ली में शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक इन दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण सरकार को कितना घाटा उठाना पड़ा है; और

(ङ) इस घाटे के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) वसंत विहार, सेन्ट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग कम्पलेक्स नई दिल्ली में, सरकार ने 46 दुकान (26 दुकान भूतल पर और 20 दुकान प्रथम तल पर) का निर्माण किया है।

(ग) जी, हां। दुकानें आबंटित नहीं की गयी हैं।

(घ) मई, 1998 में दुकानें आबंटन के लिए तैयार हुई। खुले टेंडर के माध्यम से किराया बोली आधार पर इन दुकानों के आबंटन के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। इसलिए सरकारी राजस्व में कोई घाटा नहीं हुआ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लम्बित याचिकाओं पर निर्णय

2299. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर कोई निर्णय लिया है जिसमें केन्द्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि कई याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उनको सेना से निकाले जाने के विरुद्ध दायर की याचिकाओं पर तीन महीने के अन्दर विचार किया जाए और उनका निपटारा किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं

2300. **श्री सीतलाल प्रसाद वर्मा:**
प्रो. पी.जे. कुरियन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लम्बी दूरी की सभी गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव में लम्बी दूरी की चुनिंदा गाड़ियों में एक परा-मेडिकल स्टाफ और एक परिचर के साथ-साथ एक डाक्टर की व्यवस्था करके प्रत्येक ऐसी गाड़ी में आपातकाल उपचार की परिकल्पना की गई है। टीम के पास आवश्यक चिकित्सा उपस्कर, दवाइयां और डिस्पोजेबल उपलब्ध होंगे। चिकित्सा सहायता, परामर्श शुल्क और दवाइयों की मूल लागत शामिल करके निर्धारित किए गए प्रभारों पर मुहैया कराई जाएगी। लगभग 16 घंटे अथवा अधिक यात्रा समय वाली 162 जोड़ी लम्बी दूरी की गाड़ियों को 116.8 करोड़ रुपए की वार्षिक लागत पर कवर करने का प्रस्ताव है।

(ग) नवंबर, 1996 से दो गाड़ियों यथा नई दिल्ली-बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस और गोरखपुर-नई दिल्ली के बीच वैशाली एक्सप्रेस में एक पायलट परियोजना पहले से ही शुरू है। फिलहाल इस योजना की सार्थकता की समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

नरनारायण सेतु

2301. श्री अब्दुल हमीद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "नरनारायण सेतु" के मूल आरेख में परिवर्तन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) मूल आरेख के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी; और

(घ) नये आरेख के अनुसार अब इस पर मूल अनुमान से कितनी अधिक धनराशि व्यय की जा चुकी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां। नारायणन सेतू के मूल सामान्य प्रबंधों में परंपरागत इस्पात स्पैन के अलावा पुल के दक्षिण सिरे पर 624 मीटर केबुल पर खड़ा एक पुल माड्यूल रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर केबुलों पर खड़े किए गए पुल माड्यूल को इस्पात के परंपरागत स्तंभों में बदला गया था;

(ख) कारण हैं:

(1) केबुलों पर खड़े किए गए पुल मॉड्यूल (मूल प्रबंध) परंपरागत स्तंभों की तुलना में 31.00 रुपये महंगा पाया गया। इसमें से प्रौद्योगिकी के आयात के कारण 15.00 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में थे।

(2) केबुलों पर खड़े किए गए पुल माड्यूल में परंपरागत स्तंभों के मौजूदा प्रबंधों की तुलना में एक से डेढ़ वर्ष अधिक लगने का अनुमान था।

(ग) 1986 के मूल्य स्तरों पर परियोजना (जोगीघोपा-पंचरत्न के बीच रेल एवं सड़क पुल तथा पहुंच मार्गों की व्यवस्था) की मूल ड्राइंग के अनुसार अनुमानित लागत 132.58 करोड़ रुपये थी।

(घ) नए ड्राइंग के अनुसार अधिक धनराशि खर्च नहीं की गई है। पुल स्वीकृत संशोधित लागत के भीतर पूरा हो जाएगी। इसे केवल मुद्रा स्फीति के लिए अद्यतन किया गया है।

मिग-21 लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

2302. श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री डी.एस. अहिरे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना का एक मिग-21 लड़ाकू विमान 12 मई, 1998 को पठानकोट के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें हताहत हुए असैनिक और सैन्य कर्मियों की संख्या कितनी है;

(घ) दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों और घायलों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ङ) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) 12 मई, 98 को भारतीय वायुसेना के मिग 21 विमान के पठानकोट एयरफील्ड से मध्यस्तरीय नेविगेशनल उड़ान भरते हुए उड़ान भरने के लगभग 10 सेकेंड के बाद उसके इंजन में आग लग गई थी। विमान

चालक विमान से बाहर कूद गया और उसकी रीढ़रज्जु में दबाव के कारण फ्रैक्चर हो गया। उक्त विमान एयरफील्ड के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई और दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि दुर्घटना में सेना का कोई कार्मिक नहीं मारा गया और न ही घायल हुआ। प्रभावित सिविलियनों के संबंध में मुआवजे संबंधी दावों की अदायगी पर कार्यवाही सरकारी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(ङ) और (च) जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं तथा जांच कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सेना भर्ती बोर्ड स्थापित करना

2303. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक सेना भर्ती केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक उक्त केन्द्र स्थापित कर दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गाड़ियों की गति

2304. **श्री अमर पाल सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गाड़ियों की गति अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सभी गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ विकसित देशों की रेलों पर मौजूदा अधिकतम अनुमेय गति इस प्रकार है:

(1)	फ्रांस	300 कि.मी. प्रति घंटा
(2)	जर्मनी	200 कि.मी. प्रति घंटा
(3)	जापान	350 कि.मी. प्रति घंटा

(घ) भारत में सभी गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:

(1) रेलवे बोर्ड द्वारा फैसला किया गया है कि भारतीय रेलों पर गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय गति की सीमा 120/130 कि.मी. प्रति घंटा रखी जाए।

(2) भारतीय रेलों पर मालगाड़ियों की गति बढ़ाना एक मिशन क्षेत्र है। सिफारिश किए गए उपायों में उच्च गति टर्नआउट्स, उपस्कर की विश्वसनीयता में सुधार और जहां कहीं आवश्यक हो लाइन क्षमता में वृद्धि करना शामिल है। मालगाड़ियों को 100 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए अ.अ.मा.सं. परीक्षण भी कर रहा है।

(3) उच्च अश्व शक्ति के रेल इंजनों को शुरू करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

(4) सिगनल व्यवस्था में सुधार, दोहरी दूरस्थ सिगनल व्यवस्था, स्वचल चेतावनी प्रणाली (ए.डब्ल्यू.एस.)।

(5) उच्च गति सवारी डिब्बों तथा मालडिब्बों को चलाना।

(6) एयर ब्रेक स्टाक शुरू करना।

(7) गति प्रतिबंध हटाने, रेलपथ को अपग्रेड करने तथा कंक्रीट स्लीपरों को उपयोग में लाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

विजयवाड़ा यार्ड में दिक्परिवर्तन मार्ग का निर्माण

2305. **श्री पी. उपेन्द्र:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने विजयवाड़ा शहर के सत्यनारायणपुरम क्षेत्र से रेलवे लाइन को हटाने के काम को सुगम बनाने के लिए विजयवाड़ा यार्ड में एक दिक्परिवर्तन मार्ग (डाइवर्जन लाइन) बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या वर्ष 1997-98 के पूरक रेल बजट में 4.4 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां। विजयवाड़ा और रामावरप्पाडु गेट बरास्ता सत्यनारायणपुरम के बीच भूमि छोड़ने के बदले विजयवाड़ा यार्ड में आशोधन का कार्य 1997-98 की अनुदान की पूरक मांगों में शामिल किया गया है।

(ख) यह कार्य 4.40 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है और इस कार्य को शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि आकस्मिकता निधि से निकाली गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) चूंकि विजयवाड़ा नगर निगम ने 22.36 एकड़ की सीमा तक के क्षेत्रफल के बराबर उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं कराई है और सत्यनारायणपुरम में लाइन को उखाड़ने तथा वैकल्पिक सहायता कार्यों के निर्माण के प्रभार के रूप में 50 लाख रुपये का अपना अंशदान जमा नहीं किया है, इसलिए यह कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कलकत्ता-रांची और पटना क्षेत्र के बीच उड़ान

2306. **श्री रामटहल चौधरी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता-रांची और पटना के बीच सप्ताह में तीन उड़ानों के स्थान पर प्रतिदिन उड़ान शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स, इस समय, 22 दिसम्बर, 1997 से कलकत्ता-रांची-पटना सेक्टर पर सप्ताह में दो उड़ानों का प्रचालन कर रही है। कम यातायात संभाव्यता के कारण इंडियन एयरलाइन्स की इस सेक्टर पर एक दैनिक उड़ान प्रचालित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। निजी प्रचालकों को व्यवहार्यता के आधार पर अपने नेटवर्क में इस सेक्टर सहित नये स्टेशनों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भर्ती में जनसंख्या आधारित कोटा

2307. **श्री मधुकर सरपोतदार:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार रक्षा बलों में योग्यता के मानदण्डों के अनुसार भर्ती में जनसंख्या पर आधारित कोटा प्रणाली लागू करने की मांग करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे पर बकाया राशि

2308. **श्री मोहन रावले:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा महाराष्ट्र सरकार को मध्य रेल, पश्चिम रेल, दक्षिण-मध्य रेल और दक्षिण-पूर्व रेल में राज्य पुलिस बल की तैनाती के लिए भारी राशि चुकायी जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेल प्राधिकारियों से बकाया राशि का भुगतान करने हेतु बार-बार अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार मध्य रेल, पश्चिम रेल, दक्षिण मध्य रेल और दक्षिण पूर्व रेल पर राज्य रेल पुलिस तैनात करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को भुगतान की जाने वाली कुल बकाया राशि 10.65 करोड़ रुपए हैं। बहरहाल, इस राशि में 24.29 करोड़ के वे दावे शामिल नहीं हैं जो रेल प्रशासन की पूर्व सहमति के बिना रा.रे.पु. कार्मिकों के पदों के एकपक्षीय सृजन के कारण मध्य रेल और पश्चिम रेल द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे।

(ग) बकाया के कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) राज्य सरकार द्वारा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

(2) रेल प्रशासन की पूर्व सहमति के बिना राज्य सरकार द्वारा रा.से.पु. कार्मिकों के पदों का एकपक्षीय सृजन।

(घ) हाल में रेल मंत्रालय को निम्नलिखित दो पत्र प्राप्त हुए हैं:

(1) रेलों से वसूल किये जाने वाले बकाया रा.रे.पु. की राशि के संबंध में 17.11.97 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा परिपत्रित एक नोट।

(2) 22.5.98 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य रेल पुलिस पर महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए व्यय के लेखे पर रेलों से बकाया राशि की वसूली अंतर्विष्ट थी।

(ङ) लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही 10.65 करोड़ रुपयों के दावों का शीघ्र निपटान कर दिया जाएगा।

रेल सुरक्षा संबंधी उपायों पर व्यय

2309. **श्री कृष्ण लाल शर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान रेल सुरक्षा व्यय में अत्यधिक कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा उपायों के लिए आवंटित की गयी कम राशि का भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सुरक्षा पर खर्च मुख्यत: "सिगनल एवं दूरसंचार" योजना शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। पिछले 2 वर्षों के दौरान, इस योजना शीर्ष के अंतर्गत सकल बजट आबंटन और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

(रु./करोड़)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक खर्च
1996-97	256.89 +50.00 (बोल्ट)	251.93 +50.00 (बोल्ट)	229.93
1997-98	201.40 +40.00 (बोल्ट)	221.75	232.27 (अनंतिम)

(ग) और (घ) यह कमी टावर को खड़ा करने (1996-97 के दौरान) तथा बोल्ट योजना के फलीभूत न होने के कारण हुई। सिगनल संरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का पूर्णतया उपयोग किया गया है।

पुराने सवारी डिब्बों का आधुनिकीकरण

2310. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पुराने सवारी डिब्बों के सुधार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) सवारी डिब्बों का आधुनिकीकरण और अभिकल्प में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और भारतीय रेलें आधुनिक विशिष्टताओं तथा यू.आई.सी. किस्म की वेस्टीबुल, कोच टायलेटों और इंटेरियर हेतु आधुनिक फ्लोरिंग, नॉन-वुड फर्निशिंग मैटेरियल, एफआरपी खिड़कियां, उच्च क्षमता के ड्रा और बफिंग गियर, छत

में लगे ऐसी उपस्कर, बोगी में लगी बात ब्रेक प्रणाली आदि की शुरूआत करके पुराने सवारी डिब्बों का सक्रिय रूप से ग्रेडोन्नयन कर रही है। यद्यपि निर्धारित आवधिक ओवरहाल के दौरान अधिकांश सुधार नियमित रूप से किये जाते हैं फिर भी 12 वर्ष से अधिक आयु वाले सवारी डिब्बों पर एक बारगी पुनर्स्थापना के जरिए अधिक ध्यान दिया जाता है।

जल आपूर्ति

2311. **श्री सत्यपाल जैन:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के विभिन्न गांवों के हजारों लोग जिन्होंने अपने मकान लाल डोरे से बाहर बनाए हैं, उन्हें पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन कब तक किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुफ्त रेलपासों का पुनर्नवीकरण

2312. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने 1997 से पहले जारी किए गए प्रथम श्रेणी के मानद मुफ्त सर्वमार्गीय पासों का पुनर्नवीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों तथा संस्थानों के नाम क्या हैं जिनके पासों का पुनर्नवीकरण किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन प्राधिकारियों को इन पासों के पुनर्नवीकरण की शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) मानार्थ कार्ड पास समय-समय पर घोषित योजनाओं के अनुसार विभिन्न कोटियों को जारी किये जाते हैं जिनकी वैधता एक वर्ष के लिए होती है और इनका वर्ष दर वर्ष आधार पर नवीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा, मानार्थ कार्ड पास सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद और कल्याण गतिविधियों में लगे प्रमुख व्यक्तियों और संगठनों को और अनुकंपा/चिकित्सकीय आधार पर निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार रेल मंत्री जी के स्वविवेक पर जारी किये जाते हैं। इन विवेकाधीन कार्ड पासों का नवीकरण रेल मंत्री जी के प्राधिकार से गुण दोष के आधार पर किया जाता है। उन कार्ड पासों की सूची जो 1997 से पूर्व जारी किए गए हैं और उनकी वैधता की समाप्ति पर जिनका नवीकरण किया गया है, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	कार्ड पास संख्या	यात्रा की श्रेणी
1	2	3	4
1.	श्री शत्रुजीत सिंह	5167	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
2.	श्री एस.एम. आसिफ	5169	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
3.	श्री बी.बी. सिंह	5173	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
4.	श्रीमती दीपा कौल	5174	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.

1	2	3	4
5.	श्री शमस-उल-हुदा शमस	5175	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
6.	श्री अतुल त्रिवेदी	5176	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
7.	श्रीमती के.सी. अजमेरा	5196	प्रथम श्रेणी
8.	श्री अरशादुल कादरी	5197	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
9.	श्री दीवान सैयद ज़ेनुल अबेदीन अली खान	5198	प्रथम श्रेणी
10.	श्री राजीव कुमार	5199	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
11.	श्री मुकेश चंद्रा "अलख"	5201	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
12.	डा. नरेल्ला वेनुमाधव	5202	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
13.	श्री अबुबाकर मौलवी	5203	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
14.	श्री फैजुल अरेफीन गुलाम	5204	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
15.	श्री आर.एस. गवई	5242	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
16.	भारत स्काउट एंड गाइड	5297	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
17.	श्री प्यारे लाल सरोज	4634	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
18.	श्री शाहबजादा अब्दुल रसीद खान	5315	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
19.	श्री अशोक श्याम कुमार	4653	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
20.	श्री चौधरी गंगाराम	5325	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
21.	कुमारी सुधा पांडे	5334	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
22.	श्रीमती कंचना या श्री के. कृष्णा	4638	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
23.	श्री जे.बी. राजू	4640	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
24.	श्री एम.सी. बिमल	5352	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.

1	2	3	4
25.	श्री एम.के. बंदोपाध्याय	5353	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
26.	श्री शकील चंद्रा	5369	प्रथम श्रेणी
27.	श्री एम.एम. बहुगुणा	5370	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
28.	श्री जफर इकबाल	4693	प्रथम श्रेणी
29.	कुमारी चांपा राव	3966	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
30.	श्री एस.के. रुंगटा	4653	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
31.	श्री मधुकर दिघे	5377	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
32.	कुमारी रत्ना खोरा	4730	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
33.	श्री मुकेश कुमार पटेल	4735	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
34.	श्री महमूद माधनी	4736	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
35.	श्री चांदमल कुमावत	5394	प्रथम श्रेणी
36.	श्री मिथलेश द्विवेदी	5395	प्रथम श्रेणी
37.	श्री फैजल अहमद रासी	5402	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
38.	कैप्टेन अब्बास अली	5403	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
39.	कुमारी मनोरमा	5411	प्रथम श्रेणी
40.	श्रीमती डी. सुंदारानी	5420	प्रथम श्रेणी
41.	श्री महासुखलाल	5439	प्रथम श्रेणी
42.	श्री परमानंद पांडे	5442	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
43.	श्री के. विक्रम राव	5443	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
44.	शेक अबु बाकर	5368	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
45.	श्री आर.के. शुक्ला	5387	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.
46.	श्री एल.पी. व्यास	5504	प्रथम श्रेणी/2 वा.ता.

दिल्ली और पटना के बीच सीधी उड़ान

2313. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना और दिल्ली के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पटना और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (घ) इस समय, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली/पटना/रांची/दिल्ली मार्ग पर दैनिक सेवा प्रचालित करती है। धावनपथ निर्बन्धन तथा उच्च तापमान के परिणामस्वरूप पटना से होकर पूरे भार का वहन नहीं करता। अत: उड़ान रांची से होकर प्रचालित की जाती है जिससे कि विमान भार क्षमता पूरी हो सके। इसके अतिरिक्त, एलायंस एयर भी दिल्ली/लखनऊ/पटना/कलकत्ता तथा वापसी मार्ग पर सप्ताह में चार उड़ानें प्रचालित करती है।

मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाने संबंधी सर्वेक्षण

2314. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**
श्रीमती सूर्यकांता पाटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश तथा अन्य संगठन से नए रेल लाइन बिछाने के लिए प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान नई रेल लाइन बिछाने के लिए किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त नई रेल लाइनों में से लाभकारी नए रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान नई रेल लाइन के निर्माण हेतु आबंटित राशि क्या है;

(ङ) इन नई रेल लाइनों को कब तक बिछा दिया जाएगा;

(च) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने हेतु सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श गांव

2315. **कर्नल सोनाराम चौधरी:**
श्री ए.सी. जोस:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत देश में राज्य-वार किन-किन तथा कितने गांवों को माडल गांव के रूप में विकसित किया गया है;

(ख) 1998-99 के दौरान इस हेतु नियत धनराशि कितनी है;

(ग) केरल सरकार द्वारा किन विशिष्ट परियोजनाओं को केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन और केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिए भेजा गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार की सभी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ङ) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श गांवों का विकास करने के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है जिसमें स्वच्छ शौचालयों, शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने, कूड़ा करकट गड्ढों, सोख्ता गड्ढों, नालियों, धुआंरहित चूल्हों, आंगनबाडियों, स्कूलों, पंचायत घरों, स्वास्थ्य केन्द्र में स्वच्छ शौचालय आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श गांवों के विकास के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच के बाद निधियां जारी की जाती हैं। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है।

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत देश में आदर्श गांवों के रूप में विकसित गांवों की संख्या और नाम से संबंधित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत देश में आदर्श गांव के रूप में विकसित गांवों की संख्या और नाम दर्शाने वाला विवरण

1995-96

1.	कर्नाटक	(1) गुरूदेवेराहल्ली
		(2) डोडा बनासवाड़ी
		(3) मुद्देनाहल्ली
		(4) हंपी
		(5) शृंगेरी
2.	केरल	(1) किलीकोल्लूर
		(2) तुरायुर
		(3) तिकोड़ी
3.	उड़ीसा	(1) नागापुर
		(2) नवगांव
4.	राजस्थान	(1) रत्नापुरा
		(2) छोटी बदरेल
		(3) सिद्धमुख
		(4) साहवा

1996-97

1.	कर्नाटक	(1) कगीनेले
		(2) सिद्ध गंगा
2.	केरल	(1) वेनगलोआ
		(2) तनुर ब्लाक
		(3) पालीपाड़ा
		(4) पीलीकोड़े
		(5) मत्तातूर
		(6) वत्तावाड़ा
3.	राजस्थान	(1) श्री महावीरजी काम्पलेक्स
		(2) केलादेवी

1997-98

1.	केरल	(1) कंडालूर

ग्लाइडिंग क्लब

2316. श्री अशोक प्रधान: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काम कर रहे फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनके पास कितने विमान हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजसहायता/सहायता के रूप में इन क्लबों को क्लब-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई;

(ग) नागर विमानन निदेशालय द्वारा इन क्लबों में से प्रत्येक क्लब को क्या दर्जा दिया गया है; और

(घ) इन फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों की उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों को स्टेटस दिए जाने की कोई प्रथा नहीं है।

(घ) दिनांक 31.3.1998 तक विमानचालकों को 25007 विभिन्न श्रेणी के लाइसेंस जारी किए गए हैं।

विवरण

संबंधित राज्यों के उड़ान/ग्लाइडिंग क्लबों के नाम तथा स्थापना की तिथि	एयरक्राफ्ट/ग्लाइडरों की संख्या	डी.जी.सी.ए. द्वारा दी गई अनुदान की राशि (लाख रुपयों में) (लगभग)		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
उड़ान क्लब/स्कूल/संस्थान				
(क) राजकीय अर्थसहायता योजना के अंतर्गत आने वाले उड़ान क्लब/स्कूल/संस्थान				
दिल्ली उड़ान क्लब (दिल्ली) 25.5.1928	12	4.02	शून्य	शून्य
राजकीय उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ (उ.प्र.) 1.8.1980 राजकीय उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र, कानपुर में 3 शाखाएं	12	13.81	11.01	13.73
मुम्बई उड़ान क्लब, मुम्बई (महाराष्ट्र) 9.5.1928	8	2.42	2.06	2.14
नागपुर उड़ान क्लब, नागपुर (महाराष्ट्र) 1948	5	शून्य	शून्य	शून्य
मद्रास उड़ान क्लब चेन्नई (तमिलनाडु) 4.3.1930	7	3.88	शून्य	3.43
कोयम्बटूर विमानन प्रशिक्षण अकादमी कोयम्बटूर (तमिलनाडु) 1960	6	0.42	शून्य	शून्य
राजकीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) 7.8.1963	4	शून्य	शून्य	शून्य
राजस्थान राज्य उड़ान स्कूल राजस्थान (जयपुर) 1954	6	7.59	6.77	3.24
बनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग और उड़ान क्लब (राजस्थान) 11.8.1961	1	शून्य	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश उड़ान क्लब, इन्दौर 1 शाखा भोपाल सहित 1951	12	33.38	21.65	10.37
शासकीय उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, बंगलौर (कर्नाटक) 1948	6	शून्य	20.55	1.58
आन्ध्र प्रदेश उड़ान क्लब, हैदराबाद (आं.प्र.) 8.9.1958	8	10.84	2.95	5.33
केरल विमानन प्रशिक्षण संस्थान, तिरुवनन्तपुरम (केरल) 14.7.1950	4	2.24	3.64	1.84
गुजरात उड़ान क्लब, बड़ौदा (गुजरात) 20.12.1958	9	15.14	10.18	8.13
पटियाला विमानन क्लब, पटियाला (पंजाब) 1962	6	1.09	4.79	4.65

1	2	3	4	5
अमृतसर विमानन क्लब, अमृतसर (पंजाब) 1962	5	3.97	3.51	1.49
लुधियाना विमानन क्लब (पंजाब) 1.1.1968	6	7.30	8.94	4.59
नार्दन इंडिया उड़ान क्लब, जालंधर कैंट (पंजाब)	5	शून्य	6.84	10.39
पिंजौर विमानन क्लब, पिंजौर (हरियाणा) 1.4.1991	3	4.26	3.99	3.83
हिसार विमानन क्लब, हिसार (हरियाणा) 1965	5	3.54	2.37	0.37
करनाल विमानन क्लब, करनाल (हरियाणा) 3 मार्च 1967	6	8.42	2.00	4.37
जमशेदपुर को-ऑपरेटिव उड़ान क्लब, जमशेदपुर (बिहार) 1966	4	3.65	7.11	6.49
बिहार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, पटना (बिहार) 1940	6	शून्य	2.65	शून्य
शासकीय विमानन प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर (उड़ीसा) 1946	4	शून्य	शून्य	शून्य
अंडमान और निकोबार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, पोर्टब्लेयर 1988	1	शून्य	शून्य	शून्य
असम उड़ान क्लब, गुवाहाटी (असम) मई 1958	2	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) निजी उड़ान क्लब/स्कूल/संस्थान				
उड़ान अनुसंधान एवं उड़ान संस्थान, प्रा.लिमि., इंदौर (म.प्र.) 1.10.1990	6	शून्य	शून्य	शून्य
बंगलौर एयरोनाटिक्स एवं तकनीकी सेवाएं प्रा. लिमि. (बीएटीएस) बंगलौर (कर्नाटक) 1.1994	3	शून्य	शून्य	शून्य
अहमदाबाद विमानन अकादमी (गुजरात) 1.5.1994	9	शून्य	शून्य	शून्य
ओरिएंट फ्लाइट स्कूल, पांडिचेरी 12. 1994	5	शून्य	शून्य	शून्य
राजपूताना विमानन अकादमी, कोटा (राजस्थान) 22.07.1995	4	शून्य	शून्य	शून्य
तनेजा एरोस्पेस एंड एवियेशन लिमि. बंगलौर (कर्नाटक) 27.06.1994	5	शून्य	शून्य	शून्य
टाटा नगर विमानन, जमशेदपुर (बिहार) 22.07.1996	6	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
गर्ग विमानन लिमि., कानपुर (उ.प्र.) 11.10.1996	3	शून्य	शून्य	शून्य
टेट्रा एवियेशन अकादमी, सलेम (तमिलनाडु) 4.02.1997	3	शून्य	शून्य	शून्य
फ्लाइटेक एवियेशन अकादमी, हैदराबाद (आं.प्र.) 1.11.1996	7	शून्य	शून्य	शून्य
अकादमी ऑफ कारवर विमानन (प्रा.) लिमि., 3 बेलगाम, कर्नाटक	3	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन				
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज (उ.प्र.) 1985	11	सरकार निधिपोषण करती है।		
ग्लाइडिंग क्लब				
अहमदाबाद ग्लाइडिंग एवं उड़ान क्लब (गुजरात) 19.12.1961	5	1.66	0.77	0.58
बिरला ग्लाइडिंग क्लब, पिलानी (राजस्थान) 1957	4	0.74	1.72	0.93
दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब (दिल्ली) 21.11.56	7	3.05	2.96	2.30
ग्लाइडिंग एवं सोरिंग केन्द्र, 3 कानपुर (उ.प्र.) 27.11.1968	4	0.80	0.54	0.96
देवलाली ग्लाइडिंग क्लब, नासिक (महाराष्ट्र) 10.8.1962	6	4.46	3.36	3.47
पिंजौर विमानन क्लब (हरियाणा) 1982	5	5.77	1.80	1.20
हिसार विमानन क्लब (हरियाणा) 1968	5	3.77	0.19	0.87
जमशेदपुर ग्लाइडिंग क्लब (बिहार) 1988	2	3.33	2.33	1.30
बिहार उड़ान संस्थान, ग्लाइडिंग विंग, रांची (बिहार) 1996	3	शून्य	शून्य	शून्य
शासकीय ग्लाइडिंग केन्द्र, पुणे (महाराष्ट्र)	13	सरकार (डीजीसीए) पूरे बजट का भार उठाती है।		
लुधियाना विमानन क्लब ग्लाइडिंग विंग (पंजाब) 1.3.1977	2	1.45	0.49	शून्य
राजस्थान राज्य उड़ान स्कूल (ग्लाइडिंग विंग), जबपुर	1	शून्य	शून्य	शून्य

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

2317. श्री के. येरननायडू: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का लाभ तथा उत्पादन आशा से कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में प्रारंभ से कुल कितनी धनराशि निवेश की गई है;

(घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ङ) क्या इस इस्पात संयंत्र का कोई लागत-लाभ अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में लाभ/हानि और उत्पादन संबंधी लक्ष्य तथा वास्तविक लाभ/हानि और उत्पादन निम्नानुसार हैं:

	1996-97		1997-98	
	समझौता-ज्ञापन लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)	समझौता ज्ञापन लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)
निवल लाभ/हानि (करोड़ रुपए) (भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई राहतों पर विचार करने से पूर्व)	-272.69	-245.94	-257.33	-419.40
विक्रेय इस्पात (हजार टन)	2550	2136	2656	2250
कच्चा लोहा (हजार टन)	301	647	301	521

(ग) विशाखपत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रारंभ से इसमें सरकार द्वारा और अन्य स्रोतों से किया गया कुल निवेश 8529 करोड़ रुपए है। (31.3.98 की स्थिति के अनुसार)

(घ) आर.आई.एन.एल. (वी.एस.पी.) के लिए 21729 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है इसमें भारतीय रेलवे की ओर से वी.एस.पी. को रेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिग्रहीत की गई 1170 एकड़ भूमि शामिल है।

(ङ) और (च) जी हां। लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के उद्देश्य हेतु 1994 की प्रथम तिमाही को आधार तिथि मानकर किए गए लागत लाभ अध्ययन में 100% क्षमता उपयोगिता मानते हुए 5.3% आन्तरिक आय दर दर्शाई गई है।

खाड़ी देशों के लिए उड़ानें

2318. प्रो. पी.जे. कुरियन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी-त्रिवेन्द्रम क्षेत्र में संचालित उड़ानों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुवैत-त्रिवेन्द्रम क्षेत्र को कुवैत-एयरलाइंस को अंतरित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में और अधिक उड़ानें शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) एअर इंडिया कुवैत एवरेज के साथ एक कोड-शेयर/ब्लॉक स्पेस प्रबंधों के अधीन कुवैत और त्रिवेन्द्रम के

बीच प्रति सप्ताह चार आवृत्तियों का प्रचालन करती है। इन उड़ानों का प्रचालन कुवैत एयरवेज के विमानों से किया जाता है। एअर इंडिया द्वारा मुम्बई होकर पांचवीं आवृत्ति का प्रचालन इसके अपने स्वयं के विमान से किया जाता है।

(घ) और (ङ) इस सैक्टर पर अतिरिक्त उड़ानों का जोड़ा जाना यातायात आवश्यकताओं और विमानक्षमता की उपलब्धता के आधार पर विमानकंपनियों के वाणिज्यिक विवेक पर आधारित होगा।

विवरण

खाड़ी-तिरूवनन्तपुरम सैक्टर पर प्रचालित उड़ानों के ब्यौरे

कहां से	विमानकंपनी का नाम	आवृत्ति/सप्ताह
आबुधाबी	एअर इंडिया	4
बहरीन	गल्फ एयर	3 (एक आबुधाबी होकर तथा एक दोहा होकर)
	एअर इंडिया	1
देहरान	एअर इंडिया	2
दोहा	कतर एयरवेज	3
	एअर इंडिया	1
	गल्फ एयर	1 (आबूधाबी होकर)
दुबई	एअर इंडिया	5
कुवैत	एअर इंडिया	1 (दोहा होकर)
	कुवैत एयरवेज	4
	एअर इंडिया/कुवैत एयरवेज (कोड-शेयर उड़ान)	4
मस्कट	ओमान एयर	5
	एअर इंडिया	2
	एअर इंडिया/गल्फ एयर (संयुक्त उपक्रम)	3 (एक दोहा से तथा एक बहरीन से प्रारम्भ होती है)
रियाद	एअर इंडिया	2

अनधिकृत दुकानें

2319. श्री सोहनवीर सिंह: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईस्ट ऑफ कैलाश के माउण्ट कैलाश क्षेत्र में कितनी अनधिकृत दुकानें हैं; और

(ख) अनधिकृत दुकानों को गिराने और इसमें अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है और क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा भूमि का उपयोग

2320. **श्री एस.एस. ओवेसी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितनी रक्षा भूमि क्षेत्र है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी रक्षा भूमि को बेचा या पट्टे पर दिया गया;

(ग) क्या सरकार का इस अप्रयुक्त भूमि को किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) कमान-वार आधार पर उपलब्ध रक्षा भूमि के संपूर्ण क्षेत्र की राज्यवार गणना पुन: की जा रही है। अंतिम आंकड़ों की प्रतीक्षा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बेची गई अथवा पट्टे पर दी गई कुल रक्षा भूमि 221.77 हेक्टेयर है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जिसमें उन्होंने रक्षा भूमि का आबंटन करने का अनुरोध किया है। यद्यपि इस समय कोई अतिरिक्त रक्षा भूमि उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

हीरों पर रॉयल्टी की दर

2321. **श्री दादा साबूराव पराजपे:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हीरों की रॉयल्टी दर को केन्द्र सरकार द्वारा 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत दिये जाने का तीव्र विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार से मशविरा किये बिना स्वयं ही रॉयल्टी की दरें कम कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) रायल्टी दरों को सरकारी राजपत्र की अधिसूचना जी एस आर संख्या 214(ई) दिनांक 11.4.1997 द्वारा पहले ही संशोधित कर दिया गया है। अधिसूचना की प्रति दिनांक 8.5.1997 को सभा पटल पर रख दी गई थी। हीरे की रायल्टी की दर पिट्स माउथ वैल्यू पर बिक्री मूल्य का 20 प्रतिशत थी। इस अधिसूचना के आधार पर इसे कम करके यथामूल्य पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत कर दिया गया था। यह संशोधन, प्रमुख खनिज (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) पर रायल्टी में संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा 1995 में गठित अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित था।

2. उपर्युक्त अध्ययन दल में अन्यों के साथ-साथ गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान राज्य सरकारों के सचिव स्तर के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। यह प्रथा है कि विभिन्न अवसरों पर रायल्टी दरों में सिफारिश के लिए गठित इस प्रकार के अध्ययन दल में बारी-बारी से राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 30.3.1989 को गठित पिछले अध्ययन दल जिसकी सिफारिशें 1992 में रायल्टी दरों में संशोधन का आधार थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार के सचिव को खनिज संसाधन विभाग के अध्ययन दल में प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया था।

3. 1995 में गठित अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पूर्व, मध्य प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था। अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि अनेक प्रमुख हीरा उत्पादन करने वाले देशों में हीरे पर रायल्टी की दरें 10% अथवा इससे कम है, सरकार ने हीरे की रायल्टी दरों में कटौती करने का निर्णय लिया था; मूल्य की दृष्टि से अधिकतम आयात किये जाने में हीरे का दूसरा स्थान है इसलिए देश में नये हीरे संसाधन अभिज्ञात करने की अत्यधिक आवश्यकता है; अपर्याप्त पूंजी के कारण भारत में हीरे के समग्र संसाधनों का पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है और उपयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी निवेश तथा रायल्टी की दर को कम करके वृहत पूंजीगत निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।

4. अध्ययन दल के साथ विचार-विमर्श के दौरान खनिजों की तत्कालीन रायल्टी दरों में भिन्न-भिन्न मात्रा में बढ़ोत्तरी किये जाने का मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन किया था और अप्रैल, 1997 में रायल्टी दरों में संशोधन करने के पश्चात हीरे की रायल्टी दरों में कटौती किये जाने का मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया लेकिन उनके अनुरोध को स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

नए लड़ाकू विमान को वायु सेना में शामिल करना

2322. **श्री के.पी. नायडू:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एस यू-30 लड़ाकू विमानों के दूसरे बेड़े को भारतीय वायु सेना में शामिल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): विलम्ब हुआ है, जिसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसी बीच शीघ्र सुपुर्दगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पटना हवाई अड्डे पर लाउंज सुविधा

2323. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य हवाई अड्डों की तुलना में पटना हवाई अड्डे पर आगमन और प्रस्थान के लिए पर्याप्त लाउंज सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस हवाई अड्डे पर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) पटना हवाई अड्डे को एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है जिसमें पृथक-पृथक प्रस्थान, आगमन तथा स्टेराइल लाउंज के साथ-साथ सीमित अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए सीमा शुल्क तथा आप्रवासन सुविधाओं की व्यवस्था है। मौजूदा टर्मिनल भवन के विस्तार तथा परिवर्धन संबंधी कार्य की अनुमानित लागत 8.90 करोड़ रुपए है और इसके जून, 1998 के अंत तक पूरे होने की संभावना है।

रेलवे में वेतमानों में असमानता

2324. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचरियों से चतुर्थ वेतन आयोग की तुलना में पंचम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत उनके वेतमानों में असमानता के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अन्य कर्मचारियों की तुलना में जैसी सिफारिश चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा की गई थी वैसी तर्कसंगत वेतनमानों की सिफारिश पंचम वेतन आयोग द्वारा नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इन असमानताओं को कब तक दूर किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदनकर्ताओं ने रेलों के अन्य विभागों में आबंटित वेतनमानों के समतुल्य संशोधित वेतनमानों की मांग की है।

(ग) और (घ) परंपरागत रूप से रेलों में लेखा विभाग के कर्मचारियों की उपलब्ध वेतन संरचना का स्वरूप मोटे तौर पर सरकार में अन्य संगठित लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की वेतन संरचना के अनुसार रहा है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात रेलों में लेखा कर्मचारियों के संशोधित वेतमान अन्य लेखा एवं लेखा परीक्षा विभागों में सदृश पदों के समरूप हैं। बहरहाल, इस प्रकार आबंटित वेतन संरचना में वेतन आयोग द्वारा अपनाए गए कुछ सामान्य सिद्धांतों से कुछ अन्तर है।

(ङ) और (च) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय और विभागीय स्तर, दोनों पर विसंगति समितियों (एनोमैली कमेटीज) गठित की गई हैं और कर्मचारी पक्ष इन समितियों को अभ्यावेदन दे सकते हैं।

[अनुवाद]

अवैध मत्स्यन

2325. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जलक्षेत्र में विशेष रूप से भारतीय तट क्षेत्र के साथ लगे क्षेत्र में, विदेशी ट्रॉलरों द्वारा अभी भी अवैध रूप से मत्स्यन किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) अवैध रूप से मछली पकड़ रहे किन-किन देशों के ट्रालर पकड़े गए;

(घ) ऐसे विदेशी ट्रॉलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भारतीय तट के साथ लगे क्षेत्र में अवैध मत्स्यन रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) हमारे समुद्री सीमा में गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने वाले विदेशी ट्रालरों को अब भी पकड़ा जा रहा है।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
1995	45
1996	47
1997	51
1998 (मई तक)	32

(ग) श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, ताइवान, फिलीपीन, थाइलैंड, इंडोनेशिया और चीन।

(घ) पकड़े गए सभी ट्रॉलरों को एम जैड आई एक्ट और उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत समुचित कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के हवाले कर दिया गया है।

(ङ) भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के सभी पोतों को हमारे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए प्राधिकृत ट्रालरों की सूचियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं। हमारे पोतों द्वारा रास्ते में दिखाई पड़ने वाले संदिग्ध ट्रॉलरों की इस बात के लिए जांच की जाती है कि वे प्राधिकृत हैं अथवा नहीं। नौसेना और तटरक्षक बल के पोतों/वायुयानों द्वारा समुद्र तट के साथ-साथ सर्वत्र नियमित रूप से गश्त लगाई जा रही है, ताकि विदेशी ट्रॉलरों द्वारा गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने पर अंकुश लगाया जा सके।

चेन्नई में रेल सम्पर्क

2326. श्री वैको: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एगमोर को अब तक रेल द्वारा जोड़ा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों महत्वपूर्ण स्टेशनों को सीधे जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एगमोर के बीच बड़ी लाइन का रेलपथ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जोलारपेट-बंगलौर रेल लाइन का दोहरीकरण

2327. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोलारपेट से बंगलौर बरास्ता बंगारपेट रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर अब तक पूरा किए गए दोहरीकरण के कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जोलारपेट और कुप्पम तथा बैंगलुरु और मालूर के बीच दोहरी लाइन मौजूद है। बंगारपेट और मालूर के बीच कार्य चल रहा है और इसे 1998-99 में पूरा करने का लक्ष्य है। बंगारपेट और कुप्पम के बीच कार्य स्वीकृत कर दिया गया है और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसे पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान को हुडको की सहायता

2328. श्री नरेन्द्र बुडानिया: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''हुडको'' ने राजस्थान को जल-मल निकासी प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू परियोजनाओं के जिलेवार नाम क्या हैं; और

(घ) किस तिथि तक इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना इस प्रकार है:

(लाख रुपए)

	नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	जारी किया गया ऋण		
				1995-96	1996-97	1997-98
1.	चुरू में बाढ़ के पानी की निकासी की स्कीम	339.72	238.00	–	–	25.00
2.	चोमू में सड़क और नालियों की स्कीम	215.00	150.00	–	12.50	25.00
3.	शास्त्री नगर, जोधपुर में नाले को ढकना	91.52	60.73	–	–	–
4.	जोधपुर में महामन्दिर क्षेत्र में सीवरेज स्कीम	453.19	317.00	–	–	79.24
		1099.43	765.73	–	12.50	129.24

सूचना: चूंकि स्कीम को वित्तीय वर्ष 1995-96 की अंतिम तिमाही में स्वीकृति मिली, इसलिए उस वर्ष में ऋण जारी नहीं किया गया।

(घ) आवास और शहरी विकास निगम (हडको) ने सूचित किया है कि 1998 के दौरान परियोजना पूरी होने की संभावना है।

[अनुवाद]

पानागढ़ सेना वाहन डपो को बन्द करना

2329. डॉ. असीम बाला: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूर्वी क्षेत्र में पानागढ़ में स्थित सेना वाहन डिपो को बन्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सरकार को पानागढ़ स्थित सेना वाहन डिपो को बन्द किए जाने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

छोटे और मध्यम शहर

2330. श्री विजय संकेश्वर: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बड़े छोटे और मध्यम शहरों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों को विकसित करने के लिए चलाई गई और सहायता प्रदत्त की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान योजना-वार, राज्य-वार दी गई वित्तीय अनुदान का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई गई और वित्तपोषित योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

(1) छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास की योजना (आई डी एस एस टी) 1979-80 में चलाई गई थी। इस योजना में अवस्थापना सुधार और आर्थिक विकास तथा रोजगार के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में विकसित होने की क्षमता वाले चुनिंदा छोटे और मझौले कस्बों में अन्य आवश्यक सुविधाओं के कार्यान्वयन की परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है। केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में मुहैया करायी जाती है तथा केन्द्र और राज्य 60 : 40 के अनुपात में हिस्सेदार हैं।

योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(2) मेगा सिटी स्कीम—बड़े शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना वर्ष 1993-94 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई, हैदराबाद और बंगलौर शहरों की अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है। केन्द्र और राज्य सरकारें 25 : 25 के अनुपात में साझेदार होंगी और शेष 50% राशि संस्थागत वित्त के रूप में जुटाई जायेगी। योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किया गया केन्द्रीय अंश (शहर-वार) का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(3) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) वर्ष 1993-94 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में 20,000 से कम आबादी (वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार) वाले छोटे कस्बों के लिए पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था है। यह योजना केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वित्तपोषित है।

योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान मुहैया कराई गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों (1995-98) के दौरान नई परियोजनाओं के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	29.00
2.	असम	151.86
3.	आन्ध्र प्रदेश	863.01
4.	बिहार	195.00
5.	गुजरात	657.52
6.	हरियाणा	982.00
7.	हिमाचल प्रदेश	65.00
8.	जम्मू और कश्मीर	92.50
9.	कर्नाटक	740.34
10.	केरल	448.25
11.	मध्य प्रदेश	603.79
12.	महाराष्ट्र	1140.99
13.	मणिपुर	85.50
14.	मिजोरम	57.00
15.	मेघालय	30.60
16.	नागालैण्ड	39.00
17.	उड़ीसा	157.00

1	2	3
18.	पंजाब	134.00
19.	राजस्थान	464.00
20.	सिक्किम	18.00
21.	तमिलनाडु	393.50
22.	त्रिपुरा	94.75
23.	उत्तर प्रदेश	867.00
24.	प. बंगाल	531.90
25.	दादर एवं नागर हवेली	5.00
26.	दमन एवं दीव	15.00
	कुल	7961.51

विवरण II

जारी किया गया केन्द्रीय अंश

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना

(करोड़ रु. में)

मेगा शहर का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
मुम्बई	18.08	13.08	17.73
कलकत्ता	18.08	13.58	14.89
चेन्नई	17.08	11.98	12.81
हैदराबाद	15.58	11.71	12.22
बंगलौर	15.08	10.55	11.25
कुल	83.90	60.90	68.90

विवरण III

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि

31.3.98 तक लाख रुपयों में

क्र.सं.	राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	21.06
2.	असम	–	–	140.00
3.	बिहार	94.40	–	–
4.	गोवा	–	9.00	–
5.	गुजरात	27.30	–	–
6.	हरियाणा	77.65	42.00	87.03
7.	हिमाचल प्रदेश	82.83	–	44.95
8.	जम्मू और कश्मीर	28.45	–	41.61
9.	कर्नाटक	–	–	179.96
10.	केरल	25.00	34.00	64.39
11.	मध्य प्रदेश	380.53	–	417.98
12.	महाराष्ट्र	36.30	85.00	271.80
13.	मणिपुर	39.00	–	90.99
14.	मेघालय	48.90	–	38.92
15.	मिजोरम	7.10	–	51.58
16.	नागालैण्ड	–	–	34.36
17.	उड़ीसा	0.90	81.00	156.62
18.	पंजाब	77.76	44.00	–
19.	राजस्थान	237.00	120.00	171.52

1	2	3	4	5
20.	सिक्किम	–	–	–
21.	तमिलनाडु	–	2.50	205.46
22.	त्रिपुरा	–	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	764.87	300.00	776.57
24.	प. बंगाल	71.56	–	–
	योग	1999.65	717.50	2795\00

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

2331. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विमानपत्तनों के नाम क्या हैं और वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इन्हें आधुनिकीकृत करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) देश के उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जिन्हें आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में कितने नये विमानपत्तनों का निर्माण किया जाएगा;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के भोपाल और इन्दौर विमानपत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का दर्जा दिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित हवाई अड्डों और सिविल एन्क्लेवों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। 1996-97 और 1997-98 के दौरान आधुनिक बनाये गए हवाई अड्डों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, राजस्थान और केरल वे राज्य हैं जहां नये हवाई अड्डों का विकास/निर्माण किये जाने की संभावना है। एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति में राज्य सरकार/निजी पार्टियों इत्यादि द्वारा नये हवाई अड्डों के निर्माण संबंधी विस्तृत कार्यविधि का निर्धारण किया गया है।

(घ) से (च) अपर्याप्त यातायात संभाव्य और विमानकंपनियों की ओर से मांग के अभाव के कारण, एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति में इन हवाई अड्डों की अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में भावी स्तरोन्नयन के संबंध में पहचान नहीं की गई है।

विवरण I

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित सिविल विमानक्षेत्र

1. अगाती
2. अगरतला
3. अहमदाबाद
4. अकोला
5. अमृतसर
6. औरंगाबाद
7. बलूरघाट
8. बेहला
9. बेलगांव
10. भावनगर
11. भोपाल
12. भुवनेश्वर
13. बिलासपुर
14. मुम्बई (शांताक्रुज)
15. मुम्बई (जुहू)
16. कलकत्ता
17. कालीकट (कारीपुर)
18. चाकुलिया
19. कोयम्बटूर
20. कूचबिहार
21. कुड्डाप्पा
22. देस्सा (पालनपुर)

23. दिल्ली (पालम)
24. दिल्ली (सफदरजंग)
25. देहरादून
26. दीमापुर
27. डोनाकुण्डा
28. गया
29. मंग्गल
30. गुवाहाटी
31. हसन
32. हुबली
33. हैदराबाद
34. इंफाल
35. इंदौर
36. जबलपुर
37. जयपुर
38. झांसी
39. झारसुगुडा
40. जोगवानी
41. कैलाशहार
42. कमालपुर
43. कांडला
44. कानपुर
45. केशोड
46. खांडवा
47. खजुराहो
48. खोवाई
49. कोल्हापुर
50. कोटा
51. कुल्लू (भुन्तर)
52. ललितपुर
53. लीलावाड़ी (उत्तरी लखीमपुर)
54. लखनऊ
55. लुधियाना
56. मद्रास
57. मदुराई
58. माल्दा
59. मंगलौर
60. मोहनवाड़ी (डिब्रूगढ़)
61. मुजफ्फरपुर
62. मैसूर
63. नागपुर
64. पन्ना
65. पंतनगर
66. पासीघाट
67. पटना
68. पांडिचेरी
69. पोरबंदर
70. रायपुर
71. राजमुन्दरी
72. राजकोट
73. रांची
74. रक्सोल
75. रैप्सी
76. सेलम
77. सतना
78. शेल्ला
79. शिलांग (बारापानी)
80. शिमला

81. शोलापुर
82. तिरुपति
83. तिरूचिरापल्ली
84. त्रिवेन्द्रम
85. तूतोकोरिन
86. तिरूअल (आईजौल)
87. उदयपुर
88. वदोदरा
89. वाराणसी
90. वैलोर
91. विजयवाड़ा
92. वारंगल

विवरण II

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आधुनिकीकरण हेतु लिए गए विमानपत्तनों के नाम

क्र.सं.	विमानपत्तन का नाम	कार्य की योजना/क्षेत्र
1	2	3
1.	आगरा	एप्रन का विस्तार
2.	भोपाल	टर्मिनल भवन का विस्तार तथा संवर्द्धन
3.	दीमापुर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण
4.	डिब्रूगढ़	धावनपथ तथा सम्बद्ध फर्शों को सशक्त बनाना
5.	गोवा	(1) नए अन्तरराष्ट्रीय प्रस्थान ब्लॉक का निर्माण
		(2) एप्रन का विस्तार तथा सशक्त बनाना
6.	हैदराबाद	नए अंतरराष्ट्रीय ब्लॉक का निर्माण
7.	जयपुर	धावनपथ का 7500 फिट तक विस्तार
8.	जोधपुर	टर्मिनल भवन का विस्तार तथा संवर्द्धन
9.	इन्दौर	टर्मिनल भवन का विस्तार तथा संवर्द्धन
10.	उदयपुर	धावनपथ का 7500 फिट तक विस्तार

अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन

विमानपत्तन का नाम	कार्य की योजना/क्षेत्र
मुम्बई विमानपत्तन	1. मुख्य धावनपथ 09/27 का स्तरोन्नयन
	2. अतिरिक्त वे सं. 14, 18 और 19 का निर्माण
	3. डेल्टा टैक्सी मार्ग के विस्तृत केन्द्र रेखा और ब्रेवो टैक्सी मार्ग (फेस-1 और 2) के बीच मुख्य धावनपथ के समानांतर टैक्सी मार्ग का निर्माण
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली	1. आगन्तुक लाउंज का निर्माण
	2. अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल हेतु अतिरिक्त 7 दूरस्थ पार्किंग बे का निर्माण
	3. अतिरिक्त 3 दूरस्थ पार्किंग बे का निर्माण
	4. अतिरिक्त 2 कार्गो बे का निर्माण
	5. 6ए-320 विमान के पार्किंग हेतु अतिरिक्त अंतर्देशीय बे का निर्माण
	6. निजी विमान प्रचालकों के लिए विमानशाला, एप्रन का निर्माण
नेताजी सुभाष चन्द्र बोष अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन, कलकत्ता	1. सतत चालू रेग्यूलेटर कक्ष की स्थापना
	सिविल वर्क्स
	वैद्युत कार्य
चेन्नई विमानपत्तन	1. आयात कार्गो परिसर का विस्तार
	2. बी-747 हेतु कार्गो बे को सशक्त बनाना
त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन	1. मुख्य धावनपथ का 350 मीटर तक विस्तार

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों पर संचार का आधुनिकीकरण, दिक्चालन और निगरानी सुविधाएं

क्र.सं.	स्टेशन	1996-97	1997-98
1	2	3	4
1.	अमृतसर	डीवीओआर, डीएमई (एचपी)	
2.	अहमदाबाद	–	एएसआर/एमएसएसआर
3.	औरंगाबाद	–	डीवीओआर, आईएलएस, डीएमई
4.	बड़ौदा	आईएलएस, डीएमई (एलपी)	

1	2	3	4
5.	भुज	वीओआर, डीएमई (एचपी)	
6.	भोपाल	डीएमई (एचपी)	
7.	भुवनेश्वर	आईएलएस, डीएमई (एलपी)	
8.	कोयम्बतूर	आईएलएस, डीएमई (एलपी)	
9.	गुवाहाटी	-	एएसआर/एमएसएसआर
10.	ग्वालियर	डीवीओआर	
11.	गया	डीएमई (एचपी)	
12.	गोवा	डीएमई (एचपी)	
13.	इम्फाल	डीवीओआर	
14.	जोरहट	-	वीओआर, डीएमई (एचपी)
15.	खजुराहो	डीएमई(एचपी)	
16.	लेह	डीएमई (एचपी)	
17.	मुम्बई	आईएलएस	
18.	नागपुर	डीवीओआर/डीएमई	
19.	राजकोट	-	डीवीओआर, डीएमई (एचपी)
20.	सिल्चर	डीवीओआर, डीएमई (एचपी)	
21.	तेजपुर	डीएमई (एचपी)	
22.	त्रिवेन्द्रम	डीवीओआर	

विवरण III

निम्नलिखित विमानपत्तनों पर आधुनिक उपस्करों की व्यवस्था की जा रही है

1.	चेन्नई	स्वचालित आश्रितो निगरानी प्रणाली तथा विमानपत्तन निगरानी रडार/एक सिरा गौण निगरानी रडार
2.	कलकत्ता	स्वचालित आश्रित निगरानी प्रणाली
3.	बागडोगरा	डाप्लर अति उच्च आवृत्ति वाला ओमिनी रेंज
4.	इम्फाल	–वही–
5.	सिल्चर	–वही–
6.	गोवा	–वही–
7.	जामनगर	–वही–
8.	चण्डीगढ़	डाप्लर अति उच्च आवृत्ति का ओमिनी रेंज/दूरी मापक उपस्कर
9.	आगरा	–वही–
10.	तेजपुर	–वही–
11.	राँची	उपकरण अवतरण प्रणाली
12.	पोर्टब्लेयर	–वही–
13.	मंगलौर	–वही–
14.	उदयपुर	–वही–
15.	रायपुर	उपकरण अवतरण प्रणाली
16.	नागपुर	एक शिरा वाला गौण निगरानी रडार
17.	वाराणसी	–वही–
18.	झारसुगुड़ा	–वही–
19.	लेंगपुई	सीएनएस सुविधाएं
20.	कोचीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन	सीएनएस सुविधाएं

[हिन्दी]

इस्पात उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य

2332. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान इस्पात का कितना वास्तविक उत्पादन हुआ;

(ग) इस अवधि के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) लक्ष्य को प्राप्ति न होने के कारण इस्पात के मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) इस्पात उद्योग के उदारीकरण के पश्चात् सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रमुख इस्पात उत्पादक मांग अनुमानों के आधार पर अपने इस्पात के उत्पादन को नियोजित करते हैं। देश में परिसज्जित इस्पात की कुल मांग और उपलब्धता संबंधी अनुमान विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात द्वारा वार्षिक आधार पर तैयार किये जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में परिसज्जित इस्पात की अनंतिम रूप से कुल मांग और उपलब्धता निम्नानुसार है:

(मात्रा: दस लाख टन)

कुल मांग	घरेलू उपलब्धता		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
26.66	9.05	17.95	27.00

अप्रैल से मई, 1998 के दौरान परिसज्जित इस्पात का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:-

(मात्रा: दस लाख टन)

सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1.35	2.49	3.84

(घ) जनवरी, 1992 में इस्पात पर से नियंत्रण समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् इस्पात के मूल्य बाजार-शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। पिछले एक वर्ष में इस्पात के खुले बाजार-मूल्य में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की फैक्ट्री में आग

2333. श्री जगतवीर सिंह द्रोण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 अप्रैल, 1998 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ आलमबाग में सवारी डिब्बों तथा मालडिब्बों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग में "लॉग यार्ड" में रखे लाखों रुपयों के स्लीपर्स जल कर राख हो गए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इन घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) जी हां। जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

(ग) जांच की जा रही है और निष्कर्षों के शीघ्र ही आने की प्रत्याशा है।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) कारखाना क्षेत्र से लॉग यार्ड को अलग करना।

(2) लॉग यार्ड क्षेत्र में घास को बढ़ने से रोकने के लिए फर्श में सुधार।

(3) जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी।

दिल्ली रिंग रेलवे

2334. श्री विजय गोयल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में विद्यमान रिंग रेल सेवा की उपयोगिता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) फिलहाल, दिल्ली रिंग रेलवे पर 11 ई.एम.यू. सेवाएं चल रही हैं। इन गाड़ियों की उपयोगिता लगभग 21% है। बहरहाल, कोई विस्तृत समीक्षा नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हाथरस में ऊपरि पुल का निर्माण

2335. **श्री राजवीर सिंह:**
श्री बिशनलाल दिलेर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीगढ़-आगरा राजमार्ग के बीच हाथरस (महामायानगर) में ऊपरि पुल के निर्माण हेतु विभिन्न एजेंसियों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुल के कब तक बनाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, हाथरस रेलवे स्टेशन के निकट कि.मी. 1296/29-31 पर समपार के बदले एक सड़क ऊपरी पुल 1996-97 में पहले से ही स्वीकृत है जिसके लिए नक्शे अनुमोदनाधीन हैं तथा अनुमान स्वीकृत कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। हाथरस में ऊपरी सड़क पुल के लिए लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय नौसेना की दशा

2336. **श्री मोहन सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7.5.98 को "इकनामिक टाइम्स" में छपी खबर "बट जार्ज द नेवी इज बेरली अफ्लोट" की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय नौसेना के सभी पोतों की स्थिति खस्ता है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) आमतौर पर दो-तिहाई नौसेना पोतों को संक्रियात्मक रूप से तैयार रखा जाता है ताकि अनुरक्षण कार्य किया जा सके। तथापि, अनुरक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए नौसेना के पास आकस्मिक योजनाएं हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर और अधिक पोत उपलब्ध हो सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बेड़ों को पौद्योगिकीय रूप से पुराने पड़ जाने से रोकने, उनकी संख्या में कमी न आने देने और उन्हें नौसेना के अन्य समकालीन शक्तिशाली नौसेना बेड़ों के समकक्ष बनाए रखने के लिए उनका आधुनिकीकरण और उनकी संख्या में अपेक्षित वृद्धि सतत् आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

बेली में टर्मिनल स्थापित किया जाना

2337. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने तिरूअनन्तपुरम के बेली में एक टर्मिनल स्थापित किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उपर्युक्त आशय के लिए अब तक किसी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बेली में टर्मिनल कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बेहला उड़ान प्रशिक्षण क्लब कलकत्ता

2338. श्रीमती कृष्णा बोस: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता का बेहला फ्लाइंग क्लब कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार क्लब की हवाई पट्टी के विकास के लिए किसी योजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विमानपट्टी राज्य सरकार की है और इसका अनुरक्षण भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में शौचालयों के निर्माण हेतु योजनाएं

2339. श्री दत्ता मेघे: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने महाराष्ट्र में शौचालयों के निर्माण हेतु कितनी योजनाएं स्वीकृत की हैं; और

(ख) इनके अन्तर्गत किन-किन शहरों को शामिल किया गया

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति हेतु कम लागत की सफाई स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र में शुष्क शौचालयों को जलवाही (फ्लश) शौचालयों में बदलने/निर्मित करने के लिए केन्द्रीय सब्सिडी के बावत केन्द्र सरकार ने 38 स्कीमों को मंजूरी दे दी है।

(ख) इन स्कीमों के अंतर्गत शामिल किए गए शहर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	नगर/शहर का नाम	नगरपरिषद का नाम
1	2	3
(क) शहरी क्षेत्र (21)		
1.	अहमद नगर	अहमद नगर
2.	अकोला	अकोला
3.	अकोला	मंगरूलधीर
4.	औरंगाबाद	गंगपुर
5.	औरंगाबाद	कन्नड़
6.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
7.	जालना	जालना
8.	जालना	फर्तूर
9.	लातूर	लातूर
10.	नांदेड़	बिल्लोली
11.	नादेड़	कन्धार
12.	नादेड़	कुन्दलवाड़ी
13.	नादेड़	नादेड़
14.	उस्मानाबाद	भूस
15.	परमानी	वसमत नगर

1	2	3
16.	परमानी	गंगा खेड़े
17.	परमानी	जिंतूर
18.	परमानी	परमानी
19.	परमानी	सोन पेठ
20.	सोलापुर	पन्धारपुर
21.	भूतमल	ऊमर खेड़
(ख) शहरी क्षेत्र (57)		
1.	अहमदनगर	कोपरगांव
2.	अहमदनगर	रहट-पिम्पलस
3.	अमरावती	अंजनगांव-सुरजी
4.	अमरावती	चन्दूर बाजार
5.	अमरावती	चन्दूरली
6.	अमरावती	चिखाल्दा
7.	अमरावती	दरयापुर
8.	अमरावती	धमनगांवली
9.	अमरावती	सन्दूरजन्घाट
10.	औरंगाबाद	खुल्तावाद
11.	औरंगाबाद	पैथाइन
12.	बीड	माजल गांव
13.	भन्डरा	गोन्डीया
14.	भन्डरा	तिरोरा
15.	भन्डरा	खाम गांव
16.	बुल्डाना	लोनार

1	2	3
17.		मेहकार
18.	चन्द्रपुर	माले
19.	राजुरा	चन्द्रपुर
20.	धुल्ले	दोनदैचा
21.	धुल्ले	सहादरा
22.	जलगांव	फैजपुर
23.	जलगांव	रावेर
24.	जलगांव	सावेदा
25.	कोहलापुर	मलका पुर
26.	लातुर	अहमदपुर
27.	लातुर	औवसा
28.	लातुर	निलंगा
29.	नागपुर	कमलेश्वर
30.	नागपुर	मोपा
31.	नागपुर	नारखेड़
32.	नादेड़	हदगांव
33.	नादेड़	किनवाट
34.	नादेड़	लौहा
35.	नादेड़	मढखेड़
36.	नादेड़	ओमरी
37.	नासिक	भागूर
38.	उस्मानाबाद	कलाम्ब
39.	उस्मानाबाद	मरू

1	2	3
40.	उस्मानाबाद	नालदुर्ग
41.	उस्मानाबाद	ओमार्गा
42.	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद
43.	उस्मानाबाद	तुल्जापुर
44.	परभनी	पाथरी
45.	पुर्ण	इन्दापुर
46.	रायगढ़	पानवेल
47.	सिंध दुर्ग	मालवा
48.	शोलापुर	अक्कलकोट
49.	शोलापुर	करमाल
50.	शोलापुर	शांगोला
51.	थाने	दाहनू
52.	वर्धा	दियोली
53.	वर्धा	पुलगांव
54.	यूटमल	धटान्जी
55.	यूटमल	पण्डारवंदा
56.	यूटमल	वांणी
(ग) शहरी क्षेत्र (17)		
1.	अकोला	मुर्तीजपुर
2.	औरगंबाद	औरंगाबाद
3.	बीड़	बीड़
4.	बीड़	गिराई
5.	भण्डरा	तमसर

1	2	3
6.	बुलडाना	चिखाली
7.	केचिरोली	कचिरोली
8.	जलगांव	पचोरा
9.	जलगांव	परोला
10.	जलगांव	यावल
11.	नागपुर	मोवड़
12.	नासिक	मालेगांव
13.	नासिक	सतना
14.	परभनी	मनवाड़
15.	सोलापुर	मगंलवेडा
16.	थाना	विरार
17.	वर्धा	सिन्धी
(घ) 12 नगरों के लिए		
1.	अहमद नगर	पथार्दी
2.	अकोला	रिसोद
3.	अकोला	तेलहरा
4.	बुल्डाना	दियोलगांव राजा
5.	बुल्डाना	जलगांव जामूद
6.	बुल्डाना	नदूरा
7.	धूले	नावा पुर
8.	जलगांव	जलगांव
9.	परभनी	कलमनुरी
10.	परभनी	पुर्णा

1	2	3
11.	पुर्ण	लुन्नावाला
12.	थाना	कल्याण
(ङ) 9 नगरों के लिए		
1.	अकोला	बालापुर
2.	अकोला	पातूर
3.	धुलं	धुले
4.	जलगांव	घुसावल
5.	जलगांव	ऐरादुल
6.	नासिक	इज्जतपुर
7.	पुर्ण	तालेगांव-दमाणे
8.	सिंध दुर्ग	वेनगुर्ला
9.	यूटमल	धरवार
(च) 10 नगरों के लिए		
1.	अहमद नगर	कोपर गांव
2.	अकोला	मंगरुलपीर
3.	अमरावती	चान्दूर बाजार
4.	भण्डरा	गुन्डीया
5.	खुल्डामा	लुनारा
6.	खुल्डाना	नेहकर
7.	चन्द्रपुर	मूल
8.	नागपुर	मोपा
9.	परभनी	गंगाखेड़
10.	परभनी	परभनी

1	2	3
(छ) 62 नगरों के लिए		
1.	सोलापुर	पन्डारपुर
2.	यूटमल	उमरखेड़
3.	औरंगाबाद	गंगापुर
4.	औरंगाबाद	कन्नड़
5.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
6.	नादेड़	कुन्नडलवाडी
7.	जालना	परतुर
8.	नादेड़	कन्धार
9.	नादेड़	नादेड़
10.	नादेड़	बिल्लोली
11.	परभनी	जिन्तूर
12.	अकोला	अकोला
13.	उस्मानाबाद	भूम
14.	लातूर	लातूर
15.	जालना	जालना
16.	अहमद नगर	अहमदनगर
17.	परभनी	सानपेठ
18.	परभनी	बासमत नगर
19.	बुल्डाना	खाम गांव
20.	औरंगाबाद	खुल्दाबाद
21.	औरंगाबाद	पायठान
22.	पुर्ण	इन्दापुर

1	2	3
23.	यूटमल	पण्डारकावड़ा
24.	यूटमल	वाणी
25.	अमरावती	धनगांव
26.	अमरावती	दरीयापुर
27.	नादेड़.	मढखेड
28.	सोलापुर	अक्लकोट
29.	नादेड़	उमरी
30.	नादेड़	किनवाट
31.	नादेड़	लोना
32.	नादेड़	मुखेड
33.	नादेड़	हदगांव
34.	जलगांव	सावदा
35.	लातूर	औसा
36.	लातूर	अहमदपुर
37.	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद
38.	उस्मानाबाद	कलम्ब
39.	यूटमल	घटाजी
40.	बीड़	माझल गांव
41.	चन्द्रपुर	राजूराम
42.	वर्धा	पुलगांव
43.	अमरावती	शेन्दुरजना
44.	उस्मानाबाद	ओमरगांव
45.	उस्मानाबाद	मुरुम

1	2	3
46.	नागपुर	नारखेड़
47.	सोलापुर	करमला
48.	उस्मानाबाद	तुलजापुर
49.	उस्मानाबाद	नालदुर्ग
50.	लातूर	नीलांगा
51.	रायगढ़	पानवेल
52.	थाणे	दहनू
53.	जलगांव	फैलपूर
54.	अमरावती	चन्दूर रेलवे
55.	अमरावती	चिखालदारा
56.	वर्धा	दियौली
57.	परभनी	पठारी
58.	बीड़	बीड़
59.	जलगांव	रावेड़
60.	भण्डरा	तिरोरा
61.	अमरावती	अमरावती निगम
62.	औरंगाबाद	औरंगाबाद निगम
(ज) दो नगरों के लिए		
1.	औरंगाबाद	सिल्लोकड़
2.	लातूर	उदगीर
(झ) 28 नगरों के लिए		
1.	अहमदनगर	–
2.	सिरदी	–
3.	औरंगाबाद	–

1	2	3
4.	शेगांव	–
5.	बेलापुर	–
6.	चन्दूर (रेलवे)	–
7.	मोर्शी	–
8.	दिगरास	–
9.	पुसद	–
10.	बसीम	–
11.	गाचीरोली	–
12.	देसाई गंज	–
13.	नालसोगारा	–
14.	गोड़ई	–
15.	सानेर	–
16.	उम्रेद	–
17.	अंजनगांव सुर्जी	–
18.	वरुण	–
19.	खाप्पा	–
20.	मोवाड़	–
21.	नंदूरा	–
22.	कलहेरा	–
23.	कोटल	–
24.	कमलेश्वर	–
25.	ब्रह्मपुरी	–
26.	पराग	–
27.	अचपुर	–
28.	नागपुर	–

1	2	3
(अ) शहरी क्षेत्र (21)		
1.	अहमदनगर	संगनेर
2.	अहमद नगर	श्री रामपुर
3.	अमरावती	भोरसी
4.	अमरावती	वरुण
5.	औरंगाबाद	वैजपुर
6.	बीड़	परली वैजनाथ
7.	बुलडाना	बुलडाना
8.	चन्द्रपुर	बलारपुर
9.	जालना	अम्बाद
10.	जालना	भाकरधान
11.	नादेड़	डेल्लूर
12.	नादेड़ा	धर्माबाद
13.	नासिक	मनवाड़
14.	परभनी	सैलू
15.	रायगढ़	महाद
16.	रायगढ़	रोहा
17.	रायगढ़	उरन
18.	सतारा	पलटन
19.	सतारा	सतारा
20.	थाणा	वसाई
21.	यूटमल	पूसद

1	2	3
(ट) शहरी क्षेत्र (11)		
1.	अकोला	कंरजा
2.	बीड	अंबेजोगाई
3.	चन्द्रपुर	वरोरा
4.	नासिक	सिन्नार
5.	नासिक	विस्तक
6.	रायगढ़	अलीताग
7.	रायगढ़	मातरन
8.	रायगढ़	पेन
9.	सांगली	इस्लामपुर
10.	सतारा	मासवाड़
11.	यूटमल	धीगरात

[अनुवाद]

अनधिकृत कालोनियों का गिराया जाना

2340. **श्रीमती मीरा कुमार:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों और गन्दी बस्तियों को गिराने अथवा गिराये जाने के प्रस्ताव से पहले यह जांच की गई अथवा किये जाने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी गन्दी बस्तियों के लिए दोषी अधिकारियों की पहचान की जा सके और इन अनधिकृत कालोनियों/गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को इन कालोनियों/गन्दी बस्तियों के गिराये जाने के एवज में मुआवजा देने के लिए बाधिक किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण दिल्ली में एक सतत् परेशानी है। जब भी किसी अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का पता चलता है अथवा सूचना मिलती है, तो संबंधित एजेन्सी द्वारा संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है। डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि कभी-कभी पुलिस बल न मिल पाने के कारण हटाने की कार्रवाई में विलम्ब होता है। यदि किसी कार्मिक द्वारा इस कार्य में सहयोग का पता चलता है, तो संबंधित एजेन्सी द्वारा दोषी कार्मिक(कों) के विरुद्ध कार्रवाई की जाती हैं। सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्माण करने वाले निर्माताओं तथा भूमि हथियाने वालों को किसी प्रकार का मुआवजा पाने का कोई अधिकार/हक नहीं हैं। तथापि, झुग्गीवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार एक त्रि-आयामी नीति कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत पात्र झुग्गी वासियों को (जो जनवरी, 1990 को थी) भूस्वामी एजेन्सी जो पुर्नस्थापन की लागत वहन करते हैं, के अनुरोध पर पुनर्स्थापित/पुनर्वास किया जाता है।

[हिन्दी]

शीत मत्स्यन अनुसंधान केन्द्र

2341. **श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा":** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास चम्पावत, उ.प्र. में शीत मत्स्यन अनुसंधान केन्द्र का मुख्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

2342. **श्री के. कृष्णमूर्ति:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चेन्नई से त्रिची तक, जो चेंगलपट्टू विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मैलाडुथुरई, कुम्बलकोनम और तंजावूर होते हुए जाती है, मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस प्रमुख लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) चेन्नई-त्रिची लाइन बरास्ता विपुपुरम और वृद्धाचलम का आमान और परिवर्तन कार्य प्रगति पर है तथा चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा।

(ख) विपुपुरम से तंजावुर बरास्ता कुड्डालोर कार्य को 1998-99 के बजट में शामिल कर लिया गया है और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

बरवाडीह में वैगन कारखाना

2343. श्री इन्द्रनाथ भगत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के बरवाडीह में एक रेल वैगन कारखाना स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी और इसके कार्यालय ने भी वहां कार्य करना शुरू कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय को गडवारोड पर स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का बरवाडीह में रेल वैगन कारखाना कब तक शुरू करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं। बरवाडीह में रेल मालडिब्बा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। बहरहाल, बाक्स एन मालडिब्बों की मरम्मत हेतु बरवाडीह में एक डिपो की स्थापना की गई है और कार्यरत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बरवाडीह में रेल माल डिब्बा फैक्ट्री स्थापित करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि उद्योग की मौजूदा क्षमता रेलवे की माल डिब्बा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

पचोरा-जामनेर रेललाइन का आमान परिवर्तन

2344. डा. उल्हास वासुदेव पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पचोरा-जामनेर छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पचोरा-जामनेर रेल लाइन को अजन्ता गुफाओं तक बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) पचोरा-जामनेर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा 5 कि.मी. नई बड़ी लाइन का निर्माण करके अजंता गुफा तक बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

जवाहर रोजगार योजना

2345. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 3.48 करोड़ रु. तक की राशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें केन्द्र और राज्य का कुल कितना-कितना हिस्सा है;

(ग) क्या ये राशि दूसरे चरण के अंतर्गत जिले को आबंटित की गई है;

(घ) क्या 2.69 करोड़ रु. का केन्द्र का हिस्सा विभिन्न प्रयोजनों हेतु मंजूर कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह धनराशि किस प्रयोजन हेतु मंजूर की गई है और राज्य सरकार द्वारा इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1997-98 के दौरान

563.95 लाख रुपए (दूसरी किस्त के रूप में 290.15 लाख रुपए सहित) का केन्द्रीय अंश जारी किया गया है। राज्य सरकार का हिस्सा 140.99 लाख रुपए (दूसरी किस्त के लिए 72.54 लाख रुपए सहित) था।

(घ) और (ङ) जी हां। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त के रूप में 290.15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के लिए 269.62 लाख रुपए और ग्राम पंचायतों के लिए 20.53 लाख रुपये की अतिरिक्त रिलीज शामिल है। जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम ग्राम/ब्लाक/जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। संबंधित पंचायतों के अनुमोदन से लोगों की महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य अर्थात् ग्रामीण गरीबों के स्थायी और सतत् लाभ के लिए रोजगार का सृजन और सामाजिक/आर्थिक परिसम्पत्तियों के सृजन, को प्राप्त करने के लिए कार्य/परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। जिले द्वारा मार्च 98 तक 427.27 लाख रुपए खर्च किए जाने की सूचना मिली है।

हैदराबाद से विमान सेवा शुरू करना

2346. **श्री आर. साम्बासिवा राव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि मार्च, 1998 में हैदराबाद-सिंगापुर उड़ान शुरू की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से हैदराबाद से और अधिक देशों के लिए विमान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हैदराबाद और कुवैत, जेद्दाह और कुआलालम्पुर के बीच विमान सम्पर्क प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। इनमें से, कुवैत के लिए हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सेवाएं आरम्भ की गयी हैं। अपर्याप्त यातायात संभाव्यता और/अथवा विमानक्षमता की कमी के कारण अन्य गंतव्य स्थानों को अभी तक विमान सेवा से नहीं जोड़ा गया है।

खनन के क्षेत्र में विदेशी निवेश

2347. **श्रीमती जयंती पटनायक:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आस्ट्रेलिया के सहयोग से देश में कुछ खनन परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आस्ट्रेलिया ने इस प्रयोजनार्थ कोई प्रस्ताव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आस्ट्रेलिया के सहयोग से किन-किन विशिष्ट खनन परियोजनाओं को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने, राजस्थान में मूल धातु भण्डारों की संभावनाओं का पता लगाने और यदि व्यवहार्य हुआ तो खनन कार्य करने के लिए, आस्ट्रेलिया की एक प्राइवेट कंपनी बी.एच.पी. मिनरल्स इंटरनेशनल एक्स्प्लोरेशन इंक. और खान विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने आस्ट्रेलिया की कुछ खनन कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से खनन क्षेत्र में निवेश की अनुमति दी है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

2348. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस 70 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को टिकट में रियायत प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट देती है जिनकी आयु 65 वर्ष की हो और जो भारत के निवासी हों। इस प्रकार की छूट इंडियन एयरलाइन्स के अंतर्देशीय सेक्टरों पर इकानॉमी श्रेणी में यात्रा करने पर उपलब्ध है।

कृषि क्षेत्र में सम्पर्क सड़कें

2349. **श्री ए.सी. जोस:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्तुत की गई कोई परियोजना सरकार के अनुमोदनार्थ और वित्तीय सहायता हेतु लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू में रेल यात्री निवास

2350. **श्री चमन लाल गुप्त:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में रेल यात्री निवास के निर्माण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास भारी जमाव

2351. **श्री के.एस. राव:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोखरन में परमाणु बम के विस्फोट के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) के साथ-साथ पाकिस्तान ने हाल ही में भारी सैनिक जमाव कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा अचानक घुसपैठ हुई है; और

(घ) नियंत्रण रेखा के पास एकाएक जमाव की स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों के क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) ऐसी सूचना मिली है कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट किए जाने के ठीक पहले उसकी कुछ सैन्य टुकड़ियां और तोपखाना नियंत्रण रेखा और भारत-पाक सीमा के निकट तैनात कर दिए गए थे। बताया जाता है कि कुछ वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र भी कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात कर दिए गए थे।

(ग) जी, नहीं। तथापि, हर वर्ष गर्मियों के महीनों में आतंकवादियों की घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि हो जाती है।

(घ) हमारे सैन्य बलों द्वारा सीमा पर निरंतर चौकसी बरती जाती है तथा हमारे शत्रु के किसी भी दु:साहस को विफल करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उड़ानों को रद्द करना

2352. **श्री रामदास आठवले:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई से विमान सेवाएं चला रही अनेक कंपनियों ने जनवरी, 1997 से अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उड़ानों को रद्द कर दिये जाने के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कितने राजस्व का घाटा हुआ है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) एक मुम्बई आधारित विमानकंपनी ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस ने जून, 1996 से प्रचालन सेवाएं निलंबित कर दी हैं। स्काईलाइन-एनईपोसी लिमि., एक अन्य मुम्बई आधारित विमानकंपनी है, इससे भी जून, 1997 से अपनी प्रचालन सेवाएं निलंबित कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, मोदीलुफ्त लिमि. तथा एनईपीसी एयरलाइंस जो मुम्बई से होकर सेवाएं प्रचालित कर रही थी उन्होंने भी प्रचालन सेवाएं बंद/ निलंबित कर दी हैं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ऐसी उड़ानों के निलंबन के कारण परिकलित मासिक राजस्व घाटा 72.34 लाख रुपए बैठता है।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी की प्रतिमा

2353. **श्री जयसिंह जी चौहान:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि इंडिया गेट पर कैनोपी में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के कार्य के बारे में निर्णय लें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) दिल्ली कंजरवेशन सोसाइटी और अन्य द्वारा भारत संघ और अन्य के खिलाफ दायर सिविल रिट याचिका संख्या 2725/95 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आशय का आदेश पारित किया है कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के लिए स्थल का चुनाव करने के लिए सरकार स्वतंत्र है लेकिन इसका कार्यान्वयन न्यायालय के आदेशों के अनुसार होगा। इंडिया गेट में कैनोपी में मूर्ति लगाने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दि. 26.7.95 को पारित स्थगन आदेश अभी भी लागू है जिसके द्वारा परिवर्तन/हटाने/कैनोपी ध्वस्त करने संबंधी सरकारी कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। चूंकि मामला अभी न्यायालय में है इसलिए इस मामले में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।

[हिन्दी]

ऊपरी पुलों का निर्माण

2354. **श्री हीरालाल राय:**
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/जोन वार ऊपरी पुलों के बिना कितने मुख्य रेल फाटक हैं जिसके कारण यातायात जाम होता है;

(ख) क्या सरकार इन लेबल क्रासिंग पर ऊपरी पुलों के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) देश में बगैर ऊपरी पुलों वाले मुख्य रेलवे समपारों की संख्या, जिसके कारण यातायात जाम रहता है, नीचे दी गई है:

क्र.सं.	रेलवे	समपारों की संख्या	राज्य	समपारों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मध्य	113	असम	6
2.	पूर्व	84	आन्ध्र प्रदेश	98
3.	पूर्व मध्य	11	बिहार	38
4.	पूर्व-तटीय	15	दिल्ली	31
5.	उत्तर	180	गोवा	1
6.	उत्तर-मध्य	58	गुजरात	73
7.	पूर्वोत्तर	45	हरियाणा	35
8.	पूर्वोत्तर-सीमा	8	कर्नाटक	35
9.	उत्तर-पश्चिम	17	केरल	44
10.	दक्षिण	158	मध्य प्रदेश	66
11.	दक्षिण-मध्य	95	महाराष्ट्र	115
12.	दक्षिण-पूर्व	63	उड़ीसा	21
13.	दक्षिण-पश्चिम	33	पंजाब	4[illegible]
14.	पश्चिम	141	राजस्थान	48
15.	पश्चिम-मध्य	10	तमिलनाडु	109
16.			उत्तर प्रदेश	188
17.			पश्चिम बंगाल	78
	जोड़	1031		1031

(ख) और (ग) जी हां। ऐसे समपारों की राज्यवार तथा रेलवार सूची जो ऊपरी/निचले सड़क पुलों से बदले जा रहे हैं, निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	रेलवे	ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या	राज्य	ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मध्य	28	असम	4
2.	पूर्व	11	आन्ध्र प्रदेश	18
3.	उत्तर	18	बिहार	10

1	2	3	4	5
4.	पूर्वोत्तर	9	गोवा	1
5.	पूर्वोत्तर सीमा	6	गुजरात	3
	उत्तर	40	हरियाणा	3
7.	दक्षिण-मध्य	23	कर्नाटक	15
8.	दक्षिण-पूर्व	12	केरल	7
9.	पश्चिम	18	मध्य प्रदेश	16
10.			महाराष्ट्र	22
11			मेघालय	1
12			उड़ीसा	6
			पंजाब	6
14.			राजस्थान	5
15.			तमिलनाडु	22
16.			उत्तर प्रदेश	18
17.			पश्चिम बंगाल	8
	जोड़	165		165

रेलवे की प्रचालन-लागत

2355. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
डा. चिन्ता मोहन:
डा. महादीपक सिंह शाक्य:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कितनी शाखा लाइनें काम कर रही हैं;

(ख) रेलवे को इससे कितनी वार्षिक आमदनी हुई;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे की प्रचालन-लागत का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे की कुल आय का कितना प्रतिशत उपर्युक्त शीर्ष पर खर्च किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान उपर्युक्त मद पर खर्च कम करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) संभवत: आशय अलाभप्रद शाखा लाइनों से हैं। 1996-97 के दौरान, ऐसी 120 लाइनें थीं।

(ख) 1996-97 के दौरान, उपरोक्त लाइनों की कुल आमदनी 203.18 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) जी हां। इन अलाभप्रद शाखा लाइनों का कुल संचालन व्यय (अर्थात् 447.45 करोड़ रुपए) उनकी आमदनी का 219.57% था।

(ङ) और (च) जी हां। अलाभप्रद शाखा लाइनों पर खर्च न्यूनतम/कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं;

(1) "एक इंजन मात्र" प्रणाली अपनाना;

(2) चल रही रात्रिकालीन गाड़ियां, यदि कोई हो, बंद करना;

(3) कम लोकप्रिय गाड़ियां रद्द करना;

(4) पैसेंजर गाड़ियों की समय सारणी पुन: निर्धारित करना;

(5) पैसेंजर/माल गाड़ियों का मिश्रित गाड़ियों से बदलाव;

(6) फ्लैग स्टेशनों को ठेकेदार द्वारा चालित हाल्ट स्टेशनों में बदलना;

(7) जहां कहीं अपेक्षित हो गुड्स/पार्सल यातायात के लिए स्टेशनों को बंद करना;

(8) गहन टिकट जांच;

(9) कर्मचारी मितव्ययिता;

(10) जहां कहीं व्यावहारिक हो स्टाक में कमी करना।

[अनुवाद]

द्वारका तथा बिन्दापुर क्षेत्रों में अतिक्रमण

2356. श्री भगवान शंकर रावत: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को द्वारका तथा बिन्दापुर क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां।

(ख) लगभग 48 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए। तथापि, रिहायशी मकानों की बड़ी संख्या तथा ग्रामीण आबादी की निकटता के कारण इन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इस समय अनधिकृत कालोनियों के नियमन का मामला सरकार के विचाराधीन है। बहरहाल दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी. सं. 4771/93 में भारत संघ सहित प्रतिवादियों को दिल्ली में किसी अनधिकृत कालोनी का नियमन करने पर रोक लगा दी है। मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है।

चूना पत्थर और बाक्साइट को खनिजों की सूची से हटाना

2357. **श्री हरिन पाठक:**
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने चूना-पत्थर और बाक्साइट को खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम, 1957 की अनुसूची 1 में दर्ज खनिजों की सूची से हटाने के लिए अभ्यावेदन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हां। चूना पत्थर और बाक्साइट को खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची 1 से हटाने के प्रस्ताव पर सचिव (खान) की अध्यक्षता में गठित समिति में विचार किया गया है। गुजरात सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों के सचिव, भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ के महासचिव, भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक इस समिति के सदस्य हैं। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन और विकास संबंधी मौजूदा कानूनों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इन्हें नीतिगत परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के उपायों की सिफारिश करना और पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण करने में होने वाले विलम्ब की अवधि को कम करने के उपाय सुझाना शामिल था। समिति के राज्य सरकारों को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा देने/नवीकरण करने से संबंधित और शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने के संबंध में विचार करना तथा अवैध खनन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय भी सुझाने थे। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है तथा इस पर अपेक्षित कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

रोहिणी योजना–1982

2358. **श्री सतमान सिंह कैंथ:**
श्री आरिफ मोहम्मद खां:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की 1982 की रोहिणी योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में प्लाटों के आबंटन के लिए पंजीकृत आवेदकों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कितने आवेदकों को प्लाट आबंटित किए गए हैं;

(ग) क्या शेष आवेदकों को प्लाट आबंटित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत पेशगी के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की गई और उसे कैसे उपयोग किया गया है;

(च) क्या आवेदकों को पेशगी पर ब्याज दिये जाने की सम्भावना है; और

(छ) यदि हां, तो ब्याज दर क्या होगी और इस जमा राशि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किस दर से ब्याज अर्जित किया जा रहा है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि रोहिणी आवासीय

स्कीम, 1981 के तहत 82,384 व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया था। श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है:

एम आई जी	:	25889
एल आई जी	:	38195
जनता		18390

(ख) 44,051 पंजीकृत लोगों को विभिन्न श्रेणियों के प्लाट आबंटित किये जा चुके हैं।

(ग) और (घ) शेष पंजीकृत लोगों को प्लाट आबंटित करने के बारे में समय-सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यह भूमि अधिग्रहण और डीडीए को इसका अंतरण, अवस्थापना विकास एम.सी.डी., दिल्ली विद्युत बोर्ड आदि जैसी सम्बद्ध एजेन्सियों द्वारा सेवाओं की व्यवस्था जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है।

(ङ) इस स्कीम के तहत 21.26 करोड़ रुपये एकत्र किये गये और स्कीम के कार्यान्वयन में इस राशि का उपयोग किया गया।

(च) धरोहर राशि पर ब्याज का भुगतान आवंटन के समय किया जाता है और मांग पत्र में प्रीमियम की मांग में समायोजित कर दिया जाता है। यदि पंजीकृत आवेदकों द्वारा धरोहर राशि की वापसी की मांग की जाती है, तो वापसी के समय भी दे दिया जाता है।

(छ) धरोहर राशि पर 7% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। चूंकि इस जमा राशि को कहीं पर निवेश नहीं किया गया था इसलिए जमा पर अर्जित ब्याज का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बागी-बिल पुल का निर्माण

2359. श्रीमती रानी नरह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिबरूगढ़ और धेमाजी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर प्रस्तावित बागी बिल पुल (रोड एवम रेल के लिए) का शिलान्यास कब हुआ था;

(ख) उक्त पुल के निर्माण के लिए कुल कितनी अनुमानित राशि है; और

(ग) उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) शिलान्यास 22.1.97 को किया गया था।

(ख) और (ग) अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। तत्पश्चात् भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2360. श्री रामपाल सिंह:
श्री महेश कनोडिया:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) जी, नहीं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी के लिए सरकार ने कोई अलग योजना नहीं बनाई है क्योंकि मंत्रालय से सहायता प्राप्त सभी कार्यक्रमों के लिए लोगों की भागीदारी प्राप्त की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय वायुसेना द्वारा हरियाणा में वृक्षों की कटाई

2361. डॉ. संजय सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हरियाणा के तिलपत वन क्षेत्र में 5 लाख से भी अधिक वृक्ष काटे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें काटने से पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्वानुमति ली गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) वायुसेना प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि 1997 में तिलपत रेंज को फिर

को सक्रिय बनाते समय मुख्यत: जंगली कीकर की झाड़ियों और कम ऊँचाई के पेड़ों को हटा दिया गया था क्योंकि इनके सघन होने की वजह से लक्ष्य क्षेत्र दिखायी नहीं पड़ रहा था तथा इन्हें उड़ान सुरक्षा के लिए भी खतरनाक समझा गया था। तथापि, इस संबंध में पूर्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए जाँच-आदेश दे दिए गए हैं।

गोलपाड़ा से गुवाहाटी तक नई रेल लाइन का निर्माण

2362. श्री अब्दुल हमीद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत गोलपाड़ा से गुवाहाटी तक नई रेल लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) गौलपाड़ा से गुवाहाटी तक की रेल लाइन अच्छी प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी तथा पुल संबंधी कार्य शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं। रेलपथ संबंधी सामग्री की व्यवस्था कर ली गई है और कार्य मार्च, 1997 तक पूरा हो जाएगा।

(ख) 31.3.98 तक 368 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तथा 1998-99 के कार्य के लिए परिव्यय के रूप में 66.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

फ्लैट/बंगलों का खाली कराया जाना

2363. श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री मधुकर सरपोतदार:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व सांसदों ने अपने कब्जे वाली सरकारी आवास को अभी तक खाली नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) कितने मंत्रियों को अभी तक सरकारी आवास आबंटित नहीं किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जी, हां। 17 भूतपूर्व मंत्रियों तथा सांसदों का अभी भी सामान्य पूल आवास पर कब्जा है।

(ग) इन आवासों को खाली कराने की कार्रवाई तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली कार्यवाही शुरू की गई है।

(घ) एक मंत्री को अभी तक आवास आबंटित नहीं किया गया है तथा 6 मंत्रियों को खाली होने के आधार पर आवास आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर जोन के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

2364. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर जोन के अंतर्गत और कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे में फरुक्खाबाद, बलिया, बहराइच, पीलीभीत।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान।

[अनुवाद]

होतगी और सोलापुर खंड के बीच आमान परिवर्तन

2365. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होतगी और सोलापुर खंड को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या बिजापुर और होतगी सैक्शन का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च हुआ है; और

(ङ) होतगी-सोलापुर रेलवे लाइन कब तक पूरी हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) मौजूदा प्रगति नीचे दी गई है:

मिट्टी संबंधी कार्य	89 प्रतिशत
छोटे पुल	90 प्रतिशत
बड़े पुल	75 प्रतिशत
ऊपरी सड़क पुल	50 प्रतिशत

(ग) होटगी-बीजापुर (100 कि.मी.) खण्ड पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।

(घ) सोलापुर (होटगी)-गदग आमान परिवर्तन पर 31.3.98 तक किया गया व्यय 10.75 करोड़ रुपये है।

(ङ) सोलापुर-होटगी खण्ड 31.3.99 तक और गदग तक सम्पूर्ण खण्ड दिसम्बर, 2000 तक बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

कपार्ट

2366. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौंसिल फार पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलोजी कापार्ट के कितने स्वयंसेवी संगठन हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन हेतु इन संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में "कापार्ट" के अंतर्गत कितने स्वयंसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(घ) कितने स्वयंसेवी संगठनों को पहले और अब काली सूची में डाला गया था और अब तक इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या सरकार ने "कापार्ट" के अंतर्गत विकास कार्य की समीक्षा की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के राज्य वार ब्यौरे और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उनको आबंटित राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आरम्भ से लेकर और 31.3.98 तक कपार्ट ने 6401 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की है।

(घ) कपार्ट द्वारा सूचित किया गया है कि 31.3.98 तक उनकी काली सूची में 248 स्वैच्छिक संगठनों का उल्लेख था। काली सूची में अंकित सभी स्वैच्छिक संगठनों को उनको प्रतिवेदन करने का अवसर दिए जाने के उद्देश्य से सूचीबद्ध किए जाने के बारे में सूचित कर दिया गया है। इन संगठनों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(1) जांच करने के लिए सी.बी.आई. को भेजे गए मामलों की संख्या	61
(2) कपार्ट के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा जांच किए गए मामलों की संख्या	58
(3) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं	23
(4) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें कोई प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है और रिकार्ड के आधार पर जिन पर कार्रवाई शुरू की गई है	106

(ङ) और (च) जी, हां। कापार्ट के अंतर्गत विकास कार्य की समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है। कापार्ट की प्रगति रिपोर्टें, नियमित रूप से कार्यकारी समिति की उन बैठकों में प्रस्तुत की जाती हैं जो मंत्रालय का मंत्री/प्रभारी राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होती हैं और जिसमें मंत्रालय के दोनों सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। स्वैच्छिक

संगठनों की सक्रिय भागीदारी और परियोजनाओं की मंजूरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कापार्ट के मुख्यालयों और क्षेत्रीय समिति कार्यालयों पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्थायी समितियां गठित की गई हैं।

विवरण

स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार संख्या और पिछले तीन वर्षों (1.4.95-31.3.98) के दौरान कापार्ट द्वारा उन्हें आबंटित राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	आबंटित राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	276	33.63
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	0.07
3.	असम	46	5.67
4.	बिहार	166	11.45
5.	चंडीगढ़	1	0.01
6.	दिल्ली	34	1.84
7.	गोवा	–	–
8.	गुजरात	86	9.75
9.	हरियाणा	24	2.15
10.	हिमाचल प्रदेश	18	1.85
11.	जम्मू व कश्मीर	7	0.41
12.	कर्नाटक	62	7.16
13.	केरल	76	15.29
14.	मध्य प्रदेश	53	4.12
15.	महाराष्ट्र	56	5.52
16.	मणिपुर	52	3.49
17.	मेघालय	3	0.14
18.	मिजोरम	11	2.40
19.	नागालैंड	6	0.27
20.	उड़ीसा	158	8.02
21.	पांडिचेरी	1	0.08
22.	पंजाब	3	0.27
23.	राजस्थान	48	3.29
24.	तमिलनाडु	172	17.42
25.	त्रिपुरा	3	0.21
26.	उत्तर प्रदेश	303	13.52
27.	पश्चिम बंगाल	314	23.7
	कुल	1980	171.75

अनंतिम

पुरानी रेल पटरियों को बदलना

2367. श्री अमर पाल सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक पुरानी रेल पटरियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) जी नहीं। रेलपथ नवीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। रेलों के रेलपथों को पुराने या खराब के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। आयु एवं हालत के आधार पर नवीकरण के लिए अपेक्षित रेलपथों को नियमित नवीकरण कार्यक्रमों के जरिए नवीनीकृत किया जाता है।

भारतीय रेलों द्वारा नवीकरण कार्यों में तेजी लाकर नवीकरण के लिए बकाया रेलपथों का शीघ्र नवीकरण करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। आठवीं योजना के दौरान, 14203 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण किया गया था और 1997-98 के दौरान, 2950 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण किया गया था।

विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर की व्यवस्था

2368. श्री पी. उपेन्द्र: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयवाड़ा स्टेशन पर एस्केलेटर की व्यवस्था करने के लिए 1996-97 के रेल बजट में 1.7 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया था और रेल राज्य मंत्री द्वारा सितंबर, 1996 में इसकी आधारशिला भी रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव पर कार्य आरंभ हो चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) "विजयवाड़ा और सिकंदराबाद में स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्था", कार्य के लिए 1.60 करोड़ रुपए की कुल प्रत्याशित लागत की तुलना में 1996-97 के लिए 1.12 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर शिलान्यास, सितम्बर 1996 में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री द्वारा किया गया था।

(ख) जी हां। कार्य की योजना और अभिकल्प पूरा हो गया है और इस कार्य के लिए 1998-99 के बजट में 67.21 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र

2369. श्री रामदास आठवले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए स्थापित पुनर्वास केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों को पिछले दो वर्षों के दौरान मई, 1998 तक आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और इन केन्द्रों में कौन-कौन से क्रियाकलाप किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इन केन्द्रों में हुई अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें/सूचनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-2

2370. श्री मधुकर सरपोतदार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-2 के अंतर्गत रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुंबई रेल विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त निगम अब तक स्थापित किया जा चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं तथा यह कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) जी हां, इस पर 26 मई, 1998 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) समझौता ज्ञापन की प्रतिलिपि विवरण में दी गई है।

(घ) जी नहीं, केवल निगम का नाम-मुम्बई रेल विकास निगम ही दर्ज किया गया है। अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

(ङ) कोई विलंब नहीं हुआ है, क्योंकि समझौता ज्ञापन पर एक पखवाड़े पहले ही हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण

मुम्बई महानगर क्षेत्र में उपनगरीय रेल अवसंरचना के विकास के संबंध में रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

(1) यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसमें आगे पहला पक्षकार कहा गया है) और (2) महाराष्ट्र के राज्यपाल (जिसे इसमें आगे दूसरा पक्षकार कहा गया है) के बीच किया गया है।

1. मौजूदा परिचालन वातावरण में मुंबई का उपनगरीय रेल नेटवर्क कुशल तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है यद्यपि इसमें भीड़ बहुत होती है।

2. मुम्बई महानगर क्षेत्र में रेलें व्यापक परिवहन का प्रमुख माध्यम हैं तथा रहेंगी।

3. मुम्बई महानगर क्षेत्र की सम्पूर्ण परिवहन अवसंरचना के व्यापक अध्ययन द्वारा बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए रेल परियोजनाओं की पहचान हुई है।

4. सरकारी रेलों की योजना, वित्त पोषण, निर्माण और परिचालन का दायित्व केन्द्र सरकार का है।

5. मुम्बई महानगर क्षेत्र के विकास तथा मुम्बई के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उपनगरीय रेल नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार रेल नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि तथा विस्तार करेगी जिससे:-

(i) उपनगरीय रेलों को दैनिक यात्री यातायात के वृहत भाग को ले जाने के लिए सक्षम बनाना।

(ii) सड़कों पर बढ़ती भीड़-भाड़ तथा जिसके परिणामस्वरूप होने वाले पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को रोकने में सहायक।

(iii) उपनगरीय गाड़ियों में व्यस्त समय के दौरान अत्यधिक भीड़-भाड़ को कम करना।

6. चूंकि रेलवे भूमि तथा वायुस्थान का वाणिज्यिक विकास और अधिभार वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने का प्रमुख स्रोत हो सकते हैं जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार तथा इसकी विकास एजेंसियों [illegible] समर्थन और समन्वय अपेक्षित होगा।

6.1 समन्वय के साथ-साथ पुनर्वास एवं पुन:स्थापन सहित रेल के मार्गाधिकार और पहुंचमार्ग स्टेशन से अधिक्रमण और अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों को हटाते हुए उनके मार्गाधिकार को नियंत्रित करने के लिए रेलों की परिचालनिक समस्याओं को सुलझाने तथा रेलपथ और जल निकास के सुधार को सुनिश्चित करते हुए स्थानीय सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है।

6.2 महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्तियों के पुनर्वास और पुन:स्थापन के लिए नीति अधिसूचित की है जिसमें 1995 में किए गए आधार तल सर्वेक्षण के आधार पर रेल परियोजनाएं शुरू करने तथा रेल भूमि के वाणिज्यिक विकास के कारण प्रभावित हुए व्यक्ति शामिल हैं।

6.3 ऐसे निबंधन और शर्तें जिसके अधीन मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2 के रेल घटकों द्वारा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुन:स्थापन किया जाएगा, इसे महाराष्ट्र सरकार की पुनर्वास तथा पुन:स्थापन नीति के व्यापक समग्र ढांचे के भीतर महाराष्ट्र सरकार तथा भारतीय रेलों के बीच परस्पर निर्धारित किया जाएगा।

7. यह राष्ट्रीय और जनहित में समीचीन और आवश्यक समझा गया है कि समन्वित योजनाओं के विकास तथा, रेल अवसंरचना परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन, रेलवे भूमि तथा वायुमंडल के वाणिज्यिक विकास तथा शामिल एजेंसियों में से परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुन:स्थापन सहित संबंधित मुद्दों में तालमेल करने के लिए रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र निगम होना चाहिए।

8. और पक्षकार इसमें आगे दिए गए निबंधन और शर्तों पर उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की स्थापना करने के लिए सहमत हो गए हैं।

9. यह समझौता ज्ञापन इस बात का साक्षी है कि उपर्युक्त परिसरों और इसमें आगे दर्शाई गई परस्पर प्रसंविदाओं को देखते हुए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हो गए हैं:-

(i) इसमें उल्लिखित पक्षकार इस समझौता ज्ञापन की तारीख से 3 माह की अवधि अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि जिस पर परस्पर सहमत द्वारा समय-समय पर सहमति हुई हो, के भीतर मुम्बई महानगर क्षेत्र में समन्वित योजनाओं के विकास तथा रेल परियोजनाओं के विकास तथा निष्पादन करने के लिए सीमित दायिता वाली पूर्णत: सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनाएंगे, स्थापित करेंगे तथा पंजीकृत कराएंगे।

(ii) प्रस्तावित संयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कंपनी का नाम "मुम्बई रेल विकास निगम लि." (जिसे इसमें आगे एम.आर.वी.सी. कहा गया है) अथवा ऐसा कोई अन्य नाम जो कंपनी के रजिस्ट्रार सुझाए तथा जिस पर इसमें उल्लिखित पक्षकार सहमत हों।

(iii) मुम्बई रेल विकास निगम का पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में होगा।

(iv) यह कंपनी समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अधीन रेल कंपनी समझी जाएगी।

(v) कंपनी का मुख्य उद्देश्य समन्वित योजनाओं का विकास तथा रेल अवसंरचना परियोजनाएं कार्यान्वित करना, रेलवे भूमि तथा वायु मंडल का वाणिज्यिक विकास शुरू करना, गाड़ी सेवाओं के परिचालन तथा रेलों के मार्गाधिकार के संरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा संबंधित मुद्दों और समस्याओं के अर्थपूर्ण संकल्प के लिए शहरी विकास तथा ऐसी परियोजनाओं तथा कार्रवाई के कारण उत्पन्न दायिताएं निभाना होगा।

10. पक्षकारों की सहमति द्वारा यथा सम्मत मुख्य, गौण और अन्य विषयों के ब्यौरे का प्रस्तावित मुम्बई रेल विकास निगम के संगम ज्ञापन में उल्लेख किया जाएगा। प्रस्तावित मुम्बई रेल विकास निगम के लिए संगम ज्ञापन और अनुच्छेदों का समझौता ज्ञापन के निबंधन और शर्तों और पक्षकारों की सहमति द्वारा यथा सम्मत ऐसे अन्य उपबंधों को शामिल करते हुए दूसरे पक्षकार के परामर्श से पहले पक्षकार द्वारा अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिया जाएगा।

11. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रारंभ में 25 करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक 1000/- रुपए के 2,50,000 हिस्सों में विभाजित होगी।

12. इस करार के पक्षकारों द्वारा संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे वी सी) का इक्विटी अंशदान निम्नानुसार होगा:

(1)	भारत सरकार	51%
(2)	महाराष्ट्र सरकार	49%

13. पहले और दूसरे भाग के प्रत्येक पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करेंगे।

14. प्रस्तावित कम्पनी निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होगी जिसमें ग्यारह निदेशक होंगे।

कंपनी में एक अंशकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित 6 पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक और दो गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक होंगे।

अंशकालिक अध्यक्ष को महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा।

रेलों द्वारा नामित किए जाने वाले छः पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजना एवं योजना), निदेशक (विद्युत) और निदेशक (वित्त) होंगे जबकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा निदेशक (पुनर्वास एवं पुनःस्थापन) और निदेशक (अवसंरचना और वाणिज्यिक विकास) का चयन किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार से एक अंशकालिक सरकारी निदेशक और भारतीय रेल से एक अंशकालिक सरकारी निदेशक भी होगा।

15. महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेल के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार उसके द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के साथ-साथ मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2 में शामिल उपनगरीय रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि 50 : 50 के अनुपात में भारत सरकार (रेल मंत्रालय) और महाराष्ट्र सरकार द्वारा सामान्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। निधि के स्रोत निम्नलिखित होंगे:

(1) रेल भूमि और वायु मंडल के वाणिज्यिक विकास मे प्राप्त राजस्व;

(2) महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेल से बजटीय सहायता,

(3) महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेल की परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाने वाला उधार,

(4) महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेल की परस्पर सहमति की तारीख से दैनिक यात्रियों पर उद्ग्रहीत किया जाना वाला अधिभार।

16. रेल भूमि और वायुमंडल के वाणिज्यिक विकास द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन की लागत विशेष मामले के रूप में खंड 6, 3 के अनुरूप रेल मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

17. एक अपवाद के रूप में और यथा आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन रेल भूमि जहां कहीं रेलों की आवश्यकता से अधिक हैं परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (इसके लिए उनकी पात्रता 1995 की मतदाता सूची में उनका शामिल होना है) के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के लिए रेलों द्वारा दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा रेल भूमि और रेलवे के मार्गाधिकार का संरक्षण करने के लिए रेलों को आवश्यक सहायता मुहैया कराई जाएगी।

18. रेलों की रेल भूमि के वाणिज्यिक विकास में शामिल परियोजनाओं के लिए भूमि भारतीय रेलों के स्वामित्व में ही रहेगी और मुम्बई रेल विकास निगम को मु.रे.वि.नि. और रेलों के बीच परस्पर सम्मत निबंधन और शर्तों पर वायुमंडलीय अधिकारों के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। मुम्बई रेल विकास निगम द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के उपयोग के लिए कार्य-प्रणाली का परस्पर सहमति से बाद में निर्णय लिया जाएगा।

19. महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा कम्पनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक समर्थन दिया जाएगा, और

(1) जब कभी कम्पनी को आवश्यकता हो, बिना किसी व्यवधान के भूमि के शीघ्र अधिग्रहण के लिए आवश्यक सहायता देना।

(2) जहां कहीं परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार को भूमि की आवश्यकता होती है वहां महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार के भूमि के स्वामित्व को बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र सरकार तथा मुम्बई रेल विकास निगम के बीच होने वाले पारस्परिक शर्तों एवं निबंधन के आधार पर परिचालनिक सुविधाओं/रेल अवसंरचना के निर्माण के लिए मुम्बई रेल विकास निगम को प्राधिकृत करेगा।

20. मुम्बई रेल विकास निगम को भारत सरकार/भारतीय रेल तथा महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन करना होगा, जिसमें उसे ये शक्तियां प्राप्त होंगी:-

(1) मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2 में शामिल करने के लिए रेल कलपुर्जों के लिए समन्वय योजनाएं विकसित करना, मुम्बई रेल विकास निगम को रेलों तथा मुम्बई रेल विकास निगम के बीच होने वाले पारस्परिक शर्तों एवं निबंधन के आधार पर अन्य नियोजित गैर-मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2 रेल कलपुर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य करने का कार्य भी सौंपा जाएगा।

(2) रेल क्षमता योजनाओं तथा प्रस्तावित निवेश सहित मुम्बई के लिए एकीकृत शहरी विकास योजनाएं।

(3) भूमि तथा वायुमंडल क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित करना तथा रेल परियोजनाओं के लिए शुद्ध आय को 1:1:1 के अनुपात में क्रमशः मुम्बई क्षेत्र, महाराष्ट्र तथा देश में अन्यत्र विभाजित करना। बहरहाल, यह अनुपात यदि अपेक्षित हो कुछ समय के लिए परस्पर परामर्श से मुम्बई के पक्ष में बढ़ाया जा सकता है।

(4) रेल परिसर के भीतर ही नहीं अपितु रेलवे की बाउण्डरी से बाहर भी रेल पथ ड्रेनेज का सुधार और यदि आवश्यकता हुई तो उसमें तालमेल लाना एवं सरल बनाना, रेलों के अधिकार मार्गों तथा स्टेशन परिसर एवं अहातों से अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों तथा अतिक्रमण को हटाना।

21. अधिभार की तारीख और मात्रा मुम्बई रेल विकास निगम के अधिकार क्षेत्र में आने/जाने वाले दैनिक यात्रियों से महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेल के बीच परस्पर सहमति के अनुसार निर्धारित और वसूल किया जाएगा, जैसाकि खंड 30 में उल्लिखित है। अधिभार की समग्र राशि मुम्बई रेल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-2 के अंतर्गत उपनगरीय रेल परियोजना के वित्त पोषण के उपयोग में ही सहायक नहीं होगी बल्कि महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेलों द्वारा मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2 के अंतर्गत आने वाली ऐसी परियोजनाओं के लिए 50 : 50 के अनुपात में ऋण के पुनः भुगतान में भी सहायक होगी।

22. समझौता ज्ञापन करने वाले पक्षकारों के बीच इस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के मामले में, समझौता ज्ञापन करने वाले किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर मामला विवाचन समिति के समक्ष रखा जाए जिसमें एक रेलों का, एक राज्य सरकार का तथा उपयुक्त ओहदे का एक निष्पक्ष सरकारी अधिकारी हो तथा ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए इन सभी को मंत्रिमंडलीय सचिव द्वारा नामित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए नामों का पैनल रेलों तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय सचिव को उपलब्ध कराया जाएगा।

23. इस समझौता ज्ञापन के पक्षकार इसमें दिए गए प्रस्तावों को एतद्द्वारा स्वीकार करें तथा इसको कार्यान्वित करें तथा इससे होने वाली बाध्यताओं तथा जिम्मेदारियों को पूरा करने की वचनबद्धता दें।

24. मुम्बई रेल विकास निगम अपने कार्य करने तथा रेलों, महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की परियोजना के निष्पादन तथा अनुरक्षण के लिए जब कभी आवश्यक होगा, अर्हक तथा अनुभवी व्यक्तियों से काम लेगा।

25. मुम्बई रेल विकास निगम कम से कम पांच वर्ष के अवधि के बाद किसी भी समय पारस्परिक रूप से निबंधन तथा

शर्तों को स्वीकार करके मुम्बई रेल विकास निगम के दायित्वों को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करके समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।

26. स्टैंड एलोन प्रणाली चाहे वह भूमिगत अथवा उत्थापित अथवा भूमि पर हो जिसका भारतीय रेल नेटवर्क से कोई लिंक न हो, इस समझौता ज्ञापन द्वारा शासित नहीं होगी, तथापि उनका निष्पादन मुम्बई रेल विकास निगम तथा स्वामित्व वाली एजेंसी के बीच पारस्परिक रूप से निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर मुम्बई रेल विकास निगम को सौंपा जा सकेगा।

27. समझौता ज्ञापन के अंतर्गत व्यवस्थाएं न्यू मुम्बई में सिडको के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जो अलग करारों के अंतर्गत शासित हैं। बहरहाल, मुम्बई रेल विकास निगम तथा भारतीय रेल/सिडको के बीच पारस्परिक रूप से निर्धारित शर्तों के आधार पर मुम्बई रेल विकास निगम इन क्षेत्रों में कार्यों का निष्पादन कर सकती है।

28. परियोजना के चयन तथा क्रम बनाने से संबंधित निर्णय रेलों द्वारा परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।

29. यार्ड के ढांचे में परिवर्तन आदि जैसे निर्माण कार्य जिनके लिए रेलों के साथ बहुत निकट तथा निरंतर समन्वय आवश्यक है तथा/अथवा जहां गाड़ी परिचालन की संरक्षा अंतग्रस्त हो, भारतीय रेल फील्ड यूनिटों के लिए मुम्बई रेल विकास निगम द्वारा किए जा सकते हैं।

30. मुम्बई रेल विकास निगम का क्षेत्राधिकार पश्चिम रेल में दहानू रोड तक तथा मध्य रेल में करजत, कसारा, पनवेल तथा खोपोली तक होगा।

31. रेलें मुम्बई सेंट्रल तथा मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनलों मंडलों के क्षेत्राधिकार उपयुक्त समय पर व्यवस्थित करेंगी।

32. रेलें जहां तक व्यावहारिक होगा मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली के पृथक लेखों के लिए कदम उठाएंगी।

33. यह एतत्द्वारा स्वीकार किया जाता है कि इस समझौता ज्ञापन की वैधता अवधि 15 वर्ष होगी। बहरहाल, यह आवश्यक हो गया है कि इस अवधि को कंपनी के दायित्व पूर्णतया डिस्चार्ज किए जाने की अवधि के समकालिक रखा जाए। जब कभी कम्पनी के साम्या भागीदारों द्वारा कंपनी को विघटित करने का निर्णय लिया जाता है, किसी एक पक्षकार अथवा दोनों पक्षकारों के मुम्बई रेल विकास निगम द्वारा सृजित शेयर होल्डिंग तथा परिसंपत्तियों के निपटान पर पारस्परिक स्वीकृति के आधार पर कार्रवाई की जाए।

इसके साक्ष्यस्वरूप संबंधित सरकार ने अपने संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से 26 मई, 1998 को एतद्धीन करार किया।

ह./-

(पी. सुब्रह्मण्यम)
मुख्य सचिव,
महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./-

(वी.के. अग्निहोत्री)
सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

साक्ष्य

ह./-

(के. नलिनाक्षण)
प्रधान सचिव, शहरी विकास
महाराष्ट्र सरकार

ह./-

(एम.एम. गोयल)
अपर सदस्य (परियोजनाएं)
रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय
भारत सरकार

डी.डी.ए. फ्लैटों का आबंटन

2371. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष श्रेणीवार डी.डी.ए. के कितने फ्लैट आबंटित किये गये और कितने फ्लैटों का कब्जा दिया गया; और

(ख) दिल्ली में सभी पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक मकान उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) गत 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष श्रेणीवार आबंटित डी.डी.ए.

फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	एम आई जी	एल आई जी	जनता	एस एफ एस	इ एच एस	योग
1993-94	7245	6520	2686	2251	-	18702
1994-95	364	608	1579	842	6972	10365
1995-96	1864	2602	791	676	-	5933
1996-97	4668	1731	3667	3022	8405	21493
1997-98	793	164	1097	525	413	2992

उपर्युक्त अवधि में श्रेणी वार डी.डी.ए. फ्लैटों का कब्जा लेने से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) डी.डी.ए. ने बताया है कि अन्य एजेंसियों द्वारा भूमि तथा जल, विद्युत आपूर्ति जैसी अन्य सेवाओं की उपलब्धता संबंधी बाधाओं को देखते हुए, इस स्तर पर समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायतें

2372. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ए.सी. 2 टियर और ए.सी. 3 टियर में विकलांग व्यक्तियों के लिए किराए में रियायत देने का प्रस्ताव है जो उन्हें केवल द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी नहीं। विकलांग व्यक्तियों को दूसरा दर्जा शयनयान और पहले दर्जे के किरायों में रियायत दी जाती है। वे पहले दर्जे के रियायती किराए और दो श्रेणियों के वास्तविक किराए के अन्तर का भुगतान करके वाता.-2 टीयर शयनयान का भी टिकट ले सकते हैं।

[अनुवाद]

मैसूर शहर में जल आपूर्ति परियोजना

2373. श्री ए. सिद्धराजू: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर सिटी और कनीगल में पेयजल आपूर्ति परियोजना शुरू करने हेतु एशियाई विकास बैंक और हडको से सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी सहायता राशि मांगी और जारी की गयी; और

(घ) कार्य के कब तक शुरू होने और कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने मैसूर और कुनीगल में क्रमश: 37.0 करोड़ रु. तथा 13.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली पेयजल परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से सहायता मांगी है। हडको ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए इन परियोजनाओं को उन्हें प्रस्तुत नहीं किया।

(ग) और (घ) प्राप्त सूचना के अनुसार, मांगी गई सहायता की राशि परियोजना लागत का 70% है। कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड ने दिसम्बर, 1997 में सूचित किया था कि एशियाई विकास बैंक ने मैसूर जल आपूर्ति परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इसे शुरू करके 3 वर्ष की अवधि में पूरा होने की संभावना है। कुनीगल जल आपूर्ति परियोजना को अभी एशियाई विकास बैंक की स्वीकृति मिलनी बाकी है।

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

2374. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मगध एक्सप्रेस और श्रमजीवी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां सामान्य तौर पर नई दिल्ली में अत्यधिक विलम्ब से पहुंचती है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई होती है;

(ख) गत तीन माह के दौरान यह रेल गाड़ियां वास्तव में कितने मिनट नई दिल्ली में विलम्ब से पहुंची;

(ग) इनके विलम्ब से आगमन के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) गत तीन महीनों के दौरान मगध और श्रमजीवी एक्सप्रेस का समयपालन प्रतिशत निम्नानुसार है:

1. 2391 मगध एक्सप्रेस

महीना	समयपालन %
मार्च, 98	54.8
अप्रैल, 98	66.7
मई, 98	48.4

2. 2401 श्रमजीवी एक्सप्रेस

महीना	समयपालन %
मार्च, 98	71.0
अप्रैल, 98	90.0
मई, 98	77.4

(ग) गाड़ियों का चालन दुर्घटनाओं, आंदोलन, बंद, खतरे की जंजीर खींचने और अन्य शरारती तत्वों की गतिविधियों विशेषकर पूर्व रेल (दानापुर मंडल) में कानून एवं व्यवस्था की समस्या, धुंध/खराब मौसम, उपस्करों की खराबी, सिगनल और दूरसंचार की खराबी आदि से प्रभावित होता है।

(घ) गहन अनुसरण और विभिन्न स्तरों पर दैनिक निगरानी सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ निरीक्षकीय और अधिकारिक दोनों स्तरों पर समयपालन अभियान भी शुरू किए जा रहे हैं।

बंजरभूमि

2375. कर्नल सोनाराम चौधरी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार खेती के योग्य बनाई गई बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) बंजर भूमि के विकास से संबंधित कितने प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं और गत दो वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में राजस्थान राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) बंजरभूमि विकास विभाग का कार्य वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि का विकास करना है जिसका लक्ष्य प्राकृतिक कारणों से भूमि की बिगड़ती हुई स्थिति की वजह से हो रहे भूमि के अवक्रमण को रोकना और वनेतर क्षेत्रों में ऐसी बंजरभूमि को बायोमास, विशेषकर जलाऊ लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से उपयोग योग्य बनाना है।

ऐसी भूमि को विकसित करने के पश्चात् भी भूमि की अनुपजाऊ प्रकृति तथा विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण विकसित बंजरभूमि पर कृषि कार्य करने की बजाय चारे वाले पौधों, ईंधन वाले वृक्षों तथा फलदार वृक्षों को लगाने की सलाह दी जाती है। इस तरह से बंजरभूमि विकास विभाग के कार्यक्रमों के द्वारा भूमि को आगे और अवक्रमित होने से रोकने और बंजरभूमि को विकसित करके इसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की बजाय इस पर उपयुक्त बायोमास का उत्पादन करने की अपेक्षा की गई है।

(ख) से (घ) विगत दो वर्षों के दौरान विभाग द्वारा समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत 64 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राजस्थान राज्य सहित राज्यवार स्वीकृत

परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विभाग में विचाराधीन पड़े राज्यवार प्रस्तावों की संख्या विवरण-II में दी गई है। इसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है।

विवरण I

राज्य	जिले का नाम	परियोजना अवधि	कुल लागत (लाख रुपये में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर-1	96-97 से 99-00	323.40	8085
	चित्तूर-2	96-97 से 99-00	331.20	8280
	चित्तूर-4	97-98 से 2000-01	450.00	11250
	मेडक	97-98 से 2000-01	496.48	12412
	निजामाबाद-2	97-98 से 2000-01	500.00	12500
	श्रीकाकुलम	97-98 से 2000-01	500.00	12500
	कुड्डप्पा-2	97-98 से 2000-01	500.00	12500
	उप-योग:		3101.1	77527
अरुणाचल प्रदेश				
	पश्चिम कामेंग	97-98 से 2000-01	60.00	1500
	उप-योग:		60.00	1500
असम				
	कारबी आंगलौंग	97-98 से 2000-01	245.20	6130
	उप-योग:		245.20	6130
गुजरात				
	बेड़ा	96-97 से 99-00	32.48	812
	जूनागढ़	97-98 से 2000-01	480.00	12000
	उप योग:		512.48	12812

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश				
	सौलन-2	97-98 से 2000-01	499.52	12488
	सिरमौर	97-98 से 2000-01	499.00	12500
	उप योग:		998.52	24988
हरियाणा				
	पानीपत	97-98 से 2000-01	478.88	11972
	उप योग:		478.88	11972
जम्मू और कश्मीर				
	ऊधमपुर-2	97-98 से 2000-01	500.00	12500
	उप योग:	500.00	12500	
कर्नाटक				
	मांडया-2	97-98 से 2000-01	500.00	12500
	गुलबर्गा	97-98 से 2000-01	474.00	11847
	चित्रदुर्गा	97-98 से 2000-01	500.00	12500
	बिल्लारी	97-98 से 2000-01	485.60	12140
	उप योग:		1959.6	48987
महाराष्ट्र				
	पारभानी	97-98 से 2000-01	381.60	9540
	उप योग:		381.60	9540
मणिपुर				
	इम्फाल (पश्चिम)	97-98 से 2000-01	267.00	6675
	सेनापति	97-98 से 2000-01	55.72	1393
	सेनापति-2	97-98 से 2000-01	400.00	10000
	उप योग:		722.72	18068

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
	दातिया-2	96-97 से 99-2000	21.28	532
	गूना	97-98 से 2000-01	243.60	6090
	सियोनी	97-98 से 2000-01	280.00	7000
	नरसिंहपुर	97-98 से 2000-01	280.00	7000
	मंदसौर	97-98 से 2000-01	280.00	7000
	गुना-2	97-98 से 2000-01	337.96	8449
	उप योग:		1442.8	36071
नागालैंड				
	चोब्बा	96-97 से 99-2000	480.00	12000
	मोकोंभुंग	97-98 से 2000-01	480.00	12000
	उप योग		960.00	24000
उड़ीसा				
	कोरापुट-3	96-97 से 99-2000	7.29	300
	झासुरगुड़ा	97-98 से 2000-01	288.64	7216
	कालाहांडी-3	97-98 से 2000-01	493.48	12337
	बालांगीर	97-98 से 2000-01	496.00	12400
	कोरापुट-4	97-98 से 2000-01	481.80	12045
	मयूरभंज	97-98 से 2000-01	496.00	12400
	ढेनकनाल-3	97-98 से 2000-01	244.64	6100
	ढेकनाल-2	96-97 से 99-2000	100.60	2515
	उप योग:		2608.4	65313

1	2	3	4	5
पंजाब				
	पटियाला	96-97 से 99-2000	22.00	550
	उप योग:		22.00	550
राजस्थान				
	बूंदी	96-97 से 99-2000	27.30	686
	झुनझुनु	97-98 से 2000-01	168.00	4200
	झालावाड़-2	97-98 से 2000-01	394.24	9856
	उप योग:		589.54	14742
सिक्किम				
	पश्चिम सिक्किम	96-97 से 99-2000	220.00	5500
	पूर्व सिक्किम-3	97-98 से 2000-01	222.76	5669
	उत्तर सिक्किम-2	97-98 से 2000-01	480.00	12000
	उप योग:		922.76	23169
तमिलनाडु				
	कोयम्बटूर	96-97 से 99-2000	19.20	480
	डिंडिगुल	97-98 से 2000-01	200.00	5090
	उप योग:		219.20	5570
उत्तर प्रदेश				
	फिरोजाबाद	96-97 से 99-2000	459.16	11479
	फतेहपुर	96-97 से 99-2000	395.20	9880
	जौनपुर	96-97 से 99-2000	468.72	11718
	वाराणसी	96-97 से 99-2000	385.80	9645
	इटावा	96-97 से 99-2000	406.00	10150

1	2	3	4	5
	भाजमगढ़	96-97 से 99-2000	319.28	7982
	कानपुर (शहर)	96-97 से 99-2000	220.40	5510
	उन्नाव	97-98 से 2000-01	481.64	12041
	टिहरी गढ़वाल	97-98 से 2000-01	484.76	12119
	सोनभद्र	97-98 से 2000-01	404.26	10106
	रायबरेली-2	97-98 से 2000-01	484.00	12100
	उन्नाव-2	97-98 से 2000-01	482.16	12054
	सुलतानपुर	97-98 से 2000-01	481.56	12039
	झांसी-2	97-98 से 2000-01	495.00	12379
	झांसी-3	97-98 से 2000-01	400.00	10000
	आगरा	96-97 99-2000	491.80	12295
	उप योग		6859.7	171497
	कुल		22585	564936

विवरण II

क्र.सं.	राज्य का नाम	विभाग में विचाराधीन पड़ी परियोजनाओं की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	06
2.	असम	02
3.	बिहार	01
4.	गुजरात	06
5.	हिमाचल प्रदेश	02
6.	हरियाणा	01
7.	जम्मू और कश्मीर	01
8.	महाराष्ट्र	17
9.	मणिपुर	03
10.	मध्य प्रदेश	01
11.	उड़ीसा	04
12.	राजस्थान	01
13.	तमिलनाडु	01
14.	उत्तर प्रदेश	15
	कुल:	61

इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम

2376. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन पर इंस्ट्रूमेंटल लैडिंग सिस्टम लगा दिया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं, और

(ग) यह प्रणाली कब तक स्थापित कर दी जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

रायचूर हवाई अड्डा

2377. श्री के. येरनमायडू: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यातायात सुविधाओं में सुधार करने के लिए रायचूर को हैदराबाद से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) विमानकंपनियां भाग-वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अध्यधीन, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों को विमान सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।

इस समय, रायचूर के लिए/वहां से कोई अनुसूचित विमान सेवा नहीं है। रायचूर हवाई अड्डा छोटे विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त है छोटे विमानों के प्रचालकों को वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन, अपने नेटवर्क में रायचूर जैसे और स्टेशनों को शामिल करने के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है।

टाइटेनियम मिश्रधातु की चोरी की जांच

2378. श्री मोहन रावले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई से 1000 कि.ग्रा. टाइटेनियम मिश्र धातु की चोरी होने और जिसे पाकिस्तान निर्यात किये जाने का संदेह है, की जांच पूरा हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इस मामले में जांच का कार्य सी.बी.आई. को सौंप दिया गया है। सी.बी.आई. प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे यह जाँच कार्य शीघ्रता से निपटाएं और अपने निष्कर्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में हीरे की खानें

2379. श्री दादा बाबूराव परांजपे: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की फोटो भूगर्भ विज्ञान शाखा तथा खान निदेशालय ने वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश में हीरा क्षेत्र की पहचान कर वहां कोई अध्ययन तथा विश्लेषण कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और खान और भू-विज्ञान निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में हीरे के लिए प्रत्याशित किम्बरलाइट पाइपों का पता लगाने के लिए फोटो भूवैज्ञानिक अध्ययनों के साथ-साथ भू-सर्वेक्षण भी किए हैं।

(ख) इन अध्ययनों से असंगत क्षेत्रों का पता लगाया जाना है जिनके लिए और अधिक भू-भौतिकी और भू-रसायनिक इंपुट और वेधन अपेक्षित है ताकि किम्बरलाइट पाइपों का पता लगाया जा सके।

पटना से एयर इंडिया की उड़ान

2380. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से विशेषकर पटना (बिहार) से किन-किन देशों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें हैं;

(ख) क्या सरकार का पटना अथवा पटना होते हुए यूरोप तथा अन्य देशों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) एअर इंडिया पटना के लिए/वहां से कोई उड़ान प्रचालित नहीं करती।

(ख) से (घ) पटना के लिए/वहां से एअर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के लिए/से अंतरराष्ट्रीय यातायात के वर्तमान परिमाण से निपटने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। राष्ट्रीय वाहकों को अन्य हवाई अड्डों से सीमा-शुल्क और आव्रजन सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त के आधार पर सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति भी दी जाती है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया विमान चालकों के वेतन

2381. श्री नरेश पुगलीया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के प्रबंधन ने मंत्रालय से परामर्श किए बिना विमानचालकों के वेतन बढ़ा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानचालकों द्वारा मांगे गये कुछ भत्ते विश्व की किसी भी एयरलाइन द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें ऐसे भत्ते दिए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) एअर इंडिया प्रबंधन ने 3 जनवरी, 1998 को भारतीय विमानचालक गिल्ड (आई.पी.जी.) के साथ एक वेतन सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके फलस्वरूप विमानचालकों के वेतन में वृद्धि हुई। अन्य वेतन करारों की ही तरह, आई.पी.जी. के साथ हुआ वेतन करार भी कार्योत्तर अनुमोदनार्थ एअर इंडिया के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

(ग) और (घ) कर्मचारियों को दिया गया वेतन पैकेज अलग-अलग विमान-कंपनियों में अलग-अलग है। एअर इंडिया ने "शार्टफाल एलाउंस" नामक एक विशिष्ट भत्ता जिसका भुगतान सितम्बर, 1994 में आई.पी.जी. के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसरण में किया जा रहा है। यह भत्ता उस वरिष्ठ विमानचालक को दिया जाता है यदि उसका कनिष्ठ किसी विशेष माह में उससे अधिक उड़ानें भरता है। एअर इंडिया प्रबंधन ने आई.पी.जी. के साथ अपनी समझौते की बात-चीत के दौरान इस भत्ते को वापस लेने का प्रयास किया किन्तु सफल नहीं हुआ।

कापार्ट के लिए स्वीकृत धनराशि

2382. श्री तथागत सत्पथी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का राज्य-वार और योजनावार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कपार्ट को स्वीकृत निधियां कपार्ट द्वारा स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती है। इसी प्रकार निधियों का राज्यवार आबंटन/रिलीज नहीं होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान कपार्ट को स्वीकृत निधियों का योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	योजना	स्वीकृत राशि (रुपए करोड़ में)
1.	ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन	13.90
2.	लाभार्थियों का संगठन	4.88
3.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी का उन्नयन	25.00
4.	त्वरित ग्रामीण जलआपूर्ति कार्यक्रम	20.00
5.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	14.70
6.	जवाहर रोजगार योजना	15.50
7.	इंदिरा आवास योजना	36.11
8.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1.50
9.	ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम	4.75
10.	पंचायती राज कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण	0.50
11.	दस लाख कुओं की योजना	0.50
12.	गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.25
13.	वाटरशेड विकास	12.50
	कुल	151.09

मदुरई हवाई अड्डे का विस्तार

2383. **श्री वैको:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदुरई हवाई अड्डे पर रनवे और भवन के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ए बी-320 किस्म के विमानों के प्रचालन हेतु धावनपथ को 6000 फुट से 7500 फुट तक बढ़ाने की योजनाएं हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 60 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना है। बेहतर सुख-सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से मौजूदा टर्मिनल भवन के विस्तार तथा परिवर्धन करने का भी प्रस्ताव है। यह परियोजना योजना स्तर पर है और इसको 9वीं योजना अवधि के दौरान पूरा होने की प्रत्याशा है।

एकक की स्थापना

2384. **श्री रामपाल उपाध्याय:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रामपुरा अंगुजा में खनन परियोजनाओं से उपलब्ध धातुओं को परिशोधित करने के लिए दूसरा एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस एकक को स्थापित करने हेतु किसी स्थान की पहचान कर ली गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उक्त एकक स्थापित करने के लिए अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजैडएल) द्वारा एक नए जस्ता प्रगालक के लिए प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में आमान परिवर्तन

2385. **श्री रंजीब बिस्वाल:**
श्री महबूब जहेदी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ संकरी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने से संबंधित प्रस्ताव बहुत समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार एवं जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संकरी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मालगाड़ी में आग लगने की घटना

2386. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 11 अप्रैल, 1998 को सिराथु रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इनके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो जांच समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, 10.4.98 को सिराथू के निकट एक माल गाड़ी के डब्ल्यू.ए.जी.-4 किस्म के बिजली इंजन सं. 21049 में आग लग गई थी। बिजली इंजन में उपलब्ध अग्निशमनों की सहायता से

इंजन कर्मचारियों ने इंजन में लगी आग पर काबू कर लिया था और अंततः अग्नि शमन दल की सहायता से आग को बुझाया गया था।

(ग) से (ङ) जी हां। समितियों के निष्कर्षों से सिद्ध होता है कि इंजन ट्रांसफार्मर की वाइन्डिंग में प्रारंभिक दोष के कारण आग लगी थी। ऐसे प्रारंभिक दोषों का पता लगाने और समय पर वांछनीय मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफार्मरों की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए पहले ही उपाय किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

2387. श्री अनिल बसु:
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 13 मई, 1998 को आयोजित राज्यों के ग्रामीण विकास, मंत्रियों की बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज और ग्रामीण आवास के मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) और (ख) जी हां। राज्यों के ग्रामीण विकास, पंचायती राज और ग्रामीण आवास मंत्रियों का एक सम्मेलन निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा करने के लिए 13 मई, 1998 को आयोजित किया गया था:

(1) स्वरोजगार कार्यक्रमों का पुनर्गठन

(2) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करना

(3) जवाहर रोजगार योजना-संशोधन

(4) सुनिश्चित रोजगार योजना को तर्कसंगत बनाना

(5) ग्रामीण आवास-इन्दिरा आवास योजना से आगे

(6) मरुभूमि विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में प्रस्तावित संशोधन

(7) एकीकृत बंजरभूमि विकास परियोजना का कार्यान्वयन-समस्याएं

(8) ग्राम पंचायतें-ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और अधिकार

(9) पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना।

(10) 1996 के अधिनियम 40 के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, और

(11) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता।

(ग) बैठक में किए गए निर्णयों का प्रारूप बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों की पुष्टि के लिए उन्हें भेज दिया गया है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की जा रही है। सरकार लिए गए सभी निर्णयों पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

अजमेर में हवाई-अड्डे का निर्माण

2388. डा. प्रभा ठाकुर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अजमेर (राजस्थान) में हवाई-अड्डे के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अजमेर के सरधना गांव में हवाई पट्टी के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस वर्ष अजमेर में 786वां उर्स शरीफ के मौके पर लाखों तीर्थयात्रियों के भाग लेने की संभावना के मद्देनजर वहां हवाई-अड्डा बनाना अति उचित नहीं होगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा विचारित कार्यक्रम संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ङ) राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अजमेर-बेवार सड़क पर अजमेर नगर के दक्षिण-पश्चिम में 20 कि.मी. की दूरी पर सरधना गांव के समीप एक निर्माण स्थल की पहचान की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यह स्थल उपयुक्त पाया गया था। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्ययन दल ने बतलाया कि परियोजना वित्तीय पैरामीटरों के अनुसार व्यवहार्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुमत्त सामान्य नीति के अधीन यथा अपेक्षित भूमि की मुफ्त व्यवस्था करने और केन्द्र सरकार द्वारा बजटीय

सहायता मुहैया करने की वचनबद्धता के अभाव में, अभी तक अजमेर में हवाईअड्डे के निर्माण के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अत: इस समय कोई भी निश्चित समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम रेल मार्ग का विद्युतीकरण

2389. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम रेल मार्ग का विद्युतीकरण वर्तमान में जिस चरण में है; और

(ख) देरी के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) तिरुवनंतरपुरम-एर्णाकुलम खंड का विद्युतीकरण अभी स्वीकृत कार्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों के सरकारी नामों का उल्लेख किया जाना

2390. **श्रीमती कृष्णा बोस:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी और घरेलू विमान कंपनियां किसी विशिष्ट हवाई अड्डे उदाहरणार्थ दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा और कलकत्ता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय या उतरते समय हवाई अड्डों के समुचित नामों का उल्लेख नहीं करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों के स्वामित्व वाले और निजी विमान कंपनियों को हवाई अड्डे के सरकारी नाम के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) उड़ान भरते अथवा विमान के उतरते समय हवाई अड्डे के नाम की घोषणा यात्री सुविधा की दृष्टि से की जाती है। सभी एयरलाइन प्रचालकों द्वारा इन उद्घोषणाओं में हवाई अड्डों के नामों का पूर्ण और सुचारू ढंग से घोषित किया जाना अपेक्षित होता है। नागर विमानन महानिदेशालय को सभी अंतर्देशीय/अन्तरराष्ट्रीय प्रचालकों को सलाहकार के माध्यम से इस अपेक्षा को दोहराने के निर्देश दिए गए हैं।

इंडियन एयरलाइंस के टिकट एजेन्ट

2391. **श्री मोहन सिंह:**
प्रो. अजित कुमार मेहता:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंडियन एयरलाइंस के अनेक टिकट एजेन्टों पर एयरलाइंस की बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन एजेंसियों पर अनुमानित कितनी राशि बकाया है; और

(ग) समय पर बकाया राशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस को विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अपने चूककर्ता एजेंटों से लगभग 2.23 करोड़ रुपए वसूल करने होंगे।

(ग) कानूनी नोटिस जारी करना, कानूनी मुकदमें दायर करना, आयटा एजेंटों के संबंध में आयटा एजेंटी प्रशासन को अभिदेशन, आदि जैसी समय के अनुसार वसूली संबंधी कार्रवाई शुरू की जा रही हैं। देय राशियों की वसूली न होने का प्रमुख कारण दुर्वहनीय व कानूनी कार्यवाहियों में निहित अत्यधिक समय लेने की प्रक्रिया है।

विवरण

क्र.सं.	अभिकर्ताओं के नाम	रकम (लाख रुपयों में)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1.	आर.के. ट्रैवल्स	4.31
2.	ट्रेवेल मार्ट	5.55
3.	मैक ट्रैवेल्स	7.75
4.	राजदान ट्रैवेल्स	21.94
5.	शाह ट्रैवेल्स	21.53

1	2	3	
6.	ए.एस. ट्रैवेल्स	4.71	
7.	ग्लोब ट्रैवेल्स	1.27	
8.	पूनम एयरक्राफ्ट	2.71	
9.	ओम साई ट्रैवेल्स	1.27	
10.	कबीर ट्रैवेल्स	1.65	
11.	कम्बाइन्ड ट्रैवल्स	2.99	
12.	वीन्फील्ड ट्रैवेल्स	43.17	
13.	आर.आर. ट्रैवल्स	4.87	
14.	जी.के. ट्रैवेल्स	4.36	
15.	क्विक ट्रैवेल्स	13.11	
16.	कुनाल ट्रैवेल्स	2.72	
17.	ब्लूवर्ड ट्रैवेल्स	0.79	144.70
पश्चिमी क्षेत्र			
18.	सीनियर ट्रैवेल्स	0.65	
19.	प्रकाश ट्रैवेल्स	0.12	
20.	श्री गजानन	0.05	
21.	दी डेट ट्रैवेल्स	0.31	
22.	डीन ट्रैवेल्स	0.72	
23.	राजालक्ष्मी ट्रैवेल्स	0.98	
24.	लीडर ट्रैवेल्स	2.10	
25.	वेस्टर्न ट्रैवेल्स	1.76	6.69
पूर्वी क्षेत्र			
26.	ऐक्सको ट्रैवेल्स, अगरतला	5.03	
27.	गणेश ट्रैवेल्स, अगरतला	5.67	
28.	पटलस ट्रैवेल्स, ढाका	3.91	
29.	यूरेका ट्रैवेल्स सिविल, राउरकेला	0.30	
30.	महावीर ट्रेडिंग कं. कूचवेहर	0.07	
31.	हाबोकीय, ट्रैवेल्स, इम्फाल	1.13	
32.	सफारी इंडिया, रांची	3.72	19.83
दक्षिणी क्षेत्र			
33.	पैनोरमा ट्रैवेल्स, विजाग	1.99	
34.	ट्रैवेल प्वाइंट, हैदराबाद	9.51	
35.	सागर ट्रैवेल्स, चेन्नई	30.03	
36.	यूनाइटेड टुअर्स एण्ड ट्रैवेल्स, कालीकट	9.11	
37.	लवण्स टूर्स एण्ड ट्रैवेल्स, कालीकट	0.90	51.54
			222.76

[हिन्दी]

खोज और सर्वेक्षण संबंधी कार्य

2392. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन स्थानों पर खोज और सर्वेक्षण संबंधी कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) अनेक खनिजों के लिए गवेषण/सर्वेक्षण कार्य किया

जा रहा है। नए स्थानों का ब्यौरा और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) द्वारा प्राप्त उपलब्धियां क्रमशः विवरण I और II में दी गई है।

विवरण I

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

स्वर्ण

कर्नाटक

1. चिन्मुल्गुन्ड, धारवाड़ जिला-4.38 ग्रा./टन स्वर्ण अयस्क युक्त 0.847 मी. टन स्वर्ण अयस्क

2. नगावी, जिला धारवाड़-2.01 ग्रा./टन स्वर्ण युक्त 0.65 मी. टन स्वर्ण अयस्क.

राजस्थान

1. आनंदपुरी-भुकिया, जिला बंसवाड़ा-1.7 पीपीएम से 3 पीपीएम तक स्वर्ण युक्त 2.74 मी. टन स्वर्ण अयस्क

मध्य प्रदेश

1. गुरहरपहाड़ पश्चिम, जिला सीधी-1.26 ग्रा./टन स्वर्ण युक्त 2.12 मी. टन स्वर्ण अयस्क

महाराष्ट्र

1. परसौडी पश्चिम ब्लाक, जिला नागपुर-1.69 टन स्वर्ण धातु युक्त 0.54 ग्राम/टन औसत ग्रेड-1.01 मी. टन स्वर्ण अयस्क

2. किटारी ब्लाक, जिला नागपुर-0.288 टन स्वर्ण धातु युक्त 0.11 मी. टन स्वर्ण अयस्क

हीरा

मध्य प्रदेश

तीन किम्बरलाइट निकाय जोकि हीरे की स्रोत चट्टानें हैं, बस्तर जिले में डुंगनपाल, बेजरीपडार और पाराकोट में पाई गई है तथा टोकापाल में अल्ट्रामाफिक बॉडी किम्बरलाइट के रूप में पाई गई थी।

कर्नाटक

जिला गुलबर्गा में 6 किम्बरलाइट पाइप्स अभिज्ञात की गई।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में 14 किम्बरलाइट बोडीज पाई गई थी। इनमें से 2 किम्बरलाइट बोडीज में माइक्रोडायमण्ड पाये गए थे। हीरे के लिए आगे की प्रक्रिया का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

मोलीबडनम

तमिलनाडु

वेलमपट्टी दक्षिण ब्लाक में 3 और 4 स्तर पर किए गए गवेषण कार्य से यह पता चला है कि 0.03% एम.ओ. कट ऑफ पर भण्डार की मात्रा 2.6 मी. टन का 0.116%।

प्लेटिनम धातु समूह

उड़ीसा

बोउला-नौशाही क्षेत्र में अभी तक 2 ग्राम/टन (पीटी+पीडी+एयू) औसत ग्रेड युक्त लगभग 6 एम.टी. भण्डार होने का अनुमान है। भारत में यह एकमात्र प्लेटिनियम अभिज्ञात पूर्वेक्षण स्थल है।

बेसमैटल अयस्क

उत्तर प्रदेश

अमटियागढ़, जिला देहरादून : 6.63% सीसा और जस्ता युक्त 1.45 मिलियन टन अयस्क के भण्डार होने की संभावना है।

महाराष्ट्र

गरारा ब्लाक, जिला भण्डारा: 1.2% तांबा युक्त 0.7 मी. टन मैगनीज़-अयस्क

मध्य प्रदेश

उकवा (मोइल लीजहोल्ड के बाहर), जिला बालाघाट 2.17 मी. टन

उड़ीसा

जिला बोलंगीर : 0.89 एम. टी. (25% मैगनीज़)

जिला सुन्दरगढ़ : 0.40 मी. टी. (23.43% मैगनीज़)

चूनापत्थर

मेघालय

जंतिया हिल्स : 1166 एम.टी. (फ्लक्स एण्ड कैमिकल्स)

डोलोमाइट

अरुणाचल प्रदेश

पूर्वी और पश्चिमी स्टंग जिला : 30.5 मी. टन

क्ले

केरल

कोल्लाम, कसाडगढ़ और तिरुवानंथापुरम जिला : 2000 एम.टी.

जिला कन्नूर : 110 एम. टी.

डाइमेंशन स्टोन

बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल-18,700 मिलियन क्यूबिक मीटर

कोयला

बिहार

चंदहुर-गोविनपानी, जिला डुमका-28.50 मी. टन

उड़ीसा

बुधझोरिया, जिला सुन्दरगढ़-86.63 एम.टी.

मध्य प्रदेश

कन्टे और सुरसा (जिला सरगुजा), पुसाल्दा और ओंगना पोटिया (जिला रायगढ़) और करकोमा (जिला बिलासपुर)-271.06 मी. टन

विवरण-II

खनिज	राज्य	क्षेत्र	1995-98 के दौरान अभिज्ञात भण्डार (एमटी)
1	2	3	4
कोयला	महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	131.40
		एमओआईएल	69.60
	मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	78.98
		एसईसीएल	316.45
	बिहार	बीसीसीएल	521.02
	सीसीएल		765.26 कोकिंग
			3,975.65 नॉन-कोकिंग
	पश्चिम बंगाल	ईसीएल	533.32
	आन्ध्र प्रदेश	एससीसीएल	1,112.76
	असम	एनईसी	36.19
	अरुणाचल प्रदेश	एनईसी	29.07
	उड़ीसा	एमओएफ	4,103.79

1	2	3	4
लिग्नाइट	तमिलनाडु	नेयवेली	356.12
		मन्नारगुडी	17,696.83
		कराईकुडी	प्रगति पर
	राजस्थान	बारमेर	151.67
		बीकानेर	एन ई.
		बआप	प्रगति पर
	गुजरात	भावनगर	66.02
		मंडवी	एन.ई.
		सूरत	8.09
		मंगरोल/वालिया	291.91
तांबा	बिहार	सुरदा	19.23
		पथारगोड़ा	9.65
	राजस्थान	सिंघाना	17.16
		खेतड़ी माइन्स I	22.45
	कर्नाटक	कल्लूर	6.44
भीमा	राजस्थान	कथार	एन.ई.
जस्ता		कयार	10.14
स्वर्ण	कर्नाटक	चिमुलगुंड	प्रगति पर
		क्राउन पिल्लर/केजीएफ	एन.ई.
		गडाग/उटी	5.61
बॉक्साइट	बिहार	अमतिपानी	प्रगति पर
फास्फोराइट	मध्य प्रदेश	झबुआ	10.33
	राजस्थान	कानपुर	एन.ई.
लौह-अयस्क	कर्नाटक	कुद्रेमुख	214.76
		होजपेट	3.73
लाइम-स्टोन	मध्य प्रदेश	सतना	एन.ई.
	आंध्र प्रदेश	कोलीगुंडला	452.57
एलीमीनाइट	मेघालय	सोनापुर	0.0058

1	2	3	4
कोलबेड मेथेन	बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सात कोयला क्षेत्र	बिहार, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश	471 बिलियन
-वही-	पश्चिम बंगाल	सूरज नगर, वर्धमान जिला परोदिया, बंकुरा	सीबी की शक्यता विद्यमान थी।

एन.ई.-अनुमान नहीं लगाया गया है।

[अनुवाद]

अनधिकृत दुकानों का निर्माण

2393. श्री एस.एस. ओवेसी: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मीर दर्द सड़क, गांधी मार्केट नई दिल्ली के आसपास सरकारी भूमि पर अनधिकृत दुकानों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग द्वारा बनाए गए शौचालय के समीप के क्षेत्र में करीब 10-12 छोटी-मोटी दुकानें हैं। कालोनी के नक्शे की योजना के मुताबिक यह क्षेत्र पार्क के लिए निर्दिष्ट है।

(ग) दिल्ली नगर निगम से अतिक्रमण को हटाए जाने और इस क्षेत्र का पार्क के रूप में विकास करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

लोहारदग्गा-कोरबा रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

2394. श्री इन्द्र नाथ भगत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान लोहारदग्गा से कोरबा बरास्ता गुमला-जसपुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने संबंधी *प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी और इस संबंध में सर्वेक्षण भी* किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार का कब तक उपरोक्त रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ताकि इस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में रेल सुविधा उपलब्ध करवायी जा सके;

(ग) क्या बिहार में लोहारदग्गा और तोरी के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए 8 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त राशि हाजीपुर के लिए अंतरित कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त राशि के अंतरण के पीछे क्या कारण हैं; और

(च) उपरोक्त रेल लाइन बिछाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं। बहरहाल कोरबा से लोहारदगा तक नई लाइन के लिए एक यातायात सर्वेक्षण पहले 1975-76 में दिया गया था।

(ख) एक अद्यतन सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद आगे विचार किया जाना संभव होगा।

(ग) तोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारदग्गा के आमान परिवर्तन हेतु 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था 1997-98 के बजट में की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) लोहारदगा-तोरी के बीच नई रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तोरी-लोहारदगा आमान परिवर्तन के लिए प्रारंभिक कार्य, नक्शे तैयार करने, निविदा संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्य को तेज करने के लिए चालू वर्ष में बजट में 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986

2395. श्री के.एस. राव: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्तमान दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन विधेयक के कब तक लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) दिल्ली अपार्टमेन्ट स्वामित्व पर सरकार का नया कानून बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 को दिनांक 23.12.86 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। तथापि, कुछ कमियों जैसे किसी दाण्डिक प्रावधान का न होना, सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति संबंधी कठिनाइयों और कुछ अन्य कमियों के कारण अधिनियम को लागू नहीं किया जा सका। पूर्ववर्ती अधिनियम की कमियों को दूर करने और इसकी विषय-वस्तु में व्यापक परिवर्तन करने के लिए दिल्ली अपार्टमेन्ट स्वामित्व संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संसद के चालू बजट सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोलीबारी

2396. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के चुनावों के दौरान पाकिस्तानी सेनाओं ने जम्मू-कश्मीर सीमा क्षेत्र में गोलीबारी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गोलीबारी से राज्य के चुनावों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा;

(घ) उसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल के दस्तों को कुल कितनी हानि हुई; और

(ङ) इस गोलीबारी के दौरान हुई अन्य हानियों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अकारण गोलीबारी करना आम बात है। इस गोलीबारी से राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(घ) और (ङ) सीमा सुरक्षा बल का एक सब-इंस्पेक्टर तथा एक कांस्टेबल जख्मी हुआ था। किसी अन्य नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

शहरी अवसंरचनात्मक विकास योजनाओं हेतु समझौता ज्ञापन

2397. श्री आर. साम्बासिवा राव: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने शहरी अवसंरचनात्मक विकास योजनाओं के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगले दो वर्षों के दौरान देश में कमजोर वर्गों को मकान मुहैया कराने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने वर्ष 1998-99 के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर 30 अप्रैल, 1998 को हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में आवास और नगर अवस्थापना स्कीमों के लिए क्रमश: 1500 करोड़ रुपए और 1200 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृतियों के बजट अनुमान की व्यवस्था है। समझौता ज्ञापन की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। शासन के लिए राष्ट्रीय एजेन्डा में कमजोर वर्ग के लिए प्रत्येक वर्ष 2 मिलियन रिहायशी मकान बनाने की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय एजेन्डा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजनायें में शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 7 लाख मकान और बनाने की बात सोची गई है। इस कार्य को करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 4000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें से 70% राशियां वित्तीय संस्थानों से मिलने की आशा है जिसमें से एक तिहाई हडको से तथा शेष अन्य आवास वित्त कंपनियों से मिलेगी। राज्य सरकार निजी, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सम्भावना है।

विवरण

आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड और शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन

1. **मिशन और उद्देश्य**

मिशन

राष्ट्रीय आवास नीति के अनुरूप आवास और नगर विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रौद्यो-वित्तीय सहायता के द्वारा इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना।

उद्देश्य

1. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए खरीद, मरम्मत और परिवर्द्धन सहित भूमि अर्जन, विकास और आवास निर्माण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराना।

2. जल आपूर्ति, स्वच्छता, कचरा प्रबंध, जल निकासी, परिवहन तथा अन्य व्यापारिक तथा सामाजिक अवस्थापना परियोजनाओं को धनराशि देना।

3. गतिशील बाजार में कुशल तरीके से संसाधन जुटाव को व्यापक बनाना ताकि साधनों के लिए सरकार पर निर्भरता क्रमिक रूप से कम हो और बाजार में साधनों की पूर्ति हो जाए।

4. नूतन और लागत प्रभावी भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी वाली परियोजनाओं और कृषि तथा औद्योगिक कचरे का उपयोग करने वाली परियोजनाओं को धनराशि और सहायता देना। इसमें निर्मित केन्द्रों की स्थापना भी सम्मिलित है।

5. आवास और नगर अवस्थापना क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना और कुशल परामर्श देना विशेषकर, लागत प्रभावी और किफायती आवास निर्माण में।

6. अभिकल्प और विकास, टाउनशिप आयोजन, शहरी अवस्थापना आयोजना और अभिकल्प, मानव बसावों का प्रबंध और संबंधित वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में हडको की परामर्शदात्री सेवाओं को बढ़ाना।

7. केन्द्र सरकार की कार्य योजना स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता देना।

8. प्रशिक्षण कार्यनीति विकसित करना और व्यापक प्रशिक्षण देना तथा मानव बसाव प्रबंधन संस्थान की मदद से मानव बसाव प्रबंध क्षेत्र में कार्यतंत्र विकसित करना।

9. वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं में नूतन भवन सामग्रियों और ऊर्जा बचाने वाली/या पर्यावरण मूलक तकनीकों को प्रोत्साहित करना।

10. देश में विपदा रोधी भवन सामग्रियों और निर्माण तकनीकों को प्रोत्साहित करना। मद सं. 4, 9 में बताए गए उद्देश्य और इस मद को निर्मित केन्द्रों द्वारा भी बढ़ाया जाएगा।

11. परियोजना मूल्यांकन, स्वीकृति जारी करना और मानीटरिंग प्रणाली को व्यावसायिक बनाना और व्यापारिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप कार्यप्रणाली विकसित करना।

II. हडको के लिए निष्पादन मूल्यांकन मानदण्ड (1998-99)

निष्पादन मानदण्ड	यूनिट	भार	लक्ष्य					1998-99	1997-98	
			1	2	3	4	5	बीई पीएसई	बीई (पीएसी)	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ससाधन जुटाव	करोड़ रु.	4	2050	1950	1900	1850	1800	1950	1350	2650.27
2. ऋण स्वीकृतियां										
(क) आवास*	करोड़ रु.	6	1600	1500	1450	1400	1350	1500	1385	1772.01
(ख) शहरी अवस्थापना	करोड़ रु.	4	1300	1200	1150	1100	1050	1200	930	1289.50
3. जारी ऋण										
(क) आवास	करोड़ रु.	6	1300	1250	1225	1200	1175	1250	1170	1325.80
(ख) शहरी अवस्थापना	करोड़ रु.	4	990	940	915	890	865	940	790	811.00
4. प्राथमिकता आवास क्षेत्र										
(क) इडब्ल्यूएस/एलआईजी ऋण स्वी.	करोड़ रु.	4	800	750	725	700	675	750	693	833.60
(ख) " " जारी ऋण	करोड़ रु.	4	620	600	590	580	570	600	585	605.00
(ग) " " यूनिटों की स्वी. कुल यू. का%		2	90	88	87	86	85	88	88	95.04
5. वसूली	प्रतिशत	4	95	93	92	91	90	93	92.5	94.34
6. सकल मार्जिन	करोड़ रु.	20	100	80	70	60	50	80	80	91.52
7. कर/लगाई गई **पूंजी के बाद लाभ	प्रतिशत	30	0.95	0.80	0.70	0.60	0.50	0.80	0.80	0.91
8. प्रति कर्मचारी आय** (कर पूर्व लाभ)	लाख रु.	5	11.3	10.2	9.5	9.0	8.5	10.2	10.2	10.1
9. प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास										
(क) एचएसएमआई में प्रशिक्षण	प्रशिक्षणार्थी सं.	1	1700	1600	1550	1500	1450	1600	500	2124
(ख) निर्मित केन्द्र स्थापित करना	केन्द्रों की सं.	2	90	80	75	70	65	80	70	81
(ग) निर्मित केन्द्रों की प्रगति	पूरी तरह कार्य सं.	1	400	350	325	300	275	350	240	303
10. 1999-2000 के लिए समझौता ज्ञापन समय पर प्रस्तुत करना		1	8 दिस. 1998	15 दिस. 1998	22 दिस. 1998	29 दिस. 1998	5 जन. 1999			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. तदर्थ आंकड़ा आधार पर 1997-98 के लिए समेकित स्कोर समय पर प्रस्तुत करना		1	30 अप. 1998 से पहले	2 मई 1998	4 मई 1998	6 मई 1998	8 मई 1998		30.4.98 तक करने की संभावना	
12. 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन पर समय से हस्ताक्षर करना		1	30 अप. 1998	2 मई 1998	4 मई 1998	6 मई 1998	6 मई 1998		30.4.98 के बाद तक करने की संभावना	

* इसमें भूमि अर्जन और विकास स्कीम और केन्द्र सरकार की कार्य योजना में अंतर्गत स्कीमें सम्मिलित होंगी। कार्य योजना स्कीमें सरकार द्वारा उपलब्ध अपेक्षित सब्सिडियों के आधार पर स्वीकृत होंगी।

** निर्माण आय के प्रभाव को छोड़कर।

III. शक्तियों का प्रत्यायोजन

खुली अर्थव्यवस्था होने से तथा और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने से यह आवश्यक है कि सरकार इसकी समीक्षा करेगी और हडको को पूरी कार्यात्मक स्वायत्ता प्रदान करेगी ताकि यह प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की चुनौतियों का सामना कर सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशों (का.ज्ञा.सं. डीपीई-1(28)/88-एफआईएन (मीपीयू) दिनांक 19.10.88) के अनुरूप योग्यता प्राप्त व्यावसायियों को कार्य में बनाए रखने और आकर्षित करने के लिए मजदूरी संशोधन और अन्य प्रोत्साहनों कल्याणकारी उपायों को अंतिम रूप देने के लिए हडको को प्राधिकृत करना।

2. डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभारी मंत्री के पूर्ण अनुमोदन से सचिव (शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) से परामर्श करके कार्यरत निदेशकों के कार्य में परिवर्तन करने का हडको को अधिकार होगा।

3. हडको की बढ़ी हुई बाजारोन्मुखता और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हडको सभी श्रेणियों के लिए ऋण देने की शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों और भारत सरकार की कार्य योजना स्कीमें राष्ट्रीय नीति के तहत ही चलेंगी।

4. अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, हडको को शक्तियों के प्रत्यायोजन की प्रत्येक वर्ष बोर्ड समीक्षा करेगा ताकि सुचारू कार्यचालन, जवाबदेही का स्पष्ट निर्धारण और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

IV. सरकार से सहायता

स्वयं सरकार भी हर संभव उपाय करेगी ताकि हडको प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और न केवल राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करे बल्कि अपने व्यापारिक लक्ष्यों को भी हासिल कर सके। हडको का पर्याप्त कार्यात्मक स्वतंत्रता दी गई है। तथापि सरकार प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पैरामीटरों की भीतर प्राधिकार प्रत्यायोजन की नियमित समीक्षा करेगी।

सरकार निम्नलिखित सहायता मुहैया कराएगी:-

1. विकास दर बनाए रखने की दृष्टि से बजट प्रावधानों के अनुसार हडको को इक्विटी जारी करना।

2. बजट प्रावधानों और सरकार की नीति के अनुरूप बाजार से कर मुक्त/कर योग्य बाण्डों और डिबेंचरों के रूप में संसाधन जुटाने की हडको की अनुमति देना।

3. इसी प्रकार सरकारी अनुमोदन के अध्यधीन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जीवन बीमा निगम और भविष्य निधि से ऋण लेने के लिए हडको को सरकार अनुमति देगी।

4. सरकार की नीति के अनुरूप सरकार हडको को द्विपक्षीय/बहुपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंन्सियों से सहायता जुटाने में सहायता करेगी।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. फ्लैटों का बिना बारी आबंटन

2398. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान डी.डी.ए. द्वारा बनाये गये ऐसे फ्लैटों का ब्यौरा क्या है, जिनका बिना बारी के आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में कोई जांच करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 524 फ्लैट बिना बारी आधार पर आबंटित किए गए, जिनका क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है:

1993	127
1994	53
1995	19
1996	1
1997	324

(ख) और (ग) फ्लैटों का बिना-बारी आबंटन, दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन को विनियमित करने बाबत सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अत: इस संबंध में कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

2399. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने लुधियाना में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाए जाने की मांग करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) लुधियाना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लुधियाना हवाई अड्डे को एक अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बदलने के बारे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किये गये व्यवहार्यता अध्ययन से पता चलता है कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं हैं।

[अनुवाद]

जम्मू और जालंधर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

2400 श्री जमनलाल गुप्त: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997 के दौरान जम्मू और जालंधर के बीच दोहरी रेल लाइन के निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई और इसमें से कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) दोहरीकरण के कार्य में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) परियोजना को बजट में पहले ही शामिल कर लिया गया है, लेकिन अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। इस संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

मैट्रो रेल परियोजना के तहत दिल्ली में रेल पथ का विस्तार

2401. श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री विजय गोयल:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैट्रो रेल परियोजना के तहत दिल्ली में एवं इसके आस-पास रेल पथ के विस्तार की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) परियोजना को कब आरंभ और पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) प्रस्तावित दिल्ली द्रुतगामी परिवहन प्रणाली मौजूदा रेलवे नेटवर्क का विस्तार नहीं है। केन्द्र सरकार ने

17 सितम्बर, 1996 को दिल्ली द्रुतगामी परिवहन प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु निवेश अनुमोदन को स्वीकृति दे दी थी। इस प्रणाली में 55.3 कि.मी. लम्बे रेल मार्ग का प्रस्ताव है, जिसमें 11.0 कि.मी. भूमिगत तथा 44.3 कि.मी. ऊपर/भूतल रेल गलियारा शामिल है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत (अप्रैल, 1996 की कीमतों पर) 4860 करोड़ रु. है। प्रस्तावनुसार परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था, भारत सरकार व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की बजटीय व्यवस्था (परियोजना की लागत का 30%) ओ.ई.सी.एफ. (जापान) से नरम शर्तों पर ऋण सहायता (कुल परियोजना लागत का 56%), सम्पत्ति विकास (परियोजना की लागत का 8%) और अनुषंगी ऋण (कुल परियोजना लागत का 6%) के माध्यम से की जानी है। दिल्ली द्रुतगामी परिवहन प्रणाली की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) लि. नामक कम्पनी भारत सरकार व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार दिल्ली के बीच 50 : 50 की समान भागीदारी से स्थापित की गई है।

डी.एम.आर.सी. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने निम्नानुसार निधियां जारी की हैं:-

- डी.एम.आर.सी. लि. को इक्विटी हेतु 102.8 करोड़ रु.।
- परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 50 करोड़ रु.।
- तत्काल सहायता हेतु 20 करोड़ रु.।

परियोजना संबंधी आरम्भिक कार्य पहले ही आरम्भ हो गया है और मार्च, 2005 तक परियोजना पूर्ण हो जाने का कार्यक्रम है।

एयर इंडिया बेड़ा विस्तार योजना

2402. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री विजय गोयल:
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया के बेड़ा विस्तार योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितने और किस किस्म के विमान खरीदे जाएंगे और प्रत्येक विमान की कुल लागत कितनी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) विमानकंपनी द्वारा विमान-बेड़े का विस्तार/नवीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यह विमानकंपनी के संसाधनों, यातायात संबंधी आवश्यकताओं, विमान किस्म की उपयुक्तता, विभिन्न सेक्टरों/मार्गों पर प्रचालनों की व्यवहार्यता, आदि पर निर्भर करता है।

उन्नत किस्म की टूल किट की आपूर्ति

2403. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री अशोक नामदेव राव मोहोल:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार, अब तक कितने जिलों में केन्द्र प्रायोजित योजना-"ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म की टूल किट की आपूर्ति" लागू की गयी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस योजना के अंतर्गत 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा; और

(ग) देश के सभी जिलों में इस योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना के अंतर्गत शामिल जिलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) योजना को 1995-96 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों वाले सभी जिलों में लागू किया गया है। राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किसी विशेष जिले में योजना के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय ले सकती है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	22
2.	अरूणाचल प्रदेश	13
3.	असम	23

1	2	3
4.	बिहार	55
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	19
7.	हरियाणा	17
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू व कश्मीर	10
10.	कर्नाटक	20
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश	45
13.	महाराष्ट्र	29
14.	मणिपुर	8
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	7
18.	उड़ीसा	30
19.	पंजाब	17
20.	राजस्थान	31
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	24
23.	त्रिपुरा	4
24.	उत्तर प्रदेश	68
25.	पश्चिम बंगाल	18
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
27.	दादरा व नगर हवेली	1
28.	दमन व दीव	1
29.	लक्षद्वीप	1
30.	पांडिचेरी	1
	अखिल भारत	512

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या*	
		1996-97	1997-98
		(संख्या में)	
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	33350	23784
2.	अरुणाचल प्रदेश	528	793
3.	असम	6718	2724
4.	बिहार	5671	1495
5.	गोवा	असूचित	274
6.	गुजरात	6071	4998
7.	हरियाणा	3226	4134
8.	हिमाचल प्रदेश	2598	1598
9.	जम्मू व कश्मीर	असूचित	असूचित
10.	कर्नाटक	6867	14524
11.	केरल	5288	2278

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	असूचित	18073
13.	महाराष्ट्र	19799	1007
14.	मणिपुर	725	746
15.	मेघालय	500	231
16.	मिजोरम	641	501
17.	नागालैंड	1050	1138
18.	उड़ीसा	14453	7067
19.	पंजाब	6956	1026
20	राजस्थान	9375	10513
21.	सिक्किम	911	124
22.	तमिलनाडु	766	721
23.	त्रिपुरा	456	430
24.	उत्तर प्रदेश	35281	33444
25.	पश्चिम बंगाल	4813	10046
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	55	254
27.	दादरा व नगर हवेली	144	89
28.	दमन व दीव	199	107
29.	लक्षद्वीप	असूचित	70
30.	पांडिचेरी	350	201
	कुल	166791	142390

अनंतिम

विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विस्तार

2404. श्री पी. उपेन्द्र: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बोइंग विमान का उतरना सुविधाजनक बनाने के लिए विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र और राज्य सरकारों के अंश सहित इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही अपना अंश दे दिया है और भूमि भी उपलब्ध करा दी है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्तावित विस्तार कार्य में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार छोटे हवाई जहाजों से हैदराबाद-विजयवाड़ा-तिरुपति और चेन्नई क्षेत्र में विमान सेवा शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 16.29 करोड़ रुपए है और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 8 करोड़ रुपए का ब्याज-रहित ऋण मुहैया कराने पर सहमति जताई है।

(ग) राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 4 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है और शेष राशि 1998-99 के दौरान दो एक समान किश्तों में दे दी जायेगी। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 79.29 एकड़ भूमि भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी है।

(घ) ऋण की पहली किश्त प्राप्त होने के बाद, धावनपथ का सुदृढ़ीकरण, एप्रन, टैक्सी ट्रैक का निर्माण और चरण-1 के शोल्डरों का कार्य 28.11.1997 को सौंप दिया गया था। कार्य प्रगति पर है।

(ङ) और (च) इस समय इंडियन एयरलाइन्स के पास छोटे विमानों का पर्याप्त मात्रा में विमान-बेड़ा नहीं है। इंडियन एयरलाइंस की कम क्षमता वाले अतिरिक्त विमानों को प्राप्त करने की योजनाएं हैं।

शहरी त्वरित जल आपूर्ति योजना

2405. **श्री मोहन रावले:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजी गयी शहरी त्वरित जल आपूर्ति योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में योजना-वार देरी के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) बजटीय संसाधनों के अभाव में केन्द्र सरकार ने 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले नगरों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित 157 स्कीमों का अभी तक अनुमोदन नहीं किया है। ऐसी स्कीमों की राज्यवार सूची विवरण में दी गयी है।

(ग) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम) ए यू डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत स्कीमों का अनुमोदन, शहरी कार्य व रोजगार मंत्रालय के लिए केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत, निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

त्वरित शहरी जल आपूर्ति का कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित न की गई स्कीमों को राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	अरूणाचल प्रदेश	–
3.	असम	3
4.	बिहार	5
5.	गोवा	–
6.	गुजरात	–
7.	हरियाणा	3
8.	हिमाचल प्रदेश	11
9.	जम्मू और कश्मीर	12
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	–
12.	मध्य प्रदेश	44
13.	महाराष्ट्र	19
14.	मणिपुर	4
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	16
19.	पंजाब	4
20.	राजस्थान	6
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	2
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	4
25.	पश्चिम बंगाल	–
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–
27.	चंडीगढ़	–
28.	दादर व नगर हवेली	–
29.	दमण व दीव	–
30.	दिल्ली	–
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पाण्डिचेरी	–
	योग	157

लुटियन जोन में निर्माण कार्य

2406. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित बंगलों में अब तक सरकार के खर्च पर हुए अतिरिक्त निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में निर्माण न करने संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने के क्या कारण है;

(ख) मंत्रियों और संसद सदस्यों के आवासीय बंगलों में अब तक कितने अतिरिक्त कमरों का निर्माण हो चुका है;

(ग) क्या अन्य सरकारी आवासों में रहने वालों को अपने खर्च पर भूतल परिसर में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में अपनाई जा रही दोहरी नीति के क्या कारण हैं; और

(ङ) नई दिल्ली स्थित सरकारी कालोनियों में अब तक ऐसे कितने कमरों का निर्माण हो चुका है और उनमें से कितनों को अब तक सरकार द्वारा गिराया जा चुका है तथा इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा अनुमोदित व शहरी कार्य व रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.4.96 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11011/2/95-डब्ल्यू 1 के तहत परिचालित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके इस मंत्रालय द्वारा लुटियन जोन में स्थित बंगलों में कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

(ख) मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के बंगलों में दिनांक 12.4.96 के बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए अतिरिक्त, अस्थायी/अर्द्धस्थायी निर्माण कार्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निर्माण कार्य का ब्यौरा	मंत्रिगण	संसद सदस्य
1. संतरी-स्थान/ कलोल (फ्रीस्किंग) शेड	सं. 36	सं. 35
2. सुरक्षाकर्मी कक्ष	सं. 52	सं. 28
3. कार्यालय कक्ष	सं. 8	–

उक्त निर्माण सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं। इसके अलावा 8 पूर्व मंत्रियों एवं मंत्रियों, 11 संसद सदस्यों व पूर्ण सांसदों तथा 4 अन्य व्यक्तियों ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिना ही आवंटित आवासों में स्वयंमेव अतिरिक्त निर्माण कराया है, जैसा कि विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विभिन्न नीति नहीं अपनाई गई है।

(ङ) उक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लेखानुसार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/संपदा निदेशालय ने नियमानुसार कार्रवाई आरंभ कर दी है। तथापि अभी तक अनधिकृत निर्माण ढ़हाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

विवरण

ऐसे बंगलों की सूची, जिनमें आबंटियों द्वारा स्वयं ही निर्माण कार्य कराया गया है

क्र.सं.	बंगला/फ्लैट सं.	निर्माण का ब्यौरा	वर्तमान आबंटी	आबंटी का नाम, जिसके समय अनधिकृत निर्माण का पता चला
1	2	3	4	5
संसद कार्य प्रभाग सं. 1 के अंतर्गत				
1.	11 अशोक रोड	एक कमरा	भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय	भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय
2.	22. जनपथ	लॉन में एक कमरा	श्री ललित क्राठन, पूर्व सांसद	श्री ललित क्राउन, पूर्व सांसद

1	2	3	4	5
3.	5 तुगलक लेन	दो शेड और अस्थायी कार्यालय ब्लाक	श्री सुरेन्द्र सिंह, संसद सदस्य	श्री सुरेन्द्र सिंह, संसद सदस्य
4.	20 केनिंग लेन	तीन कमरे और एक कार शेड	श्री के.एस. राव, संसद सदस्य	श्री माधवराव सिंधिया, संसद सदस्य
5.	16-एम्बी मथुरा रोड	बंगला के पृष्ठ भाग में ग्राउंड तथा व फस्ट फ्लोर पर एक अतिरिक्त कमरा	श्री सुरेश केशवानी, संसद सदस्य	श्री सुरेश केशवानी, संसद सदस्य
6.	3, एम.एल.एन. मार्ग	एक अस्थायी शेड	श्री जयंत कुमार मल्होत्रा, संसद सदस्य	श्री जयंत कुमार मल्होत्रा, संसद सदस्य
7.	16-सी, फिरोजशाह रोड	एक अस्थायी शेड	श्री मौलाना ओ.के. आजमी, संसद सदस्य	श्री मौलाना ओ.के. आजमी, संसद सदस्य

संसद कार्य प्रभाग सं. 3 के अंतर्गत

1.	4, सफदरजंग लेन	एक कमरा	श्रीमती वीणा शर्मा, संसद सदस्य	श्रीमती वीणा वर्मा, संसद सदस्य
2.	20 महादेव रोड	एक कमरा	श्री राजबब्बर, संसद सदस्य	श्री राज बब्बर, संसद सदस्य
3.	14, तालकटोरा रोड	एक कमरा	श्री एम.एस. बिट्टा	श्री एम.एस. बिट्टा
4.	6, जी.आर.जी. रोड	एक कमरा	श्री शरद पवार, संसद सदस्य	श्री शरद पवार, संसद सदस्य
5.	2, डुप्लेक्स लेन	एक कमरा	श्री महेन्द्र प्रसाद, पूर्व सांसद	श्री महेन्द्र प्रसाद, पूर्व सांसद

ऐसे बंगलों की सूची, जिनमें आबंटियों द्वारा स्वयं ही निर्माण कार्य कराया गया है

क्र.सं.	बंगला सं.	ढांचे का प्रकार	वर्तमान आबंटी	आबंटी जिसके कार्यकाल में निर्माण का पता चला
1	2	3	4	5
1.	6-रायसीना रोड	पिछले लॉन में तीन कमरें (30 व.मी.)	डा. मुरली मनोहर जोशी	श्री सतपाल महाराज
2.	12-जनपथ	कार्यालय ब्लाक से जुड़ा हुआ एक शौचालय	श्री राम विलास पासवान	श्री राम विलास पासवान
3.	23-सफदरजंग रोड	(क) कार्यालय ब्लाक के पीछे एक कमरा (ख) किचन के बगल में एक छोटा कमरा	श्री शंकर दयाल शर्मा	श्री शंकर दयाल शर्मा

1	2	3	4	5
4.	1, तालकटोरा रोड	दो कमरे का कार्यालय ब्लाक	श्री सत्यनारायण जाटिया	श्री सत्यनारायण जाटिया
5.	5, वी.डी. मार्ग	(क) सामने के लॉन में एक बड़ा हॉल (ख) कार्यालय ब्लाक के सामने एक छोटा कमरा	श्री नीतीश कुमार	श्री नीतिश कुमार
6.	4, लोदी एस्टेट	दो कमरे का कार्यालय ब्लाक	श्री दलीत एजिलमलाई	श्री दलीत एजिलमलाई
7.	9, तीन मूर्ति लेन	डायनिंग रूम का विकास	श्री दलीप रे	श्री दलीप रे
8.	8 सफदरजंग लेन	तीन कमरे का कार्यालय ब्लाक	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ
9.	9-कृष्णामेनन मार्ग	(क) स्वीमिंग पूल (49.6 व.मी.) (ख) एक सम्बद्ध कमरा (24 व.मी.)	श्री के. करुणाकरण	श्री के. करुणाकरण
10.	35, लोदी एस्टेट	एस.पी.जी. द्वारा बनाया गया एक विश्राम कक्ष (35.69 व.मी.)	श्रीमती प्रियंका गांधी	श्रीमती प्रियंका गांधी
11.	2-कुशक रोड	सर्वेन्ट क्वार्टरों के बरामदे को कवर करना	श्री वी.के. शुंगलू, सीएजी	श्री वी.के. शुंगलू, सीएजी

[हिन्दी]

विश्राम कक्षों का निर्माण

2407. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बढ़ते हुए रेल यात्रियों की सुविधा के लिए विश्राम कक्ष शायिकाओं और कक्षों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को मध्य रेल के झांसी, ललितपुर, आगरा, ग्वालियर और भोपाल स्टेशनों एवं उत्तर रेलवे के कानपुर और लखनऊ स्टेशनों में कब तक आरंभ करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार के विश्राम कक्षों के निर्माण में निजी पार्टियों को निर्माण कार्य की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) विश्राम कक्षों की व्यवस्था एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) इन स्टेशनों पर विश्राम कक्ष पहले से उपलब्ध हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मैसूर हवाई अड्डा

2408. श्री ए. सिदराजू: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर हवाई अड्डे के विकास और प्रचालन के लिए इसे निजी क्षेत्र को देने के लिए स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण उत्पादन

2409. श्रीमती जयन्ती पटनायक: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नया स्वर्ण भण्डार क्षेत्र खोजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान देश में सोने का कितना उत्पादन हुआ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) ने 1994-97 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वर्ण अयस्क भण्डारों की पुष्टि की है।

कर्नाटक

हीरा बुड्डीनी (जिला रायचूर), चिनमुलगुण्ड और नागावी (जिला धरवाड़), अज्जानहल्ली पश्चिम तथा जी.आर. हल्ली दक्षिण ब्लॉक (जिला चित्रदुर्ग)।

आन्ध्र प्रदेश

डोना टैम्पल (जिला कुरनूल) तथा कूडियानापल्ले (जिला चित्तुर)।

राजस्थान

आनंदपुरी-भूकिया (जिला बांसवाड़ा)।

मध्य प्रदेश

गुरहरपहाड़ पश्चिम (जिला सीधी)

महाराष्ट्र

परसोडी पश्चिम ब्लॉक तथा कीटारी ब्लॉक (जिला नागपुर)।

केरल

कप्पील (जिला मालाप्पुरम)।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान देश में 2636 कि.ग्रा. सोने का उत्पादन हुआ।

कालीकट हवाई अड्डे का उन्नयन

2410. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी और हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कालीकट हवाई अड्डे पर उतरने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या को देखते हुए वहां उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) दिसम्बर, 1997 में घोषित "एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति" के अनुसार, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, अमृतसर तथा गुवाहाटी स्थित हवाई अड्डों पर वांछित स्तर के अनुसार सुविधाओं का स्तरोन्नयन होते ही इन्हें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया जा सकता है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक ही समय में 200 आने वाले और 200 जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक पृथक अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल ब्लॉक चालू कर दिया है। पुराने टर्मिनल भवन का 80.68 लाख रुपए की लागत से परिवर्धन किया गया है जिससे इसका प्रयोग एक अस्थायी कार्गो कॉम्पलेक्स के रूप में किया जा सके। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एबी-300 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए 102.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूर्व की ओर वर्तमान धावनपथ के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का कार्य आरंभ कर दिया है। जनवरी, 2000 तक इस कार्य के पूरा हो जाने की आशा है।

एलायंस एयर की रात्रि उड़ानें

2411. श्री के.सी. कोंडय्या: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलायंस एयर ने दिल्ली से बंगलौर तथा बंगलौर से दिल्ली रात्रि उड़ान सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) एलायंस एयर की बंगलौर के लिए रात्रि उड़ानों के प्रचालन की योजना है। तथापि, प्रस्ताव को प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण आस्थगित कर दिया गया है।

माचिस और पटाखों की ढुलाई के लिए वैगनों का कोटा

2412. **श्री वैको:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाथ से निर्मित माचिस और पटाखों की ढुलाई के लिए कोई रियायत प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिवकाशी-कोविलपट्टी-विरुधुनगर से उत्तरी राज्यों तक हाथ से निर्मित माचिस और पटाखों की ढुलाई के लिए वैगनों का कोटा आबंटित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, बहरहाल, मांगें पूर्ण रूप से पूरी की जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वैगनों की खरीद

2413. **श्री ए.सी. जोस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक रेलवे द्वारा "ओन यूअर वैगन स्कीम" के अंतर्गत कुल कितने वैगनों की खरीद की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): सूचना नीचे प्रस्तुत की गई है:

वर्ष	खरीदे गए माल डिब्बों की संख्या (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से)
1995-96	2625
1996-97	5992.5
1997-98	3015
1998-99 (अप्रैल, 93 तक)	135

[हिन्दी]

रांची-लोहरदग्गा रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2414. **श्री इन्द्र नाथ भगत:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची-लोहरदग्गा छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई थी; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) 10 करोड़ रुपए।

(ग) प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

रक्षा प्रयोगशालाएं

2415. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की रक्षा प्रयोगशालाएं शीघ्र ही विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बढ़ायेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई योजनाएं बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रौद्योगिकी सक्षमता समुन्नत करने के लिए 40 से अधिक भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहभागिता करता है। रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संयुक्त उन्नत अनुसंधान करने की दृष्टि से इस सहभागिता को आगे और कई अन्य संस्थानों के साथ भी बढ़ाया जाएगा।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान विकास संगठन शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए दो तरह से कार्य करता है:

(1) समझौता ज्ञापन।

(2) विकास परियोजनाओं के लिए संविदाएं।

इस प्रकार की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अनुसंधान और प्रशिक्षण योजना और सहायता अनुदान योजना के जरिये तथा मुख्य अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की परियोजनाएं वैमानिकी, नौसेना अनुसंधान और विकास, आयुधों और जैविक विज्ञानों के क्षेत्र के चार अनुसंधान बोर्डों के माध्यम से भी प्रायोजित की जाती हैं। ये बोर्ड अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के अग्रिम क्षेत्रों पर आधारित परियोजनाएं प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

कपार्ट के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना

2416. **श्री रामदास आठवले:**
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी:
श्री जोगेन्द्र कवाडे:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक लाखनपुर जिले सहित कापार्ट शुरू किए जाने के बाद राज्यवार कितनी परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं;

(ख) स्थान-वार उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें कापार्ट द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक एजेन्सी को राज्यवार कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित तथा जारी की गयी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) कापार्ट द्वारा इसके आरंभ होने से लेकर 31.05.1998 तक देश में स्वीकृत परियोजनाओं का एक विवरण विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष (1998-99) के दौरान कापार्ट से सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों तथा स्वीकृत राशि और उनको जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-2 पर दिया गया है।

विवरण I

कापार्ट द्वारा आरंभ से लेकर 31.5.98 तक स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कापार्ट द्वारा आरंभ से लेकर 31.5.98 तक स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1947
2.	अरूणाचल प्रदेश	11
3.	असम	203
4.	बिहार	2217
5.	चंडीगढ़	17
6.	दिल्ली	483
7.	गोवा	3
8.	गुजरात	577
9.	हरियाणा	305
10.	हिमाचल प्रदेश	196

1	2	3
11.	जम्मू व कश्मीर	50
12.	कर्नाटक	582
13.	केरल	537
14.	मध्य प्रदेश	424
15.	महाराष्ट्र	699
16.	मणिपुर	508
17.	मेघालय	13
18.	मिजोरम	52
19.	नागालैंड	37
20.	उड़ीसा	880
21.	पांडिचेरी	8
22.	पंजाब	25
23.	राजस्थान	553
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु	1330
26.	त्रिपुरा	8
27.	उत्तर प्रदेश	3424
28.	पश्चिम बंगाल	2706
	कुल	17796

टिप्पणी: अनंतिम

विवरण II

वर्तमान वर्ष (1998-99) में कपार्ट से सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	एजेंसी का नाम और पता	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	सेंटर फॉर रूरल एक्शन, 4 रोड, ब्लाक अनंतपुर, जिला अनंतपुर (आन्ध्र प्रदेश)	15,40,000	–
2.	श्री परमेश्वरी एजूकेशन सोसाइटी इंदिरा नगर, के.जी. रोड, अटमाकुर जिला कुरनोल (आंध्र प्रदेश)	34,00.000	–
3.	इंटिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट आग्रनाइजेशन डी. नं. 2/62 हैप्पी होम, इंजीनियरिंग कालेज मेन गेट के सामने अनंतपुर 515002 (आन्ध्र प्रदेश)	1,94,425	–

1	2	3	4
4.	कनकदुर्गा महिला मंडली पपिरीड्डारिपाली, श्री रंगाराजूपाली पोस्ट, परीगी मंडल अनंतपुरम जिला आन्ध्र प्रदेश	3,29,700	–
5.	प्रासांथी महिला मंडली डी. नं. 3/55, विद्युतनगर, सुकारिया समुदरम (पी. एण्ड एम.) बुकारिया समुदरम अनंतपुर जिला आन्ध्र प्रदेश	3,25,446	–
6.	रामासागाराम रूरल इंटिग्रेटिड एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, रामासागाराम गांव, बाया कृष्णापुरम, बुक्कापटनम मंडल अनंतपुर जिला आन्ध्र प्रदेश	2,33,335	–
7.	मलेश्वरी महिला मंडली डी. नं. 6/11, एच-2, सत्य देवनगर, बाय पास रोड अनंतपुर-515004 (आन्ध्र प्रदेश)	2,20,000	–
8.	झांसी लक्ष्मी बाई महिला मंडली, डी. नं. 216 हम्मली कालोनी, अनंतपुर-515001 अनंतपुर जिला (आन्ध्र प्रदेश)	1,65,000	–
9.	रमेश एण्ड कृष्णा सामसकरूनिका संगम, आर.पी.जी.टी. रोड, रतलाम काम्पलैक्स हिन्दुपुर, अनंतपुर जिला (आन्ध्र प्रदेश)	2,75,000	–
10.	आदर्श कम्यूनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट डी.न. 11/295, अरविन्दा नगर, अंतपुर जिला (आन्ध्र प्रदेश)	2,20,000	–
11.	दौं भरत रूरल इक्नोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी जीस्स नगर, अम्बेडकर भवन के पीछे, अनंतपुर जिला (आन्ध्र प्रदेश)	2,20,000	–
12.	पटेल यूथ क्लब, कोडीकोंडा, चिलामाथुर (एम) अनंतपुर	2,64,000	–
13.	चाणक्य रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसाइटी, डी. नं. 15/134, पुलिस स्टेशन के सामने मडकसिरा, अनंतपुर जिला (आन्ध्र प्रदेश)	2,20,000	–
14.	इलाही महिला मंडली, डी. नं. 12/321-बी, अशोक नगर अनंतपुर 515001 (आन्ध्र प्रदेश)	2,20,000	–

1	2	3	4
15.	राजीव युवाजन संघम, अंजता टाकीज के सामने बायपास रोड, काडिरी, 515591 अनंतपुर जिला (ए.पी.)	2,20,000	–
16.	श्री झांसी लक्ष्मी महिला मंडली, मकान नं. 1/56, बारी स्ट्रीट, तिरूपति 517501 (ए.पी.)	3,30,000	–
17.	सेखनाथम मनिस्ट्रीस आफ इंडिया के.बी. लेआऊट तिरूपति-517507 (ए.पी.)	1,10,000	–
18.	रूरल इन्स्टीट्यूट फार पीपुल्स इनलाइटमेंट पुलिस स्टेशन के सामने पुथलापट्ट-517124 चितौड़ जिला (ए.पी.)	2,79,250	–
19.	इंदिरा महिला मंडली, 6-1-1 एल. 3, जर्नलिस्ट कालोनी, तिरूपति, जिला चितौड़ (ए.पी.)	4,15,625	–
20.	श्री जगजीवन राम हरिजन डेवलपमेंट सोसाइटी नागाराम-533247, रजनोलू (एम) पश्चिम गोदावरी जिला (ए.पी.)	4,07,000	–
21.	संजय गांधी मेमोरियल आंकेनिज एण्ड बोर्डिंग होम, कवारा लेन, दौलतवारम्-533125, राजामुडरायी रूरल (एम) पश्चिम गोदावरी जिला (ए.पी.)	4,07,000	
22.	ब्रिथीसदा रूरल इकनोमिक्ल एसोसेशन फार रूरल डेवलपमेंट मकान नं. 3-5-15, प्रकाशन रोड टुन्नी-533401, पश्चिम गोदावरी जिला ए.पी.	3,43,288	–
23.	सहारा, 2-3-703/के./1(911) बिसाइट सुनीथा अपार्टमेंट, तिरूयाला नगर अंबरपिट हैदराबाद-500013, ए.पी.	3,96,000	
24.	सेंटर फार एक्शन रिसर्च एण्ड पीपुल्स डेवलपमेंट, 8-3-228/267 रहमतनगर हैदराबाद ए.पी. 500045	1,67,200	–

1	2	3	4
25.	सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट एण्ड रिहैबीलीटेशन 9-122, एच.एम.टी. नगर नाचरम हैदराबाद ए.पी. 500507	3,96,000	-
26.	प्रागाथी महिला समाजम, फ्लैट नं. 610, कुशल टावर, खारवाबाद, हैदराबाद ए.पी.	2,20,990	-
27.	रूरल आर्गेनाइजेशन फार सोशल एजूकेशन 1-6-212/65/07/35, गंगापुत्री कालोनी परसीगुट्टा हैदराबाद-500048 ए.पी.	3,41,748	-
28.	ग्रेस इवानगिकल मनिस्ट्रीज (जैम), म.नं. 2-15/1, तिरूमाला नगर कोलोनी ए.पी.एच.बी. कालोनी के सामने, मौला अली, हैदराबाद	2,77,200	
29.	डंगारिया चेरटीबल ट्रस्ट, 1-7-1074, मशिराबाद, हैदराबाद 500020 (ए.पी.)	2,20,000	-
30.	श्री साईरसम सेवा संगम, अन्नाराम, मानाकोंडुर (एम) बाया अन्नाराम करीमनगर जिला (ए.पी.)	3,96,000	-
31.	मूलकन्नूर हैंडीकैप यूथ सोसाइटी मूलकन्नूर-505471, भीमदेवारापल्ली (एम) करीमनगर जिला आन्ध्र प्रदेश	3,96,000	-
32.	बापूजी इंटिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी गाडामन्नूगू (वी) जी. कुन्डुरू (पोस्ट एंड मंडल) कृष्णा जिला आन्ध्र प्रदेश	4,34,500	-
33.	डिस्ट्रेक कर्श्चियन सोशल वेल्फेयर प्रोजेक्ट एसोसिशन, म.न. 40-528, आर.एस. रोड, कुरनूल-518004, आन्ध्र प्रदेश	4,85,000	-
34.	सनशाइन एजूकेशनल सोसाइटी दुर्गा रोड, कोथूर शाडनगर टावर, महबूबनगर जिला आन्ध्र प्रदेश	2,65,600	1,74,300
35.	सोशल एवेरनैस फार इंटिग्रेडिट डेवलपमेंट, गुंडलापल्ली (वी) डींडी (एम) नालगौंडा जिला (आंध्र प्रदेश)	1,65,000	-

1	2	3	4
36.	रेणुका महिलामंडली, 5-45, रामनगर कालोनी, केसाराजूपल्ली (वी) नालगांडा 508001 आन्ध्र प्रदेश	4,07,000	–
37.	सोसाइटी फार हैल्थ एग्रीकल्चर एण्ड रूरल एजूकेशन, मकान, नं. 3-10-82/1 हाऊसिंग बोर्ड के समीप बॉगिर, नालगांडा जिला आन्ध्र प्रदेश-508116	3,30,000	–
38.	नीड इपाकटिंव वेल्फेयर सोसाइटी कोमनटिरू गांव एण्ड पोस्ट गुडूर मंल्ड मंडल नेल्लोर जिला आन्ध्र प्रदेश	4,51,300	–
39.	दलित वेल्फेयर एसोसेशन, विटापल्लम, प्रकाशम जिला ए.पी. 523187	2,51,975	–
40.	चिपुरूपल्ली तालुका इक्नोमिकली बैकवर्ड वेल्फेयर सोसाइटी, रेड्डीपेटा, चिपुरूपल्ली (एम) वीजीनगरम, जिला ए.पी.	3,80,600	–
41.	लोएनस फैमिली वेल्फेयर प्लानिंग ट्रस्ट श्रीनिवास नर्सिंग होम, गाजापाथी नागरम, वीजीनगरम् जिला ए.पी. 536270	2,15,600	
42.	फल गोसपिल मनिस्ट्री एण्ड ह्यूमनटी आंफनिज होम, प्रेमालायम, डी.नं. 3-292, नाडुपालीकोटा पश्चिम गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश	4,07,000	–
43.	पश्चिम गोदावरी जिला मानव सेवा समाजम 15-71, श्रीनिवास राइस मिल के समीप अटीली पश्चिम गोदावरी जिला आन्ध्र प्रदेश	4,07,000	–
44.	ओवरस लेडीसले, अपोस्टली सोसाइटी टीचरस कालोनी, के. सावाराम-534216 अंडराजाबाराम (एम) पश्चिम गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश	2,20,000	–
45.	ज्योति एजूकेशनल सोसाइटी, पिरावल्ली-534328, पश्चिम गोदावरी जिला, आं.प्रदेश	4,07,000	–

1	2	3	4
46.	सेंट लूकी सोशल आग्रेनाइजेशन, 14-9-6/1 पेशन लेन, इलुरू, प. गोदावरी ज. आन्ध्र प्रदेश-534005	1,76,000	-
47.	करूणा महिला समकसीमा मंडली, नवाबपालम-534146 टाडीपालीगुडम (एम) पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	3,82,580	-
अरुणाचल प्रदेश			
1.	अबोटमी एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसायटी अपर मुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश	4,40,000	-
असम			
1.	ए सी सी ओ आर डी बाड़पेटा, असम	1,60,400	-
2.	टोटल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नलबाड़ी, असम	4,60,431	-
बिहार			
1.	ग्राम भारत (सर्वोदय आश्रम) डाकघर-सिमुताला-811316 जिला-जमुई (बिहार)	2,00,000	-
दिल्ली			
1.	सोसाइटी फॉर इकोनोमिक एंड सोशल स्टीज (सेंटर फोर टेक्नोलोजी एंड डेवलपमेंट) दूसरी मंजिल, एल.एस.सी.जे. ब्लॉक, साकेत, नई दिल्ली-110017	6,32,500	-
हरियाणा			
1.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, निलाखेड़ी, जिला-करनाल (हरियाणा)	60,000	-

1	2	3	4
	कर्नाटक		
1.	राजाजीनगर यशस्वी महिला मंडली सं. 2713, ग्यारहवीं "ए" मुख्य "डी ब्लाक, 11 स्टेज, राजाजीनगर, बंगलौर-10, कर्नाटक	2,22,200	-
2.	शामला विद्यावर्धक संघ नगवारा, ए, आर, वी आई सी कालेज डाकघर-बंगलौर-560045, कर्नाटक	470,175	-
3.	जगज्योति महिला सेवा समाज सं. 25 प्रथम क्रॉस देवराजअर्स नगर, ओल्ड गुडाहली बंगलौर-560026, कर्नाटक	27,500	-
4.	श्वेता महिला मंडली, बदर, मुददेभिहाला टी क्यू बिजापुर जिला कर्नाटक	1,10,000	-
5.	चेतना किया समिति डी.न. 904-ए, दूसरा स्टेज, शिवकुमार, स्वामी नगर देवागीर-577005 जिला-चित्रदुर्ग, कर्नाटक	1,16,600	-
6.	कम्यूनिटी एक्सन फॉर रूरल डेवलपमेंट 657 अंजनी लेय आउट देवांगीर जिला-चित्रदुर्ग कर्नाटक-577004	4,07,000	-
7.	श्री नीलकंठेश्वर रूरल डेवलपमेंट सोसायटी द्वारा केरे रुद्रन्ना, एल बी नगर मोलाकल मुरु जिला चित्रदुर्ग कर्नाटक-577535	3,81,000	-
8.	बापूजी विद्या समिति गजेन्द्रगढ़-582114, जिला धारवाड़ कर्नाटक	27,500	-
9.	वीकर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी बिहाइड शारदा टाकीज कोप्पल- 583231, जिला रायचूर, कर्नाटक	3,85,000	-

1	2	3	4
10.	सोसायटी फार दी पीपुल्स हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनामिकल डेवलपमेंट कोडगडाला-572132 मधुगीरी टी क्यू जिला तुमकुर, कर्नाटक	2,13,400	-
11.	श्री सत्यज्योति रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, मेन रोड, कोराटगीरी, जिला तुमकुर, कर्नाटक	72,000	-
केरल			
1.	सोलिडेरीटी मूवमेंट आफ इंडिया सेन्ट्रलकमिटी डाकघर कांजीकुझी जिला इदुक्की, केरल-685602	2,86,000	-
2.	अन्नाकरा विकासना संघम डाकघर-अन्नाकारा-68512 जि. इडुक्की, केरल	4,07,000	-
3.	ग्राम विकासना समिति पावुम्बा, डाकघर-करूगापल्ली, जि. कोल्लम केरल	2,86,000	-
4.	जवाहर लाल मेमोरियल सोशल वेलफेयर पब्लिक को-आपरेशन सेंटर, थोलायोलापराम्बू डाकघर-विथाकम टीक्यू जि. कोटटायम, केरल	2,20,000	-
5.	प्रियादर्शनी महिला समाजम कोटटाविला मुंडेला पोस्ट आफिस वेल्लानाड, नेडुमानगड़ जि. त्रिवेन्द्रम, केरल	1,70,880	-
महाराष्ट्र			
1.	मि. विनकाली, अपरूप निर्माण बी-4, पुष्पगंधा फ्लैट सामने-आश मंगल कार्यालय, धर्मपीठ नागपुर-440010 महाराष्ट्र	3,60,000	1,80,000

1	2	3	4
मणिपुर			
1.	टी. लाईलोईफाई यूथ डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, चूराचंदपुर, मणिपुर	78,000	--
2.	यूथ वालूनटरी आग्रेनाइजेशन इम्फाल, मणिपुर	1,10,000	-
3.	गुड समारीटर सर्विस एशोसियेशन सेनापटी, मणिपुर	2,90,000	-
उड़ीसा			
1.	जीवन ज्योति क्लब फार वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट ग्राम महादिया, डाकघर बेलापाड़ा, जि. ढेकनाल (उड़ीसा)	2,56,568	-
2.	नव ज्योति सोशल आग्रेनाइजेशन ग्राम-चंदन बाजार (चर्च लेन) डाकघर-बाजूचौक, जि. ढेंकनाल (उड़ीसा)	56,000	-
3.	न्यूलोपोई युवक संघ ग्राम+पो. न्यूलोपोई वाया-महिमागढ़ी, जि. ढेंकनाल (उड़ीसा)	2,20,000	-
4.	शांति सेवा परिषद ग्राम+पो. नौबाग, वाया-रसोल-759021 जि. ढेंकनाल (उड़ीसा)	2,20,000	-
5.	अरुण उदय युवक संघ ग्राम+रायपुर, वाया-जकिया जि. खुर्दा, (उड़ीसा)	3,30,000	-
6.	नेशल इकोनामिक फाउंडेशन (आई एन सी ई एफ) ए/8, अशोकनगर, बी बी एस आर-751010 जि. खुर्दा (उड़ीसा)	3,01,400	-
7.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लाट नं. 800, रसूलगढ़ भुवनेश्वर जि. खुर्दा (उड़ीसा)	2,66,000	-

1	2	3	4
8.	सोसायटी फॉर दी एग्रीवड एंड नंलू वल. ई या. सेव, नियर विद्या भवन, प्रिंटिंग प्रेस डाकघर फूलबनी (उड़ीसा)	1,10,000	-
9.	प्रगति, पो.ओ. नं. 32 मौसिमा लेन जि. पुरी (उड़ीसा)	2,20,000	-
10.	समाज विकास परिषद ग्राम-तेनग्रामरी डाकघर-जयरामपुर-756038 जि. बालासोर (उड़ीसा)	1,84,400	-
11.	वूमन आग्रेनाइजेशन फार रूरल डेवलपमेंट, ग्राम-खजुरीया डाकघर अकूल-758076 जि. क्योंझर	53,640	-
12.	इकाका, प्लाट नं. ई बी-188 बारागढ़ बीट कालोनी भुवनेश्वर-751018 जि. खर्दा (उड़ीसा)	2,19,300	-
13.	विकास परिषद ग्राम+पो.-गांधीनगर जि. कोरापुट उड़ीसा	78,700	-
14.	भारवी क्लब ग्राम-कुरुमपाड़ा डाकघर-हडापाडा खुर्दा (उड़ीसा)	3,85,000	-
राजस्थान			
1.	श्री बुंकेर राय एस. डब्ल्यू आर सी तिलोनिया बाया मदनगंज, जिला अजमेर (राजस्थान)	360,000	-

1	2	3	4
सिक्किम			
1.	सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेन्टर अप्पर सुबांसिरी, सिक्किम	2,62,500	–
तमिलनाडु			
1.	श्री ए एम एम मुरुगप्पा चेहियार रिसर्च सेन्टर (एम सी आर सी) थारामनी-600113, चेन्नई	12,50,000	–
2.	विवेकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी-629702 (तमिलनाडु)	6,32,500	–
3.	नेहरू रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी नं. 1/10 के एस गार्डन, रहिमनपेटई, काम्पा मयलुर टी एस जिला (तमिलनाडु)	14,17,500	–
4.	ग्रामीण व्लोर्ची संगम पुक्काथुरई, पुक्काथुरई पोस्ट वेनपक्कम, मुदारन्तकम तालुक कांचीपुरम, जिला तमिलनाडु	2,44,250	–
5.	रूरल एजुकेशन डवलपमेंट सोसाइटी नं. 1ए, ब्राह्मण स्ट्रीट पओल्ड मामपक्कम एण्ड पोस्ट, मदुरान्तकम तालुक कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	4,85,000	–
6.	विवेकानन्द केन्द्र विवेकानन्द पुरम, कन्याकुमारी अगस्तीश्वरम, कन्याकुमारी जिला तमिलनाडु	2,20,000	–
7.	वूमेन एजूकेशन डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, टीचर्स कालोनी न्यू माबक्कम पोस्ट, मधुरान्तकम तालुक चेंगलपटटु, एम.जी.आर. जिला (तमिलनाडु)	4,34,500	–
8.	ग्राम महालिर नालय कक्कुम समूका नाला नरपानी मन्दरम न. भार्मा कालोनी, नोन्दिकोविल पटटु, मेलुर पो.ओ. मदुरई जिला तमिलनाडु	1,92,360	–

1	2	3	4
9.	स्माल फारमर्स मार्जिनल फार्मेसी एण्ड कल्टीवेटिंग टीनेन्टस डवलपमेंट सोसाइटी (एम एम स्री यू डी एस) 13 ए-आदिमूला पिल्लई स्ट्रीट नादुपेट, गुडियटटम-632602, एन ए ए जिला तमिलनाडु	4,07,000	–
10.	ब्री एल ई ई एस 32, एम जी आर नगर, कुड्डालोर-707001 कुड्डालोर ब्लाक साऊथ आर्काट, वल्लालर जिला तमिलनाडु	3,30,000	–
त्रिपुरा			
1.	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति वेस्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा	4,29,950	–
उत्तर प्रदेश			
1.	सर्वोदय सेवा संस्थान, रामगढ़ रोड, जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश	13,64,853	–
2.	पिन्की ग्रामोद्योग संस्था, गांव मिक्कीपुर बाजार, जिला अम्बेडकरनगर उत्तर प्रदेश	10,09,257	–
3.	पर्यावरण एवम् ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रांव किरतपुर, पो.ओ. अजीतपुर जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश)	1,17,150	–
4.	जन कल्याण समिति 201, कल्याण समिति जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश	13,64,853	–
पश्चिम बंगाल			
1.	अलिनन रामकृष्ण विवेकानंद युवा संघ, मु.व.पो. अलिना, थाना तामलुका, जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)	5,00,000	–
2.	विवेकानन्द रीजनल रूरल डवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, 63, के.एम. वरनईपुर, साऊथ परगना (पं. बंगाल)	9,85,850	–

1	2	3	4
3.	कलकलयाचक नेताजी सुभाष संघ मिदनापुर (पं. बंगाल)	9,72,857	-
4.	नवीन संघ, गांव पोस्ट भानेश्वरपुर मोरागेट, साऊथ 24 परगना (पं. बंगाल)	14,17,500	-
5.	बाड़ा बसदेपुर दास प्रपण प्रगति संघ, मु. बाड़ावसदेपुर, जिला मिदनापुर (पं. बंगाल)	10,68,900	-
6.	बाडाद्रोण सोशल वेलफेयर एसोसिएशन 24 परगना (पं. बंगाल)	6,80,000	-
7.	बागमारी प्रोग्रेसिव यूथ एसोसिएशन 17, बागमारी लेन, सी आई टी बिल्डिंग बी आर एस 10, जिला कलकत्ता (पं. बंगाल)	26,000	-
8.	गरीब नाथ आश्रम 485/डी आर एल वाई, क्वाटर राधावेली रोड नाडहटी-743165, 24, परगना (नार्थ) पं. बंगाल	49,160	-
9.	हलदरहट वायज क्लब मु/पो. उत्तर कुसुम, 24 परगना (साऊथ)	3,83,000	-
10.	इंडियन प्यूपिल्स वेलफेयर सोसाइटी 30/3-ए-एन एस दत्ता रोड-711101, जिला हाबड़ा (पं. बंगाल)	2,20,150	-
11.	जीरकपुर सिस्टर निवेदिता सेवा मिशन मु. जीरकपुर पो ओ-बसिरहट रेलवे स्टेशन 24 परगना (नार्थ) पं. बंगाल	1,72,200	-
12.	केयाकोहा ताज कल्ब मु/पो. महेशदडी 24 परगना (साऊथ)	2,32,250	-
13.	सेवा वार्ता पो. सरगची आश्रम-742134 मुर्शिदाबाद (पं. बंगाल)	2,95,533	-
14.	सुन्दरवन एग्रो इको एण्ड सोशियो-एजुकेशनल मु. हेलीकोप्टरमोर, पी. धालीरवाटी 24 परगना (साऊथ) पं. बंगाल	26,000	-
15.	युवा उन्नयन सेवा समिति मु./पो. तेहाटा, थाना उलूवेर्टा जिला हाबड़ा (पं. बंगाल)	1,33,500	-

[अनुवाद]

लेह-जम्मू-दिल्ली क्षेत्र के बीच उड़ानें

2417. **श्री चमन लाल गुप्त:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और लेह, जम्मू और लेह व लेह और जम्मू के बीच उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में विशेषरूप से शीतकालीन मौसम में यातायात के अनुपात में उड़ानों की संख्या पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) एलायंस एयर दिल्ली-लेह सेक्टर पर चार नियमित उड़ानें प्रति सप्ताह और जम्मू-लेह सेक्टर पर दो उड़ानें प्रति सप्ताह दोनों ओर प्रचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त, यह दिनांक 1.6.98 से 30.6.98 तक दिल्ली-लेह सेक्टर पर प्रति सप्ताह तीन अतिरिक्त उड़ानें भी प्रचालित कर रही है।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस समय-समय पर यातायात मांग होने पर दिल्ली तथा लेह के मध्य सेवा प्रचालित करती है। टूरिस्ट सीजन लेह के मध्य पहली जुलाई से 31 अगस्त, 1998 तक प्रति सप्ताह 7ए-320 उड़ानें तथा पहली सितम्बर से 14 सितम्बर, 1998 तक प्रति सप्ताह 3ए-320 उड़ानें प्रचालित करने की योजना है।

स्वच्छता कार्यक्रम

2418. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:**
श्री माधवराव पाटील:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक, राज्य-वार केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई स्वच्छता सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1997-98 और 1998-99 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई अनुदान जारी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) से (घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई स्वच्छता सुविधाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:

* गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण
* शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले स्वच्छ शौचालयों में बदलना
* महिलाओं के लिए पृथक ग्रामीण स्वच्छता परिसरों का निर्माण
* सेनिटरी बाजारों की स्थापना करना
* गांवों की पूर्ण स्वच्छता
* जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए गहन अभियान।

वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार जारी राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

सबको स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रीय एजेन्सियों और राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक नीतिगत परिवर्तन करने के लिए उपाय प्रारंभ किये हैं जिनमें स्वच्छता सेवाओं की मांग के सृजन, जागरूकता सृजन में वृद्धि, अधिक से अधिक लाभार्थी सहभागिता और ग्रामीण स्वच्छता बाजारों और उत्पादन केन्द्रों के जरिए एक वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली शुरू करने पर विशेष बल दिया गया है।

विवरण

1997-98 और 1998-99 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निधियां दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1021.320	214.040
अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000

1	2	3
असम	0.000	0.000
बिहार	0.000	0.000
गोवा	3.70	0.000
गुजरात	215.000	66.660
हरियाणा	52.420	0.000
हिमाचल प्रदेश	50.540	33.690
जम्मू व कश्मीर	0.000	0.000
कर्नाटक	1014.550	173.480
केरल	531.470	133.540
मध्य प्रदेश	506.860	250.230
महाराष्ट्र	1285.380	273.940
मणिपुर	15.000	10.000
मेघालय	15.910	0.000
मिजोरम	4.680	0.000
नागालैंड	0.000	0.000
उड़ीसा	405.540	0.000
पंजाब	0.000	0.000
राजस्थान	193.760	0.000
सिक्किम	23.130	3.120
तमिलनाडु	925.930	226.520
त्रिपुरा	48.670	0.000
उत्तर प्रदेश	2641.990	531.660
पश्चिम बंगाल	304.210	0.000
दादर व नागर हवेली	0.000	0.000
अंडमान व नि. दीप समूह	0.000	0.000
लक्षद्वीप	2.500	0.000
पांडिचेरी	2.500	1.660
दिल्ली	0.000	0.000
दमन व दीव	2.500	0.000
चंडीगढ़	0.000	0.000
कुल	9267.610	1918.540

आस्ट्रेलिया का शिष्टमंडल

2419. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलियाई रक्षा स्टाफ के वाईस चेयरमैन के नेतृत्व में आस्ट्रेलिया शिष्टमंडल ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच विदेशी रक्षा संबंधों पर वार्ता करने हेतु नई दिल्ली का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हाँ।

(ख) आस्ट्रेलिया की रक्षा सेनाओं के सहसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल सी.ए. बेरी ने 14 से 18 दिसंबर, 1997 की अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संवाद हेतु सुव्यवस्थित द्विपक्षीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत के 11 और 13 मई, 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद आस्ट्रेलिया के सरकारी बयानों और एकतरफा कार्रवाइयों ने निकट भविष्य में रक्षा संबंधी किसी भी समर्थक सहयोग को असंभव बना दिया है, रक्षा सचिव को आस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा हेतु दिया गया निमंत्रण अस्वीकार कर दिया गया है और दोनों देशों के बीच सुव्यवस्थित द्विपक्षीय रक्षा संवाद हेतु आस्ट्रेलियाई प्रस्ताव सरकार द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

2420. श्री मोहन रावले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस के पांच डिब्बे 14 सितंबर, 1997 को दक्षिण-पूर्व रेल के बिलासपुर मंडल में हासदेव पुल से नीचे गिर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इस दुर्घटना की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो वह किन निष्कर्षों पर पहुंची है; और

(ङ) जांच समिति के निष्कर्षों के प्रकाश में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) 88 व्यक्तियों ने अपनी जानें गवाईं और 400 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) और (घ) रेल संरक्षा आयुक्त/दक्षिण पूर्व सर्किल ने निष्कर्ष निकाला है कि पुल सं. 46 के पहुंच मार्गों पर रेलपथ कर्मचारियों द्वारा मरम्मत के दौरान पटरी में अंतर रह जाने के कारण दुर्घटना हुई;

(ङ) जांच रिपोर्ट जो 6.5.98 को प्राप्त हुई, की जांच की जा रही है।

जस्ता उत्पादन

2421. श्रीमती जयन्ती पटनायक: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने टन जस्ता का उत्पादन हुआ और उसका निर्धारित लक्ष्य कितना था;

(ख) क्या देश में जस्ता की मांग और उत्पादन के बीच बहुत अधिक अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बढ़ती घरेलू मांग को किस तरह पूरा करेगी; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) हिन्दुस्तान जिंक लि. (एच जैड एल) और बिनानी इन्डस्ट्रीज लि. (बी आई एल) से एकत्र सूचना के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7,00,508 मी. टन जस्ता धातु का उत्पादन हुआ जबकि इस अवधि का लक्ष्य 7,95,250 मी. टन का था।

(ख) जस्ता धातु के प्राइमरी उत्पादक देश की कुल मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

(ग) और (घ) इस समय, देश की मांग और इस धातु के प्राइमरी उत्पादन के बीच अन्तर को रिसाइक्लिंग और ओपन जनरल लाइसेंस (ओ जी एल) के अंतर्गत आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। तथापि, हिन्दुस्तान जिंक लि. का देबारी और विशाखापत्तनम स्थित अपने मौजूदा प्रगालकों की अड़चनों को दूर कर प्रत्येक प्रगालक की जस्ता धातु की क्षमता को 10,000 टन तक बढ़ाने का विचार है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बी आई एल की जस्ता धातु उत्पादन की मौजूदा क्षमता 30,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60,000 टन प्रतिवर्ष करने की योजना है। नौवीं/दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और बिनानी इन्डस्ट्रीज लि. का जस्ता उत्पादन के लिए नए ग्रीन-फील्ड संयंत्र स्थापित करने का भी विचार है।

विदेशी विमान सेवा का अनुरोध

2422. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशियाई देशों ने भारत में नई उड़ानें शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या घरेलू विमान सेवाओं ने ऐसी अनुमति दिये जाने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, भारत के लिए/से होकर अतिरिक्त विमान यातायात संबंधी अधिकारों के लिए इन्डोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांग-कांग, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, थाईलैण्ड और ब्रूनई से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। 1000 सीट/सप्ताह की एक अतिरिक्त विमान सीट क्षमता और प्रत्येक दिशा के लिए दो नये अवतरण स्थलों के बारे में जून, 1997 में इंडोनेशिया के साथ एक करार किया गया था। चेन्नई के लिए अपनी एयरलाइन की सेवा आवृत्ति को छह से बढ़ाकर सात करने संबंधी मलेशिया के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया गया है। भारत और सिंगापुर ने नागर विमानन प्रतिनिधिमंडलों ने जुलाई, 1997 में हुए अपनी द्विपक्षीय वार्ताओं के अंतिम दौर में अतिरिक्त विमान यातायात संबंधी अधिकारों के एक पैकेज पर भी सहमति जताई थी। तथापि, इस पैकेज पर अभी सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। दक्षिण पूर्व एशियाई और पूर्व एशियाई देशों से प्राप्त अन्य लम्बित अनुरोधों पर किसी सहमति तक पहुंचने से पूर्व सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय (समझौते की) बातचीत किये जाने की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विमानकंपनियों के प्रतिनिधियों को यातायात संबंधी अधिकारों के आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय (समझौते की) बात-चीत में शामिल किया जाता है तथा पैकेज को अंतिम रूप देते समय राष्ट्रीय विमानकंपनियों के हितों के संबंध में उचित ध्यान दिया जाता है।

वेस्टलैंड हैलीकॉप्टरों की बिक्री

2423. श्री आर. साम्बासिवा राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपयोग में न लाये गये (ग्राउन्डेड) 19 वेस्टलैंड हैलीकॉप्टरों को ब्रिटेन के कबाड़ियों को मामूली मूल्य पर बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बरवाडीह और चिरीमिरी के बीच नई रेल लाइन का बिछाया जाना

2424. श्री इन्द्रनाथ भगत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरवाडीह (बिहार) और चिरीमिरी (मध्य प्रदेश) के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) इस नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर इस परियोजना पर विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

अनधिकृत निर्माण

2425. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन महीनों में दिल्ली और नई दिल्ली स्थित विशेषकर मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण करने के संबंध में अनेक शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन अवैध निर्माणों को गिराने के आदेश दिये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उन सम्पत्तियों और इनके मालिक का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये आदेश जारी किए गए; और

(ङ) मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, दिल्ली में अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ङ) दिल्ली में अनधिकृत निर्माण एक अनवरत समस्या है और इसे हटाना भी एक अनवरत प्रक्रिया है। जब कभी अनधिकृत निर्माण का पता चलता है या सूचना मिलती है तो संगत कानूनों के तहत संबंधित संगठनों द्वारा कार्रवाई की जाती है दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण संबंधी शिकायतों/अभ्यावेदनों के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

जहाँ तक दिल्ली के मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज के स्लम क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण का संबंध है दिल्ली पुलिस को 10 शिकायतें/अभ्यावेदन मिले हैं। दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग को छः सम्पत्तियों के संबंध में शिकायतें मिली हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र की बारह संपत्तियों में अनधिकृत निर्माण का पता लगाया है संपत्तियों का ब्यौरा और दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम का स्लम विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण में दिया गया है

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	संपत्ति की संख्या	की गई कार्रवाई
1.	दिल्ली पुलिस	104842/3, गली सं. 13 5739, गली सं. 4 8767 गली सं. 4 8766 गली सं. 4 9437 गली सं. 10 8220/6 9463-गली सं. 8 9124, 9442 (एल एण्ड टी) गली सं. 10 9516/13	कार्रवाई के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेज दिया गया है।
		9854-9855, गली सं. 6	कार्रवाई के लिए दिल्ली नगर निगम को भेजा गया है
2.	दिल्ली नगर निगम (स्लम विभाग)	9915-16/IV	अनधिकृत निर्माण गिराने की कार्रवाई की गई है।
		8767/XV 3530/XV 2890/XV 3007/XV 3053/XV	कार्रवाई हेतु यह मामले प्रक्रियाधीन हैं।
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	102/8 योग माया, गली सं. 8 9726, 9722 8767 गली सं. 4 9442/4बी, गली सं. 11 8014/8866 9101-03, 9124 गली सं. 2 9855-56, गली सं. 6 9442, गली सं. 10 214 के सामने, योग माया	दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन अनधिकृत निर्माण को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों में क्लोज सर्किट टी.वी. कैमरे लगाना

2426. श्री रामदास आठवले:
श्री प्रभाव चन्द्र तिवारी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनमें अपराध और अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए क्लोज सर्किट टी.वी. कैमरे लगाए गए हैं;

(ख) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां सरकार का वर्ष 1998-99 के दौरान क्लोज सर्किट टी.वी. कैमरे लगाने का विचार है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) उस पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) मुम्बई, भोपाल, पटना, हावड़ा, नई दिल्ली, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरू, त्रिवेन्द्रम, सिकन्दराबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, अहमदाबाद।

(ख) गुवाहाटी, चर्चगेट, सांताक्रुज, बड़ोदरा, इन्दौर, रतलाम, उज्जैन, कोटा, आगरा फोर्ट, अजमेर, आबू रोड, राजकोट, भावनगर, सियालदह, न्यू कोयलाघाट, फेयरली प्लेस।

(ग) 1998-99

(घ) 126.5 लाख (लगभग)

[अनुवाद]

आस्ट्रेलियाई वायुयान द्वारा आई.एन.एस. दिल्ली का हवाई चित्र

2427. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया के नौसेना टोही विमान ने नव-निर्मित भारतीय लड़ाकू जहाज, आई.एन.एस.-दिल्ली के जब यह नवंबर-दिसंबर, 1997 में लांगकवी (मलेशिया) की यात्रा पर था, हवाई चित्र लिए और इसकी पुनर्दुब्बी विरोधी (एन्टी सबमेराईन) लड़ाकू क्षमता से संबंधित आंकड़ों को रिकार्ड करने का प्रयास किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार की निगरानी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27.11.97 को एक आस्ट्रेलियाई नौसेना निगरानी वायुयान बंगाल की खाड़ी में पोर्ट ब्लेयर के लगभग 200 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में भारतीय नौसेना पोत दिल्ली के पास से गुजरा था। यह जलपोत पोर्ट ब्लेयर होते हुए लकावी (मलेशिया) जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार इस वायुयान ने भारतीय नौसेना पोत दिल्ली के आगे तीन सोनोबॉय फेंके।

(ख) और (ग) इस घटना को आस्ट्रेलिया सरकार के साथ उठाया गया था और आस्ट्रेलिया के इस अमैत्रीपूर्ण तथा उकसाने वाली कार्रवाई के विरुद्ध उपयुक्त विरोध दर्ज कराया गया था। इस संबंध में आस्ट्रेलिया सरकार की प्रतिक्रिया यह है कि खुले सागर में निगरानी से किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ और आस्ट्रेलियाई कार्रवाई इस क्षेत्र में अन्य सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपनाए जाने वाली कार्रवाइयों से भिन्न नहीं है।

चलती रेलगाड़ियों में आग लगने की घटनाएं

2428. श्री मोहन रावले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी रेलगाड़ियों में आग बुझाने वाले यंत्र लगे हुए हैं और रेल कार्मिक आग बुझाने में प्रशिक्षित हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं; और

(ग) चलती गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण पाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अग्नि शमकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेल सुरक्षा बल के अग्नि निरीक्षकों द्वारा सभी यात्री गाड़ियों में

आवधिक जांच की जाती है। निम्नलिखित रोधक उपाय किये जाते हैं:

(1) सभी सवारी डिब्बों में चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित किए जाते हैं।

(2) यात्री गाड़ी में ज्वलनशील वस्तुओं की ढुलाई पर निषेध हैं।

(3) प्लेटफार्म ड्यूटी पर तैनात रे.सु.ब. कर्मचारियों को ज्वलनशील वस्तुओं की अनधिकृत ढुलाई रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

(4) पार्सल बुकिंग लिपिकों और सामान बुकिंग लिपिकों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि यात्री गाड़ियों में कोई ज्वलनशील सामान बुक न किया जाए।

(5) चुनिंदा सुपरफास्ट गाड़ियों में त्वरित कार्य दल तैनात किए गए हैं जो "सीगड़ी" ढोने वाले वैंडरों सहित अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश भी रोकते हैं; और

(6) दिवाली जैसे त्यौहारों पर यात्री गाड़ियों में यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच की जाती है कि कोई पटाखे न ले जायें।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में ए.सी.-3 टियर डिब्बे लगाना

2429. श्रीमती जयन्ती पटनायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लम्बी दूरी की सभी रेलगाड़ियों में ए.सी.-3 टियर डिब्बे लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन रेलगाड़ियों में ए.सी.-3 टियर डिब्बे लगा दिए गए हैं; और

(ग) यह रेलगाड़ियां किन-किन शहरों से आरंभ होती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां। सभी रात्रिकालीन मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां, जिन्हें वात ब्रेक में बदला जा रहा है, में चरणबद्ध आधार पर ए.सी. 3 टियर शयनयानों की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग) निम्नलिखित गाड़ियों में ए.सी. 3-टियर शयनयान की व्यवस्था है:

(9.6.1998 के अनुसार)

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गंतव्य स्थल	गाड़ी का नाम
1	2	3	4
1.	2105/2106	मुंबई-नागपुर	विदर्भ एक्सप्रेस
2.	2133/2134	मुंबई-लखनऊ	पुष्पक एक्सप्रेस
3.	2137/2138	मुंबई-फिरोजपुर	पंजाब मेल
4.	1063/1064	दादर-चेन्नई	एक्सप्रेस
5.	1093/1094	मुंबई-वाराणसी	महानगरी एक्सप्रेस
6.	2301/2302	नई दिल्ली-हावड़ा	राजधानी एक्सप्रेस
7.	2305/2306	नई दिल्ली-हावड़ा	राजधानी एक्सप्रेस
8.	2303/2304	नई दिल्ली-हावड़ा	पूर्वा एक्सप्रेस
9.	2381/2382	नई दिल्ली-हावड़ा	पूर्वा एक्सप्रेस
10.	2309/2310	नई दिल्ली-पटना	राजधानी एक्सप्रेस
11.	2311/2312	हावड़ा-कालका	मेल
12.	2307/2308	जोधपुर-हावड़ा	एक्सप्रेस
13.	2391/2392	नई दिल्ली-पटना	मगध एक्सप्रेस
14.	2903/2904	अमृतसर-मुंबई	गोल्डन टेम्पल मेल
15.	2951/2952	नई दिल्ली-मुंबई	राजधानी एक्सप्रेस
16.	2953/2954	ह. निजामुद्दीन-मुंबई	अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस
17.	2471/2472	मुंबई-जम्मू तवी	स्वराज एक्सप्रेस
18.	2473/2474	अहमदाबाद-जम्मू तवी	सर्वोदय एक्सप्रेस
19.	2475/2476	राजकोट-जम्मू तवी	एक्सप्रेस

1	2	3	4
20.	2477/2478	जामनगर-जम्मू तवी	एक्सप्रेस
21.	2401/2402	नई दिल्ली-पटना	श्रमजीवी एक्सप्रेस
22.	2403/2404	दिल्ली-जम्मू तवी	पूजा एक्सप्रेस
23.	2413/2414	दिल्ली-जयपुर	एक्सप्रेस
24.	4057/4058	नई दिल्ली-वाराणसी	काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
25.	4229/4230	नई दिल्ली-लखनऊ	लखनऊ मेल
26.	2553/2554	नई दिल्ली-बरौनी	वैशाली एक्सप्रेस
27.	5621/5622	नई दिल्ली-गुवाहाटी	नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस
28.	2615/2616	नई दिल्ली-चेन्नई	जी.टी. एक्सप्रेस
29.	2621/2622	नई दिल्ली-चेन्नई	तमिलनाडु एक्सप्रेस
30.	2723/2724	नई दिल्ली-सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस
31.	2417/2418	नयी दिल्ली-इलाहाबाद	प्रयागराज एक्सप्रेस
32.	2421/2422	नई दिल्ली-भुवनेश्वर	राजधानी एक्सप्रेस
33.	2423/2424	नई दिल्ली-गुवाहाटी	राजधानी एक्सप्रेस
34.	2423ए/2424ए	नई दिल्ली-डिब्रूगढ़	राजधानी एक्सप्रेस
35.	2425/2426	नई दिल्ली-जम्मू तवी	राजधानी एक्सप्रेस
36.	2429/2430	ह. निजामुद्दीन-बेंगलुर	राजधानी एक्सप्रेस
37.	2431/2432	ह. निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम	राजधानी एक्सप्रेस
38.	2433/2434	ह. निजामुद्दीन-चेन्नई	राजधानी एक्सप्रेस
39.	2437/2438	नई दिल्ली-सिकंदराबाद	राजधानी एक्सप्रेस
40.	2957/2958	नई दिल्ली-अहमदाबाद	राजधानी एक्सप्रेस
41.	6045/6046	अहमदाबाद-चेन्नई	नवजीवन एक्सप्रेस
42.	2673/2674	चेन्नई-कोयम्बतूर	चेरन एक्सप्रेस
43.	7001/7002	हैदराबाद-मुंबई	हुसैनसागर एक्सप्रेस
44.	7007/7008	हैदराबाद-विशाखापट्टनम	गोदावरी एक्सप्रेस
45.	7031/7032	हैदराबाद-मुंबई	एक्सप्रेस
46.	2759/2760	हैदराबाद-चेन्नई	चारमीनार एक्सप्रेस
47.	2801/2802	पुरी-नई दिल्ली	पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
48.	4055/4056	दिल्ली-डिब्रूगढ़	ब्रह्मपुत्र मेल
49.	2841/2842	हावड़ा-चेन्नई	कोरोमंडल एक्सप्रेस
50.	2859/2860	हावड़ा-मुंबई	गीतांजली एक्सप्रेस
51.	2955/2956	मुंबई-जयपुर	एक्सप्रेस
52.	2961/2962	बांद्रा-इंदौर	अर्वांतिका एक्सप्रेस
53.	2901/2902	मुंबई-अहमदाबाद	गुजरात मेल
54.	2625/2626	नई दिल्ली-तिरूवनंतपुरम्	केरल एक्सप्रेस
55.	3143/3144	सियालदह-न्युजलपाईगुड़ी	दार्जिलिंग मेल
56.	5959/5960	हावड़ा-डिब्रूगढ़	कामरूप एक्सप्रेस
57.	6635/6636	कुर्ला-एर्नाकुलम	नेत्रवती एक्सप्रेस
58.	2617/2618	ह. निजामुद्दीन-मंगलौर	मंगला एक्सप्रेस
59.	1019/1020	मुंबई-भुवनेश्वर	कोणार्क एक्सप्रेस
60.	1011/1012	मुंबई-कोल्हापुर	महालक्ष्मी एक्सप्रेस
61.	9767/9768	जयपुर-चेन्नई	एक्सप्रेस
62.	2915/2916	नई दिल्ली-अहमदाबाद	आश्रम एक्सप्रेस
63.	2815/2816	नई दिल्ली-पुरी	पुरी एक्सप्रेस
64.	8475/8476	नई दिल्ली-पुरी	नीलांचल एक्सप्रेस

1	2	3	4
65.	2703/2704	हावड़ा-सिकंदराबाद	फलकनुमा एक्सप्रेस
66.	6721/6722	चेन्नई-तूतीकोरिन	एक्सप्रेस
67.	7015/7016	सिकंदराबाद-एलासा	विशाखा एक्सप्रेस
68.	2407/2408	ह. निजामुद्दीन-नागपुर	गोंडवाना एक्सप्रेस
69.	2409/2410	ह. निजामुद्दीन-बिलासपुर	गोंडवाना एक्सप्रेस
70.	1017/1018	मुंबई-बेंगलुरू	एक्सप्रेस
71.	2715/2716	अमृतसर-नांदेड़	सचखंड एक्सप्रेस
72.	8007/8008	हवड़ा-पुरी	एक्सप्रेस
73.	8015/8016	हवड़ा-हटिया	एक्सप्रेस
74.	011/012	कुर्ला-मडगांव	एक्सप्रेस
75.	2461/2462	दिल्ली-जोधपुर	मंदोर एक्सप्रेस
76.	9707/9708	मुंबई-जयपुर	एक्सप्रेस
77.	2925/2926	मुंबई-अमृतसर	पश्चिम एक्सप्रेस
78.	6337/6338	कोचीन-राजकोट	एक्सप्रेस
79.	6333/6334	त्रिवेन्द्रम-राजकोट	एक्सप्रेस
80.	6335/6336	नागरकोइल-गांधीधाम	एक्सप्रेस
81.	2619/2620	मंगलोर-कुर्ला	एक्सप्रेस
82.	1023/1024	मुंबई-सोलापुर	सिद्धेश्वर एक्सप्रेस

एशियाई विकास बैंक के साथ बातचीत

2430. श्री आर. साम्बासिवा राव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए रेलवे एशियाई विकास बैंक से ऋण के लिए बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई विकास बैंक उक्त ऋण देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह ऋण किन-किन योजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां। भारतीय रेल एशियाई विकास बैंक के साथ, भारतीय रेलों के लिए सेक्टर ऋण लेने के लिए बातचीत कर रही है।

(ख) जी नहीं। इस ऋण पर विचार किया जा रहा है। ए.वि.बैं. की प्रक्रिया के अनुसार तथ्यों का पता लगाने वाले आयोग ने मार्च, 98 में भारतीय रेल का दौरा किया था। मामला ए.वि.बैं. के विचाराधीन है। प्रस्ताव की जांच कर लेने तथा परियोजना की अनुमानित लागत का पता लगा लेने के बाद ही उनके करार का स्वरूप पता चल सकेगा।

(ग) इस ऋण के अंतर्गत भारतीय रेलों ने निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया है। एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रस्तावों की जांच करने तथा विधिवत रूप से उनके अनुमानित खर्च का आकलन करने के बाद ही एशियाई विकास बैंक के विचार पता चलेंगे।

1. दिल्ली-हवड़ा मार्ग में मालडिब्बों की विश्वसनीयता में सुधार करना।
2. दिल्ली-हवड़ा मार्ग में सिगनल की व्यवस्था में सुधार करना।
3. स्वर्णिम चतुर्भुज को अपग्रेड करने के लिए फाइबर आप्टिक नेटवर्क।
4. थोक तथा गैर थोक माल व्यापार के लिए नीति का विकास करना।
5. सार्वभौमिक आपातकालीन संचार/चल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली का कार्यान्वयन।
6. भारत और बंगलादेश के बीच रेल यातायात को बढ़ाना।
7. रेलवे बोर्ड के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली।
8. खड़गपुर-भुवनेश्वर-विशाखापट्टम खंड का विद्युतीकरण।
9. बांसपानी-तोमका नई लाइन।
10. लौह अयस्क संचलन के लिए धुरा भार में वृद्धि।

11. सोनुआ-मनोहरपुर के बीच तीसरी लाइन।

12. गुड़र-रेणीगुंटा के बीच रेलपथ का दोहरीकरण।

13. हुबली-अंकोला के बीच नई रेल लाइन।

14. ताप बिजली घरों में कोयले के टर्मिनलों का आधुनिकीकरण।

15. सीमेंट उतराई टर्मिनलों का आधुनिकीकरण।

16. सीमेन्ट संयंत्र समूहों के लिए कोयले का क्लोज सर्किट संचलन शुरू करना।

17. विशिष्टीकृत मालडिब्बा।

[हिन्दी]

सहायकों के रिक्त पद

2431. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायकों की कितनी रिक्तियां वर्ष 1983 से 1995 तक दीर्घकालिक आधार पर सीधी भर्ती, पदोन्नति अथवा आरक्षण के माध्यम से भरी गई;

(ख) क्या अधिसूचित रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरा जाना अपेक्षित था परन्तु इन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के उप नियम 13(6) के परन्तुक के अनुसार नहीं भरा गया; और

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित के अनुसार उक्त अवधि के दौरान तदर्थ और दीर्घकालिक आधार पर सहायकों की चयन सूची से कितनी रिक्तियों को भरा गया?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) 1983 से 1995 के दौरान कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को अधिसूचित सहायकों की रिक्तियों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के उप नियम 13(6) और उसके परंतुक के अनुसार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को वास्तविक रिक्तियां वार्षिक आधार पर अधिसूचित की जाती हैं। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित अभ्यर्थियों को उनकी इच्छा पर और भर्ती से पहले की औपचारिकताएं पूरी होने पर ही उन रिक्तियों पर नियुक्त किया जाता है। सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित अभ्यर्थियों की संख्या और उनमें से सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के निदेशों के अनुसार वर्ष 1990 में सीधी भर्ती कोटे की सात रिक्तियों को वरिष्ठता कोटे में बदलकर भरा गया था।

विवरण I

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को अधिसूचित रिक्तियां

वर्ष	सीधी भर्ती कोटा					पदोन्नति कोटा			
	सामान्य	अनु. जाति.	अनु. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	जोड़	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1983	20	4	1	लागू नहीं	25	19	4	2	25
1984	4	2	–	लागू नहीं	6	3	2	1	6
1985	5	2	2	लागू नहीं	9	7	2	–	9
1986	6	1	1	लागू नहीं	8	7	2	–	9
1987	15	3	1	लागू नहीं	19	15	2	2	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1988	13	4	1	लागू नहीं	18	13	4	1	18
*1989	28	5	3	लागू नहीं	36	42	8	5	55
1990	41	7	4	लागू नहीं	52	41	7	4	52
*1991	24	4	2	लागू नहीं	30	44	9	8	61
1992	18	3	2	लागू नहीं	23	18	4	1	23
1993	30	8	4	15	57	45	8	4	57
1994	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1995	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के निदेशों के अनुसार 50 : 50 के अनुपात को सीधी भर्ती के लिए 33.3% और वरिष्ठता कोटा के लिए 66.7% में बदल दिया गया है।

विवरण II

सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत नामित अभ्यर्थियों की संख्या और सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या

	प्राप्त नामांकन	सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या				
		सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	जोड़
1983	लागू नहीं	16	2	–	–	18
1984	लागू नहीं	2	1	–	–	3
1985	9	4	1	2	–	7
1986	8	5	–	1	–	6
1987	16	8	1	1	–	10
1988	17	7	2	–	–	9
1989	35	14	3	1	–	18
1990	44	8	2	2	–	12
1991	29	8	3	1	–	12
1992	19	5	2	–	–	7
1993	12	3	1	–	2	6
1994	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1995	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

विमानों की सुरक्षा

2432. श्री नरेश पुगलीया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी विमानों में एयरबोर्न कालिजन एबोइडेंस सिस्टम का लगाया जाना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने निजी एयरलाइन्स को निर्धारित अवधि के भीतर अपने विमानों में इस प्रणाली को लगाने के निदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे विमानों को किस सीमा तक सुरक्षा मिलेगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) जी, हां। उन सभी विमानों पर 31 दिसम्बर, 1998 तक अथवा इससे पूर्व, एयरबोर्न कालिजन एवोइडेंस सिस्टम (एसीएएस)-2 लगाना अपेक्षित कर दिया गया है जिनकी यात्री सीटिंग क्षमता 30 से अधिक है अथवा जिनकी पे-लोड क्षमता 3 टन से अधिक है। 10 से 30 यात्री क्षमता अथवा 1 से 4 टन की पे-लोड क्षमता वाले विमानों पर 31 दिसम्बर, 2003 तक अथवा इससे पूर्व एसीएएस-1 लगाना अपेक्षित कर दिया गया है।

(घ) एयरबोर्न कालिजन एबोइडेन्स सिस्टम (एसीएएस) लगे होने पर जब कभी भी दो विमान खतरनाक तरीके से एक दूसरे से काफी करीब आ जाते हैं, तब यह विमानचालकों को सावधान करके बीच आकाश में परस्पर टक्कर को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रणाली में दृश्य और श्रव्य चेतावनी देने और मध्य आकाश में होने वाले संभावित टक्कर को रोकने के लिए अपेक्षित उपचारी कार्रवाई करने के लिए कर्मीदल को परामर्श देने की भी व्यवस्था है।

बंगलौर के लिए एम.आर.टी.एस.

2433. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गत वर्ष बंगलौर नगर के लिए "मास रैपीड ट्रांजिट सिस्टम (एम.आर.टी.एस.)" आरंभ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी, नहीं। बंगलौर में हल्की रेल परिवहन प्रणाली (एल.आर.टी.एस.) के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) राज्य सरकार द्वारा बनायी जा रही है। इस संदर्भ में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) पूरा होने के बाद ही सही ब्यौरे ज्ञात होंगे।

अपराह्न 12.00½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 658/98]

(ख) (एक) पवन हंस हैलीकाप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 659/98]

(ग) (एक) इंडियन एयरलाइंस, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन एयरलाइंस, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 660/98]

(3) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 28 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 661/98]

(5) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 662/98]

(7) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 663/98]

हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग आदि के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 664/98]

(3) (एक) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्टस, बटोटे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, बटोटे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 665/98]

(5) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 666/98]

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 667/98]

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 668/98]

(तीन) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 669/98]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत डाइनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डाइनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 670/98]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): मैं शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 671/98]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 672/98]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के पर्यटन विभाग की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): मैं नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन विभाग की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 673/98]

श्रम मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): मैं श्री पी.आर. कुमारमंगलम की ओर से श्रम मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 674/98]

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, कलकत्ता आदि का 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 675/98]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 676/98]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 677/98]

(घ) (एक) भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, बोकारो के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, बोकारो का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 678/98]

(ङ) (एक) मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 679/98]

(च) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 680/98]

(छ) (एक) स्पंज आइरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आइरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 681/98]

(ज) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, औरगम पोस्ट, के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, औरगम पोस्ट का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 682/98]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 683/98]

(दो) इस्पात मंत्रालय और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 684/98]

(तीन) कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 685/98]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (1998 का संख्यांक 4) (वाणिज्यक)-दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 686/98]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुरेश प्रभु के स्थान पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 687/98]

31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संस्करण 3 और 4)

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): श्री यशवंत सिन्हा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्यांक 3) (सिविल) निष्पादन मूल्यांकन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 688/98]

(दो) मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्यांक 4) (सिविल) अन्य स्वायत्तशासी निकाय।)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 689/98]

भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): श्री राम नाईक की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 690/98]

(3) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 691/98]

(5) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 692/98]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम शून्यकाल की कार्यवाही आरंभ करेंगे। मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम पिछले कुछ दिनों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात पर गौर करूंगा। मैं सूची के अनुसार नाम बोल रहा हूं। कृपया इस बात को समझे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* यह पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना है। हमने इस संबंध में नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी का नाम पुकारा था। कृपया इस बात को समझे। 40 माननीय सदस्यों के नाम सूची में हैं। मैं सभी को सूची के अनुसार बुला रहा हूँ। माननीय सदस्यों ने गत दो दिन में नोटिस दिए हैं। अब कृपया इस बात को समझें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम गत तीन या चार दिनों से इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे इस बात को समझें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कई माननीय सदस्यों ने शून्य काल के दौरान अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए गत दो-तीन दिनों में नोटिस दिये हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमारी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझें। केवल दो दिन शेष रह गये हैं। मैं शून्य काल के बाद ही आपकी बात सुनूँगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मारुति उद्योग की बात किसी अन्य कार्य से महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)* यह सौदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पूर्ण आत्मसमर्पण करना है। कृपया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात पर गौर करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया इस पर चर्चा की अनुमति दें। हम सभी ने नोटिस दिये हैं। हम इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात पर गौर करूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय खाद्य मंत्री जी का ध्यान उत्तरांचल प्रदेश में खाद्यान्न की जो भयंकर स्थिति में है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे चेम्बर में आना तब मैं आपसे बात करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द खण्डूरी, एवीएसएम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी का ध्यान उत्तरांचल प्रदेश में खाद्यान्न की भयंकर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। आज उत्तरांचल में पी.डी.एस. के द्वारा प्रति राशन कार्ड पर मात्र छः किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* उस राशन कार्ड पर चाहे एक व्यक्ति हो या दस बच्चे हों, सबके लिए प्रति माह छः किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* मैं खाद्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रति माह जो छः किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, वह 10 बच्चों के लिए किस प्रकार पर्याप्त होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री खण्डूरी जी के भाषण को ही रिकार्ड किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अपने चेम्बर में आपके साथ चर्चा करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझें। हम इस पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम इस चर्चा के लिए समय निर्धारित कर लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय, इस पर वह विचार करें। उत्तरांचल में पी.डी.एस. के तहत प्रति राशन कार्ड पर छ: किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है जो पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। उत्तरांचल में खाद्यान्न पैदा नहीं होता है। इस वजह से पिछली सरकारों ने आर.पी.डी.एस. की स्कीम उत्तरांचल के अंदर चलाई थी। अब पावर्टी लाइन और बिलो पावर्टी लाइन के तहत खाद्यान्न का कोटा कम कर दिया है। वहां केवल छ: किलोग्राम प्रति राशन कार्ड पर दिया जा रहा है। मेरा खाद्य मंत्री जी से निवेदन है कि उत्तरांचल के लिए वह इस व्यवस्था को बदलें और पी.डी.एस. के तहत प्रति राशन कार्ड पर प्रति यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न बांटे और कम से कम 10 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड पर दे। मेरा यह भी आग्रह है कि इसके लिए आप केन्द्र से तुरंत खाद्यान्न रिलज करायें क्योंकि प्रति राशन कार्ड प्रति माह जो छ: किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है चाहे वह 10 आदमियों के लिए हो या 15 आदमियों के लिए हो, वह बढ़ सके। उत्तरांचल के साथ यह घोर अन्याय है क्योंकि उत्तरांचल में खाद्यान्न पैदा नहीं होता है और वह पूरे का पूरा पी.डी.एस. के ऊपर निर्भर है। इसलिए मेरा खाद्य मंत्री से निवेदन है कि वह प्रति यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न अथोराइज्ड करायें और कम से कम 10 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह केन्द्र सरकार से रिलीज करायें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विलास मुत्तेमवार, कृपया बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सूची के अनुसार बुला रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी पार्टी के सदस्य को बोलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वामी, कृपया बैठ जाइए। मैं सूची के अनुसार ही बुला रहा हूँ। यह ठीक बात नहीं है। मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सूची के अनुसार ही सभी को बुला रहा हूँ। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री विलास मुत्तेमवार का नाम पुकारा है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हम नोटिस दे चुके हैं।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी (मदुरै): महोदय, आप श्री वी. सत्यमूर्ति को इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने क्यों नहीं देते हो?
...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में स्वास्थ्य के मामले में सरकार का इस ओर विशेष ध्यान नहीं है। जितनी स्वास्थ्य की उपेक्षा हो रही है, वह हम सबके लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए तथा मानवता एवं संवेदनशीलता

चिकित्सा पेशे से खत्म हो गई है, ऐसा नजारा हमारे अस्पतालों में नजर आता है। यहां सेवाभाव से काम नहीं होता बल्कि नौकरी की भावना रहती है। नागपुर में भी स्वास्थ्य के मामले में बड़ी उपेक्षा हुई है। मैं नागपुर के मैडिकल कालेज और मेयो अस्पताल के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नागपुर का मैडिकल कालेज एक जमाने में एशिया का सबसे बड़ा कालेज था। लेकिन आज इन दोनों अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और राज्य सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं है। वहां सुपर स्पैशलिटी फैसीलिटीज होने के बावजूद भी सब उपकरण, यंत्र बंद पड़े हुए हैं, जिसमें ईको, कैटस्कैन, टी.एम.टी. तथा एम.आर.आई. टेस्ट सहज उपलब्ध नहीं है तथा कई बार लापरवाही से गलत रिपोर्ट दी जाती है। कोई भी टेस्ट ठीक ढंग से नहीं होता। आज ऐसा पाया जाता है कि इस अस्पताल में आइए और दो बीमारी मुफ्त में पाइए। वहां इस तरह का वातावरण है। सब जगह गंदगी छाई हुई है। डाक्टर वक्त पर नहीं मिलते, नर्सेस का पता नहीं है और रात को तो इतनी असुविधा होती है कि यदि वहां इमरजैंसी में कोई मरीज आ जाए तो उसे सेवाएं नहीं मिलती। मैं कहना चाहता हूं कि अब नागपुर की आबादी 25 लाख से ऊपर हो गई है और वह विदर्भ का मुख्य स्थान है, एक जमाने में मध्य प्रदेश की राजधानी थी। विदर्भ के सब जिलों से लोग वहां इलाज कराने के लिए आते हैं। वहां इस तरह से गंदगी है कि वह अस्पताल लगता ही नहीं है। वहां गंदगी का इतना साम्राज्य है कि उसे देखते हुए कोई भी इलाज के लिए नहीं जाएगा। ...*(व्यवधान)* कुत्ते, बिल्ली और जानवर खुलेआम घूमते हैं और लगता है कि ये जानवरों के अस्पताल हैं। एक जमाना ऐसा था कि लोग वहां तफरी के लिए जाते थे, अच्छी तबियत और अच्छी करने के लिए जाते थे। लेकिन आज जो लोग मरीज को मिलने भी जाते हैं, अपने साथ एक बीमारी मुफ्त में पाते हैं। ...*(व्यवधान)* इस तरह का वातावरण अस्पताल और नागपुर के मैडिकल कालेज में है। वहां बच्चे पढ़ते भी हैं। यदि हमारे मैडिकल कालेज की हालत इस तरह होगी तो यह गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि विदर्भ की लगातार उपेक्षा हो रही है और आपको मैडिकल कालेज के बारे में तो ध्यान देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* दवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए लेकिन दवाएं नहीं मिलती, डाक्टर नहीं मिलते। मेरा आग्रह है, आप राज्य सरकार से कहेंगे कि विदर्भ में एशिया के सबसे बड़े अस्पताल, मैडिकल कालेज की तरफ अविलम्ब ध्यान दें और लोगों की तकलीफें दूर करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरन (तिरुअनन्तपुरम): अध्यक्ष महोदय, कुछ अवसरों पर हमें औपचारिकता से नहीं चलना चाहिए। मारुति से जुड़ा मुद्दा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। महोदय, मेरा निवेदन है कि आप हमें मारुति के मुद्दे पर इसी सत्र के दौरान चर्चा करने की अनुमति दे।

महोदय, इस सरकार ने सुजूकी मोटर का. नाम भी एक प्राइवेट पार्टी को 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेच डाली है। हमने अपने सभी अधिकारों को इसे सौंप दिया है। यह कम्पनी एक प्रतिष्ठित सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसका निर्माण इस देश की जनता ने किया था और जो भारत सरकार के नेतृत्व में कार्य कर रही है।

महोदय, दुर्भाग्य से मैं यहाँ उस समय मौजूद नहीं था जब पिछली बार सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के हितों तथा सरकार के हितों के विपरीत है।

महोदय, जिस कम्पनी ने केवल 103 करोड़ रुपये का निवेश किया है वही कम्पनी पहले से एकमुस्त 300 करोड़ रुपये ले चुकी है। फिर इस उद्योग को अपनी शर्तों के अनुसार चलाने की अनुमति दे दी गयी है। इस कम्पनी में प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष दो प्रमुख कार्यपालक हैं।

दोनों को सुजूकी कम्पनी लि. को दे दिये गये हैं जबकि प्रबंधक निदेशक या अध्यक्ष सरकार के साथ है। ऐसा बारी-बारी से किया जाता है। आज आपने सब कुछ सौंप दिया है। ...*(व्यवधान)* सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को संयुक्त प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। दुर्भाग्य से, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने ही इस संबंध में पहल की थी। उन्होंने ही उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की थी। अब उसी व्यक्ति को उस कम्पनी का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।

श्री के. करुणाकरन: मेरा निवेदन है कि आप चर्चा को होने दें। केवल यही नहीं ...*(व्यवधान)* कृपया, इन सब बातों की विस्तृत जानकारी के लिए एक समिति का भी गठन कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुरासोली मारन, कृपया बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया इस बात को समझिए कि मैंने श्री मारन को उसी मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्यमूर्ति जी, कृपया इस बात को जरा समझिए कि मैंने श्री मारन को उसी विषय पर बोलने के लिए कहा है। यह कोई भिन्न विषय नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण): यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकूरा): यह सब क्या हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, क्या अनुच्छेद 356 पर हर रोज चर्चा की जानी चाहिए? वे इसका मखौल उड़ा रहे हैं। वे क्यों चिल्ला रहे हैं? वे भी सरकार का एक घटक हैं और वे यह हर रोज कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्यमूर्ति जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह उचित नहीं है। बहुत हो गया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्यमूर्ति, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह उचित नहीं है। यह तो अति हो गई।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री सत्यमूर्ति, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। महोदया, आप भी अपने स्थान पर बैठ जाएं।

अपराह्न 12.20 बजे

(इस समय, श्री वी. सत्यमूर्ति, डा. सुब्रहमण्यम स्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री चारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): यह लोकतंत्र का मखौल है। यह तो मजाक बनकर रह गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: ये लोग हर रोज यही कर रहे हैं। यह कब तक चलेगा? सरकार में अन्य लोग बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा सदन मजाक बनकर रह गया है। *...(व्यवधान)* वे फिर बाहर चले गए हैं। वे इस सभा को विधान सभा की तरह मान रहे हैं। वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैंने श्री मारन को अनुमति दी थी। प्रो. कुरियन, मैंने श्री मारन को पहले ही अनुमति दे दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन: क्या यह लोकतंत्र का मखौल नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री मारन को पहले ही अनुमति दे चुका हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

प्रो. पी.जे. कुरियन: यह लोकतंत्र का मखौल है यह तो ... के साथ मिलकर किया जा रहा है *...(व्यवधान)* सरकार को कुछ करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री मारन को पहले ही अनुमति दे चुका हूं। नहीं, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। उसके बाद हम देखेंगे।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य): मैं श्री करुणाकरन के दु:ख को समझ सकता हूं। मारुति 10,000 करोड़ की पूंजी की कम्पनी नहीं है बल्कि यह 15,000 करोड़ रुपये पूंजी की कम्पनी है। यह भारत रत्न है और एशिया का रत्न है। ऐसी कम्पनी को जापानियों को बेच दिया गया है। इसे अपने सम्पूर्ण हितों की अनदेशी कर बेच दिया गया है।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब हम श्री भास्कराडु को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ-तो दलों ने सुजुकी के खिलाफ सरकार का पुरजोर समर्थन किया था। यह सर्वसम्मति का निर्णय था। कुछ व्यक्तियों विशेष द्वारा ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों-कांग्रेस, मार्क्सवादी, सीपीआई, बी.जे.पी. और सभी दलों ने समर्थन किया था। मैं एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा लिखे गये पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह शून्यकाल है। आप अपनी बात कह सकते हैं। कृपया बात को समझिए। आप चर्चा नहीं कर सकते। श्री मारन, आप शून्यकाल में चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप एक मामला उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, अगर ये इश्यू उठाना चाहते हैं तो इण्डस्ट्री मिनिस्टर यहां आ जाएं, तब उठाएं, वे इसका जवाब दे देंगे *...(व्यवधान)* अगर यह इश्यू इनको उठाना हो तो इंडस्ट्री मिनिस्टर यहां रहें, तब उठाएं। तभी वे इसका जवाब दे सकेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मारन, आप केवल मुद्दा उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: यह रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मारन, कृपया समझने की कोशिश करिए। आप केवल मामले का उल्लेख कर सकते हैं। आप इस पर शून्यकाल के दौरान चर्चा नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारन: महोदय, मैं कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, इसे प्रोसीडिंग्स में से निकालिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मारन, कृपया समझने का प्रयास करिए।

आप केवल मामले का उल्लेख कर सकते हैं। आप शून्यकाल के दौरान इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल (गोधरा): अध्यक्ष जी, गुजरात में साइक्लोन आ गया है उसमें हजारों लोग मर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मारन, कृपया एक मिनट रुकिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मारन जी कृपया एक मिनट मेरी बात सुनें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मारन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री मारन, कृपया परिस्थिति को समझिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पुरुषोत्तम दास पटेल : गुजरात में बाढ़ से लोग मर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: महोदय, कृपया मुझे कुछ पंक्तियां उद्धृत करने की अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना: हम चर्चा के लिए तैयार हैं *...(व्यवधान)* हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सरकार को इस मामले पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारन: अब समय कहां है? *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर मैं कल अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

श्री किशनलाल दिलेर (हाथरस): अध्यक्ष जी, गत चार जून, 1998 को गाजियाबाद में दो सफाईकर्मियों को उनके अधिकारियों द्वारा बिना मास्क के सीवर साफ करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। *...(व्यवधान)* यह केवल गाजियाबाद या एक प्रदेश की समस्या नहीं है, सफाईकर्मियों की यह राष्ट्रीय स्तर पर समस्या है। *...(व्यवधान)* इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि सभी सफाईकर्मियों को मास्क तत्काल उपलब्ध कराये जायें। *...(व्यवधान)* उक्त मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपया मुआवजा प्रदान किया जाये तथा राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को अविलम्ब पांच लाख रुपया मुआवजा प्रदान करें। *...(व्यवधान)* उनके आश्रितों को नौकरी का प्रावधान किया जाये, क्योंकि मेनहोल की गैस से संघर्ष करके उनको मौत से जूझना पड़ता है। *...(व्यवधान)* आये दिन यह घटनाएं घटती रहती हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मारन, यह मामला अब खत्म हो गया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बालू, बहुत हो गया। मैंने चर्चा की अनुमति पहले ही दे दी है।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, कृपया श्री मारन को अपनी बात कहने का अवसर दीजिए।

...(व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, सभा में कुछ शान्ति भी रहनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री मारन को अनुमति दी थी और सरकार ने भी उत्तर दिया था कि उन्हें इस विषय पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारन: महोदय, यह अध्यक्षपीठ ने उचित नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय: यह आपने भी ठीक नहीं किया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या कहना है।

श्री मुरासोली मारन: मेरा कहना है कि मैंने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की है। महोदय, मारुति संयुक्त उद्यम है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

...(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारन: महोदय, मारुति एक संयुक्त उद्यम है बातचीत द्वारा किए गए समझौते से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बातचीत का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है दो और लो। लेकिन आपने क्या लिया और क्या दिया? सुजुकी ने जो कुछ मांगा उसे पूर्ण से मान लिया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मारन, आपने अपनी बात कह दी है। खैर, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया अब आप बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, गुजरात में भीषण रूप से तूफान आया है और हजारों करोड़ रुपये की क्षति हुई है *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): सैंकड़ों लोग मारे गए हैं *...(व्यवधान)*

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुनते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सूची में से नाम बोल रहा हूँ। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.33 बजे

(इस समय दिन्शा पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

अपराह्न 12.33 $^{1}/_{4}$ बजे

(इस समय दिन्शा पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गए)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): गुजरात के बारे में भी कुछ सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर आ रहे हैं।

[अनुवाद]

मेरे पास सूची है और मैं उसमें से नाम बोल रहा हूँ अब मैं श्री के. रोसैया को बुला रहा हूँ।

...(व्यवधान)

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश में आज भी ऐसे गांव हैं जहां हरिजनों को पानी नहीं लेने दिया जाता है। उदाहरण के लिए, इनुगुपालेन गाँव जो आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले के विनुकोंडा मंडल में है। हरिजनों को गांव को मुहैया कराए गए पानी में से 1994 से पीने का पानी नहीं लेने दिया जा रहा है।

हालांकि पाइपलाइन हरिजनवाद तक बिछायी गयी थी *...(व्यवधान)* गांव के नेता लोग हरिजनों को पेयजल लेने से रोक रहे हैं। हरिजनों ने जिला प्रशासन को कई अभ्यावेदन दिये हैं किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ *...(व्यवधान)* हरिजन इस मामले में मदद के लिए पंचायती राज विभाग अधिकारियों से भी मिले। किन्तु पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों ने यह कहते हुये इस मामले में अपनी असमर्थता व्यक्त की कि योजना हो चुकी है और इसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया है *...(व्यवधान)*। इस प्रकार से, गत चार वर्षों से, हरिजन अपनी शिकायतों के निवारण हेतु दर-दर भटक रहे हैं, किन्तु उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल: प्रधान मंत्री जी अभी तक वहां नहीं गए। ...*(व्यवधान)**

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री जी के बारे में टिप्पणी की है उसे कार्यवाही से निकाला जाए। ...*(व्यवधान)* ऐसे नहीं चलेगा। इन्होंने प्रधान मंत्री जी के बारे में कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं ये शब्द कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा): यह इधर का या उधर का मामला नहीं है और न ही किसी पार्टी का मामला है। गुजरात में जो ट्रैजिडी हुई है, आज गृह मंत्री जी वहां गए हैं, कल सदन का सत्र खत्म हो जाएगा।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): उस पर डिसकशन तो आप लोग होने नहीं दे रहे हैं। कभी मारुति आ रही है, कभी और कुछ आ रहा है। आपके लोग ही व्यवधान डाल रहे हैं। हमारे सदस्य गुजरात की बात उठाना चाहते हैं और आपके लोग बोलने नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)***

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा): अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने सदस्यों को भी बैठ जाने को कहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: ये गम्भीर नहीं हैं, गम्भीर होते तो वहां जाते। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): गुजरात में भी आपकी सरकार है, यहां भी आपकी सरकार है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री फातमी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं लिया जाये।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट: महोदय कल कृषि मंत्री जी ने बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में वहां के हालात का जिक्र किया है कि वहां पर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। ...*(व्यवधान)* आज तीन दिन हो गए हैं, सरकार को ब्यान देना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है ...*(व्यवधान)* गृह मंत्री जी गए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन: वह उन्होंने बताया है ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: गृह मंत्री जी वहां पर गए हैं। वहां से खबर लेनी होगी। इसलिए आज शाम तक या कल तक, इस चिन्ता को दूर करने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं, वे बतायें। यही हमारी बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, हम गुजरात मुद्दे का समर्थन करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगभग सम्पूर्ण गुजरात आपदाओं से घिरा है। राष्ट्र से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार स्वत: वक्तव्य क्यों नहीं देती? ...*(व्यवधान)* आज तक और भी क्षतियां हुई हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, प्राकृतिक आपदा को राजनीति के साथ जोड़ना उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: सुनिए। अभी वहां से कहा गया कि दोनों जगह सरकारें आपकी हैं-क्या प्राकृतिक आपदा पार्टियों को देखकर आती हैं कि किसकी सरकार कहां पर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, जैसा आपने कहा है ...*(व्यवधान)* यह प्राकृतिक आपदा है। होम मिनिस्टर आज गुजरात गए हैं। वहां ऑन-द-स्पाट स्टडी करेंगे कि क्या हुआ है और कल तक या आज रात को या कल सुबह तक आ जायेंगे और आपके सामने तथ्य आ जायेंगे और पूरी स्थिति सदन को बताई जायेगी। ...*(व्यवधान)* मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब डा. सुगुण कुमारी बोलें!

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नये सदस्यों को मौका दे रहा हूं। कृपया बैठ जाईये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने डा. सुगुण कुमारी को अनुमति दी है। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाईये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, यह सरकार इस समस्या के प्रति पूरी तरह से गम्भीर है। कल स्टेटमेंट दिया है और आज आडवाणी जी वहां पर गए हैं। आपको सदन में बताया जाएगा।

[अनुवाद]

डा. सुगुण कुमारी चलामेला (पेद्दापल्ली): अध्यक्ष महोदय, एक समाचार पत्रों में रिपोर्ट है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल डा. सुगुण कुमारी की बातचीत कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की जायेगी।

...*(व्यवधान)*

डा. सुगुण कुमारी चलामेला: अध्यक्ष महोदय, एक समाचार रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ दिन पहले कम्प्युटर विद्रोह हुआ था अर्थात् किराये के तीन किशोर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा कम्प्यूटर नेटवर्क में घुस गये और उन्होंने संवेदनशील परमाणु हथियार संबंधी गुप्त दस्तावेज चुराये ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए मैं सदन से वाक-आउट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.45 बजे

(तत्पश्चात् श्री नरेन्द्र बुडानिया सभा भवन से बाहर चले गए)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया नये सदस्य को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय उन्होने कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां क्षति हुई है, उसमें राजस्थान है, गुजरात है, सबके बारे में बतायेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सुगुण कुमारी: महोदय, उन्होंने विश्वव्यापी जाल को बदल दिया है ...*(व्यवधान)* मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, उधर से कहा गया कि दोनों जगहें सरकारें इनकी है। क्या इसमें राजनीति नहीं है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बिना किसी क्रम के सबको बोलने का मौका कैसे दे सकता हूं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं प्रत्येक को सूचीनुसार अनुमति दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर कुरियन, आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर कुरियन, मैं आपको इनके बाद बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री सुगुण कुमारी चलामेला: महोदय, हाल ही में की समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट आयी है कि कुछ दिन पहले भाड़े के तीन किशोरों ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा कम्प्यूटर नेटवर्क में घुसकर संवेदनशील परमाणु हथियार संबंधी गुप्त तथ्य चुराने का दावा किया है। उन्होंने वहां एक विश्वव्यापी बेवसाइट में परिवर्तन कर दिया।

महोदय मैं माननीय प्रधान मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या बी.ए.आर.सी. में सभी ऐरे-गैरे जा सकते हैं। कौन-सी संवेदनशील सूचना लीक हो गयी है? क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिये गये हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं कि ऐसा भविष्य में फिर कभी नहीं होगा।

प्रो. पी.जे. कुरियन: यह एक महत्वपूर्ण मसला है।

अध्यक्ष महोदय: किन्तु आप लोग उन्हें यह बात कहने नहीं दे रहे थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं मार्क्सवादी दोस्तों सहित सभी को बोलने का मौका दूंगा।

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि यह सदन विपक्ष के सहयोग से ही चलाया जा सकता है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि यहां जिस तरह की घटनायें हो रही हैं, वे हम सबके लिए अच्छी नहीं है।

महोदय, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में चक्रवात से 400 से अधिक हमारे भाइयों की जानें गयीं।

यह कोई साधारण मामला नहीं है और यह एक महत्वपूर्ण मामला है। जिस पर तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तीन दिन पहले, यहां पर इस मामले में चर्चा हुयी थी और कृषि मंत्री *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? मैंने प्रोफेसर कुरियन को बोलने की अनुमति दी थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह अच्छी बात नहीं है। मैंने एक सदस्य विशेष को बोलने की अनुमति दी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इस सभा में बहुत से वक्ता हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, माननीय कृषि मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि कार्यवाही की जा रही है। किन्तु इसमें बहुत सी जानें चली गयी हैं और यह इतना अत्यावश्यक मामला है कि इस सभा में प्रत्येक सदस्य इससे चिन्तित है और उसे इस संबंध में की गयी कार्यवाही को जानने का अधिकार है। गृह मंत्री वहां का दौरा कर चुके हैं। सरकार की बहुत-सी एजेंसियां हैं और यह

सतत रूप से यह जानकारी प्राप्त कर सकती है कि वहां क्या कार्यवाही की गयी है। कल, सभा स्थगित हो रही है। हम भी उतने ही चिन्तित हैं, जितने आप। ऐसा नहीं है कि केवल गुजरात के सदस्यों को ज्यादा चिन्ता है। इस मामले में प्रत्येक भारतीय चिन्तित है। हमारा देश एक है और हम धर्म अथवा भाषा के नाम पर इसे बांटने का प्रयास नहीं करते। यह अच्छी बात नहीं है। अत: हमारे सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या कार्यवाही की गयी है। हम केवल उत्तर चाहते हैं। यह कहने कि बजाय कि सरकार ने यह कार्यवाही की है, भारत सरकार के मंत्री ही हम पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सत्तारूढ़ दल से ऐसी प्रतिक्रिया की आशा नहीं की थी। मान लीजिए यदि किसी सदस्य को यह आरोप सटीक लगता है, तो हमें उसका उत्तर देने का अधिकार है, किन्तु यदि माननीय अध्यक्ष अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, हम उसका उत्तर देने की अनुमति नहीं देते, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे चोट पहुंची है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं।

अब मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यदि उनके पास गुजरात में की जा रही कार्यवाही संबंधी जानकारी है, तो कृपया हमें बतायें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी खड़े हैं। कृपया आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: कुरियन साहब ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूं। मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया, आपने जो कहा मैं उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे कष्ट यह हुआ कि वहां से आवाज आई कि दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुत्तेमवार, पहले मंत्री जी की बात सुनी जाये, श्री फातमी जी, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): खुराना जी, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मैंने किसी के ऊपर चार्ज नहीं लगाया। *...(व्यवधान)* मुझे क्षमा करें। *...(व्यवधान)* मैं दोबारा यह कहना चाहता हूं कि यह मामला राजनीति से बहुत ऊपर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से गंभीर है। *...(व्यवधान)* कल स्टेटमेंट दिया और आज आडवाणी जी स्वयं गए हैं। *...(व्यवधान)* स्थिति का जायजा लेकर कल आपको पूरा बता देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनके बाद, मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष जी, मैंने यह बात कही थी कि दोनों जगह आपकी सरकार है। जब कल यह मामला सदन के सामने आया तो सारे लोगों ने समर्थन किया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कठेरिया जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: वहां के लिए जो कुछ हो सके वह हमें करना चाहिए। आज भी सारे सदन के जितने भी मेम्बर्स यहां मौजूद हैं उनको यही उम्मीद है कि सरकार वहां के लिए काम करेगी। आपको सदन ने पूरी शक्ति दे दी, पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप सब जगह सही तरीके से काम करें, सही तरीके से लोगों की मदद करें। *...(व्यवधान)* इसका मतलब यह है कि यह

सरकार काम करने में अक्षम है। ...*(व्यवधान)* मैंने यह कहा था कि दोनों जगह आपकी सरकार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महोदया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी को न कि आपको अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभु दयाल कठेरिया के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): अध्यक्ष जी, गुजरात के मुख्यमंत्री, श्री केशुभाई पटेल ने तूफान आने से पहले ही बहुत अच्छा प्रबंध किया था। विधायकों को अलग-अलग स्थान की ड्यूटी सौंपी गई थी। अधिकारीगण और तंत्र को भी सतर्क कर दिया था। चेतावनी के संदर्भ में सभी सुरक्षा कदम उठाए थे किंतु कुदरत के सामने आदमी नगण्य है। तूफान इतना भारी था, ...*(व्यवधान)* इस तूफान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 50,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। आडवाणी जी और हमारे वहां के दो सांसद पुष्पदान जी और चंद्रेश भाई, ये दोनों वहां दौरे पर गए हुए हैं। कल सदन में हम गुजरात की बात कर रहे थे। आपने दूरदर्शन में लोक सभा के समाचार सुने होंगे, वहां बोला गया था कि गुजरात की बात शोरगुल में सुनी नहीं गई।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि को पीड़ित लोगों के प्रति जरा भी संवेदना नहीं है। ...*(व्यवधान)* सारे देश की जनता क्या सोचेगी कि चुने हुए प्रतिनिधि प्राकृतिक आपदा में भी एक बन कर काम नहीं कर सकते। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ...*(व्यवधान)* हमारी पूरी बस्ती समुद्र में बह गई है और वहां नमक में काम करने वाले लोग मर गए हैं। ...*(व्यवधान)* आप उनकी मदद कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष जी, मैं सदन से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इसको आप राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं। ...*(व्यवधान)* यह आशंका थी कि बड़ी भारी मात्रा में चक्रवात आने की संभावना है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.00 बजे

120-125 किलोमीटर की रफ्तार से चक्रवात के आने की सम्भावना थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? यह अच्छा नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको राजनैतिक इश्यू न बनाए। ...*(व्यवधान)* 1500-2000 के करीब लोग मारे गये हैं, आप हमारी भावनाओं को समझिए, आप बार-बार बीच में खड़े हो जाते हो। ...*(व्यवधान)* इस प्राकृतिक आपदा पर सबको एक होना चाहिए। मैं 1989 से सदन का सदस्य हूं। जब-जब कुदरती विपदा आई है, सदन उस कुदरती विपदा से लड़ने के लिए हमेशा एक हो गया है। कुदरती विपदा इंसान के बस की बात नहीं है। दो हजार के करीब लोग मारे गये हैं। समुद्र की लहरें 20-20 मीटर ऊंची उठ गयी थी। कांडला पोर्ट और आस-पास का सारा क्षेत्र तबाह हो गया है। कोई भी सरकारी तंत्र जागरूक होते हुए भी इतनी बड़ी कुदरती विपदा के आगे टिक नहीं पाता। मैं प्रार्थना करता हूं कि इतनी बड़ी कुदरती विपदा को राष्ट्रीय तमाशा न बनाया जाए। हमारी संवेदनाएं आप समझने की कोशिश करें। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार को, जब दो हजार के करीब लोग मारे जाएं, पचास हजार लोगों का पता न हो, तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्पत्ति नष्ट हो गयी हो, तो इस कुदरती आपदा में सदन को एक होकर इस विपदा से लड़ने के लिए कोई अच्छा सा कदम उठाना चाहिए। हमारी राज्य सरकार ने अपने समूचे साधन, मानव शक्ति लगाकर इस कुदरती विपदा पर नियंत्रण पाने के लिए काम शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार ने भी सहायता की घोषणा की है। हमें अधिक धनराशि और पैसों की जरूरत के साथ-साथ पूरे सदन के सहयोग की भी जरूरत है। राजनीति से ऊपर उठकर सारा सदन हमें सहयोग दे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आज आडवाणी जी वहां गये हैं, लेकिन एक और टीम भी भेजकर वहां हुए नुकसान का अनुमान लगाया जाए और ज्यादा से ज्यादा केन्द्र सरकार की ओर से हमें धनराशि मुहैया कराई जाए और पूरा सदन इसमें सहयोग दें, यही मेरी प्रार्थना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अनुमति दें तो मैं सभी नाम पुकारूंगा। अन्यथा यह आपका ही नुकसान है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक को बोलने के लिए कह रहा हूं। श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बुलाऊँगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहने से पूर्व प्रतिपक्ष के साथी राजेश पायलट जी और कुरियन जी, जो कांग्रेस दल के बड़े नेता हैं से कहना चाहता हूं कि हम लोग भी प्रतिपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आज जिस प्रकार का आचरण प्रतिपक्ष की ओर से हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष जी, हमने इन्हें 40 साल झेला है, ये हमें कम से कम 40 महीने तो झेलें। विरोध को झेलना बड़ा भारी होता है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया: मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सन् 1990-91 में दूरसंचार व्यवस्था एम.ए.आर.आर. शुरू की गयी थी। भारत सरकार ने करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया है। देश के सारे राज्यों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार ने इस पर जो रुपया खर्च किया है वह बेकार जा रहा है और यह स्कीम समाप्त प्राय: गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एम.ए.आर.आर. के लट्ठे गड़े हुए हैं, सारी बैटरियां सड़ गयी हैं, संचार व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं कर रही है। अगर कोई आपदा आए और संचार व्यवस्था ठीक कार्य कर रही हो तो हम जिले या हैडक्वार्टर को उसकी सूचना दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से दूरसंचार मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस स्कीम एम.ए.आर.आर. को ठीक कराया जाए, विशेषकर मैं अपने क्षेत्र आगरा, फैजाबाद की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन): अध्यक्ष महोदय, मैं केरल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ। सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से केरल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बाधित होगी। कल, माननीय कृषि मंत्री जी ने एक वक्तव्य के माध्यम से तेल निकाले जाने वाले सूखे नारियल (मिलिंग कोपरा) और साबुत नारियल (बाल कोपरा) के न्यूनतम समर्थन मूल्य इनके लागत मूल्य की तुलना में यह बहुत कम हैं, क्रमश: 2900 और 3145 रुपये घोषित किए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह वृद्धि 200 रुपये की है। किन्तु गत वर्ष और चालू वर्ष में तुलनात्मक उत्पादन लागत में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। अब मूल्य में वृद्धि 10 प्रतिशत से भी कम है। इसके परिणामस्वरूप जैसा कि हमने पहले भी इस सभा में चर्चा की थी कि स्थिति इतनी गम्भीर है कि नारियल उत्पादक आत्महत्या करने को बाध्य हैं।

अत: मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए। इस बारे में, कल माननीय सभापति जी, श्री बसुदेव आचार्य ने सरकार को इस क्षेत्र के सांसदों से विचार-विमर्श करने को कहा था। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र अति शीघ्र चर्चा और पुनरीक्षा करके सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय मैं एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के तीन सौ कर्मचारियों को जून 1997 से वेतनमान नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी को अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बसुदेव आचार्य: टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जून, 1997 से इस उपक्रम के तीन सौ कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। मुझे इस बात का अत्यन्त अफसोस है कि उन 300 कर्मचारियों में से चार भूख से मर गए। इस मामले को सभा में कई बार उठाया गया किन्तु कोई हल नहीं निकल सका। वाणिज्य मंत्रालय तथा टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया दोनों ही 300 कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है। कर्मचारी अपने वेतन व बकाया से वंचित हैं। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन 300 कर्मचारियों के बकाया तथा वेतन का भुगतान करने के संबंध में अविलम्ब कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार की जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है। वहां विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। केन्द्र की तरफ से बिहार को जो पैसा दिया जाता है, उसकी लूट होती है। बिहार में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार रोजमर्रा का धंधा बन चुका है। बिहार में उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। वहां उद्योग धंधे चलाने के बदले में अपहरण का धंधा वहां की सरकार की देखरेख में चलाया जाता है। इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय ने तीन बार कहा कि बिहार में जंगलराज कायम हो चुका है। बिहार के महामहिम राज्यपाल ने भी गृह मंत्रालय को एक प्रतिवेदन दिया जो कि तीन जून के 'जनसत्ता' अखबार में निकला। हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि

बिहार की जनता को राहत दिलाने के लिए बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाए। ...*(व्यवधान)* हम आपसे मांग करते हैं कि बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: बिहार में घोटालों का राज चल रहा है। बिहार में पशुपालन घोटाला, बिहार में अलकतरा घोटाला, बिहार में यूरिया घोटाला हुआ। वहां घोटाले ही घोटाले हुए। वहां केन्द्र के खजाने की लूट हो रही है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वह इन खजानों को लूट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे और उनकी सी.बी.आई. से जांच कराए। आप सारे घोटालेबाजों को जेल में बंद कराएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप खत्म करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: यहां केन्द्र सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या बिहार देश के अन्दर आता है या नहीं? अगर बिहार इस भारतवर्ष के अन्दर हैं तो वह बिहार की जनता के हित के लिए क्या करने जा रहे हैं? सरकार की नीयत क्या है? माननीय प्रधान मंत्री ने चुनाव के समय वायदा किया था कि हम बिहार की जनता को इनसे निजात दिलाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कोंडय्या के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री के.सी. कोंडय्या (बेलारी): मुझे खेद के साथ यह बताना पड़ रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री के. सी. कोंडय्या: मुझे खेद के साथ यह बताना पड़ रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री कोंडय्या के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री के.सी. कोंडय्या: बंगलौर शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसकी जनसंख्या 4 मिलियन से अधिक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही सारांश में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री के.सी. कोंडय्या: मुझे इस सभा को खेद के साथ यह बताना पड़ रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की जानकारी देना चाहता हूँ। तमिलनाडु सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री के.सी. कोंडय्या: महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

बंगलौर भारत के तेजी से विकास करने वाले शहरों में से एक है। इसकी जनसंख्या सत्तर लाख से अधिक है। कर्नाटक सरकार अवसंरचना और पेयजल प्रदान करने के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाने में असक्षम है। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी जापान की ओवरसीज इकोनोमिक कोऑपरेशन फण्ड से सम्पर्क किया है। इस एजेंसी ने कावेरी स्टेज चार परियोजना हेतु 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, जिसके लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने भी स्वीकृति दे दी है। ...*(व्यवधान)* किन्तु दुर्भाग्य से, तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने सीधा जापान के ओवरसीज इकोनोमिक को-ऑपरेशन फण्ड के एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार न करने के लिए कहा गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)* यह संविधान का उल्लंघन है। क्या एक राज्य सरकार किसी विदेशी एजेन्सी को सीधे ऐसा पत्र लिख सकती है? यह एक अच्छा पड़ौसीवाद (भाईचारावाद) नहीं है। राष्ट्रीय महत्व की एक योजना को रद्द करवाने की ऐसी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संकेत देगी कि हमारे देश में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय वित्तपोषक एजेंसियों से सम्पर्क में सामंजस्य की कमी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइये।

श्री के.सी. कोंडय्या: क्या तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को ओवरसीज एजेन्सी को सीधे ऐसा पत्र लिखने की अनुमति है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कोंडय्या जो कह रहे हैं, उसको छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाये।

...*(व्यवधान)**

श्री के.सी. कोंडय्या: अत: आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे तत्काल कार्यवाही करें। तमिलनाडु के मुख्य सचिव को ऐसा पत्र न लिखने के निर्देश दिये जाने चाहिए। इसको सुधारा जाना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल): अध्यक्ष महोदय, मैंने लगातार दो दिन शून्य काल में बोलने के लिए नोटिस दिया लेकिन आपने तीसरे दिन मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चैल, कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत ग्राम मिरदहन का पूरा व गढ़ी और फूलपुर में मईलहन सहित दर्जनों ग्रामों की भावनाओं से जुड़े मोहर्रम का ताजिया आज तक दफन नहीं हुआ है। वह ताजिया आज भी मस्जिद में रखा हुआ है। प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन की शह पर मोहर्रम के दिन ताजिए का दफन नहीं हुआ। ताजिया दफन स्थल कर्बला में भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। गांव के दलित भाइयों को मोहरा बना कर और उन्हें आगे करके ताजिया दफन करने नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तीन जनपद इलाहाबाद, कौशाम्बी एवं फतेहपुर के मुस्लिम भाइयों में इसको लेकर आक्रोश है। वे इससे भयभीत भी हैं। 16.6.98 को चाहेलुम पर सभी मुस्लिम एवं हिन्दू भाइयों के सहयोग से ताजिया दफन होना है। मैं आपके माध्यम से सरकार व गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करते हुए ताजिए के दफन की समुचित शांतिपूर्वक व्यवस्था कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप): महोदय, गंगा नदी पर गौरंगा पुल का कटाव एक गंभीर मामला है। उसके परिणामस्वरूप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निद्या, इन्द्राहपुर, मायापुर, नाबाद्वीप, स्वरूपगंज, नृसिंहपुर, बालागढ़ घाट, तारापुर, सरयाखर, जागीरा, चार मधुसुदनपुर इत्यादि क्षेत्रों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। नवद्वीप गौरंग महाप्रभु का जन्म स्थान है। यह एक बहुत पुराना प्रमुख शहर है। यह कटाव के कारण नष्ट होने जा रहा है। यदि हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में इसका नामोनिशान मिट जायेगा। जबकि दूसरी ओर नवद्वीप के शहर में गंगा पर गौरंग पुल भी खतरे की स्थिति में है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो पुल के खम्बे कभी भी गिर सकते हैं। ...(व्यवधान) गंगा कटाव द्वारा कई हजार एकड़ कृषि भूमि को बर्बाद कर दिया गया और लोगों को दूसरे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। वे सदैव अनिश्चितता में रह रहे हैं क्योंकि वे अगले कटाव के पीड़ित हो सकते हैं। वे घर नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है।

राज्य सरकार के पास अत्यधिक धनराशि नहीं है। अत: मैं सिफारिश करता हूं कि केन्द्र सरकार घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त धन की स्वीकृति दे। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। गंगा के बेसिन से गाद निकालना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना कटाव को नहीं रोका जा सकता, जो भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब अभी तक नहीं आया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। मैंने मामले पर चर्चा कर ली है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्री येरननायडु को अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष जी, मंत्री जी शायद कल वाला स्टेटमेंट देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, आपको इस बात की जानकारी होगी कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। माडीगा आरक्षण पोराटा समिति के अध्यक्ष श्री मन्डा कृष्णा ने 5 जून से सिकन्दराबाद में इस मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी कि 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के श्रेणीकरण को तत्काल लागू किया जाये।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने भी अनुसूचित जातियों के श्रेणीकरण के लिए एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया था। आंध्र प्रदेश सरकार इसे करने के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग भी उनके श्रेणीकरण पर सहमत हो गया है। किन्तु उन्होंने कुछ जानकारी मांगी है, जो आंध्र प्रदेश सरकार ने भेज दी थी।

इसी बीच राज्य के विभिन्न भागों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और वे हिंसात्मक भी हो उठे। 4 करोड़ रुपये की सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के अलावा आर.टी.सी. की बसों में आग लगा दी। अब आंध्र प्रदेश में स्थिति चिन्ताजनक है।

अत: महोदय आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से बातचीत करें, ताकि यह श्रेणीकरण हो सके। उस आयोग को निर्देश दिये जायें। राष्ट्रीय आयोग की सलाह पर आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय से विशेष अनुमति याचिका वापिस ले ली है। चूंकि आन्ध्र प्रदेश सरकार इस श्रेणीकरण के लिये वचनबद्ध है, अत: विधान सभा ने पार्टी की सीमाओं को तोड़कर दो बार सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था। संबंधित मंत्री ने भी इस स्थान का दौरा किया है।

अत: मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ इस मामले को उठाने हेतु तत्काल कदम उठायें।

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी): महोदय, हमारे देश के मछुआरे काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी एक मुख्य मांग विदेशी मत्स्य पोतों को जारी किये गये लाइसेंसों को रद्द करने से संबंधित है। यह एक सही मांग है। श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति ने उक्त लाइसेंसों को रद्द करने की स्पष्ट सिफारिश की है। अत: मैं सरकार से उच्च स्तरीय मुरारी समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने और यह देखने की कि सभी लाइसेंस रद्द किये जायें, आग्रह करता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जाये।

[हिन्दी]

श्री जमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अमरनाथ की यात्रा नौ जुलाई से शुरू होगी। यह यात्रा लगभग एक महीने तक चलेगी, यह अत्यंत पवित्र तथा देश की एकता और अखंडता को साबित करने वाली यात्रा है। रामेश्वरम् से जल लाकर कश्मीर में अमरनाथ के ऊपर चढ़ाया जाता है। सारे देश से यात्री वहां पहुंचते हैं, पंचतरणी, शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 14 हजार फीट की बुलंदी पर पवित्र गुफा में पहुंचते हैं। देश की एकता और अखंडता को पूर्ण करने वाली ऐसी सभी यात्राओं को सभी सरकारें सहयोग देती है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि कश्मीर सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक-एक यात्री पर 25 रुपये टैक्स लगा दिया है। कश्मीर सरकार की तरफ से बाकायदा एक एडवरटाइजमेंट निकला है जिसमें इस यात्रा को कठिनतम तथा बहुत मुश्किल यात्रा बताया गया है, यह 14000 फीट की बुलंदी पर है, इसलिए इस यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, इस तरह का एडवरटाइजमेंट निकला है, इस पर मुझे आपत्ति है।

एक दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि इसमें 25 रुपये यात्रियों पर जो रजिस्ट्रेशन फीस लगाई गई है उसको तुरंत हटाया जाए और भी यात्राएं होती हैं जिनमें सरकार हर तरह की मदद करती है। साथ ही रास्ते में जो पड़ाव हैं वहां पर उचित व्यवस्था की जाए। किसी भी तरह से पुरानी दुर्घटनाएं न दोहराई जाए, इसकी व्यवस्था की जाए, दवाइयों की व्यवस्था की जाए। वहां पर कुली और घोड़े जाते हैं उसमें लोगों को सब्सिडाइज्ड सहायता दी जाए। विशेष रूप से हमने देखा है कि वहां चाय का एक-एक कप दस रुपये का बिकता है। इसलिए वहां सरकार की तरफ से पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और विशेष रूप से यात्रियों पर जो रजिस्ट्रेशन फीस लगाई गई है, उसे तुरंत विदड्रा किया जाए।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने या रिजर्व बैंक ने पांच सौ रुपये के नोटों को लेने से इंकार किया है। मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा पांच सौ रुपये के नोट आम जनता से न लेने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां एक संशय की स्थिति पैदा हो गई है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर इस सर्वोच्च पंचायत में इसलिए भेजती है कि जनता के हितों की बात पर यहां विचार-विमर्श होगा और उसके समाधान के लिए कुछ कार्य होगा। लेकिन पिछले चार दिनों से हम यहां नोटिस दे रहे हैं, परंतु यहां हर समय जनता की वास्तविक समस्याओं पर विचार-विमर्श न होकर केवल हो-हल्ला हो रहा है। मैं सदन का ध्यान गोरखपुर की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अभी चार दिन पूर्व ही बिहार के एक कारखाने से दस टन यानी 240 करोड़ नोटों के बरामद हुए हैं, क्या सरकार उसकी जांच करायेगी और गोरखपुर में पांच सौ रुपये के नोट बैंकों द्वारा नहीं लिये जा रहे हैं, क्या उसके बारे में भी सरकार कोई निर्देश देगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे

लगता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं आई.एस.आई. का हाथ है। वह वहां पर जनभावनाओं को भड़काकर तनाव या तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। अत: मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में सरकार को निर्देश दें। धन्यवाद।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र में बन रही है। वहां आदिवासी किसानों को वन जमीन दी गई है। सरदार सरोवर अवार्ड के मुताबिक वहां के आदिवासी किसानों के लिए जमीन और सिंचाई से जमीन को पानी देने का प्रावधान है। लेकिन अभी वहां बोरवैल, बावड़ी बनाकर सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। वहां वालहेरी एम.आई. टैंक, रामापुर एम.आई. टैंक और अमलीवाड़ी एम.आई. टैंक, तीन टैंक हैं जो कि वन जमीन हैं। वन जमीन की मंजूरी भी दी जाए। अत: मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध है कि वहां के किसानों को सिंचाई के लिए इन टैंकों का पानी दिया जाए।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग चार वर्ष पूर्व दिल्ली सरकार ने दिल्ली की एक हजार इकहत्तर (1071) अनधिकृत कालोनियों को पास करके भारत सरकार को पास करने के लिए भेजा था, जो आज तक पास नहीं हुई हैं। इन बस्तियों में लगभग 15 लाख लोग अपना जीवनयापन कर रहे हैं। वहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। इस बीच में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है कि इनमें कोई सड़क आदि नहीं बनाई जा सकती है, इन कालोनियों से गंदे पानी की निकासी भी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन कालोनियों को तुरंत पास किया जाए जिससे कि वहां नागरिक सुविधाएं जुटाई जा सकें। दिल्ली सरकार ने बजट में 40 करोड़ रुपया इन कालोनियों पर खर्च करने के लिए रखा है। परंतु कालोनियां पास न होने की वजह से काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समस्या पर ध्यान दें और यदि संभव हो तो इस पर कुछ आश्वासन दे दें। यह पूरी दिल्ली के करीब 15-20 लाख लोगों के जीवन का सवाल है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाकर सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस विषय का सारा हाउस, इस हाउस के सभी राजनीतिक दल समर्थन करेंगे क्योंकि यह विषय मानवाधिकारों से संबंधित है और लाखों लोगों की भावनाएं इससे प्रदर्शित होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी अंचल यानी उत्तरांचल को मिलाकर एक अलग राज्य उत्तराखंड बनाया जाए। उत्तरांचल द्वारा प्रदेश की जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं और जो क्षेत्र मार्क किया गया है, उसमें नौ जिले मार्क किए गए हैं। उनमें से एक ऊधम सिंह नगर के नाम से भी जाना जाता है। मेरा निवेदन है कि ऊधम सिंह नगर में जो लोग रहते हैं उनमें से बहुत सारे लोग पंजाब और हरियाणा से जाकर बसे हुए हैं। बहुत सारे बंगाल के लोग हैं जो वहां जाकर बस गए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 1947 के बटवारे के समय से वहां रह रहे हैं और उन्होंने जंगल को साफ करके खेती योग्य जमीन तैयार की है। उनकी बोली, भाषा, रहन-सहन और खान-पान पहाड़ी क्षेत्र से बिल्कुल नहीं मिलता। उनका सभी व्यवहार बिलकुल मैदानी भागों जैसा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री महोदय की बिगत पंजाब यात्रा के दौरान एक प्रतिनिधि मंडल उनसे अमृतसर में मिला था और शिरोमणि अकाली दल की ओर से भी इस बारे में आग्रह किया गया था कि उन्हें उत्तरांचल के साथ अलग राज्य में न मिलाया जाए। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से किसी भी समुदाय की भावनाओं को न दबाया जाए और उनको किसी ऐसे प्रदेश के साथ न जोड़ा जाए जिससे उन्हें मुश्किल खड़ी हो जाए। वहां का जो लैंड सीलिंग एक्ट है, वह भी मैदानी भागों के साथ है। खुद उनकी बोली भी नहीं मिलती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऊधम सिंह नगर के एरिया को उत्तरांचल में शामिल न करें। मेरी विनती है कि ऊधम सिंह नगर का मैदानी एरिया, जो भले ही नैनीताल कमिश्नरी के साथ जुड़ता हो, उसे बरेली कमिश्नरी के साथ जोड़ दें।

अध्यक्ष महोदय, हम उत्तरांचल या उत्तराखंड बनाने के विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं लोगों की भावनाएं वहां इस प्रकार की हैं, तो उत्तराखंड बन जाए, लेकिन किसी खास क्षेत्र के लोगों को उसमें जबर्दस्ती शामिल होने के लिए बाध्य न किया जाए। अन्त में मेरा निवेदन है कि उसे मैदानी भागों के साथ रखा जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, पंजाब के जो लोग उत्तरांचल में आते हैं, उनको अलग बन रहे राज्य उत्तराखंड में शामिल होने के लिए विवश न किया जाए। मेरा आग्रह है कि उनको मैदानी भाग की किसी कमिश्नरी में जोड़ दिया जाए या उन्हें अलग स्थान दे दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.33 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

सभापति महोदय, उधम सिंह नगर की जितनी पंचायतें और तहसील स्तर की समितियां हैं उनकी ओर से आंदोलन चल रहा

है कि उन्हें उत्तरांचल में शामिल न किया जाए। उसे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के साथ रहने दिया जाए। हमारे मित्र श्री चन्दूमाजरा जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल सदन के सामने रखा है। ऊधम सिंह नगर के लोगों की कंपोजीशन ऐसी है कि वहां की आबादी का उत्तरांचल के साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसे जबर्दस्ती उत्तराखंड में धकेला जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): सभापति महोदय, पंजाब और हरियाणा में चार-पांच लाख की संख्या में उ.प्र. से जाकर लोग बस जाएं, तो क्या उन्हें अलग स्थान दे दिया जाएगा, या उन्हें पंजाब से अलग कर दिया जाएगा? मेरे माननीय मित्र एक ऐसे गलत सिद्धांत को यहां प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं जो न प्रदेश और न ही देश के हित में है। मुझे उनके इस बयान पर बहुत आश्चर्य है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: आप पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में धकेल देना चाहते हैं, इसलिए आपको तो आश्चर्य होगा ही। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): सभापति महोदय, बहुत गलत नीति और सिद्धान्त को स्वीकार करने का आग्रह किया जा रहा है जो देश के हित में कदापि नहीं हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: सभापति महोदय, ऊधम सिंह नगर के 83 प्रतिशत लोगों ने इस बारे में लिखकर भेजा है कि उन्हें उत्तरांचल में शामिल नहीं किया जाए। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द खण्डूरी, ए.वी.एस.एम. : सभापति महोदय, अगर चंडीगढ़ या अंबाला में किसी दूसरे प्रदेश के चार-पांच लाख लोग जाकर बस जाएं, तो क्या उन्हें उस प्रदेश से अलग कर दिया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, नहीं। आप बैठिए। सदन में शांति बनाए रखी जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): सभापति महोदय, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का प्रयास कर रही हूं। मैं अपने सभी साथी सदस्यों से चाहती हूं कि वे लोग शान्त हो जायें और मेरी बात सुनें।

महोदय, मैं इस सदन का ध्यान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुचित और अत्यधिक देरी के कारण लोगों को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहती हूं। इससे लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण निर्धनों को अत्यधिक परेशानी हो रही है। पेय जल प्रदान करने के लिए हमने जो परियोजनायें स्वीकृत की है, वे कार्यान्वित नहीं हुई है। हमने निर्धन बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए भी धनराशि आबंटित की है। प्राथमिक विद्यालयों की इमारतें गिरती जा रही हैं। लेकिन फिर भी अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

महोदय, मैं आपके समक्ष पिछली लोक सभा के अपने अनुभव के बारे में बताना चाहती हूं। मैंने जनवरी 1997 में उन प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण और पेयजल प्रदान करने से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी जो ग्रामीण जनता की अत्यंत जरूरत थी। लेकिन आज तक इन परियोजनाओं के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है।

महोदय, हम कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। इस मामले में कार्यान्वयन एजेंसियां लोक निर्माण विभाग तथा जन स्वास्थ्य और इंजिनियरिंग विभाग जैसे राज्य सरकारों के विभाग है। मैं यहां उपस्थित योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहूँगा कि क्या सरकार राज्य सरकार को ये निर्देश जारी कर सकती है कि ये परियोजनाएं उचित समय के भीतर पूरी की जाये और जो भी हम उनसे करने को कहे वह पूरा हो जाना चाहिए। अन्यथा, हालांकि सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों को आवंटित की जाने वाली धनराशि को बढ़ा दिया है, फिर भी यदि ये परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जाती हैं और गरीबों का लाभ नहीं होता है तो इस योजना के अंतर्गत धन लेने का कोई फायदा नहीं है। क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री इसके बारे में आश्वासन देंगे?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सभापति महोदय, ऐसा नार्मली नहीं होता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, आप बैठिए।

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, मुझे लगा कि इससे सबको लाभ होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्या श्रीमती बोस द्वारा उठाये गये मामले में कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत यदि किसी माननीय सदस्य को यह लगे कि उसके निष्पादन

में कठिनाई है और वहां काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो मैंने इस संबंध में सभी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है और जो नई गाइड लाइन है वह भी मैंने भेजी हैं। यदि कहीं किसी को लगे कि काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो मुझे इस बारे में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि वह काम ठीक प्रकार से हो। जहां तक पीने के पानी का सवाल है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रोजैक्ट के अंदर राज्य सरकार का सीधा संबंध नहीं है क्योंकि इस योजना के कार्यों को पूरा करने की कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है और यदि कोई अधिकारी कलैक्टिव काम नहीं करता है या जानबूझकर काम को डिले करता है और सांसद को लगे कि अधिकारी ने इसमें जानबूझकर विलंब किया है या गाइड लाइन के अनुसार काम नहीं किया है, तो–

[अनुवाद]

ऐसे मामले को बताया जा सकता है और यदि संबंधित अधिकारी जानबूझकर काम न कर रहा हो तो यह मामला एक विशेषाधिकार हनन का मामला होगा।

[हिन्दी]

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इंडीविजुअली कोई बात होगी, तो मैं उसे सार्टआउट करने की कोशिश करूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे जिले में कलैक्टर द्वारा 15 लाख रुपए खत्म कर दिए गए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखकर उनका ध्यान आकर्षित करें। उन्होंने कहा है कि अगर इंटैंशनली कोई अधिकारी स्कीम को नहीं बनाता है, तो विशेषाधिकार हनन का मामला उसके खिलाफ लाया जा सकता है।

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): सभापति महोदय, मेरे मुरैना जिले की बात मैं कहना चाहता हूं। वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। आप उसके पर्टीकुलर लिखकर मंत्री जी को भिजवाइए।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान एक विशिष्ट मसले की ओर दिला रहा हूं। यह वर्ष भारत की आजादी का 50वां वर्ष है और कुछ दिन बाद हम इस स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन पर फिर से मिलेंगे। हिन्दुस्तान में भारतीय प्रशासनिक सेवा को बहुत प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। आज सदन में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित होने के बावजूद भी भारत प्रशासनिक सेवा के जो लोग हैं उनकी केन्द्रीय भूमिका सेवा चाहे वह राज्य स्तर पर हों, जिला स्तर पर हों या प्रदेश स्तर पर हो, वह बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सदन में क्यों न एक राय हो जाये कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम बदलकर भारतीय विकास सेवा रखा जाये। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इंडियन डेवलपमैंटल सर्विस किया जाये।

मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167, 312 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें जो प्रोविजन है, उसकी उपधारा दो में अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन और उसकी जो रियायतें हैं, उसमें कहीं पर यह बाधित नहीं है कि आई.ए.एस. का नाम या पदनाम नहीं बदला जा सकता। इसलिए मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि आई.ए.एस. का नाम आई.डी.एस. किया जाये। धन्यवाद

श्री आनन्द मोहन (शिवहर): सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासकीय एजेंडे का नाम बदलकर सेवा का एजेंडा बनाइये। शासन का एजेंडा नहीं चलेगा।

श्री चन्द्रशेखर साहू: शासन की बात नहीं है।

श्री आनन्द मोहन: आपके शासन का एजेंडा है।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): सभापति महोदय, माननीय संचार मंत्री जी को मैं सीतामढ़ी जिले में टेलीफोन व्यवस्था के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। कुकरीमंडा जो कि सीतामढ़ी का एक क्षेत्र है। इन दोनों स्थानों पर अलग-अलग एस.टी.डी. का प्रयोग करना पड़ता है। एक ही जिले में दो एस.टी.डी. कोड से लोगों को न केवल असुविधा होती है बल्कि उनको एस.टी.डी. का खर्चा भी उठाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि एक ही जिले में दो-दो एस.टी.डी. कोड देश के किसी भी भाग या प्रांत में नहीं हैं। जबकि सीतामढ़ी और कुकरी के बीच मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। मैं संचार मंत्री से आग्रह करता हूं कि आप सीतामढ़ी-कुकरीमंडा को लोकल कॉल में रखने की शीघ्र व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। एक लोकप्रिय अखबार "दैनिक जागरण" के आज के अंक में यह समाचार छपा है कि बिहार में अब 1200 करोड़ रुपए का नया घोटाला।

सभापति महोदय, बिहार के बारे में जब भी कोई महत्वपूर्ण खबर छपती है तो वह घोटालों के विषय में होती है। आज जो खबर छपी है उसमें फर्जी शिक्षकों की बहाली के नाम पर 400 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। अलकतरा घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला आदि सारे घोटालों को लेकर 1200 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला बनता है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि बिहार की जनता त्राहिमाम् कर रही है

इसलिए वहां की जनता को बचाने के लिए बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाये और उन घोटालों की जांच सी.बी.आई. से कराई जाये ताकि बिहार में 10 करोड़ लोग चैन की सांस ले सकें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड): मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान सी.पी.सी.आर.आई. कासरगोड स्थित केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 को बंद करने संबंधी कार्यवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे दिनांक 1.6.98 के अपने अतारांकित प्रश्न का उत्तर याद है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनुभव कुछ भिन्न हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) अधिकारी उस विद्यालय को धन की कमी के कारण बन्द करने वाले हैं। इस वर्ष, वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए पिछले वर्ष के बजटीय प्रावधान की तुलना में लगभग दोगुना कर दिया है। इसलिए यह कहना गलत है कि धन की कमी है। इसलिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री और कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे विद्यालय को बंद न होने दे और पहली कक्षा के दाखिले शुरू करने के लिए निर्देश दे।

श्री सुधीर गिरि (कोन्ट्राई): सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नमक के छोटे-छोटे कारखानों में अनेक मजदूर कार्य करते हैं। वे सूर्य निकलने से लेकर सूर्य छिपने तक कार्य करते हैं। उन्हें पूरे दिन में केवल आधे घंटे का विश्राम मिलता है। उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। उन्हें टी.वी. और अन्य बिमारियां लग जाती हैं। उनका सही ढंग से इलाज भी नहीं हो पाता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र वरन देश भर में नमक के कारखानों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण के लिए एक व्यापक कानून बनाये।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू): सभापति महोदय, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि हर बरसात में दरियाए चिनाब और तवी नदी जम्मू क्षेत्र से गुजरती है और वह हर बार हजारों एकड़ जमीन अपने साथ बहाकर ले जाती है जिस कारण बीसियों गांव बर्बाद हो जाते हैं। पिछले दो-तीन बरसातों का अनुभव यह है कि जो गांव उजड़े और जो हमारी जरखेज जमीन बह गयी, उनके जो वासी हैं, उनके आवास का सरकार अभी तक कोई प्रबंध नहीं कर पाई है। आज वे लोग भूखों मरने पर तैयार हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस आने वाली बरसात से पहले अगर चंदरई चिनाब और दरियाए तवी का रुख न बदला गया या अलग से उनको रास्ता न दिया गया तो इस बार फिर से बीसियों गांव बर्बाद हो जायेंगे। मेरा यह आग्रह है कि सरकार उन्हें बचाने का खर्चा सैंट्रल प्लान में शामिल करे जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके नहीं तो इस बार भी बीसियों गांव उजड़ेंगे और हजारों लोग बर्बाद होंगे।

श्री आनन्द मोहन: सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अति लोक महत्व के निम्नांकित विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अखिल भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन कार्यरत सिपाही एवं हवलदार का वेतमान 7/5 रुपए है। सिपाही और हवलदार 18 तारीख से हड़ताल पर हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): किस प्रदेश में है।

श्री आनन्द मोहन: सीमा शुल्क का मामला है। पूरे देश का मामला है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 2610 रुपए निर्धारित हैं। इस मांग को लेकर ये लोग करीब 25 दिन से हड़ताल पर हैं। इस विभाग के सिपाही की ओर से कैट चंडीगढ़ एवं जोधपुर में जो राय व्यक्त की है उससे इनकी मांग की संपुष्टि हुई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सिपाही की ड्यूटी इनसे मिलती जुलती है। इस संबंध में भी कैट ने अपनी राय दी है। इनकी संख्या करीब 19000 है। ये सभी 18.5.98 से हड़ताल पर है एवं दिनांक 10.06.98 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग पूरी करने के बजाए इनके विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्र सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सिपाही 18.5.98 से हड़ताल पर हैं और गत 10.6.98 से आमरण अनशन पर भी चले गये हैं। सरकार को इनके प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए शीघ्र बातचीत करनी चाहिए और किसी ठोस निर्णय पर पहुंचना चाहिए। इक्वल पे और इक्वल वर्क की नीति अपनानी चाहिए। इसके साथ-साथ इसकी जांच का काम पूरा किया जाये ताकि उन लोगों का जो आक्रोश और असंतोष है, वह दूर हो सके।

डा. विक्रम सरकार (हावड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज से नीचे गंगा के पानी के बंटवारे के संबंध में हुए भारत-बंगलादेश समझौते की तुरंत समीक्षा की जाये।

दिसम्बर 1996 में पाटी के बंटवारे से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर से अब तक मैं दो ग्रीष्म ऋतुओं का अनुभव कर चुका हूं और जो निष्कर्ष निकला है वह यह है कि गंगा और हुगली

नदियों में पानी का स्तर बहुत ही नीचे आ गया है। नदी में पानी का स्तर नीचे आने की वजह से पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि समझौते में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि उपलब्ध पानी का बंटवारा निर्धारित अनुपात में तथा नियमित आधार पर हो। यद्यपि मैं कलकत्ता बोर्ड ट्रस्ट का चेयरमैन था फिर भी मुझे इसे देखने का अवसर नहीं मिला। मुझे बताया गया है कि यहां तक कि जल-भूतल परिवहन मंत्री भी इसे नहीं देख पाए।

समझौते के अनुसार प्रत्येक देश बारी-बारी से दस-दस दिन पानी निकालेगा जिसका अर्थ यह हुआ कि एक देश दस-दिन की अवधि तक पानी सारे का सारा पानी ले लेगा और दूसरा देश इससे पूर्णत: वंचित रह जाएगा। इससे नौचालन पथ में एक काफी गाद बढ़ जाती है और वांछित स्तर तक गाद नहीं निकाली जाती। जैसा मैंने कहा कि अब इस निरंतर घटने-बढ़ने से नौचालन पथ में काफी गाद बढ़ गई है और परिणामस्वरूप बाधा उत्पन्न हो गयी है। पिछले दो गर्मियों के मौसमों में प्राप्त अनुभव के आधार पर समीक्षा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 2 परगना, नादियां और मुर्शिदाबाद के 6 तटीय जिले के लाखों-करोड़ों किसान तथा कृषक मजदूर सिंचाई पानी की कमी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई एकड़ कृषि भूमि बेकार पड़ी है ...*(व्यवधान)* केन्द्र में सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चा सरकार ने भूटान की संकोश नदी से उत्तरी बंगाल से गंगा में जल लाने का अनर्गल प्रस्ताव किया था। इसका पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित परियोजना जिसमें लागत के अलावा 1,000 करोड़ रुपये लगे हुए हैं, के कारण वनों का एक बड़ा भाग नष्ट हो जायेगा। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यहाँ भारत और उसके मित्र देश बंगलादेश के बीच हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि का मामला आ जाता है। इस प्रकार के मुद्दों से गलत संदेश जायेगा। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सभा का इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* यह एक अति गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)* हमें इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए ....

डा. विक्रम सरकार: यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इसमें कोई राजनीति नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: इससे भारत और बंगलादेश के बीच मैत्री संबंध कमजोर होंगे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम): वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। जब समझौता हुआ था, उस समय वह कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष थे। श्री चटर्जी एक राजनीतिक है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पुन्नू लाल मोहले (विलासपुर): सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के विलासपुर गुरु हासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय महाविद्यालय बनाने के बारे में आपसे अनुरोध करता हूं। वहां ए.सी.सी.एल. का हैडक्वार्टर है, नोवा कम्पनी है, पोस्ट ऑफिस का प्रधान कार्यालय है, रेलवे का मुख्यालय है और वह अनुसूचित जाति क्षेत्र है। अत: मैं महोदय से निवेदन करता हूं कि गुरु हासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर को केन्द्रीय महाविद्यालय का दर्जा प्रदान करें।

श्री अशोक अर्गल: सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। वहां डाकू पुन: पनप रहे हैं। सन् 1972 में जहां 400 डाकुओं ने सरैंडर किया था परन्तु आज वहां डकैतों की संख्या में दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि हो रही है। हाल ही में मेरे बावरखेड़ा गांव में तीन लोगों की हत्या कर दी गई उनके परिवार के तीन लोग घायल हैं। मुरैना जहां जब चाहे हत्या कर दी जाती है। शहर में दो व्यापारियों की लूट हो गई लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वहां कानून-व्यवस्था ठीक करने हेतु विशेष उपाय किए जाएं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): जनाब चेयरमैन साहब, मैं इस ऐवान और हुकूमत की तवज्जह एक अहम मसले की तरफ मब्जूल कराना चाहता हूं। दिल्ली में जामा मस्जिद के इलाके मीना बाजार में हजारों दुकानदारों और हाकर्स को उजाड़ने और उखाड़ने की तैयारियां हैं। बदकिस्मती से हाई कोर्ट का आर्डर आ चुका है। लेकिन हजारों दुकानदार, बड़ी तादाद में हजारों हाकर्स रोजी और रोटी से महरूम हो जायेंगे, हजारों खानदानों की रोजी और रोटी का सवाल है। इसलिए मेरी गुजरिया सिर्फ इतनी है कि इस मसले पर बड़ी हमदर्दी के साथ तवज्जह दी जाए। उनको उखाड़ने के पहले ऑल्टरनेटिव जगह देनी चाहिए या फिर यदि वे अनऑथोराईज्ड हैं तो उनको रैगुलराइज किया जाए। लेकिन यह जरूरी है कि वे हजारों खानदान रोटी और रोजी से महरूम न हों। इस तमाम मसले पर पूरी इंसानी हमदर्दी के साथ गौर किया जाए और इस पर फौरी तवज्जह दी जाए।

شرق جی ایم بنات والا (پونتانی): جناب چیئرمین صاحب، میں اس ایوان اور حکومت کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دہلی میں جامع مسجد کے علاقے مینابازار میں ہزاروں دُکانداروں اور ہاکرس کو اُجاڑنے اور اُکھاڑنے کی تیاریاں ہیں۔ بدقسمتی سے ہائی کورٹ کا آرڈر آچکا ہے۔ لیکن ہزاروں دُکاندار بڑی تعداد میں ہزاروں ہاکرس روزی روٹی سے محروم ہو جائینگے۔ ہزاروں خاندان کی روزی روٹی کا سوال ہے۔ اسلئے میری گذارش صرف اتنی ہے کہ اس مسئلے پر بڑی ہمدردی کے ساتھ توجہ دی جائے، ان کو اُکھاڑنے سے پہلے اُلٹرنیٹو جگہ دینی چاہئے یا پھر اگر وہ غیر قانونی ہیں تو انکو ریگولرائز کیا جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ہزاروں خاندان روٹی اور روزی سے محروم نہ ہوں۔ اس تمام مسئلے پر پوری انسانی ہمدردی کے ساتھ غور کیا جائے اور اس پر فوری توجہ دی جائے۔

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, बनातवाला साहब ने जो कहा है, परसों इस मुद्दे को लेकर हजारों नौजवानों ने प्रदर्शन किया। खुराना साहब, आप दिल्ली के हैं और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बिना किसी को जमीन प्रोवाइड किए हुए, कोर्ट का आर्डर है, वह अपने स्थान पर सही है लेकिन दिल्ली सरकार और भारत सरकार की यह जवाबदेही है कि जिस व्यक्ति को हटाया जा रहा है, जामा मस्जिद के इलाके में वैसे हजारों गरीब लोग बसे हुए हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं और बनातवाला साहब की बात का समर्थन करता हूं कि उनको तब तक वहां से हटाया न जाए जब तक सरकार उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेती। यदि सरकार ने इसमें ढील की तो वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मामला गंभीर हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस बारे में जवाब दे।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद, जो पूर्वांचल का एक अत्यन्त पिछड़ा जिला है, को उद्योग विभाग ने शून्य के रूप में परिवर्तित कर दिया है जिससे वहां के बेरोजगार नौजवान देश के अनेक हिस्सों में भाग रहे हैं, पलायन की ओर हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

मैं आपकी आज्ञा से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देवरिया जैसे जनपद, जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, वहां उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत ने वहां पर मात्र कुछ चीनी मिलें स्थापित कीं। उसके बावजूद आज तक कोई भी उद्योग-धन्धे स्थापित नहीं किये गये। उस जिले में उद्योग-धन्धे स्थापित करके पलायन को रोक कर शून्य की जो प्रक्रिया है, उसे समाप्त करने की कृपा भारत सरकार करे। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): सभापति जी, नेशनल हाईवे नम्बर सात पर रीवा में बाइपास रोड तो बहुत दिनों से प्रस्तावित है। योजना केन्द्र सरकार के पास है, लेकिन अभी तक वह बन नहीं पा रहा है। उस सड़क के किनारे वहां का आदर्श साइसेंस कालेज है, मार्तण्ड स्कूल, पी.के. पाठशाला है और इसकी वजह से वहां रोज 4-5 हत्याएं एक्सीडेंट की वजह से हो जाती हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बाइपास रोड तुरन्त बनवाई जाए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: शान्ति। बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): सभापति महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय अल्युमिनियम कंपनी, जिसे नाल्को के नाम से जाना जाता है, की दशा से सरकार को को अवगत कराना चाहता हूं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के विशाल उपक्रमों में से एक है, जो पिछले दो सालों से लाभ दिखा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस्पात प्राधिकरण (भेल) के अंतर्गत अधिकांश इस्पात संयंत्र या तो लाभ ही नहीं कमा रहे हैं अथवा सामूहिक रूप से इस उपक्रम से कम लाभ कमाते हैं जबकि नाल्को उनसे अधिक लाभ कमाता है। नाल्को ही भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसा पहला उपक्रम था जिसका पंजीकरण लंदन मेटल एक्सचेंज में हुआ था।

महोदय, बाद में इसका प्रबन्ध बहुत दोषपूर्ण रहा है। 10 जून की स्थिति के अनुसार नाल्को प्रदूषण संयंत्र में 480 पॉट में से केवल 286 ही काम कर रहे थे। प्रबन्धन में अत्यधिक भ्रष्टाचार होने के कारण 194 पॉट खराब हो गये हैं। प्रत्येक पॉट का मूल्य 1 करोड़ रुपये है। अत: महोदय मैं सरकार से एक समिति का गठन करने का अनुरोध करूंगा जिसे तत्काल नाल्को के पूर्ण मामले की जांच करने के लिए कहा जाये। वरिष्ठ अधिकारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और वे भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के इन मामलों में लगभग 250 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्गस्त है। जो धातु उत्पादित हुई है, उसे बेचा नहीं जा सकता क्योंकि इसका शुद्धता का स्तर 99.7 प्रतिशत नहीं बल्कि घटकर 97 प्रतिशत रह गया है। अत:, इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेचा जायेगा सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी होगी। यह पिछले पन्द्रह दिनों से चल रहा है परन्तु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: शान्ति। हो गया। आप बैठिए न। हाँ, क्या कहना है, वह कहिये।

श्री जोगेन्द्र कवाडे: सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका देकर अनुग्रहीत किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मुंबई में घाटकोपर रमाबाई अम्बेडकर नगर में जो बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया था और उसके

विरोध में जो प्रदर्शन हुआ तो वहां पर महाराष्ट्र सरकार ने गोली चलाई। ...*(व्यवधान)* वहां पर 10-11 लोगों को मार दिया गया। उसकी प्रतिक्रिया सारे महाराष्ट्र में हुई, खासकर विदर्भ में, वर्धा जिले के अन्दर, अमरावती जिले में, यवतमाल जिले में, नागपुर जिले में इसकी प्रतिक्रिया हुई। वहां शान्तिप्रिय तरीके से आन्दोलन किया गया। उसको कुछ जातिवादी तत्वों ने और शासन, प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर कुचलने की कोशिश की। वर्धा जिले में, जिसको गांधी जिला कहा जाता है, उस वर्धा जिले के कारंजघाट नामक गांव में जब दलित बौद्धों ने जुलूस निकाला, तो हमारी एक रमादेवी पाटील नामक दलित महिला को नग्न करके बेइज्जत किया गया, उसे मारा गया। वहां पर उन पर यह आरोप लगाया गया, उन्हें गुनहगार बनाया गया, उनको जेल में डाला गया, 302 के तहत उन पर मुकदमा दायर किया गया। कई दिन तक उनको जमानत नहीं दी गई, यह अन्याय उनके साथ हुआ है। इसके विरोध में दलित बौद्धों के संगठनों ने कल 10 जून को जंतर-मंतर पर विशाल आंदोलन किया। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह जुल्म, वह अन्याय जो वहां पर हुआ है, इसके लिए वहां के दलितों को, बौद्धों को रिलीफ दिया जाये, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री माधव राजबंशी (मंगलदाई): महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं, जिससे असम राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।

असम की 2.10 करोड़ की जनसंख्या में से, 60 लाख लोग कोच-राजबंशी समुदाय के हैं। उन्हें पहली बार 1996 के अध्यादेश सं. 1 द्वारा अनुसूचित जनजाति (स्थान) में सूचीबद्ध किया गया था। इसके पश्चात् दूसरा-तीसरा और चौथा अध्यादेश निकाला गया। चौथी बार, इसे भारत के माननीय राष्ट्रपति ने प्रख्यापित किया। अब यह व्यपगत हो गया है। ग्यारहवीं लोक सभा में एक विधेयक (1996 का सं. 21वां) पुरःस्थापित किया गया था। परन्तु लोक सभा ने श्री अमर राय प्रधान की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया था। वह समिति विभिन्न समुदायों का मत जानने के लिए असम गयी। उस समिति ने भी सिफारिश की थी कि कोच-राजबंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप लोगों ने नाम दिया है?

[अनुवाद]

श्री माधव राजबंशी: असम के मुख्य मंत्री ने भी संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अपना मत व्यक्त करते हुए भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कोच-राजबंशी को अनुसूचित जनजाति (स्थान) के क्रम में शामिल करने की सिफारिश की थी। अब, अध्यादेश व्यपगत हो गया है। इसने चौथी बार, संवैधानिक संकट पैदा कर दिया गया है। असम में इस समुदाय के 60 लाख लोग रह रहे हैं। उन्हें असम में न तो अनुसूचित जाति और न ही अनुसूचित जनजाति माना जाता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: हम जब लिखकर देते हैं तो हमारा नाम नहीं आता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने सूचना नहीं दी है, यहाँ सूची में आपका नाम नहीं है। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: हाउस वैसे तो चलता नहीं है और कभी चलता है तो इस तरह से चलाते हैं। सभी मैम्बर्स लिखकर देते हैं। जीरो ऑवर तो पूरा दिन चलता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधव राजबंशी: हमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडीकल-कॉलेज और अन्य संस्थाओं में दाखिला नहीं मिल रहा है। हमें किसी जगह भी किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है। सरकार ने रोजगार देने से मना कर दिया है क्योंकि हम न तो अनुसूचित जाति से हैं और न अनुसूचित जनजाति से। मेरा अंतिम अनुरोध यह है कि सरकार को आगामी सत्र में 1996 के विधेयक सं. 21 को पुनः पुरःस्थापित करना चाहिए ताकि इस समुदाय में 60 लाख लोग बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें, उन्हें असम में दाखिला और रोजगार मिल सके। मेरा यही अनुरोध है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: एक वक्तव्य दिया जाना है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब शून्य काल समाप्त हुआ। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब नहीं सुनेंगे। श्री एच.डी. देवेगौड़ा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सभापति जी, इनसे स्टेटमैंट दिलवा दिया जाये। कल मंत्री जी ने वायदा किया था, जो सिविल एथारिटी के जरिये आर्मी लगाने की बात बिहार के अन्दर हुई थी, उसके मामले में आज मंत्री जी को यहां स्टेटमेंट देना था। मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे स्टेटमेंट दिलवाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के अप्रैल 29, 1998 के निर्णय के संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाही का विषय कल इस सदन में कई बार उठा था। डा. यू.एन. विश्वास, संयुक्त निदेशक, सी.बी.आई., कलकत्ता ने यह अपील सैण्ट्रल एडगिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध दायर की थी।

सरकार द्वारा कल सदन को बताया गया था, इसमें कानूनी राय लेकर सदन को आज सूचित किया जायेगा। डा. विश्वास के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई क्वैश करने से संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में कानूनी राय उपलब्ध होना बाकी है। नियमानुसार उच्चतम न्यायालय में अपील करने की कार्रवाई अगस्त 1, 1998 तक की जा सकती है। सरकार इस मामले में कानूनी राय उपलब्ध होते ही जल्दी से जल्दी निर्णय लेगी। *...(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोत्रानी): यह मसले को टालमटोल करने की बातें हैं। यह कोई तरीका नही है। इनको अपील के अन्दर जाना चाहिए। अपील फाइल की जानी चाहिए। इस मसले को सिर्फ टाला जा रहा है। *...(व्यवधान)*

شری جی ایم بنات والا (پونتانی): یہ مسئلے کو ٹال مٹول کرنے کی باتیں ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان کو اپیل کے اندر جانا چاہئے۔ اپیل فائل کی جانی چاہئے۔ اس مسئلے کو صرف ٹالا جارہا ہے۔...(مداخلت)

डा. शकील अहमद: यह उचित नहीं है। इनको अपील में जाना जरूरी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: शान्ति से सुन लें। कृपा करके आसन लीजिए। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए और बातों को सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सभापति जी, कल सरकार ने वायदा किया था कि हम 24 घंटे के अन्दर इस मामले की जानकारी हासिल करके सदन के सामने आकर बताने का काम करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला तो वहीं का वहीं रुका रह गया। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: हमने जो आश्वासन दिया था, उसे हमने पूरा कर दिया। *...(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार की इच्छा क्या है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है? *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मंत्री जी ने कल सदन को आश्वस्त किया था कि हम लीगल जानकारी प्राप्त करके कल सदन को बताने की स्थिति में होंगे। लेकिन ये आज वहीं पर कायम हैं जो इन्होंने कल कहा था। महोदय, ये देश के सिस्टम का और सभी की प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। मामला आर्मी काल करने का है, यह एक संवैधानिक सवाल है। फर्मली मैं इसमें पार्टी नहीं हूं, यह भी सही है। इसमें आर्मी पार्टी है, सी.बी.आई. पार्टी है और उसके अधिकारी पार्टी हैं। इनके द्वारा कल दिए गए आश्वासन से बात बढ़ी थी, लेकिन हमें अंदेशा है कि कहीं न कहीं राय लेने के बहाने सरकार लीपापोती करके गलत काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। मैं इस बयान से संतुष्ट नहीं हूं इसलिए मैं वाकआउट करता हूं।

अपराह्न 2.12 बजे

(तत्पश्चात् श्री लालू प्रसाद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह सीधे टालमटोल वाला जवाब है। कानूनी राय किस से लेंगे और कैसे लेंगे, ये इस तरह से टालमटोल करके अपील में नहीं जाना चाहते। आपके विधि सचिव हैं, सरकारी वकील भी हैं, सब कुछ है। एक घंटे के अंदर कल ही राय ले सकते थे कि अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं, इतना ही सरकार को बताना था। ये टालमटोल जवाब देकर सदन का समय ले रहे हैं। हम भी इस बयान से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हम लोग भी वाकआऊट करते हैं।

अपराह्न 2.13 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (बिमूर): हम भी सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 2.13 $^{1}/_{4}$ बजे

(तत्पश्चात् प्रो. जोगेन्द्र कवाडे तथा श्री रामदास अठावले सभाभवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। हमें इसके बारे में कुछ कहना है। कल माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था। *...(व्यवधान)*

यह एक गंभीर मामला है। मैं इस पर अपना मत भी देना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने कल आश्वासन दिया है कि वह कानूनी राय लेकर ही यहाँ वक्तव्य देगी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को टाल रही है। यह किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। यह मामला किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी प्रयोजन के लिए, यदि वह ठीक हो या गलत, सेना बुलाने का है। किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह संविधान का उल्लंघन है। इसे हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह किसी व्यक्ति चाहे वह सांसद हो अथवा कोई अधिकारी, से संबंधित मामला नहीं है। मुझे इस बात का दुःख है कि सरकार इसे बहुत हल्के रूप में ले रही है।

अपराह्न 2.14 बजे

(**श्री के. येरननायडू** *पीठासीन* हुए)

मैं एक बात और जानना चाहूंगा। क्या सरकार इस सभा को कम से कम कल सुबह तक आश्वासन दे सकती है क्योंकि कल यह सभा स्थगित होने जा रही है? क्या माननीय मंत्री इस मामले में कोई आश्वासन दे सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): सभापति महोदय, कल जो मामला उठा था, उसमें दो इश्यू अलग-अलग हैं। पहला तो यह है कि आर्मी बुलाई जाए या नहीं बुलाई जाए, यह इश्यू अलग है, इसका केस से ताल्लुक नहीं है। केस में सिम्पल फैक्ट्स है कि जब भारत सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, विभागीय कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो विश्वास साहब ने कलकत्ता हाई कार्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने उनकी यह कार्रवाई क्वैश कर दी है। अब आर्मी बुलाई जाए या नहीं बुलाई जाए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल यह है कि उनकी प्रोसीडिंग वैलिड है या इनवैलिड है। यह मामला कोर्ट में गया है। आज लालू जी शामिल हैं, प्रश्न इस बात का नहीं है, अब इस मामले में अपील डालनी है या नहीं डालनी है, इसका निर्णय सीमित लोग करेंगे। एटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और अन्य लीगल लोगों से राय ली जाएगी। अगर हमें इस तरह से प्रैशराइज करके, क्योंकि इसमें बहुत पोलिटिकल लोग शामिल हैं, अपील डालने की परम्परा डालेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस पर निर्णय सरकार के हित में करें, लाइट में करें। लीगल ओपिनीयन आ जाएगी तो उसके आने के बाद अगर वह यह कहती है कि अपील डालनी चाहिए तो सरकार को अपील डालनी चाहिए। लेकिन अगर लीगल ओपिनियन यह आती है कि इसके अंदर कोई आर्गुएबल पाइंट नहीं है तो उसमें अपील डालने का कोई मतलब नहीं है। 15 अगस्त तक इसकी समय सीमा है। सरकार के पास पूरा समय है इसलिए मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि अपील डालने का और नहीं डालने का निर्णय केवल राजनीतिक दबाव में बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इस बात को देखते हुए कि फलां आदमी शामिल है, मैरिट पर निर्णय होना चाहिए। मैरिट है तो अपील डालें, मैरिट नहीं है तो न डालें।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम): महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जोस, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जार्ज फर्नांडीज, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज): सभापति जी, मैं एक बात यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। यहां कहा गया कि सिविल सर्वेंट ने सेना को बुलाया और यह मामला संवैधानिक मामला और गम्भीर मामला है। यह सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ तथ्य है। पटना हाई कोर्ट ने सी.बी.आई को यह बात कही कि अगर पुलिस बल आपको नहीं मिलता आपका काम करने के लिए तो फिर आप दानापुर में सेना है, वहां सेना के अधिकारी को पत्र लिखिए और उनसे मदद मांगिए। जब यह बात कही गई तो वहां श्री विश्वास नहीं थे, वे कलकत्ता में थे। यह बात अदालत ने तब कही जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छः एफिडेविट बिहार राज्य सरकार ने अदालत के सामने दे दिए थे, जिसमें यह कहा था कि कितने भी बड़े लोग क्यों न हों जिनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी है, उस कार्रवाई को करने के लिए पुलिस बल की मदद चाहिए तो वह मिल जाएगी। पुलिस बल की मदद न मिलने पर जो स्थानीय सी.बी.आई. के अधिकारी थे, वे अदालत में गए। उन स्थानीय अधिकारियों की दिल्ली में सी.बी.आई. के जो सबसे बड़े डायरेक्टर बैठते हैं, उन्होंने कहा कि अदालत ने वारंट इश्यू किया है, उसको तत्काल अमल में आप लोग लाएं। उन सी.बी.आई. के स्थानीय अधिकारियों के पास अदालत के नानबेलेबल वारंट पर तत्काल अमल करने का जिम्मा था और यह उनका कर्तव्य था इसलिए इस कार्य का पालन करने के लिए उनको अदालत से सुझाव गया था। उनको पुलिस नहीं मिली तो

सी.बी.आई. के वकील ने अदालत में जाकर कहा कि हम लोग इस हालत में है। तब अदालत ने कहा कि आप सेना के पास जाएं। सेना को चिट्ठी गई और उस चिट्ठी पर सेना ने यह सोचा कि हमें अपने, चूंकि यह सिविल अथोरिटी से नहीं आई थी, अदालत के आदेश पर जो बोर्ड का आदेश था, मगर जिसको स्वीकार किया गया है इसलिए मैंने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला आया था, यह बात स्वीकार की है कि जस्टिस झा ने कहा था कि आप जाकर सेना की मदद लीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): लिखित कहा था या जुबानी कहा था?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जुबानी कहा था, लेकिन यह बात अदालत ने स्वीकार की है। प्रश्न यह नहीं है कि लिखित कहा था या मौखिक कहा था। अदालत का यह मामला है। अदालत ने यह बात कही थी और उसके ऊपर कार्रवाई की गई। तत्कालीन गृह मंत्री ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल के जरिए जांच कराई। जांच के बाद उन्हीं के गृह मंत्रालय द्वारा चार्ज-शीट दी गई। उस चार्ज-शीट के खिलाफ विश्वास कैट में गए और कैट ने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब वे कलकत्ता हाईकोर्ट में गए। कलकत्ता के हाईकोर्ट का इस पर जो निर्णय हुआ उसके दो वाक्य मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं:

[अनुवाद]

> ''हमारा स्पष्ट मत है कि केन्द्र सरकार ने जाँच अधिकारी के रूप में डा. विश्वास जो कि अभी भी जाँच प्रभारी हैं के विरुद्ध गैर कानूनी और कदाशय से कार्रवाई की, जिससे कि जाँच प्रभावित होगी तथा इसका परिणाम भयंकर होगा। न्यायालय और प्रशासन का मत बिल्कुल भिन्न है। न्यायालय, न्याय प्रशासन को बनाए रखने और उसको संरक्षण देने तथा यह देखने कि कहीं यह अप्रभावी न हो जाए से संबंधित है'' *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मंत्री महोदय को सुनें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: पहले उन्हें सुनें। उनके वक्तव्य के समाप्त होने के पश्चात् आप अपनी बात उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं आपको बाद में एक मौका दूंगा। कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय ने अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया बैठ जाइये।

मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैंने माननीय मंत्री जी को बोलने के लिए कहा है। उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त नहीं किया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, यह कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारत सरकार की जो इसके बारे में भूमिका थी, उसको अस्वीकार किया था। अब अपील में जाएं या न जाए, यह सरकार के करने लायक फैसला है। श्री लालू यादव को जमानत दी गई थी, जबकि सीबीआई ने नीचे के स्तर पर उनके बारे में वहां एक प्रकार का विरोध बता दिया था, लेकिन उनको जमानत दे दी गई। उसमें भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए नहीं गई थी। मैं यह नहीं समझ सका कि सीबीआई को गिरफ्तारी का आदेश क्यों नहीं दिया जाता। हाईकोर्ट के जरिए जमानत का आदेश दिया जाता है तथा उस पर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार नहीं जाती है, उन लोगों की सरकार को आप बोलते हैं कि क्यों नहीं अपील कर रहे हो। अपील करना या न करना, तब भी सरकार के बस में था और आज भी सरकार के बस में है और सरकार उसको तय करेगी, इस पर चिल्ला कर कोई फैसला नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस: सभापति महोदय, *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जोस, एक मिनट। मैंने श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को बोला है।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस: महोदय, मुझे श्री जार्ज फर्नांडीज को इस संस्था के लिए बहस करते देख कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गत वर्ष वह इसके विरुद्ध बहस कर रहे थे। अब वह इसके लिए बहस कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नांडीज: महोदय गत चार वर्षों के दौरान मैंने इस बात के लिए लड़ाई लड़ी है कि जिन लोगों ने सरकारी खजाने के साथ धोखाधड़ी की है उन्हें पकड़ा जाए। मैंने चार वर्षों तक लड़ाई लड़ी है और उन्हें इस बात का पता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सीबीआई अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो सकती, उसकी अपील सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सीबीआई का पदाधिकारी अवैध कार्य करे तो सरकार को उस पर कार्यवाही करने का, जांच करने का पूरा अधिकार है, वह फैसला हमारे हाथ में है। उसके बाद जब सरकार ने कार्यवाही शुरू की तब श्री विश्वास कलकत्ता हाईकोर्ट चले गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। मेरा सबमिशन है कि जब पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है और फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो सकती। यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा या हाईकोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी यहां हैं। सदस्यगण अनावश्यक प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: पटना हाईकोर्ट का फैसला है कि सीबीआई के अधिकारी के विरुद्ध फैसला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें जस्टिस भडूचा, जस्टिस सेन, दोनों जज थे, उन्होंने कहा कि सरकार स्वतंत्र है, कोई भी अधिकारी अगर अवैध कार्य करे उसके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। उस फैसले के आलोक में जब कार्यवाही शुरू हुई, श्री दुरई ने जांच की और जांच करके यह पाया कि जांच डायरेक्टर ने आर्मी बुला कर अवैध कार्य किया। उसके आलोक में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस नोटिस को क्वेश किया और रोक दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया कि सरकार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको रोकने का काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा या हाईकोर्ट का फैसला लागू होगा। इसलिए यह फिट केस है। जब सरकार की तरफ से सीबीआई ने आडवाणी जी पर चार्जशीट किया, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई और उस पर फैसला हुआ। इसलिए सरकार में परिपार्टी है। जहां इस तरह का सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले में फर्क पड़े तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा और सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चहिए। हम जार्ज साहब का बहुत आदर करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। आप भाषण दे रहे हैं। आप हर बात को दोहरा रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुन लीजिए। मैं एक लाईन में सुनाना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "विशेष न्यायालय ने श्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध, जाँच के उपरान्त, चार्जशीट दायर करने के बाद वारंट जारी किए ..... किसी भी सी.बी.आई. अधिकारी को श्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वारंट का पालन करने में सेना की मदद के लिए किसी भी प्रकार के मौखिक अथवा अन्य निर्देश के लिए उच्च न्यायालय अथक उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं थी। इस आधार पर यह कहा गया कि सेना की मदद लेने संबंधी घटना के आदेशों में से कुछ निर्देशों की जाँच का कार्य उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना था तथा इस बारे में निर्देश अमान्य हैं।"

[हिन्दी]

हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कार्यवाही करे। उस फैसले के आलोक में कार्यवाही हो रही है। ...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक जो कार्यवाही हो रही है उसको हाईकोर्ट कलकत्ता को रोकने का अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नांडीज: कृपया, माननीय सदस्य से निर्णय के बारे में पूछें। उन्हें सभा को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें स्पष्टीकरण देने दें। ...*(व्यवधान)* आप इसको पढ़िए।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये। आप क्यों उकसा रहे हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इस मामले पर और अधिक चर्चा न करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले पर और अधिक चर्चा नहीं होगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री एच.डी. देवेगौड़ा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री एच.डी. देवगौड़ा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। इस विषय पर और अधिक चर्चा नहीं होगी। हमने इस मामले पर सदन में व्यापक चर्चा की है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: आपने जो फैसला पढ़ा है वह 1997 का किसी और संदर्भ में है, जबकि यह हाई कोर्ट का फैसला 1998 का है *...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: वही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रत्येक बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित की जा रही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अभिलेखों और फैसलों को परिवर्तित नहीं कर सकते। रिकार्ड में सभी बातें हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: हमें आज बजट पर भी चर्चा जारी रखनी है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हासन): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मैंने श्री देवगौड़ा को बुलाया है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: पूर्व प्रधान मंत्री बोलने जा रहे हैं। कृपया सहयोग दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री कुरियन, मैंने श्री देवगौड़ा से बोलने को कहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री देवेगौड़ा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री देवगौड़ा जी बोलने जा रहे हैं। कृपया सहयोग दें।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला: यह सरकार टाल-मटोल की कार्यवाही कर रही है। मुस्लिम लीग भी वाक-आउट करती है। हमारा वॉक-आउट रिकार्ड कर लिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह रिकार्ड में जाएगा। कोई परेशानी नहीं है।

अपराह्न 2.32 बजे

(तत्पश्चात् श्री जी.एम. बनातवाला सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन: आप एक भ्रष्टाचारी आदमी को बचाना चाहते हैं।

डा. शकील अहमद: सुखराम जी बड़े आदर्शवादी हैं, उनको आपने गोद में बिठा लिया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.32 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में एस.ओ.पी., 20 : 20 : 05 मिक्सचर और पोटाश की कमी

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन): सभापति महोदय, मैं माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री जी का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ तथा यह निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें:

"कर्नाटक राज्य के विशेषकर हसन और मैसूर जिलों में एस.ओ.पी. 20 : 20 : 05 मिक्सचर और पोटाश की कमी, के कारण किसानों को भारी कठिनाई के कारण उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही"

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): मैं माननीय सदस्य श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी का आभारी हूं कि उन्होंने कर्नाटक राज्य और विशेषकर राज्य के हसन तथा मैसूर जिलों में सल्फेट आफ पोटाश (एसओपी), 20 : 20 : 0 तथा पोटाश की कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। एस.ओ.पी. के बारे में श्री देवगौड़ा जी ने मुझे अलग से भी लिखा था। मैं इस राज्य में इन उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में स्थिति तथा सरकार द्वारा किये गये उपायों को स्पष्ट करना चाहूंगा।

एसओपी का उपयोग मुख्यत: वर्जीना तम्बाकू, अंगूर तथा बीज आलू जैसी नकदी फसलों के लिए किया जाता है। वर्ष 1998-99 के दौरान एसओपी की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता 18,000 मी. टन है। इसे पूर्णत: आयातों द्वारा पूरा किया जाता है जो केवल जर्मनी से किये जाते हैं। एसओपी के आयातों पर कोई नियंत्रण नहीं है और किसी विशेष प्राधिकृति के बिना कोई भी इसका आयात कर सकता है। तथापि, वर्तमान में केवल मैं. इंडियन पोटाश लि. (आईपीएल) ही एसओपी का आयात कर रही है और राज्य के अन्दर वितरण की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारों के परामर्श से अपने डीलरों तथा राज्य संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से इसे उपलब्ध करा रही है। आईपीएल ने अप्रैल, 1998 में 5,000 मी. टन एसओपी का आयात करने की योजना बनाई थी। किन्तु इतनी कम मात्रा को लाने के लिए जहाज की अनुपलब्धता, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एसओपी के मूल्यों में वृद्धि और जर्मनी से म्यूरियेट आफ पोटाश (एमओपी) का आयात बन्द करने में विलम्ब के कारण इस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

यह सत्य है कि वर्जीना तम्बाकू के प्रतिरोपण के दौरान कर्नाटक में एसओपी की उपलब्धता कम थी। कर्नाटक में खरीफ के दौरान 4500 मी. टन की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में आईपीएल द्वारा अपने उपलब्ध भंडार से 1825 मी. टन की आपूर्ति की गई है। इसमें 300 मी. टन की वह मात्रा भी शामिल है जो माह मई 1998 के दौरान कमी पर काबू पाने के लिए पड़ौसी राज्यों से भेजी गई थी। यह सुनिश्चित करने हेतु कि कमी की स्थितियों का किसानों के हितों के विरुद्ध अनुचित लाभ न उठाया जा सके, आईपीएल ने उपलब्ध भण्डार का 75% भण्डार कर्नाटक राज्य में राज्य सरकार की एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया। आईपीएल तथा राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से किसानों को कन्नड भाषा में जानकारी देने वाले पैम्फलेट भी बांटे जिनमें उनको यह बताया गया था कि जो बुवाई के समय एसओपी का उपयोग नहीं कर सके थे वे जुलाई, 1998 में प्रथम खड़ी फसल में खाद देते समय वही लाभ प्राप्त करने के लिए सरलतापूर्वक इसका उपयोग कर सकते हैं।

कर्नाटक में शेष अवधि के दौरान तथा देश के अन्य भागों में एसओपी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईपीएल ने 10,000 मी. टन एसओपी का अनुबन्ध किया है। यह मात्रा देश में इस माह के दौरान आनी है और जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है, खड़ी फसल में खाद देने का मौसम शुरू होते सामग्री भेज दी जायेगी।

एमओपी एक नियंत्रणमुक्त उर्वरक है। देश की सम्पूर्ण मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है जिसे 7.6.1993 से असरणीबद्ध कर दिया गया है। आईपीएल समेत कई कंपनियों द्वारा इस समय आयात स्वतंत्र रूप से व्यापारिक खाते में किये जाते हैं। उनके द्वारा राज्य को आपूर्ति उनकी आवश्यकतानुसार तथा राज्य सरकार के परामर्श से सीधे की जाती है।

खरीफ 1998 के लिए, कर्नाटक सरकार ने 1.23 लाख मी. टन (एलएमटीएस) की मांग का अनुमान लगाया है। अभी तक (31.5.1998) कंपनी ने इस राज्य को एमओपी की 21,034 मी. टन की कथित रूप से आपूर्ति की है। इसकी तुलना में 31.5.98 तक 14010 मी. टन की बिक्री हुई है। इस प्रकार राज्य के पास लगभग 7,000 मी. टन स्टॉक उपलब्ध है। मुझे आशा है कि राज्य की शेष मांग मौसम की शेष अवधि के लिए पूरी कर दी जायेगी तथा कोई समस्या उत्पन्न होने पर आईपीएल को राज्य की मदद करने के लिए कहा जायेगा।

20 : 20 : 0

कर्नाटक राज्य को इस काम्पलेक्स उर्वरक की आपूर्ति फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फेक्ट), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), गुजरात नर्मदा

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

वैली फर्टिलाइजर कं. लि. (जीएनएफएल) और जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड (जेडएसीएल) नामक विभिन्न कम्पनियों द्वारा की जाती है। मई के अन्त तक कर्नाटक राज्य के पास 20 : 20 : 0 के 43,825 मी. टन की संचयी उपलब्धता थी। इसकी तुलना में, केवल 12.932 मी. टन की बिक्री हुई है। इस प्रकार, यह उपलब्धता बिक्री का समर्थन करने के लिए अभी तक पर्याप्त रही है। 20 : 20 : 0 की आपूर्ति को इन कम्पनियों द्वारा आगामी महीनों में ओर बढ़ा दिया जायेगा।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय सदस्य श्री देवगौड़ा जी तथा अन्य सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि यद्यपि यह उर्वरक नियंत्रणामुक्त है और सरकार का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है जैसा कि यूरिया के मामले में है, फिर भी हम किसानों को पर्याप्त उपलब्धता के लिए सभी सम्भव उपाय करेंगे जिनके हित मेरे मस्तिष्क में सर्वोपरि हैं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो त्रीन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ ताकि किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को सुलझाया जा सके और सरकार इस संबंध में उचित व्यवस्थाएं कर सके।

आपने दूसरे पैरा में कहा है कि अनुमानित मात्रा 4,500 मीट्रिक टन है और आपूर्ति मात्र 1,825 मीट्रिक टन की हुई है जैसाकि आप 'बासल डोज' की आपूर्ति नहीं कर पाए हैं अत: समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों ने किसानों को शिक्षित करने के लिए कन्नड़ भाषा में पेम्फलेटस वितरित करना शुरू कर दिया है। पहली मर्तबा, फसल की कटाई छटाई से ''बासल डोज' की समस्या सुलझ जाएगी जबकि यह उपलब्ध नहीं है।

पेम्फलेट में बताया गया है कि कटाई-छटाई से किसानों को लाभ होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस राय का समर्थन किसी तकनीकी विशेषज्ञ ने किया है क्योंकि इससे तम्बाकू की गुणवत्ता और उर्वरता प्रभावित हो सकती है और फसल को बीमारी भी लग सकती है। इस प्रकार के पेम्फलेट किसानों को कटाई-छटाई के बारे में थोड़ा ज्यादा हो विश्वास पैदा कर देते हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस कटाई-छटाई का 'बासल डोज' पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि मेरे जिले को 90 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की गई है। मैं सिर्फ अपने जिले की बात ही नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुद्दा यह है कि सरकार ने इस संबंध में कदम अप्रैल मास में ही उठाए हैं। जैसा कि आपने ठीक ही कहा था कि यह सामग्री एक देश अर्थात् जर्मनी से आनी चाहिए। कृषि कार्य मई-जून-जुलाई में शुरू होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और विभाग को कुछ कदम उठाने चाहिए थे। संबंधित विभाग को मालूम होना चाहिए कि राज्यवार कितनी मात्रा की जरूरत है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि विभाग ने ऐसी ढील क्यों बरती। जहां तक एस.ओ.पी. की जरूरी मात्रा के लिए जरूरी इन्तजामात करने का प्रश्न है तो आपने कहा कि इस वर्ष 18000 मीट्रिक टन की खपत होने का अनुमान है।

महोदय, दूसरा मुद्दा एम.ओ.पी. के बारे में है। आपने दूसरे पृष्ठ के अंतिम पैरा में उल्लेख किया है कि आवश्यक मात्रा 1.23 एल.एम.टी. है और आपूर्ति 21034 मीट्रिक टन है। 14,010 मीट्रिक टन का पहले ही उपयोग किया जा चुका है और शेष भण्डार मात्र 7,000 मीट्रिक टन है। पूरे वर्ष के लिए सिर्फ कर्नाटक के लिए 1.23 एल.एम.टी. एम.ओ.पी. की जरूरत पड़ती है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो देश की जरूरत 15 एल एम टी है। इस संबंध में क्या इन्तजाम किए गए हैं। इसे विसरणीकृत कर दिया गया है अत: व्यापारी और आई.पी.एल. सहित अनेक कम्पनियां इस बहुमूल्य सामग्री का आयात करने जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस पदार्थ को विसरणीकृत करने के बाद कोई व्यापारी इसका आयात करने के लिए सामने आया है। जैसाकि इसे विसरणीकृत कर दिया गया है अब यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि देश के लिए आवश्यक 15 एल.एम.टी. मात्रा का यदि आवश्यक हो तो मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयात किया जाए। अकेले कर्नाटक को 1.23 एल.एम.टी. एम.ओ.पी. की आवश्यकता है। असल में समस्या यह है कि रुपए का अवमूल्यन हो गया है मैं इस समय परमाणु विस्फोटों की अच्छाई-बुराई में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन रुपए का वर्तमान मूल्य डालर की तुलना में 42 रुपये से कुछ ऊपर है। अत: इसकी कीमत 700 रुपए प्रति टन बढ़ गई है और निजी व्यापारी इसका आयात करने के लिए इच्छुक नहीं है। पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस वर्ष कृषि उत्पादन में भी गिरावट आएगी।

यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो आप हमें परेशानी में डाल देंगे। मुझे पक्का यकीन है। सरकार को इसके मूल्य में 700 रुपए प्रति टन की हुई बढ़ोत्तरी को अपने ऊपर लेना चाहिए क्योंकि रुपए का अवमूल्यन हुआ है। डालर अब 42 या 43 रुपए के बराबर है। इसके कारण 700 रुपए प्रति टन की बढ़ोत्तरी से कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि यह भार किसानों या व्यापारियों द्वारा वहन किया जाएगा क्योंकि इसके कारण निजी कम्पनियां और आई.पी.एल. एम.ओ.पी. और एसओ.पी. और अन्य खादों के आयात करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैं विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं।

मई-जून-जुलाई महीने किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खरीफ की फसल जिसका जिक्र आपने अपने वक्तव्य में भी

किया है, के बारे में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या आप इस अतिरिक्त भार को वहन करने जा रहे हैं या निजी कम्पनियों को निजी कम्पनियों को बढ़ी हुई दर पर आयात करने की अनुमति देंगे क्योंकि रुपए का अवमूल्यन हुआ है कृपया इन बिन्दुओं को स्पष्ट करें।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: माननीय सदस्य श्री देवगौड़ा जो स्वयं भी किसान हैं ने कुछ बिन्दुओं को सही उठाया है। वे राज्य में एम.ओ.पी. की उपलब्धता के प्रति चिंतित है क्योंकि कर्नाटक में 1.23 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। अपने उत्तर में मैंने उल्लेख किया है कि 31 मई तक मेरे पास ये आकड़े हैं। कम्पनियों ने 21000 मीट्रिक टन एम.ओ.पी. की आपूर्ति की है। हम सभी सम्भव कदम उठाएंगे।

दूसरा प्रश्न था कि क्या पेम्फलेट्स आई.पी.एल. या कर्नाटक सरकार के कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए थे और क्या इस संबंध में विशेषज्ञ की सिफारिश ली गई थी।

पेम्फलेट विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद ही वितरित किए गए थे। कटाई-छटाई के लिए भी समान प्रभाव पाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पेम्फलेट वितरित किए गए थे।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि हमें 56000 मीट्रिक टन एम.ओ.पी. मिला है। आपने यही कहा है। अकेले मेरे राज्य को 1.23 लाख टन चाहिए। आपने अपने उत्तर में बताया कि 31 मई, 1998 को 7000 टन अभी भी शेष है। इसकी खपत पिछले सात-आठ दिनों में हो गई है क्योंकि पोटाश और एम.ओ.पी. कम मात्रा में उपलब्ध है।

सभी उर्वरक एम.ओ.पी. से निर्मित होते हैं आप सभी यह जानते हैं। उपलब्ध 7000 सभी मात्रा की खपत जल्दी ही हो जाएगी। मंत्री महोदय ने 31.5.1998 की स्थिति ही बताई है। लेकिन आज स्थिति भिन्न है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि 56000 टन की उपलब्ध मात्रा से देश के किसानों की जरूरत की पूर्ति नहीं होगी। अकेले कर्नाटक राज्य को ही 7.23 लाख टन की आवश्यकता है। किसानों की सेवा किस प्रकार की जा सकती है? प्रत्येक फसल को एम.ओ.पी. की जरूरत होती है। अन्य उर्वरक भी एम.ओ.पी. से ही निर्मित होते हैं। मैंने जरूरत के बराबर मात्रा उपलब्ध नहीं कराई है। मैंने यह नहीं बताया है कि कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। मंत्री महोदय आपने भी नहीं बताया है कि पूरे देश में कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। मेरी यह शंका है आपने केवल 2 लाख मीट्रिक टन के आयात का अनुबंध किया है, ये मात्रा कब आएगी। लेकिन यहीं अकेला मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा मूल्यों में अंतर का है। यह 700 रुपए प्रति टन है। यह रुपए का मूल्य गिरकर डालर की तुलना में 42 और 42 रुपए हो गया है सरकार इस बारे में क्या कर रही है? क्या यह अतिरिक्त भार सरकार द्वारा या किसानों द्वारा वहन किया जाएगा कृपया इस स्थिति को स्पष्ट करें।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट उल्लेख किया है कि 2 लाख मीट्रिक टन का अनुबंध अस्थायी रूप से कर लिया गया है और यह मात्रा 30 जून, 1998 तक देश में आ जाएगी। कमी की आशंका नहीं रहनी चाहिए। मैंने यह नहीं कहा कि हमारे पास 54,000 टन मात्रा ही उपलब्ध रहेगी। हम जितनी भी मात्रा जुटाई जा सकती है उसका इन्तजाम कर रहे हैं।

अगला मुद्दा रुपए के अवमूल्यन का है रुपए का मूल्य गिरकर डालर की तुलना में 42 रुपए के आसपास हो गया है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अभी तक रुपए के अवमूल्यन या उर्वरकों की बढ़ी कीमतों के बारे में किन्हीं रियायतों की घोषणा नहीं की गई है। जैसाकि मैंने कहा कि यह उर्वरक नियंत्रण के अधीन नहीं है। इसे कोई भी आयात कर सकता है। राज्य सरकार की एजेंसियां या अन्य एजेंसियों भी इसका आयात कर सकती हैं। अत: आगामी दिनों में इसकी कमी होने की सम्भावना नहीं है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: यह रुपए के अवमूल्यन का प्रश्न नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार को नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। मेरा कहना यही है कि इस स्थिति में अतिरिक्त भार कौन वहन करेगा। मैं विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं। किसानों के सिर पर 700 रुपए प्रति टन का अतिरिक्त भार पहले से ही है अथवा क्या भारत सरकार उसका भार वहन करेगी? क्या राजसहायता की राशि बढ़ायी जा रही है? कृपया मुझे बताएं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: भारत सरकार ने अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। कृषि विभाग को इसके बारे में निर्णय करना है। मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं।

सभापति महोदय: भूतपूर्व प्रधान मंत्री को इसी के बारे में शंका है। लेकिन जहां तक भारत सरकार का संबंध है, शंका की कोई बात नहीं है। इसकी कोई समस्या नहीं है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: सभापति महोदय, आप कह रहे हैं कि शंका की कोई बात नहीं है। लेकिन 700 रु. अतिरिक्त भार है जिसको किसानों को वहन करना है। इस राशि को कौन वहन करेगा? आप कृषक हैं। मैं किसानों के प्रति आपकी वचनबद्धता को जानता हूं। क्योंकि अब आप पीठासीन अधिकारी हैं, आप सरकार को तत्काल कदम उठाने के लिए कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सरकार की तरफ से उत्तर दे दिया गया है। हमें इस पर भरोसा है। यदि कोई ऐसी बात होगी तो हम इस पर बातचीत करेंगे।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मुझे केवल यह अनुरोध करना है कि क्या आप सरकार को यह निदेश दे सकते हैं कि हाल के परमाणु परीक्षणों के कारण किसानों पर प्रति टन 700 रु. का अतिरिक्त भार डाला गया है, वह उसको वहन करे। हर व्यक्ति यह जानता है कि डालर के मुकाबले रुपये की कीमत क्या हो गई है। किसान यह अतिरिक्त भार क्यों वहन करेगा? मेरा आपसे अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह 700 रु. की अतिरिक्त राशि का भार अतिरिक्त राजसहायता के रूप में वहन करें। कृपया यह निदेश दें। यह मेरा नम्र निवेदन है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: इसका परमाणु परीक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले को अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि इस बारे में कृषि विभाग द्वारा निर्णय किया जाना है *...(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मंत्री महोदय, आप सरकार के एक सदस्य हैं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: जी, हां। मैं सरकार का सदस्य हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कृषि विभाग में अपने साथियों से इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा।

अपराह्न 2.55 बजे

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद सं. 13 पर चर्चा करेगी।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 11.6.1998 में प्रकाशित।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक, 1998 के. पुर:स्थापन का विरोध करना चाहता हूं। यह असंवैधानिक है। नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम आपातकाल के दौरान 1976 में पारित किया गया था क्योंकि उस समय केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार था।

संविधान के अनुच्छेद 252 में निम्नलिखित कहा गया है:

"यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से, जिनके संबंध में संसद् को अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में यथा उपबंधित के सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे और यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तदनुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद् के लिए विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा, जो तत्पश्चात् अपने विधान-मंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है।"

अनुच्छेद 251 में यह कहा गया है:

"अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसको है, निबंधित नहीं करेगी किंतु यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद् द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे उक्त अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति संसद् को है, किसी उपबंध के विरुद्ध है....."

यह प्रस्ताव पिछले पांच का छ: वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। मुख्यमंत्रियों और आवास मंत्रियों के इस बारे में कई सम्मेलन हुए लेकिन कोई आम सहमति नहीं हो पाई थी। जैसा कि इस बारे में विगत में कोई अन्य सहमति नहीं हो पाई, इसलिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम को निरसित नहीं किया जा सकता।

अपराह्न 3.00 बजे

यह कहा गया है कि लोगों की जनमत लगभग एक समान है। नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम को

निरसित किए जाने के बारे में जनमत कैसे लिया गया? हमारा अनुभव है कि अधिनियम में खामियां है और इसी कारण, जिस उद्देश्य के लिए संसद ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम बनाया गया था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। सरकार को लोगों को आवास प्रदान करने के लिए मकान बनाने हेतु पर्याप्त भूमि नहीं मिल सकी। यही मुख्य कारण हो सकता है। लेकिन इन त्रुटियों और खामियों को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम को निरसित किए बिना दूर किया जा सकता था।

केन्द्र सरकार कैसे राज्य सरकारों को इस तरह का कानून बनाने के लिए कह सकती है जबकि लम्बे अनुनय-विनय और कई सम्मेलनों और बैठकों के बाद, केवल दो विधानमंडल-हरियाणा और पंजाब इन राज्यों में अधिनियम को निरसित करने के लिए संसद को अधिकार देने का संकल्प पारित कर सके? लेकिन किसी अन्य राज्य ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम को निरसित करने के संबंध में इस तरह का संकल्प पारित नहीं किया है।

महोदय, मेरी राय में, यदि हम इस कानून को पारित करते हैं, तो यह असंवैधानिक कार्य होगा और इसलिए महोदय, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं और माननीय शहरी कार्य और रोजगार मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को वापस लें और सभी राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए उनकी एक बैठक बुलाए और विद्यमान नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधान लाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, भारतीय संविधान की धारा 245 के अंतर्गत राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में और संसद को संपूर्ण भारत के अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। उसी तरह कुछ परिस्थितियों में जो राज्यों के विषय हैं, उनमें भी संसद को कानून बनाने के अधिकार संविधान की धारा 152 में, 251 में और 250 में दिए गए हैं। उनके अनुसार यदि भारत की संसद राज्य सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करे, तो उसके मद्देनजर या हिन्दुस्तान भर की विधान सभाएं उनमें से दो विधान सभाएं प्रस्ताव पास करें, तो राज्यों की सूची के अंतर्गत सभी विषयों में भारत की संसद कानून बना सकती है। अब यह जो जमीन संबंधी जो कानून हैं वे राज्यों की सूची में आते हैं। जो सूचियां बनी हैं, राज्य की सूची नं. 2 के 18 नंबर पर है उसमें लिखा है "भूमि, अर्थात, भूमि या उस पर अधिकार जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबंध और भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और अन्य संक्रमण, भूमि विकास और कृषि सुधार उपनिवेषन" यानी भूमि संबंधी संपूर्ण मामलों में राज्य विधान सभाओं और विधान मंडलों को ही कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं।

सभापति महोदय, ऐसी हालत में केन्द्र सरकार कानून तब बना सकती है जब देश की दो विधान सभाएं प्रस्ताव पारित करे। यह कानून जब भारत की संसद में 1976 में बना, उस समय संसद को इस कानून को पारित करने के लिए हिन्दुस्तान की 11 विधान सभाओं ने, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की विधान सभाएं शामिल हैं, प्रस्ताव पारित कर के भारत की संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया था। आज मंत्री जी केवल दो राज्यों की विधान सभाओं ने यह प्रस्ताव पास कर आपको अधिकार दिया है इसलिए इस कानून को रिपील करने का यह विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया। मैं समझता हूं कि यह एक विशेष स्थिति है जब कि हिन्दुस्तान की 11 विधान सभाओं द्वारा पारित अधिकार को केवल दो विधान सभाओं द्वारा प्रदत्त अधिकार द्वारा आप ओवर रूल करने का काम कर रहे हैं। यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप है। यह मेरी मान्यता है कि संसद इस कानून को पारित नहीं कर सकती।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अभी विगत दिनों हिन्दुस्तान भर के आवास मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। मैं नहीं जानता यह खबर कितनी सही है, लेकिन स्टेट्समैन, हिन्दुस्तान का एक प्रमुख अखबार जिसमें यह खबर छपी है कि माननीय आवास मंत्री ने खासतौर पर यह हिदायत दी है कि जिन राज्य सरकारों की ओर से इस कानून का पालन करने में, अमल करने में मदद नहीं मिलेगी, भारत सरकार उस पर सैंक्शन लगाएगी। यदि ऐसी बात आवास मंत्री ने कही है, तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि राज्य विधान सभाएं या सरकारें प्रजा नहीं हैं और हिन्दुस्तान की सरकार राजा नहीं है। किसी भी केन्द्र सरकार का कोई भी मंत्री हुकम देकर, आदेश देकर किसी भी राज्य को इस तरह का प्रस्ताव पारित करने के लिए विवश नहीं कर सकता। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। अभी अनुमति मांगते हुए, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह अल्सर है, मैं इसकी मैरिट में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून बनाकर आप इस देश में एक कैंसर का प्रवेश कराना चाहते हैं। यह कानून एंटी-पूअर है, एंटी-प्यूपल है। इस सरकार का यह समाज विरोधी कदम है। इसलिए सरकार के इस बिल को आप सदन में इंट्रोड्यूस करने की अनुमति न दें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। यह गैर-कानूनी है और असंवैधानिक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन आपका नोटिस पूर्वाह्न 11.30 बजे प्राप्त हुआ है। पूर्व वक्ता होने के नाते आपको नियमों के बारे में मालूम है। मंत्री का उत्तर पूरा हो जाने के बाद यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस सब के बारे में नियम हैं और प्रक्रिया है। सभा के लिए एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल): जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं उससे मंत्री महोदय को जानकारी मिलेगी। मेरे विद्वान दोस्त भी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि मैं संवैधानिक औचित्य के कुछ मामलों के बारे में बोलूंगा। मेरे को यही सब कहना है।

सभापति महोदय: लेकिन आपका नोटिस पूर्वाह्न 11.30 बजे प्राप्त हुआ है। इसे पूर्वाह्न 10 बजे प्राप्त हो जाना चाहिए था।

श्री वारकला राधाकृष्णन: यह नहीं दिया जा सका क्योंकि अध्यक्ष महोदय उपलब्ध नहीं थे।

सभापति महोदय: अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति बोलने के लिए समय मांगेगा। प्रत्येक व्यक्ति इस स्तर पर विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करेगा। कांग्रेस के सदस्य भी बोलने के लिए समय मांग रहे थे। मैंने उन्हें समय देने से मना किया। कृपया अध्यक्षपीठ का सहयोग करें। मैं नियमों से हटकर काम नहीं कर रहा हूं।

श्री वारकला राधाकृष्णनन: संवैधानिक मामले किसी भी समय बिना नोटिस के भी उठाये जा सकते हैं। वे मामले जिनमें संवैधानिक औचित्य निहित हो, उन्हें बिना नोटिस के भी उठाया जा सकता है। नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय: यह आपको किसने बताया?

श्री वारकला राधाकृष्णन: यह सभी सभाओं में बिल्कुल स्पष्ट है। जब संवैधानिक औचित्य निहित हो, सदस्यों को बोलने की अनुमति होती है।

सभापति महोदय: नियम में यह कहा गया है कि हरेक सदस्य को 10 बजे से पूर्व महासचिव को सूचना देना होता है।

श्री वारकला राधाकृष्णन: यह मामला चर्चा में से निकला है।

सभापति महोदय: कृपया नियम 72 देखें।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मुझे मालूम है।

सभापति महोदय: आप सब जानते हैं, किन्तु फिर भी समय मांग रहे हैं। कृपया मुझे बताइये कि यह कैसे संभव है। कृपया समय बर्बाद मत कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मैं केवल एक मिनट लूंगा।

सभापति महोदय: मैं और समय बिल्कुल नहीं दूँगा।

श्री वारकला राधाकृष्णन: कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैं केवल एक मिनट लूंगा। कृपया कोई बुरा दृष्टान्त प्रस्तुत मत कीजिए।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री राम जेठमलानी जो कहते हैं, उसके अलावा कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी: आप जो कुछ कहेंगे, मैं उसे मान लूंगा। लेकिन मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि कुछ देर मेरी बात सुन लें। मैं आपके संदेह दूर करूंगा। यदि फिर भी आपको शक बना रहता है तो उसके बाद ये प्रश्न पूछना।

श्री वारकला राधाकृष्णन: यदि मैं उन्हें सुनने के पश्चात् बोल सकूँ, तो मेरे लिए इतना पर्याप्त है। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह बात आपके तथा माननीय मंत्री के बीच है, परन्तु यह नोट कीजिए कि मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री वारकला राधाकृष्णन: आप मेरी बात सुनिये। मैं सिर्फ संवैधानिक औचित्य के आधार पर विरोध कर रहा हूँ।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आप अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको स्थिति समझनी चाहिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: संविधानिक औचित्य के मामलों पर, सभी अध्यक्ष माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति देते रहे हैं।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य और श्री मोहन सिंह अपनी आपत्तियां व्यक्त कर चुके हैं।

श्री राम जेठमलानी: मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूँ-मैं इस बात का जायजा ले सकता हूं कि वह क्या सोच

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहे हैं-कि वह क्या कहने जा रहे हैं। कृपया कुछ मिनटों के लिए मेरी बात सुनिये। यदि मैं तुम्हारे संदेह दूर नहीं करता तब हम देखेंगे कि इस मामले में हमें क्या करना है।

अभी हम केवल विधेयक पेश करने की अनुमति मांग रहे हैं। जब यह विधेयक इस सभा में विचार हेतु लाया जायेगा उस समय भी ये सभी मुद्दे उठाये जा सकते हैं। जिन पर अभी बहस की जा रही है। मैं विधेयक प्रस्तुत किये जाने के समय किसी सदस्य के विधेयक का विरोध करने के अधिकार पर शक नहीं कर रहा हूँ। नियम 72 में इसकी सुस्पष्ट व्यवस्था है। लेकिन यदि कानून की संवैधानिक वैद्यता की बात की जा रही है तो उचित तरीका यह है कि इस पहलू पर उसी समय विचार किया जाना चाहिए जबकि विधेयक पर विचार किया जा रहा हो। इस स्थिति में, न तो संवैधानिक औचित्य और वैद्यता के प्रश्न उठाने की अनुमति है और न ही उन्हें उठाने की परंपरा है। परंतु चूँकि इसके संवैधानिक पहलू पर चर्चा की जा चुकी है अत: मैं इससे बचना नहीं चाहता।

ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ गलतफहमी है। उस दिन जब एक माननीय सदस्य द्वारा आवास के बारे में पेश किये गये संकल्प पर यहां चर्चा की जा रही थी, तब यह गलतफहमी पैदा हुई थी। मैंने इसके संवैधानिक पहलू को काफी खुलासा किया और मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूँ।

भूमि, राज्य का विषय है। इस संसद को भूमि से संबंधित कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम भूमि संबंधी कानून बनाने का कोई प्रयास करें, तो यह पूर्णत: नियम विरुद्ध होगा। हमें सिर्फ अनुच्छेद 252 के अंतर्गत भूमि संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। जब दो या इससे अधिक राज्य हमें कोई कानून बनाने के लिए कहें और दो या अधिक राज्य किसी भूमि संबंधी कानून के बारे में एकमत हैं और केन्द्र से वह कानून बनाने के लिए कहें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम उनकी ओर से, उनके एजेंट के रूप में ऐसा कर रहे हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 252(2) में ऐसे किसी नियम के निरसन का प्रावधान है। जिस प्रकार अधिनियम को पारित करते समय उस पर विचार किया जाता है उसी प्रकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत निरसन को लागू किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, यदि दो या उससे अधिक राज्य किसी अधिनियम निरसन हेतु अनुरोध करें तो हम पर नैतिक, राजनीतिक और लगभग एक बाध्यकारी संवैधानिक दायित्व आ जाता है कि हम राज्यों को उनकी कार्यवाही करने की स्वतंत्रता पुन: बहाल करें।

यह सच है कि शुरू में अनेक राज्यों ने इस विधेयक के अधिनियमन के लिए अनुरोध किया था। अब उनसे कम राज्य इसके निरसन के लिए कह रहे हैं। परन्तु संविधान में ऐसी स्थिति से निपटने का भी प्रावधान है। अब, जब हम निरसन चाहते हैं तो वह ऐसे किसी राज्य में नहीं होगा, जो इसे जारी रखना चाहते हैं। प्रत्येक राज्य को अब इसे स्वीकृत करने के लिए एक अधिनियम पारित करना होगा। जो राज्य वर्तमान कानून को बनाये रखना चाहते हैं, उन्हें ऐसे किसी अधिनियम को पारित करने से इंकार करने का हक है। परन्तु जिन्होंने निरसन की नीति को स्वीकार कर लिया है उन्हें इस नीति को स्वीकृत करना होगा और तभी उन राज्यों में यह निरसन प्रभावी होगा। इसीलिए, आज हम वही कर रहे हैं, जिसे हम अपना संवैधानिक दायित्व समझते हैं। चूँकि दो राज्य इस कानून से स्वतंत्रता चाहते हैं, अत: हम उन्हें वह स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। अन्य राज्य पुराने कानून से आबद्ध है। वे भी निरसन को स्वीकार कर सकते हैं और वांछित संशोधन करके कोई अन्य कानून बना सकते हैं।

अब, जो स्थिति सामने आई है, जिसमें केवल दो राज्य ही निरसन के लिए कह रहे हैं, ठीक नहीं है। यह तकनीकी रूप से बिल्कुल ठीक है परन्तु व्यवहारिक तौर पर यह बिल्कुल गलत है। इसीलिए यह गलत है। मंत्रालयों के सम्मेलनों में भाग लेने वाले बहुत से राज्य इसे चाहते थे और मंत्रालयों के एक सम्मेलन में तो इस पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार करवाने के लिए कहा गया था।

विशेषज्ञ समिति ने लगभग 55 संशोधनों के सुझाव दिये थे। जब तक सभी 17 राज्य, जो शुरू से ही इस कानून को अपनाना चाहते हैं, इसके संशोधनों के बारे में एकमत नहीं हो जाते, तब तक हमारे पास इसमें संशोधन करने का कोई कारण अथवा संवैधानिक अधिकार नहीं है। वे अब इस बारे में एकमत हैं। वास्तव में, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि उसे इसे निरस्त करने की जरूरत नहीं, अपितु इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। परंतु हमें इस अधिनियम में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक प्रारंभ में सहमत हुये सभी 17 राज्य संशोधनों पर सहमत नहीं हो जाते, तब तक इसे विधि विरुद्ध माना जायेगा।

अत:, जो एक मात्र संवैधानिक तरीका बचता है, वह यह है कि हम इसको निरस्त करें और प्रत्येक राज्य को, वह जिस प्रकार की नीतियाँ अपनाना चाहे, अपनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें।

मेरे मित्र अब यह कहते हैं कि यह निर्धन-विरोधी और अमीरों का समर्थक है। मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम का मूल प्रयोजन एक परम मान्य प्रयोजन था। इसके इस पवित्र उद्देश्य से यह सरकार पूरी तरह सहमत है। मैं अब इसके विस्तार

[श्री राम जेठमलानी]

में नहीं जाना चाहता। इसे पुर:स्थापित किया जा रहा है। इस अवस्था में मैं इसके कारणों पर चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु इस अधिनियम का प्रयोजन ही विफल हो गया है।

अब मैं इस सभा का ध्यान दो-तीन महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। वास्तव में यह सरकार कुछ नया नहीं कर रही है। पूर्व सरकार ने इस प्रकार के विधेयक पर बारीकी से विचार-विमर्श किया था और अंत में, 13 नवम्बर, 1997 को पूर्व कैबिनेट ने एक संकल्प पारित किया कि यह अधिनियम निरसित किया जाना चाहिए। अब मुझे यह स्थिति देखकर काफी ताज्जुब हो रहा है।

[हिन्दी]

मुझे कुछ ताज्जुब भी लगता है कि उसी कैबिनेट में मेरे दोस्त श्री राम विलास पासवान और श्री मुलायम सिंह यादव भी थे। आज उन्होंने पब्लिकली एनाउंस कर दिया है कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। इस हाउस के अंदर जब सीटिंग अरेंजमेंट बदल जाता है तो उनके दिमाग में कैसे संशोधन आ जाता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हुआ?

[अनुवाद]

हम पिछली सरकार के निर्णय को लागू कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: सभापति महोदय, कैबिनेट पार्टी नहीं होती। पार्टी स्तर पर हम इसे एक्सैप्ट नहीं करते।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: पिछले केबिनेट ने यह संशोधन पारित किया है।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है, उसकी सूचना नहीं दी गई है।

श्री राम जेठमलानी: मैं आपको बताऊंगा कि 13 नवम्बर, 1997 को उन्होंने निर्णय किया है; यह मंत्रिमंडल का निर्णय था।

आज जो इस विधेयक के मुख्य विरोधी हैं, उनमें से कम से कम दो सदस्य तो ऐसे हैं जो उस निर्णय में भागीदार थे। अब इसे भूल जाइये। हम विचार करने की अवस्था में भी पहुंचेंगे। विचारण-चरण पर हम हर एक बात पर विचार करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आप मुझे उल्लेख करने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: मैं एक सीधा सा प्रश्न करना चाहता हूं। मंत्री महोदय सहमत हो गए हैं कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जी नहीं। कृपया बैठ जाइये। आप हर बार हस्तक्षेप कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: परन्तु वह सहमत हो गए हैं।

सभापति महोदय: नहीं, कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: महोदय, किन्तु उन्होंने सहमति व्यक्त की है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय सहमत हो गये होंगे, किन्तु अध्यक्षपीठ सहमत नहीं हुए हैं। कृपया बैठ जांइये।

...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: मुझे सन्देह है, महोदय। क्या आप मेरा सन्देह दूर करेंगे। मैं यह अध्यक्षपीठ की अनुमति से पूछता हूं। स्पष्टीकरण के द्वारा, मैं यह प्रश्न रखना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें। ...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: मुझे आपका सन्देह याद है। मैं जब तक आपका सन्देह दूर नहीं कर देता, तब तक बैठूँगा नहीं।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मेरा प्रश्न बहुत सरल है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि मंत्री महोदय के भाषण के पश्चात् भी आपका शक दूर नहीं होता तो आप यह उठा सकते हैं। आप, कृपया बैठ जाइये। मंत्री जी, आपका प्रश्न जानते हैं। आप इसे पहले उठा चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: महोदय, मेरे विचार में यदि मेरे मित्र की आत्मा को शांत रखा जायेगा तभी इस सभा में शांति होगी। उन्हें प्रश्न पूछने दें। मैं उसका जवाब दूँगा। महोदय, मैं एक मिनट दूँगा उन्हें वह प्रश्न पूछने दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे और उसका संबंध भी इस विषय से होना चाहिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: प्रश्न बहुत सरल है। जैसाकि आप जानते हैं, इस सभा में 25 राज्यों और सात संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। अब, हमें मौजूदा विषय को भूल जाना चाहिए। मान लीजिए कि एक राष्ट्रीय प्रश्न है और केन्द्रीय मंत्री राष्ट्रीय सहमति के प्रति चिंतित नहीं है, तो फिर क्या होगा।

वे केवल दो राज्यों के विचार सुनकर अनुच्छेद 252 के अंतर्गत विधान लाने के इच्छुक हैं अर्थात् राष्ट्रीय सहमति प्राप्त किए बिना दो राज्यों की सहमति ही उनके लिए पर्याप्त है। उनके इस प्रयास से भविष्य में राष्ट्रीय सहमति प्राप्त किए बिना विधान लाने का एक खराब पूर्वोधारण हो जायेगा। और इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जायेगा। केवल दो राज्यों की सम्मति प्राप्त करके राष्ट्रीय सर्वसम्मति के बिना ही कोई मंत्री इस सभा में कोई विधान ला सकता है। यदि यह संख्या पांच या छह राज्यों की हो, तो बात समझ में आती है। मुश्किल क्या है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय से बहस मत कीजिए। आप जो कुछ कहना चाहते थे, आप कह चुके हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन: इससे इतिहास में एक बहुत गलत पूर्वोधारण हो जायेगा।

सभापति महोदय: वह प्रत्येक चीज स्पष्ट कर देंगे। कृपया बैठ जाइये।

श्री वारकला राधाकृष्णन: उन्हें दो राज्यों के मत जानकर, 25 राज्यों के लिए विधान क्यों लाना चाहिए? महोदय, हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। पूर्व उदाहरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कानून। आप इससे सहमत हैं या नहीं? क्या आप ऐसा पूर्व उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं जिसमें कोई भी मंत्री राष्ट्रीय सर्वसम्मति जाने बिना बहुसंख्यक राज्यों के लिए कोई विधान ले आय।

श्री राम जेठमलानी: माननीय सदस्य की परेशानी यह है कि वे सोचते हैं कि उनके सन्देह को कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, यह जानते हैं। अत:, इस मामले पर ज्यादा बहस करने का कोई तुक नहीं है। यह बहुत सरल बात है। यदि दो राज्य एक आम-विधान लाने के लिए कहें, तो केन्द्र ऐसा करके एक विधान पारित कर सकता है जो केवल उन दो राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा।

श्री वारकला राधाकृष्णन: राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त किए बिना आप विधान किस प्रकार ला सकते हैं?

श्री राम जेठमलानी: राष्ट्रीय सर्वसम्मति का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने कानून के अनुसार चलने के लिए स्वतंत्र है। कृपया बैठ जाइये। यदि आप नहीं समझते, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: तर्क मत दीजिए। कृपया मंत्री जी की बात सुनिए।

श्री राम जेठमलानी: प्रत्येक राज्य अपना कानून रखने और निरसन को स्वीकार न करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु हमें उन दो या तीन राज्यों की बात माननी होगी जिन्होंने निरसन के लिए कहा है। यह सांविधानिक दायित्व है।

महोदय, यह कहा गया है, कि यह गरीब-विरोधी है। मैं अभी भी यह कहना चाहता हूं कि इस देश के गरीब जनता जिसके लिए अधिनियम कुछ अच्छा करने में असफल रहा है, की अपेक्षाओं को पूरा करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है नई आर्थिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस अधिनियम को निरसित करना। *...(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: एक बुरा पूर्व उदाहरण स्थापित किया जा रहा है।

श्री राम जेठमलानी: मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। इस कानून की एक बुराई यह रही है कि राज्य सरकारें और राज्य-सरकारों के कुछ शक्तिशाली लोगों ने इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से भूमि को अलग रखा है और जो ऐसा करने में सफल रहे हैं, ने बहुत अधिक धनराशि खर्च की है। इस देश के कुछ लोगों के पास इतनी जमीन है जिसकी कीमत लाखों रुपये दी गई हैं और इसका कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं है। अब ये लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कीमतें कम हो रही हैं और आगे और कम होंगी। जिस क्षण हमने यह घोषणा की कि यह अधिनियम निरसित होने जा रहा है, मुम्बई शहर में जमीन की कीमत 2,000 रुपये प्रति वर्ग फुट गिर गई है *...(व्यवधान)* विशेषज्ञों की सर्वसम्मत राय है और हम विशेषज्ञों के मतानुसार काम करेंगे। सभी विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन की कीमतें गिरेंगी और यदि हम यह अधिनियम निरसित करते हैं तो गरीब लोगों के लिए घर खरीदना संभव हो जायेगा इसे अल्कार (यू.एल.सी.ए.आर.) का नाम दिया गया है *...(व्यवधान)* अत:, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। हम बाद में, इसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर विचार कर सकते हैं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नगर-भूमि (परिसीमन और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम जेठमलानी: विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: सभापति महोदय, यह गलत किया जा रहा है, इसलिए हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 3.24 बजे

(तत्पश्चात् श्री मोहन सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): हम भी नगर भूमि (परिसीमन और विनियमन) निरसन विधेयक को पुर:स्थापित करने के विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 3.25 बजे

(इस समय श्री अनिल बसु तथा कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 3.27 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में जयपुर में बनास पेयजल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, जयपुर शहर का पेयजल संकट दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 1300 करोड़ रुपए की बीसलपुर योजना बनाई है। जयपुर शहर में इस समय जल समस्या निदान के लिए 1600 हैंडपम्प, 758 ट्यूबवैल व 8-10 हजार बोरिंग काम कर रहे हैं। राज्य सरकार गर्मी में समस्या समाधान हेतु और 100 हैंडपम्प लगाने का विचार कर रही है। जमीन से पानी का दोहन आवश्यकता से अधिक हो गया है। इस स्थिति में समस्या समाधान हेतु एकमात्र विकल्प बनास योजना ही है। राज्य सरकार के पास 1300 करोड़ की धनराशि उपलब्ध नहीं है।

मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि धनराशि उपलब्ध कराएं जिससे केन्द्रीय सरकार की पेयजल योजना पूर्ण हो सके।

(दो) हिमाचल प्रदेश में स्वान नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के सरणीकरण के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर) (हि.प्र.): महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एवं पिछड़ा प्रांत है। वहां खेती योग्य जमीन बहुत कम है और जहां खेती योग्य जमीन है वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं होने के कारण वहां के किसान भगवान भरोसे रहते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के जिला ऊना में हर साल भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बहुत नुकसान होता है। ऊना जिले में बहने वाली स्वां नदी और इससे निकलने वाली 73 ट्रिब्यूटरीज का यदि चैनेलाइजेशन कर दिया जाए तो ऊना जिले में प्रति वर्ष बाढ़ से 300 करोड़ रुपये की फसलों की जो हानि होती है उससे बचा जा सकता है और हि.प्र. का अकेला ऊना जिला इतना उत्पादन कर सकता है कि वह न केवल हि.प्र. की अन्न की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा अपितु अन्य प्रदेशों को भी वहां से अन्न उपलब्ध कराया जा सकेगा।

स्वां नदी का चैनेलाइजेशन किया जाना न केवल प्रदेशों के बल्कि राष्ट्र के हित में होगा। प्रदेश सरकार ने अपने सीमित साधनों से जो प्रयास किया है वह नाकाफी है। इसलिए मेरा भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह हि.प्र. के ऊना जिले में बहने वाली स्वां नदी एवं इससे निकलने वाली 73 नहरों के नहरीकरण की विशेष योजना बनाए और इस हेतु प्रदेश सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देने के लिए इसी वित्तीय वर्ष में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करे ताकि ऊना जिले में खेती के लिए सिंचाई का उत्तम प्रबंध हो सके और प्रदेश अन्नोत्पादन के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो बल्कि अपनी आवश्यकता से अधिक पैदा किए अन्न को पड़ौसी राज्यों को भेज सके।

(तीन) संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज): मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिये जाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को 1992 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था लेकिन संथाली भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया। जबकि भारतीय जनगणना आयुक्त के अनुसार 93 गैर अनुसूचित भाषाओं में संथाली भाषा का प्रथम स्थान है। 1991 की जनगणना के अनुसार नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा बोलने वालों की संख्या क्रमशः 21 लाख, 18 लाख और 13 लाख थी। जबकि संथाली भाषा बोलने वालों की संख्या 52 लाख थी। इसके अतिरिक्त संथाली भाषा मुंडा, भूमिजी, मसली और अन्य आदिवासियों के लिए सम्पर्क भाषा का कार्य कर सकती है।

अतः आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में तत्काल सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार संथाल लोगों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाए।

(चार) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को दिये जा रहे मानदेय की राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (विलासपुर): सभापति महोदय, सन् 1977-78 से कार्यरत एवं 15 वर्ष से 18 वर्ष से कार्यरत स्वास्थ्य रक्षकों को 50 रुपये महावारी मानदेय मिल रही है जो आज की महंगाई को देखते हुए कम है। जो दवाइयां नागरिकों को प्राथमिक उपचार हेतु दी जा रही हैं, बंद कर दी गई हैं। उसे पर्याप्त मात्रा में दिया जाए जिससे ग्रामीण प्राथमिक उपचार से लाभ उठा सकें तथा उनकी महावरी 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति महावरी मानदेय कर दी जाने हेतु केन्द्र सरकार पहल करे।

(पांच) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु एक अलग मंत्रालय/विभाग का गठन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश में भूतपूर्व-सैनिकों की दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में लगभग 50 लाख भूतपूर्व सैनिक तथा उनके परिवार हैं। इन भूतपूर्व सैनिकों, मृतक सैनिकों के निकट संबंधियों और सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों के कल्याण का काम 1917 के दौरान गठित एक केन्द्रीय सैनिक बोर्ड कर रहा है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पास लगभग 12 लाख 51 हजार भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत है जो पुनर्वास की प्रतीक्षा में है। हर वर्ष तीनों सेवाओं से 50 हजार सैनिक सेवा निवृत्त होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारी नीचे के पद पर काम करने वालों की औसत सेवानिवृत्ति की उम्र 35 वर्ष है। आफिसरों के लिए यह 50 वर्ष है। सशस्त्र बलों में अधिकतर कर्मी अधिकारी से नीचे के पदों पर होते हैं। अतः भूतपूर्व सैनिकों को एक श्रेणी के रूप में पुनर्वासित किये जाने की आवश्यकता है।

भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल के लिए आबंटित राशि बहुत ही कम होती है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की देखभाल करने के लिए पूरी तरह सज्जित तथा संगठित नहीं है। इस संदर्भ में एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि अमेरिका में एक भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या सीमित होने के बावजूद भी एक अलग मंत्रालय है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के विषय को राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाता है जो उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं।

कम आयु में ही सेवा निवृत्त हो जाने पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनः नियुक्ति पाना कठिन होता है क्योंकि उनमें किसी भी सिविल व्यवसाय के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल तथा अनुभव की कमी होती है।

अतः मैं यह महसूस करता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाये जाने की नितांत आवश्यकता है। तथापि, यदि यह संभव न हो तो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रथम विभाग अवश्य बनाया जाना चाहिए जो पूरी तरह से भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित हो।

अपराह्न 3.33 बजे

(डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए)

(छः) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड को दुर्गापुर इकाई के बायलर और अन्य मशीनरी की मरम्मत हेतु 45 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सभापति महोदय, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को पश्चिम बंगाल में यूरिया का उत्पादन करने वाले हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के दुर्गापुर स्थित एकक को बचाने के उद्देश्य से इसके बायलर और अन्य मशीनों की मरम्मत हेतु 45 करोड़ रुपये आबंटित करने चाहिये ताकि इसके उत्पादन शुरू हो सके। हालांकि हमें पता है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मामले को बीआईएफआर के पास भेज दिया है फिर भी इसके बारे में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। यह बहुत लम्बी प्रक्रिया है। सरकार बिना कोई उत्पादन कराये इस एकक के परिरक्षण हेतु प्रतिवर्ष 32 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है। इसकी क्या जरूरत है। जबकि यदि सरकार केवल

[श्री सुनील खां]

45 करोड़ रुपये आवंटित कर दे तो यह फैक्ट्री अपना उत्पादन शुरू कर सकेगी। पश्चिम बंगाल के किसान अपने संयंत्र से ही यूरिया प्राप्त कर सकेंगे। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह 45 करोड़ रुपये जारी करे ताकि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर दुर्गापुर को बचाया जा सके।

(सात) अफगानिस्तान से विस्थापित और भारत आने के इच्छुक भारतीय मूल के लोगों की वीसा संबंधी तथा अन्य समस्याओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): सभापति महोदय, पड़ौसी देश अफगानिस्तान के अन्दर ही आपसी लड़ाई ने धीरे-धीरे आज बड़ा ही भयानक रूप ले लिया है। भले ही यह लड़ाई वहां के वासिन्दों के बीच ही है, परन्तु वहां लम्बे अर्से से रह रहे भारतीय मूल के नागरिक सिक्ख और हिन्दुओं के सामने जीवन संकट की समस्या पैदा हो गई है। जीवन की सुरक्षा के लिए उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर अफगानिस्तान से बाहर आना पड़ रहा है। संयोग से कुछ परिवार भारत में भी आ गये हैं, किन्तु उन्हें भारतीय कानून के तहत वीजा संबंधी भारी असुविधा उठानी पड़ रही है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप कर कार्रवाई करें और इन बेसहारा भारतीय मूल के नागरिकों के परिवारों को राहत प्रदान करें।

(आठ) मुम्बई विमान पत्तन प्राधिकरण की भूमि पर गंदी बस्तियों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिए मुम्बई महानगर पालिका को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य): सभापति महोदय, मुंबई एयरपोर्ट के बाजू में लाखों लोग स्लम में रहते हैं। 25-30 साल से वहां रहने के बावजूद भी उन्हें बिजली, पानी, रोड की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका सुविधा देने के लिए एयरपोर्ट एथारिटी की एन.ओ.सी. मांगती है। लेकिन एयरपोर्ट एथारिटी एन.ओ.सी. नहीं दे रही है। आजादी के 50 साल के बाद भी मुंबई जैसे बड़े शहर में इन लोगों को आज भी अंधेरे में रहना पड़ता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एयरपोर्ट अथारिटी को स्लम में रहने वाले लोगों की सुविधा देने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए निर्देशित किया जाये।

(नौ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत स्वीकृत की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम): इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 239 सरकारी एकक है और लगभग 1738.7 अरब रुपए इनमें लगे हुए हैं। इनमें लाखों कामगार लगे हुए हैं। केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, कामगारों तथा अधिकारियों दोनों के वेतन संशोधन 1.1.97 से देय है। डेढ़ वर्ष बीत चुका है। सरकार ने वेतन में संशोधन के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मोहन की अध्यक्षता में मोहन समिति, नियुक्त की है। इस संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत अंतरिम राहत की सिफारिश की है। अधिकारी संघ के राष्ट्रीय परिसंघ ने 20 प्रतिशत अंतरिम राहत की मांग की है। सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है इस वजह से अधिकारीगण को 21.5.98 को सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ी। 14 तारीख को डीपीई ने अधिकारियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जिसमें वे तत्काल अंतरिम राहत के आदेश जारी करने के लिए सहमत हो गये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में भारी असंतोष है। मैं उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारियों हेतु अंतरिम राहत देने के बारे में तत्काल निर्णय करें।

(दस) असम में नौगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर उपमार्ग बनाने जाने की आवश्यकता

श्री नृपेन गोस्वामी (नौगांव): मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर नागांव में एक बाई पास के निर्माण हेतु लम्बे समय से की जा रही मांग की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। नागांव जिला मुख्यालय है और असम का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 नागांव कस्बे के बीचों बीच से गुजरता है। इस हिस्से में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात इतना अधिक है कि नौगांव में एक बाई पास बनाना अनिवार्य हो गया है। सरकार की यह नीति है कि जिन जिला मुख्यालयों से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं वहां बाई पास का निर्माण कराया जाए। अत: मेरा सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर नागांव में बाई पास के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध है।

अपराह्न 3.40 बजे

सामान्य बजट, 1998-99
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1995-96

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमारे पास इन 60 सदस्यों की सूची है जो बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। पहले यह निर्णय किया गया था कि सभा की बैठक रात्रि 9.00 बजे तक चलेगी। यदि संसदीय कार्य मंत्री इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, तो अब बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय से वात हुई है, करीब 60 सदस्यों के नाम हैं सबको मौका मिले इसलिए अगर नौ बजे के बाद लेट नाइट तक बैठना पड़े तो आपकी आज्ञा से डिनर की व्यवस्था कर दें?

कुछ माननीय सदस्य: ठीक है।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): मंत्री जी को डिनर अरेंज करना चाहिए।

सभापति महोदय : खुराना जी ने पहले ही कह दिया है कि डिनर अरेंज कर देंगे।

प्रो. पी.जे. कुरियन: मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय कम करके सभी को मौका दें।

सभापति महोदय: खुराना जी ने कहा है कि सभी को समय मिलेगा इसलिए देर तक बैठना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री जी जवाब कब देंगे, इसका उत्तर तो अध्यक्ष महोदय देंगे।

श्री भजनलाल (करनाल): सभापति जी, मेरा एक सुझाव है कि इस सरकार को जल्दी क्या है। रोज रात तक बैठे रहते हैं। एक-दो दिन के लिए और सदन का समय बढ़ा दें। यह मुनासिब बात नहीं है कि रोज रात को देर तक बैठे रहें, इसमें मजबूरी क्या है? हम कोई सरकार गिराने वाले नहीं हैं। रोज यही हो रहा है।

श्री मदन लाल खुराना: पहले भी हाउस देर रात तक बैठा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा पहले ही देर तक बैठने का निर्णय कर चुकी है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: सभी नेताओं से बात करके फैसला किया गया है। बी.ए.सी. की मीटिंग में तय हुआ था, उसमें सारे बड़े नेता शामिल थे।

श्री भजन लाल: उन नेताओं में भजनलाल जी भी शामिल हैं, वह भी किसी से कम नहीं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह निर्णय सभी दलों के नेताओं के परामर्श से किया गया था। सभा का भी यही मत है कि हम देर तक बैठकर चर्चा को समाप्त करें।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है हम उससे सहमत हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि चूँकि नेताओं ने निर्णय कर लिया है, इसलिए सभी कुछ किया जा सकता है। हम सभी विरोध के साथ इसे स्वीकार करते हैं। बैठकों की संख्या कम होती जा रही है और हम अक्सर देर रात तक बैठ रहे हैं। यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है। अधिक दिनों तक बैठक करने के बजाय हम अति आवश्यक कार्यों के लिए देर तक बैठते हैं। आज हम इससे सहमत हैं परन्तु हम इस अस्वस्थ परंपरा का विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव): माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि रात देर तक बैठेंगे उसके लिए डिनर की व्यवस्था होगी। सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? हमने आपके डिनर के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर सरकार इतनी भागमभागा में क्यों है। रेल बजट को भी पूरी रात बैठ कर पास कराया, अब फिर ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार के दिन गिनती के रह गए हैं इसलिए वह जल्दी-जल्दी कर रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वोराजी, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा): सभापति महोदय, 1998-99 का बजट जो यहां पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि यह बजट सरल है, यह सम्मानजनक है और इससे सब लोगों का समाधान होगा। पिछले साल भी बजट आया था और उस बजट को लोगों ने कहा कि यह ड्रीम बजट है। 1997-98, पूरे सालभर हम लोग खराब ही देखते रहे। लेकिन जो सपने थे वे साकार नहीं हुए। नतीजा इतना खराब हुआ कि जो हमारी ग्रोथ रेट एस्टीमेट की गई थी, वहां तक नहीं पहुंच पाए। बहुत से सैक्टरों में निगेटिव ग्रोथ हो गई। जो वादे किए गए थे, चाहे वह बेरोजगारी दूर करने का था, वे वादे पूरे नहीं हुए। औद्योगिक उत्पादन बहुत सारे सैक्टरों में बढ़ने के बजाए निगेटिव हो गया। पिछली सरकार के ड्रीम बजट की बहुत सराहना की गई थी, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। इस बार जो बजट आया है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि यह बजट बहुत ही बोल्ड है, इनोवेटिव है और ग्रोथ ओरिएंटिड बजट है। लोग सोच रहे थे कि पोखरण में जो परीक्षण हुआ था, उसके बाद बहुत ही कड़ा बजट आएगा, बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगाए जाएंगे, दाम बढ़ेंगे। सरकार जहां से भी सम्भव हो पैसा इकट्ठा करेगी। क्योंकि अमेरिका और अन्य देशों द्वारा हमारे ऊपर बहुत सारी सेंक्शन लगाई जाएंगी। लेकिन वे सेंक्शन नहीं लगीं। वित्त मंत्री जी जो बजट लेकर आए हैं, उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर कोई परेशानी है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। उन्होंने भी परीक्षण किया, लेकिन परीक्षण करने के बाद उन लोगों ने इमरजेंसी लगा दी। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात से साफ जाहिर होता है कि सरकार बहुत ही सावधान तो है ही, उसको कोई परेशानी भी नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट में फिस्कल डैफिसिट को 5.6 कम कर दिया है और ग्रोथ रेट लगभग 8 प्रतिशत रखी है। भारत के लगभग 75 प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं। यह बड़ी खुशी की और अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर के ऊपर सेंटर प्लान को बढ़ा दिया गया है और 2969 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3864 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बढ़ी हुई धनराशि है, इससे देहात में रहने वाले जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, जहां पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, उनको लाभ होगा। जैसा कि सदन जानता है मैं हिन्दुस्तान के लिए क्रिकेट खेलता था। 1991 में पहली बार राजनीति में आया। मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि यह देश इतना पिछड़ा है और देश के अंदर क्या हो रहा है। मैं 1991 का चुनाव लड़ा। जब मैं अपने क्षेत्र में घूमने के लिए गया तो पता चला कि देश में कितनी गरीबी है और कितना पिछड़ापन है। 50 साल की आजादी के बाद भी अभी तक गांव के अंदर पक्की सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं हैं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जहां कहीं भी बिजली की व्यवस्था है, वहां पांच-पांच, सात-सात घंटे बिजली नहीं आती। मुझे पूरा विश्वास है कि अब देहातों के विकास पर धन खर्च किया जाएगा, जिससे देहातों को फायदा होगा और जो देहातों में रहते हैं, खास कर जो लोग बेरोजगार हैं, शहर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहां किसी प्रकार के रोजगार के साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और जो सुविधाएं हैं भी, वो बहुत कम हैं। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि रूरल डैवलपमेंट के लिए उन्होंने प्रोविजन बढ़ाया है, एस्टीमेट बढ़ाए हैं जिसे 7691 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 8182 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंदिरा आवास के लिए 1600 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे 13 लाख नये घर इस साल बनाए जाएंगे, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दूंगा। हम सब लोग जानते हैं कि देश में गरीब लोगों के पास घर नहीं है। पिछले सप्ताह सदन में हम चर्चा कर रहे थे कि लूं से मरने वालों की संख्या लगभग ढाई हजार हो गई है और अब तीन हजार हो गई होगी। चूंकि जो लोग गांवों में रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, यही कारण है कि इतने सारे लोग लू से मर रहे हैं। जब 13 लाख नये घर एक साल में बनेंगे तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट में 1627 करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए रखे हैं। जैसा मैं कह रहा था कि 50 साल आजादी के बाद भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाया। राजस्थान, कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं, इनके अलावा और भी बहुत से पिछड़े राज्य हैं, पहाड़ों पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जब इतना धन इन इलाकों में जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के लिए पीने का पानी की व्यवस्था हो जाएगी। सरकार का यह दावा है कि इस साल, यानी एक साल के अंदर एक लाख नई बस्तियों में पानी पहुंचे-चाहे वे देहात की हों या शहरों की हों। सरकार ने किसानों को ऋण देने के लिए और दूसरी सुविधाएं देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है। यहां जाखड़ जी बैठे हैं, वह गांव से आते हैं और हमेशा गांव की बात कहते हैं। अगर किसान के पास क्रेडिट कार्ड होगा तो उसको इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा, उसकी लिमिट तय हो जाएगी कि वह कितना ऋण ले सकता है। इस प्रकार की सुविधा जब किसान को देहात में मिल जाएगी तो प्राइवेट मनी लैंडर्स के ऊपर भी रोक लगेगी।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार ने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा कि 1997-98 में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया था लेकिन उतना पहुंचा नहीं और बहुत से सैक्टरों में नेगेटिव ग्रोथ रहा। मैं समझता हूं कि पिछले डेढ़ साल, इस देश ने सबसे बड़ी मंदी उद्योग के क्षेत्र में देखी है-पिछले दो वर्षों के दौरान यह भारी मंदी थी। मुझे विश्वास है कि वर्तमान बजट जो धन आबंटन किया गया है, जो सुविधाएं इंडस्ट्रीज को दी जा रही हैं, इस बार बहुत सी नई सुविधाएं दी गई हैं, क्योंकि आज इंडस्ट्रीज को सहानुभूति की, विशेष अनुदान देने की, एनक्रेज करने की आवश्यकता है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी का काफी हद तक एडजस्टमेंट किया है, इससे इंडस्ट्रीज को लाभ होगा। आठ प्रतिशत स्पेशल इम्पोर्ट ड्यूटी का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। बहुत दिनों से उद्योगों की मांग थी कि उन्हें लेवल प्लेन फील्ड मिलना चाहिए, क्योंकि विदेशी चीजें देश के अंदर सस्ती आ रही थीं और अपने देश की चीजें महंगी होती जा रही थी। उनका सामान बिक नहीं रहा था। आठ प्रतिशत, जो स्पेशल इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है इससे हमारी इंडस्ट्रीज को लाभ होगा। ...*(व्यवधान)* जो विदेशी सामान आ रहा है, जो डंपिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, अपने देश में पिछले डेढ़ साल में काफी माल डंप हुआ है जो एक बहुत बड़ा कारण रहा जिससे हमारे देश के उद्योग सिक हुए हैं। यहां पर मंदी आई है, इसके लिए सरकार ने एंटी डंपिंग आथोरिटी बनाई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो आथोरिटी बनी है, यह जल्दी से जल्दी कार्य करना शुरू कर दे। केपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, 35 प्रतिशत से बढ़ा दिया है: इसे 45,250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 61,150 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लगभग 1600 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और यह जो प्लान आउट ले है, जो एनर्जी के ऊपर खर्च किया जा रहा है, कम्युनिकेशन में, हिन्दुस्तान में रोड्स के ऊपर, इससे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि जितने भी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी यह कहना है। यहां पर मैं चेम्बर ऑफ कामर्स की भी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर कहा गया था, मुरली देवड़ा जी ने कुछ नाम रखे थे, जिन लोगों ने कहा था कि इस बजट से ग्रोथ नहीं होने वाला है, मैं यहां पर कोट कर रहा हूं:

[अनुवाद]

"1998-99 के बजट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सी.आई.आई. के अध्यक्ष राजीव वी. शाह ने कहा कि बजट से निवेशकों का विश्वास लौटाने में तथा अर्थव्यवस्था को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मूल्यवर्धक सहभागी का दर्जा दिलाने में मदद मिलेगी। शाह ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को वर्तमान मंदी से निकालने के लिए कई साहसिक निर्णय किए है।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा, परिवहन, संचार, आवास और सड़क संबंधी आधारभूत ढांचा योजना परिव्यय में पड़े हुए परिव्यय में स्थिति में काफी सुधार होगा और इससे अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पादन प्राप्त कर लेगी। शाह ने महसूस किया कि इन क्षेत्रों के बढ़े हुए परिव्यय से इस्पात, सीमेंट और अन्य डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को सक्रिय करके रोजगार की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलनी चाहिए।"

[हिन्दी]

महोदय, मैं समझता हूं कि बजट से काफी एम्प्लायमेंट जेनरेशन हमारे देश में होगा। जैसे कल कहा जा रहा था कि लगभग पांच करोड़ लोग बेरोजगार हैं। कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस बजट से कोई भी एम्प्लायमेंट जेनरेशन नहीं होगी, उसके लिए उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस बजट में जो प्रावधान किया गया है-रूरल एम्प्लायमेंट एंड पावर्टी एलिवेशन, लगभग 7280 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें से 1990 एलिवेशन प्रोग्राम के लिए रखे हैं:

[अनुवाद]

पर, 1990 करोड़ रुपये की राशि ऐसे समय, जब कृषि क्षेत्र में अधिक काम नहीं होता, रोजगार चाहने वालों के लिए 100 दिन का सुनिश्चित और कुशल मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए रखी गयी है।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के बारे में मैं बता चुका हूं, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बता चुका हूं। एनिमल हसबेंड्री और जो चीजें हैं, जिनसे नौजवान बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए लगभग 110 करोड़ रुपए रखे गए हैं और यह जो पैसा है यह इस्तेमाल किया जाएगा, प्रधान मंत्री रोजगार योजना से दो लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों की सहायता की जायेगी। सरफेस ट्रांसपोर्ट के लिए भी लगभग 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस बजट में जो एनआरआई के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है-ऑल पीपल ऑफ इंडियन आरिजन, इसें बहुत सारा पैसा विदेश से अपने देश में आएगा और जो यहां खोफ पैदा किया जा रहा है कि अगर सैंक्शन भी लगते हैं तो यह जो पैसा विदेश से आएगा इससे हमें काफी लाभ होगा। जो बात फ्रीडम फ्रोम इंस्पेक्टर राज के लिए है, इसमें बहुत ही परेशानी है। ...*(व्यवधान)* सर्विस टैक्स, जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर से हटाया है, इसकी बहुत दिनों से मांग थी, इसको हटाने से काफी फायदा होगा। स्माल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए

[श्री चेतन चौहान]

50 लाख तक की ड्यूटी माफ कर दी गई है, कम्पलीट एग्जंपशन कर दिया गया है और एक करोड़ तक का फ्लेट रेट पांच प्रतिशत रखा गया है। स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए वर्किंग केपिटल लिमिट डबल कर दी जाएगी और ब्याज में भी, जो अच्छी युनिट चल रही हैं उनमें राहत दी जायेगी।

अपराह्न 4.00 बजे

अध्यक्ष जी, जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी इन्कम-टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाने की मांग थी। इसलिए 40 हजार रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। जो सैल्रीड क्लॉस और मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी इस बजट में लाभ दिया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री चेतन चौहान: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति जी, बैंकों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बैंकों के पास बहुत पैसा है और सी.आर.आर. कम कर दिया गया है। लगभग 60 हजार करोड़ रुपये बैंकों के पास हैं। ...*(व्यवधान)* क्योंकि इंडस्ट्री से थोड़ा विश्वास कम हो गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं एक अन्य सदस्य को बुला रहा हूं। श्री रुपचन्द पाल बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान: यहां पर मैं यह कहूंगा कि रीजनल रूरल बैंकों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। खासकर जो रूरल क्रैडिट है वहां पर रीजनल रूरल बैंक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

एक बात यहां पर कही गयी कि डिफेंस के अंदर आउट-ले कम किया गया है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 42 हजार करोड़ रुपया डिफेंस के लिए रखा गया है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि जो पैसा कम होगा उसको भी माना जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब बहुत हो चुका। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही 17 मिनट ले चुके हैं। 60 सदस्यों को बोलना है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

*...(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, मैं बजट का विरोध करता हूं। मैं अनेक कारणों से इसका विरोध करता हूं परन्तु समायाभाव के कारण, मैं केवल कुछेक मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा।

पहली बात यह है कि माननीय मंत्री ने औद्योगिक मंदी का दौरा रोकने का कोई प्रयास नहीं किया है जो कि हम सभी के लिए चिंता की बात है। वह उस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह असफल रहे हैं।

दूसरे, वह रसोई गैस में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणामों से सबक लेने में भी असफल रहे हैं। हमने तथाकथित आर्थिक-सुधारों की शुरूआत की थी।

तीसरे, वह तथाकथित आर्थिक रूप से सुदृढ़ एशियाई देशों के अनुभव से सबक लेने में असफल रहे हैं। पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया में जो कुछ हुआ उससे हम निश्चित तौर पर सबक लेना चाहिए क्योंकि हमने इन्हीं एशियाई देशों को माडल के रूप में माना था, जो आज बुरी तरह असफल हो चुके हैं। वे कई क्षेत्रों में भारी संकट का सामना कर रहे हैं।

औद्योगिक मंदी के मुख्य कारक हैं, पहला कारण निर्यात क्षेत्र में असफलता। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मंत्री महोदय भी उस मुद्दे पर मौन है। इस विशेष मुद्दे पर उनके मौन रहने के बारे में स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। इसका कारण वाणिज्य मंत्रालय द्वारा खुली सामान्य लाइसेंस शुरू करना है। इससे विश्व व्यापार संगठन के नियमों तथा अन्य बातों का अनुपालन कैसे किया जायेगा, यह बजट में नहीं बताया गया है। परन्तु निर्यात के मामले में ऐसा करने का उनका प्रस्ताव है। मेरी मुख्य चिंता मांग में गिरावट आने के बारे में है मांग में यह गिरावट क्यों आई है। ऐसा भारत की आम जनता तथा गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों की क्रय क्षमता में निरंतर कमी आने के कारण हुआ है।

कृषि में ठहराव के कारण यह स्थिति आई है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मध्यम और लघु चार लाख से भी अधिक इकाईयां बंद हो गई है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पिछले केवल दो वर्षों के दौरान या लगभग इतने समय में दो लाख से अधिक लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरी से बाहर हो गए हैं और अनेक और लोग इन उपक्रमों से बाहर होने वाले हैं।

मुझे आशा थी कि यह सरकार अलग होगी। ये हमेशा दावा करते रहे हैं कि उनके पास एक योग्य प्रधान मंत्री है, उनकी सरकार स्थिर होगी और उनके कार्यक्रम अलग होंगे जो कि अधिक स्वदेशी होंगे और ऐसी ही अनेक अन्य बातें हैं। लेकिन मुझे इस बजट में कोई भी ऐसी अलग बात नहीं पाई और जो इस बात को प्रतिबिम्बित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतत्व वाली सरकार केवल एक अवसरवादी गठबंधन है।

मैं उनकी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र की बात नहीं करना चाहता। मैं उनके शासन के राष्ट्रीय एजेंडे के बारे में कहूंगा। उन्होंने कतिपय वायदे किये थे कि वे बेरोजगारी हटाएंगे, एक करोड़ रोजगारों का सृजन करेंगे आदि-आदि। लेकिन जो प्रस्तावित किया गया है, उससे और बेरोजगारी बढ़ेगी और विनिवेश के रूप में और कर्मचारियों की छंटनी होगी। उन्होंने यही तरीका ऋण के जाल में से बाहर निकलने के लिए उचित समझा। केन्द्रीय राजस्व का 46 प्रतिशत से अधिक और हमारे वित्तीय जमाओं का 80 प्रतिशत से अधिक ब्याज के भुगतान और ऋणों के भुगतान में चला जाता है। हम वास्तव में ऋण के जाल में फंसे हुए हैं और इससे निकलने का तरीका इन्होंने नवरत्नों और कई रत्नों का विनिवेश निकाला है जिस तरह की हम ऋण से मुक्ति पाने के लिए घर की चांदी को बेच देते हैं।

मुझे मालूम नहीं कि क्या वे इस विनिवेश के प्रस्तावों के परिणामस्वरूप धनराशि जुटा पाएंगे या नहीं क्योंकि समय, क्रम और कई अन्य बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यदि उन्होंने इन बातों पर सही ढंग से सोचा होता, यदि उन्होंने संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सलाह-मशविरा किया होता तो बेहतर होता। क्योंकि वे हमेशा ही यह कहते हैं कि 243 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से कई निजी उद्योगों से अधिकृत किए गए हैं जिन्होंने उन्हें रुग्ण कर दिया। यह सरकार का उत्तरदायित्व हो गया है कि वह उन्हें चलाए। अब वे मुनाफे में चल रहे हैं। यहां तक कि लाभ-अर्जित करने वाली इकाईयों की विनिवेश करने की कोशिश कर रही है। अधिकांश शेयरों को बेचने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मुझे इसके तौर-तरीकों के बारे में मालूम नहीं है। इस बारे में कोई निश्चित नहीं किया गया है कि इससे प्राप्त आय का उपयोग कैसे किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मांग की जा रही है कि इस आय का प्रयोग उन्हें बढ़ावा देने के लिए और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए ही किया जाना चाहिए। लेकिन कई इकाईयां हैं जो अब रुग्ण हो गई हैं। उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सुपुर्द किया गया है। क्या यह समझा जाएगा कि यदि किसी मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है तो उसे मरा समझा जाएगा? सरकार का यही रवैया है। रुग्ण इकाईयों के पुनरुद्धार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। गैर-योजनागत खर्च के लिए केवल 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसका उपयोग आने वाले दो या तीन या चार महीनों में भुगतान करने के लिए आवश्यकता होगी।

साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि यह पहले के बजटों में किए गए प्रावधान से अधिक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सांविधिक देयताओं के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। यह 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान बहुत ही कम हैं और न कोई पुनरुद्धार पैकेज और न ही रुग्ण उद्योग की सहायता के लिए कोई प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त कई और उद्योगों को रुग्ण बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मुझे याद है, एक बार एक अप्रवासी भारतीय कुछ चीज लेने के सिलसिले में भारत आया और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि भारत में कोई निजी उद्योग नहीं है क्योंकि सभी को सरकारी धनराशि, वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है और उसने कुछ आंकड़े भी दिए थे। वित्तीय संस्थानों का निजी उद्योग में ज्यादा भागेदारी नहीं होती है। मैं डनलप इंडिया लिमिटेड के बारे में बता सकता हूं। वित्तीय संस्थाओं में 33 प्रतिशत भागेदारी है और उनके द्वारा बहुत बड़ी धनराशि चुपके से डकार ली जाती है।

12 जनवरी को जब इस कम्पनी ने अपनी बोर्ड की बैठक में इस मामले के बारे में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को बताने का निर्णय किया, तो उस समय हमारा वित्तीय प्रतिनिधि कोई सामाजिक समारोह, किसी के जन्मदिन या इसी तरह के किसी समारोह में भाग ले रहे थे। उन्होंने उस बैठक में भाग नहीं लिया। इस तरीके से वित्तीय संस्थाएं निजी उद्योगों को सरकारी पैसे की लूट कराने में सहायता कर रहे हैं। इसलिए, मेरा सुझाव है कि सरकार को रुग्ण उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए सार्थक पैकेज बनाना चाहिए।

अब, मैं सरकारी ऋण के बारे में बोलूंगा। माननीय वित्त मंत्री ने 5 जून को नियंत्रक एक महालेखापरीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट सभा के पटल परं रखी। यह हमारे ऋणों के बारे में सटीक टिप्पणी है लेकिन सरकार इस अति महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न के समाधान में पूरी तरह से असफल रही है।

अब मैं कुछ विशेष बातों का उल्लेख करूंगा। इस सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडे में सभी के लिए शिक्षा और निरक्षरता के

[श्री रूपचन्द पाल]

उन्मूलन की वचनबद्धता का वायदा किया था। समय की कमी के कारण मैं केवल कुछ उदाहरणों का उल्लेख करूंगा।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, 1997-98 में इसके लिए आवंटन 5,231.63 करोड़ रु. था और 1998-99 में इसे बढ़ाकर 7,046.82 करोड़ रु. कर दिया गया है। लगता ऐसा है जैसे कि इसमें पर्याप्त बढ़ोत्तरी की गई है। इसमें से 2,300 करोड़ रु. शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, 1,600 करोड़ रु. उच्च शिक्षा के लिए क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों आदि को पूरा करने के लिए कम किया जाएगा। आधारभूत शिक्षा के हिस्से में कितना पैसा जाएगा? पिछले बजट में अर्थात् 1997-98 में परिव्यय 2,543,00 करोड़ रु. था और अब 236.95 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है। इस सरकार ने सभी के लिए शिक्षा का वायदा किया है। वे निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए वचनबद्ध हैं।

अब जिला प्राथमिक शिक्षा पर बोलूंगा। पिछले बजट में अर्थात् 1997-98 में, परिव्यय 650 करोड़ रु. था अब हालांकि इसे बढ़ाकर 1,400 करोड़ रु. कर दिया गया है। उनके द्वारा की गई समीक्षा के माध्यम से उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि यह बहुत सफल परियोजना है।

अब, मैं पोषण संबंधी सहायता पर आता हूं। अर्थात् दोपहर का भोजन। यह सबसे गरीब वर्ग के लोगों से संबंधित बच्चों के स्कूल में उपस्थित होने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। इसमें केवल 132.15 करोड़ रु. की वृद्धि की गई है। मुझे बताया गया है कि कई स्तरों पर असफलता के कारण बहुत बड़ी धनराशि प्रयोग में नहीं लाई जाती। सरकार का प्रस्ताव है कि सभी को अनिवार्य शिक्षा सुलभ कराई जाए। जैसा कि बजट से परिलक्षित होता है। वे अब अपने इस वायदे को वापस ले रहे हैं।

मैं अन्य बातों का उल्लेख नहीं करूंगा। मेरे पास कई उदाहरण हैं। लेकिन एक उदाहरण के बारे में संक्षेप में कहूंगा। जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का संबंध है, 1997-98 में इसके लिए 129.81 करोड़ रु. का परिव्यय किया गया था, अब इस परिव्यय को कम करके 97.35 करोड़ रु. कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें इतनी अधिक कमी करने के बाद वे निरक्षरता के उन्मूलन के प्रति कितने वचनबद्ध हैं? ...*(व्यवधान)*

जहां तक स्वास्थ्य के पहलू का संबंध है तो माननीय मंत्री महोदय ने बुनियादी ढांचे के बारे में काफी कुछ बोला है। अब तक, जैसा मेरी समझ में आया है, वित्तपोषण कोई समस्या नहीं है। अन्य अनेक समस्याएं हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन सामाजिक बुनियादी ढांचे के अन्य भाग के बारे में क्या स्थिति है? मैं केवल तीन पहलुओं का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों पहलू पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद के परिदृश्य के आलोक में महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय ने प्रतिबंधों के बारे में कुछ नहीं कहा, जैसे कि ये प्रतिबंध किस प्रकार के होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार क्षति पहुंचाएंगे।

पहला मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है। यह विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना है। दूसरा यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम है हमें इसके लिए विश्व बैंक से तीन वर्षों के लिए आसान किस्तों पर ऋण मिला है।

उन्होंने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए केवल 290.37 करोड़ की राशि जारी की है। इस राशि में केवल 97 करोड़ से थोड़ा अधिक की वृद्धि की गई है। लेकिन देश के विभिन्न भागों में मलेरिया का प्रकोप हुआ है। इस सदन में कई बार यक्ष्मा के प्रकोप के बारे में प्रश्न पूछ गए हैं। लेकिन यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मात्र 35 करोड़ से थोड़ा अधिक का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने प्रतिबन्धों के सम्भावित प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया है। अभी मैं एक समाचार का उल्लेख करूंगा जो कल छपा था जिसमें एफ.आई.पी.बी. के कोर ग्रुप ने कहा है कि अनेक देशों द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों और विशेषरूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार और ऊर्जा के क्षेत्र में इनसे जुड़ने वाले प्रभाव से सरकार थोड़ा सा चिन्तित थी। पावर ग्रिड कारपोरेशन के बारे में समस्याओं से सभी चिंतित हैं। मैं उनका उल्लेख नहीं करने जा रहा हूं।

महोदय, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, नवरत्नों को बेचने का फैसला कर लिया है।

सभापति महोदय: श्री पाल, आप और कितना समय लेंगे? आपके दल के अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मैं इस सभा का यथोचित समय ही लूंगा और अपने साथियों का भी ध्यान रखूंगा।

सभापति महोदय: मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप उचित समय नहीं लेंगे।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, यह सरकार विदेश संचार निगम लि., इंडिया आयल कारपोरेशन, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. और सी.ओ.एन.ओ.आर. में विनिवेश क्यों कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तौर तरीके क्या हैं? सरकार ने पिछले सात-

आठ वर्षों के अनुभव से कुछ सीखा नहीं है। क्या हो रहा है? मुझे स्कोप से एक अभ्यावेदन मिला था जिसमें 'स्कोप' ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मांगों को बेवाक ढंग से निरुपित किया है। वे और अधिक स्वायत्तता चाहते हैं एक वाक्य में कहें तो ''इन सार्वजनिक उपक्रमों को सुधार लाने से पूर्व सरकार को स्वयं में सुधार लाना चाहिए'' उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है सरकार की तरफ से राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण वे नुकसान उठा रहे हैं। उन्हें सुदृढ़ किया जाना चाहिए और संरक्षण और बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। आपको 'भेल' की कहानी नहीं दोहरानी चाहिए। सरकार द्वारा परिसीमाएं लगाये जाने के बावजूद इसने संघर्ष किया और आत्मनिर्भर बनी और आज विश्वस्पर्धा का मुकाबला कर सकता है। इसलिए बजाय इसके कि हम इन उपक्रमों में विनिवेश करें। हमें औरों की भी सहायता करनी चाहिए। असल में सरकार को इन्हें सुदृढ़ करना चाहिए इसकी सहायता करनी चाहिए और इन्हें और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए।

जहां तक बीमा क्षेत्र का प्रश्न है, हमने पिछले वर्ष बीमा नियमन प्राधिकरण स्थापित किए जाने का विरोध किया था। हम इस बार भी इसका विरोध करेंगे। बीमा क्षेत्र में सरकार अन्य देशों के अनुभव को देखते हुए और इन कम्पनियों द्वारा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के पहलू को ध्यान में रखते हुए इसे बाहर की कम्पनियों के लिए खोलने में झिझक रही है। बीमा कम्पनियों द्वारा हमारे बुनियादी ढांचे आवास निर्माण, सड़क निर्माण और अन्य क्षेत्रों में योगदान कर रही है। माननीय मंत्री महोदय एक साक्षात्कार में कहा है कि ये क्षेत्र भारतीय कम्पनियों के लिए खोला जाएगा। क्या आज कोई भारतीय कम्पनी है? इस क्षेत्र में आने की इच्छुक एक दर्जन से अधिक कम्पनियों ने विदेशी बीमा कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

अपराह्न 4.19 बजे

(*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये*)

कल, मैंने देखा था कि ये छः विदेशी परामर्शदात्री फर्मे–आर्थर एण्डरसन, एण्डरसन कन्सलटेंसी कूपरस एण्ड लोब्रान्ड, इरन्ट एण्ड यंग, डीलोइटे एण्ड टच और के.पी.एम.जी. एण्ड वीट भार्विक हैं। ये सभी विदेशी कम्पनियां शिकार की तलाश में हैं और ये कम्पनियां भारतीय खिलाड़ियों के लिए समग्रता के आधार पर बीमा कारोबार शुरू करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि अब से पांच वर्षों बाद विश्व व्यापार संगठन इसे हम पर लागू करेगा क्योंकि हमने वित्तीय सेवाओं को विदेशी फर्मों के लिए पहले ही खोल दिया है और इसके लिए हमें 2003 का वर्ष नियत किया गया है।

महोदय, यह सरकार अपने राष्ट्रीय एजेन्डे में की गई प्रतिबद्धता का निर्वहन करने में असफल रही है। यह सरकार इस देश की ज्वलंत समस्याओं, जैसे उद्योग परिदृश्य, कृषि आदि की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रही है। कृषि क्षेत्र के बारे में, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा जोरदार भाषण दिया और कहा कि उन्होंने बहुत काम किया है और कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में बढ़ोत्तरी की है। हो सकता है चुनाव को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसा किया हो। पता नहीं वे मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं क्योंकि वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नया जनाधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कृषि क्षेत्र में उन्होंने 60 प्रतिशत आवंटन का वायदा किया था लेकिन यह कुल केन्द्रीय परिव्यय का मात्र 3.5 प्रतिशत है।

महोदय, मैं सरकार का विरोध करता हूं कि ये लोग सीखने में असमर्थ रहे हैं। मैं इस सरकार का इसलिए भी विरोध करता हूं कि क्योंकि यह सरकार देश को विनाश की ओर ले जा रही है। मैं इस सरकार का विरोध करता हूं क्योंकि यह सरकार इस देश के लोगों द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल की गई आत्मनिर्भरता को चौपट करने पर आमदा है। मैं इस बजट का विरोध करता हूं और मैं भविष्य में भी सरकार द्वारा किये जाने वाले ऐसे प्रयासों का विरोध करता रहूंगा।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिंहा जी और लोक हृदय सम्राट प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी बजट पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरे साथी मित्रों, पिछली लोक सभा में एक विशेष सत्र चलाया गया था जिसमें भारत की आजादी के 50वें साल हम सब लोगों ने तीन-चार दिन तक चिंतन किया था। उन दिनों सभी सांसदों ने अपनी पार्टी से ऊपर उठकर इस बात को महसूस किया था कि 50 साल पहले आजादी मिलने के बाद भी इस देश में अपेक्षित तरक्की नहीं हुई है। 50 साल की आजादी के बाद भी इस देश की स्थिति सुधरने की बजाए दिन-प्रतिदिन बिगड़ती गई है। न हम किसानों को सुखी कर पाये, न गरीबों की गरीबी मिटा सके, न युवा लोगों को रोजगार दे सके, न गांवों में खेतों को पानी दे सके, न स्वच्छ पेयजल दे सके। इतने सालों तक देश की जो स्थिति रही उसके हम सब लोग साक्षी थे। सभी लोगों ने महसूस किया था कि हमारे पूर्व नेतागण इस देश के दुख-दर्द को समझ नहीं सके, इस देश की वास्तविकता को समझ नहीं सके।

अध्यक्ष महोदय, जापान के शहर हिरोशिमा, नागासाकी पर अणु बम फेंके गये जिससे वे शहर बिल्कुल बरबाद हो गये थे। लेकिन जापान उसके बाद धीरे-धीरे प्रगति करता गया और आज दुनिया के राष्ट्रों में उसे नम्बर एक स्थान प्राप्त है। उन्हीं दिनों हमारे देश

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

को भी आजादी मिली थी, लेकिन हम दिन-प्रतिदिन और गरीब होते गये, दिन-प्रतिदिन हमारे देश की स्थिति बिगड़ती गई-इसके लिए कौन जवाबदार है? यह चिंतन उन दिनों हम सभी ने किया था कि देश की हालत खराब करने के लिए राजकीय लोग और हम सब जिम्मेदार हैं क्योंकि देश के प्रति हमारी जो भावना, प्रेम और जैसी नीतियां होनी चाहिए, उन्हें हमने लागू नहीं किया। देश के बदले हमारी निगाह कहीं और रही जिससे देश की हालत खराब होती गई।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर शासन चला रही है। ऐसे वक्त दरअसल हमें क्या मिला-बेकारी मिली, भुखमरी मिली, किसान परेशान, युवा परेशान, व्यापारी परेशान, विद्यार्थीगण परेशान। इन सबके अलावा आर्थिक स्थिति भी कैसी मिली? आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, यह आप सब जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो बजट पेश किया गया है वह प्रोत्साहन देने वाला, क्रांतिकारी और आकर्षक बजट है। इसलिए मूल रूप से यह स्वदेशी बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वदेशी नजट पेश किया है इसलिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1997-98 में हमारा समग्र आर्थिक विकास कम होकर पांच प्रतिशत रह गया था, इसके आप सब लोग साक्षी हैं, अर्थात् जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इस नकारात्मक स्थिति में देखने पर मिला कि पिछले वर्ष के 199 मिलियन टन खाद्यान्न की तुलना में इस वर्ष उत्पादन घटकर 194 मिलियन टन रह गया। हमें खाद्यान्न की स्थिति भी अच्छी नहीं मिली। औद्योगिक उत्पादन मंदी के कारण 4.2 प्रतिशत रह गया। लगातार दूसरे वर्ष निर्यात निष्पादन कमजोर रहा। यदि निर्यात निष्पादन कमजोर रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। हम देश से क्या उम्मीद रख सकते हैं। प्रतिदिन देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और इस तरह से एक टूटा हुआ अर्थतंत्र भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की नई सरकार को मिला है।

कल हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे, दूसरे साथी भी बोल रहे थे और नये बजट की आलोचना कर रहे थे। मैं कहता हूं कि उन्हें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले 40-50 सालों तक इस देश में किसका शासन रहा। अलग-अलग रूप में, अलग-अलग चेहरे लेकर कांग्रेस का ही राज इस देश के अंदर रहा है। आप 40-50 सालों में कुछ नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रथम बजट है। आप कुछ दिन, कुछ साल बीत जाने दो। कल हमारे साथी मित्र ने कहा था कि यह हमारा पहला बजट है, हमारा अगले साल का बजट इससे अच्छा होगा। इस साल के बजट के संबंध में, मैं खुशी से कह सकता हूं कि जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, परम्परा के अनुसार बजट पर जैसी प्रतिक्रियाएं दी गई, जो कि हर बजट में मैंने देखी हैं, मैं 9वीं लोक सभा से इस सदन में आ रहा हूं, हर बजट के समय मेन गेट पर आधा घंटे तक रश रहता है, लोग, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इस बार कुछ महानुभाव इंटरव्यू देने में कतरा रहे थे। पांच मिनट में मेन गेट खाली हो गया चूंकि इस बजट पर कुछ कहने लायक नहीं था, प्रतिक्रिया देने लायक कुछ नहीं था। सभी लोग जा रहे थे, बडी मुश्किल से चिदम्बरम साहब को रोके रखा, मेन गेट के बाहर उनका इंटरव्यू हुआ। इस बजट से सभी लोग खुश थे। इस बजट से व्यापारी, किसान तथा देश के शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स सभी लोग खुश थे। इस बजट से देश का व्यापारी वर्ग तथा आम जनता भी खुश थी ...(व्यवधान)

श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य): इस बार हम खुश नहीं हैं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के द्वारा अर्थतंत्र को मजबूत करने का सराहनीय प्रयास किया है। इसलिए सर्वप्रथम इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति और उसकी गतिशीलता देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है। यह देश किसानों का देश है। यदि गांव आबाद रहेगा तो देश आजाद रहेगा, यदि गांव टूटेगा तो देश भी टूटेगा। इसलिए गांवों के प्रति माननीय वित्त मंत्री जी ने अधिक ध्यान दिया है, जिसके बारे में मैं आगे कहूंगा। पानी खेतों के लिए आवश्यक है। पानी खेती का मुख्य साधन है। देश में इतनी बरसात होती है लेकिन क्या कभी बरसात के पानी को रोकने का प्रयत्न किया गया, पानी को बचाने का प्रयत्न किया गया. आज जीरो ऑवर में एक मित्र बोल रहे थे कि बरसात में जितना पानी आता है वह समुद्र में चला जाता है। बरसात के बाद, अगले महीने से किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिलता। पीने के लिए पानी नहीं मिलता। यदि यह पानी रोकने का प्रयत्न किया गया होता, नदियों पर बांध बांधे गये होते, हर गांवों में तालाबों को गहरा किया गया होता, हर नाले का पानी रोकने का प्रयत्न किया गया होता तो पचास साल के बाद आज इस देश का किसान पानी के लिए नहीं तरसता, गांवों में रहने वाला नौजवान आज तालाबों का पानी पीने को मजबूर नहीं होता। लेकिन पचास सालों में सरकारों ने कुछ काम नहीं किया जिसके कारण आज लोगों को तालाबों का गंदा पानी पीना पड़ता है।

लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार अपने बजट में गांवों की चिंता की है जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने आपको

बताया कि पचास सालों के बाद आज 37 प्रतिशत उपजाऊ जमीन को ही सिंचाई की सुविधा मिल रही है। शेष जमीन पर किसान को आज भी बरसात पर आधारित जीवन निर्वाह करना पड़ता है। देश के कई भागों में बार-बार अकाल पड़ता है जिसके कारण किसान परेशान है। अभी एक-दो दिन पहले चर्चा हो रही थी कि इस देश में किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है जबकि आप लोगों ने पानी की उचित व्यवस्था नही की। अगर किसान की फसल एक बार खराब हो जाए लेकिन पानी की व्यवस्था हो तो वह दोबारा फसल ले सकता है। लेकिन अगर एक बार उसकी फसल इंश्योर्ड नहीं रही तो वह पूरा देनदार बन जाता है। इन बातों पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में खेती पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके लिए भी मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर बरसाती पानी को संग्रहीत करने का जो विशेष प्रावधान किया गया है और किसानों को प्राथमिकता दी गई है। मैं उसकी भी सराहना करता हूं। इसके लिए 1997-98 के बजट में 517 करोड़ रुपये रखे गये थे जिनको इस बजट में बढ़ाकर 677 करोड़ रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए बजट में 58 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है जो किसानों को उत्साह दिलाने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत सारी कृषि मंडियां चल रही हैं, लेकिन वे ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं। उनमें सरकारी अधिकारी और राजनेता हस्तक्षेप करते हैं। मंत्री जी ने ये मंडियां स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकें और कोई हस्तक्षेप न करे इसके लिए मंत्री जी ने बहुराज्यीय सहकारी सोसायटी कानून 1984 के स्थान पर आदर्श सहकारी कानून लाने की बात कही है। उसके द्वारा राज्य सहकारी मंडियां अपने कानूनों में संशोधन कर सकती हैं और राजनेताओं तथा अधिकारियों का हस्तक्षेप रोक सकती हैं। इस प्रकार से वे स्वतंत्ररूप से काम कर सकेंगी और किसी के प्रभाव और दबाव में नहीं रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने तिल उत्पादन करने वाले किसानों की भी चिन्ता की है। तिल के तेल की कीमत बहुत ज्यादा होती जा रही है। इसका लाभ किसानों को न मिलकर जिनको हमारे यहां तेल का राजा कहते हैं, उनको हो रहा है। किसानों को अपने तिल का सही दाम दिलाने के लिए भी वित्त मंत्री महोदय ने व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, यूरिया की बात बहुत कही गई। वित्त मंत्री महोदय ने यूरिया के दाम एक रुपया प्रति किलो बढ़ाए हैं, लेकिन हमारे सभी माननीय सदस्यों द्वारा किसानों की बात उनके सामने रखे जाने पर उन्होंने पचास पैसे प्रति किलो यूरिया के दाम में कमी की है, लेकिन उनका प्रयास यह रहा है कि यूरिया से जो जमीन खराब हो रही है, किसान का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाए और अधिक यूरिया के प्रयोग को रोका जाए। मंत्री महोदय ने इसमें भी अपनी सहृदयता दिखाई है।

सभापति महोदय, पिछले 50 सालों में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था करने का सिर्फ नारा ही दिया गया। मैं छोटा था, तब से मुझे याद है जब भी बजट आता था, तो कहा जाता था कि इस बार सभी गांवों में पीने का पानी पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां आसपास पानी का कोई साधन नहीं है और हमारी मां तथा बहनों को तीन-तीन किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। नदियां सूख गई हैं, कुओं में पानी बहुत नीचे चला गया है। पूरे क्षेत्र में जो भूमिगत जल है उसका स्तर बहुत नीचे चला गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, ये सरकार सूखने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार क्या इन्होंने तो पूरे देश को ही सुखा दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस देश को हरा बनाएगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मिस्टर वर्मा, कृपया आप चेयर को एड्रैस करिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जो वास्तविकता है, मैं उसे सदन के समक्ष प्रकट कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामनारायण मीणा (कोटा): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ये जो फैक्ट्स दे रहे हैं मैं इनके आधार पर तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी सरकार के आने के बाद राजस्थान में हैंड पंपों की दुरुस्ती भी नहीं हो रही है। उनकी मरम्मत भी नहीं कराई जा रही है और उनमें नट-बोल्ट भी नहीं लगाए जा रहे हैं। आप चाहें तो सांसदों की एक समिति बना दें जो वहां जाकर इसकी जांच करे। मैं उस समिति के साथ जाकर आपको राजस्थान की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने को तैयार हूं। आज भी ऐसे ग्राम है, जिनमें 7 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाया जाता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम नारायण मीणा, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: *व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना* स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह हैंड पंप की बात तो हम नौवीं लोक सभा से कहते आ रहे हैं। यह तो हमारा मुद्दा है। आप क्यों बोल रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने 1627 करोड़ रुपए गरीबों के लिए एक लाख आवास बनाने हेतु रखे हैं और जो पानी के लिए तरस रहे हैं उन्हें सुविधा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, वर्षों से कांग्रेस पार्टी एक ही नारा लगाती रही ''गरीबी हटाओ'' हमने इतने वर्षों में देखा है कि गरीबी नहीं हटी, लेकिन गरीब हट गए। इसलिए गरीबों ने सोचा कि हमें अपनी सरकार चाहिए जो हमारे बारे में सोच सके। हमारे दुख-दर्द को समझ सके। उन्होंने सोचा हमें एक ऐसा प्रधान मंत्री चाहिए जो हमारी कठिनाइयों को जाने। सब गरीबों का आज वह स्वप्न साकार हुआ और आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज गरीबों को महसूस हुआ है कि आज उसकी सरकार है और इस सरकार के माध्यम से वह अपनी सुखी भविष्य को देख रहा है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बजट में पर्याप्त साधन जुटाने का प्रयास किया है। कांग्रेस सरकार केवल योजना बनाती थी और दिन में तारे दिखाने वाली बात करती थी, लेकिन इन वर्गों के उत्थान के लिए विशेष कुछ नहीं हुआ। इस बात को लोग समझ गए और उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस सरकार केवल मीठी-मीठी बातें करती थी काम कुछ नहीं करती थी। इन वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष 1990-91 में 253 करोड़ रखे, वर्ष 1991-92 में 261 करोड़ रखे, 1992-93 में 288 करोड़ रुपए, 1993-94 में 373 करोड़ रुपए, 1994-95 में 482 करोड़ रुपए रखे। फिर बढ़ाया नहीं बल्कि घटा दिया और 1994-95 में 433 करोड़ रुपए 1996-97 में 495 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, हमारे वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में 634 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों ने हमारी सरकार पर विश्वास किया है। हम चाहते हैं कि उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। अब तक किसी सरकार ने इन वर्गों के कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामदास आठवले: बजट का प्रावधान तो हर साल बढ़ता है ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले जी, यह अच्छी बात नहीं है। आप किस प्रकार खड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जनजाति के छात्रों के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिससे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ पहुंचेगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 361 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिससे 24.80 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने प्राधान्य शिक्षा को दिया है। शिक्षा के बिना किसी अच्छे समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी निरक्षर है जिसके कारण इस देश का उद्धार नहीं हुआ है। इस बजट में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने दस मिनट से अधिक का समय ले लिया है। कृपया अपना भाषण अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुझे दस मिनट भी नहीं मिले हैं। मैं अभी थोड़ी देर और बोलूंगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष शिक्षा में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है यानी पिछले 4716 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 7047 करोड़ रुपए किये गये हैं। इस तरह बालिकाओं के लिए कालेज तक की मुफ्त शिक्षा करने का प्रावधान किया है, जिसके लिए मैं भी इनकी सराहना करता हूं। *...(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी ने युवकों के प्रति भी गहरी चिन्ता की है। अगर इस देश का युवा बेरोजगार होगा तो वह गलत रास्ते पर चला जायेगा। इस देश के युवा को अगर रोजी-रोटी नहीं मिलेगी तो वह गलत रास्ते पर जाकर देश का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए की गई है। इसमें 110 करोड़ की व्यवस्था उनके लिए की गई है जिसके अधीन दो लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को अपना व्यवसाय करने का मौका मिलेगा ताकि समाज में वे शान से जी

सकें। इसी तरह गांव में रहने वाले युवकों के लिए 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आज तक गांवों में रहने वाले युवकों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने उनकी तरफ ध्यान देकर बहुत बड़ा काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आशावादी हैं और आशावादी होने के कारण उन्होंने देश को दुनिया के सामने नम्बर वन बनाने की कोशिश की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अब अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रसिलाल कालीदास वर्मा: आने वाले 10 साल में सॉफ्टवेयर के अंदर भारत प्रथम स्थान हासिल करे, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी की कार्यबद्ध योजना तैयार की है। माननीय मंत्री जी ने अपने स्वदेशी बजट में घरेलू उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए कस्टम ड्यूटी के मामले में कुछ राहत देने का प्रयत्न किया है, इसलिए भी वह प्रशंसनीय है। अंतिम दो-तीन साल में, सारे देश में हर तंत्र में नरमाई देखने को मिलती थी उसमें चेतना लाने के लिए राष्ट्रीय एजेंडा को ...*(व्यवधान)* कांग्रेस वाले यह बोल रहे थे कि पहनने को नहीं कपड़ा, रहने को नहीं मकान फिर भी हमारा भारत देश महान। लेकिन इस सरकार ने मकान देने की बात कही है और उसके लिए बजट में 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हुडको को 110 करोड़ रुपये देने की बात की गई है और इसके अंतर्गत 20 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिससे 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के और 7 लाख शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे। अब लोगों को रास्ते पर नहीं रहना पड़ेगा, वे अपने मकानों में रह सकेंगे। मंत्री जी ने अनेक रियायतें भी दी हैं, हर तरह का ध्यान रखा है जैसे फिल्म उद्योग, समाचार पत्र आदि को रियायतें दी गई हैं। स्वास्थ्य की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया है। देश का नवयुवक स्वस्थ होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने धूम्रपान पर ड्यूटी बढ़ाई है अर्थात् वे धूम्रपान कम करेंगे तो उनका स्वास्थ्य बढ़ेगा। वित्त मंत्री जी स्वयं स्वस्थ हैं इसलिए देश भी स्वस्थ होना चाहिए, ऐसी उनकी भावना है। इसके साथ उन्होंने गरीबों का भी ध्यान रखा है। उनके घरों में सुबह शाम जलने वाली दियासलाइ, माचिस का भाव नहीं बढ़ाया है। देश के गरीब लोगों के पास समाचार प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है जबकि आप लोग तो टेलीफोन से, फैक्स से सम्पर्क कर लेते हैं लेकिन गरीब इंसान अपना समाचार कैसे भेजे? उनको समाचार भेजने के लिए एकमात्र पोस्टकार्ड ही है। ...*(व्यवधान)*

लघु उद्योगों को ध्यान में रखकर ...*(व्यवधान)* दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर चार करोड़ रुपए किया है। यदि लघु उद्योग नहीं होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। ...*(व्यवधान)* यह स्वदेशी बजट है। लघु उद्योगों के लिए इसमें रुपया बढ़ाकर उनको महत्व दिया गया है जिससे वे अपना काम ठीक से कर सकें। ...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय खेल-कूद को भी महत्व दिया गया है ताकि देश के नौजवान खेल-कूद में भाग ले सकें। ...*(व्यवधान)* इसमें जो लोग दान देने वाले हैं उनको भी रियायतें दी गई हैं। ...*(व्यवधान)* इससे इस देश के गांव में रहने वाला नौजवान अपनी शक्ति बना सकेगा। ...*(व्यवधान)* आगे बढ़ सकेगा। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर देश की वास्तविक गतिशीलता बढ़े। ...*(व्यवधान)* विकासपक्षी बजट है। पावर, यातायात, कम्युनिकेशन, इन्फार्मेशन, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और कृषि में उठाये गये प्रगतिकारी कदम प्रशंसनीय हैं। इसी तरह स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए उठाये गये कदम को देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनायेगा। साथ ही विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, वे प्रशंसनीय हैं।

अंत में मैं कहना चाहता हूं-मेरा जूता है जापानी पतलून इंगलिस्तानी, सर पर लाल टोपी फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी ...*(व्यवधान)* हम किसी भी चुनौती का सामना करेंगे, हम किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। आधी रोटी खाकर भी देश की आन और शान बनायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में श्री मुरासोली मारन के भाषण के अतिरिक्त कुछ नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मिस्टर वर्मा, यह अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आसनबाय): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। कल लगभग इसी समय कृषि राज्य मंत्री महोदय ने नारियल गिरी और जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी। इस सदन में इसका काफी विरोध हुआ था। सदन के सभी वर्गों ने एक साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का विरोध किया था। तत्पश्चात् अध्यक्षपीठ ने निर्देश दिया था कि

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनिल बसु]

कृषि राज्य मंत्री महोदय सभी संबंधित सांसदों की एक बैठक बुलाएंगे और उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। किन्तु अब तक हमें कृषि राज्य मंत्री महोदय से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार अध्यक्षपीठ के निर्देशों की माननीय मंत्री महोदय ने अवहेलना की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री मारन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। अध्यक्षपीठ ने निर्देश दिया था कि मंत्री महोदय संबंधित सांसदों की बैठक बुलाकर उनके साथ चर्चा करेंगे। अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस संबंध में हम आपका निर्देश चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: आप इस बारे में मंत्रिमंडल के सदस्य को निर्देश दें ...*(व्यवधान)* सदस्यों के हितों की रक्षा किस प्रकार होगी? सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा किस प्रकार होगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार की ओर से कुछ कहा गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, अभी दिन समाप्त होने में बहुत समय है। मैं सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि इस बारे में मैं कृषि राज्य मंत्री जी को संदेश भेज रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: सर्वप्रथम उन्हें इसके लिए मांफी मांगनी चाहिए।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य): अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी का उन कुछेक कार्यक्रमों और प्रस्तावों, जैसे कोयले और पेट्रोल के लाइसेंस समाप्त करने, नगर भूमि परिसीमन अधिनियम को निरस्त करने, दसवें वित्त आयोग की सिफारिश लागू करने, 'फेरा' के स्थान पर 'फेमा' लाने आदि। जो कि संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान लागू होने थे, को लागू करने के लिए धन्यवाद करता हूं। अत: मैं उन्हें इन उपायों को लागू करने पर बधाई देता हूं।

इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्रों के लिए आवंटन में भी वृद्धि की है। किन्तु अफसोस इस बात का है कि वृद्धि चाहे कुछ भी हो साधारणतया वर्ष के अन्त में हमें अक्सर यही देखने को मिलता है कि उक्त धनराशि को खर्च नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए शिक्षा पर अधिकांश भाग शिक्षकों के वेतन में चला जाता है। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्रों में चाहे कुछ भी आबंटन हो वर्ष के अंत में हमें यह देखने को मिलता है कि इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

मैं उन्हें आयकर आवेदन के सरलीकरण के लिए भी बधाई देता हूँ। मैं सोचता हूं कि वे इसे 'सरल' का नाम देते हैं। मुझे बताया गया कि यह एक पृष्ठ का होगा। यह अच्छी बात है। किन्तु यदि आप चाहते हैं कि आम आदमी इसे समझे और यदि आप चाहते हैं कि और अधिक आयकर दाता हों तो इसे संबंधित राज्य की भाषा में भी छपवाया जाए। एक पृष्ठ संबंधित राज्य की भाषा में भी छपवाया जा सकता है। तमिलनाडु में आप लोगों से यह आशा नहीं रख सकते कि वे अंग्रेजी जानते हों। इसे संबंधित राज्य की भाषा में भी छपवाया जाना चाहिए ताकि आयकरदाता, मदद के लिए अंग्रेजी जानने वाले के पास न जाए। आप का उद्देश्य तीसरे व्यक्ति अथवा चार्टेड एकाउन्टेंट का समापन है। यह पूरा हो सकता है यदि आप फार्म को संबंधित राज्य की भाषा में छपवायें।

इसके साथ ही मुझे यह भी कहना पड़ रहा है कि इस बजट से मुझे अत्यन्त निराशा हुई है। जैसा कि श्री चिदम्बरम जी ने बताया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई उद्देश्य अथवा दृष्टिकोण नहीं है।

केवल दो नीति विषयक घोषणाएं की गई हैं। पहली घोषणा बीमा के बारे में की गई है। उन्होंने कहा है, "बीमा-क्षेत्र को खोला जाएगा।" लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि विदेशियों की क्या भूमिका होगी, वे कितने प्रतिशत इक्विटी धारण कर सकते हैं और क्या उनको अनुमति दी जाएगी या नहीं। इन सब बातों पर प्रश्न-चिह्न लगा हुआ है। दूसरी घोषणा नीति विषयक विवरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में की गई है। इससे काफी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि उन्होंने कहा है, "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भागीदारिता को 26 प्रतिशत तक लाया जाएगा", क्या सरकार का विचार सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों को छोड़कर और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समाप्त करने का विचार है? मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के संबंध में हमें एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 'निजीकरण' शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया है क्योंकि हम इस शब्द का प्रयोग करने से बचते रहे हैं और 'विनिवेश' शब्द का ही प्रयोग करते रहे हैं। अब शब्द-जाल में फंसे बिना हम इसे सीधे ही 'निजीकरण' कह रहे हैं। ठीक है। आपका प्रस्ताव क्या है? आप इसे कैसे क्रियान्वित करने जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है। हालांकि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मुझे शक है कि आप इसमें सफल नहीं होंगे।

इसलिए हम रंग को नहीं देख सकते यानी कौं आप लाल या केशरिया या उसी तरह के किसी रंग के हैं। लेकिन मुझे आपको अन्य उद्देश्यों के लिए बधाई देनी है। आपने सुधारों में सुधार लाना चाहा। आपने अपने घोषणापत्र में कुछ इसी तरह की बात कही है। आपने कहा कि आप एक चरणबद्ध तरीके से ही विश्वव्यापीकरण के पक्ष में हैं। लेकिन मुझे यह देखते हुए खुशी है कि आप दो वर्षों के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दोगुना करने जा रहे हैं। आपने यह भी कहा है कि "वर्ष 1997-98 में विदेशी निवेश को 3.1 बिलियन तक बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को बधाई दे।" वस्तुत: यह बोर्ड उद्योग मंत्रालय के अधीन है। अत: इसका श्रेय भी मुझे जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मुझे यह श्रेय देंगे।

यह बात भी कही गई है कि विदेशी निवेश से संबंधित सभी प्रस्तावों को 90 दिनों के अन्दर निपटाया जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का खेद है। वस्तुत:, हमारे शासन के दौरान हम इस तरह के प्रस्तावों का तीन से चार हफ्तों के अंदर निपटारा कर रहे थे। इसमें कोई विलम्ब नहीं होता था। मेरे विचार से वित्त मंत्री को इस मामले में समुचित ढंग से नहीं बताया गया।

प्रत्यक्ष कर सरणी के बारे में, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है। मैं समझता हूं कि श्री पी. चिदम्बरम द्वारा तैयार किए गए प्रत्यक्ष कर सरणी को कोई भी नहीं बदल सकता। यह आने वाले कई वर्षों तक जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं पैदा हो जाती, हमारी प्रत्यक्ष कर प्रणाली मजबूत स्तम्भ बनेगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बदलाव किया जाएगा क्योंकि इस प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए साहस चाहिए, वह इस अर्थ में कि इसका लोग विरोध करेंगे। मेरे विचार से, उन्हीं के शब्दों में इसे कुछ और समय के लिए चलते रहने दिया जाना चाहिए।

अप्रत्यक्ष करों पर बोलने से पहले, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री को यह श्रेय दिया गया है कि उन्होंने वित्तीय संतुलन को 6.1 प्रतिशत से घटाकर 5.6 प्रतिशत किया है यानि कि उन्होंने वित्तीय घाटे को आधा प्रतिशत कम किया है। यदि आप इसको देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि 0.5 प्रतिशत की यह कमी चमत्कारिक ढंग से की गई है। यह अंकों का खेल है जो उन्होंने बखूबी खेला है। श्री हसीब ए. ड्रबू के अनुसार जिन्होंने इन सब आंकड़ों का विश्लेषण किया है ने कहा है कि वित्त मंत्री ने राज्यों को अंतरण में कमी की है। राज्यों को अंतरण में 0.6 प्रतिशत तक की कमी की गई है। इसी कारण वह बजट में वह यह दिखा पाये कि वित्तीय घाटे में 0.5 प्रतिशत की कमी हुई है। मैं श्री ड्रबू के लेख "स्कीवजिंग द स्टेट्स" से उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है:

"राज्यों को समग्र अन्तरणों में 1997-98 में समग्र घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत से 1998-99 में 5 प्रतिशत की कमी की गई है-0.6 प्रतिशत की कमी, जो कि वित्तीय घाटे में कमी के बराबर है।"

यही तरीका श्री सिन्हा ने वित्तीय घाटे को कम करने में अपनाया है।

1991 से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरणों में कमी शुरू हुई है। मेरे विचार से डा. मनमोहन सिंह ने इसे शुरू किया है। श्री चिदम्बरम के समय में ही इन अंतरणों को पहली वाली स्थिति में लाया गया है या इन्हें बढ़ाया गया है। डा. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान राज्यों को कुल अन्तरण में समग्र घरेलू उत्पाद के 6.30 प्रतिशत से 5.26 प्रतिशत की कमी हुई है। श्री चिदम्बरम ने इस प्रवृत्ति को पलट दिया मुख्यतौर पर इसलिए क्योंकि हमारी सरकार सहयोग के संघवाद के सिद्धान्त पर आधारित थी। इस तरह से, राज्यों को अंतरण निम्नतम स्तर पर हो रहा है। मेरा विचार है कि माननीय वित्त मंत्री इस तरफ ध्यान दें। अब यह राज्यों को समग्र अन्तरण का केवल 5.02 प्रतिशत है। पिछले वर्ष यह 5.63 प्रतिशत था। उससे पहले यह 5.92 प्रतिशत था, इस तरह से इसमें कमी आई है। लेकिन इसका फायदा क्या है? यह तो केवल लेखा-प्रक्रिया है। आपने वित्तीय घाटे में 0.5 प्रतिशत की कमी की है। अब आपने जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर डाल दी है। आपने राज्य सरकारों से इसे कम कर दिया है। लेकिन, आखिर में जब केन्द्र और राज्यों का समेकित घाटा आंका जाएगा, कुल घाटा एक ही होगा। इस तरह से अगले वर्ष सभी राज्य सरकारें अनुदान सहायता की मांग करेंगी। आपका यही इरादा है। इस तरह का लेखाकर्म उचित नहीं है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इसको देखें और राज्य सरकारों के अंतरण में वृद्धि करें। समग्र घरेलू उत्पाद के अनुसार यह अभी कम है। पिछले वर्ष यह 5.63 प्रतिशत था, इस वर्ष 5.02 प्रतिशत है। मैं चाहता हूं कि वह इस बात को स्पष्ट करें।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में आपने जो किया है, वह निराशाजनक है। मेरे विचार से इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आपने 9000 करोड़ रु. जुटाए हैं। मैं करों की आलोचना नहीं कर रहा हूं अपितु कर-प्रणाली के स्वरूप की आलोचना कर रहा हूं। आपने कहा है कि यह इतिहास निश्चयन करने का क्षण है। यह इस तरह आपने अपने अपना बजट शुरू किया है। लेकिन 24 घंटों के अंदर आपको पीछे हटना पड़ा और पेट्रोल और यूरिया पर कर को वापस लेना पड़ा। इस तरह निश्चयन करने का क्षण खुद को झूठा साबित करने वाला क्षण बन गया है। ये बातें राजनीतिक ढंग से सही तरह से सोची नहीं गईं। आपने अपने पेट्रोलियम सहयोगी या राजनीतिक सहयोगियों से सलाह-मशविरा कर लिया होता। मेरे विचार से यह सारी कवायद नहीं की गई।

[श्री मुरासोली मारन]

इन अप्रत्यक्ष करों को देखें क्योंकि कोई दूरदर्शिता नहीं है इसलिए हर जगह प्रतिगामी रुख है। कर प्रणाली आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा सरल होनी चाहिए। सभी वित्त मंत्रियों का यही लक्ष्य होता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सीमा शुल्क में 23 और उत्पाद शुल्क में 12 संशोधन किए है। हम आशा कर रहे थे कि आप घाटे को कम करेंगे। लेकिन इन माँग को बढ़ाने के लिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं है तथा कोई बड़ा नीतिगत परिवर्तन नहीं किया गया है और न ही कोई पहल की गई है। यह मेरी शिकायत है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं इस बजट की इसलिए आलोचना नहीं कर रहा हूं क्योंकि बजट में कुछ नहीं है। इस बजट में कोई उत्साह वाली बात नहीं है।

ऐसा लगता है कि सभी परिवर्तन कुछ निश्चित मांगों के लिए किए गए हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। किशमिश पर शुल्क को 125 प्रतिशत से घटाकर 120 प्रतिशत कर दिया गया है। क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। आपने बताया है कि किशमिश रेसिन पर शुल्क दर को 115 प्रतिशत से घटाकर 110 प्रतिशत कर दिया गया है। यह आमतौर पर लगता है कि वित्त मंत्री को जनता से अनेक अभ्यावेदन मिला करते थे। इसलिए आपने सभी की व्यवस्थित करने की कोशिश की है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं यह कह रहा हूँ लेकिन इंडियन एक्सप्रैस समाचार पत्र जो सरकार समर्थक है, ने सरकार के बारे में यह कहा है, मैं उद्धृत करता हूं।

> ''गत कई सरकारों ने ऐसा आभास कराया था कि वे आम लोगों उपभोक्ताओं और करदाताओं के लिए वृहत आर्थिक लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह धारणा समाप्त होती जा रही है और साथ ही लाबियां जो शान्त पड़ी थी वे अपने खोलों से निकलकर बाहर आ रही हैं''

बजट की यह आलोचना किसी अन्य ने नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रैस जैसे अखबार ने कही है।

मैं अब विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.) के बारे में कुछ कहूंगा। आपने 8 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इसे समाचार पत्रों ने सेड (एस.ए.डी.) की संज्ञा दी है न कि मैंने। मैं इसे समान अवसर देने वाला शुल्क या 'स्वदेशी शुल्क' का नाम देना चाहूंगा। क्या इससे कोई उद्देश्य हासिल होगा? यदि आप इसके जरिये स्वदेशी स्थानीय उत्पादन की कोई सहायता करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि यह रुपए का 15 प्रतिशत अवमूल्यन के बाद आई है। इस 8 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क का अर्थ है कि आप सदैव से अविकसित स्वदेशी उद्योगों को अधिक संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। हमारे उद्योग सदैव से कहते रहे हैं कि वे अविकसित अवस्था में है। इसलिए आप उन्हें और अधिक संरक्षण देने जा रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है लेकिन उससे आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इससे मुद्रास्फीति ही बढ़ेगी।

उदाहरणार्थ, मैं जानता हूँ कि बी.एच.ई.एल. में 47 प्रतिशत कच्चा माल आयात किया जाता है। अत: उन्हें 47 प्रतिशत कच्चे माल पर 8 प्रतिशत एस.ए.डी. या स्वदेशी या ''समान अवसर' शुल्क अदा करना पड़ेगा। अब, यदि कोई 'भेल' से ट्रांसफार्मर खरीदने के बजाय अमरीकी कम्पनी जनरल इलेक्ट्रिक से ट्रांसफार्मर खरीदता है तो उसे 8 प्रतिशत शुल्क नहीं देना पड़ेगा क्योंकि पूंजीगत माल इस शुल्क से मुक्त है। अत: बी.एच.ई.एल. अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कैसे मुकाबला कर सकता है। यह एक उदाहरण मात्र है। हमारे अपने उद्योग नुकसान में हैं। अत: अब ट्रांसफार्मर अपनी स्वदेशी फर्म से खरीदने के बजाय आयात करना लाभकारी है। यदि मैं ट्रांसफार्मर अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदता हूं तो यह सस्ता पड़ेगा जबकि उसे स्वदेशी फर्म बी.एच.ई.एल. से खरीदा जाए तो यह महंगा पड़ेगा क्योंकि बी.एच.ई.एल. को 8 प्रतिशत एस.ए.डी. या 'विदेशी' या 'समान अवसर' शुल्क देना पड़ता है। अत: यह आठ प्रतिशत महंगा होगा। इससे कोई लाभ नहीं होना बल्कि इससे कीमतें हीं बढ़ेंगी और इससे प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम होगी। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री इस मामले को देखें।

'माडवेट' योजना का दुरुपयोग के बारे में वह कहते हैं कि उनका प्रस्ताव है कि माडवेट ऋण की उपलब्धता को कुल शुल्क के पाँच प्रतिशत तक सीमित किया जाए। मेरा मानना है कि इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी क्योंकि यह 13 प्रतिशत की उच्च सीमा के बजाय मात्र 5 प्रतिशत हो जाएगा। इसके कारण निर्मित माल की कीमतों में वृद्धि होगी। इसे लेकर काफी भ्रम है। क्या वह 5 प्रतिशत + 13 प्रतिशत है? या यह 13 प्रतिशत - 5 प्रतिशत है? माननीय वित्त मंत्री को इस स्थिति को समाप्त करना पड़ेगा।

मैं मानता हूं कि 'माडवेट' योजना का दुरुपयोग होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है? पर क्या उन्हें इसे रोकना नहीं चाहिए? लेकिन उन्होंने यह तरीका क्यों अपनाया। क्या इससे कीमतों में और मुद्रास्फीति में इजाफा नहीं होगा। बेहतर होगा कि सीमित विनियम के द्वारा हो न कि मनमानी सीमा के द्वारा। माननीय वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए।

कहा गया कि कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में आठ प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। लेकिन वे वस्तुएं कौन सी हैं जिन पर यह आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा? हमें इन पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। वे वस्तुएं हैं-मक्खन, पनीर, दूध पाउडर और

डिब्बाबंद चाय। गरीब लोग डिब्बा बन्द चाय ही खरीदते हैं क्योंकि खुली बिना ब्रांड नाम वाली चाय काफी महंगी है। लेकिन हिन्दुस्तान लीवर ने चाय के मूल्य में 10 रुपए प्रति किलो का इजाफा पहले ही कर दिया है।

अत: डिब्बा बंद चाय जो गरीब आदमी का पेय है। इस शुल्क के अंतर्गत आता है। ब्रांड नाम वाले मसालों पर शुल्क जीरो प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। और माँस-मछली (ब्रांड नाम) तैयार करने में उपयोग होने वाले मसालों पर भी इसे जीरो प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। लिखने वाली स्याही के बारे में शायद आप विद्यार्थियों का भला करना चाहते हों, इसे 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। जानवरों से चलाए जाने वाली गाड़ियों तथा हाथ से चलाए जाने वाले ठेलों का प्रयोग कौन करता है जिनमें विशिष्ट प्रकार की ट्यूब्स इस्तेमाल होती है? ये गांव में इस्तेमाल होते हैं। इन पर शुल्क को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत किया गया है। मैं समझता हूँ कि आपको इस पर पुन: गौर करना चाहिए। यह एक प्रतिगामी कदम है। इससे कीमतें बढ़ेंगी बल्कि सच्चाई यह है कि आयातित और स्वदेशी वस्तुओं की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। इससे औद्योगिक पुनरीक्षण भी प्रभावित होगा। अत: इस बजट से मुद्रास्फीति दो अंकों में जरूर बढ़ेगी?

हमें रोजाना दिल दहलाने वाली खबरें मिल रही हैं। और आप समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो आप पाएंगे कि ऋण तालिका में हमारा स्थान नीचे जा रहा है। हाल ही में 'डफ एण्ड फेल्पस' ने हमारी रेटिंग को स्थिर से कम करके नकारात्मक कर दिया है। स्टैन्डर्ड और पूअरस और मूडी सहित सभी ने इसे घटा दिया है। सभी एजेंसियों ने हमारी रेटिंग घटा दी है। इसका क्या कारण है? यह परमाणु विस्फोटों के कारण हुआ है। यह एक कारण है। हमने परमाणु विस्फोट किये लेकिन बाद में हमने क्या किया? हमें विश्व के देशों का विश्वास नहीं मिला। हमें उतना समर्थन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। दूसरा कारण मंदिर का मुद्दा है। आप लोग अभी भी मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। लोगों में एक भय की भावना है। फिर, उग्रराष्ट्रवादिता तथा युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसीलिए रेटिंग का क्रम नीचे आ रहा है। मै. डफ और फेल्पस ने जो कहा है उसे उद्धृत करना चाहता हूँ।

> "रेटिंग एजेन्सी ने हाल के वर्षों में राजस्व-संबंधी हुई त्रुटियों तथा भुगतान संतुलन बिगड़ने की संभावनाओं के कारण भारत के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया है।"

आने वाला समय और भी खराब होगा। अब रुपये की ही हालत देख लीजिए। इसकी कीमत 42.45 रुपये तक नीचे चली गयी है। अब तक यह ओर नीचे चला गया होगा। मुझे वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। लेकिन कीमत लगातार गिरती जा रही है।

जहाँ तक कुल विनिवेश की बात है, यह ढाई महीने से कम में ही 400 मिलियन डालर के बराबर हो गया था। आपके आने के बाद ढाई महीने में ही 400 डालर देश से बाहर जा चुके हैं। शायद किसी बजट के प्रस्तुत किये जाने के बाद एक ही सप्ताह में यह सबसे बड़ी गिरावट है। सोमवार तथा मंगलवार को भारी बिक्री हुई तथा राष्ट्रीय और मुम्बई सूचकांक में सर्किट ब्रेकर कार्य कर रहे थे। ऐसा डर है कि भुगतान संतुलन की स्थिति काफी गड़बड़ा जायेगी। भारत में निवेश करने वाली विदेशी कम्पनियां देश से भाग रही हैं। वास्तव में एक समाचार पत्र ने लिखा कि ये लोग भारत छोड़ो आन्दोलन करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ये देश से भाग के रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को लोगों में विश्वास जगाना चाहिए।

कल, वामपंथी दलों के नेताओं ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की। प्रधान मंत्री ने जो कहा मैं 'इक्नोमिक्स टाइम्स' से उद्धृत करना चाहूंगा।

> "प्रधान मंत्री, श्री अटल बाजपेयी ने आज कहा कि उनकी सरकार को अभी भी रुपये की गिरती हुई कीमत को रोकने के लिए क्या करना है इस पर अभी विचार करना है। सरकार के किसी भी बड़े हस्तक्षेप से देश के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बिगड़ सकती है।"

क्या प्रधान मंत्री जी से हमें इस प्रकार के उत्तर की आशा है? मेरे विचार से उन्हें उचित तरह से बताया नहीं गया क्योंकि इस वक्तव्य से विदेशी कम्पनियां और अन्य लोग इस देश में निवेश न करने को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें देश को विश्वास दिलाना चाहिए था।

श्री यशवन्त सिन्हा: यह प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य नहीं है। उन्होंने कल बैठक के बाद कोई वक्तव्य जारी नहीं किया।

श्री मुरासोली मारन: यदि, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो उन्हें इससे इन्कार करना चाहिए था। यह तो 'इक्नोमिक्स टाइम्स' के प्रथम पृष्ठ पर आया है।

श्री यशवन्त सिन्हा: वे हरेक बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा): यह तो 'इक्नोमिक्स टाइम्स' की प्रमुख खबर है। कृपया आप इस पर विचार करें। इससे निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्री यशवन्त सिन्हा: मैंने अभी एक दिन पहले ही दूसरी सभा में इस विषय पर एक प्रश्न के जवाब में विस्तृत उत्तर दिया है।

[श्री यशवंत सिन्हा]

इसलिए मैं जवाब दे चुका हूं। मैंने सरकार की नीति को स्पष्ट कर दिया है।

श्री मुरासोली मारन: परसों बीता हुआ समय है। हर घंटे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है।

श्री यशवन्त सिन्हा: इसलिए, आप कल सुबह के अखबार की प्रतीक्षा करें।

श्री मुरासोली मारन: कल सुबह कुछ और बातें हो सकती हैं क्योंकि कुल मिलाकर उद्योग, व्यवसाय, एफआईआई, विदेशी निवेशक, स्टाक मार्किट का विश्वास प्रत्येक क्षण कम होता जा रहा है। इसलिए, ऐसा लगता है कि आप अनिवासी भारतीयों पर निर्भर है। मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन हमारे अनिवासी भारतीय विदेशों में रह रहे चीनवासियों की भांति नहीं है। विदेशों में रह रहे चीनवासियों की अपनी अर्थव्यवस्था है। संसार में उनकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। लेकिन हमारे अनिवासी भारतीय कुछ को छोड़कर सभी पेशेवर हैं। वे सदैव ही विदेशियों की भांति कृत्य करेंगे। ये बात हम 1990-91 के दौरान देख चुके हैं। संकट की घड़ी में वे सब भाग गये। वे यहां देश-भक्ति की भावना से नहीं आ रहे हैं। मैं बड़े अनिवासियों की बात नहीं कर रहा हूं।

आमतौर पर सारे विश्व में स्थिति कुछ ऐसी ही है। ब्याज की दरों में अन्तर होता है। यदि आप ज्यादा ब्याज देते हैं तो वे आयेंगे। अन्यथा हमारा काला धन वहाँ लग जाता है और फिर वापस देश में आ जाता है। इसलिए एक डर सा पैदा हो गया है। पूर्वी एशिया देशों जैसा संकट पैदा हो रहा है। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि इस संकट को दूर करे। योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा. अर्जुन सेनगुप्ता का कहना है कि थाईलैण्ड संकट की भांति संकट उत्पन्न हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों का इस सरकार में विश्वास नहीं है। मेरा अर्थ भारतीय लोगों से नहीं है। न केवल भारतीय लोग वरन् पूरा विश्व हमें संदेह की दृष्टि से देख रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए. संगमा ने कहा कि आपको इस सभा का विश्वास प्राप्त है लेकिन आपको लोगों का तो विश्वास प्राप्त नहीं है। ऐसा लगता है मानो यह बात सच हो। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप इस संदेह को दूर करे। यह सब क्या हो रहा है? आपकी मिली-जुली सरकार के दल आपको मजबूत करने की बजाय पूरी न होने वाली तथा अनुचित मांग कर रहे हैं। इसलिए, मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे हमें बतायें कि वे इस संकट से निपटने के लिए क्या करने वाले हैं। मुझे पता चला है बहुत सी अफवाहें उड़ रही है। मेरे विचार से यह तो सर्वविदित है कि चीन की अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है। उस स्थिति में हमारे रुपये की कीमत बहुत ही नीचे चली जायेगी। इसलिए हमें क्या करना है? आप बोलचाल की भाषा में यदि रुपये की कीमत गिरती है तो इसका अर्थ मुद्रास्फीति होगा। इसलिए, फिर हमें एक संकट का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई संकट उत्पन्न हो जाता है और यदि मेरे विचार से हमें विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ेगी तो आप जानते ही हो कि वहां किस प्रकार की शर्तें रखी जायेंगी। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से रुपये की गिरती कीमत से संबंधित नीति के बारे में चाहूंगा कि आप कोई घोषणा करें। श्री पी. चिदम्बरम के बजट को एक स्वप्न बजट माना गया था। मानते हैं कि उस स्वप्न को साकार नहीं किया जा सका। लेकिन महोदय आपका बजट तो एक डरावने सपने जैसा बजट है।

श्री उत्तम सिंह पवार (जालना): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री यशवंत सिन्हा जी और प्रधान मंत्री जी को अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। सच तो यह है कि मैंने श्री सी.डी. देशमुख जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट से लेकर गत वर्ष के बजट तक 25 बजट देखे हैं ...*(व्यवधान)* मुझे हर बजट एक टूथपेस्ट की तरह लगा था। आप चाहे कोलगेट प्रयोग करे या प्रुडेंट या कोई अन्य टूथपेस्ट, चीज तो एक ही होती है। यही बात बजट के संबंध में भी है। परन्तु मैं नहीं जानता कि मेरी प्रवृत्ति बजट का विरोध करने की क्यों और कैसे बन गई।

[हिन्दी]

सिन्हा जी, आपके साथ डिफिकल्टी यह हुई है कि हम लड़के की शादी तो करते हैं और शादी करके ये विरोध दल वाले कह रहे हैं कि हमें दो-ढाई महीने में पोते का मुंह देखना है। अब आप बताएं कि जब शादी करेंगे तो कम से कम सालभर का समय तो दें। इसी तरह से सरकार बने हुए अभी दो-ढाई महीने ही हुए हैं और ये बजट को क्रिटीसाइज कर रहे हैं। शिवराज जी बैठे हुए हैं, आपकी सरकार को भी पांच साल मिले थे। हमें क्यों नहीं देना चाहते। चिदम्बरम जी का बजट देखा, हम ड्रीम में ही रहे कि जागते ही आपने समर्थन वापस ले लिया, दूसरा ड्रीम हमें देखने का मौका ही नहीं मिला।

[अनुवाद]

सारे सदन को श्री यशवंत सिन्हा से यह आशा है कि वह सचिन तेंदुलकर जैसी बल्लेबाजी करेंगे। उन्हें रन भी बनाने चाहिए और अपना विकेट भी बचाकर रखना चाहिए।

[हिन्दी]

अब मैं यही कहूंगा कि बिना सोच की, कम चारा खाने वाली और ज्यादा दूध देने वाली भैंस हमें ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, हमारे विरोध

वाले तो ऐसे ही रहेंगे ...*(व्यवधान)* इसके बारे में भी सोचेंगे पर कुछ न कुछ तो भला ही होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान के किसान की हालत सबसे खराब है। आपने बजट में 58 प्रतिशत राहत किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा जिनको मेरी पार्टी और अन्य पार्टियों के लोगों ने कहा है। यह बात सच है कि आज भी दुर्भाग्य से हमारे देश के किसान की बेटी की जब शादी होती है तो उसको अच्छा दामाद चाहिए, तो उसकी कीमत तय है। वह चार-पांच लाख रुपया देकर कोई आई.ए.एस. नहीं खरीद सकता। अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है या बेचनी पड़ती है, इतनी बुरी हालत किसान की है। यह पिछले 40-45 साल में हुआ है, केवल इन्होंने ही नहीं किया। अभी मारन जी कह रहे थे। यह सच है कि रुपये का अवमूल्यन होगा। लेकिन कभी रुपये का भाव डालर के अगेंस्ट चार रुपये भी था। पूरी दुनिया में आप देखें सिंगापुर में 15-16 साल पहले वहां की मुद्रा डबल-ट्रिपल थी, लेकिन आज वह कहां से कहां चली गई है। इटली जिसे हम बुरी इकनोमी कहा करते थे, आज हमसे डबल हो गई है, 200 लीरा के करीब एक डालर का भाव हो गया है। आज दुनिया का हर मुल्क अपनी इकोनोमी स्ट्रांग करने में लगा हुआ है। मुरली जी इस बारे में काफी माहिर हैं। रुपये की जो हालत इस देश में हुई है, उसमें कुछ दोष ब्यूरोक्रेट्स का है और कुछ पोलिटिक्स का है। मैं मानता हूं कि आज भी हमारा सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम से चल रहा है। पहले के बजट से आज तक के बजट को देखें, बजट के लिहाज से हमारा देश ऐसा है जो उष्ण देश कहा जाता है। इस देश में आज भी वकील धूप में टाई और काला कोट पहनकर जाता है, कभी-कभी बड़ा बुरा लगता है। इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए। सिन्हा जी ने इसमें कुछ प्रयास किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इंस्पैक्टर राज हटाने का आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन यह मुश्किल काम है। आप भी नौकरशाह थे, अब राजनीति में आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नौकरशाह एक घोड़ा है, उसको चलाने की आदत हमें होनी चाहिए, पर पता नहीं आप क्यों नहीं चला सके। अगर ढंग से चलाए होते तो आज यह हालत नहीं होती। मैं हकीकत कह रहा हूं। हम ढंग से चला सकते थे।

श्री तारिक अनवर (कटिहार): सिन्हा जी तो दोनों हैं।

श्री उत्तम सिंह पवार: मैं जानता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा: घोड़ा-घोड़े की सवारी कैसे कर सकता है।

श्री उत्तम सिंह पवार: इन सब बातों से ऊपर उठकर हमें सोचना है। सी.डी. देशमुख के बजट के बारे में मैंने जिक्र किया था। मैं सारे सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इन सब बातों से ऊपर उठकर इसको देखें। अर्थशास्त्रियों की नजर में आइडियल बजट कैसा होता है, यह कहा नहीं जा सकता। आज भी मैं मानता हूं कि हमारे देश में इतने बजट पेश हुए, इसमें इनको किसी न किसी रूप में निराशा हुई है। मैंने सिन्हा जी को कहा था कि यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देश की चादर ही इतनी बुरी तरह से फटी हुई है कि उसे सीना बड़ा मुश्किल है। हम आलोचना पर आलोचना करते जायेंगे, कल हम उधर होंगे तो हमारा वह रवैया होगा।

अब मैं कृषि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हम सब कहते हैं कि देश में कृषि की हालत सुधरनी चाहिए। इसमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो वाटर मैनेजमेंट की और दूसरी सीड मैनेजमेंट की। मैंने बजट में देखा वाटर मैनेजमेंट के लिए अच्छा प्रावधान है। वाटर मैनेजमेंट का मतलब पानी से ही नहीं, पीने के पानी से भी है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में पीने का पानी भी 11-12 रुपये प्रति लीटर मिलता है। आज देश में मिनरल वाटर पीने की जरूरत महसूस की जा रही है। यह भी हम लोगों का 45 साल का कुछ पाप है, ऐसा मैं समझता हूं, वरना इस देश के लोगों में से .05 प्रतिशत भी मिनरल वाटर एफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे बंद करने से नहीं होगा। हर चीज को समय देना पड़ता है। मैंने शुरू में ही कहा कि आपको कुछ तो समझना पड़ेगा। वाटर मैनेजमेंट और सीड मैनेजमेंट, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं सीड-मैनेजमेंट के बारे में जरूर कहूंगा क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सीड सैंटर है। हम विदेश में घूम आए हैं। अगर आप हिन्दुस्तान का केला देखेंगे तो उसमें काले दाग मिलेंगे, आप किसान हैं, आप इस बात को भली-भांति जानते हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में आपको केले में कोई भी दाग नहीं दिखेगा। ...*(व्यवधान)* आप साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ब्राजील के केले को देखिए। नागपुर का संतरा मशहूर है क्योंकि उनके पास जो इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट हारवैस्टिंग है, उसके लिए बजट में हमें बहुत ज्यादा प्रावधान करने की जरूरत है। किसान के बारे में आप यूरिया-यूरिया लेकर बैठे हैं लेकिन यूरिया के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें किसान के लिए सचमुच करनी हैं, नहीं तो जैसा मैंने कहा कि आपने किसानों की ऐसी हालत कर दी है कि उसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेचनी पड़ती है। अगर हमें सचमुच किसान के प्रति दर्द है तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बजट में हमने एक बात जरूर देखी कि सीड मैनेजमेंट और ऐसी बहुत सी चीजें देने का प्रयास किया गया है।

[श्री उत्तम सिंह पवार]

मैं इंडस्ट्री के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि आज दुर्भाग्य से हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर हमारे पास अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर होता तो हम कारें नहीं मंगवाते। जो हमारे यहां कारें आई हैं, जैसे मर्सिडीज हैं, सिएलो है और भी कई हैं, चिदम्बरम जी, ये सब न्यू टैक्नोलोजी की हैं। सिएलो की कितनी कारें रोड पर नजर आ रही हैं, क्या कभी इनकी कोई फैक्ट्री नजर आई। सेम केस वाशिंग मशीन का है। ...*(व्यवधान)* आप दस-पन्द्रह साल पुराना कलर टेलीविजन ले जाइए और उसके आपको दस हजार रुपए मिल जाएंगे। चीज आपने दस साल पहले दस हजार रुपए में खरीदी, कोई आज उसके दस हजार रुपए दे देता है लेकिन जो मल्टी नेशनल कम्पनियां है, जैसे-सैमसंग, तोशिबा, वर्लपूल है, इनका जो एन्क्रोचमेंट हुआ है उसके बारे में इस बजट में सोचा जाए। मुझे आपको अवश्य ही बधाई देनी चाहिए।

[हिन्दी]

हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक हम नई नो हाउ और टैक्नॉलोजी नहीं लाएंगे तब तक हम निश्चित रूप से प्रगति नहीं कर सकते। कुछ चीजें अगर करनी हैं तो टैक्स बढ़ेगा ही। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे माननीय मंत्री जी को अवश्य ही बधाई देनी चाहिए। अपने बजट में उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों से लेकर अप्रवासी भारतीय, कृषकों से लेकर उद्योगपतियों और आम आदमी से लेकर नौकरीपेशा वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया है।

[हिन्दी]

मुझे कभी-कभी दुख होता है कि इंसपैक्टर राज में सेल्स टैक्स वाला आकर अच्छे ट्रेडर को परेशान करता है। करवान ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है। बजट में ऐसा कोई प्रावीजन होना चाहिए जिससे एकाउंटेबिल्टी हो सके। यहां कहा गया कि पब्लिक सैक्टर बहुत लॉस में जा रहा है लेकिन क्यों लास में जा रहा है? जैसे इंडियन एयरलाइंस और दूसरी बहुत सी कम्पनियां हैं, मैंने उसकी सब-कमेटी में भी काम किया है, मुझे उनके सिस्टम को देख कर दुख होता है। जब तक हम ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदारी नहीं सोंपेगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम आगे कोई प्रगति कर पाएंगे। जब तक कृषि के लिए काफी पैसा नहीं रखा जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन क्या आप भी ऐसा ही करते रहेंगे क्योंकि इन्होंने आदत डाली है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एक मुख्य सचिव का खर्च एक मंत्री से अधिक होता है। आप इसकी सत्यता की पुष्टी कर सकते हैं। मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम: आपको इस पर नियंत्रण करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं?

श्री उत्तम सिंह पवार: अगर आप प्रोटोकोल में देखेंगे ...*(व्यवधान)*

एक नौकरशाह के खर्च एक मंत्री से अधिक होते हैं जबकि नयाचार में सांसद उनसे एक स्तर ऊपर होते हैं। यह हो रहा है। इसका कारण यह है कि हालांकि हम सभी जवाबदेह हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम जवाबदेह व्यक्ति की भांति व्यवहार नहीं करते ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: आप चेयर को एड्रेस करिए।

श्री उत्तम सिंह पवार : मैं चेयर को ही एड्रस कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है ...*(व्यवधान)* मैं केवल अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आपने कहा कि इनके बजट का रंग आपके समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूं कि इनके बजट का रंग पानी जैसा है। "पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा" ऐसी कोशिश इन्होंने की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: वह कह रहे हैं कि यह एक रंगहीन बजट है ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: आप, जो कुछ वे कह रहे हैं उसका अर्थ नहीं समझ सके ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री उत्तम सिंह पवार: मैं यही कहूंगा कि ड्रीम बजट की बजाय हमें आईडियल बजट की जरूरत है जिसे देने की कोशिश की गई है। हिन्दुस्तान डम्पिंग ग्राउंड बना दिया गया है।

[अनुवाद]

हमारा उपभोग एक तिहाई है और हम विश्व की जनसंख्या का एक तिहाई भाग हैं। मैं गर्व के साथ यह कहूंगा कि हमारे पास अधिकांशमान शक्ति है और हमारी भूमि में अधिकांश खनिज हैं, हमारे समुद्र में अधिकांश तेल है और हमारे पास अधिकांश....

[हिन्दी]

आज आप देखेंगे तो पाएंगे पर-कैपिटा इनकम और एक्सपैंडेचर बहुत कम है। मैं आप सब से कह रहा हूं कि आज किस के पास पैसा है? सरकारी कर्मचारी के पास 80 परसेंट मनी है। *...(व्यवधान)* हालात ऐसे पैदा हुए कि आज हम कम्पीट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रतिस्पर्धा में हमने एक बात की अवहेलना की है। हम हमेशा उन लोगों के साथ तुलना करते हैं जो कि चार प्रतिशत की दर से लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि अन्य के लिए 10 प्रतिशत है। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया अपना भाषण समाप्त करेंगे?

[हिन्दी]

श्री उत्तम सिंह पवार: मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। आपोजिशन का कहा मान कर बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं पुन: श्री यशवन्त सिन्हा जी को बधाई देता हूं। उन्होंने जो बजट पेश किया है वह एक आदर्श बजट है। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ।

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम): महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री मुरली देवड़ा जी ने चर्चा आरम्भ करते समय जो कुछ भी पहले कहा है, उसमें कुछ बिन्दु जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने बजट में कतिपय कमियां बताई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है।

वास्तव में यह एक रोजमर्रा का औपचारिक दस्तावेज है जिसे अधिकारियों ने तैयार किया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ दिया है। हमने भी अपनी-अपनी विधानसभाओं में यही सब किया है। इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। महत्वपूर्ण बातों का तो इस बजट में उल्लेख ही नहीं है। मैं स्वयं राज्य सरकार में वित्त मंत्री था अत: मुझे पता है कि हम किस प्रकार बजट तैयार करते हैं। यह अधिकारियों द्वारा ही तैयार किया जाता है और हम तो मात्र इसे पढ़ देते हैं *...(व्यवधान)* इस बजट में अनेक महत्वपूर्ण बातों का जिक्र नहीं है और वास्तविक मुद्दों तो उल्लेख भी नहीं किया गया है *...(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं समझता हूं कि यह आत्मश्लाघा मांग श्री भास्कर राव तक ही सीमित है।

श्री नादेन्दला भास्कर राव: ऐसा क्यों है? यह सभी पर लागू है। हम इसे पढ़ते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं और बजट तैयार करते हैं। वित्त मंत्री जी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यह जन विरोधी तथा यह मुद्रास्फीति को अत्यधिक बढ़ावा देने वाला है। इस बजट में आयात शुल्क में 8 प्रतिशत वृद्धि और अन्य विभिन्न उत्पाद शुल्कों में वृद्धि किये जाने से निश्चित रूप से मुद्रास्फीति में प्रत्यधिक वृद्धि होगी। कल तक यह मात्र पाँच प्रतिशत थी। अचानक यह लगभग 7 प्रतिशत बढ़ गई। अगले दिन मैंने वित्त मंत्री महोदय को दूरदर्शन पर यह कहते सुना कि यह वृद्धि लगभग 6.5 प्रतिशत है। मैं कहता हूं कि यह निश्चित रूप से 10 प्रतिशत हो जाएगी। गृहणियों ने पहले ही बजट की चुभन को महसूस करना आरम्भ कर दिया है। वे तो वित्त मंत्री जी को बददुआयें दे रही हैं। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है उसमें यह निश्चित ही 10 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी।

यह कहा गया है:

> "कुल मिलाकर आर्थिक विकास की दर कम होकर 5 प्रतिशत रह गई है। कृषि उत्पादन में भी कमी आई जो पिछले वर्ष 199 मिलियन टन के मुकाबले कम हो कर 194 मिलियन टन ही रह गया है। औद्योगिक उत्पादन की दर कम होकर 4.2 प्रतिशत हो गई। निर्यात वृद्धि की दर भी लगातार दूसरे वर्ष कम रही जो डालर के मुकाबले 3 प्रतिशत से कम थी। वित्तीय घाटा बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया।"

यदि उपर्युक्त आर्थिक स्थिति है तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? कृषि क्षेत्र में बहुत थोड़ा सा प्रयास 'किसान क्रेडिट कार्ड' आरम्भ करके किया गया है। मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं। प्रत्येक किसान इसका स्वागत करता है। इस थोड़ी सी

[श्री नादेन्दला भास्कर राव]

अच्छी बात को छोड़कर, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है?

हमने देखा कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। शहरी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के बीच अन्तराल और बढ़ गया है। वित्त मंत्री और इस सरकार ने इस अन्तराल को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। ग्रामीण क्षेत्र में, एक कृषक के पास 10-20 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए-यह सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। जबकि शहरी क्षेत्र में कोई भी हजारों परिसर, सौ सिनेमा थियेटर, 200 भवन रख सकता है और उससे इस बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। इस विसंगति में सुधार करने के लिए बजट में क्या प्रयास किया गया है? कृषि क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत के बजट प्रावधान का जो वायदा किया था, उसे भी उन्होंने इस बजट में पूरा नहीं किया है। माननीय राष्ट्रपति ने इस वर्ष दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि बजट का 60 प्रतिशत आवंटन कृषि के लिए किया जाएगा। लेकिन बजट में इस तरह का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर है। कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही है और उद्योग संकट में हैं। मंत्री महोदय इस अन्तराल को कैसे भरने जा रहे हैं। इस बजट में किसी ठोस नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। डा. मनमोहन सिंह ने अपने बजटों में नई नीतियां शुरू करने का प्रयास किया था। मुझे उन बजटों और इस बजट में काफी अंतर नजर आता है। इस बजट में 960 करोड़ रु. की राजस्व हानि का अनुमान लगाया गया है लेकिन, फिर भी मंत्री महोदय का 8000 करोड़ रु. या इतनी राशि एकत्र करने का लक्ष्य है।

वे इसे कहां से प्राप्त करने जा रहे हैं? उनके लिए यह कैसे सम्भव होगा जब तक कि वे कर नहीं लगाएंगे जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में काफी वृद्धि होगी?

वित्त मंत्री को आशा है कि समग्र वित्तीय घाटा 91,000 करोड़ रुपये होगा। लेकिन वास्तव में यह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। वित्त विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं। विकसित देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। घाटे के बजट को अपनाना पसन्द नहीं करते हैं लकिन हम घाटे के बजट को पसन्द करते हैं। यह घाटे का बजट कमजोर वर्गों और आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित करेगा। इसका सभी क्षेत्रों खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस बजट में भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। इन प्रतिबंधों के कारण लगभग 2500 करोड़ रु. का अनुमानित प्रवाह रुक जाएगा। इसका कोई उत्तर नहीं है। अनुमानित प्रवाह उद्योग या बैंक ऋणों के रूप में 2500 करोड़ रु. या 3000 करोड़ रु. तक होगा। विशेषज्ञ यही कह रहे हैं। इन सब बातों का समावेश हम कहां करेंगे? ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में, 100 करोड़ रु. की वृद्धि बहुत मामूली है यदि आप इसकी तुलना पिछले वर्ष से करें, जब यह 3900 करोड़ रु. से 4000 करोड़ रु. था। आपके बजट में लगभग 10,000 करोड़ रु. के केन्द्रीय ग्रामीण विकास निधि के हस्तांतरण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पिछले बजट में, उन्होंने ग्रामीण विकास की आशा की थी और उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ रु. केन्द्र से सीधे पंचायतों और नगरपालिकाओं को देने का प्रयास किया था ताकि उनका विकास हो सके। आपका बजट इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है।

'समाधान' के बारे में कोई नई बात नहीं है। यह कोई नई बात नहीं है। श्री पी. चिदम्बरम ने आय की स्वैच्छिक घोषणा स्कीम, की शुरूआत की थी, यह वही तरीका है जो बेइमान लोगों के लिए था कि वे कर जमा करें। उसके अलावा, इसमें और कोई नई बात नहीं है। समाधान में नया क्या है? वी.डी.आई.एस. के अलावा इसमें और कोई नई बात नहीं है। आपने यह दिखाने की कोशिश की है कि योजना परिव्यय में 24,000 करोड़ रु. तक की वृद्धि की गई है। वास्तव में, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कई बार बजट कें ब्यौरों को देखा है। आपने बजट अनुमानों की पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तुलना की है जिसमें केन्द्रीय योजनागत व्यय को 10,000 करोड़ रु. कम कर दिया गया था। इसी कारण, आपके अनुमानों में 24,000 करोड़ रु. की वृद्धि दिखाई गई है। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। बढ़ा-चढ़ाकर कही गई प्राप्तियां और कम आंका गया व्यय से ऐसा आभास कराया गया है कि वह खुशनुमा तस्वीर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब हमने ब्यौरों को देखा तो हमने पाया कि वस्तुस्थिति इससे भिन्न है।

इस उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ाकर, आपने रक्षा के लिए जो आवंटन दिया है, वह बहुत ही कम है। आपके इस शीर्ष में आवंटन में 500 करोड़ रु. की वृद्धि है जो कि कम है।

समग्र घरेलू उत्पाद पर आते हुए, आपके राष्ट्रीय एजेंडे में सात या आठ प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सात प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए निवेश की दर बाजार मूल्य पर समग्र घरेलू उत्पाद का 28.3 प्रतिशत होनी चाहिए, उसे भी आपके बजट में सही नहीं दर्शाया गया है।

इन परिस्थितियों में, सरकार को आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में ईमानदारी से सोचना है। बजट में वायदा किया गया है कि बीमा

क्षेत्र को निजी उद्योगों के लिए खोला जाएगा। हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वास्तव में इसका स्वागत किया है। लेकिन इसके फलस्वरूप चिट फंड या कई वित्तीय कम्पनियों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। उनका फैलाव होगा और लोग बरबाद हो जाएंगे। वे लोगों को उनका पैसा खाकर बरबाद कर देंगे। सरकार को बीमा कम्पनियों के बारे में बहुत ही सावधान होना चाहिए।

आपके ऋण दिखाते हैं कि वित्तीय घाटा 91,000 करोड़ रु. के बराबर है। आप 91,000 करोड़ रु. उधार लेना चाहते हैं लेकिन वित्तीय घाटा 90,000. करोड़ रु. है।

यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों की संख्या बढ़ाई है। मैं माननीय वित्त मंत्री से उम्मीद करता हूं कि वह अपने उत्तर में यह स्पष्ट करें कि सांसदों के सुझावों को भी इस संबंध में महत्व दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 प्रतिशत निधियां केन्द्रीय पूल से दी जा रही हैं और सभी विधायक फायदा उठा रहे हैं जबकि सांसदों को कोई मौका नहीं दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक सांसद को 50 टेलीफोन और 150 गैस कनेक्शन प्रदान करके बड़ी कृपा की है ताकि वे इसका फायदा उठा सकें ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): यह सबसे बड़ा नुकसान है।

श्री नादेन्दला भास्कर राव: यह एक हानि है और हमारे नेताओं तथा निम्नस्तर के कार्यकर्त्ताओं को संतुष्ट करने का लाभ भी है।

जब हम उस स्थान का दौरा करते हैं जहां मकानों को आग लगा दी गयी है तो हम कोई भी मकान नहीं दे सकते हैं। दूसरी ओर, एक विधायक हमारे ही पैसे से तथा केन्द्रीय कोष से तुरन्त दस मकान दे सकता है। आप कृपया इस पर विचार करें।

एक बात तो मैं कहना ही भूल गया। और वह यह है कि इस बजट में राष्ट्रीय जल नीति का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है जिसके बारे में हम प्राय: सोचते हैं तथा बात करते हैं। इसके लिए धन का आवंटन नहीं हो पाया है और इसके कारण नदियों को आपस में जोड़ने पर असर पड़ रहा है। जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है, हमें आशा थी कि गोदावरी को कृष्णा नदी के साथ जोड़ दिया जायेगा क्योंकि कर्नाटक में दरारों के कारण यह सूख रही है। इसलिए हमें आशा थी कि बजट में नदियों को जोड़ने के लिए कुछ धन आबंटित किया जायेगा। माननीय वित्त मंत्री हमें बता रहे थे कि 58 प्रतिशत धन सिंचाई के लिए आबंटित किया गया है। लेकिन इसके बारे में कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया है।

इसके अलावा बजट में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसके लिए कुछ भी धन आवंटित नहीं किया गया है। यदि जनसंख्या को इस तरह बढ़ने दिया गया तो जिन परियोजनाओं के बारे में हमने सोचा था यो सोच रहे हैं वे बेकार हो जायेगी। हम लोगों को सही परिणाम नहीं दे सकेंगे। मेरा सभी दृष्टि से यह निवेदन है कि यह बजट उत्साहहीन बजट है और जैसा कि हमारे मित्र ने अभी-अभी कहा कि इस बजट में कोई विशेष बात नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद महोदय।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी (आदिलाबाद): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट का आधार स्वदेशी की भावना है लेकिन स्वदेशी का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था को अलग-अलग रखना नहीं है। बहुत से अच्छे वक्ताओं ने मुझसे पहले कई बातें कही हैं। माननीय वित्त मंत्री वर्तमान आर्थिक विकास की सम्भावनाओं के बारे में महत्वाकांक्षी है क्योंकि उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद दर को 8 प्रतिशत दर्शाया है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो वर्ष 1998-99 के लिए अंकित सकल घरेलू उत्पाद 16,25,440 करोड़ रुपये तक बैठती है। यह पिछले वर्ष 1997-98 के दौरान 14,15,190 करोड़ थी। इस प्रकार वर्ष 1998-99 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद दर 15 प्रतिशत बैठती है।

फिर भी यदि सकल घरेलू उत्पाद में बताये गये स्तर पर वृद्धि नहीं होती तो राजस्व लक्ष्य स्वमेव कम हो जायेगा और इस बात को वित्त मंत्री भली भांति जानते हैं। राजस्व सचिव श्री एन.के. सिंह ने वर्ष 1997-98 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के बारे में कहा है कि 15,000 करोड़ तक आबंटन में कमी आयी क्योंकि उद्योग जितनी परिकल्पना की गई थी अर्थात् दस प्रतिशत की दर से विकास नहीं हुआ। 1998-99 के दौरान औद्योगिक विकास दर क्या होगी यह बात अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिक से अधिक राजस्व जुटाने का काम अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है।

वास्तव में, 1998-99 के दौरान उत्पाद शुल्क के 20 प्रतिशत तक बढ़ जाने अर्थात् 777 करोड़ रु. होने की संभावना है जबकि वर्ष 1997-98 में यह 5769 करोड़ रु. था। जहां तक सीमा शुल्क की बात है, आंकड़ों के अनुसार, सीमाशुल्क इकट्ठा करने की वृद्धि दर वर्ष 1997-98 के दौरान 41,000 करोड़ के मुकाबले वर्ष 1998-99 में 48,148 करोड़ रुपये है यानि लगभग 18 प्रतिशत है। इससे यह बात सामने आती है कि माननीय वित्त मंत्री राजस्व इकट्ठा करने को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है।

जहां तक प्रत्यक्ष करों की बात है, माननीय वित्त मंत्री जी ने 1997-98 के मुकाबले वर्ष 1998-99 के लिए कम लक्ष्य रखा है।

[डा. एस. वेणुगोपालाचारी]

निगमित कर और आयकर क्षेत्रों से 3,000 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है जो वर्ष 1997-98 में हुई आय की तुलना में कम है। 1997-98 के दौरान निगमित कर 71,368 करोड़ रुपये था और 1998-99 के लिए यह 26,550 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। फिर भी, 1998-99 वर्ष के लिए आयकर की वसूली पिछले वर्ष के 28,750 रु. की संशोधित अनुमानित तुलना में 27,930 करोड़ होने की संभावना है।

जहाँ तक व्यय की बात है, माननीय वित्त मंत्री जी ने पूंजी व्यय तथा राजस्व व्यय में संतुलन को ठीक करने का अपना वायदा पूरा नहीं किया है। 1998-99 के दौरान पूंजी व्यय आठ प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है जिसका अर्थ यह हुआ कि वास्तव में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पूंजी निवेश 1997-98 में 53,045 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 वर्ष में 51,865 करोड़ हो गया है। लेकिन राजस्व व्यय वर्ष 1997-98 के दौरान 1,82,200 करोड़ रुपये से बढकर वर्ष 1998-99 में 2,10,062 करोड़ रुपये हो गया है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पूंजी व्यय की तुलना में राजस्व बढ़ा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी की कृषि के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने के लिए प्रशंसा करता हूँ। भारत में जनसंख्या का 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसके बावजूद भी कृषि के लिए दी जाने वाली धनराशि कम है। जब तक सरकारी निवेश नहीं बढ़ता तब तक निजी निवेश अधिक नहीं बढ़ेगा।

जहां तक व्यापक फसल बीमा योजना की बात है, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी तथा उनकी सरकार की क्रेडिट कार्ड देने के लिए प्रशंसा करता हूं। प्रायोगिक फसल बीमा योजनाओं से किसानों को लाभ नहीं पहुँच रहा है क्योंकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। विशेषकर आंध्र प्रदेश में, लगातार पिछले 5-6 वर्षों से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण उन्हें बहुत अधिक हानि हुई। हाल ही में, राजस्थान और गुजरात में भी, किसानों को चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि हुई है।

फसल बीमा योजना में संशोधन करने की तत्काल जरूरत है ताकि उन किसानों को भी इसके अंतर्गत लाया जाए जिन्होंने ऋण नहीं लिया है। मेरा माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन है कि वे गाँव को एक इकाई मानें क्योंकि किसानों की आर्थिक दशा ठीक नहीं है। प्रीमीयम के एक अंश को राजसहायता प्रदान करने की जरूरत है।

कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन किया जाना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार 292 स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्र अभी खोले जाने हैं। विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में सात और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने हैं जिसके लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भूमि प्रदान कर दी है तथा आधी धनराशि देने को तैयार हैं।

कृषकों को विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर जहाँ कि प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम समर्थन मूल्य मिल रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया था कि भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य अभिकरण द्वारा खरीदे गए धान और चावल पर 60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाए जैसा कि उत्तरी राज्यों में गेहूँ पर दिया जाता है।

महोदय, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक कृषकों को सही तरीके से ऋण उपलब्ध नहीं करवा रही है। महोदय जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि का हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत हिस्सा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के नियमों में ढील दी जाए ताकि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों व अन्य अभिकरणों जो कि राज्य में कार्यरत हैं द्वारा और अधिक ऋण उपलब्ध करवाया जा सके।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को मूलभूत ढांचे, विशेषकर विद्युत उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं। विद्युत के लिए योजना व्यय 6,738 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह सही दिशा में है। पूर्व वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने भी मूलभूत ढांचे के विकास के लिए अधिक धनराशि प्रदान की थी।

इस प्रकार, इस सरकार ने भी विद्युत क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई है। किन्तु कुल बजट का यह कितना हिस्सा है? इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जवाब देते समय वे इस बात को स्पष्ट करें।

गैर-परम्परागत ऊर्जा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि पूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार ऊर्जा क्षेत्र में विशेषकर सौर ऊर्जा में सुधार लाने को वचनबद्ध थी, इस बजट में सौर ऊर्जा का कोई उल्लेख नहीं है। पन विद्युत परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। हाल ही में सरकार ने बायोगैस संयंत्रों को दी जाने वाली राजसहायता को हटा लिया है। आपको इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण भारत में चिमनी चुल्हे लोकप्रिय हैं। इसके लिए यद्यपि बजट सहायता में वृद्धि की गई है तथापि सरकार ने राजसहायता को वापस ले लिया है। इसके साथ सभी स्थानीय इकाईयाँ जो कि उद्योगों पर आश्रित थीं, को परेशानी हो रही है। इसलिए मेरा, माननीय वित्त

मंत्री जी से अनुरोध है कि वह यह देखें की राजसहायता में वृद्धि हो। यदि आप राजसहायता हटा लेंगे तो लगभग सभी स्थानीय इकाईयाँ बन्द हो जायेंगी।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विद्युत क्षेत्र को 2003 तक कर-मुक्त कर दिया गया है। निगरानी अधिकारी की नियुक्ति से समस्या का समाधान होगा क्योंकि विद्युत मंत्रालय में पहले से ही निवेशक संवर्धन प्रकोष्ठ है। उसके माध्यम से अनेक परियोजनाओं का निर्धारण हुआ है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसकी पुनरीक्षा करें।

यह बजट इस बात पर पूर्णतया चुप्पी साधे हुए है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रतिबन्धों का कम असर होगा तथा भारत सरकार अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों का सामना किस प्रकार करेगी। बजट में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार इस समस्या को किस प्रकार सुलझायेगी। सरकार उधार पर भरोसा करने जा रही है। खर्चा बढ़ता जा रहा है लेकिन इस खर्चे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन कैसे तथा कहां से जुटाया जायेगा। भारतीय उद्योगों को किस प्रकार अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। इस बात का भी जिक्र नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में आयात शुल्क एकत्रीकरण दर, वर्ष 1996-97 के लिए 31 प्रतिशत दर्शायी गई है। घरेलू बाजार इस उत्पादन स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता।

वित्त मंत्री जी को आर्थिक प्रतिबन्धों तथा सुरक्षा के मद्देनजर अनावश्यक राजसहायता में कटौती करनी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में, अनेक परियोजनाएं लम्बित पड़ी है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि सिंगरेनी कोयला खान द्वारा 663 करोड़ रुपये के ब्याज के भुगतान को माफ कर दिया जाए। राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों की इस कोयला खान में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इस उद्योग पर लाखों लोग आश्रित हैं। यह सौ साल पुरानी परियोजना है। इसे ब्याज स्वरूप 663 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस मामले पर विचार करे और सिंगरेनी कोयला खान के ब्याज को माफ करे क्योंकि यह पहले से ही घाटे में चल रही है। यदि आप वर्ष 1997-98 के कोयला उत्पादन के रिकार्ड पर नजर डालें तो यह 28.9 मिलियन टन है। इसके बावजूद भी यह घाटे में चल रही है। अत: मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि 663 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ कर दिया जाए।

फिर भी, मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि इस वित्तीय अनुशासनहीनता में भी उन्होंने कर-विवरणी के सरलीकरण का साहस किया है। आयकर विवरणी के सरलीकरण के लिए उन्होंने एक पृष्ठ की सरल और समाधान जैसी आयकर विवरणी आरम्भ की है जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के लिए लागू होगी। इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री भजनलाल को बुलाऊंगा। वह मात्र 5 मिनट का समय लेंगे। उन्हें कोई आवश्यक कार्य है।

[हिन्दी]

श्री भजनलाल (करनाल): आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसकी कुछ खामियों, कमियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। यह बजट किसान, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ है। इस देश की गाड़ी के दो चक्के हैं प्रथम-किसान, मजदूर जो गांव में निवास करता है या कारखानों में काम करता है और दूसरा उद्योग। किसान और उद्योग इस देश की गाड़ी के दो चक्के हैं। इस बजट में न तो कृषि के बारे में कोई प्रोत्साहन देने की बात की गई है, न ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान की कोई बात की गई है और न उद्योगों के बारे में कुछ किया गया है। दो साल में देश के उद्योग की हालत खराब हो गई है। किस तरह इस देश में उद्योग पनप सकते हैं, जब उद्योग देश में डूब रहे हैं, उनकी बुरी हालत हो गई है। उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है।

इन्होंने यूरिया खाद के दाम अपने बजट में बढ़ा दिये हैं। मैंने भी किसान के घर में जन्म लिया है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि खाद के भाव एक रुपया प्रति किलो के हिसाब से बढ़ाये हैं। सिन्हा साहब, खाद किलो में नहीं बिकती, यूरिया खाद का पचास किलो का एक कट्टा होता है। एक कट्टे पर आपने एक रुपया प्रति किलो के हिसाब से दाम बढ़ा दिया। आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, ताकि लोग कहें कि एक रुपया किलो तो कोई खास बात नहीं है जबकि आपने एक कटटे पर पचास रुपये बढ़ा दिये। यूरिया खाद किलों के हिसाब से नहीं बिकती, कट्टे के हिसाब से बिकती है। मैं इस बात को समझ नहीं सका। आप भी पुराने सीजंड आदमी हैं, सब जानते हैं यूरिया खाद में किलो के तो कोई मायने ही नहीं है। यह बात मुनासिब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इससे मुद्रास्फीति हर हालत में बढ़ जायेगी। आपने परमाणु परीक्षण किया, अच्छी बात है, देश का गौरव बढ़ा। लेकिन यह सारी योजना, सारा प्रोग्राम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू किया था। जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी यह उसी वक्त शुरू हुआ था।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): क्या पंडित जी की नीतियों को बिल्कुल उलट दिया गया, नरसिंहराव जी के जमाने में आप लोगों ने उन नीतियों को दफना दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री भजनलाल : मैं जो कहता हूं वह आप सुनिये। ...*(व्यवधान)* आपने क्या तीन महीने में परमाणु बम बना लिया? यह कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ है। हमने इसीलिए नहीं किया कि अगर परमाणु शक्ति का परीक्षण दुनिया को दिखा देंगे तो दुनिया वाले हमसे ज्यादा ताकतवर परमाणु बम बना लेंगे। इसीलिए हमने इसको सीक्रेट रखा। लेकिन अब क्या होगा, बहुत से देशों से जो सहायता मिलती थी वह सहायता मिलनी बंद हो जायेगी और इस देश की हालत बुरी हो जायेगी, जो आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो गई है। सिन्हा साहब आप आगे चलकर देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनोमी खतरे में पड़ जायेगी, जिस तरह से आपने यह किया है। आपने यूरिया खाद के रेट प्रति कट्टे पचास रुपये बढ़ा दिये हैं जिससे इस देश में अनाज का उत्पादन कम हो जायेगा, जो अच्छा नहीं होगा। छोटे और मझोले किसान इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। बोने से पहले अगर यूरिया नहीं डलती है तो उत्पादन नहीं हो सकता. इसलिए जरूरी है कि आपने जो एक रुपया बढ़ाया है इसे वापस ले लीजिए, नहीं तो यह ठीक नहीं होगा। इसके साथ-साथ ...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): पच्चीस रुपये पहले ही वापस ले चुके हैं।

श्री भजनलाल: आप जानते हैं कि एक रुपये का मतलब पचास रुपये कट्टा बढ़ा दिया गया है। ...*(व्यवधान)* पच्चीस रुपये भी ज्यादा है, वह भी ठीक नहीं है, बल्कि कम करना चाहिए। कृषि के बारे में किसानों को अच्छा भाव देने की बात आनी चाहिए। देश में किसानों की जो हालत हो गई है, उसे आप जानते हैं। आज देश में कितने लोग जलकर मरते हैं, कितने लोगों ने खुदकुशी की है। पंजाब और हरियाणा के किसानों की भी यही हालत होने वाली है। आज नरमें की आड़, जीरी का झाड़ आधे हो गये हैं। आप पता कर लें पंजाब और हरियाणा दो प्रदेशों में ऐसा हुआ है। मैं हरियाणा से खास ताल्लुक रखता हूं वहां जीरी और कपास का उत्पादन आधा हो गया है। ऐसी बीमारी इस देश के अंदर आ गई है जो जा नहीं सकती है। जब से कांग्रेस का राज गया है तब से इस बीमारी का राज आ गया है।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): आप जाते हुए छोड़ गये हैं।

श्री भजनलाल: हम ठीक करके गये थे, आप लोग ले आये ...*(व्यवधान)* इसलिए मेहरबानी करके आप इस ओर देखिए ...*(व्यवधान)* मैंने अभी राजनीति की बात नहीं की है, अभी आगे चलकर उसकी भी बात करूंगा, तब आप जवाब देना, मैं भी जवाब दूंगा। मैंने बजट की बात कही है और मुनासिब बात कही है।

अपराह्न 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योगों का सवाल है, मैंने एक सवाल पूछा जिसका उत्तर मुझे राज्य सभा में दिया गया, दो साल में 600 बड़े उद्योग बंद हो गए हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं क्योंकि आपकी पालिसी यह है कि बाहर की कंपनियों को इस देश में बुलाया जाए और घर वालों को यानी जो यहां के उद्योग हैं उनको बंद किया जाए जिससे विदेशी यहां आएं और यहां से धन कमाकर विदेशों को ले जाएं। यह बात ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि चाहे यू.एस.ए. और चाहे यू.के. हो, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटैक्ट करते हैं और एंटी डांपंग ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन आपने अपने बजट में ऐसी कोई बात नहीं कही है। आपने इशारा किया है, लेकिन आपने यह नहीं कहा है कि हम एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक देश के उद्योग प्रभावित होंगे। आई.डी.बी.आई. और बैंकों से उद्योगों ने लोन लिए हुए हैं, लेकिन वे वापस नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण आप कहीं 50 प्रतिशत और कहीं 60 प्रतिशत में सौदा कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप जिस स्वदेशी की बात करते थे, जो स्वदेशी का नारा देते थे, वह अब कहां गया? क्या आपका अब विदेशी नारा हो गया। आप अपने उसी स्वदेशी के नारे को लगाइए और स्वदेशी कंपनियों को जो हानि हो रही है, वे बंद हो रही हैं, उससे उन्हें रोकिए और उन्हें बंद नहीं होने दीजिए। हमारे देश में जो कृषक, ग्रामीण लोग हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी हालत में सुधार लाना चाहिए और वह तभी आएगा जब देश के उद्योग और कृषि ठीक होगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सिंचाई, पीने का पानी और कैनाल, लेकिन आपने एस.वाई.एल. कैनाल के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। यह कैनाल पंजाब और हरियाणा की जीवन रेखा है। इसे आप कब बनाएंगे, कितना पैसा रखेंगे। कैनाल जैसा मसला, जिसके लिए बजट में पैसा न रखा जाए, यह बात ठीक नहीं है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज इन्फ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बिजली, पानी, पीने का पानी और सड़कें आती हैं। अगर ये सब चीजें ठीक नहीं होंगी, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश का इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके लिए भी आपने इस बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया है। देश के अंदर जो नेशनल हाइवे हैं उनकी क्या हालत है, यह बात आपसे छिपी नहीं है। राष्ट्रीय हाइवे नं. 1 जो पाकिस्तान के बार्डर तक जाता है। इसको चार लेन का बनाना बहुत जरूरी था, लेकिन आपने उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया है। इसी प्रकार से नैशनल हाइवे नं. 10 है जो हिसार और सिरसा से होता हुआ पाकिस्तान के बार्डर तक जाता है, उसको चार लेन का बनाने के लिए आपने कोई प्रावधान नहीं

किया है। इसी तरह से बहुत सी डिफेंस रोड ऐसी हैं जिनकी बहुत खराब हालत है। हिसार में जहां मैं रहता हूं वहां भी एक डिफेंस रोड है। अगर आपको उस पर पांच किलोमीटर भी जाना पड़े तो आधा घंटा लग जाता है। मैं समझता हूं कि डिफेंस रोड की ऐसी बुरी हालत आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको ठीक करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। आपने हरियाणा के बारे में ज्यादती की है। रेलवे के मामले में आपने हरियाणा में एक भी नई रेल गाड़ी चलाने या नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रावधान बजट में नहीं रखा गया है। बहुत रेल लाइनों का सर्वे हो चुका है। लेकिन उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मिसाल के तौर पर मेवात का इलाका है। वहां बहुत गुरबत है। वहां कोई रेल लाइन नहीं है। फिरोजपुर जिले में फिरोजपुर मिरका से लेकर गुड़गांव जिले तक, आगे तक, पलवल तक कोई रेल नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दो साल में जितने रेलवे में विस्फोट और एक्सीडेंट हुए हैं, आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें, इतने विस्फोट और एक्सीडेंट पिछले 20 वर्ष में भी नहीं हुए। इनमें कितनी महत्वपूर्ण जानें गई हैं उस ओर ध्यान दिया जाए। सिन्हा साहब हरियाणा में रेलवे के लिए खास पैसा रखिए। बजट में प्रावधान करिए। हरवाड़ तक रेल जानी चाहिए, उसका सर्वे हो चुका है, लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आदमपुर से फतेहाबाद और दुहाड़ा होते हुए जाखड़ तक रेल जाने की बात है। सर्वे हो चुका है। पैसा नहीं रखा गया है। हम आपकी ज्यादा बुराई नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि यह सरकार चले। आपको काम करने का मौका मिलना चाहिए। आपने लोगों से जो वायदे किए हैं उनको पूरा भी करना चाहिए। देश के किसान, मजदूर और उद्योगों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि देश का जो उद्योग मर रहा है वह वापस ठीक हो सके और देश के किसानों का हाल ठीक हो सके। इतनी ही बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा): अध्यक्ष महोदय, बजट संबंधी इस सामान्य चर्चा में बोलते हुए, मुझे इस बात का पता है कि मैं पूर्ववर्ती वित्त मंत्री हूँ और उनके द्वारा दिये गये भाषण के भाग 'क' के पैरा छह में मुझे ही निशाना बनाया गया है। लेकिन मैं इस सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चर्चा में सहायक रहना चाहते हैं। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि यह देश गरीब न रहे। पिछले 50 वर्षों में, हमने कई अवसर खो दिये हैं। लेकिन यह समय दोषारोपण का नहीं है। कोई भी राष्ट्र पहले से ही गरीब नहीं होता और आज के इतिहास में वर्तमान में किसी भी राष्ट्र को गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है। तीन सौ वर्ष पहले अमेरिका भारत से ज्यादा गरीब था। चार सौ वर्ष पहले, यूरोप गरीब था। 40 वर्ष पहले बहुत से ऐसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश थे जो आज किसी मुसीबत की घड़ी से गुजर रहे हैं लेकिन वे भारत से गरीब नहीं है, वे सब उस समय भारत से अधिक गरीब थे। भारत से भी छोटे देशों और भारत से भी अधिक गरीब राष्ट्र अब भारत से भी अमीर हो गए हैं।

बीजेपी के ही किसी सदस्य ने सही ही कहा है कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे पास गरीबी से लड़ने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है और न ही संसार के राष्ट्रों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए साहस की कमी है। मैं समझता हूं कि हमारे अंदर उन शक्तियों को पहचाने की कमी है जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है और जो विश्व में हो रहे परिवर्तन के साथ बदल सकती है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं समर्थन करना चाहता हूं और प्रतिपक्ष भी समर्थन ही करना चाहता है। हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री भी इसी प्रकार हमारी सहायता करेंगे ताकि हम उनके द्वारा भाषण के भाग 'क' के आरम्भ के पैरा में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को पाने में उनकी मदद कर सके।

महोदय, बजट प्रस्तुत करने के समय से अब तक लिखा और बोला जा चुका है। मुझे अफसोस है कि मैं भी लिखित शब्दों और मौखिक शब्दों का ही योगदान दे पाया हूं। ऐसी आम धारणा है कि प्रेस वित्त मंत्री के प्रति बहुत ही कठोर साबित हुई है। लेकिन मैं उन्हें संयम रखने की सलाह देता हूं। अभी आलोचना का सामना करना और बाद में प्रशंसा लेना अभी अधिक प्रशंसा लेने और बाद में आलोचना का सामना करने से कहीं बेहतर है। लेकिन यह आलोचना गलत नहीं है।

अगर समय रहा या वित्त विधेयक की चर्चा के समय मुझे कई मुद्दों पर चर्चा करनी है, फिर भी आज मैं इस बजट के पीछे दर्शन तथा उन बातों पर ध्यान देना चाहूंगा कि क्या वित्त मंत्री उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे जो उन्हें इसके लिए निर्धारित किये हैं। पहले मैं बजट के पक्षों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनका मैं स्वागत करता हूं और जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। मैंने यही बात प्रेस के माध्यम से भी कही है। मैं उनके द्वारा आपस के संबंध में लिये गये कदम का स्वागत करता हूँ। मैं सार्वजनिक क्षेत्र सुधारों के संबंध में दिये गये सटीक वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मैं डा. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किये गये ग्रामीण आधारभूत ढांचे संबंधी विकास कोष को जारी रहने के लिए बधाई देता हूं। मैं स्वयं तथा हमारी सरकार के द्वारा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती आवासीय योजना, कस्तुरबा गांधी शिक्षा योजना, बुनियादी न्यूनतम सेवा, प्रयोगात्मक फसल बीमा योजना तथा त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम जैसे उठाये गये कदमों का स्वागत करता हूं। मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रत्यक्ष करों की दर को जारी रखने

[श्री पी. चिदम्बरम]

का स्वागत करता हूं। मैं उत्पाद शुल्क में एम.आर.पी के विस्तार का स्वागत करता हूं। मैं सेवा कर के कार्यक्रम के विस्तार का भी स्वागत करता हूँ।

एक अर्थ में शायद मैंने उनके बजट भाषण में दिये गये पैरों के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान ही दिया है। ये सब स्पष्ट रूप से एक बात के साक्ष्य हैं कि सुधारों की आवश्यकता है। अब चाहे भविष्य में किसी भी सरकार का कोई भी वित्त मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री समेत, कुछ भी कर ले, वह इन सुधारों को ही जारी रखेगा। इसीलिए बहुत से लोगों का अभी भी ऐसा मानना है कि सुधारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये सुधार पूर्ण रूप से इस देश में जमे हुए हैं। इनकी देश-विदेश में अपना क्षेत्र है। इन सुधारों का बौधिक समर्थन प्राप्त है। मैं इसलिए सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि वे सुधारों में बदलाव करने की बात न कहे उस पुरातनकाल के बारे में न कहे जो अब है ही नहीं, भारत को उस ख्याली काल की ओर न धकेले जो अब इस देश में है ही नहीं और न अगली शताब्दी में होगा। ये सभी बातें वैसी की वैसी ही है। यही वह दिशा है जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने स्वदेशी की औपचारिक बात कहकर उन सभी सुधारों को जारी रखा है जिन्हें हमने 1991 में शुरू किया था। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं।

मैं उन्हें पनधारा विकास कार्यक्रम और आवंटन को 517 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 677 करोड़ रुपए करने के लिए बधाई देता हूं। मैं उन्हें शिक्षा के लिए आवंटन को 4.716 करोड़ से बढ़ाकर 7,047 करोड़ रुपये करने के लिए भी बधाई देता हूँ।

मैंने ये सब बातें इसलिए कहीं है ताकि माननीय वित्त मंत्री आगे मेरी आलोचना को भी सुन सकें। मैं मात्र आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं उनकी आलोचना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बजट गलत दिशा में चला गया है। मेरा मानना है कि बजट एक गलत विचारधारा पर आधारित है और जितना ही उचित ढंग से कहे लेकिन वे अपने ही निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे विशेष रूप से मूल्य स्थिरता, घरेलू बचत को बढ़ाना, वृहत आर्थिक स्थिरता और प्रगति की रफ्तार को तीव्र करने के लक्ष्य। मैं अपनी बात को संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास करूंगा।

इससे पूर्व, मुझे याद आ रहा है कि वित्त मंत्री महोदय ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के बोर्ड की बैठक में भाग लेने के तुरन्त बाद रायटर से इस बारे में कहा था। इस बैठक में उन्हें पारम्परिक रूप से आमंत्रित किया जाता है।

मैं उसका भी स्मरण करना चाहूंगा जो उन्होंने अपनी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में वाशिंगटन में कहीं थी। मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री उसी में विश्वास करते हैं न कि उसमें जो पैराग्राफ 6 में कहा गया है। पैराग्राफ 6 में अर्थव्यवस्था का काफी धूमिल तस्वीर पेश की गई है जो पहली बार लगातार तीन वर्षों तक मुद्रास्फीति मात्र एक अंक तक ही रही और मार्च, 1998 के महीने में यह पाँच प्रतिशत से कम थी। विदेशी मुद्रा भण्डार में भी रिकार्ड 27 बिलियन डालर का भण्डार था। संयुक्त मोर्चा भी सरकार के पहले वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन अब यह गिरकर पाँच प्रतिशत तक आ गई है। लेकिन इसमें वृद्धि तभी होगी जब औद्योगिक प्रगति दर में वृद्धि हो। पैराग्राफ 6 में 4.2 की औद्योगिक प्रगति पर का उल्लेख किया गया है। लेकिन परसों ही सरकार ने बताया कि औद्योगिक विकास दर 6.6 प्रतिशत है। अत: सकल घरेलू विकास पर 6 प्रतिशत रहेगी ताकि पाँच प्रतिशत। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के दो वर्षों में हमने औसत विकास दर 6.75 प्रतिशत बनाए रखी। यदि आप संयुक्त मोर्चा सरकार और कांग्रेस सरकार के अंतिम दो वर्षों को देखें तो अंतिम चार वर्षों की औसत विकास दर 7 प्रतिशत के लगभग बैठती है। अत: वित्त मंत्री को 7 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने रायटर को क्या बताया और उन्होंने वाशिंगटन संवाददाताओं को क्या बताया। उन्होंने जो कहा उसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "इस देश का वृहत आर्थिक आधार काफी मजबूत हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण में हैं। गत वर्ष हमारे औद्योगिक विकास दर में कमी आई थी लेकिन बाकी संकेतक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते हैं।"

यदि किसी और सबूत की आवश्यकता है तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से "भारत का विदेशी ऋण स्थिति प्रतिवेदन" जिसे श्री सिन्हा के दायित्व संभालने के बाद मई 1998 में प्रकाशित किया गया था, को पढ़ने का अनुरोध करूंगा। इसमें क्या दर्शाया गया है? कुल ऋण 92.8 बिलियन अमरीकी डालर है। लघु अवधि का ऋण जो सभी देशों से कम है, 6.3 प्रतिशत है। ऋण अदायगी अनुपात गिरकर 22.6 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर आ गया है। यह संकट के वर्ष में 35.3 प्रतिशत था। ऋण-सकल घरेलू उत्पादन अनुपात भी 25.9 के रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर है। जब डा. मनमोहन सिंह ने दायित्व सम्भाला था यह 41 प्रतिशत था। वर्तमान प्राप्तियों कि अनुपात में ब्याज 8.1 प्रतिशत भी जो कांग्रेस सरकार के और सुधारों की शुरूआत करने के समय संकट के वर्ष में 75.1 प्रतिशत थी। अत: हमें भारत की अर्थव्यवस्था की धूमिल तस्वीर पेश नहीं की जानी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था के मूल आधार मजबूत हैं। लेकिन अनेक गम्भीर संरचनात्मक दोष है और गम्भीर संरचनात्मक कमजोरियां बनी हुई

हैं। कुछ क्षेत्र है जो कमजोर हैं–उदाहरणार्थ, निर्यात का क्षेत्र। दूसरा कमजोर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। यह मन्दी नहीं है। मन्दी तब होती है जब लगातार दो तिमाहियों में नकारात्मक विकास हो। कोई नहीं कह सकता है कि 6 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पादन दर के होते हुए मन्दी है। कोई नहीं कह सकता कि 6.6 प्रतिशत की औद्योगिक दर के बावजूद मंदी है। यह विकास दर अपर्याप्त है निर्यातों में गिरावट है और गम्भीर संरचनात्मक दोष है। प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री इन मुद्दों को किस प्रकार सम्भालेंगे?

महोदय, वे मानते हैं कि यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो वे मेरी बात को ठीक कर सकते हैं कि व्यय के जरिए विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। डा. मनमोहन सिंह जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मेरा विश्वास है कि निवेश न कि व्यय विकास की रफ्तार तेज करने में सबसे ज्यादा सहायक है। यह विचार धारा के स्तर पर सभा विभाजित है। यह सभा अन्य मुद्दों पर भी एकमत नहीं है। गत दो सप्ताहों में टिप्पणीकर्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस सरकार और संयुक्त मोर्चा सरकार का विश्वास है कि विकास के लिए निवेश जरूरी है जबकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि विकास की दर को तेज करने के लिए व्यय आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस बात पर गम्भीरता से गौर करें कि क्या वह ठीक हैं और यदि वह सही हैं तो हमें भी समझाएं कि वे कैसे सही हैं और हमें विश्वास दिलाएं कि जो कुछ हमने गत सात वर्षों में किया वह गलत था और जो वे करने जा रहे हैं वह ठीक है।

बजट के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बजट के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना परिव्यय है। स्वाभाविक रूप से उन्हें गर्व है। मुझे स्मरण आता है कि श्री सी. सुब्रामणियम तमिलनाडु के वित्त मंत्री के रूप में गर्व से खड़े हुए और कहा कि "तमिलनाडु का मैं वित्त मंत्री हूँ जिसने 100 करोड़ का बजट पेश किया है। श्री सिन्हा देश के पहले वित्त मंत्री है। जिन्होंने 1,05,187 करोड़ के केन्द्रीय योजना परिव्यय प्रस्तुत किया है। उन्होंने 100,000 करोड़ रु. के अंक को पार किया है। यह सचिन तेन्दुलकर की तरह शतक बनाने के समान है।

लेकिन हमें इस आंकड़े की सूक्ष्म प्रकार से जांच करनी चाहिए। 1,05,187 करोड़ केन्द्रीय योजना परिव्यय है। लेकिन वे इसका वित्त पोषण किस प्रकार करेंगे? 42,464 करोड़ का बजटीय सपोर्ट है और 62,723 करोड़ का आन्तरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन है। अब कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय के अनुपात में बजटीय समिति 40.37 प्रतिशत है। गत वर्ष यह 41.5 प्रतिशत है।

अतएव, बजट का कुल परिव्यय में बहुत थोड़ा प्रतिशत योगदान है। कुछ विचित्र नहीं है। नौवीं योजना का दस्तावेज भी 40 प्रतिशत बजटीय सपोर्ट का उल्लेख करता है। इस 40 प्रतिशत के आंकड़े से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि तथाकथित 1,05,187 करोड़ रुपये का यह व्यय बजट से नहीं मिल रहा है। 42,464 करोड़ रुपये ही वास्तविक धनराशि होगी। शेष 62,723 करोड़ रुपये भी वास्तविक धनराशि होगी, बशर्ते कि मंत्रालय और विभाग काम करें। अन्यथा वर्ष के अंत तक इस पर भी एक बड़ा प्रश्न लग जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा? महोदय, आप पिछले वर्ष उससे पिछले वर्ष, कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान, उससे तीन वर्ष पूर्व और उससे पहले के पांच वर्ष लीजिए। परन्तु मुझे अभी गत वर्ष के बारे में बोलना है। पिछले वर्ष हमने 55,709 करोड़ रुपये के आई.ई.बी.आर. के साथ शुरूआत की थी। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग केवल 47,404 करोड़ रुपये की आई.ई.बी.आर. प्राप्त कर सके अर्थात् सीधे 8,300 करोड़ रुपये की कमी आई। वे इस धनराशि में वृद्धि नहीं कर पाये। यदि वे इस धनराशि को बढ़ाते नहीं तो वे धनराशि को खर्च नहीं कर सकते। इसे ही योजना में कमी करना कहा जाता है। योजना में कमी क्या है? योजना में कमी इसलिए नहीं जाती कि वित्त मंत्री पैसा नहीं देते। वह अपना हिस्सा देंगे, परन्तु वह केवल 40 प्रतिशत है। शेष धनराशि मंत्रालयों और विभागों को जुटानी होगी।

अब, मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभा को आश्वस्त करें कि वह इस बात की आशा कैसे करते हैं कि भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इस वित्त वर्ष की शेष हुई अवधि में पिछले वर्ष जितना अर्थात् 47,400 करोड़ रुपये से 62,723 करोड़ रुपये तक की उगाही करेंगे? वह एक वर्ष में 33 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कैसे करते हैं। जब तक यह बजट पारित होगा, वित्त विधेयक पारित होगा और आवंटन किये जायेंगे, तब तक अगस्त का महीना आ जायेगा वह इसकी उम्मीद कैसे करते हैं कि मंत्रालय और विभाग इस 62,723 करोड़ रुपये की इतनी अधिक धनराशि को उगाहेंगे।

इसका उत्तर उन सभी को जो सरकार में चाहे कुछ ही देर के लिए क्यों न रहे हों, पता है, यह संभव नहीं है। हमारा वह 1,05,187 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय नहीं जुटा पाएंगे। यह योजना परिव्यय बहुत कम हो जायेगा और चूंकि योजना-परिव्यय कम हो जाएगा इसलिए वे यह धनराशि व्यय करके विकास में तेजी नहीं ला पाएंगे। असल बात यही है। डा. मनमोहन सिंह कहा करते थे कि आप संपन्नता लाने के लिए अपनी मनमर्जी से खर्च नहीं कर सकते। अच्छे विकास के लिए आप अपने तरीके से खर्च नहीं कर सकते। वास्तव में, पैसा खर्च करने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इससे विकास नहीं होगा। मैं एक मिनट बाद मुद्रास्फीति तक बोलूँगा। इसका विकल्प निवेश को बढ़ाना है। गत वर्ष मैंने क्या भूल की? गत वर्ष मैंने भी यह भूल की कि मैं राजनीतिक स्थिरता का आश्वासन नहीं दे सका। निवेश आत्मविश्वास, स्थिरता के कारण होता है। मैं

[श्री पी. चिदम्बरम]

स्थिरता नहीं ला पाया। बजट प्रस्तुत करने के तीस दिन बाद सरकार गिर गई। सात महीने बाद वह सरकार भी गिर गई। श्री यशवन्त सिन्हा कई दलों के गठबन्धन की सरकार में वित्त मंत्री हैं जिनके बारे में वे कहते हैं, ''हमारी सरकार एक समर्थ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली स्थिर सरकार है।'' मैं उन वक्तव्यों से सहमत हूँ। मैं उनकी आलोचना क्यों करूँ? मैं यह मानता हूँ कि गत वर्ष मैं जिस सरकार में था उसके मुकाबले आपकी सरकार कहीं अधिक स्थिर है। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके योग्य प्रधान मंत्री हैं। लेकिन जहां आपके पास योग्य प्रधान मंत्री और स्थिर सरकार है, वहीं आपको राज्य में नहीं अपितु निवेश में विश्वास रखना चाहिए। आपने निवेश के बारे में क्या किया है? आपने घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को बढ़ाने के लिए क्या किया है? बजट की आलोचना मेरी यह है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे विदेशी निवेशक में पुन: विश्वास नहीं लौटा है। जैसाकि मेरे मित्र श्री मुरासोली मारन ने कहा है कि पिछले 15 दिनों में हमने जो देखा है वह यह है कि विदेशी निवेशकों को नकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। फिर भी आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपको विदेशी निवेश की आवश्यकता नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि मुझे विदेशी संस्थागत निवेश की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जरूरत नहीं है। मुझे विदेशी-अनुदानों, विदेशी सहायता, बहुपक्षीय सहायता और रियायती-सहायता नहीं चाहिए। आप यह सब कह सकते हैं। परन्तु आप वह नहीं कह सकते। आप यह इसलिए नहीं कह सकते चूंकि एक बार आपने कहा तो आपका निवेश काफी कम हो जाएगा। आपने विदेशी निवेशकों का भरोसा पुन: लौटाने के लिए कुछ नहीं कहा है। विदेशी निवेशकों में विश्वास जगाने के लिए कुछ नहीं किया है। यदि श्री यशवन्त सिन्हा अभी भी इस पर विचार करें कि वह, अभी और उत्तर देने के बीच के समय में क्या कर सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि उन्हें अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों को भरोसा दिलाने का संकेत देना चाहिए। घरेलू निवेशकों के लिए आपने क्या किया है? घरेलू निवेशक क्या चाहता है। घरेलू निवेशक राजनीतिक स्थिरता चाहता है। चलो हम यह मान ले कि यहाँ राजनीतिक स्थिरता है। मैं यह मान लेता हूँ हालांकि अनेक बातों के लिए समय निर्धारित है। इस राजनीतिक स्थिरता के माहौल में आपको क्या करना चाहिए था? राजनीतिक स्थिरता के माहौल में आप ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर सकते थे जहाँ लोग इस उम्मीद में निवेश करते कि अतिरिक्त क्षमता, अतिरिक्त वस्तुएँ और सेवाएं उत्पन्न की जायेगी। जिनका लोग उपभोग करेंगे। उसके लिए मूल्य स्थिरता, कर-स्थिरता की आवश्यकता है, जिसके लिए उपभोक्ताओं के पास और अधिक पैसा हो। इस बजट में जो कुछ किया गया है, वह बिल्कुल इसके विपरीत है। क्योंकि समाचारपत्र हरेक पत्र पत्रिका, मैं उनमें से किसी का मालिक नहीं हूँ, और न ही मेरी सरकार में मेरे किसी विशेष मित्र के पास उनका स्वामित्व है, इस बजट को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला बता रहे हैं? श्री यशवन्त सिन्हा यह जानते हैं, वास्तव में उससे भी अधिक जानता हूं। वह प्रशासक और मंत्री, दोनों पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने क्या किया है? पहले उन्होंने सुरक्षा का दायरा बढ़ाया। ''इकॉनामिक सर्वे'' के अनुसार, उगाही-दर पहले ही उत्पादन शुल्क का 31 प्रतिशत है। यह सीधा सा गणित है। प्रत्येक व्यक्ति इसे समझ सकता है। मान लीजिए कि आयात 100 रुपये का किया गया और कर 20 रुपये तो इसमें सुरक्षा कितनी है? सिर्फ 20 रुपये की। इसी दौरान रुपये का मूल्यह्रास होता है और एक प्रतिशत मूल्य ह्रास होता है और यह 35.37 से 39.40 हो जाता है। तब से यह 6 या 7 प्रतिशत और घट गया है। यदि 100 रुपये के आयात का पहले ही मूल्यह्रास हो गया, जो 10 प्रतिशत है, तो यह मूल्य 110 प्रतिशत हो गया। उस पर यदि आप 20 प्रतिशत कर लगाओगे तो प्रभावी संरक्षण 20 रुपये की नहीं रह जाती। यह 10 प्रतिशत की प्रभावी सुरक्षा 20+10+20 प्रतिशत है। यह प्रभावी सुरक्षा पहले ही 32 रुपये हो चुकी है। उसमें श्री यशवन्त सिन्हा ने 8 प्रतिशत और जोड़ा है, जो वास्तव में 8 प्रतिशत नहीं है। आपको कोई भी इसकी गणना बता सकता है जो 14 प्रतिशत है क्योंकि यह सीमा शुल्क लगाने के बाद है। आपने केवल लिखकर सुरक्षा का सार 40 अथवा 45 प्रतिशत कर दिया है। क्या इतनी सुरक्षा से कोई उद्योग कार्यक्षम हो सकता है? क्या यह निर्यातकों पर कर लगाना नहीं है? यदि आप ऐसी लाभ कर घरेलू अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो निर्यात कौन करेगा। कोई भी निर्यात क्यों करेगा? प्रत्येक उत्पाद-शुल्क निर्यात पर कर है। अर्थव्यवस्था की यही सच्चाई है। प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है। आपने शुल्क की एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, जिसके पीछे उद्योग अकुशल ही रहेगा।

यदि निर्यातकों पर कर लगाया जाता है, तो निर्यात होगा ही नहीं। यह कराधान की क्रूरता को बढ़ायेगा। मैंने जानबूझकर 'क्रूरता' शब्द का प्रयोग किया है। हाल के वर्षों में ऐसा कोई बजट नहीं आया मैं भाजपा के सदस्यों से चाहता हूं कि वे इस बात को समझें। हाल के वर्षों में ऐसा कोई बजट नहीं आया जिसमें 9000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि कराधान से जुटाई गई है।

यह क्रूर कराधान है। हम पुराने क्रूर कराधान के पुराने दिनों की ओर वापिस जा रहे हैं। तीन हजार करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क, 3384 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क, 5009 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क, 220 करोड़ रुपये का सेवा-शुल्क, डाक दरों में 270 करोड़ रुपये की वृद्धि और रेल-यात्री भाड़े में 450 करोड़ रुपये की वृद्धि, ये सब क्रूर कराधान नहीं है तो क्या है। इससे उपभोक्ताओं के हाथों में बहुत कम धन रह जाएगा। इन सब चीजों से मुद्रा-स्फीति और बढ़ेगी। यह सब मुद्रास्फीतिकारक हैं। अर्थशास्त्री यही कहता है। इसमें राजनैतिक तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। अधिक कर, अधिक सीमा-शुल्क, अधिक उत्पाद-शुल्क, अधिक डाक-दरें

और अधिक रेल भाड़े, इन सब से मुद्रा-स्फीति और बढ़ेगी। हर पत्रिका में तथा हर लेखक ने यही कहा है कि मुद्रा-स्फीति दो अंकों तक पहुंचेगी।

'बिजनेस वर्ल्ड' ने एक सेमिनार का आयोजन किया था जिसमें इन्होंने भाग लिया था। सभी ने मुद्रा-स्फीति के बारे में अपना विशेष-विचार व्यक्त किये थे। वास्तव में, मुझे लगता है कि मैं सबसे अधिक रुढ़िवादी रहा हूँ। मैं तो आपके पक्ष में अधिक था। मैंने इस सेमिनार में भाग नहीं लिया। किन्तु, अपने विचार से मैंने कहा कि मुद्रास्फीति की दर आठ प्रतिशत तक जायेगी। प्रत्येक का विश्वास है कि मुद्रा-स्फीति आठ प्रतिशत से अधिक होगी। निसन्देह, यदि मुद्रास्फीति की दर दस प्रतिशत तक पहुंचती है, तो इससे उन प्रयासों को भारी क्षति पहुंचेगी, जो हम गत तीन वर्षों से इस देश में कर रहे हैं। हमने न केवल मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पा लिया था, अपितु हमने स्फीतिकारक आशंकाओं को भी समाप्त कर दिया था। इस देश में मुद्रास्फीति को मुद्रास्फीतिकारक आशंकाओं से बल मिलता है। डा. मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के पांचवें वर्ष में इन मुद्रास्फीतिकारक आशंकाओं को समाप्त करना शुरू किया। हमने इन प्रयासों को संयुक्त मोर्चा सरकार के समय भी जारी रखा। इस राष्ट्र में मुद्रास्फीतिकारक आशंकायें लगभग समाप्त हो गई थी। किन्तु दुर्भाग्य से इस बजट ने मुद्रास्फीतिकारक आशंकाओं को पुनर्जीवित कर दिया है। यदि मुद्रास्फीति दस प्रतिशत तक पहुंचती है, तो वित्त मंत्री जी आपको भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपके वे मित्र जो आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वे ही सबसे पहले आपकी आलोचना करेंगे।

आपके मित्र कह रहे थे कि यह विकासोन्मुख बजट है। मैं कहता हूं कि जिस विकास की बात ये कर रहे हैं वह पूर्णत भ्रामक है। दस प्रतिशत मुद्रास्फीति लाकर यदि छह या सात प्रतिशत विकास दर प्राप्त हुई तो उसका क्या फायदा? मेरे विचार से यह बजट एक ऐसा प्रलोभन है, जो प्रत्येक वित्त मंत्री के अधिकारियों द्वारा उसे दिया जाता है। आज आप थोड़ी सी विकास-दर बढ़ाने के लिए इतनी मुद्रा-स्फीति बढ़ा रहे हैं, क्यों? मुद्रास्फीति सरकार के लिए बहुत अच्छी है। मुद्रा-स्फीति से किस को लाभ पहुंचाता है? कृपया इस बिन्दु पर विचार करें। मुद्रास्फीति एक क्रूर कर है, मुद्रास्फीति एक कठोर कर है। यह अमीर और गरीब दोनों पर समानरूप से लादा जाता है। एक अमीर आदमी, जिसकी आमदनी दस लाख रुपये है और यदि मुद्रास्फीति दस प्रतिशत मानी जाए तो उस पर दस प्रतिशत कर लगता है। एक निर्धन व्यक्ति जिसकी स्थिर आय 1000 रुपये है और मुद्रास्फीति यदि दस प्रतिशत है तो उस पर भी दस प्रतिशत कर लगता है तो लाभ किसको होता है? मुद्रास्फीति से ऋण लेने वाले को लाभ होता है, क्योंकि उसका ऋण घट जाता है। इस देश में सबसे अधिक ऋण कौन लेता है? वह है केन्द्रीय सरकार। मुद्रास्फीति से कर समाहर्ता को लाभ होता है। राजस्व विभाग सदैव यह कह सकता है कि मैंने अपना राजस्व लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। क्योंकि मुद्रास्फीति से आप राजस्व लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा-स्फीति योजना बनाने वाले के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इससे उनके योजना लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मुद्रा-स्फीति आपको आपके योजना लक्ष्यों तक ले जायेगा। चूंकि सरकार तो योजना बनाने वाली सबसे बड़ी एजेन्सी है, चूंकि सरकार सबसे अधिक ऋण लेती है, चूंकि सरकार सबसे अधिक कर समाहर्ता है इसीलिए प्रत्येक वित्त मंत्री इस प्रलोभन में फंस जाता है और सोचता है "चलो मुद्रास्फीति को कुछ और अंक बढ़ने दो। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है।"

मित्र श्री यशवन्त सिन्हा से मेरा आग्रह है कि उनका पहला लक्ष्य मुद्रास्फीति होना चाहिए। आपने जो कहा यदि आप उसमें दृढ़ विश्वास रखते हैं, और मैं समझता हूं कि आपने जो कहा आप उसमें विश्वास रखते हैं तो समग्र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करें और मुद्रास्फीति पर काबू पाएं। आप इस सभा को आश्वासन दें कि जब आप जवाब देंगे तो यह कहेंगे कि आपका लक्ष्य मुद्रास्फीति होगा और आप मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखेंगे और आप इस प्रलोभन में नहीं आयेंगे, आप इस प्रलोभन में नहीं आयेंगे कि विकास दर में वृद्धि करने के लिए यदि थोड़ी सी मुद्रास्फीति बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं। इस राष्ट्र के लोगों के प्रति, विशेषतया जहाँ 40 प्रतिशत निर्धन लोग रहते हैं, प्रत्येक वित्त मंत्री, प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखकर मूल्यों में स्थिरता कायम करें।

अत: मैं सादर आपसे आग्रह करता हूं कि आप करों में कुछ कटौती करें। मैं आपको इसका एक रास्ता सुझाता हूं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने इस विशेष अतिरिक्त शुल्क अर्थात् एस.ए.डी. शुल्क हेतु कहा था। सी.आई.आई. अब अपनी बात से पीछे हट रही है। सी.आई.आई. ने आपसे इसे चार प्रतिशत करने के लिए एक वक्तव्य जारी किया था। वे जो आज आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और आज ऐसे वैकल्पिक प्रलोभन सुझाते हैं, सबसे पहले वे ही आपकी सरकार गिराएंगे।

जब सी.आई.आई. ने बड़े जोर-शोर से यह कहा था कि 'हमें कर देना ही चाहिए।' अब कल वे अपनी बात से मुकर गये क्योंकि हर किसी ने कहा है कि "हम यह कर वहन नहीं कर सकते।" जब 1996 में मैंने 2 प्रतिशत शुल्क लगाया था, तो लक्ष्य प्राप्ति की तिथि 31 मार्च 1999 निर्धारित की थी। जब मैंने नवम्बर 1997 में वेतन आयोग के बाद 3 प्रतिशत जोड़ा तो मैंने लक्षित तिथि मार्च 1999 की वही तारीख निर्धारित की थी। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप जवाब दें, तो आप कृपया खड़े हो जायें और कहें "31 मार्च 1999 तक यकीनन 2 प्रतिशत और तीन प्रतिशत

[श्री पी. चिदम्बरम]

शुल्क हो जाएगा।'' मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने जो आठ प्रतिशत शुल्क लगाया है उसे कम से कम चार प्रतिशत कर दें और यह भी घोषणा करें कि वह भी 31 मार्च 1999 तक चलेगा। यहां तक कि यदि आप इस वाद-विवाद के उत्तर देते समय यह भी वक्तव्य देते हैं कि लगाया गया शुल्क 31 मार्च 1999 को समाप्त हो जाएगा तो भी आप एक सशक्त संकेत देंगे कि उद्योग को बेहतर कार्य करना होगा, उसे प्रतियोगी बनना होगा और आप का लक्ष्य मुद्रास्फीति को कम करना है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा-मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं-कि इन उत्पाद शुल्कों में से कई को घटा दें। ये उत्पाद शुल्क उत्पादन में बाधक हैं। मेरा विश्वास है कि उत्पाद शुल्क के जरिए कमाए गए प्रत्येक एक रुपये के पीछे कम से कम एक रुपये के कर की चोरी की जाती है। अपने कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करे। गत वर्ष हमने उत्पाद-शुल्क अधिकारियों को धन दिया था। हमने सर्किल बनाये। हमने उनको अतिरिक्त धन दिया; हमने उनको कार्यालय, यातायात और लेखन सामग्री हेतु धन दिया। आप उसी प्रक्रिया का पालन करें और उन्हें कहें कि उन्हें निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना ही होगा। आपने क्या किया है? हमने पूरा अध्याय देखा और कहा कि पूरे अध्याय में एक दर होनी चाहिए।

जैसा मेरे मित्र श्री मारन ने बताया, आप शुल्क दरों को देख रहे हैं। कृपया ऐसा न करें। पूरे अध्याय को देखें। एक ही अध्याय के अंतर्गत विभिन्न दरें नहीं होनी चाहिए। आपने जो किया है उसे देखें, मारन ने उनमें से कुछेक को पढ़ा था। मैं कुछ और पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। जानवरों से खींचे जाने वाले वाहनों या हाथ से खींचे जाने वाले ठेलों आदि में प्रयोग में लाए जाने टायरों और ट्यूबों पर जब आप कर लगाते हैं तो क्या होता है? वे टायरों का प्रयोग नहीं करेंगे। वे अपने हाथ के ठेलों को तारकोल वाली सड़कों, पक्की सड़कों पर चलायेंगे और सड़कों को तोड़ देंगे। उन्हें टायरों का प्रयोग करना चाहिए और पुराने हाथ के ठेलों को न चलाएं। अब आप टायरों पर कर लगा रहे हैं। ठेला चलाने वाले टायरों का बहिष्कार करेंगे। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी की तरह ही चलेगी, भैंसागाड़ी, भैंसागाड़ी की तरह ही चलेगी और सड़क टूटेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): बैलगाड़ी में पुराने टायर लगते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : अब अगली मद को देखिए। जिन कपड़ा मिलों की यूनिटें विभिन्न स्थानों में स्थित हैं, उनके द्वारा आन्तरिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले सलेटी सूती कपड़े पर उत्पाद शुल्क शून्य से 5 प्रतिशत है। दूसरे सलेटी कपड़ों पर उत्पाद शुल्क शून्य से 12 प्रतिशत है। हमने इसमें कवायद कर बहुत विचार किया और कहा था, ''जो मिलें कई स्थानों पर हैं उन्हें शून्य शुल्क-दर पर अपने सामान को एक इकाई से दूसरी इकाई में ले जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपने यह पांच प्रतिशत और 12 प्रतिशत क्यों की है? दूध निकालने वाले मशीनों पर उत्पाद-शुल्क शून्य से आठ प्रतिशत है, डेयरी-उद्योग की मशीनों पर यह शून्य से आठ प्रतिशत है। सिलाई-मशीनों पर शून्य से आठ प्रतिशत है। महिला सदस्य इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? आप यह सब क्यों कर रहे हैं?

अब भारतीय ट्रेक्टरों पर आएं। मैं जनता हूं आपको यह सब करने के लिए किसने मनवाया। चेन्नई की एक सुन्दर युवती ही ए एफ ई की मालकिन है। वह आपके पास आई होगी और विनती की होगी कि, ''आप इसे आठ प्रतिशत कर दें, मैं कीमतें नहीं बढ़ाऊंगी'', उसने मुसे भी बहकाने का प्रयास किया था। मैंने कहा था, ''मुझे मालूम है, आप कीमतें बढ़ायेंगी।'' माननीय वित्त मंत्री मेरी यह बात पक्की है कि इन ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ेंगी। वे आपको कहेंगे कि मोडवेट अधिक हो गया है। हम इसे खपा लेंगे। वे आपको यह बात कहेंगे। लेकिन अब इसे बढ़ाया जायेगा। ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ाई जायेंगी।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण): वह सुन्दर स्त्री कौन है?

श्री पी. चिदम्बरम: चिकित्सा उपकरणों पर उत्पाद कर शून्य से आठ प्रतिशत है। चश्मे के लैंसों पर यह शून्य से आठ प्रतिशत है। क्यों? इन लैंसों पर शुल्क क्यों लगाया जाए? यह तो उत्तम उपभोग की वस्तुएं हैं। कृपया इनमें से कई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को कम कीजिए। राजस्व जुटाने का यह तो कोई तरीका नहीं है। इससे कराधान में केवल विसंगतियां उत्पन्न होंगी और कई संरक्षित वर्ग अस्तित्व में आएंगे। कृपया इन करों को मत बढ़ाइये इन करों को कम करिये। प्रवर्तन मशीनरी को दुरुस्त कीजिए। मुझे खुशी है कि आप में विश्वास करते हैं मैंने कुछ मोटा हिसाब लगाया है। आपको निगम कर को 24 प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद है, मुझे भी यही उम्मीद है। मैं आपके इस विश्वास का समर्थन करता हूं। आपको आय कर के 12 प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद है, मुझे भी यही उम्मीद है। आपको नई दरों को लगाने के कारण सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क से राजस्व के 20 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। वास्तव में इन उत्पादों के मामले में उपभोक्ताओं द्वारा विरोध किया जायेगा। यदि इनका उत्पाद-शुल्क अधिक होगा तो उत्पाद शुल्क अपवंचन अधिक होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने करों को कम करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनमें से अधिकांश करों में कमी करें, प्रवर्तन तन्त्र को मजबूत करें और राजस्व प्राप्त करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुद्रास्फीति को कम करने का लक्ष्य बनायें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि करों और राजस्व को लक्षित करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खर्च को नियंत्रित करने का लक्ष्य

सामने रखें। मैं समझता हूं कि असल बात यह है कि आपका यह विचार कि खर्च करके विकास होगा या सम्पन्नता आयेगी, गलत है। आपको निवेश को बढ़ाना होगा। केवल वैचारिक आधार पर ही व्यय को उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसी कोई भी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि "नियोजित क्रय करना अच्छा है, गैर-योजनागत कम करना बुरा है।" मुझे खुशी है कि आप यह भेद समाप्त कर रहे हैं।

व्यय करना तभी अच्छा है जब इससे प्रतिफल मिले। व्यय करने का मतलब क्या रह जाता है जब इससे आपको दो से तीन प्रतिशत तक प्रतिफल मिलता है? यह अक्षम व्यय है। इसलिए केवल कम करने से आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। व्यय करने देने मात्र से ही आपको लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद नहीं मिलने वाली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप निवेश पर ध्यान केन्द्रित करें, मुद्रास्फीति के नियंत्रण और राजस्व-प्राप्ति पर ध्यान केन्द्रित करें। महोदय, इतना कहने के बाद मुझे कुछ और बातें संक्षेप में कहनी हैं। मैं दो या तीन मिनटों में अपनी बात समाप्त करता हूं।

आपने प्रतिबंधों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है और मैं यह जिम्मेदारी की भावना से कह रहा हूं। विश्व बैंक की पिछली दो बैठकें जो एजेंडा पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई थीं वे इसलिए स्थगित नहीं की गई थीं कि इसके विरोधी मत दिये गये थे। अपितु इसलिए स्थगित की गई थी कि इसके समर्थन में, मत देने वाले पर्याप्त नहीं थे। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कई सदस्य देश जो 'विरोध में मत नहीं देना चाहते थे, वे समर्थन में भी मत नहीं देना चाहते थे। वे अपने को इससे अलग रखना चाहते थे। इसलिए विश्व बैंक की दो बैठकें किसी अगली अनिश्चित तारीख के लिए स्थगित कर दी गई थी। उसी दिन, आई एफ सी, ने जो निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्त पोषण करती है, अपने बोर्ड की बैठक किसी अगली अनिश्चित तारीख के लिए स्थगित कर दी थी। इसका केन्द्रीय सरकार पर तुरंत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकारों पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। तमिलनाडु की तीन परियोजनाएं हैं जो विश्व बैंक के अनुमोदन पर निर्णायक रूप से निर्भर हैं।

उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र में भी ऐसी परियोजनाएं हैं। उदाहरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना को ले लीजिए जिसका आपने बजट-भाषण में उल्लेख किया है और जिस पर मुझे गर्व है अर्थात्, 'समुदाय-आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' जिसे उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान और पंजाब सरकार ने भी इसी तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता जताई थी। जब मैं वित्त मंत्री था, मैंने वायदा किया था कि आप मुझे इस बारे में प्रस्ताव भेजें। मैं उन्हें विश्व बैंक को भेजूंगा। अब उनमें से किसी को भी शुरू नहीं किया जा सकेगा। विश्व बैंक की सहायता जुलाई से जून तक तीन बिलियन डालर के स्तर तक पहुंच गई है। एशियाई विकास बैंक सहायता 850 बिलियन डालर पहुंच गई है जिसके एक बिलियन डालर तक पहुंचने की आशा है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष सातो ने कहा है, 'किसी और ऋण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।' इसका प्रभाव 1998-99 में नहीं होगा लेकिन 1999-2000 से 2000-2001 में इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। कोई अदायगी नहीं की जाएगी और चूंकि मैं यह चाहता हूं कि आप 1999-2000 और 2000-2001 में वित्त मंत्री के पद पर बने रहें, ताकि आपका इसका उत्तर 1999-2000 और 2000-2001 में दे सकें। किस कारण अदायगी नहीं की जा रही है। इसलिए यह कल्पना नहीं करें कि प्रतिबंधों की कोई कीमत अदा नहीं करनी होगी। प्रतिबंधों के कारण नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है।

दूसरी बात, आयात-निर्यात बैंक की गारंटियां स्थगित की जा रही हैं जिसका मतलब यह हुआ कि निजी क्षेत्र की परियोजनाएं वित्त संबंधी कारणों से बंद नहीं होंगी। एनरॉन 2 का क्या हुआ है? कांजेट्रिक्स का क्या हुआ है? पेट्रोलियम गवेषण परियोजनाओं का क्या हुआ है? दूर संचार परियोजना का क्या हो जाता है? उनमें से कोई भी वित्तीय समस्या के कारण बन्द नहीं होंगी। हो सकता है कि हम अगले दो-तीन महीनों में इन पर नियंत्रण कर लें किन्तु जब वे हमारे लिए परेशानी का कारण बनती हैं तो इस देश के लोगों को जवाब कौन देगा? अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। कृपया इस बात पर विचार करें कि प्रतिबन्धों का कितना असर है और आप इसका किस प्रकार सामना करेंगे?

आई.डी.एफ.सी. के बारे में एक अन्य प्रमुख बात एक और भी है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने पहल की है। आई.डी.एफ.सी. का मुख्यालय चेन्नई में है। मुम्बई में पहले से ही आई.डी.बी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. का मुख्यालय है। दिल्ली में आई.एफ.सी.आई. का मुख्यालय है। हमने आई.आई.बी.आई. का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया है। वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। आप उनका अंतिम तुलनपत्र देखें। डा. गोस्वामी को अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। हमने जानबूझकर आई.डी.एफ.सी. का मुख्यालय चेन्नई में रखा है और उन्होंने यह वादा किया है कि वे चेन्नई से बाहर कार्य करेंगे। जो कुछ मैंने सुना है वह यह है कि उनकी सभी बोर्ड की बैठकें मुम्बई में होती हैं। कृपया इसे ठीक करें। यह पूर्व सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। यह तमिलनाडु के लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। आई.डी.एफ.सी. को चेन्नई में मुख्यालय दिया गया है। उन्हें चेन्नई के बाहर कार्य करना चाहिए। उन्हें बोर्ड की बैठकें चेन्नई में आयोजित करनी चाहिए। वे चेन्नई को बाहर रखकर वास्तव में मुम्बई में कार्य नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* वह उसका जवाब देंगे।

तीसरी बात एस.ई.बी. ऋणों की जमानत देना। मुझे नहीं मालूम कि आपको इस निष्कर्ष पर विश्वास करने को किसने बाध्य किया

[श्री पी. चिदम्बरम]

कि यह अच्छी बात है। यह ठीक नहीं है। आप राज्य विद्युत बोर्डों क पनाह दे रहे हैं जो कि अपने ऋण भी नहीं चुका रहे हैं। यदि आप इसकी जमानत देते हैं तो इसका क्या अभिप्राय: है? इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आप इनके ऋणों का भुगतान करेंगे। गारन्टी तो आपकी है और यदि वे अपने ऋणों का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। वे धन एकत्र करेंगे। आप इनके ऋणों की जमानत दे रहे हैं ताकि वे ढीले पड़ जाए। किन्तु यदि ऋणों का भुगतान नहीं किया जाता तो कौन भुगतान करेगा? इस वर्ग में एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी भी आती है। मुझे मालूम है कि नरसिम्हन समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में इसकी सिफारिश को थी। दूसरी रिपोर्ट में भी इसने सिफारिश की थी। किंतु मैंने और डा. मनमोहन सिंह को विश्वास था कि ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाने से उन बैंकों को अपनी एन.पी.ए. बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगी जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है क्योंकि एक ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैं जो इसका अधिग्रहण करेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य विद्युत बोर्ड के ऋण की सुरक्षा गारंटी देने की तथा ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के गठन की पुन: जांच करें।

अन्तत: मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने विज्ञान और तकनीक के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं रखी है जो कि गलत है। मैंने विस्तृत गणना की है। भारत सरकार के 6 विभाग विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में कार्यरत हैं। ये विभाग इस प्रकार हैं, परमाणु उर्जा, महासागर विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और अन्तरिक्ष। शेष सभी छोटे-छोटे विभाग हैं। वर्ष के बजट अनुमान में हमने 2093 करोड़ रुपये का वादा किया था। हमने मात्र 1920 करोड़ रुपये खर्च किये। इस वर्ष के बजट अनुमान में आप 2610 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। यह एक अच्छी खासी वृद्धि नजर आती है। किन्तु वृद्धि कहां है? परमाणु ऊर्जा में 133 करोड़ रुपये और अन्तरिक्ष में 531 करोड़ रुपये की वृद्धि है। 694 करोड़ रुपये की वृद्धि में से 662 करोड़ रुपये दो विभागों, अन्तरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में चले गए हैं। किन्तु महासागर विकास का क्या होगा? मूल विज्ञान और तकनीक का क्या होगा? जैव-प्रौद्योगिकी के बारे में क्या विचार हैं जो कि कृषि क्रांति का मुख्य आधार है। वैज्ञानिक व औद्योगिक विकास का क्या होगा? आपने आवंटन 88 करोड़ रुपये, 104 करोड़ रुपये और 230 करोड़ रुपये रखा है। विज्ञान और तकनीक के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करें। आपको महासागर विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों के लिए अधिक आबंटन करना चाहिए। इन विभागों में हमारे काफी वैज्ञानिक कार्यरत हैं। उन्हें और अधिक सहायता की आवश्यकता है।

अन्त में, मैं गांवों और लघु उद्योगों के बारे में कहना चाहूंगा। आप सभी यह विश्वास करते हैं कि ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए आपने पर्याप्त किया है। मुझे आशंका है कि आप दस्तावेजों को नहीं देख रहे हैं। मांग संख्या-55, और मांग संख्या 82, गाँवों और लघु उद्योगों से संबंधित है। गत वर्ष हमने 657 करोड़ रुपये और 220 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से आरम्भ किया था। वह कुल मिलाकर 877 करोड़ रुपये है। हमने वर्ष के अंत तक ये 659 करोड़ रुपये और 210 करोड़ रुपये हो गया। यह कुल मिलाकर 869 करोड़ रुपये है। गत वर्ष के बजट अनुमान में 869 करोड़ रुपये की तुलना में आपने मांग संख्या 55 और मांग संख्या 82 के लिए मात्र 877 करोड़ रुपये की तुलना में आपने मांग संख्या 55 और मांग संख्या 82 के लिए मात्र 877 करोड़ समय रखे हैं। गाँवों और लघु उद्योगों के लिए धन कहां है? इस भाषण में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बारे में अध्याय जोड़ने से क्या होगा? वास्तव में आपने गत वर्ष के 869 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष 877 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

मैं, ग्रामीण और लघु उद्योगों में हथकरघा की दुर्दशा पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे कुछ मित्र एन.टी.सी. की मिलों के बारे में बात करेंगे, मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। किन्तु हथकरघा के बारे में बात कौन करेगा? माननीय वित्त मंत्री जी 28 लाख परिवार हथकरघा पर आश्रित है जिनमें से अनेक आपके राज्य में हैं। न केवल किसान वरन् हथकरघा बुनकरों ने पांच वर्ष पूर्व आत्महत्या की थी। 28 लाख परिवार हथकरघों पर आश्रित हैं। मान लो तीन आदमी एक करघे पर काम करते हैं। इससे कितना बनता है? इससे 84 लाख लोग हो जाते हैं। एन.टी.सी. की मिलों में 1.5 लाख लोग कार्यरत हैं। वे भी हमारे भाई बहन हैं। उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। भारत सरकार – मैं स्वयं भी इसमें शामिल हूँ, मेरी सरकार और कांग्रेस सरकार ने हथकरघा के लिए क्या किया है? हथकरघा के लिए गत वर्ष योजना और गैर-योजना बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमश: 203 करोड़ रुपये और 174 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इस वर्ष यह 151 करोड़ रुपये है। क्या इस प्रकार का व्यवहार आप हथकरघा के साथ करना चाहते हैं। इसका स्वदेशी और विदेशी से कुछ लेन-देन नहीं है। 84 लाख लोग हथकरघा में लगे हैं। मैंने हमेशा कपड़ा मंत्री जी से अनुरोध किया है कि हथकरघा के लिए आवंटन में वृद्धि करें। यह देश में कृषि और संगठित वस्त्र उद्योग के बाद तीसरा बड़ा उद्योग है।

कृपया इन बातों पर विचार करें। अपना पैसा ठीक उद्योग में लगाएं। यदि आपने भाषण में ग्रामीण और लघु उद्योगों और हथकरघा उद्योग के लिए कई पैरे शामिल किये हैं तो उनके लिए पैसा भी दिया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि एन.टी.सी. मिलों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। वे 2500 करोड़ रुपये के संयंत्र की मांग कर रहे हैं। उन्हें यह दे दो, हर हालत में दे दो यदि आपके पास पैसा है तो। किन्तु 2500 करोड़ रुपये में से कम से कम

आधा तो आपको हथकरघा उद्योग को देना चाहिए। जहाँ 84 लाख लोग लगे हैं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे ऊपर कृपा की। मैं पहले ही अधिक समय ले चुका हूँ। मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे विभिन्न पहलुओं लक्षित मुद्रास्फीति स्तर, लक्ष्यगत राजस्व पर पुन: विचार करें और इन संरक्षणवादी शुल्क को कम करके सही स्तरों पर लायें। यदि किन्हीं चुनींदा उद्योगों को संरक्षण की जरूरत है तो यह अलग बात है। लेकिन कृपया इन्हें कम करे। सी.आई.आई. ने आपको एक रास्ता दिखाया है। उन्हें अंतिम तौर पर 31 मार्च, 1999 का समय दें। विदेशी निवेश और घरेलू निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ घोषणायें करें और कदम उठाये और एक विश्वास का माहौल बनायें। तभी विकास होगा।

मैंने आपके आंकड़े देख लिये हैं। सकल घरेलू उत्पाद के मांग के रूप में वित्तीय घाटे को देखें। आप 14 प्रतिशत से 14.8 प्रतिशत तक की नाम मात्र के विकास के लिए योजना बना रहे हो। यदि मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत है तो विकास छ: प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। यदि मुद्रास्फीति की दर दस प्रतिशत है तो विकास दर पांच प्रतिशत से भी कम हो जायेगी। आप 14.8 प्रतिशत से अधिक की सामान्य विकास दर प्राप्त करने के लिए अधिक वृद्धि की योजना नहीं बना रहे हैं। इसलिए मूल बात तो मुद्रास्फीति नियंत्रण की है और मेरे विचार से उचित विकास दर लगभग सात प्रतिशत होनी चाहिए।

अंत में, मैं रुपये के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मैं ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहता हूं जिससे आपके लिए परेशानियाँ उत्पन्न होगी। मैं कार्यालय में और कार्यालय से बाहर भी सचेत रहता हूँ। मैं आपके वक्तव्य से सहमत हूं कि सरकार तो केवल सुव्यवस्थित और स्थिर बाजार का आश्वासन दे सकती है जिसमें आपूर्ति और मांग का नियम ही रुपये की कीमत को निर्धारित करेगा। यही अच्छा है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और यदि आपने यह बता दिया है तो आपको यह पुन: बताना चाहिए।

जब आप सत्ता में आये तब भी मूल्यह्रास ग्यारह प्रतिशत था। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के अनुसार रुपये की कीमत में कोई गिरावट नहीं हुई थी। मैं हार्दिक रूप से यह आशा करता हूं कि आपको एक साथी ने, जो चाहती थी कि डालर की तुलना में 17 रुपये का विनिमय दर चाहती थी, अपने विचार बदल दिये होंगे। मुझे आशा है उसने अपने विचार बदल लिये हैं। वो दिन कभी नहीं आयेगा। वह फिर से जुरासिक काल में लौटने जैसी बात होगी। लेकिन 11 प्रतिशत मूल्यह्रास वास्तविक प्रभावी विनिमय दर पर आधारित गिरावट के बराबर थी। आप हमें यह मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। डा. विमल जालान और आप जो कुछ कर रहे हैं वह एक वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच की बात है। लेकिन यदि आप वास्तविक प्रभावी विनिमय दर को लक्ष्य बना कर चल रहे हैं तो आपको स्पष्ट संकेत देना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री को स्पष्ट संकेत देना चाहिए कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर का लक्ष्य बना कर चल रहे हैं और वे रुपये की कीमत को न तो अधिक होने देंगे और न ही गिरने देंगे।

देश में, जनता, यहां तक कि जानकार लोगों में भी यह भावना घर कर गई है कि आप रुपये का अवमूल्यन होने दे रहे हैं। पिछले वर्ष यह आलोचना हुई थी कि रुपये का अधिमूल्यांकन किया जा रहा है। अब यह महसूस किया जा रहा है कि आप रुपये की कीमत का अवमूल्यन होने दे रहे हैं। लेकिन आप रुपये के अवमूल्यन के परिणामों को जानते हैं। इससे विनिमय दर बढ़ेगी। रुपये के अवमूल्यन से भुगतान संतुलन बिगड़ने का संकट पैदा हो जायेगा। मेरे विचार से इस देश में फिर से भुगतान संतुलन बिगड़ने का संकट नहीं आना चाहिए। हम इस संकट से उभर चुके हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था 1991 की अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक मजबूत है। हमारी वार्षिक विकास दर लगभग साढ़े छ: प्रतिशत है। हम आठ प्रतिशत से अधिक की वार्षिक विकास दर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें दूसरे वित्तीय संकट में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई उपयुक्त वक्तव्य देने पर विचार करे। लेकिन कृपया ऐसा वक्तव्य दीजिए जिससे बाजार को एक स्पष्ट संकेत मिल सके कि आप रुपये का न तो अधिमूल्यन होने देंगे न अवमूल्यन और आप यह सुनिश्चित करेंगे कि एक सुव्यवस्थित और स्थिर विनिमय बाजार बन सके जो आपूर्ति और मांग के नियम से संचालित हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हों जो उन्होंने स्वयं निर्धारित किये हैं। इसके लिए उन्हें कई कदम उठाने होंगे। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि वे यह काम आज, या कल जब उन्हें उत्तर देना है, तब तक कर लेंगे। लेकिन जब वह जुलाई में हमारे समक्ष आयेंगे, तो तब तक वे इस काम को कर लेंगे क्योंकि इस बीच उनके पास विचार करने के लिए तीन सप्ताह का समय होगा। आप जुलाई में आना और हमें बताना कि क्या आपने हमारे कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया है। यदि आप हमारी कुछ सुझावों को स्वीकार करते हैं, तो हम यही समझेंगे कि आप अपनी विचारधारा में संशोधन करने के लिए तैयार है। आप अपने साथियों को इस बात से सहमत कराने में समर्थ हैं कि निवेश पर आधारित संशोधित दृष्टिकोण विचारधारा व्यय आधारित से कहीं बेहतर है। मेरे विचार से अधिक संभावना यही है कि आप सफल होंगे। अन्यथा मुझे आशंका है कि आप विफल हो जायेंगे और इस देश को विकास के पथ पर ले जाने के इस दूसरे बड़े अवसर को गंवाने के लिए देश आपकी आलोचना करेगा।

अध्यक्ष महोदय: अच्छे भाषण के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): मान्यवर, अभी मेरे मित्र चिदम्बरम साहब ने बड़े भावनात्मक ढंग से सारी चीजों को रखने की कोशिश की है। उन्होंने एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की, जिससे भय और आतंक का ही वातावरण पैदा हो। मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां वे बैठे हैं और उनके कन्धों पर जो दबाव और प्रभाव हैं, उसके आधार पर मुझे लगता है कि पोखरण ब्लास्ट और उसके बाद जो विदेशी शक्तियां भारत को काउडाउन कर रही हैं या करना चाहती हैं, आर्थिक दृष्टि से जलील करना चाहती है, संकट में डालना चाहती हैं, उनके द्वारा दिखाए भूत, उनके द्वारा बताई गई शंकाओं के षडयन्त्र के वे शिकार हो रहे हैं। मैं मंत्री जी को दिल से बधाई देना चाहता हूं और वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि

अपराह्न 6.56 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

सारे देश के राष्ट्रवादी राष्ट्रप्रेमी लोग, जो देश के स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो भारत की प्रतिष्ठा और अर्थ व्यवस्था के स्वांभिमान को स्थापित करना चाहते हैं, वे सभी इसके लिए अभिनन्दन कर रहे हैं कि उन्होंने स्वदेशी भारत की स्वदेशी आर्थिक नीतियों की आधारशिला रखी है।

महोदय सन् 1991 के बाद पहली बार स्वदेशी अर्थ व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की बात कही गई है। उन्होंने एक परसेंट टैक्स को बढ़ाए जाने की बात कही है, शायद उन्होंने 1991 से लेकर अब तक के आर्थिक संस्तुतियों के आंकड़े नहीं देखे हैं। विरासत में उन्हें जो अर्थव्यवस्था मिली, जो आर्थिक परिदृश्य मिला, वह बड़ा ही कंटकाकीर्ण और उलझा हुआ था। आर्थिक स्थिति के विकास की गति धीमी हो रही थी और उससे भी ज्यादा दुखद स्थिति यह थी कि देश की कृषि और औद्योगिक प्रगति, जो तेज थी, उसकी गति में गिरावट आ गई थी। कोई भी देश तब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती है, जब तक कि उसके कृषि और औद्योगिक विकास की गति में तेजी न आए। अगर बाहर से विटामिन-बी के कैप्सूल को खिलाया जाएगा, तो बाहर के विटामिन-बी के कैप्सूल से उतनी ताकत नहीं आती जितनी कि अन्न खाने से आती है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया है।

एक परिदृश्य हमें ऐसा भी मिला था, जिसमें परिकल्पना की थी कि हम इतना एक्पोर्ट करेंगे लेकिन हम उस टारगेट को पूरा नहीं कर सके। भारत की एक्सपोर्ट पालिसी पूरी तरह से फेल हो गई, ऐसी व्यवस्था हमें विरासत में मिली थी। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था। इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी कोई तैयारियां नहीं थीं, चाहे वह पावर का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, जल-संसाधन का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो। ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच वे अभिमन्यु बनकर नहीं अर्जुन बनकर निकले और उसका परिचय भी दिया, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं।

चिदम्बरम साहब ने डॉलर की बात भी की और कहा कि एक वर्ष के बाद संकट आएगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, स्वदेशी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और इकोनोमिक्स सैंक्शन्स के कारण आने वाली भावी कठिनाइयों से निपटने की दिशा इस बजट में दी हुई है।

सायं 7.00 बजे

अगर वह देखने का प्रयास करेंगे तो उन्हें वह मिल जाएगा। जैसा मैंने अभी कहा कि कृषि व्यवस्था और उद्योगों में प्रगति, ये दो आधारभूत ढांचे हैं जिनके आधार पर देश का आर्थिक ढांचा खड़ा होता है। अभी तक हम कृषि तथा औद्योगिक प्रगति दोनों में पिछड़े हुए थे लेकिन पहली बार इनको ताकत देने की कोशिश की गई है, जिसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

अभी मैं बजट के आंकड़े देख रहा था। हमारे बजट का 24 प्रतिशत रुपया कर्जे का ब्याज चुकाने में चला जाता है। मैं इस बजट में देख रहा हूं और अगली बार जब बजट पेश होगा, मैं चिदम्बरम जी को बधाई देता हूं, उन्होंने तीन साल की बात तो कह दी लेकिन अगले दो वर्षों में जो बजट पेश होगा उसमें बहुत कुछ सुधार होगा। मैं डालर ऑफ टर्म्स की बात कह रहा हूं। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की हर कोशिश इसमें की गई है। सोशल सैक्टर पर विशेष बल दिया गया है। अब तक जितनी पंचवर्षीय योजना बनी, उनके समापन के बाद एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, दोनों तरह के नौजवानों में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है, यह एक विडम्बना है। यह हमारे नियोजन के ऊपर तमाचा है। हम नियोजन कर रहे हैं, प्रगति की बात कहते हैं लेकिन बेरोजगारों की संख्या हर बार बढ़ रही है।

इस बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत कर, बेरोजगारों की बढ़ती हुई फौज को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। अगर देश समृद्धि भी कर ले, लेकिन अगर लोगों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, नौजवानों को काम नहीं मिलेगा तो फिर यह देश तरक्की नहीं कर सकेगा। फिर लूट-पाट हो जाएगी। हर पेट की आग को बुझाने के लिए जब तक रोटी

नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। इस बजट में बेरोजगार नौजवान को कुछ आशा जगी है कि अब हमें भी कुछ काम मिलेगा, हमें सम्मान के साथ जीने का एक अवसर मिलेगा।

महोदय, शिक्षा एक बुनियादी चीज है। मुझे मालूम है कि केरल में पढ़ाई पर बल दिया जाता है, इसलिए आज वहां फैमिली प्लानिंग की समस्या नहीं है। अगर शिक्षा को समूचे देश में बल दिया गया होता तो आज देश में ये समस्याएं न होतीं। शिक्षा के अभाव में हम जनसंख्या वृद्धि को रोक नहीं सके। आज तक जब भी जनसंख्या को रोकने की बात हुई है तो कहीं धर्म, कहीं ईमान आड़े आता है तथा भी कई चीजें भी बीच में आती है जब कि वास्तविकता यह है कि केरल में सभी धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन वहां धार्मिक उन्माद नहीं है। वहां महिलाएं सब कुछ जानती हैं क्योंकि वे शिक्षित हैं, उन्हें पता है कि अगर सुखी परिवार बनाना है तो जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए बजट में शिक्षा पर जो बल दिया गया है, वह बहुत अच्छी बात है।

बजट में स्वास्थ्य के लिए भी प्रावधान किया गया है। आज देश में मलेरिया दोबारा आ गया, टीबी आ गई और बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर ऐसे समय में स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत की जवानी बर्बाद हो जाएगी। अगर एक बार किसी देश की जवानी बर्बाद हो गई तो उसके बाद उस देश की, कौम की कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देकर स्वस्थ और नौजवान बनाने की बात कही गई है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण विकास और कृषि की जो बात है, इनके ऊपर इस बजट में इतना बल दिया गया है कि इसके बाद निश्चित रूप से जो गिरती हुई कृषि उत्पादन की स्थिति है, बेरोजगार ग्रामीण नौजवान की स्थिति है उसको रोजगार मिलेगा और कानून-व्यवस्था भी ठीक होगी और घर में समृद्धि आयेगी तथा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उसके बाद हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। कृषि पदार्थों का निर्यात करने के लिए हमारे पास असीमित संभावना है और इस पर अगर कोई सैंक्शन देने की कोशिश करे या कुछ और करने की कोशिश करे। लेकिन जिस देश में अपनी जनता का पेट भरने का साहस होगा वह हमारे अन्न को खरीदेगा और उसके बाद वह मजबूरी में काम करेगा। इसमें जनरल वेलफेयर के लिए बजट बढ़ाया गया है। इस बजट के माध्यम से सामाजिक कल्याण की बात कही गई है, उस पर बल दिया गया है, धन लगाया गया है। न्यू क्राप इंश्योरेंस स्कीम प्रारम्भ की गई है। इसके लिए हम चिल्लाते रहे। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से किसान का ईश्वर मालिक है। आसमान पर ईश्वर और नीचे भगवान, बीच में कोई है ही नहीं। इस तरह किसान लुटता है, पीटता है। अगर ओले आ गए, आंधी आ गई तो किसान लुट जाता है, ऐसी स्थिति में अगर किसान की रक्षा करनी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो क्राप इंश्योरेंस स्कीम को मजबूती से लागू करना होगा। मैं बधाई देता हूं कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक नई शुरुआत हुई है, मार्गदर्शन हुआ है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि लूम पर बल नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि शायद उनकी निगाहों से कोई चीज ओझल हो गई है। कॉटन के लिए टैक्नोलॉजी मिशन, इसमें व्यवस्था की गई कि किस प्रकार से कपास का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता बढ़े और वह कहते हैं कि लूम्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। अगर रूई और कपास नहीं होगा तो लूम काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके काम करने के लिए आवश्यक है कि उसकी जो बेसिक आवश्यकता है उस पर बल दिया जाए। इस समस्या के हल के लिए यह किया गया है।

महोदय, अभी तक तो हम जय श्रीराम का नारा बोलते थे। उधर बैठे मेरे मित्र कहते थे कि बंदरों की बात कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी जैसे महापुरुष को मेरे मित्रों ने बंदर बना दिया। वह वन नर थे, वानर नहीं थे और वन नर का मतलब है कि वनों के अंदर रहने वाले नर हैं। वनों के अंदर रहने वाले नर इस देश की एकता, अखंडता और संस्कृति के प्रतीक हैं। वह वास्तव में इस देश की सबसे बड़ी धरोहर हैं, शक्ति हैं और इन्होंने ही जब भी देश के अंदर अन्याय, अत्याचार हुआ है, तभी देश की रक्षा की है। इसलिए उनके पुनर्वास के लिए भी योजना लाई गई है। नॉन प्लान एक्सपेंडीचर 70 परसेंट का है, सब्सिडी का मामला है। सब्सिडी इस देश का एक अंग बन गई है। मेरे जो मित्र इधर बैठते थे तो उनको लगता था कि सब्सिडी पर जब चाहे ब्रेक लगा दो, जब चाहे यूरिया के पैसे बढ़ा दो, पेट्रोल और डीजल के पैसे बढ़ा दो, उसके लिए मेनुपलेशन कर लिया लेकिन जब इस बार कुछ पैसे बढ़े तो उन्हें ऐसा लगने लगा। सब्सिडी इस देश की व्यवस्था का एक अंग बन गई है इसलिए सब्सिडी को इन्होंने मेनटेन किया है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने इंटरनल रिसोंसेस बढ़ाने की कोशिश की है कि वहां से सैंक्शन मिलेगी, पैसा चाहिए। डोमेस्टिक सेविंग की व्यवस्था की है, उस पर बल दिया है। टैक्सेस के बारे में वे कहते हैं कि नौ हजार करो, हल्ला तो इसलिए था, मेरे मित्रों ने प्री बजट करने में कहा था कि इस बार ऐसा ड्रास्टिक बजट आएगा कि हिन्दुस्तान के मतदाता की कमर टूट जाएगा, लेकिन कमर न टूटी, न झुकी बल्कि वह रेशनल बन गया। इसलिए पब्लिक के सहयोग की आवश्यकता है तो करदाता अपना सहयोग दे दें, हमें विदेशियों से चुनौती मिल रही हैं। सीमाओं पर भी मिल रही हैं और सीमाओं से पार सात समुद्र पार रहने वाले लोग भी उससे वंचित हैं, वे शामिल हो रहे हैं कि हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। अब तक टैक्स देने वाले को चोर समझा गया। इंकम टैक्स आफिसर और इंस्पेक्टर पैसा भी हमसे लेते हैं और उसी के बाद

[श्री भगवान शंकर रावत]

उसी को चोर कहता है। पहली बार काले धन को निकालने के लिए योजना बनाई गई है और ऐसी योजना बनाई गई है जो रेशनल है और जो सफल होगी। सम्मान और समाधान, दोनों योजनाएं इसी बात के लिए हैं, लेकिन इन्होंने इन दोनों को सरैंडर करने की बात कही है। मैं भी वकालत के पेशे से आता हूं, ऐसा लगता है कि पहली बार आयकर मतदाता "सरल" के माध्यम से अपनी रिटर्न भर सकेगा और उसके बाद ठीक प्रकार से काम कर सकेगा।

लॉयर्स की आवश्यकता नहीं होगी। दो बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पेट्रोल पर जो पैसे बढ़ाये गये हैं, उसके अंदर भी नौकरशाही ने सरकार को बदनाम और असफल करने की कोशिश की। चिदम्बरम साहब अभी शिकायत कर रहे थे कि वित्त मंत्री की नौकरशाही बहकाती रहती है, वह बहकाती रहती है या नहीं बहकाती रहती है, मैं नहीं जानता, लेकिन इस मामले में नौकरशाही ने अपना करिश्मा करके दिखा दिया। लेकिन जब क्लेरिफिकेशन दे दिया तो चीज साफ हो गयी। पेट्रोलियम मूल्य सरकारी कोष को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सड़कें बनाने के लिए बढ़ाए गए हैं, जिससे गाड़ी और बैलगाड़ी के पहियों को दिक्कत न आए, वे गड्ढों में न फंस जाएं-प्रतिबंधों के खतरे को देखते हुए यह किया गया है। सिक्योरिटाइजेशन की बात उन्होंने कही। जहां तक बिजली का मामला है, उसमें सिक्योरिटाइजेशन की आवश्यकता है। जब तक गांव-गांव बिजली नहीं पहुंचेगी, जब तक हमारे पास बिजली नहीं पहुंचेगी, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती। यह एक आधारभूत ढांचा है। इसलिए मैं यह बात कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि यह एक अच्छा बजट है।

एक सुझाव मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से है, वे यहां बैठे हैं। यूरिया के दाम जो उन्होंने बढ़ाए हैं उनको घटाया जाए। यह मैं उनसे कहना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)* उन्हें वापिस ले लें। ...*(व्यवधान)*

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि एस.एस.आईज की जो लिमिट है, जो अभी एक करोड़ घोषित की गयी है, उस पर भी पुनर्विचार करें और इसको तीन करोड़ करने का विचार करें। इसके साथ मैं पुन: वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): सभापति महोदय, इस बजट का चिंताजनक पहलू यह है कि यह अत्यधिक मुद्रास्फीति कारक है। हालांकि वित्तीय घाटा 5.6 प्रतिशत बताया गया है तथापि अनेक अर्थशास्त्री इसे पूर्णत: भ्रामक मानते हैं और कहते हैं कि यह 10 प्रतिशत से भी अधिक हो जायेगा। गिरते हुए कृषि और औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि में, इससे वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसमें लेबी अवधि तक मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहेगी और परिणामत: आम आदमी के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम में भारी वृद्धि होगी।

सबसे पहले मैं श्री चिदम्बरम का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहूंगी कि पैकेज चाय, ब्रांड वाले घी, सिलाई मशीन, ब्रांड वाली स्पाइक, स्प्रेटा दूध, लैंस/फ्रेम, ब्रांड वाले खाद्य भोजन इत्यादि वस्तुओं पर 8 प्रतिशत की वृद्धि से आम आदमी अवश्य प्रभावित होगा। श्री चिदम्बरम ने यह उल्लेख किया था कि महिला सदस्य इसका विरोध नहीं कर रही हैं और इसीलिए मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है।

श्री मुरली देवरा: श्री चिदम्बरम अब मार्क्सवादी बन गये हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: इससे मार्क्सवाद का क्या लेना-देना?

श्रीमती गीता मुखर्जी: सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कुछ सीमा तक मुद्रास्फीति तक न केवल नियंत्रण रखने का एकमात्र तंत्र है बल्कि आम जनता को कुछ राहत प्रदान करने का भी एक केन्द्र है, के संबंध में क्या करना चाहती है।

महोदय, मैंने बहुत से आंकड़े एकत्रित किये थे। परंतु समयाभाव के कारण मैं सभी आंकड़े नहीं दूंगी और संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगी। परंतु मैं आपसे कुछ आंकड़े रखने की अनुमति चाहती हूं। उसके अलावा मैं बजट के सामान्य पहलुओं पर भी बोलूंगी। मैं उसके लिए माफी मांगती हूं।

महोदय, अप्रत्यक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर अथवा कुल राजस्व में प्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता प्रति वर्ष कम होती जा रही है। इस बार भी यही हुआ है। यह विकास के लिए नुकसानदेह है। कर के दायरे के विस्तार के संबंध में मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं, जिन्हें निरंतर इससे बाहर रखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर बड़े फार्महाउस, इस बार भी इन्हें छोड़ दिया गया है। हालांकि मैं कृषिगत मशीनों पर उत्पाद शुल्क लगाने के विरुद्ध हूं तथापि मैं बड़े फार्महाउसों पर कर लगाने के पक्ष में हूं। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। हमारे जैसे अविकसित देश के लिए विकासात्मक और गैर-विकासात्मक क्षेत्र में व्यय-अनुपात विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह बजट विकसित क्षेत्र में व्यय का अनुपात बढ़ाने में असफल रहा है। यह देखा गया है कि बजट में राजस्व व्यय 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जबकि पूंजीगत व्यय केवल 9 प्रतिशत की दर से ही बढ़ रहा है।

यह अनुपात देश के औद्योगिक विकास और अन्य सभी विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव डालेगा। अत: इन चीजों में परिवर्तन आना चाहिए।

अब बजट से खुश कौन है? इकानामिक टाइम्स द्वारा कराया गया ओपिनियन पोल इस बजट का एक स्पष्ट उदाहरण है जिससे यह परिलक्षित होता है कि 76 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और 63 प्रतिशत भारतीय कंपनियों ने बजट पर अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त की है। जहाँ तक आम आदमी का संबंध है, वह आमतौर पर इस बजट को अच्छा नहीं मानता।

अब, मैं उस प्रश्न पर अवश्य बोलूँगी, जिससे श्री चिदम्बरम और संभवत: श्री देवरा भी मुझसे सहमत न हों। यह विनिवेश क्षेत्र के बारे में है। हम पूर्णतौर पर इसके विरुद्ध हैं। विनिवेश के परिप्रेक्ष्य में उच्च-लाभार्जन करने वाली कंपनियों, जैसे भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गैल) भारतीय तेल निगम, वी.एस.एन.एल., कॉनकॉर इत्यादि के अंश (शेयर) प्रस्तावित किए हैं जो सरकारी क्षेत्र को निश्चित रूप से और कमजोर करेंगी। बड़े व्यावसायिक घरानों के दबाव में आकर यह प्रस्ताव किया है कि गैल व्यूरचना क्षेत्र में सरकार का इक्विटी शेयर 26 प्रतिशत तक लाया जायेगा। सबसे बुरी बात यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अशोध्य ऋण की धनराशि को इक्विटी शेयर के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है और इसे वसूल कर ली गई राशि के रूप में दर्शाया जायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है वे अब अपनी जेब से कुछ दिए बिना ही बैंक के शेयरधारक बन जायेंगे। यह न केवल नीति विरुद्ध है बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करने का षडयंत्र है।

संसाधन जुटाने की संभावित मुश्किलों के संबंध में परमाणु परीक्षण के परिणामस्वरूप लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों पर वित्त मंत्री महोदय के रवैये से, अन्य की तो बात छोड़िये, स्वयं उनके अपने सहयोगी भी सहमत नहीं हैं। हमारी अपनी आशंकायें हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बाजार से उधार लेने की बात है, जिसकी ब्याज दर काफी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अगर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होंगे तो भी वे भयंकर मुश्किलों का सामना करेंगे। हालांकि वित्त मंत्री ने स्वदेशी की अवधारणा सामने रखी है, तथापि गत वर्ष के बजट की भांति लघु क्षेत्र के लिए केवल 772 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, परन्तु वास्तव में यह मुद्रास्फीति के कारण यह राशि इससे भी कम बनेगी। इस प्रकार, सत्तारूढ़ पार्टी के स्वदेशी का सही अर्थ यह है। केवल इतना ही नहीं लघु क्षेत्र के उद्योगों के मुकाबले बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कितना अधिक पक्ष लिया गया है, इस बात का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत देना पड़ेगा जबकि लघु क्षेत्र के उद्योगों को इनके द्वारा उत्पादित कीटनाशकों पर 18 प्रतिशत उत्पादन शुल्क देना होगा। यहाँ स्वदेशी कहाँ है और लघुक्षेत्र के उद्योगों के लिए उनका सारा स्नेह कहाँ है? इस स्थिति को अवश्य ही दूर किया जा सकता है।

इस बजट को बड़े व्यावसायिक घरानों के पक्ष में पक्षपात भाजपा की घोषित नीति के ही अनुरूप है। उदारीकरण के नाम पर बिना किसी नियंत्रण के विदेशी पूंजी प्रवेश और उसके निवेश की अनुमति सुनिश्चित कर दी गई है।

अनिवासी भारतीयों को दी गई व्यापक विशेष तौर पर उनके सहयोगियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोगियों को फायदा पहुंचायेगी। वास्तव में, यही नीति है जिस का अनुपालन किया जा रहा है।

इस वर्ष 14 प्रतिशत की संपूर्ण वृद्धि के साथ रक्षा बजट में विशेष रूप से रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। स्पष्ट है आगे चलकर परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। हमारे जैसा गरीब देश इसे कैसे वहन कर कता है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं श्री चिदम्बरम की इस बात से सहमत हं कि इस ढंग से आणविक ऊर्जा के अतिरिक्त वैज्ञानिक-अनुसंधान के किसी अन्य क्षेत्र को इतनी अधिक धनराशि नहीं दी गई है।

किसानों के बारे में कई बातें कही गयी हैं। कुछ अच्छी बातें कही गयी हैं, किन्तु मुझे समझ में नहीं आता कि सिंचाई जो कि खेती के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, को उसका पर्याप्त अंश क्यों नहीं दिया गया। यह देखा गया है कि वर्ष 1997-98 में सभी प्रकार की सिंचाई की सभी यानि लघु, मध्यम और वृहद परियोजनाओं पर कुल व्यय 1762.21 करोड़ रुपये था। किन्तु इस वर्ष के बजट में योजनागत व्यय के लिए 396 करोड़ रुपये और योजनेत्तर व्यय के लिए 166.37 करोड़ रुपये अर्थात् कुल केवल 562.37 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। गत वर्ष की तुलना में यह बहुत कम है। यह कुल मिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी।

बजट प्रस्तावों में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए सहायता राशि के लिए योजना व्यय के अंतर्गत 29538.01 करोड़ रुपये का व्यय और योजनेत्तर व्यय के अंतर्गत 21045.75 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था है, जो कुल 50853.76 करोड़ रुपये ठहरता है। किन्तु जब हम बजट प्राप्तियों को देखते हैं, तो वास्तविक स्थिति सामने आती है जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने दावा किया है, वह स्थिति बहुत आशाजनक नहीं है। बजट प्राप्तियों के अनुसार राज्यों से ऋणों और ब्याज के रूप में कुल 29189.69

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

करोड़ रुपये की वसूली हुई है, जो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को केवल 31,394.20 करोड़ रुपये का निवल हस्तांतरण बनाता है। मुद्रा स्फीति की उच्च दर के कारण यह राशि और कम हो जायेगी। इसी कारण से मैं संगत केन्द्रीय करों आय कर और निगमित कर इत्यादि के संयुक्त पूल से राज्य के अंश में प्रथम चरण में कम से कम 33.13 प्रतिशत की वृद्धि और तत्पश्चात् और वृद्धि किये जाने की मांग करता हूं। मेरा विश्वास है कि अब केन्द्र में सत्ता में जो पार्टी है उसके द्वारा शासित राज्यों सहित अधिकतर राज्य सरकारें इस कारण के आधार पर मेरा समर्थन करेंगी।

वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण में नई योजना 'समाधान' की घोषणा की गयी है, जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों हेतु एक नयी स्वैच्छिक आय घोषणा योजना है। किन्तु इस बार अधिक रियायतें दी गयी हैं और यह उन मामलों में भी उपलब्ध हैं जिसको लेकर मुकदमे चल रहे हैं। इस सुविधा में, जुर्माना, ब्याज, इत्यादि माफ करना भी शामिल है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इस संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है कि इस धन को कैसे जुटाया जाए, और इसे कैसे उपयोग किया जाता है, अत:, मैं एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि इन योजनाओं से जो भी धनराशि जुटाई जाती है, वह निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए निवेश की जाये।

यदि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर छिपे हुये काले धन का पता लगाया होता और इस आय को उचित रूप से राज्य सरकारों में बांटा होता। ऐसा न करके, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे अमीरों के पक्षधर हैं। सिर्फ यही नहीं, इन आंकड़ों के माध्यम से शक्तियों और संसाधनों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। मेरे विचार से, इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाना चाहिए।

उनके बजट में माननीय वित्त मंत्री ने कर्मगार वर्ग के लोगों के बारे में चिन्ता की और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के एक नये पैकेज का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए एक पुनर्गठन कोष शुरू किया जायेगा। इस कोष में से उन घाटा उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को लागू करने के लिए अग्रिम दिया जायेगा और कर्मचारियों और अन्य लोगों के देयों का भुगतान कर देने के बाद परिसम्पत्तियां बेच दी जायेंगी और आय बजटीय व्यय में जायेगी। किन्तु इस योजना के माध्यम से धनराशि का बड़ा भाग न केवल राज्य के खजाने से बाहर जायेगा, बल्कि बहुत से कर्मचारी भी बेरोजगार हो जायेंगे और माननीय प्रधान मंत्री का एक वर्ष में एक मिलियन लोगों को नौकरी देने का दावा झूठा सिद्ध हो जायेगा। इसके माध्यम से हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान काफी कम हो जायेगा। अत: यह योजना पूर्णत: कर्मकार श्रेणी के विरुद्ध है और केवल बड़े उद्योगों का हित साधन करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए केवल 1400 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गयी है, जो वास्तव में केवल वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए है न कि उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए। इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

हालांकि माननीय मंत्री ने इस बार मानव संसाधन मंत्रालय के लिए बड़ी धनराशि प्रस्तावित करने का दावा किया है किन्तु वास्तव में इसका लगभग 90 प्रतिशत हाल ही की वेतन वृद्धि में पूरा हो जायेगा। नि:सन्देह उन्होंने कहा है कि महिलाओं को रियायतें दी जायेंगी। इसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूं। किन्तु वह भी बहुत नहीं होगा, क्योंकि 95 प्रतिशत तो यूंही व्यय हो जायेगा।

इस शिक्षा के क्षेत्र में एक और परेशान करने वाली बात यह है कि समुदाय आधारित राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर के गठन की घोषणा है। किन्तु चूंकि योजना के विवरणों की अभी घोषणा नहीं की गयी है, अत: बहुत से लोगों को एक बड़ी आशंका यह है कि इसके परिणामस्वरूप सरकार की कीमत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही अत्यधिक घुसपैठ होगी।

रक्षा व्यय में भारी वृद्धि, ब्याज प्रभार आदि के रूप में विशाल धनराशि का निर्गम होने से कुल व्यय 2,35,245 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,67,927 करोड़ रुपये हो जायेगा। इस भारी व्यय के परिणामस्वरूप (राजस्व आय) 1997-98 के 43,686 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से बढ़कर 48,068 करोड़ रुपये हो जायेगा।

कुल निवल प्राप्तियों के 1,16,857 करोड़ रुपये तक बढ़ने की आशा है। गैर-कर प्राप्तियों के 45,137 करोड़ रुपये तक बढ़ने की आशा है।

यह सच नहीं है कि कोई विकल्प नहीं है। उस विकल्प के आधारभूत तत्व भूमि सुधार, सिचाई, छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को ऋण और सामग्री सहायता देने की व्यवस्था करना है। इस संबंध में मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि पश्चिमी बंगाल में हमने यह सब किया है, हालांकि उतना नहीं कर पाये जितना हम चाहते थे, फिर भी हमने जो कुछ भी किया, उसके परिणामस्वरूप गत दशक में पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कृषि उत्पादकता में नियमित वृद्धि हुई, जबकि पंजाब और हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। अत: ये विकल्प मूलभूत किस्म के हैं।

किन्तु अभी तक औद्योगिक विकास की दर में जो ह्रास का रुख बना हुआ है उसके पलटने का कोई संकेत नहीं है, तो इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यह कार्य सम्पन्न होगा। बल्कि इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी

और निर्धनों के लिए जीना मुश्किल हो जायेगा। अत: मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री मुरली देवड़ा: क्या माननीय वित्त मंत्री इन उपचारात्मक कदमों की घोषणा कर रहे हैं जिनका वायदा श्री खुराना जी ने कल किया था?

श्री यशवन्त सिन्हा: श्री खुराना ने हम सभी के लिए केवल रात्रि भोज का वायदा किया था।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जो महिला सदस्य हैं अगर आप इनको पहले बोलने का मौका दे दें तो अच्छा होगा क्योंकि हाउस काफी देर तक चलेगा। मेल मान, सदस्य तो देर तक बैठ सकते हैं, महिलाओं के सामने समस्या है। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल): जो पहली बार चुनकर आई हैं, उनको पहले मौका दे दें।

सभापति महोदय: मैं श्रीमती गीता मुखर्जी से पहले ही शुरू कर चुका हूं।

श्री मदन लाल खुराना: सभापति महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि जैसे श्रीमती भावना दवे, श्रीमती आभा महतो या जो भी मान. सदस्या उधर बैठी हैं, दोनों तरफ से एक-एक मान, सदस्या को बोलने का मौका दें।

डा. शकील अहमद (मधुबनी): सभापति महोदय, यह गलत इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए कि वे खाना पकाती हैं इसलिए उनको पहले बोलने दिया जाए। वे सभी लोक सभा की मान, सदस्य हैं। गलत इम्प्रेशन आप दे रहे हैं। यहां कोई शादी-ब्याह नहीं हो रहा है जो उनको खाना खिला दीजिए और भेज दीजिए। वे जब तक चाहें रह सकती हैं।

श्री मदन लाल खुराना: सभापति महोदय, हमारी बी.जे.पी. की पद्धति है कि उन महिलाओं को जो लिस्ट में नीचे हैं, ऊपर करके पहले बोलने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं तथा मैं विपक्ष के साथियों की भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पहले बोलने का मौका दिया। आज मैं आपके जरिये माननीय मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा जी का अभिनन्दन करती हूं। सरल, समाधान, सम्मान तीनों योजनाओं का दर्शन इस बजट में एक साथ होता है। इस देश से अंग्रेजों को गये 50 साल हुए किन्तु उनकी छाया अभी बच गयी। गुलामी की मानसिकता को दूर करके हमारे वित्त मंत्री जी ने देश की जनता के लिए सही अर्थ में यह बजट प्रस्तुत किया है। सचमुच में इस बजट को स्वर्ण जयंती बजट कहा जा सकता है। 1991 से 1997 तक के सभी बजट विदेशी मल्टी नैशनल कम्पनियों, विदेशी वित्त संस्थाओं, जैसे एफ.आई.आई. और विदेशी ब्रोकर्स को ध्यान में रखकर बनाये गये थे। मैकाले की शिक्षण प्रथा से प्रभावित लोगों ने एडम स्मिथ को इकोनोमिक्स का फादर कहा। आज उन लोगों को हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट के जरिये बता दिया है कि यह देश चाणक्य का देश है।

चाणक्य सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं था, चाणक्य अर्थशास्त्री भी था। हिन्दुस्तान गांवों का देश है, कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है। इस बजट में देश के सभी लोगों का खयाल रखा गया है इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी क अभिनंदन करती हूं।

सभापति महोदय, इस बजट में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है। सरकार ने उत्पाद शुल्क की सीमा को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। आज तक कई उद्योग वाले मेरे पास आये हैं और वे कह रहे थे कि कई सालों से इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है किंतु हमारे वित्त मंत्री जी ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पाद शुल्क की सीमा को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है, ताकि गांवों में लोगों को रोजगार मिले।

वित्त मंत्री जी मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहती हूं कि हमारे यहां सिरामिक जैसे उद्योग हैं जिनका माल हम विदेशों को भी निर्यात कर सकते हैं। इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, और विदेशी पूंजी भी ज्यादा मिलेगी। मेरा एक नम्र निवेदन है कि फ्यूल के लिए और ऊर्जा के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई मिले जिससे उन उद्योगों की विकास की गति तेज हो सके। वित्त मंत्री जी ने एक और सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने अपने बजट में इंस्पेक्टर राज को हटाने के लिए प्रशासन तंत्र के कानून और विनियमों की पुनरीक्षा और आवश्यक परिवर्तन की घोषणा की है। इस घोषणा से, आज तक जो बेरोजगारी चल रही थी उस बेरोजगारी और इंस्पेक्टर राज पर पूरा नियंत्रण होगा और लघु उद्योगों को पूरा प्रोत्साहन मिलेगा।

हम जानते हैं कि देश के युवा जन देश की पूंजी होते हैं, उनका अपना स्वाभिमान होता है। उनके शक्तिशाली हाथों को काम दिया जाए। किंतु आज पर्यन्त प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के बाद रोजगारी नहीं बढ़ी बल्कि प्रत्येक योजना के बाद बेरोजगारों की फौज बढ़ती चली गई। कई बेरोजगार लोग बेरोजगारी से पीड़ित

[श्रीमती भावना कर्दम दवे]

होकर आत्महत्या करने लगे और कई असामाजिक प्रवृत्ति की ओर प्रोत्साहित हुए। मैं वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने गांवों और शहरों में रहने वाले नौजवानों, छोटे-छोटे काम करने वाले देश के दस्तकारों, कारीगरों, बुनकरों, सब्जी बेचने वालों, छोटा-मोटा धंधा करने वालों और सभी उद्यमियों को जो स्वयं का कारोबार करना चाहते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर प्रावधान किया है ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। इस दिशा में नाबार्ड के जरिये उद्यमियों को निधियां उपलब्ध करवाने, सैल्फ हैल्प ग्रुप को बढ़ावा देने की जो सीमित स्कीम थी, उसके कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। उस कार्यक्षेत्र का अगले पांच साल में विस्तार करके दो लाख लोगों को स्वयं सहाय समूहों के रूप में मदद दी जायेगी जिससे 40 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस बजट में इसी साल दस हजार स्वयं सहाय समूहों को मदद दी जायेगी, जिससे दो लाख परिवारों को लाभ होगा जो बहुत ही प्रशंसनीय बात है।

जितनी जरूरत बच्चे को माता-पिता की होती है उतनी ही जरूरत इंसान को घर की होती है। हमारे देश में बहुत से लोगों के सिर पर छत नहीं है। उन लोगों की चिंता करते हुए इस बजट में बीस लाख अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य रखा गया है जिनमें 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्र में और सात लाख मकान शहरी क्षेत्र में बनाने का निर्णय किया गया है।

सभापति महोदय, सचमुच में आज तक गांवों की ओर देखा नहीं गया है। आज इस बजट में गांवों में डेढ़ लाख आवास बनाने की योजना प्रस्तुत की गई है यह प्रशंसनीय कार्य है। हुडको को 110 करोड़ रुपये की पूंजी दी गई है ताकि इस देश का जो मध्यम वर्ग है उसका इसके जरिए ख्याल किया गया है।

सभापति महोदय, कृषि और किसानों के लिए जो प्रावधान किए हैं उनको देखने से सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है। थोड़े दिन पहले इसी सदन में कृषकों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले पर बहस हुई थी। मैं पूछना चाहती हूं किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों होना पड़ा। हमारे वित्त मंत्री ने ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से चिन्तित होने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। अब किसान को कर्जा वापस न करने की हालत में जेल में नहीं जाना पड़ेगा और आत्महत्या करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं और बैंकों के जरिए राहत प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। यह अत्यंत प्रशंसनीय है। अब किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए, कीटनाशक के लिए लाचारी नहीं भुगतनी पड़ेगी। वह उस कार्ड के आधार पर बैंक से पैसा लेकर खरीद सकेगा। नाबार्ड की शेयर पूंजी में 500 करोड़ रुपये तक की वृद्धि करके कृषि की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

सभापति महोदय, जल सृष्टि का प्राण होता है। देश के गांवों में अभी तक कृषि कार्य के लिए जल नहीं पहुंच सका है। कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में अभी तक जल उपलब्ध नहीं कराया गया है। मैं जानती हूं कि हमारे देश की जो जमीन हैं, उसके सिर्फ 36 प्रतिशत में ही सिंचाई की सुविधा मिली है। इस बजट में कृषि के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने का प्रयास किया गया है जिसमें जल भंडारण सुविधा और सिंचित क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। त्वरित सिंचाई लाभ के लिए वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष के प्रावधान में 58 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, जो प्रशंसनीय कदम हैं।

सभापति महोदय: मैडम अब कन्क्लूड किया जाए।

श्रीमती भावना कर्दम दवे: सभापति महोदय, शिक्षित नागरिक राष्ट्र की धरोहर होता है। इस बजट में शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई। इतना ही नहीं, मैं मंत्री जी का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करना तय किया है। मैं इस देश की सब महिलाओं की ओर से मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं।

सभापति महोदय, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। 1997-98 के संशोधित अनुमान 36099 करोड़ रुपए से काफी धन बढ़ाकर इस बजट में 41200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो सचमुच में ही अच्छी बात है। राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। हम किसी को सताते तो नहीं हैं, लेकिन सताने वाले को छोड़ते भी नहीं हैं। एक कहावत है-काटो मत, लेकिन फुफकारो। हमारी सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। हमारे विपक्षी दल के भाइयों ने अभी तक बहुत कुछ कहा है हमने वह सब बैठकर सुना है। हमने देखा है कि इस काम में विपक्ष को हमारा साथ देना चाहिए लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक ओर विदेशी पूंजी को आने देने की बात कही है तो दूसरी ओर हैंडलूम वालों की चिन्ता व्यक्त की है। मैं आपसे कहती हूं कि यह तो ऐसी बात हुई कि एक साथ आटा भी खाओ और हंसो भी। हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि यह जो काम हुआ है वह ठीक है या नहीं। सिर्फ विरोध करने के लिए टीका-टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, बहुत सालों के बाद इस देश को बहुत अच्छा बजट मिला है। हमारे वित्त मंत्री जी का जो नाम है उसी के अनुरूप हमारे देश का जनमानस प्रभावित होगा और हमारे देश

के ऊपर इस बजट का प्रभाव ऐसा पड़ेगा जिसका यश वित्त मंत्री सिन्हा जी को जरूर मिलेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बड़ागरा): माननीय सभापति और माननीय वित्त मंत्री जी, मैं माननीय सभापति जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे महिला होने के नाते पहले बोलने का मौका दिया। मैं माननीय सदस्य प्रो. अजित कुमार मेहता का, जिनका नाम बोलने के लिए पुकारा जा चुका था भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपने स्थान पर मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा 1 जून, 1998 को पेश किए गए 1998-99 के बजट का विरोध करती हूँ अपने भाषण में उन्होंने कहा कि एक नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमें शंका है कि इस बजंट से किस प्रकार के भारत का निर्माण होने जा रहा है। हम इस बात से आशंकित हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंधों और सबसे ऊपर एक आम आदमी की पीड़ाओं के अलावा, यह बजट किसानों और मजदूरों की आकांक्षाओं पर तुषारापात करता है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि यह बजट स्वदेशी पर आधारित है और उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति को भी याद किया है और उन्होंने स्मरण कराया कि बजंट तैयार करते समय गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के चेहरे उनके सामने थे।

गांधी जी के मूल मंत्र को पुन: याद दिलाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री के शब्दों को भी उद्धृत किया है "झण्डा जिसे लेकर हम चल रहे हैं वह कभी नहीं झुकेगा और हमारे बढ़ते हुए कदम कभी नहीं रुकेंगे।"

इस बारे में मैं एक प्रार्थना करूंगी कि जब आप आगे बढ़ें बिना रुके हुए, मेरी प्रार्थना है कि आपके कदम इस बजट के जरिए आम लोगों देश के मेहनत करने वाले लोगों को कुचलते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे।"

अब हमें महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर नजर डालनी चाहिए क्योंकि यह अपने आप में गलत नहीं है कि सभी अच्छे उद्देश्य हैं और एक प्रमुख उद्देश्य है कि कृषि में गिरावट को रोकना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। लेकिन मुझे इस बारे में यह कहना है कि कृषि के क्षेत्र में गिरावट को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते वक्त, मैं सत्तापक्ष के लोगों को वाणिज्य मंत्री द्वारा 13 अप्रैल की घोषित की गई आयात-निर्यात नीति की याद दिलाना चाहूंगी। इस नीति के अंतर्गत 340 वस्तुओं को मुक्त सामान्य लाइसेंस के तहत लाया गया था और इसमें आम लोगों की रोजमर्रा की चीजें हैं।

जहां तक मेरे राज्य का प्रश्न है, इस आयात-निर्यात नीति ने तो हमारी अर्थव्यवस्था विशेषरूप से रबड़ और नारियल आधारित, की कमर ही तोड़ दी है।

इस सरकार ने किसानों के लिए अपने स्नेह की घोषणा की है लेकिन मुझे सरकार द्वारा घोषित नीति में किसानों के लिए कोई स्नेह दिखाई नहीं पड़ता। केरल के रबड़ और नारियल उत्पादक किसानों सहित देश के सभी किसान बुरी तरह दु:खी हैं। कल मिल नारियल का समर्थन मूल्य 2900 रुपये और बाल नारियल के लिए 3000 रु. समर्थन मूल्य घोषित किया गया था लेकिन यह समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कहीं कम है यदि बाल नारियल का समर्थन मूल्य 2900 रुपए प्रति कुन्तल है तो प्रति नारियल 4.20 पैसे पड़ता है और यदि बाल नारियल का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति कुन्तल है तो प्रति नारियल 4.21 पैसे पड़ता है लेकिन एक नारियल की उत्पादन लागत 5.53 पैसे है। इसी से पता चलता है कि सरकार का किसानों के लिए कितना स्नेह है। इससे भी अधिक, कृषि आधारित रबड़ आधारित उद्योग पर 5 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क है। 1960 में विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1960 में लघु उद्योग खोले गए थे। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में 92 इकाई चल रही हैं। इन 92 इकाईयों के साथ-साथ अन्य लघु उद्योग इकाईयां हैं जो लेटेक्स और नारियल ब्राउन फाइबर का परिशोधन करती हैं। 70 प्रतिशत ब्राउन फाइबर और 30 प्रतिशत लेटेक्स का इस्तेमाल रबड़ आधारित उद्योगों में किया जाता है। इन इकाइयों से आय और रोजगार का सृजन होता है और हजारों परिवार इन पर निर्भर हैं। लेकिन अब इन इकाइयों को बंद होना पड़ रहा है क्योंकि वे उत्पादन की लागत भी पूरा नहीं कर सकती हैं। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से 5 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को समाप्त करने का आग्रह करूंगी।

इस बजट में सारी घोषणाएं लघु उद्योगों के लिए की गई हैं। इन शब्दों का प्रयोग माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में किया है। यह लघु उद्योगों में पूरी निष्ठा अथवा रुचि दर्शाता है तथा इससे लघु, मझौले और बड़े किसानों को सहायता मिलेगी तथा साथ ही इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह तो महज एक उदाहरण है जिसे मैं उद्धृत कर रही हूँ! अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां लघु उद्योगों को भारी धक्का लगा है। अत: मुझे नहीं लगता कि छोटे, मझौले अथवा बड़े किसानों के लिए कोई स्नेह है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृषि आधारित उद्योगों यानि रबड़ आधारित इकाई पर लगाया गया पाँच प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को वापस ले लें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम: महोदय, मैंने बात अपनी अभी-अभी शुरू की है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने मुझे अवसर देने के लिए अपनी बात सीमित कर दी है। कृपया मुझे पांच मिनट और दीजिए।

मैं अब किसान क्रेडिट कार्ड का उल्लेख करूंगी। बैंकिंग संस्थाएं लघु और सीमान्त किसानों के समर्थक नहीं हैं। यहां मुझे लुईस-XIV की उक्ति याद आती है:

''अधिक ऋण लेने के लिए, व्यक्ति को धनी दिखना चाहिए''

हमारे लघु और सीमान्त किसान बहुत गरीब दिखाई पड़ते हैं। वे धनी नहीं दिख सकते हैं। अत: बैंकों, संस्थाओं द्वारा उनको नजरअन्दाज किया जाता है। मैं वित्त मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे उचित निर्देश दें ताकि ऋण देते वक्त छोटे और सीमान्त किसानों पर उचित ध्यान दिया जा सके। दूसरा उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र के बारे में है। हालांकि शिक्षा के लिए बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह अच्छी बात है। सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है कि इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद को छ: प्रतिशत तक किया जाएगा। यह अच्छी बात है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार, देश में मुद्रास्फीति के रुख को देखते हुए, इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी।

डालर की कीमत पहले ही 42.45 हो गई है। बजट की घोषणा पिछले सप्ताह ही की गई थी और एक सप्ताह के भीतर मुद्रास्फीति की दर अधिक हो गई है। इस प्रकार मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति से मुझे नहीं लगता कि बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि से वास्तव में 50 प्रतिशत प्रभाव होगा। कुछ माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि इस वृद्धि का बड़ा भाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए वेतनमान-संशोधन के कारण स्टाफ की वेतन वृद्धि में हो चला जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि प्राथमिक शिक्षा और अन्य साक्षरता कार्यक्रमों की पूरी तरह अनदेखी होगी। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले की जाँच करें और इस क्षेत्र के बारे में कुछ रचनात्मक कार्य करें।

हाल ही के संवाददाता सम्मेलन में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने परमाणु विस्फोट के मद्देनजर यह आशंका व्यक्त की है कि आर्थिक प्रतिबन्धों से बाधा उत्पन्न होगी और इन आर्थिक प्रतिबन्धों से प्रत्येक क्षेत्र पर निश्चित रूप से कुछ प्रभाव पड़ेगा। अत: मेरा विचार यह है कि इस 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रभाव 50 प्रतिशत से कम होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कुछ अधिक नहीं कहा गया है और केवल चीनी के लिए मात्र 400 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गयी है और अन्य खाद्यान्नों के लिए बहुत कम धनराशि का उपबन्ध किया गया है। वास्तव में, मैं इसलिए इस बजट को जनता-विरोधी कहती हूं क्योंकि राजसहायता वास्तव में, आम आदमी, गरीब आदमी और जरूरतमंद तक नहीं पहुंचती। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि खाद्यान्न जरूरतमन्द लोगों के पास पहुंचेगा।

मैं स्वास्थ्य, जल-योजनाओं इत्यादि का उल्लेख करना चाहूँगी परंतु चूंकि समय की कमी है, मैं उनको नहीं लूंगी। परन्तु मैं विनिवेश के बारे में अवश्य कहूँगी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम ऐसे हैं। जो रुग्ण है। मैं यह बात स्वीकार करती हूं। परन्तु मुझे यह बात नहीं समझ आती कि बीमा-क्षेत्र को निजी उद्यमियों को क्यों दिया जा रहा है।

यह बीमा व्यवसाय सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत शुरू किया गया था। यह छोटे से स्तर पर शुरू किया गया था परंतु यह विशाल छायादार वृक्ष की भांति विकसित हो गया। इससे न केवल रोजगार ही मिल रहा है बल्कि इससे करोड़ों रुपये का लाभ भी मिल रहा है। इससे सामाजिक क्षेत्र को सुविधा मिली है। बीमा क्षेत्र द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय किए गए हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि इस क्षेत्र को भारत में निजी क्षेत्र के लिए क्यों दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इसे भारत की निजी क्षेत्र की कम्पनियों को दिया जा रहा है परंतु यह भारतीय कम्पनियां वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों को दे देंगी। हमने ऐसा देखा है।

आज मारुति-सुजूकी के बारे में काफी चर्चा की जा रही थी। स्वदेशी इस सरकार की घोषित नीति है। स्वदेशी की भावना अथवा वह स्वदेशी जिसको लाने की बात वह करते हैं, वह कहाँ है? मेरे विचार में, जब वे स्वदेशी कहते हैं, तो उनके मन में कोई और बात होती है। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि यह स्वदेशी शब्द के विपरीत है? जब वे स्वदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या उनका तात्पर्य यह होता है कि वे विदेशों से नहीं अपितु विदेशी से प्यार करते हैं? मेरे विचार में, हमें इसे इसी प्रकार से लेना होगा। बजट प्रस्ताव यह है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन जी.ए.आई.एल., वी.एस.एन.एल. और कानकार कंपनियों में विनिवेश किया जायेगा और इनमें सरकार के अंश को कम करके 6 प्रतिशत किया जा रहा है। बीमा क्षेत्र का भी वही होगा और धीरे-धीरे इसे विदेशी निवेश के लिए दे दिया जायेग और इससे यह भी आशंका है कि निवेश से फैक्ट पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मैं और ब्यौरा देना चाहूँगी परंतु समयाभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूं। अब मैं, कर प्रस्तावों के बारे में कुछ अवश्य कहूंगी।

रात्रि 8.00 बजे

महोदय, जैसा कि श्री चिदम्बरम ने ठीक ही कहा है कि यह एक कड़ी कर नीति है। प्रत्यक्ष कर के कराधार को व्यापक करने तथा उन अमीर लोगों पर कर लगाकर जो कि आयकर अदा कर सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अवरोधी अप्रत्यक्ष कर लगा दिए हैं।

जहां, तक उत्पाद शुल्क का संबंध है मैंने पहले ही कृषि पर आधारित उद्योगों का जिक्र किया है। कुछ अन्य ब्रांडेड वस्तुएं जैसे चाय सिलाई मशीन आदि ऐसी हैं जिन्हें साधारण लोग इस्तेमाल करते हैं। सिलाई मशीन पर अप्रत्यक्ष कर का अर्थ है महिलाओं पर कर लगाना इन महिलाओं पर जो कि स्वरोजगार पर आश्रित हैं, इससे उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने पैट्रोल के मूल्य में केवल एक रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। भाषण में ऐसा कहा गया था किन्तु जब हम इस सभा से बाहर गए तो मालूम हुआ कि पेट्रोल के दाम में भारी वृद्धि हुई है। माननीय वित्त मंत्री विनम्रतापूर्वक यह कह सकते हैं कि उस दिन उन्होंने सभा के साथ मजाक किया था क्योंकि मोटर स्प्रीट पर उत्पाद शुल्क में 20 से 35 प्रतिशत को वृद्धि की गई है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का भी विरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, वर्ष 1998-99 के आम बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आपकी आभारी हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 1998-99 का बजट पेश किया है, यह एक अच्छा बजट है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं। इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने सभी क्षेत्रों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति जी, मैं बिहार राज्य के जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से प्रथम बार जीतकर आई हूं एवं अभी तक जो हमने अपने संसदीय क्षेत्र का अध्ययन किया है, उसके तहत मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कुछ बजटीय सहायता आवश्यक प्रतीत होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्रमुख उद्योग मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित हैं।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मेरे संसदीय क्षेत्र के गाटशिला मुसाबनी स्थित ''बानालोपा खदान'' बंद हो चुकी है जिसके कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे बेकार श्रमिकों के लिए अलग बजटीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा कराई जाए। साथ ही ''बानालोपा खदान'' को वित्त पोषित कर जीर्णोद्धार किया जाए।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान कॉपर लि. उद्योग घाटे की स्थिति में चल रहा है। हमारे इस उद्योग में देश का चालीस प्रतिशत तांबा पाया जाता है। कुछ मात्रा में सोना और चांदी भी पाई जाती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि इस उद्योग में अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर तथा इसके घाटे के अन्य कारणों का अध्ययन कर इसे बचाया जाये ताकि आने वाले भविष्य में हिन्दुस्तान कॉपर उद्योग से संबंधित मजदूरों एवं उसके परिवारों को बेकारी से बचाया जा सके और राष्ट्रीय महत्व के इस उद्योग को, राष्ट्र को लाभ हो सके।

हमारा संसदीय क्षेत्र वनांचल क्षेत्र में आता है जहां पूरा वनांचल, राष्ट्र की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भी पेयजल की समस्या से ग्रसित है और इसका एकमात्र कारण यह है कि प्रत्येक वर्ष जो नलकूप पेयजल के लिए लगाए जाते हैं, पहाड़ी इलाका होने के कारण वे उपयोगी नहीं रह पाते हैं। मैं इस संबंध में निवेदन करूंगी कि पूरे वनांचल क्षेत्र के लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नलकूप के स्थान पर कुएं से पानी निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम पर 1627 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाये।

सभापति महोदय, संपूर्ण भारतवर्ष में जो डाकघर की शाखा खोलने के लिए जनसंख्या का मापदंड रखा गया है, हमारे वनांचल प्रदेश की जनसंख्या मापदंडों के तहत नहीं आ पाती। फलस्वरूप आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जिस अनुपात में डाकघर की सेवाएं प्रदान की जानी चाहिएं, आम लोगों को वे नहीं मिल पाती हैं। इस संबंध में अनुरोध करना चाहूंगी कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में डाकघर की अतिरिक्त शाखाएं खोलकर पिछड़े आदिवासियों को संचार सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए साथ ही बजट में जो 500 विभागेत्तर शाखा डाकघर खोले जाने का प्रावधान किया गया है, उसे 750 किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, काफी दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयास के बावजूद लड़कियों को दी जाने वाली शिक्षा पर अलग से प्रावधान नहीं किया गया था किन्तु इस वर्ष हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना

[श्रीमती आभा महतो]

चाहूंगी कि हमारे वनांचल क्षेत्र में लड़कियों के लिए विशेष तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना कराई जाए। इसके साथ ही साथ केन्द्रीय महाविद्यालय की स्थापना भी की जाये।

सभापति महोदय, वनांचल क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बिजली की समस्या को देखते हुए एक बड़ा प्रोजेक्टर विद्युत उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए एवं वरीयता के आधार पर वनांचल के ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाए।

सभापति महोदय, वनांचल क्षेत्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों के पास आज भी रहने के लिए मकान नहीं हैं। वर्ष 1998-99 के बजट में जो लक्ष्य इंदिरा आवास योजना के लिए रखा गया है वह काफी कम समझ में आता है। इसे 1600 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए तथा वनांचल के लिए अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए।

हमारा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है किन्तु यहां से हवाई सुविधायें लोगों को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। मैं इस संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगी कि बजट में प्रावधान कर जमशेदपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए डायरेक्ट वायुयान की व्यवस्था कराने का प्रावधान किया जाए। साथ ही इस जमशेदपुर औद्योगिक नगरी में एक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे वनांचल क्षेत्र के निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपनी धनराशि का निवेश करने की व्यवस्था की जा सके।

अंत में वनांचल क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे आदिवासियों, पिछड़े लोगों की पहचान सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु उन्हें एक अलग तरह का राशनकार्ड मुहैया कराया जाए जिसके तहत उन्हें दैनिक जीवन की खाद्य वस्तुओं को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं तथा अच्छे बजट की सफलता की कामना करती हूं। धन्यवाद।

डॉ. प्रभा ठाकुर (अजमेर): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रदर्शित करती हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। मैं बताना चाहती हूं कि लोक सभा में चुनकर आने का यह मेरा पहला अवसर है और पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला है लेकिन इस सदन से बाहर जो इस देश की जनता है, वह इस सदन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या राष्ट्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनके बारे में अपने विचार रखती है, चिंतन करती है। आज देश की जनता इस बजट को लेकर जैसा महसूस कर रही है, सोच रही है, बातचीत कर रही है और महिलाओं में जो चर्चा बनी है, उन कुछ बिन्दुओं को ही मैं बहुत कम समय में विशेष रूप से इस सदन में रखना चाहूंगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को स्वदेशी बजट कहा है हालांकि स्थिति यह है कि स्वदेशी बजट आने के साथ ही इस देश की जो स्वदेशी जनता है, वह काफी चिंतित और त्रस्त हो गई है। जनता संभावित महंगाई के बारे में सोचकर चिंतित हो गई है। इस बजट के कारण विशेष रूप से महिलाएं परेशान हैं। यदि इस बजट को कोई शीर्षक दिया जाए तो वह-"जय जवान जय किसान" बनता है। इस शीर्षक में कितनी सच्चाई और वास्तविकता है, इसे मैं यहां कुछ बातों से स्पष्ट करना चाहती हूं। पहले हम "जय किसान" शीर्षक लेते हैं जिसके अंतर्गत माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से कई बड़े लुभावने वायदे किए गए हैं, बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाए गए हैं और किसानों के प्रति बजट के माध्यम से बड़ा प्रेम भाव प्रकट किया गया है।

लेकिन इन वायदों को लागू करने के इरादे कितने मजबूत हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, यह तो वक्त ही बतायेगा। लेकिन जो कुछ हम इन दिनों पढ़ते हैं, उसके अनुसार, अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण इस बजट का अध्ययन करने के बाद जो मत बना है, वह यह कहता है कि इस बजट के मूल में किसानों और राष्ट्रों की सुरक्षा के चिन्तन के मूल में कहीं राजनैतिक चिन्तन ही अधिक प्रमुख है, गम्भीर इच्छाशक्ति के बजाय वही ज्यादा नजर आता है। कहने को तो इस बजट में कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही देश की असली धुरी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की धुरी है, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए जो धनराशि बजट में आबंटित की गई है, वह कुल बजट के 60 प्रतिशत के घोषित लक्ष्य से काफी नीचे है। वैसे इस बजट के आते ही जो पहली गाज गिरी, किसान प्रमुख बजट जिसे कहा गया, उसमें पहली गाज किसानों पर ही गिरी। आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि यूरिया के दामों में जिस तरह अप्रत्याशित घनघोर वृद्धि की गई, जिसे बाद में सदन में भारी विरोध और असहमति प्रकट करने पर कृपा करके मंत्री महोदय ने वापस लेने का निर्णय लिया, वैसा मन बनाया, लेकिन उस समय पहली गाज किसानों पर ही गिरी थी, जिसके फलस्वरूप सैंकड़ों-हजारों किसान दिल्ली में, राजधानी में एकत्रित हो गये थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तहत जो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इससे सचमुच में जो वाकई ग्रामीण हैं, वही लाभान्वित होंगे, यह देखे जाने की विशेष बात है। इसके अलावा किसानों को जो ऋण दिया जाता है, उसकी वसूली में उस तरह की थानेदारी किस्म की तत्परता न बरती जाये और किसानों से ऋण वसूली करने की एक अच्छी संस्कृति बने ताकि वह आराम से ऋण दे सकें और उन पर इतना तनाव न बढ़ जाये,

उनके दिमाग पर इतना बोझ न बढ़ जाये कि उन्हें आत्महत्या करने जैसी स्थितियों के लिए विवश होना पड़े। इस बात पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

इस बजट में लघु उद्यमों को बढ़ावा देने की बात है, लेकिन सभी जानते हैं कि लघु उद्योगों के उद्यमी ऋण प्राप्ति के लिए जिस तरह चक्कर काटते रहते हैं, हर जगह चढ़ावे के बिना उनका काम नहीं होता है, उनकी गाड़ी नहीं चलती है, उससे मुक्ति का उपाय होना चाहिए।

आवास के बारे में बजट में जो घोषणा है कि बढ़ोत्तरी की गई है, वह स्वागतयोग्य है, लेकिन यह कितनी कारगर होती है और वस्तुत: जो आवास के लिए जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें ही आवास मिले और इसका कोई राजनैतिक दृष्टि से वितरण नहीं हो तो सचमुच हम कहेंगे कि यह आवास की व्यवस्था सार्थक हो गई।

बजट में एक बात महिलाओं की निशुल्क शिक्षा के लिए कही गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इस बजट में उदारता दिखाई गई है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूं। यह स्थिति राजस्थान में तो है, हो सकता है कि और भी कई प्रदेशों में हो कि वहां 10 साल से, 12 साल से जो मिडिल स्कूल हैं, वे मिडिल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं तो प्राइमरी हैं, सैकेण्डरी स्कूल हैं तो सैकेण्डरी हैं। उन्हें क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आजकल जैसा वातावरण है, जैसे हादसे घटित हो रहे हैं, उस स्थिति में कहीं भी माता और पिता अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए अपने गांव से दूर भेजने के लिए मानसिक रूप से कतई तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने गांव में ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था मिल सके या ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए पड़ौस के एकदम गांव तक जायें, इस तरह की कोई व्यवस्था हो सके और स्कूल समय पर क्रमोन्नत हो सकें, क्योंकि लड़कियों की जो इच्छा है, वे अपनी इच्छा के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जहां वे रह रही हैं, वहां के स्कूल क्रमोन्नत हों। इस संबंध में सरकारी बजट का उपयोग हो तो मेरे विचार में अधिक सार्थक होगा और वह वस्तुत: महिलाओं के हित में होगा।

आज इस बजट की वृद्धि से मुझे यह लगता है कि बजट बनाते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने इस देश के माहेला वर्ग के प्रति शायद कोई सोच नहीं रखी। इस समय गृहणियां जिस कदर परेशान हैं, जिस तरह हर चीज पर आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, चाहे चाय हो, दूध हो, घी हो, मक्खन हो, पनीर हो, सब पर जो एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है, चाहे वह विदेश से आयातित कोई कम्पोनेंट्स हों, कलपुर्जे हों, चाहे स्थानीय रोजमर्रा की उपयोग की चीजें हों, घर की घी, दूध, दही, पनीर जैसी चीजें, जिनसे गृहणियां घर चलाती हैं, वे ही जानती हैं कि कैसे अपने बच्चों को दूध मुहैया कराएंगी, कैसे वे अपने बच्चों को चुपड़ी हुई रोटी खिलाएंगी, किस तरह आये हुए तिथियों के सत्कार में चाय बनाने के लिए भी गरीब घर की गृहणियों को विचार करना पड़ेगा। नमकीन और मिठाई जैसी चीजें, जो हर अवसर पर काम में आती हैं, हर परिवार के काम में आती हैं, हर मौके पर काम में आती हैं, उन पर भी एक्साइज लगाकर जिस तरह से वृद्धि कर दी गई है आठ प्रतिशत की तर्ज पर कि हर माल मिलेगा आठ आना, उसी तरह आठ गुना की दर से एक्साइज में जो वृद्धि की गई है उसका भार आखिर तो स्वदेशी जनता पर ही पड़ने वाला है, स्वदेशी गृहणी की जेब पर ही 16 प्रतिशत के रूप में पड़ने वाला है। उस संभावना पर अगर माननीय वित्त मंत्री जी उदारतापूर्वक पुनर्विचार करने की कृपा करें तो इस देश की गृहणियों के ऊपर और इस देश के गरीब नागरिकों के ऊपर उनकी बड़ी कृपा होगी। मैं चाहूंगी कि इस विषय में जो रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ काम में आते हैं, उनके बारे में विचार करने की जरूरत है।

डाक सामग्री पर भी जिस तरह शुल्क बढ़ा दिया गया है, बजट में बढ़ोत्तरी हुई है, कहीं-कहीं डेढ़ गुना वृद्धि हुई है, इससे लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। आजकल रेल के किरायों में वृद्धि हो ही गई है और बसों का किराया भी काफी लगने लगा है, अब लोगों के पास, इस देश की जनता के पास यही विकल्प रहता है, यही सहारा रहता है कि चिट्ठी-पत्री के द्वारा एक दूसरे के समाचार जान लें, एक दूसरे के दुख-दर्द में शरीक हो सकें। इस तरह की पोस्टेज में वृद्धि गरीब लोगों को बहुत हतोत्साहित करेगी। अब उन्हें पोस्ट कार्ड लिखने के लिए, लिफाफा और अन्तर्देशीय लिखने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि वे लिखें या न लिखें।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि जो इनके बजट का दूसरा नारा है, जय जवान, उसके मद्देनजर जो 14 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर हुई है, मैं यह जानना चाहूंगी कि इस देश में दो माह पहले तक ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई देती थी कि राष्ट्र को कोई खतरा है, किसी तरह की ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई थी। यह स्थिति कहां से अचानक पैदा हुई? राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर हमने बड़ा अणु परीक्षण किया, उसके बाद हमने पड़ोसी देशों को चुनौतियां दीं, हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों, सरकार के मंत्रियों, गृह मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी के वक्तव्यों द्वारा पाकिस्तान को चुनौतियां दी गई, उसे इस अंदाज में ललकारा गया कि-आ बैल मुझे मार। देश में एक माहौल गर्माया गया, ऐसा वातावरण बना दिया गया कि जैसे कभी भी युद्ध हो सकता है। युद्ध की संभावना से लोगों को डरा दिया

[डा. प्रभा ठाकुर]

गया। उसके बाद देश की सुरक्षा के नाम पर 14 प्रतिशत का जो इजाफा किया गया है, मैं कहना चाहती हूं कि यह देश की भूखी और प्यासी जनता के मुंह से जैसे निवाला छीना गया है।

आज हमें इस देश में एक नहीं कई मोर्चों पर युद्ध करना है-हमें बेरोजगारी से युद्ध करना है, हमें भ्रष्टाचार से युद्ध करना है। कहीं पीने के पानी की इतनी कठिनाई है, कई जगह तो फ्लोराइडयुक्त पानी हम पी रहे हैं, जहरीला पानी पीने को विवश हैं। जिस देश में ऐसी स्थिति है कि पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, गरीब आदमी को रोजी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और इतने मोर्चों पर हमें जहां युद्ध करना है, अपनी ही समस्यां से, साम्प्रदायिकता से, अपने आपसी कई तनावों से, जो इस समय विद्यमान हैं, बजट में राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर जो 14 प्रतिशत की हमने वृद्धि की है, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह नहीं है कि हम इससे कोई समझौता करना चाहते हैं। इस देश की महिलाओं ने राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर पहले भी गहने दिये हैं और आगे भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर युद्ध का वातावरण बनाया जाये, यह कदापि समीचीन नहीं है। इससे राजनैतिक दृष्टिकोण ही ज्यादा नजर आता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट के अलावा और कुछ चीजों में कटौती करके यदि धन बचाया जाये तो ज्यादा उपयुक्त होगा। बेहतर होगा कि यदि हम पड़ौसी देशों से मैत्री के रास्ते तलाशें, युद्ध की संभावनाएं न तलाशें। हम मैत्री के रास्ते तलाशें, यह ग्लोबल विलेज का जमाना है, विश्व बन्धुत्व का जमाना है, इसलिए हम मैत्री के रास्ते तलाशें।

दोस्ती के रास्ते खोजें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। अंत में मैं देश की समूची जनता की ओर से माननीय वित्त मंत्री से एक शेर के रूप में अपनी बात कहना चाहूंगी-

वफा करो न करो, वफा की बात तो करो
हमारे दर्द को देखो, दवा की बात करो।

श्री मदन लाल खुराना: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि साढ़े आठ बजे से रूम नम्बर 70 में सदस्यों के लिए और प्रैस के लिए डिनर की व्यवस्था उपलब्ध है। स्टाफ के लिए रूम नम्बर 73 में व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। मैं लड़कियों को कालेज स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के वित्त मंत्री तथा विशेषकर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का स्वागत करती हूँ। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, विद्युत क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के लिए अधिक से अधिक धनराशि का आवंटन किया गया है। यद्यपि आज मैं दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण बोलने के लिए तैयार नहीं थी फिर भी मैं बोलूंगी क्योंकि जैसा मैंने सुना है कि हमें आज ही बोलना है तथा कल मंत्री का उत्तर का उत्तर ही दिया जायेगा। इसीलिए मैं उन विशेष विषयों पर ही ध्यान दूंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उनके कार्यभार संभालने के तीन या चार महीनों में ही सरकार ने कुछ क्षेत्रों में ठोस कदम उठाये हैं। मैं इन सभी बातों को नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि समय कम है और हमारे और साथी भी बोलना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस बजट पर कुछ टिप्पणियाँ करनी हैं। सबसे पहले, आप एक बात से सहमत तो होंगे ही कि आजकल बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह कैंसर की तरह बढ़ रही है। इसीलिए हमारी सरकार के राष्ट्रीय एजेन्डे में "बेरोजगारी हटाओ" पर अधिक जोर दिया गया है। इस बजट में सरकार ने दो लाख युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का विकल्प रखा है। विगत तीन या चार वर्षों से भर्ती पर प्रतिबन्ध लगने के कारण यद्यपि सरकारी क्षेत्र में ही पांच लाख रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए प्रार्थना-पत्र देने का भी कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि वह इस संबंध में कोई कदम उठाये। जबकि सरकार कई ठोस कदम उठा रही है, मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि वह भर्ती पर लगी रोक को हटाये ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। मुझे सूचना मिली है कि अभी आर्मी, संचार क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि आप आर्मी में रोजगार क्षमता बढ़ा दें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा अन्य लोगों को लाभ मिलेगा। यदि हमें अपनी आर्मी को सुदृढ़ करना है तो हमें युवा लोगों को आर्मी में भर्ती करना पड़ेगा। ये युवा भी देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। यह मेरा पहला सुझाव है।

दूसरी बात बीमा क्षेत्र की है जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मुझे पता है कि इस क्षेत्र का निजीकरण संयुक्त मोर्चा सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम और वर्तमान वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा का साझा कार्यक्रम है। सरकारी क्षेत्र और बीमा क्षेत्र का निजीकरण करना उनका उद्देश्य है। मैं आपके समक्ष एक बात कहना चाहती हूं। आप एक बात से सहमत होंगे ही कि आम आदमी अपना पैसा सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम तथा अन्य बीमा कम्पनियों में रखता है। यहां तक कि कुछ कम्पनियां, गृहणियां, तथा रिक्शा चलाने वाले आदि भी बीमा कम्पनियों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि उनके विचार से ये कम्पनियां पैसा लगाने के लिए सुरक्षित स्थान हैं।

आपने ''समाधान, सरल, सम्मान'' के विषय में बताया। मैं इन सभी योजनाओं का स्वागत करती हूं। लेकिन क्या आप इस देश के आम लोगों को ''विशेष सम्मान'' नहीं दे सकते हो? मैं आपको यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। इतनी सारी निवेश कम्पनियाँ हैं। ये कम्पनियां, बस आती है, लोगों से पैसे लेती है, उन्हें बाहर फैंक देती हैं और इस तरह उन्हें ठगती हैं। इसमें कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है। सरकार की कोई सुरक्षा नहीं है। इन बीमा कम्पनियों पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं इस बजट का समर्थन कर रही हूँ लेकिन मैं वही कह रही हूं जो मैंने लोगों से सुना है। यदि आप निजीकरण की अनुमति देंगे तो लोग इन कम्पनियों में अपना पैसा रखने से घबरायेंगे। इसीलिए क्या आप तुरंत निर्णय लेने की बजाय एक विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं कर सकते हैं? क्या आप इस मामले पर विशेषज्ञों की राय नहीं ले सकते हैं? आप आम व्यक्तियों को भी शामिल कर सकते हैं। आप किसानों, मजदूरों से एक-एक व्यक्ति तथा दूसरी तरफ से एक व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं जो यह कर सके और इसके बारे में निर्णय ले सके। मेरे विचार से यह बेहतर होगा कि आप इस मामले पर विचार करें।

जहां तक सरकारी क्षेत्र की इकाईयों की बात है। मैं जानती हूं कुछ ऐसी सरकारी तथा निजी क्षेत्र की इकाईयां है जिनमें कुछ लोग इन इकाइयों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ये सरकारी इकाइयां सरकार या वित्तीय संस्थानों की अवहेलना की वजह से दिन प्रतिदिन किसी गहरे संकट का सामना कर रही हैं। अब आपने बी.आई.एफ.आर. का गठन कर दिया है। क्या आपको पता है कि बी.आई.एफ.आर. कैसे कार्य कर रही है? मुझे पता है कि बी.आई.एफ.आर. की बजाय किसी और विकल्प का प्रस्ताव था। ताकि कुछ उद्योग चलते रहें। मुझे पता है कि 1987 में जब बी.आई.एफ.आर. का गठन हुआ था तब से ही बी.आई.एफ.आर. के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। मामले लम्बित हैं और अंत में यह सिफारिश करता हूं कि इकाई को बंद कर दिया जाये। लेकिन इकाई को बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मुझे पता है कि सरकार के पास धन की कमी है। हमें स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देना है। इसीलिए समय की मांग है कि सरकार द्वारा विनिवेश करने की बजाय इनमें से कुछ इकाईयों को बंद कर दिया जाये। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अन्यथा न लें क्योंकि पूर्वी भाग में अधिकांश उद्योग एम ए एम सी, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, वैगॉन इन्डस्ट्रीज, मेटल बोक्स, बर्न एंड स्टैन्डर्ड, इत्यादि। हमें सरकारी क्षेत्र की इकाइयों पर गर्व है। लेकिन यदि आप विनिवेश की अनुमति देंगे तो इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को फायदा होगा क्योंकि निजी और सरकारी क्षेत्रों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि सरकार निजी और सरकारी क्षेत्र की इकाईयों को चालू रखने के लिए तैयार है। मेरे विचार से इस बीमा क्षेत्र के संबंध में निर्णय लेने की बजाय सरकार एक संयुक्त संसदीय समिति अथवा एक कार्यदल का गठन कर सकती है ताकि इन इकाईयों को बंद करने या विनिवेश की अनुमति देने संबंधी निर्णय लेने की बजाये, सभी दलों द्वारा इस संबंध में एक औपचारिक निर्णय लिया जाये। हम तो यही चाहते हैं। सभी राजनैतिक दलों को एक समिति का गठन करना चाहिए और इसका तीन या चार महीने का समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। उन्हें अपनी राय प्रकट करनी चाहिए और तब आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि धन के अभाव में आप इन सब बातों पर नियंत्रण नहीं रख पायेंगे। लेकिन कृपया इस बात को याद रखिये कि इन इकाईयों में करोड़ों लोग कार्य कर रहे हैं।

लेकिन कृपया इस बात को याद रखिए कि इन दो क्षेत्रों में करोड़ों लोग कार्य कर रहे हैं। मैं जो भी कह रही हूं, वह इस बजट का समर्थन करता है। मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि उनके पास अच्छे क्षेत्र हैं। यदि आप चाहें तो मैं यह सब विस्तारपूर्वक बता सकता हूं लेकिन मैं इस सभा के मूल्यवान समय को बर्बाद नहीं करना चाहती। ये दोनों क्षेत्र अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए जूट क्षेत्र को ही लें। क्या आप जूट क्षेत्र की अवहेलना कर सकते हैं? नहीं। जूट स्वदेशी है। आपको जूट को प्रोत्साहन देना ही चाहिए। इसी प्रकार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को भी। आपको राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के बारे में पता है। ये मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। करोड़ों लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। लेकिन तथ्य यह है कि उन्हें वेतन और उनको देय राशि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए, इन इकाईयों को बंद करने के बजाए, आप एक सर्वदलीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें जो इस बारे में निर्णय ले। आप उनके भाग्य को अपने हाथों में न लें क्योंकि आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। किसी खास मुद्दे के लिए इस सरकार को सभी तरह की जिम्मेदारियां नहीं लेनी चाहिए। संसद को इसका निर्णय करने दें। सभी राजनीतिक दलों को इस बारे में निर्णय करने दें। अत: इस विशेष क्षेत्र को विशेष सम्मान दीजिए।

अब, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आता हूं। वास्तव में, सरकार प्रत्येक बार इस क्षेत्र के लिए धनराशि देती है। लेकिन समस्या यह है कि यह धनराशि उनके पास सही ढंग से नहीं पहुंच रही है और इसका सही ढंग से उपयोग भी नहीं हो रहा है।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): केवल वायदे ही किये जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपये देने की घोषणा की जाती है लेकिन क्रियान्वित कुछ भी नहीं होता है।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): आपकी सरकार बस यही सब कर रही थी ...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता: क्या यह जरूरी है कि आप हर बात पर टिप्पणी करें? आपको इस तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर ध्यान देना है। उनके यहां आतंकवाद की समस्या और कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। इसलिए, सरकार को समूचे पूर्वोत्तर के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। इस बार, मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देती हूं कि उन्होंने इसमें सिक्किम को भी सम्मिलित किया है। पहले, यह सात बहिनों वाला राज्य क्षेत्र था लेकिन अब यह सात बहिनों और एक भाई वाला राज्य क्षेत्र बन गया है। जिसमें सिक्किम एक भाई की भूमिका अदा करेगा। यह अच्छी बात है। यह सब माननीय वित्त मंत्री के कारण सम्भव हुआ है। हम भी उनसे अपने उनके वायदे पूरे करवायेंगे।

अब मैं वित्तीय संस्थानों के मुख्यालय पर आती हूं। कुछ वित्तीय संस्थान मुम्बई में स्थित है। कुछ कलकत्ता में और कुछ बिहार में स्थित हैं। कुछ केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। यह देश के सभी भागों में हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि इन वित्तीय संस्थानों के मुख्यालयों को वहां से हटाने की कोशिश न करें। यथापूर्व स्थिति बनी रहने दें। यह मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि बंगाल को भी यह स्थिति है। महोदय, बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। इसी तरह बंगाल पूर्वी क्षेत्र का भी प्रवेश-द्वार है बंगाल में केवल बंगाल ही शामिल नहीं है, अपितु इसमें उड़ीसा और आठ अन्य राज्य भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप कन्क्ल्यूड कीजिए। बहुत माननीय सदस्यों ने बोलना है।

कुमारी ममता बनर्जी: अब तो हम आपके बारे में बात कर रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी: मेरा अनुरोध है कि यह मुख्यालयों का स्थानांतरित न करें। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में क्या सुना है? सरकार भारतीय स्टेट बैंक, कोल इंडिया और ईस्टर्न बैंक के मुख्यालय कलकत्ता से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव कर रही है। मैंने इसका उल्लेख बंगाल पैकेज में पहले ही कर दिया है।

[हिन्दी]

हमारा हैड नहीं रहेगा, खाली पांव रहेगा, तो काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें काम चाहिए।

[अनुवाद]

यह आपकी सूचना के लिए है। यदि मैं गलत बोल रही हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं। इसलिए मैं पुन: अनुरोध करती हूं कि यथास्थिति बनी रहनी दीजिए। किसी राज्य को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे वंचित किया जा रहा है।

अब मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आती हूं। हालांकि सरकार धनराशि प्रदान करती है लेकिन इस धनराशि का उचित ढंग से उपयोग कहीं किया जा रहा है। सरकार उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए क्यों नहीं कहती? सांसद निधि कार्यक्रम की धनराशि का नहीं ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। आप धनराशि प्रदान करते हैं लेकिन वे इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। धनराशि देते वक्त सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का उस उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा रहा है या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा। मेरे राज्य के बारे में, केन्द्रीय सरकार ने इसे करोड़ों रुपये दिये हैं। लेकिन वह धनराशि कहां गई। जवाहर रोजगार योजना, आई आर डी पी, एन आर ई पी, आर एल जी ई पी आदि के लिए धनराशि दी जाती हैं; लेकिन धनराशि कहां गई? कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है। मुझे मालूम नहीं कैसे यह धनराशि व्यय की जाती है। इसको सही ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। 'पी-एल' एकाउंट घोटाले के बारे में सभी को मालूम है। मैं चाहती हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में क्या कहा गया है? माननीय वित्त मंत्री जी, जब आप उत्तर देंगे तो हमें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति के बारे में लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्थिति से अवगत कराएं। हम इस मामले की पूरी जांच चाहते हैं। इसमें हजारों करोड़ रुपये फंसे हैं और यह बहुत बड़ा घोटाला है। यह मेरी मांग है कि आप इस पर सख्त कार्यवाही करें। मेरी यह भी मांग है कि हमें इसे विशेष मामले के रूप में नहीं देखना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप कन्क्ल्यूड कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी: अब हम बिहार के बारे में बोलता है। आप गांवों के लिए चिल्लाता है, हम पी एल ए यानि प्याला के लिए चिल्लाता है।

सभापति महोदय: बहुत से माननीय सदस्यों ने बोलना है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: पी एल एकाउंट के बारे में, आपको लेखापरीक्षा रिपोर्ट अवश्य प्राप्त हो गई होगी। हम इसकी जांच चाहते हैं। विदेशी दौरों के बारे में भी, मुख्यमंत्री सहित मंत्री अक्सर विदेश जाते रहते हैं। उनके रहने और भोजन के लिए पैसा कौन खर्च कर रहे हैं? फेरा की जगह आपको 'फेमा' को लागू करना चाहिए। 'फेमा' इसके लिए बहुत अच्छा रहता।

[हिन्दी]

अगर कोई छुपाकर रुपया रखने के लिए स्विटजरलैंड गया है और अनिवासी भारतीय लेने के लिए जाता है, तो काम नहीं होता है।

[अनुवाद]

मुझे यह मालूम है कि मेरे राज्य के मुख्यमंत्री सौ से भी अधिक बार विदेश यात्रा पर गए हैं, मेरे पास राज्य विधान सभा में दिये गये उत्तर की कापी है। हमारे विधायकों ने पूछा था कि इन यात्राओं पर कितना व्यय किया गया। उन्होंने कहा दो लाख रुपया या इससे अधिक रुपये की धनराशि खर्च की गई। जब वे विदेशों में जाते हैं तो वे भोजन नहीं करते हैं, वे कहीं ठहरते नहीं थे अपितु वे केवल आकाश में घूमते हैं। यह तो स्थिति है। इसलिए मैं इस मामले की जांच करवाना चाहती हूं। आपको बी.आई.एफ.आर. के संबंध में कुछ करना होगा। वास्तव में यह औद्योगिक पुनर्गठन संबंधी बोर्ड है, किन्तु अब यह उद्योगों को बन्द करने संबंधी बोर्ड बन गया है। बी.आई.एफ.आर. अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है। एक वैकल्पिक संकाय, यह सरकार का प्रस्ताव था कि बनाया ताकि, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के कुछ प्रमुख रुग्ण उद्योगों को पुन: आरम्भ किया जा सके। अत: सरकार को बी.आई.एफ.आर. के संबंध में जल्द निर्णय लेना होगा।

बी.आई.एफ.आर. में ईस्को के आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव लम्बित पड़ा हुआ है। ईस्को पूर्वी क्षेत्र में एक उपयोगी एकक है। बी.आई.एफ.आर. के पास अपने स्वयं हेतु कुछ भी नहीं है; वे अन्य एककों का पुनरुद्धार कैसे करेंगे? इस कारण से मैं सोचता हूं कि कोई न कोई विकल्प होना चाहिये।

जहां तक मूल्य वृद्धि का संबंध है, आपके पास अनिवार्य वस्तु अधिनियम है। प्रत्येक राज्य में अनिवार्य वस्तु अधिनियम है, किन्तु क्या आपने कभी भी इस बारे में किसी राज्य सरकार से पूछा है? मैंने इस सभा में कई बार इस बारे में प्रश्न उठाए हैं। केन्द्र सरकार जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों से क्यों नहीं कहती। वे इस अधिनियम को लागू नहीं करते। इसी कारण से मूल्यों में वृद्धि हो रही है। आपको कम से कम मेरे राज्य में आलू की कीमतें की जानकारी होनी चाहिये। हाल ही के पंचायत चुनावों में वे कह रहे थे कि ममता बनर्जी और भाजपा सरकार के कारण आलू के दाम बढ़े हैं।

[हिन्दी]

ममता के नाम से आलू नहीं है, पोटेटो नहीं है। लेकिन ज्योति के नाम से है। हमारे यहां दो किस्म का आलू होता है। एक चन्द्रमुखी और दूसरी ज्योति के नाम से है। मुझे इस बात को वहां जाकर कहना पड़ा।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): जब एक माननीय सदस्य बजट पर बोल रहे हैं, तो यह अलग मामला है कि वे बजट के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं अथवा नहीं। किन्तु पश्चिमी बंगाल के चुने हुए मुख्य मंत्री जैसे लोगों और या अन्य किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे मामले में थोड़ी-सी शिष्टता दिखायी जानी चाहिए। वे बुरी तरह से उनका उपहास कर रही हैं और वह भी तब, जब उन्हें पश्चिमी बंगाल के लोगों से जवाब मिल चुका है। इतनी अफवाहों में फंसने के बावजूद, वे यहां पुनरावृत्ति कर रही हैं। वे अभी-अभी दिखा रही थी कि वह कितना बुरा बोल सकती है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप केवल बजट पर बोलिए।

कुमारी ममता बनर्जी: मैं जो बात कहती हूं, दिल से कहती हूं। मैं सीखने के लिए नहीं जाती हूं। मेरा बैड-टेस्ट है या गुड टेस्ट है, यह क्या इनसे सीखना पड़ेगा। इनका क्या टेस्ट है, यह मुझे मालूम है। इसीलिए हम लोगों को जाकर बोलते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: मैं केवल अपने राज्य और अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के बारे में बोल रही हूं। मैं क्या गलत कर रही हूं।

[कुमारी ममता बनर्जी]

[हिन्दी]

दखियें, अगर मेरी बात झूठ है, तो काट दीजिए। आप मेहरबानी करके पूछिए। हुगली से आलू आता है या नहीं और क्या बंगाल में दो प्रकार का आलू नहीं होता है। अगर मैं गलत बोलती हूं, तो बताइए। अगर हम ठीक नहीं बोल रहे हैं तो आप इसको इसमें से निकाल सकते हैं। ...*(व्यवधान)* हमारी तरफ दो आलू होते हैं—एक का नाम ज्योति आलू है और दूसरे का चन्द्रमुखी आलू है। मैंने नाम नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुफरी, सिंधरी आलू भी होता है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: मैं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं कर रही हूं, क्योंकि वे शामिल हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: मैंने यह उदाहरण क्यों दिया? ये तथ्य हैं। मैंने नाम नहीं रखा, नाम कई वर्ष पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा रखे गए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, क्योंकि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और राज्य सरकार अनिवार्य वस्तु अधिनियम लागू नहीं कर रही है। जहां कहीं भी मूल्य आसमान को छू रहे हैं, केन्द्रीय सरकार को उसकी निगरानी करनी चाहिए। हालांकि यह मामला राज्यों के अधीन है, किन्तु केन्द्र सरकार को यह निगरानी करनी चाहिए मूल्य आसमान क्यों छू रहे हैं, कौन-सा राज्य अनिवार्य वस्तु अधिनियम लागू कर रहा है और कौन-सा नहीं। सरकार को लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए।

मेरे विचार से, यदि मैं यूरिया के संबंध में बोलती हूं, तो मैं व्यवधान नहीं डालूंगी। यह मामला हमारे किसानों से संबंधित है। मेरा आपसे यह निवेदन है।

[हिन्दी]

इन्हीं शब्दों के साथ प्राइवेट सैक्टर वाले में और इंश्योरेंस वाले में मदद देने के लिए मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। वित्त मंत्री जी तो बड़े सरल हैं और वह देश की परिस्थिति देख कर एक समाधान का बजट इस देश में देना चाहते हैं लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें देश की जनता से सम्मान नहीं मिलने दिया है और इसलिए नहीं मिलने दिया है, जब बजट की तैयारियां होती हैं तो इसमें दो-तीन महीने लगते हैं और बजट देश को दिशा देने वाला होता है और वह किस तरह से देता है, हमारा देश लेफटिस्ट, राइटिस्ट विचार करने से जा रहा है या हमारा देश मिक्स्ड इकोनोमी से जा रहा है। वैसे तो वित्त मंत्री जी बहुत होशियार हैं, अुभवी हैं लेकिन इस सरकार ने उनको धोका दे दिया है और ऐसा धोखा दे दिया है कि जब यह बजट बनाते हैं उस वक्त कल क्या इनफ्लेशन बढ़ेगा, कल हमें देश की बढ़ोत्तरी में क्या वृद्धि प्राप्त करनी है और कितनी एम्प्लायमेंट जेनरेट करनी है, यंग जेनरेशन को नौकरी देने के लिए, ऐसी चीजें ध्यान में रख कर बजट पेश करना पड़ता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक नीति अनुदान की है। इसलिए केवल प्रधान मंत्री जी और उनके सहयोगियों में यह विचार चल रहा था कि इस देश में परमाणु का परीक्षण किया जाए, लेकिन यह परीक्षण के बारे में मेरा दावा है कि वित्त मंत्री जी को कुछ नहीं बताया, यदि बताया होगा तो परमाणु परीक्षण करने से पहले दो-तीन घंटे पहले या आधे घंटे पहले बताया गया, नहीं तो वित्त मंत्री जी इंटरनेशनल सिचुएशन और इंटरनेशनल मोनिटरिंग फंड की सिचुएशन जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की सिचुएशन जानते हैं। यदि यह आगे आने वाला है और हमारे ऊपर सैंक्शन आने वाली हैं, क्योंकि उससे तो कोई बचा नहीं सकता है। अमेरिका का मेंडिटरी लॉ है, उसे कोई रोक नहीं सकता वह तो सैंक्शन लगाने वाले ही हैं और सैंक्शन लगाने के बाद इस देश में जो पूंजी है उस पर एक ऐसा दबाव आ जाएगा कि जो हमारे पास है उसमें ही देश चलाना होगा। ये धोखा उनको हो गया है और उसके लिए समाधान नहीं है। मैंने आपसे इसलिए अनएम्प्लायमेंट की बात की, पावर मिनिस्टर ने यहां अनएम्प्लायमेंट के बारे में रिप्लाई दिया।

[अनुवाद]

> "सरकार वर्ष 2007 तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। ऊर्जा मंत्री श्री पी.आर. कुमारमंगलम ने एक उत्तर में कहा था कि आठवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों में से 2.8 करोड़ कम नौकरियां उपलब्ध कराई गई; जबकि लक्ष्य 5.8 करोड़ नौकरियां जुटाने का था।"

[हिन्दी]

जब 58 मिलियन जॉब्स क्रियेट करनी है, रोजी देनी है, वित्त मंत्री जी को मालूम था कि 1997-98 में जो बजट एस्टीमेट था और जब उसका रिवाइज एस्टीमेट कर रहे थे, उनका डिपार्टमेंट कर रहा था तो उनको पता था कि इनफ्लेशन 5 प्रतिशत से

6.1 प्रतिशत तक जाने वाला है। फिजिकल डेफिसिट 2.1 से 3.1 पर जाने वाला है, यह इनको पता था और यह भी इनको पता था कि हमारी जो मुद्रास्फीति है यह 10-11 प्रतिशत के ऊपर चली जाएगी। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं और थोड़ी सी मालुमात देना चाहता हूं। मैं 1992 में चाइना गया था। चाइना में भी 1972 से इकोनोमिक रिफार्म शुरू हो गए। मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी का जनरल सैक्रेट्री था और उस देश के प्रेसीडेंट को मैं अपने एक डेलोगेशन को लेकर मिला। उन्होंने एक सवाल पूछा, मैं 1994 में भी गया था। उस समय उन्होंने पूछा कि आपका इकोनोमिक रिफार्म 90 से शुरू हो गया और आपने इतनी जल्दी इनफ्लेशन कैसे कंट्रोल किया, जब कि हमारा रिफार्म 78 में डैंग के नेतृत्व में शुरू हो गया था और हम अभी तक इनफ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। जैसे कि पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा कि जितनी इनवेस्टमेंट आ जाएगी उतनी ही वृद्धि हो जायेगी, ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा कि एक्सपेंडीचर होने से हमारी वृद्धि में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती, हमारे मंत्री जी एक्सप्लेन करेंगे। जब मैं बजट को देख रहा था तो मुझे खुशी हो रही थी कि इनफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में 35 परसेंट बढ़ोत्तरी होगी, ऐसा आपने कहा। मुझे पता नहीं है 1997-98 में आपने 52,612 करोड़ बताया है और 1998-99 में बजट एस्टीमेट 61,146 करोड़ बताया है। यदि इसका कैलकुलेशन करें, मुझे पता नहीं है कि आपने बजट एस्टीमेट का किया है या रिवाइज्ड एस्टीमेट से 35 प्रतिशत किया है, यदि बजट एस्टीमेट से किया है तो 35 प्रतिशत बढ़ोत्तरी नहीं होती है बल्कि 16.2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है। यदि आप रिप्लाई दे दें तो हमें खुशी हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: रिवाइज्ड में किया है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जो फिगर्स आ गए हैं तो वे बजट एस्टीमेट पर लगते हैं, उसी के लिए हम कहते हैं कि यदि इस तरह का बजट होगा तो उसमें भी अगर कुछ करेक्शन करना हो तो कर लीजिए।

इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। प्लान-आउट-ले सरफेस ट्रांसपोर्ट में पैसा शूट-अप किया है—ऐसा उनका कहना है। पन्द्रह सौ करोड़ से सत्ताइस सौ करोड़ रुपये किया है, लेकिन बजट सपोर्ट 150 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये ही ज्यादा किया है। इसके सिवाए मुझे नहीं लगता है कि आपने बजट में सपोर्ट किया है.

सभापति महोदय, मैं मेजर इश्यू पर आना चाहता हूं। जो हमारी जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना है उसमें 3900 करोड़ रुपये से आपने 4000 करोड़ रुपये किया, कितनी बढ़ोत्तरी की, 100 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की और यह एम्पलाएमेंट जेनरेशन का कार्यक्रम है। इसमें सबसे ज्यादा किसान, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, जिनको रोजगारी नहीं है, जो दसवीं कक्षा से नीचे की शिक्षा पाए हैं, जो एम्प्लाएमेंट गारंटी स्कीम है, वैसे ही यह जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना है। जो लोग देहात में, क्लस्टर में काम करते हैं, उनके लिए कितना बढ़ा है, केवल 100 करोड़। अध्यक्ष जी, मैं फिजीकल परफोर्मेंस के साथ टार्गेट करना चाहता हूं। 1992-93 में टोटल फंड अवेलेबल था 3594.63 करोड़ रुपये और फंड यूटिलाइज हुआ 2709.59 और प्रतिशत यूटिलाइजेशन कितना हो गया 75.38 प्रतिशत। 1993-94 में फंड अवेलेबल था 4923.03 और यूटिलाइज हुआ 3878.71 करोड़ रुपये। 1994-95 में टोटल फंड था 5418.22 और यूटिलाइज 4268.33 हुआ। यह दिसम्बर 1996-97 तक की फिगर्स हैं। टोटल फंड अवेलेबल हैं 2221.42, यूटिलाइज हुआ 1033.29 और 51.87 इसका प्रतिशत है। मैं अभी थोड़ा फिजिकल परफोर्मेंस पर आना चाहता हूं। 1992 में टार्गेट था 7537.95 और अचीवमेंट है 7821.02। मैं मैनडेज बता रहा हूं कि इतने मैनडेज हमें मिले। इस हिसाब से परसेंटेज अचीवमेंट 103.76 है। सभापति जी, 1995-96 में 104 प्रतिशत परफोर्मेंस है, इतना अच्छा परफोर्मेंस है और मैनडेज का अचीवमेंट 38353 है, इससे हम बेरोजगारी नष्ट करते हैं, मैनडेज के जरिए हम बेरोजगारी नष्ट करते हैं। देहात के लिए जो प्रोग्राम है उसके लिए केवल 100 करोड़ रुपयों की बढ़ोत्तरी। पता नहीं इसका अर्थ क्या है? लेकिन यदि इससे भी ज्यादा आप कुछ करना चाहते हैं या आपके दिल में है कि किस तरह से इनको आप पैसा देना चाहते हैं, वह मंत्री जी बताएं।

सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं कि रूरल डैवलपमेंट के लिए फंड 10 हजार करोड़ तक दिया है। हम सब लोग देहात से आते हैं, देहात के आदमी को इस लोकशाही का बढ़ोत्तरी का हम मार्ग बनाना चाहते हैं। भारत सरकार का कानून हो गया कि यहां के ग्राम तक पैसा जाना चाहिए। लेकिन यह पैसा जिला-परिषद, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा तक नहीं पहुंचता है। इसकी मोनिटरिंग की जरूरत है।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वित्त मंत्री जी इसको करेंगे। मैं वित्त मंत्री जी को किसानों के लिए क्रैडिट-कार्ड स्कीम पेश करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है और अच्छे काम को अच्छा ही कहना चाहिए। आप भी राज्य सभा में थे और मैं भी राज्य सभा में था। यह कार्य आपने बहुत अच्छा किया है। सभापति जी, आप भी बिहार से आते हैं और बिहार किसानों का प्रांत है। वहां पर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। वहां पर दलित और पिछड़ा वर्ग काफी बड़ा है। वहां गरीबों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। इसके करने के कारण आपको बिहार, यू.पी. और महाराष्ट्र के किसान धन्यवाद देंगे। वैको साहब चले गये हैं,

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

तमिलनाडु के किसान भी आपको धन्यवाद देंगे। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसानों की बात कर रहा हूं।

मैंने 1993 में क्रेडिट-कार्ड के बारे में राज्य सभा में एक बिल पेश किया था। मुझे खुशी है कि हमारे यहां रबी और खरीफ के दो सीजन होते हैं। उसमें हमारे किसानों को कोई लोन नहीं मिलता है। वह देश का मालिक है लेकिन बैंक उसकी क्रैडीबिलिटी नहीं मानता है। वह जमानती मांगता है या संपत्ति को जमानत के तौर पर रखने पर उसको लोन देता है। आप कोई ऐसी स्कीम बनाएं कि एक लाख रुपये तक उसको जमानत देने की जरूरत न पड़े और अपने क्रैडिट-कार्ड पर ही वह लोन ले सके। मेरा जो विधेयक है, वह उसी तरह का विधेयक है। मैं अपने विधेयक की कॉपी देना चाहूंगा, कई भी चाहे तो ले सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा नाम आए या न आए, लेकिन 1993 में मैंने यह बिल दे दिया था।

किसान की बात जब हम करते हैं तो हमें दिल से करनी चाहिए और वह आपने की है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपकी सरकार तो बधाई की पात्र है ही, लेकिन आप वित्त मंत्री जी ज्यादा बधाई के पात्र हैं। वित्त मंत्री के दिल में अगर यह बात नहीं आती है तो यह काम नहीं हो सकता है। यह सरकार के ध्यान में आने वाली बात नहीं है। सरकार तो बड़े-बड़े अणु-परमाणुओं की बात करती है। अणु-परमाणु में हमारा गरीब किसान कहां मिलेगा? इसलिए किसान को ढूंढने का काम जो आपने किया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

वित्त मंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश के गरीब और अनपढ़ बच्चों के लिए मिड-डे-मील स्कीम नरसिंह राव जी ने चलाई थी। जो बच्चे गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देते थे, उनके लिए यह स्कीम थी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि यह जो चाइल्ड लेबर हैं, इनका दुरुपयोग होता है, वह स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसीलिए यह मिड-डे-मील स्कीम चलायी गयी थी जिससे उनको खाना मिले और उनके माता-पिता उनको स्कूल भेज दें। इसके लिए पिछले वर्ष 1072 करोड़ का नियोजन था, अभी आपने 1092 करोड़ का कर दिया है। आपने केवल 20 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। यह गरीब बच्चों के उत्थान का एक अच्छा कार्यक्रम है, इसमें और वृद्धि करनी चाहिए।

सभापति जी, मैं यह नहीं समझ पाया कि जो ब्लैक-बोर्ड स्कीम है, उसमें भी आपने केवल तीन करोड़ की वृद्धि की है। पिछले वर्ष का नियोजन 301 करोड़ का था, आपने उसे 304 करोड़ कर दिया है। तीन करोड़ में आप क्या कर पाएंगे, यह मैं नहीं समझ पाया हूं।

पिछले वर्ष वैलफेयर मिनिस्टरी में 1389 करोड़ का बजट था।

रात्रि 9.00 बजे

रिवाइज्ड एस्टिमेट 804 करोड़ है, शार्टफॉल 600 करोड़ है। वैलफेयर के बजट में कौन लोग आते हैं? मैं इस सरकार को इस बात के लिए दोष नहीं देना चाहूंगा। यह पिछली सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही है। हम बार-बार कहते हैं कि दलितों को न्याय नहीं मिलता है। वैलफेयर की स्कीम में स्कॉलरशिप की स्कीम है, एजुकेशन की स्कीम है, अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण की स्कीम है, स्पैशल कम्पोनेंट की स्कीम और ट्राइबल सब-प्लान की स्कीम है। मुझे आज ही पायलट एसोसिएशन के एक सज्जन कह रहे थे कि इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया में 60 पायलट्स का बैकलॉग है। आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नहीं लेते हैं। वैलफेयर स्कीम में इन लोगों को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है। वित्त मंत्री इस तरफ ध्यान दें। एक-दो हजार और चार-पांच हजार की जो स्कीम्स होती हैं, वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए होती हैं। आपने इन लोगों के लिए मुर्गी पालन की स्कीम चलायी है लेकिन आप इसके लिए उन्हें जगह नहीं देते हैं। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने एक सुझाव दिया था कि कम्पोनेंट प्लान में एक-दो हजार या पांच-दस हजार की जो स्कीम्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। अनुसूचित जाति के लोगों की कोआपरेटिव में एक स्पिनिंग मिल थी। हम चाहते थे कि इस देश के हर स्टेट में स्पिनिंग मिल या शूगर मिल हो जाए और उसमें कम्पोनैंट प्लान का पैसा लगे। ...*(व्यवधान)* शोलापुर में एक स्पिनिंग मिल की स्कीम थी। यह एक्सपोर्ट ओरियंटिड स्कीम है और अच्छी चल रही है लेकिन आपने एक्साइज में एग्जम्शन नहीं दिया है। डायमंड के एक्सपोर्ट के लिए एग्जम्शन मिलता है लेकिन यार्न के एक्सपोर्ट के लिए एग्जम्शन नहीं दिया जाता। यह डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं इन मिलों के बारे में इतना ही कहूंगा।

चाहे शोलापुर हो, मुम्बई हो, कलकत्ता हो, वहां पर कॉटन मिलें बंद हो रही हैं। ऐसे में बेरोजगार मजदूर कहां जाएंगे? ऐसे बेरोजगार मजदूरों ने कोआपरेटिव के माध्यम से हैंडलूम और पावरलूम का बिजनस किया। उन्होंने दो-चार पावरलूम लेकर बिजनस शुरू किया। वे जेकॉर्ड की चादरें बनाते थे और टर्किश टेरी टावल बनाते थे। वे मॉडवेट योजना में नहीं आती हैं लेकिन उन्हें कस्टम कलैक्टर का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। शोलापुर के आदमी को पुणे और मुम्बई जाना पड़ता है। उसकी लिमिट 30 हजार की है। वह लिमिट 75 हजार तो बढ़ाई जाए कस्टम कलैक्टर का सर्टिफिकेट लेने की बजाये आप दूसरा रास्ता निकालिए। वे कोई चोरी नहीं करना चाहते हैं। जिसको रोजी नहीं मिलती वह कोई तो काम करेगा। वह आप लोगों को बचा रहा है। हम तो डंडे लेकर बैठ जाते हैं। वह खूब काम करना चाहता है और स्वाभिमान से काम

करना चाहता है। मैंने इस बारे में वित्त मंत्री को लिखा था। मैं उसकी कापी उन्हें देना चाहूंगा।

प्लास्टिक के बर्तनों में बाल्टी हो या टंबलर हो, ये सब गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी उस पर 5-10 परसैंट टैक्स लगता था लेकिन पौलिमर जो रॉ-मैटिरियल है, उस पर इस बजट में 25 परसैंट टैक्स लगाया गया है और फिनिश गुड्स पर पांच परसैंट टैक्स लगाया गया है। एक्साइज ड्यूटी मिला कर आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि वह टैक्स ज्यादा हो गया है। यह टैक्स आपने अभी तक नहीं बढ़ाया था।

आज हम देख रहे हैं कि जर्मन सिलवर और स्टील पर 10 परसैंट टैक्स है। गरीबों के प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक पर 30 परसैंट टैक्स लगाया गया है। वित्त मंत्री ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के कुछ सुझाव दिए लेकिन मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह अपने यहां अनुशासन लाना चाहते हैं या नहीं? मैं सोचता था कि इकोनामिक रिस्ट्रिक्शन आने के बाद आप जीरो बेस्ड टैक्स लगाएंगे। जो व्यर्थ खर्चा हो रहा है, उसको भी रोकने की जरूरत है। वहां भी अनुशासन लाने की जरूरत है। आज सुबह एक साथी कह रहे थे कि तनख्वाह कम होने पर भी लोग आराम से रहते हैं। जब हमारा देश विशेष रूप में आगे बढ़ रहा है तो हमें इस क्षेत्र में कुछ अनुशासन लाना होगा। हम सब इस काम में आपके साथ हैं। हम देश की तरक्की और उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए आपका साथ देने को तैयार हैं। जब तक आप अपने घर में अनुशासन नहीं लाएंगे तब तक देश की जनता भी इसको फॉलो नहीं करेगी और आपको अच्छी आंखों से नहीं देखेगी।

यह बजट मुझे पहले दिन अच्छा लगा, लेकिन मैंने जब इसे विस्तार से देखा तो पाया कि आपने गरीबों के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। मैं आशा करता हूं कि आप किसानों, दलितों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तरफ विशेषरूप से ध्यान देंगे।

आपने यूरिया के दामों में बढ़ोत्तरी की। बाद में उसके दाम 50 पैसे कम किए। आप इसके प्राइस और कम करें। मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप किसानों को और सहूलियत देंगे। आपने एक परसैंट ट्रैक्टर के टायर पर टैक्स लगाया है। अगर किसान स्टील की पट्टी लगी बैलगाड़ी पर गन्ना लाद कर ले जाएगा तो रास्ते खराब होंगे, बैल को तकलीफ होगी और गाड़ी की स्पीड कम होगी। मैं विनती करूंगा कि टायर ट्यूब पर जो एक परसैंट टैक्स लगाया गया है, उसको वापस लिया जाए। मैं सरकार से अपेक्षा रखता हूं कि वह और अनुशासन लाएगी। देहात में शादी में आने वाले लोगों पर गुलाब का पानी डाला जाता है। गुलाब का पानी डालने वाला यह बजट है। उसकी सुगन्ध न निकल जाए और पानी ही न रह जाए, इसका आप ध्यान रखें। आप देश को दिशा देने वाला काम करें।

सभापति महोदय: बजट पर बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची में 64 लोगों के और नाम हैं। माननीय सदस्य बजट पर रुचि ज्यादा ले रहे हैं और इस पर ज्यादा लोग बोलना चाहते हैं इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि अगर वह अपना लिखित भाषण सदन की मेज पर रख देंगे तो वह प्रोसिडिंग्स का पार्ट माना जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन): महोदय, जिन दलों को अभी तक अवसर नहीं दिया गया है, उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सभी सदस्य पांच-पांच मिनट बोल लें ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात तो सुनिये, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना हो तो बताइये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला): प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: जैसे अभी एक सदस्य 25 मिनट बोले, अगर सभी मैम्बर इसी तरह से बोलेंगे तो 64 माननीय सदस्य तो कल रात तक भी खत्म नहीं होंगे। अगर सभी प्वाइंट बोलेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकासी): यदि केवल पांच मिनट की अनुमति है, तो हमारा यहां बोलने का क्या मतलब है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: सभापति महोदय, यह आप तय करें कि एक माननीय सदस्य कितने मिनट बोलेंगे। दस, साढ़े दस या ग्यारह बजे जो भी आप तय करें, उसमें दो-तीन मैम्बर्स इधर से और दो-तीन मैम्बर्स उधर से बोल लें। अगर एक घंटे में इस तरह आठ से दस लोग एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद जैसा कहा गया कि आप लिखित स्पीच कल सुबह 12 बजे तक ले कर दें, यह सुझाव मान लिया जाए।

डा. शकील अहमद (मधुबनी): अगर ऐसा है तो यहां आने की क्या आवश्यकता थी, हम लोग घर पर ही रहते ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: आप लोग रात भर बैठिये। ...*(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): सभापति महोदय, हर पार्टी का एक प्रतिनिधि बोलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): सभापति महोदय, खुराना जी ने रिटर्न स्पीच का जो सुझाव दिया है ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, क्या तय हुआ?

सभापति महोदय: हर पार्टी ने अपने सदस्यों के नाम दिये हुए हैं। पार्टी की सूची लम्बी है। इसमें 64 व्यक्तियों के नाम हैं।

रात्रि 9.14 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुये*]

***श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** (टिंडिवनाम): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र टिंडिवनाम की जनता का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना और मैं अपनी पार्टी मारुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एम.डी.एम.के.) पुरटची पुयाल (रिवुलूशनरी स्टोर्म) के महामंत्री श्री वैको का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे टिंडिवनाम संसदीय चुनाव क्षेत्र से जीतने के लिए नामनिर्दिष्ट किया था।

मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मिली-जुली सरकार द्वारा इस सभा में पेश किए गए वर्ष 1997-98 के केन्द्रीय बजट का भी स्वागत करता हूं। मैं अपनी पार्टी मारुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा को इस समय हमारी अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद कठिनाइयों के बावजूद एक अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद करता हूं। ऐसे समय जब हमारी अर्थव्यवस्था के सामने बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, कृषि क्षेत्र की समस्याएं बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता, और अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के रूप में अनेक समस्याएं मौजूद हैं, हमारे रक्षा मंत्री ने एक अच्छा और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत किया है। मैं अपनी ओर से, और अपनी पार्टी की ओर से इसकी प्रशंसा करता हूं।

मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है। मैं गांव के लोगों की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हूं और इसमें भी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को अच्छी तरह समझता हूं। मैं वित्त मंत्री द्वारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। यूरिया के दाम में भी 1 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की गई है जिसे बाद में 50 पैसे कम कर दिया गया है। आपने इस बारे में घोषणा कर दी है। कृषि क्षेत्र हमारे देश की रीढ़ है। हमें अपने किसान भाइयों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। हमें उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए और प्रोत्साहन देकर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। अतएव मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे यूरिया के मूल्यों में 50 पैसे प्रति किलो की प्रस्तावित वृद्धि को भी वापस लेने पर विचार करें। यूरिया के मूल्य में की गई प्रस्तावित वृद्धि को पूरी तरह से वापिस लिया जाना चाहिए।

किसानों की अनेक समस्याएं हैं। हमारे अनेक किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक विनाश के कारण काफी क्षति उठानी पड़ती है। आपने 26 जिलों की पहिचान की है जहां प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़, भारी वर्षा और सूखे का प्रकोप होता रहता है। इन जिलों में फसल बीमा के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है अत: इसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने पर विचार कर सकते हैं। वैसे भी यह राशि हमारे जैसे बड़े देश के लिए अपर्याप्त है और इसमें वृद्धि किये जाने की जरूरत है।

मैं तमिलनाडु के विल्लूपुरम कुशलोर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप फसल बीमा योजना का विस्तार करें और मेरे जिले को इसमें सम्मिलित करें।

मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि वह कृषि नीति की घोषणा करें। लाभकारी मूल्य अथवा लेवी मूल्यों की घोषणा करते समय, यह उचित होगा कि कृषि उत्पादन से सीधे जुड़े लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाए। जहां तक धान और गन्ने का संबंध है, तो इनका संतोषजनक और लाभकारी मूल्य नियतन किया जा सका है। जब सरकार कृषि नीति का प्रारूप तैयार करे तो आप कृषि उत्पादों के मूल्यों के निवारण की प्रक्रिया में किसानों को सम्मिलित करने पर विचार करें। विशेषरूप से तमिलनाडु में धान के मूल्यों में भारी गिरावट आई है। गन्ना के लिए भी पर्याप्त खरीद मूल्य नहीं मिल रहा है। आप सुनिश्चित करें कि धान का मूल्य 600 रुपए और गन्ने का मूल्य 1000 रुपये प्रति टन निर्धारित हो।

आपने एक स्वागत योग्य योजना 'किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली' शुरू की है। मैं इस योजना का स्वागत करता हूं। इस योजना के तहत किसान फसल के लिए जरूरी आदान-उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं। इस योजना को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों के किसानों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जहां तक सिंचाई का संबंध है, आपने 677 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं लेकिन यह राशि पर्याप्त नहीं है। तमिलनाडु में अनेक क्षेत्र हैं जहां सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने की जरूरत है। पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियों के रुख को मोड़ना पड़ेगा ताकि उनका पानी समुद्र में गिरकर व्यर्थ नहीं जाए। यदि केरल की पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने वाली नदियों को मोड़कर पूर्व दिशा की ओर कर दिया जाए तो तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों को इनसे काफी लाभ होगा। केरल और तमिलनाडु की सरकारें इस बारे में बातचीत कर सकती हैं तथा केन्द्र के सहयोग से इस संबंध में सिंचाई परियोजनाएं लागू की जा सकते हैं। ये व्यावहारिक परियोजनाएं जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक हो सकती हैं। मुल्लाई पेरियार बांध के जलाशय की ऊंचाई बढ़ाए जाने की जरूरत है। उस क्षेत्र से जो जल बहकर जाता है उसे एकत्र किया जा सकता है। इससे सिंचाई सुविधा को और बेहतर किया जा सकता है।

इसी प्रकार धर्मपुरी जिले में होगानेकाल में कावेरी नदी की परियोजना लम्बे समय से लम्बित पड़ी है। यदि वहां पर बांध का निर्माण हो जो तो उस क्षेत्र के अनेकों गांवों की पीने को पानी और सिंचाई की समस्या को हल किया जा सकता है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार लम्बे समय से लम्बित ऐसी परियोजनाओं को पूरा करे। यह महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए 3000 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जीवनधारा, इंदिरा विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाएं और कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों का उत्थान करना है और इनके लिए हजारों करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। ये सभी योजनाएं जिन पर हजारों करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं, का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली बनाई जानी चाहिए कि धनराशि उन्हीं योजनाओं पर व्यय की जाए जिनके लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। इन योजनाओं के लिए लगभग 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की दी जाती है। लेकिन राज्यों में क्या होता है? राज्य सरकारें इस बात का प्रचार नहीं करती कि यह धनराशि केन्द्र द्वारा दी गई थी। केवल स्थानीय विधायक द्वारा संस्तुत किए गए लोगों को इनका लाभ मिलता है। इन ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रों तथा इनसे लाभ पाने वाले का पता लगाना वहां के स्थानीय विधायकों के हाथों में होता है। आम आदमी को गुमराह किया जाता है कि ये योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। ये विधायक केन्द्र सरकार का कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं हालांकि धन केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है। क्या यह लोगों को गुमराह करना नहीं है? अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इन समितियों में सांसदों की भागीदारी को सुनिश्चित करे। समितियां स्थानीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार करेगी और निर्णय लेगी। सांसदों को उन बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिए जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श करेंगी। इस संबंध में, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को एक दिशा-निर्देश जारी किया जाना चाहिए। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह इस पर तुरंत ध्यान दे।

तिन्दीवनम निर्वाचन क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं है। औद्योगिक रूप से यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जहाँ तक हमारे क्षेत्र तमिलनाडु का संबंध है वहां पर बहुमूल्य खनिजों के अनेक भण्डार हैं जिनकी आवश्यकता अनेक रसायनों में होती है। इन खनिजों के उपयोग की भारी सम्भावनाएं हैं तथा आप माराक्कानाम और वनूर क्षेत्रों में रसायनिक उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि प्रत्येक राज्य में प्राकृतिक खनिज संसाधनों से अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु एक नीति बनायें। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण करे।

यहाँ पर कई अरसे से लम्बित पड़े सेतू समुद्रम परियोजना का जिक्र करना उचित होगा। यह आर्थिक दृष्टि से साध्य परियोजना बन सकती है जिससे राजस्व अर्जित की जा सकेगी तथा जिससे तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मिली-जुली सरकार जिसे हमारा समर्थन प्राप्त है से निवेदन करूंगा कि वह इस सेतू समुद्रम परियोजना को कार्यान्वित करे। मेरी आपसे अपील है कि आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और इसे पूर्ण रूप से मानें। इससे कई करोड़ रुपयों की बचत की जा सकती है। मालवाहक जहाज श्रीलंका होकर लंबा-चौड़ा मार्ग अपनाने की बजाय रामेश्वर से छोटे मार्ग से जा सकते हैं। यदि सेतू जलडमरुमध्य को गहरा कर दिया जाये और रामेश्वरम बन्दरगाह में सुधार कर दिया जाए तो हम अनेक करोड़ रुपयों की बचत कर सकते हैं। हम पश्चिमीय बंदरगाहों से बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वी तट पर जाने के लिए इस अर्थक्षम छोटे मार्ग के जरिये विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की बात है, इस परियोजना के कार्यान्वयन से आयातित कोयले के नौवाहन पर खर्च की गयी धनराशि प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ के लगभग होगी।

मैं एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र से हूं जिसकी ओर सभी दृष्टि से ध्यान देना आवश्यक है। एक प्राचीन पुरातत्व स्मारक गिनजी फोर्ट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। यह फोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

[श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन]

प्राधिकार के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है। इसको एक पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है लेकिन इसे रणमीय बनाने के लिए सुविधाएं पर्याप्त नहीं दी गयी हैं। अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने तथा इस पर्यटक स्थल का विकास करने के लिए समुचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अभी वहां अनेक सुविधाओं का अभाव है। इस फोर्ट में जाने के लिए एक विन्च लगाया जाना चाहिए। किले के इर्द-गिर्द बनी खाई अकाजी से गाद निकालने की जरूरत है. और वही नाव चलाने की सुविधाएं दी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को जमीन में गढ़े उन कथित बहुमूल्य प्राचीन मूर्तियां को खोद निकालने के लिए फोर्ट में तथा इसके आस-पास खुदाई के काम को करने के लिए आवश्यक धनराशि भी प्रदान करनी चाहिए।

हमारी मिली-जुली सरकार ने स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है? हस्त-निर्मित माचिस उद्योग में लगभग साढ़े सात लाख लोग कार्यरत हैं जो कि दक्षिणी जिलों में पिछले अनेक वर्षों से कुटीर उद्योगों के रूप में चल रहे हैं। हस्तनिर्मित माचिस उद्योग इन साढ़े सात लाख लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करता है जिनमें बहुत सी महिलाएं हैं। नये बजट प्रस्ताव का उन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रस्तावित शुल्क का उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुटीर उद्योग विशेषकर हस्त निर्मित माचिस उद्योग को सरकार से सहायता की जरूरत है क्योंकि वे मशीनी निर्मित माचिस कार्य उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में, एम.डी.एम.के. पार्टी के महासचिव श्री वैको हमारे माननीय वित्त मंत्री से मिले और उनसे प्रस्तावित शुल्क में बढ़त को हटाने की आवश्यकता के बारे में कहा क्योंकि इन बढ़त से हस्तनिर्मित माचिस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्री वैको ने निर्माताओं की कई श्रेणियों के लिए एक व्यवहार्य संशोधित शुल्क का भी सुझाव दिया है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से आग्रह है कि वह इस पर विचार करें तथा इस बजट चर्चा में अपने उत्तर के दौरान एक सकारात्मक घोषणा करें।

मैं आपका ध्यान विशेषकर उस हस्तनिर्मित माचिस उद्योग में काम कर रहे लोगों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसे एक कुटीर उद्योग माना जाता है। शुल्क ढांचे को संकीर्ण कर दिया गया है जो कुटीर उद्योग क्षेत्र के हितों के लिए हानिकारक है। मैं चाहता हूं कि इस शुल्क ढांचे में उत्पादन के आधार पर संशोधन किया जाए। 5000 मिलियन बाक्सों की वर्तमान उत्पादन सीमा वाली मशीनीकृत (डब्ल्यू.आई.एम.सी.ओ.) पर प्रति इकाई शुल्क 7.20 रु. तक हो सकता है। 4,000 मिलियन तिलियों के उत्पादन सीमा वाले अर्ध-मशीनीकृत उद्योग पर प्रति इकाई शुल्क 6 रुपये हो सकता है। 1000 मिलियन से अधिक तिलियों के उत्पादन वाले गैर-मशीनीकृत उद्योग पर प्रति इकाई शुल्क 4 रुपये हो सकता है। 180 मिलियन से अधिक लेकिन 1000 मिलियन से नीचे तिलियों के उत्पादन वाले गैर-मशीनीकृत उद्योग पर प्रति इकाई शुल्क 3 रुपये हो सकता है। मैं प्रत्येक वर्ष 180 मिलियन तिलियों के गैर-मशीनीकृत उत्पादन वाले कुटीर उद्योग पर प्रति इकाई शुल्क एक रुपये हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इन आवश्यक संशोधनों को तुरंत किया जाये। हमें इस कुटीर उद्योग को तथा इस पर निर्भर लोगों को बचाना चाहिए। इससे सरकार के राजस्व संग्रह पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करे।

श्री वैको: महोदय, यह उनका प्रथम भाषण है। वे केवल दो या तीन मिनट और लेंगे।

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन: महोदय, यह कुटीर उद्योग खतरे में है। दक्षिणी प्रांतों में इस नए शुल्क को लगाने से अधिकतर महिलाओं पर बुरा असर पड़ा है। आज जब उत्पादन मांग से कहीं अधिक है तो कुछ उद्योगपतियों ने कई करोड़ की विदेशी मशीन आयात को हैं। राज्य सरकार ने भी मशीनों द्वारा माचिस निर्मित करने वाले औद्योगिक इकाईयों को बंद करने की सिफारिश की है। लेकिन फिर भी वे मशीनों द्वारा निर्मित माचिसों का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकार से केवल सी डी बी के लिए निवेदन कर रखा है। इससे हस्त-निर्मित माचिस उद्योग में कार्यरत लगभग 7.5 लाख मजदूरों को नुकसान होगा। पिछली सरकार ने नियमन के द्वारा इस उद्योग को सुरक्षा प्रदान के लिए बनाये गये 1952 के अधिनियम के प्रभाव को कुछ कम कर दिया है।

इस बजट में मक्खन और घी पर भी 8 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव को वापिस लेकर रद्द कर दिया जाये। तमिलनाडु सरकार ने घी पर 8% और 4% कर लगाया है और मक्खन पर कर समाप्त कर दिया है। इसी के साथ ही, हमारी सरकार मक्खन पर कर लगाने जा रही है। मेरे विचार से यह अच्छा प्रस्ताव नहीं है। अत: मैं सरकार से मक्खन पर कर लगाने के इस प्रस्ताव को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं। क्योंकि यह स्वदेशी अर्थव्यवस्था से संबंधित है।

जहां तक कताई मिलों का संबंध है, 50% धागा तमिलनाडु में निर्मित होता है। तमिलनाडु में लगभग 1000 कताई मिल हैं। वहां लगभग 30 लाख तकुए हैं। उनके सामने सूत की कमी का संकट बना हुआ है, जो उनके लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है और उनकी समस्याओं को बढ़ा रहा है। मूल्य-वृद्धि का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन: मैं भी सरकार से उन लोगों के वंशजों को नौकरियां प्रदान करने की नीति को जल्दी लागू करने

का अनुरोध करूंगा, जिनकी भूमि को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने अपनी खनन कार्यकलापों के लिये अधिग्रहित किया था।

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि आपने कक्षा पांच तक अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की घोषणा कर दी है। मैं आपसे इसे दसवीं कक्षा तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

स्टील री-रोलिंग मिलों को किसी भी समय 18% जुर्माने के साथ से विलम्बित देय का भुगतान करने की सुविधा दी गयी गई थी। किन्तु अचानक यह समाप्त कर दी गयी। मिलों को तत्काल करों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है और वह भी देयों पर 100% जुर्माने के साथ। मैं स्टील री-रोलिंग मिलों को अचानक पड़े इसे भार से राहत दिलवाने के लिए सरकार से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मेरा नाम कब पुकारेंगे। मैं बहुत देर से बैठा हूं। मेरा नाम तो बहुत पहले ही आ गया था, किन्तु माननीय महिला सदस्यों को पहले बोलने देने के कारण मैं नहीं बोल सका।

सभापति महोदय: ठीक है मेहता जी, आपको भी बुलाऊंगा।

प्रो. अजित कुमार मेहता: लेकिन कब, क्या रात को 12 बजे बुलाएंगे।

सभापति महोदय: ठीक है। प्रेमचन्द्रन जी, पहले मेहता जी को बोल लेने दें। प्रो. अजित कुमार मेहता।

प्रो. अजित कुमार मेहता: सभापति महोदय, मुझे अपने बोलने के लिए लड़ाई करनी पड़ी, इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। बजट में सपोर्ट में जाना सरकार की बाध्यता है और विपक्ष का काम आलोचना करना है, लेकिन मैं अभी न आलोचना करूंगा और न समर्थन। मैं तो सिर्फ यह देखूंगा कि बजट के क्या नतीजे निकले हैं। जैसे अंधे आदमी के खाने में घी डाल दिया जाए और कहा जाए कि तुम्हारे खाने में घी डाल दिया गया है, तो वह कहेगा कि जब तक गड़गड़ाएगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए जब तक इस बजट के परिणाम हमारे सामने नहीं आते हैं, तब तक हम क्या आलोचना और समर्थन करें।

उसकी आलोचना न करूं तो क्या करूं। अभी आपने देखा कि 19 तारीख के बाद हमारे रुपये की कीमत घटनी शुरू हो गयी है। पिछले 10 दिनों में जिस तरह से रुपए की कीमत घटी है उससे हमें यही लगता है कि हमारे रुपये की कीमत घटती जायेगी। उसका नतीजा यह होगा कि हमारा आर्थिक ढांचा चरमरा जायेगा। 19 मई को एक डालर 40 रुपये 50 पैसे में मिलता था और 10 तारीख को 42 रुपये 24 पैसे में मिलने लगा। मुझे आशंका है कि अगले कुछ दिनों में यह 45 रुपया पार कर जायेगा और जब वह 50 रु. के नजदीक पहुंचेगा तो हमारा आर्थिक ढांचा बिल्कुल चरमरा जायेगा। हमें जो ऋण वापिस करना है, वह अधिक करना पड़ेगा, सूद अधिक वापिस करना पड़ेगा और मुझे शक है कि हमारी जितनी परियोजनाएं चल रहीं हैं, वे सभी की सभी ठप्प हो जायेंगी। इससे जब हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ेगी तो हम नये रोजगार क्या पैदा करेंगे? हमारे पास रोजगार पैदा करने के जो साधन हैं, वे भी समाप्त हो जायेंगे।

सभापति जी, हमारे यहां महंगाई तो बढ़ेगी ही। जब रुपए की कीमत घटेगी तो महंगाई बढ़ेगी। इसी प्रकार सर्वसाधारण के रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी आपने आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगा दिया है। इससे भी महंगाई बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बड़ी ऊंची योजनाओं की घोषणा की गई है परन्तु उससे किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं होगा। ऋण तभी उपलब्ध होगा जब उनको अपनी सभी चीजों पर मालिकाना हक मिल जायेगा। मैं अपने पूर्व वक्ता से बिल्कुल सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये तक के ऋण उनकी अपनी जमानत पर मिल जाये तभी किसानों का भला होगा। इसके लिए आवश्यक है कि भूमि सुधार करके मालिकाना हक किसानों को दिया जाये। परन्तु भूमि सुधार के लिए जो कानूनी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उससे इनको अलग कर दिया जाये जिससे कि भूमि सुधार राज्यों के लिए सुविधाजनक हो।

सभापति जी, बजट में 90 हजार करोड़ रुपये यानी बजट का 5.6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा दिखाया गया है, इसका साफ मतलब होगा कि यह घाटा नोट छापकर पूरा किया जायेगा। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, रुपये की कीमत घटेगी और लोन प्राप्त होने की पूंजी कम होती जायेगी। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर में 90 हजार करोड़ रुपये का घाटा दिखाकर सबके ऊपर यह बराबर बांट दिया गया है परन्तु प्रत्यक्ष कर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। इसका साफ मतलब है कि गरीबों को ही इसमें ज्यादा पिसना पड़ेगा। आर्थिक विकास धीमा होने की वजह से मंदी की प्रवृत्ति बढ़ी है। लोगों की आय घटने से घरेलू उत्पाद की मांग में कमी आई है जिसका परिणाम मंदी के रूप में है। इसका मतलब यह है कि उत्पादन की जिनको जरूरत है उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कीमत अदा करने की ताकत नहीं है और जिनके पास पैसा है, उनको उस उत्पादन

[प्रो. अजित कुमार मेहता]

की उपलब्धता पहले से ही है। वे अधिकतर आयातित सामान जो कि लग्जरी होगा, उसकी उपलब्धि के लिए होहल्ला करेंगे।

सभापति जी, सेवा कर का भी कोई प्रावधान नहीं है। पिछले बजट में जो उसका प्रावधान किया गया था, वह भी यहां नदारद है। ...*(व्यवधान)* क्यों समाप्त करूं। अभी मेरे पास समय है। इस बजट में बड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई अच्छा प्रावधान नहीं है। अभी आपने सुना कि लीन पीरियड में हमारा बंगला देश के साथ पानी का समझौता हुआ था। लीन पीरियड में गंगा नदी में पानी बहुत कम हो जाता है जिससे समझौते के हिसाब से हमें 10 दिन बिना पानी के ही रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मेरा एक सुझाव यह है कि कोसी में, बसह क्षेत्र में मल्टी परपज हाई डैम बनाकर पानी को जमा किया जाये और जो पानी बरसात में यूं ही गंगा में बह जाता है, उसे उपयोग में लाया जाए।

मैं मानता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए जो आवंटन किया गया है, उसकी उपयोगिता नहीं होगी। उसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और जो आवंटन बढ़ाया गया है, वह उसी में खप जायेगा। इसी प्रकार रक्षा बजट में 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन जो परम्परागत हथियार हैं, उनकी कीमतें तब तक दुगुनी और तिगुनी हो चुकी होंगी। इसलिए रक्षा बजट में 14 प्रतिशत की वृद्धि हमारे ख्याल से काफी नहीं है। कृषि उत्पादन की दर में पिछले 11 वर्षों में 102 प्रतिशत वर्षा होने के बावजूद भी उत्पादन और विकास की दर में निरन्तर गिरावट आई है। इसको उलटने से हमें फायदा होता लेकिन सरकार ने इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया है।

आप जानते हैं कि कृषि का योगदान सकल उत्पाद में 84 प्रतिशत है, फिर भी यूरिया की कीमत बढ़ा दी गयी है। इस पर हमें उतना एतराज नहीं है जितना एतराज इस बात पर है कि बढ़ी हुई कीमत में भी यूरिया किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं होगा। अभी तक भी नहीं होता रहा है इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर यूरिया की कीमत बढ़ानी आवश्यक है तो आप बढ़ाइये लेकिन किसानों को इतनी गारंटी जरूर दीजिए कि यूरिया उन्हें समय पर उपलब्ध होगा। किसानों के लिए एक सुझाव और है। आप बजट में जो भी प्रावधान करते हैं उसका लाभ बिचौलिये को चला जाता है। उसके लिए किसानों को यह सुविधा मिले। उसके लिए आवश्यक है कि उनका उत्पादन ऐसी जगहों पर जाये जहां उसकी कीमत अधिक हो ताकि सीधा फायदा उन्हें मिले। अपने प्रदेश के लिए, अपने इलाके के लिए हमारा एक सुझाव है कि पटना को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बना दिया जाये जिससे उत्तर बिहार में हरी सब्जी का जो उत्पादन होता है, उसका निर्यात किया जा सके और पर्याप्त मात्रा में शीत भंडार गृह का निर्माण हो। वैसे दो-तीन शीत भंडार गृह का निर्माण हुआ है लेकिन वे काफी नहीं हैं।

सभापति महोदय: आप समाप्त करिए।

प्रो. अजित कुमार मेहता: उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले साल आलू और प्याज की काफी उपज हुई लेकिन वह सड़कर बर्बाद हो गयी।

सभापति महोदय: मेहता जी, अब आप समाप्त करिये।

प्रो. अजित कुमार मेहता: मैं एक मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय: आपने स्वयं ही कहा था कि मैं बहुत संक्षेप में बोलने जा रहा हूं। अब कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. अजित कुमार मेहता: हमारे यहां पहाड़ी इलाके में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमारा छोटा नागपुर का इलाका पहाड़ी है। वहां अगर बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाये तो इससे वहां के किसानों को लाभ होगा ...*(व्यवधान)*

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी है लेकिन उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। मैंने आपसे पहले श्री प्रेमचंद्रन को बुलाया था, इसलिए अब मैं फिर उनको बुला रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला): महोदय, मैं एक प्रक्रियात्मक मुद्दा उठाता हूं। पहली बात यह है कि आप उन्हें मेरे से पहले कैसे बुला रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: इस सभा में मेरे दल के पांच सदस्य हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कृपया बैठिए। मैं यह जानता हूं। मैंने उन्हें बुलाया है। मैं आपको भी बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता: बजट में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रावधान होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बजट का समर्थन न करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि संक्षेप में भाषण करें ताकि अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें। जैसा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा है, कृपया उसका उपयोग कीजिए तभी हमारे देर तक बैठने का लाभ होगा।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मेरे दल से मैं अकेला वक्ता हूं।

सर्वप्रथम मैं, मेरे दल की ओर से मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1998-99 के बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले चुनावों के दौरान भाजपा का नारा था-स्थायी सरकार, योग्य प्रधान मंत्री और इस राष्ट्र का अच्छा शासन। मैं कहना चाहूंगा कि दो महीने की छोटी अवधि में ही उन्होंने साबित कर दिया कि वे इस राष्ट्र को स्थायित्व, योग्यता और अच्छा शासन प्रदान करने योग्य नहीं हैं। इसका नवीनतम उदाहरण बजट और वित्त विधेयक है, जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किया गया है।

बजट भाषण में उन्होंने यह घोषणा की है कि पेट्रोल के मूल्यों में केवल एक रुपया वृद्धि होगी, किन्तु उसी रात पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसे 4 रुपये या 4 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दिया। बजट संबंधी चर्चा शुरू करने से पहले ही यूरिया के दाम घटा दिये गये। यह क्या दर्शाता है? क्या यह राष्ट्र का अच्छा शासन है? यह अच्छा शासन नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट और वित्त विधेयक अपनी अहमियत बजट के शुरुआत से ही इस सभा में बजट को प्रस्तुत करने के समय से ही यानि इस समय में बजट को प्रस्तुत करने के समय से ही खो बैठा है। अत: मैं बजट का विरोध करता हूं।

मैं इस बजट का विरोध इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसकी कोई उचित दिशा नहीं है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। यह भी पिछली सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही सार्वभौमिकरण की नीति को जारी रखे हुये हैं। किन्तु इस बजट में थोड़ा-सा अंतर है। इस पर स्वदेशी का मुखौटा चढ़ा है। भाजपा समर्थकों के शासन संबंधी राष्ट्रीय कार्यसूची की तरह ही कुछ मुद्दे गुप्त कार्यसूची में छिपाये जा रहे हैं। आप यह मुखौटा उतारें, तभी आप वास्तव में सार्वभौमिकरण को समझ सकते हैं। हाल ही में मारुति उद्योग लिमिटेड के मामले में यह बात देखी गई है।

यह कहना भी उचित होगा कि गत कई वर्षों से प्रस्ताव बनाते समय गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पूर्णत: अनदेखी की जाती रही है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इस बजट को तैयार करते समय देश के दलितों और मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं दिया गया है। इन सभी वर्षों में बजटों को मुख्यत: बड़े घराने और कम्पनी समूहों के लिए तैयार किया जाता रहा है। यह इस बजट में भी ऐसा ही किया गया है। इस बजट में कुछ भी नयी बात नहीं है। शायद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह प्रथम बजट ऐसा बजट है जिसमें नयी परियोजनाओं, प्रस्तावों और योजनाओं का कहीं भी जिक्र नहीं है। वे कौन-सी योजनायें हैं जिन्हें निरूपित किया गया है? मैं इस बात से सहमत हूं कि योजना आवंटन में अधिकता है। कुल योजना आवंटन में वृद्धि की गई है। पिछले बजट में भी त्वरित सिंचाई कार्यक्रम, आर.आई.डी.पी., स्वर्ण जयंती आवास योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षण योजना, न्यूनतम बुनियादी सेवा कार्यक्रम जैसी योजनाएं थीं।

प्रत्येक विषय के कुल योजना आवंटन में कुछ बढ़त की गई है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा सुझायी गयी 'स' अक्षर से शुरू होने वाली तीन नयी योजनाएं सरल, सम्मान तथा समाधान शामिल हैं। चूंकि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। जहां तक वर्तमान स्थिति की बात है जिसके बारे में इस बजट में बताया गया है कि हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि हमने आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा कर लिया है और वर्ष 1997-98 आठवीं योजना का अंतिम वर्ष था। 1996-97 के दौरान आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत थी तथा 1997-98 के दौरान यह एक-तिहाई यानि 5 प्रतिशत तक गिर गयी। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि में गिरावट मुख्यत: दो कारणों की वजह से आयी। इसका एक कारण कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आना था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह बजट इन दोषों अथवा कमियों को दूर कर पाएगा। बजट में दिखाये गये सांख्यिकीय अथवा आंकड़ों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यह सरकार कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक विकास की कमियों को दूर नहीं कर पाएगा। बजट में 1,76,900 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्त होने, 2,67,000 करोड़ रुपये का खर्च होने तथा 91,225 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा होने की संभावना थी। वित्तीय घाटा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों के द्वारा नियंत्रित किया जायेगा। वित्त मंत्री जी पहले से ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से 5000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा लगाये हुए हैं। मेरा मानना है कि वित्त मंत्री जी इन सपनों को तभी पूरा कर पाएंगे यदि वे इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। तब सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत राजस्व घाटा होगा और 5.6 प्रतिशत वित्तीय घाटा होगा। इससे क्या पता चलता है? मैं यह कहना चाहूंगा कि ये सपने पूरे नहीं होंगे। इसका एक कारण यह भी है कि पिछले वर्ष करों के रूप में कुल 14,736

[श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन]

करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये। इस वर्ष हम पहले से ही बजट की अनुमानित राशि से भी कम राशि एकत्र होने की आशा कर रहे हैं। हम 16,055 करोड़ रुपये कर इकट्ठा करने की आशा करते हैं। यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

दूसरा कारण, विनिवेश है। भूतपूर्व वित्त मंत्रियों, श्री पी. चिदम्बरम और डा. मनमोहन सिंह ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कराने का भरसक प्रयास किया था। वे इस मामले में सफल नहीं हो सके। इस बजट में रक्षा संबंधी खर्च 41,200 करोड़ रुपये है। यदि यही परिस्थितियाँ बनी रहीं तो यह खर्चा भविष्य में बढ़ जायेगा। इसलिए राजस्व घाटा छः प्रतिशत से अधिक हो जायेगा। वित्त मंत्री जी राजस्व घाटे को 5.6 प्रतिशत तक नहीं रोक पाएंगे।

मैं विनिवेश तथा निजीकरण के संबंध में एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। इन सभी से मुद्रास्फीति होगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। राजस्व घाटे तथा इन सभी बातों से मुद्रास्फीति अधिक होगी तथा जहां तक भुगतान संतुलन का संबंध है देश में आर्थिक संकट पैदा हो जायेगा। इस पर विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा खुलकर चर्चा हो चुकी है।

जहां तक विनिवेश की बात है, मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश तथा निजीकरण का कड़ा विरोध करता हूं। यदि ये उपक्रम हमारे देश का गर्व तथा राष्ट्रीय परिसम्पत्ति हैं और यदि आप इन सरकारी उपक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों को समाप्त कर देंगे तो आप राष्ट्रीय परिसंपत्ति को तबाह करेंगे। मैं एक दस्तावेज का उल्लेख करना चाहूंगा तथा इसके साथ ही अपना भाषण समाप्त करूंगा।

यह दस्तावेज भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन तथा वार्षिक सत्र के बारे में है। इनका सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में क्या कहना है? मैं पृष्ठ 6 से उद्धरण दूंगा। इसी प्रकार हम सरकारी क्षेत्र की इकाईयों से अधिक मुनाफा कैसे सुनिश्चित करते हैं? मैं यहां एक वाक्य को रेखांकित करना चाहूंगा और वो यह है कि ''निजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।'' ये संयुक्त मोर्चा अथवा कम्युनिस्ट पार्टियों के शब्द तथा वाक्य नहीं हैं। इसे इस प्रकार कहा गया है:

> ''निजीकरण की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकारी क्षेत्र की इकाईयों को आवश्यक स्वायत्तता प्रदान करने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र की इकाईयों को फिर से जान डालने और इनके द्वारा अधिक से अधिक उत्तम उत्पादन करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यही समय कदम उठाने का है। इन सरकारी क्षेत्र की इकाईयों में बचत करने की क्षमता है और यह कहने की जरूरत नहीं है कि सरकारी क्षेत्र की इकाईयों के द्वारा की गयी बचत से उन्हें सरकार से ऋण लेने की आवश्यकता को कम कर देगी।''

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य उद्योग अर्थात् बीमा उद्योग के विनिवेश तथा निजीकरण से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह राष्ट्रीय हित में नहीं है। इसीलिए सरकार को ये दोनों प्रस्ताव वापस ले लेने चाहिए।

जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, बजट में ग्रामीण विकास, स्वयं रोजगार योजना और इन सब बातों के अलावा रोजगार का कहीं भी जिक्र नहीं है। सरकार ने एक वर्ष में ही एक करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही है। यह तो अभी भी एक स्वप्न ही है। इसीलिए, इस बजट में दिशा और दूरदृष्टिता नहीं है। औद्योगिक तथा कृषि संबंधी विकास में आई गिरावट को रोकने हेतु कोई नयी परियोजना स्कीम तथा प्रस्ताव नहीं है। यह विकासोन्मुखी बजट नहीं है। बल्कि इस बजट से मुद्रास्फीति अधिक होगी। इसलिए मैं इस बजट का पूरी तरह से विरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): बी.जे.पी. की तरफ भी आप थोड़ी मेहरबानी रखियेगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): सभापति जी, मैं इस बजट के ऊपर चर्चा में ...*(व्यवधान)* आप बोलने दो न, आप समय क्यों खराब कर रहे हैं। इसमें हिस्सा लेते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें इस बजट के ऊपर, इसके गुणगत मान के ऊपर जो कहा गया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि समय के अभाव के कारण मैं डायरैक्टली 2-4 बातों के ऊपर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उन्होंने इस बजट के अन्दर जो गिफ्ट टैक्स था, वह आपने रिपील कर दिया, विदड्रा कर दिया और गिफ्ट लेने वाला जो रिसीवर है, उसको इन्कम टैक्स के अन्दर टैक्स का पेमेण्ट करना पड़ेगा। इतने दिनों तक इस देश में कुछ छूट रहा करती थी, जो माता-पिता हैं, उनको अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को गिफ्ट देने में छूट रहा करती थी, आपने वन स्ट्रोक ऑफ पेन आपने उसको उठा लिया। इसके ऊपर आपको सोच-विचार करना चाहिए और छूट देनी चाहिए।

दूसरी बात इसके अन्दर जो आपने रखी है, कुछ नये एरिया के बारे में आपने इनीशिएट लेने की बात कही है, आपके बजट में जो सेल प्रोसीड का मैं बता रहा हूं कि आपने क्या कहा है, जैसे अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री।

इसके अन्दर आपने क्लियरली नहीं बताया। आपका यह जो प्रस्ताव है, यह तो सराहनीय है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इसको क्लियरली आपको बताना चाहिए। देश में 40 फीसदी लोग दरिद्रता रेखा के नीचे हैं और उसके बाद हर आदमी जिसके पास एक, दो या चार एकड़ जमीन है, यदि वह अपने बच्चों की शादी के लिए, ब्याह के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जायेगा तो वह कहां से परमानेंट एकाउण्ट नम्बर लेकर जायेगा। जो इसकी डिटेल है वह आपने इसमें बताई है: 'अधिक मूल्य का कारोबार' इसका क्लैरीफिकेशन होना चाहिए कि हाई वैल्यू कंजम्पशन का मतलब क्या है। कौन-सी बात है, क्या बात आप करना चाहते हैं? इसके बाद ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक एकाउण्ट के बारे में भी आपने बताया कि न्यू बैंक एकाउण्ट कोई गरीब आदमी, गांव का आदमी गांव में जाकर बैंक में 100 रुपये देकर एकाउण्ट खोलने जायेगा तो उस जगह वह किससे परमानेंट एकाउण्ट नम्बर लेने जायेगा? लेकिन आपके भाषण के अन्दर इसमें जो बात है, वह बहुत साफ नहीं है। इसके ऊपर आपको क्लियरली बताना पड़ेगा।

स्माल सेविंग्स के लिए जो प्रोत्साहन होना चाहिये, वह आपने नहीं दिया। इससे लगता है कि बैंकिंग सैक्टर का जो बिजनेस है, उनके जो डिपाजिट्स हैं, उसको आप कम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। आपके उत्तर के समय आप इस बात का थोड़ा खुलासा करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आज हमारी प्राइवेट इण्डस्ट्री सबसे ज्यादा रिसेशन में है, क्योंकि जो टैक्स पेयर प्राइवेट इण्डस्ट्री है, जो स्माल सैक्टर में है, वह कोई टैक्स नहीं देती है, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं, उनका माल नहीं बिकता है, वह कम्पीटिशन में नहीं आ सकती है और जो यहां इम्पोर्ट होकर आता है, वह सस्ता हो जाता है। इसके ऊपर आपको गौर से देखने की जरूरत है। खासकर जैसे कि नये-नये एरियाज हैं, रबर वुड का इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, उसके अन्दर छूट होनी चाहिए। इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना अच्छा होगा।

मैं एक दूसरी बात आपके सामने लाना चाहता हूं, जो आपके इस बजट के प्रस्ताव में नहीं है। वह यह है कि आपने तो स्वदेशी की बात कह दी, लेकिन आपका स्वदेश कौन सा है? स्वदेश की पूरी सीमा आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, लेकिन अंडमान निकोबार आईलैंड जिस जगह है, वह यूनियन टैरीटरी है, केन्द्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में आपके बजट में कुछ बात नहीं है। आपने नोर्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए कुछ बात कही है। मैं आपका समर्थन करता हूं, आपने अच्छी बात की है, कुछ पैकेज की बात रखी है और अगर वह इम्प्लीमेंट होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जहां दूरदराज इलाके में इस प्रकार की जगह है, उस सारे एरिया की क्या हालत है, इसके बारे में आपने कुछ जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। अभी सिक्योरिटी की हालत ऐसी है, जिसमें रक्षा मंत्री ने एक क्वश्चन के उत्तर में यह बताया है कि पकड़े गए जहाजों और उनके चालक दल के सदस्यों की वर्षवार संख्या नीचे दर्शाई गई है:

1995 में नम्बर ऑफ वैसल्स छह पोचर्स, नम्बर ऑफ क्रू 48, 1996 में 15 और 140, 1997 में 39 और 150, टिल मई 1998, 12 और 154 नम्बर ऑफ क्रू। इससे आप समझ सकते हैं कि नियमित रूप से वहां जो बाहर से पोचर्स में ठन द्वीपों के अन्दर भिन्न-भिन्न देशों के लोग के आते हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए नेवी की या डिफेंस प्रिमिसिस के लिए बात नहीं है, इसके लिए अण्डमान निकोबार प्रशासन ने मैरीन पुलिस फोर्स का प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। तीन साल से वह प्रस्ताव घूम रहा है और आज तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। यह ऐसा मसला है, जिसमें देश की सुरक्षा की बात है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा।

हमारे यहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपने फिफ्थ पे कमीशन का जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है, लेकिन जहां तक अंडमान निकोबार आईलैंड ने, उसमें

[अनुवाद]

पांचवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि हमारे कर्मचारियों को यह विशेष प्रतिपूरक भत्ता अनुदान मौजूदा दर के दुगुनी दर पर दिया जाये। इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 30 सितम्बर, 1997 के एक संकल्प द्वारा अनुमोदित किया है।

[हिन्दी]

लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, उसके लिए आज तक वहां एम्पलाइज एजीटेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह तो कुछ ऐसा मसला है जो मसला आपके थोड़ा सा ध्यान देने से और थोड़ी सी यूनियन टैरीटरी के ऊपर बात कहने से उसका कुछ हो सकता है। अभी जैसे हमारे एक कैम्बल निकोबार में एकदम भारत की आखिरी सीमा है, जो इण्डोनेशिया की बगल में है, इस द्वीप के एक तरफ इंडोनेशिया, एक तरफ मलेशिया, एक तरफ थाईलैंड, एक तरफ म्यांमार है, यह सारे देशों के बीच में जो टापू वहां 1200 किलोमीटर में पड़ा है, उसकी आज क्या हालत है? आज वहां एक व्यक्ति का प्रशासन चलता है। सारा एक लैफ्टीमेंट गवर्नर पर है, वे जो कहेंगे, वही सही है। वहां कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इस बात को लेकर हमेशा ही इस सदन के अन्दर चर्चा हुई है, लेकिन इसके

[श्री मनोरंजन भक्त]

ऊपर कोई दिशा नहीं है। निकोबार का वहां जो डिस्ट्रिक्ट है, वह पूरा ही आदिवासी क्षेत्र है, उनके यहां कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था भी उनके पास नहीं है। आज उनके ऊपर सिक्स्थ शैड्यूल के मुताबिक जो ऑटोनोमस कौंसिल बनाने के लिए भी मांग आती रही है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम तो दूरदराज के इलाके के लोग हैं ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं, आप बहुत महानुभाव हैं।

सभापति महोदय: मैं जानता हूं। मैं उस स्थान पर गया हूं।

श्री मनोरंजन भक्त: इसीलिए मैं ज्यादा बात आपसे नहीं कहना चाहता हूं। वहां अनएम्पलायमेंट इतना है, वहां पी.एम.आर.वाई. का जब सिद्धान्त हो जाता है, लेकिन बैंक एक को एम्पलायमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कितनी ही बार बात करके, रिव्यू मीटिंग में बैठकर हमने पर्सनली एक-एक जगह बात की, लेकिन कोई सिद्धान्त नहीं होता। अगर दूरदराज इलाके में इस प्रकार की बात होगी, वहां के लोगों की भावना को नहीं देखा जायेगा, वहां जो एम्पलायमेंट प्राब्लम है, उसको नहीं देखा जायेगा, वहां आने-जाने की, आवागमन की जो असुविधा है, जो इण्टर आईलैंड शिपिंग सर्विसेज हैं, उस बात को नहीं देखा जायेगा, जो भी बात है, आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको इतनी पावर देकर रखी है कि उन्हें सारे कागजात यहां भेजने पड़ते हैं। प्लान, स्कीम को लेकर जो भी एम्पलायमेंट करना है, उनकी जो पावर है, वह कम है। यह पिछले दो-तीन साल के अन्दर लिखा-पढ़ी चलती रही है और उसके ऊपर कोई सिद्धान्त तय नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों में होम मिनिस्टर के साथ हम लोगों ने मीटिंग की। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि यह बात होनी चाहिए, लेकिन यह फाइनेंस विभाग के आफिसर भी उसके अन्दर मौजूद थे, मैं चाहता हूं कि ये जो दूरदराज के इलाके हैं, केन्द्र शासित इलाके हैं, इस प्रकार की छह टैरीटर हैं, इनको देखना चाहिए।

रात्रि 10.00 बजे

उनके लिए भी आपका कोई चिंतन होना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि आपने उत्तर-पूर्वांचल के लिए जो भी पैकेज स्वीकार किया है, सिक्किम को भी उसमें शामिल किया है, अगर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसी पिछड़ी टैरिटरी को भी जोड़ दें तो इन सुविधाओं का फायदा हमारे लोगों को भी हो सकेगा। ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब उत्तर देंगे तो इस पर भी ध्यान रखेंगे।

आपने भर्ती पर से रोक हटा ली है। दो साल तक अगर पोस्ट नहीं भरी जाती है, तो वह पोस्ट एबोलिश हो जाती है। अभी तो काफी दिन तक बैन लगा हुआ था। इसको भी आप देखें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को, जिनका दूर का इलाका है, सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना होगा। आयलैंड के लोगों के लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इससे हमारी एम्प्लायमेंट पोटेंशिलिटी खत्म हो जायेगी, हमारे नौजवान कहीं के नहीं रहेंगे। आपके समर्थकों ने आपका गुण गाया है, मैं उससे भी ज्यादा गाने के लिए तैयार हूं, अगर आप अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए जो पोस्ट एबोलिश हुई है, उनको पुनर्जीवित करके भरने के निर्देश दे दें।

दूसरी बात मैं भूमि सुधार के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब तक इस देश में लैंड रिफार्म सही ढंग से नहीं होगा, जब तक किसानों को पट्टा नहीं मिलेगा, किसानों की साख को नहीं बचाएंगे, तब तक देश का बुनियादी ढांचा ठीक नहीं होगा। आपके बजट में फिस्कल डैफिसिट, रेवेन्यू डैफिसिट और अन्य डैफिसिटों की बात कही गई है। इनको सही करने के लिए अब वक्त आ गया है। केन्द्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय आर्थिक एजेंडा बनाना चाहिए। इससे देश को सहमति के रास्ते पर लाया जा सकता है। ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तभी मौजूदा खराब आर्थिक हालत से देश बच सकता है।

सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन समय कम था इसलिए संक्षेप में मैंने अपनी बात को यहां रखने का काम किया है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको जरूर बुलाएं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनके सारे लोग दूसरी पार्टियों से पहले बोलें।

सभापति महोदय: मैं आपको भी बुलाऊंगा। अभी मैं शिवराज सिंह चौहान को बुला रहा हूं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: कांग्रेस बड़ी पार्टी है उसके सारे लोग बोलेंगे। ठीक है मनोरंजन भक्त जी सीनियर और इंटैलिजैंट आदमी हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इनके सब लोगों को बुलाएं, आपको छोटी-छोटी पार्टियों को भी बुलाना चाहिए।

[अनुवाद]

आप हर समय नाप-तोल करके हमें बोलने के लिए नहीं कह सकते। यह ठीक नहीं है। यह अनुचित है। मैं चाहता हूं कि यह प्रक्रिया वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल): माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि समय बहुत कम है और 60 लोग बोलने वाले हैं, डिबेट काफी देर तक चल सकती है इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जिन माननीय सदस्यों को अपनी स्पीच ले करनी है वे कर सकते हैं।

सभापति महोदय: ठीक है आप सभा पटल पर अपनी स्पीच रख दें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं लिखित रूप से अपने सुझाव और विचार सदन के पटल पर रखता हूं। मेरे सुझाव और विचार सदन की कार्यवाही में नोट करते हुए स्वीकार किए जाएं।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन: अगला वक्ता मैं हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका नाम सूची में है। पहले ही आपकी पार्टी के दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन: मुझे कब बुलाया जायेगा? *..(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैंने श्री चौहान को बुलाया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: वित्त मंत्री जी संवेदनशील हैं, कल्पनाशील मस्तिष्क के और दृढ़ संकल्प के धनी हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे बेहतर कोई बजट नहीं हो सकता था। भले ही विरोध पक्ष वाले उसका विरोध करें, लेकिन व्यक्तिगतरूप से वे भी स्वीकार करते हैं कि इससे बेहतर बजट इन परिस्थितियों में नहीं हो सकता था। यह बजट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का बजट है। यह बजट एक स्वाभिमानी और सम्पन्न भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर 70 फीसदी लोग खेती करते हैं या खेती पर आधारित कामों में मजदूरी करते हैं। हमने अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मनाई, लेकिन कृषि नीति नहीं बना सके। वित्त मंत्री जी ने कृषि नीति बनाने की बात कही है, उसका मैं स्वागत करता हूं। किसानों की हालत इस देश में वैसे भी अच्छी नहीं है। किसान कर्ज के साये में पैदा होता है, कर्ज से पलता है और कर्ज के बोझ तले ही मरता है। किसानों की स्थिति का विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है, वह हम सब जानते हैं। मैं अपने क्षेत्र में अपनी जीप पर दौरा करने गया। लोग जीप देखकर इधर-उधर भागने लगे। मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। जब मैं जीप से उतरा तो उन्होंने कहा कि यह तो अपना सांसद है। मैंने कहा कि तुम लोग भाग क्यों रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम यह समझे कि शायद बैंक वाले कर्जा वसूल करने के लिए आए हैं। यह स्थिति उनकी है।

आज किसानों द्वारा आत्महत्या करने के प्रकरण भी हमारे सामने आए हैं। वित्त मंत्री जी ने जो बात कही है कि किसानों को ऐसी परिस्थितियों से बचाया जा सकता है, वह स्वागतयोग्य है। किसान के वश में ये परिस्थितियां नहीं हैं। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है, तो इसमें किसान का कोई दोष नहीं है। एक साल के लिए उसकी फसल नष्ट हो जाए तो उसके पांच साल बर्बाद हो जाते हैं। वह लिया हुआ कर्ज नहीं चुका सकता, खर्चा चलाने के लिए फिर ऋण लेना पड़ता है। इस कारण वह कर्ज के जाल में मजबूरी में ही फंसता है और फिर उबर नहीं पाता। कर्ज वापसी की संस्कृति में सुधार लाने के लिए वित्त मंत्री जी ने जो कहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

मैं इस बारे में दो सुझाव देना चाहता हूं। किसान ने अगर पांच हजार रुपये कर्ज लिए तो उसने दस हजार रुपये वापस कर दिए, अभी पांच हजार रुपये उस पर और बाकी रह जाते हैं। अगर वह पांच हजार रुपये कर्ज लेता है तो उससे 15 हजार रुपये वसूल किये जाते हैं। मेरा कहना है कि अगर उसने पांच हजार रुपये कर्ज लिया है तो उससे दस हजार रुपये से ज्यादा वसूल नहीं किए जाएं यानी दोगुने से ज्यादा वसूल नहीं किए जाएं। आपने प्रायोगिक तौर पर प्रभावी फसल बीमा योजना के बारे में कहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि हम प्रभावी फसल बीमा योजना लागू करेंगे, तो उसको समस्त देश में लागू करना चाहिए। आपने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात कही है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे देश में 37 प्रतिशत कृषि योग्य सिंचित भूमि है। उसके बारे में भी आपने जो प्रावधान किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

इसी तरह से आपने दस्तकारी और कारीगरी के बारे में कहा है। आज से लगभग 20 साल पहले गांवों में हमारे लोगों को

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

कुम्हार का, बढ़ई का, लुहार का रोजगार मिलता था। ये जो छोटे-छोटे कुटीर और ग्रामीण उद्योग थे, धीरे-धीरे समाप्त हो गए। अगर हम ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो इन ग्रामीण दस्तकारी को, कारीगरी को फिर से अमल में लाना होगा और उनको सामूहिक सहायता देने की स्कीम लागू करने की जो बात आपने कही है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा अनुरोध है कि इसे और व्यापक किया जाए। वैसे तो ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की अनेक योजनाएं हैं। इसमें आई.आर.डी.पी. जैसी योजना भी है, जिसके माध्यम से हम ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं।

लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक नहीं होता है। गरीब लोग आई.आर.डी.पी. के तहत लोन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि उनको पूरा ऋण नहीं मिलता है। योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार है। इम्पलीमेंटेशन ठीक नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नौजवान को 12 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। मैंने उस नौजवान से कहा-12 हजार का ऋण स्वीकृत हुआ है, तो अच्छा काम करना चाहिए। उसने कहा 12 हजार मन्जूर हुआ, लेकिन मिला 6 हजार रुपए ही है। मैंने कहा 6 हजार क्यों मिला? उसने कहा—6 हजार बैंक वाले खा गए। मैंने कहा—तुमको कहना चाहिए था कि 12 मन्जूर हुआ है, तो 12 मिलना चाहिए। उसने कहा—बैंक वाले कहते हैं, यह ले जाना है, तो ले जाओ, नहीं यह भी नहीं रख जाओ। फिर मैंने सोचा भागते भूत की लंगोटी भली। मंत्री जी यह वास्तविकता है। भले ही बजट में आप कितनी ही राशि का प्रावधान कर दें, लेकिन ठीक कार्यान्वयन जमीन पर नहीं होगा, तो वास्तव में लाभ जिसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलेगा। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस दिशा में उचित कदम उठायें।

शिक्षा के बारे में 58 प्रतिशत मंत्री जी ने बजट में वृद्धि की है और यह स्वागत योग्य कदम है। हमारे देश में 33-34 प्रतिशत निरक्षर लोग हैं। आपने शिक्षा की दृष्टि से हमें आश्वस्त किया है कि धीरे-धीरे बजट में प्रावधान बढ़ाते जायेंगे और इसको 6 प्रतिशत तक ले जायेंगे। मैं इस व्यवस्था का स्वागत करता हूं। महोदय, विशेष रूप से मंत्री जी ने एक राष्ट्रीय कोर बनाने की बात कही है। नौजवानों के मन में देशभक्ति की भावना है। उनमें ऊर्जा है और वे देश के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने कोई दिशा नहीं है। मुझे आशा है कि इस योजना के माध्यम से उन नौजवानों के अन्दर एक नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा।

महोदय, पेयजल की समस्या को हमारे राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल किया गया है कि पांच साल में हम हर गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा देंगे। यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के पचास सालों के बाद भी हम देश के गांवों में और गांवों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए गया, तो लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे गांव में लड़कों की शादी नहीं होती है। मैंने कहा—इसमें सांसद क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पीने का पानी नहीं मिलता है और पानी लेने के लिए तीन-चार किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसलिए आसपास के गांव के लोग अपनी लड़की की शादी यहां नहीं करते हैं। उन्हें यह लगता है कि पानी भर-भरकर हमारी लड़की मर जायेगी। यही वजह है कि हमारे लड़के कुंवारे रह जाते हैं। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनका विवाह हो सके। मुझे विश्वास है, माननीय वित्त मंत्री जी निश्चित रूप से पांच साल के अन्दर कार्यवाही कर, निश्चित रूप से शुद्ध पीने का पानी हर गांव में उपलब्ध करा सकेंगे।

महोदय, आप घन्टी बजाकर मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों की भाव-भंगिमा को भी समझ रहा हूं। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जिस दृढ़ता के साथ यह बजट पेश किया है, मुझे विश्वास है कि पांच साल में आप इस देश का कायाकल्प करेंगे, देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में हम आपके साथ खड़े हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला): महोदय, मुझे आपकी रूलिंग चहिए। यह सही है कि सी.पी.आई. एक बड़े पार्टी है। मगर यह जरूरी नहीं है कि तीसरा आदमी भी उसी दल का बोले।

[अनुवाद]

ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने दलों को यह अहसास कराया है कि उन्हें वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। मैं जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ।

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति दूँगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: वह उसके बाद बोल सकते हैं। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को समय दें, आप कांग्रेस को काफी समय देते हैं परन्तु आप हमें उतना समय क्यों नहीं दे सकते, जिसके हम हकदार हैं।

सभापति महोदय: मैं श्री राधाकृष्णन के बाद आपको बुलाता हूँ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: इस प्रक्रिया को गलत रूप दिया जा रहा है। मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के सात सदस्यों को बोलना है,

तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी सात सदस्य बोलेंगे और उनके बाद आप छोटी पार्टियों को आमंत्रित करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकता हूँ।

[हिन्दी]

मैं दरिया को कूंजे में बंद कर सकता हूं।

[उर्दू]

मुझे इस बात का अत्यधिक खेद है कि वरिष्ठता पर विचार नहीं किया जा रहा है। मैं इसे कार्यमंत्रणा समिति की कार्यसूची में रखूंगा। सभापति महोदय मैं इन महान सभा में चर्चा के स्तर को गिराना नहीं चाहता।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

श्री आर.एस. गवई (अमरावती): मेरा नाम उसमें है। मैं चुपचाप बैठकर अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कर रहा हूं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मुझे देर से आमंत्रित किया जाये। मैं भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का नेता हूँ। इसके अलावा मैं एक वरिष्ठ सदस्य हूं *...(व्यवधान)* मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री आर.एस. गवई: मेरा नाम सूची में है। क्या आप मुझे इसीलिए नहीं बुला रहे हैं कि मैं आपकी नजर में नहीं रहा हूं। मेरा नाम सूची में होने के बावजूद मैं चुप्पी साधे हुए हैं *...(व्यवधान)*। इसका मतलब यह तो नहीं है कि मेरी अवहेलना की जाए।

सभापति महोदय: कई सदस्य 11 बजे से बैठे हुए हैं। वे भी बोलना चाहते हैं। मैं आपको बुला रहा हूं। कृपया सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: मैं केवल चार-पांच मिनट बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

सभापति महोदय: कई सदस्य 11 बजे से बैठे हुए हैं। वे लोग भी बोलना चाहते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: सभापति महोदय, मैं बहुत खुश था कि श्री चिदम्बरम ने वित्त मंत्री की कुछ अच्छी बातों के लिए प्रशंसा की थी। लेकिन उन्होंने कुछ बातों को लेकर उनकी जायज आलोचना भी की है। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे श्री चिदम्बरम द्वारा की गई आलोचना के बिंदुओं पर ध्यान दें। लेकिन उनके बोलने से पहले ही मुझे आम बजट के बारे में कुछ बातें कहनी थी।

मैं महसूस करता हूं कि मुझे जम्मू व कश्मीर के बारे में बोलना चाहिए। मैं यह महसूस करता हूं कि इस बजट से कुछ सूचना प्राप्त होगी। लेकिन वित्त मंत्री मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि वे मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण में रखेंगे और रुपये के विनिमय-मूल्य को बढ़ायेंगे। मुझे आशंका है कि रुपये का मूल्य गिरेगा। प्रतिबंधों के प्रश्न पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मेरा यह अनुरोध है कि जब हम जुलाई में मिलेंगे, तो वे इनकी कीमतों के बारे में घोषणा करें। यदि उन्हें विश्वास है कि इस देश को प्रतिबंधों के कारण कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन जुलाई में उनके लिए इस मुद्दे पर इस महान सभा को विश्वास में लेने का सही समय होगा।

अब मैं जम्मू व कश्मीर पर आता हूं। दूसरी बातें भी हैं। मैं उन बातों को नहीं दोहरा सकता जो पहले कही जा चुकी हैं। इस बजट में जम्मू व कश्मीर के बारे में कुछ चिंता की जानी चाहिए। मेरी उर्दू में बोलने की इच्छा हो रही है, "मुझे गिला है, शिकायत है।"

हम पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित सशस्त्र आतंकवाद के आठ-नौ वर्ष लम्बे दौर से गुजरे हैं। इस बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पड़ोसी देश द्वारा जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित किया जा रहा है। लेकिन इसके कुछ अंदरूनी कारण भी हैं जैसे बेरोजगारी। हमारे यहां प्राथमिक से पी.एच.डी. तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। वास्तव में वहां के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज होना चाहिए। जो कि बजट में नहीं है। श्री सिन्हा जैसे निष्पक्ष वित्त मंत्री के लिए अभी वक्त है कि वे राज्य के लिए कुछ पैकेज दें और बेरोजगारी पहला मुद्दा है जिस पर उनका ध्यान गया होगा।

उसके बाद, आधारभूत सुविधाएं हैं जो वहां पर अस्त-व्यस्त हो गई हैं। बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे जम्मू व कश्मीर में बुनियादी सुविधाओं का पुनर्निर्माण किया जा सके।

अब मैं सुरक्षा संबंधी चिंता के मुद्दे पर आता हूं।

सभापति महोदय: आपके चार मिनट समाप्त हो गए हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: मैं भी अपनी घड़ी को देख रहा हूं।

सुरक्षा के बारे में 18 मई को एक बैठक हुई थी। जम्मू-कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राज्य के राज्यपाल के साथ एक बैठक आयोजित की थी। गृह मंत्री ने वचन दिया था—यह निर्णय किया गया था कि कतिपय क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 326 करोड़ रु. दिए जाएंगे। अब इसे कम करके 175 करोड़ रु. कर दिया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें।

अन्य बातों में पर्यटन शामिल है, आप वहां पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि वहां का वातावरण सामान्य हो जाने से अब पर्यटक जम्मू-कश्मीर जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देकर जिसकी वहां बहुत व्यापक सम्भावना है, आज पूरे देश के लिए लाभ अर्जित कर सकते हैं। उसके मुकाबले कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है और डल झील जैसी परियोजना पर भी, पिछली सरकार ने 291 करोड़ रु. देने का वायदा किया था। इस सरकार को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि डल झील देखने के लिए विश्व-भर से पर्यटक आते हैं और इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, औद्योगिक नक्शे में हमारा कहीं कोई नामोनिशान नहीं है। मैं श्री भजनलाल की जैसे रेलवे का उल्लेख नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह एक अलग विषय है। लेकिन वित्त मंत्री को कुल मिलाकर उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं रेलवे के प्रश्न को यहां पर नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन उद्योग के बारे में उद्योग मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या वह वहां पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार हैं?

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उनके पास प्रस्ताव क्यों नहीं है? वहां पर केवल एच एम टी की इकाई है। 1984 में यह राष्ट्रीय निवेश का 0.03 प्रतिशत था। माननीय मंत्री को इन प्रश्नों का उत्तर देते समय यह स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें इसका उत्तर देना होगा कि क्या वे कश्मीर में पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों के लिए कुछ धनराशि का प्रावधान करेंगे।

ऐसा करने के बजाए, उद्योग मंत्री ने एच एम टी का शोरूम राज्य के बाहर स्थानांतरित कर दिया है। मैंने इस पर आपत्ति प्रकट की है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस पर गौर करें क्योंकि हमारा राज्य भारत के औद्योगिक नक्शे में नहीं है।

मुझे कई और बातें कहनी थी लेकिन मैं उन्हें नहीं उठा रहा हूं लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे जब उत्तर देने के लिए खड़े हों, तो मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का विशेषतौर पर उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल): मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के बजट प्रस्तावों का विरोध करने को मजबूर हूं। प्रत्येक बजट शासन कर रहे दल की राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतिबिम्ब होता है। यह बजट भी शासन कर रहे दल का राजनीतिक प्रतिबिम्ब है। दूसरे अर्थों में एक देश का आर्थिक स्थायित्व, राजनैतिक स्थायित्व से जुड़ा होता है। राजनैतिक स्थायित्व के बिना आर्थिक स्थायित्व सम्भव नहीं है। अब मैं, माननीय वित्त मंत्री जी को सर्कस के मास्टर की भूमिका चातुर्य से अदा करने पर बधाई देता हूं। उन्हें अवश्य ही बधाई देनी चाहिए क्योंकि सर्कस में अन्दरुनी झगड़े हो सकते हैं।

जब वे वित्तीय स्थायित्व के लिए इस बजट को प्रस्तुत कर रहे थे तो क्या उनके कैम्प में कोई स्थायित्व था? सत्ता पक्ष में एक प्रमुख घटक ने अगले आदेशों तक अपना समर्थन निलम्बित कर दिया था। अत: उन्होंने वहां से आरम्भ किया। अब जब वे समाप्त कर रहे हैं तो एक अन्य प्रमुख दल इस सदन का प्रतिदिन बहिष्कार कर रहा है। क्या उन्हें संसदीय व्यवहार और शालीनता पर शर्म नहीं आती? क्या उन्होंने विश्व के इतिहास में ऐसी स्थिति जो यहाँ प्रतिदिन घटित होती है के बारे में सुना है ...*(व्यवधान)* वे, यह किस प्रकार कह सकते हैं कि आर्थिक स्थायित्व सम्भव होगा? यह हम सदन में देख रहे हैं। जब उन्होंने आरम्भ किया तो समर्थन निलम्बित था और जब वे समापन की ओर अग्रसर हैं तो सदन का बहिष्कार किया जा रहा है। सरकार की यह स्थिति है। वे यह किस प्रकार कह सकते हैं कि यह बजट आर्थिक स्थायित्व ला सकेगा? ...*(व्यवधान)* अब मैं मामले की गहराई में नहीं जाऊँगा।

मुझे एक दो बिन्दुओं पर प्रमुख रूप से प्रकाश डालना है। प्रथम बिन्दु दसवें वित्त आयोग की कर हिस्सेदारी के बारे में की गई सिफारिशें हैं। हमारा देश एक संघीय राज्य है। अत: कर हिस्सेदारी के बारे में राज्यों व केन्द्र के बीच पूर्ण रूपेण सर्वसम्मति होनी चाहिए। दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि यह 15 वर्षों के आधार पर अर्थात केन्द्रीय करों को 15 वर्षों के आधार पर निर्धारित करके यह हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस बजट में इस प्रस्ताव पर कुछ भी नहीं कहा गया है। एक और प्रस्ताव, जिससे मैं सहमत हूं वह यह है कि इसका निर्णय गत पांच वर्षों के

आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि संविधान में यह प्रावधन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति पांच वर्षों में एक बार की जाएगी। अत: एक संवैधानिक अड़चन है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दसवें वित्त आयोग की कर हिस्सेदारी के बारे में संघीय प्रकृति अपनाने के बारे में कड़ी सिफारिशों के बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की है? क्योंकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम संघीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? कर हिस्सेदारी एक प्रमुख मुद्दा है। वह इस बारे में बिल्कुल चुप हैं।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। वह शिक्षा पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं। वह अच्छी बात है और उन्होंने कुछ रियायतें भी दी हैं। किन्तु राष्ट्रीय साक्षरता के बारे में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा की है कि इस शताब्दी के अन्त तक विश्व निरक्षरता से मुक्त हो जाना चाहिए। किन्तु मैं आपको बता दूँ कि शताब्दी के अन्त तक भारत एकमात्र बड़ा देश होगा जहाँ कि सर्वाधिक निरक्षर होंगे। इसमें शर्मिंदगी होगी। उन्हें इस बारे में क्या कहना है।

क्या आपने अपने वक्तव्य, अपने भाषण में इस बारे में कुछ भी कहा? हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और हम गर्व से यह कह सकें कि हम उस देश से हैं जहाँ शत प्रतिशत साक्षरता है। मैं उस राज्य से हूं जहाँ पूर्ण साक्षरता है।

हमने पंचायती राज प्रणाली संविधान के 73वें और 74वें संशोधन से क्रियान्वित की जिसकी काफी आलोचना और चर्चा की जाती है। हमने वह उपबन्ध लागू किया। पंचायतों का गठन किया गया है। बोर्ड और जिला पंचायतों का गठन किया गया। हमने उनके विकास के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पंचायती राज संस्थानों में थ्री टियर प्रणाली के विकास के बारे में आपकी क्या भूमिका है? अनेक राज्यों ने इस निर्णय को लागू कर दिया है। अत: शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण के बारे में एक समिति का गठन किया गया है। इससे अधिक कुछ नहीं किया गया है। इन संस्थानों को सुदृढ़ किया जाएगा। केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है? भारत पंचायती राज प्रणाली में सुचारू रूप से कार्य करने के पक्ष में है। आपने इस बार में कुछ नहीं कहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम बात क्या है? बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। क्या आपने बेरोजगारी के बारे में कभी कुछ कहा?

मुझे दिए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसर, 1994-95 में हमारे यहाँ 3,204 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। इसका क्या समाधान है? क्या आपने अपने भाषण अथवा अपने बेरोजगारी की समस्या के बारे में वक्तव्य में इस बारे में कोई सुझाव दिया था। आपको विशेषकर रोजगार योजना की जानकारी है। वे योजनाएं आगे नहीं बढ़ी हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। किन्तु मेरे मित्र माननीय वित्त मंत्री जी ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के बिना, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाए बिना, आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि भारत का उत्थान हो रहा है? आपका भारत निरक्षरों से परिपूर्ण है। उदयमान भारत निरक्षरों से भरा है। आपका भारत बेरोजगार युवकों से भरा है। एक ऐसे भारत का आपका स्वप्न है। वह नया भारत क्या है? शताब्दी के अंत तक भारत में सर्वाधिक निरक्षर और बेरोजगार युवक होंगे। श्री यशवन्त सिन्हा जी, आप उस भारत का स्वप्न देख रहे हैं। आपने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के कोई उपाय, कार्यक्रम नहीं सुझाये हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी के बजट प्रस्तावों का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री आर. एस. गवई (अमरावती): सर्वप्रथम, मैं बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

समय की कमी को देखते हुए, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। बजट एक सामान्य चीज नहीं है लेकिन मैं आशा करता हूं कि बजट प्रेरक, गतिशील और कल्पनाशील होना चाहिए। श्री यशवन्त सिन्हा जी एक गतिशील व्यक्ति हैं लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत बजट निराशाजनक है।

मैं कुछ मुद्दे उठाऊंगा। मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपका सहयोग चाहता हूं क्योंकि अपने दल की ओर से बोलने वाला मैं एकमात्र सदस्य हूँ। मैं कार्यसंचालन से वाकिफ हूँ। वस्तुत: पहले क्रम में प्रमुख राजनीतिक दलों की बारी होती है। मैंने महाराष्ट्र की विधान परिषद की अध्यक्षता की थी। अतएव मैं कार्यवाही के संचालन से परिचित हूँ। यहां विभिन्न मुख्य राजनीतिक दलों जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, को तीन या चार मौके दिये जा रहे हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कम है, उसका सभा में कोई प्रभाव नहीं हो।

जहां तक रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का संबंध है तो इस बारे में कोई कल्पना नहीं है। सौभाग्य से, मुझे मुम्बई में वित्त मंत्री जी से विचार-विमर्श करने का अवसर मिला था। इस क्षेत्र में क्या उपलब्धि है? मैंने उनसे चर्चा की थी कि भारत सरकार का एक रोजगार आश्वासन कार्यक्रम है। जिसमें रोजगार की कोई गारण्टी नहीं है। इसमें भारत सरकार की ओर से आंशिक गारंटी है ताकि स्थायी गारण्टी और यह वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारण्टी देता है। मैंने कल्पनाशीलता पर बल क्यों दिया? यदि रोजगार प्रदान करना नारा है तो हमें कुशल और अकुशल

[श्री आर.एस. गवई]

श्रमिकों को रोजगार देने में सफल होना चाहिए। महाराष्ट्र में मैंने रोजगार गारण्टी योजना के निरूपण में थोड़ा सा योगदान किया था। मैंने विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में और मुख्यमंत्री श्री वसन्तराव नायक ने रोजगार गारण्टी योजना तैयार की थी। इसमें रोजगार की गारण्टी थी और इसके लिए बजट प्रावधान किया गया था।

बेरोजगारी की समस्या पर न कि यहां पर योजना पर बोलते हुए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वित्त मंत्री कल्पनाशीलता से काम लेते हुए महाराष्ट्र के पैट्रन पर इस योजना को तैयार करे तथा कम से कम कृषि मजदूरों को रोजगार की गारण्टी होनी चाहिए।

जहां तक कुशल बेरोजगारों का प्रश्न है तो कोई भी योजना जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, स्वराजगार योजनाओं से संबंधित कुशल रोजगार से जुड़ी हुई हैं, को बढ़ावा और समर्थन दिया जाना चाहिए। निर्धनता समाप्त करने के संबंध में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। जहां तक देश के निर्धन वर्गों विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को उचित हिस्सा देने का प्रश्न है तो उनको संवैधानिक गारण्टी मिली हुई है। यह हम सभी का नैतिक दायित्व है कि हम उन्हें कुछ गारण्टियां प्रदान करें।

जहां तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना से जुड़ी योजनाओं का प्रश्न है तो मैंने दोनों योजनाओं के कार्यनिष्पादन का अध्ययन किया है और उनमें प्रतिगामी परिणाम देखने को मिले हैं। कार्यनिष्पादन को देखने से पता चलता है कि नौकरियों में आरक्षण बढ़ने के बजाय घट रहा है जो एक चिन्ता का विषय है। विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजन के लिए आवंटन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुरूप नहीं है।

सामाजिक सेवाओं के विस्तार के संबंध में, मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि मलेरिया और टी.बी. जैसे रोग अभी समाप्त नहीं हुए बल्कि आजकल उनका भयंकर प्रकोप है। अत: सामाजिक सुरक्षा के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1997-98 के लिये योजना परिव्यय के रूप में 13,089 करोड़ की राशि का आवंटन किया है। संशोधित आकलन 600 करोड़ रुपए है यह योजना समाज कल्याण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अत: कल्याण मंत्रालय के बजट में एक साल में 7089 करोड़ की कटौती की गई है। इससे कमजोर वर्गों के प्रति उदासीनता झलकती है।

आरक्षण नीति के संबंध में, स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के इतिहास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपी। यह बड़े दु:ख की बात है कि यह सभी रिपोर्टें ठन्डे बस्ते में डाल दी जाती हैं। असल में, यह इस सभा का संवैधानिक दायित्व है कि वह इन रिपोर्टों पर चर्चा करें। मैं आपके सामाजिक पहलू को भली-भांति जानते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि शायद आपको इस बारे में जानकारी नहीं लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस मामले को देखें।

मैं चाहूंगा कि कृषि पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए क्योंकि कृषि मुख्य और आधारभूत उद्योग है। इसकी उपेक्षा की जाती है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास में पहली बार बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कराधान के अंतर्गत लाया गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार, विभिन्न सरकारों की दीर्घकालीन नीतियों को बदला गया है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

श्री आर.एस. गवई: मैं केवल कुछ मुद्दे ही उठा रहा हूँ और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आर.पी.आई.) की ओर से बोलने वाला एकमात्र सदस्य हूं। आप एक निहायत ही सज्जन पुरुष हैं। आप मुझे समझने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ क्षण और लूंगा।

सभापति महोदय: कृपया समझने का प्रयास करिए।

श्री आर.एस. गवई: मैं पूरी तरह से समझता हूं। लेकिन आपको चर्चा को नियंत्रित करना पड़ेगा। यह मेरा काम नहीं है। आपको चर्चा को नियंत्रित करना चाहिए। यह कार्य तो अध्यक्ष महोदय या पीठासीन अधिकारी का है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं आपके निर्देश की अवहेलना करूंगा।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बाधाएं आ रही हैं और क्षति उठा रही है। शायद, इस पर काफी लम्बी चर्चा हो चुकी है। आपको कृपा करके यूरिया के मूल्य में की गई वृद्धि को वापस लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। मुझे आपके चेहरे के मनोविज्ञान से ऐसा लग रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक की गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि कृषि क्षेत्र के प्रति बेपरवाही के रवैये को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण दुगुना किया जाना चाहिये। यदि हम यह मानते हैं कि कृषि महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग है, तो इसमें क्या गलत है? आपने धान उगाने वाले किसानों को ऋण देने के लिए कुछ धनराशि निर्धारित की है। ऋण संवितरण की प्रक्रिया का सरलीकरण बनाया जाना चाहिए। अभी यह एक जटिल प्रक्रिया है। डेयरी, मुर्गीपालन,

सूअर पालन, रेशम कीट पालन जैसे कार्यकलापों के लिए ऋण दिये जाने चाहिए।

कृषि उपज को भण्डारों में रखा जाना चाहिए और भंडारण के लिए किसानों को 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान किये जाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित गुप्ता समिति द्वारा ये सिफारिशें की गई हैं। मजबूरन बहुत कम मूल्य पर की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए, भण्डारण सुविधा ऐसे क्षेत्रों में होनी चाहिए, जहां खेती की जाती है, न कि शहरी क्षेत्रों में। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। हमारे यहां शहरी क्षेत्रों में भण्डारण सुविधा है। इससे भ्रष्टाचार की बू आती है।

जनसंख्या में वृद्धि जैसी किसी भी संभाव्यता का सामना करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिये।

इस सभा के माननीय सदस्यों ने दलगत मतभेद भुलाकर हाल में देश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। सदस्यों ने देश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय न किये जाने पर सरकार की तीखी आलोचना की है। तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में 27 मई को प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य सरकार की अकुशलता दर्शाता है। यह बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में 236, कर्नाटक में 29 और महाराष्ट्र में 51 किसानों की मृत्यु हुई। यह आत्महत्यायें प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट हो जाने के कारण की गई। मैं 'धरती' गांव के एक किसान श्री शाम कनारे की दु:खद कहानी बताना चाहता हूं। 'धरती' का अर्थ है 'भूमि'। हम कहते हैं:

''धरती के लाल, देखो उनके हाल''

उसने आत्महत्या कर ली। उसने अपने मृत्यु पूर्व दिये गये बयान में इसका पहला कारण फसल का नष्ट हो जाना बताया है। दूसरा कारण यह था कि आगे भी अच्छी फसल होने की आशा न थी और तीसरा कारण यह चिंता थी अपने परिवार का जीवनयापन कैसे किया जाये। उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यह किसान द्वारा दिया गया मृत्यु पूर्व बयान है जो देश में किसानों की स्थिति दर्शाता है।

इस पर विचार करने और इसकी कल्पना करके मैं आपसे कृषि, कृषि उत्पादों, ऋण सुविधाओं, सिंचाई, उन्नत बीज, कीट नाशकों, जल प्रबन्धन, कम्प्यूटर प्रबन्धन, जलाशय, भूमिगत जल आदि के संबंध में एक व्यापक और सापेक्ष आयोजना और दीर्घावधि नीति बनाने का अनुरोध करूंगा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री आर.एस. गवई: मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, तो श्री विश्वरैया और डा. बी. आर. अम्बेडकर जैसे महान लोगों द्वारा सुझाई गई सिंचाई की और पेय जल की योजनाओं और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तरी नदियों को दक्षिणी नदियों से जोड़ने की योजना लम्बे समय से लम्बित पड़ी हुयी हैं। मैं चाहूंगा कि आप कृषि और किसानों के लिए एक व्यापक योजना और एक दीर्घावधि नीति लेकर सामने आयें।

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 1998-99 के बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया। मैं बजट का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं कुछ आलोचना और सुझाव देना चाहता हूं। वित्त मंत्री द्वारा रखा गया बजट किसान विरोधी, गरीब विरोधी एवं दिशाहीन बजट है। इतना ही नहीं, नई थाली में बासी खाने जैसा बजट है।

सभापति महोदय, बजट प्रत्येक वर्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से देश का विकास देश की समस्याओं का निदान और देश की भावी रणनीति तय होती है। यह देश कृषि प्रधान देश है। यहां पर आज भी 76 परसैंट जनता खेती पर निर्भर है। इतना ही नहीं, आज भी 80 परसैंट लोग गांवों में निवास करते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 50 साल की आजादी के बाद भी हम गांवों के लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठा सके। सभी का यह कहना था कि जब तक हिन्दुस्तान के गांव विकसित नहीं होंगे तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। सब का यह सपना था कि जब तक हम हर हाथ को काम और हर पेट को खाना नहीं देंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा। 50 साल की आजादी के बाद लम्बे-चौड़े भाषण हुए, नीतियां बनी, गरीबी हटाओ की बात कही गई, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने की बात कही गई लेकिन गरीब मिट गए, गरीबी नहीं मिटी। इसलिए मैं इस बजट का विरोध तो नहीं, आलोचना जरूर करूंगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में 5.6 परसेंट का घाटा दिखाया है। इसका भार गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ेगा। इस बजट में गरीबों को राहत देने के लिए दो पैसे का भी इंतजाम नहीं किया गया है और न ही अमीरों से दो पैसे अतिरिक्त वसूलने का काम किया गया है। यह बजट गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और पिछड़े व कमजोर लोगों के हित का बजट नहीं है। इसलिए हम इसकी आलोचना करते हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बात जरूर प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए बजट में

[श्री पारसनाथ यादव]

वृद्धि की गई है। हम ग्रामीण विकास की बात जरूर करते हैं— चाहे वह जवाहर रोजगार योजना हो, चाहे सुनिश्चित रोजगार योजना हो, चाहे ग्रामीण अभियंत्रणा सेवा के माध्यम से विकास करने की बात हो, लेकिन ग्रामीण विकास के नाम पर पैसे की जो लूट हो रही है, उसकी तरफ जब तक मजबूती से नहीं देखा जाएगा तब तक चाहे आप चाहे कितना बजट बढ़ा लें, उसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा।

आवास आवंटित करने की बात में चाहे इन्दिरा आवास योजना की बात हो या सामान्य आवास की बात हो, जिस तरीके से आवास आवंटन के लिए पैसा लेकर काम किया जाता है, उससे कभी विकास सम्भव नहीं हो सकता। मेरा यह कहना है कि बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए जो राशि रखी गई है, उनका यदि सही ढंग से सदुपयोग होगा तभी विकास होगा और समस्याएं दूर होंगी।

वरना इस 50 साल की आजादी में जिस तरह से विकास के नाम पर लूट हुई है उससे गांव का स्तर, गांवों में किसानों का स्तर जहां का तहां रह गया है। आज भी शिक्षा के नाम पर जब हम देखते हैं, लेखा-जोखा लेते हैं तो आज भी 33 करोड़ लोग इस देश में निरक्षर हैं। वे 33 करोड़ लोग और भी निरक्षर होते अगर हमारी स्वावलम्बी संस्थाएं काम नहीं करती होती। हम अगर सरकारी माध्यमों से आंकड़े निकालें तो हमारी प्राइमरी एजूकेशन, हमारी बुनियादी शिक्षा की बड़ी दुर्गति है। आज नर्सरी स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है। हम सरकारी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज भी किसान की कृषि योग्य 37 प्रतिशत से ज्यादा सिंचित नहीं है। यह देश नदियों, पहाड़ों और वनों का देश है। जो हमारी ऊबड़-खाबड़ भूमि है उसे कृषि योग्य बनाने की इस बजट में कोई योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव थे।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए, मैं अन्य माननीय सदस्य को बुला रहा हूं।

श्री पारसनाथ यादव: उन्होंने ऊबड़-खाबड़ भूमि में सुधार के लिए भूमि सेना का गठन किया था और जो हमारी ऊबड़-खाबड़ जमीन पड़ी थी उसमें भूमि सेना के माध्यम से सुधार करके गांवों के गरीब लोगों को पट्टा देने की बात कही गई। लेकिन वह स्कीम समाप्त कर दी गई। इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, जो कृषि योग्य भूमि है यदि वह सिंचित नहीं होती तो हमारा किसान प्रकृति के भरोसे अपने भाग्य की आजमाइश करेगा। अगर हमारी सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हम देश को समृद्धिशाली नहीं बना सकते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जहां कम जोत के किसान रहते हैं, हमारा जनपद जौनपुर है, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वह एक शून्य उद्योग जिला है। उद्योग न होने के कारण रोजी-रोटी के लोगों को मुम्बई कलकत्ता एवं अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। मेरी वित्त मंत्री जी से मांग है कि कोई कालीन उद्योग का बड़ा कारखाना खुलवाने की कृपा करें ...*(व्यवधान)**

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव): माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री माननीय श्री यशवंत सिन्हा जी ने वर्ष 1998-99 का बजट पेश किया है। जिस दिन बजट पेश किया था आज उसको लगभग 11 दिन बीतने को आये हैं। उस दिन देश में कुछ आशा लगी थी और अब हम देख रहे हैं लोगों को निराशा क्यों नजर आ रही है। पहले दिन ही मक्षीपात वाली बात सिद्ध हुई। बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया कि अबकी बारी, अटल बिहारी ...*(व्यवधान)* आये, मैं तो यही कह रहा हूं कि आये, देश के लोगों को आशा जगी थी। लेकिन 1998-99 का बजट देखने के बाद हिन्दुस्तान के आम आदमी की जेब पर पहले दिन ही पेट्रोल की कीमत में एक रूपया लीटर बढ़ाने की बात करके बोझ डाल दिया गया। माननीय वित्त मंत्री जी आप पूरे देश का आंकड़ा निकाल लें, लगभग पांच हजार करोड़ रुपये बैठता है। आप देश के सुयोग्य वित्त मंत्रियों में से हैं। यह आपका दूसरा बजट है, एक बजट आपने पहले पेश किया था, लेकिन उसे पेश करने का आपको मौका नहीं मिला, आपने वोट ऑन एकाउंट लिया। हिन्दुस्तान के आम आदमी की नजर में आपका यह बजट पांच हजार करोड़ की लोगों की जेब काट गया। बजट की जहां प्रशंसा करनी है वहां की जायेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके प्रशंसक कम होने चाहिए— "निंदक नियरे राखिये आंगन कुटि छवाय" बहुत लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा बजट है। लेकिन हिन्दुस्तान की जनता को बजट से क्या मिला है। हिंदुस्तान का किसान जिस पर हमारी सारी अर्थ नीति टिकी हुई है, वह नाराज है, जब उस दिन आपने यूरिया पर एक रुपया दाम बढ़ा दिया।

श्री चन्द्रशेखर साहू: आप बजट पर बोल रहे हैं या भाषण कर रहे हैं?

श्री मोतीलाल वोरा: यह भाषण नहीं है, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। माननीय सदस्य हमारे मध्य प्रदेश के हैं मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। बजट पर इन्होंने मेरे पूरे शासनकाल में बहुत भाषण दिये हैं, भाजपा शासन काल में यह मेरा पहला भाषण है, मैं उसे अतिरंजित तरीके से कहना नहीं चाहता, लेकिन यथार्थ

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की स्थिति से हम हटे नहीं हैं। यथार्थ के धरातल पर उतरकर जब हम सोचेंगे कि यह बजट हमारे देश में किस प्रकार का रहा है, हिन्दुस्तान का किसान आपके द्वारा यूरिया के दाम बढ़ाने पर बहुत अप्रसन्न हुआ है। आपने तर्क दिया कि दुनिया के बहुत से देशों में कैमिकल्स का उपयोग कम हो रहा है। अमरीका ने भी इसका उपयोग कम कर दिया है। हम भी चाहते हैं कि कैसे इस फर्टीलाइजर का उपयोग कम करते जाएं। लेकिन हमने क्या वायदा किया था। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश करते समय कहा था—गांधी जी के प्रसिद्ध जन्तर से मैंने मार्गदर्शन लिया है, निर्धनतम और निर्बलतम व्यक्ति के चेहरे का स्मरण किया है, बजट की जड़ें स्वदेशी की भावना से निहित हैं। उत्साही प्रधान मंत्री के शब्दों में उन्होंने कहा, मुझे खुशी हुई है कि उत्साही प्रधान मंत्री के शब्दों में आपने कहा—लेकर हाथ में ध्वज, कौन सा ध्वज, यह आप जानें, कभी नहीं झुकेगा, कदम आगे बढ़ रहा है, कभी नहीं रुकेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आपने इस देश में परमाणु परीक्षण करने का महत्व बहुत कम समझा है। देश की सीमाएं किस प्रकार असुरक्षित हैं, आपने कितना प्रावधान किया। मैं नहीं कहता कि आप ज्यादा प्रावधान करते, लेकिन आपने परमाणु परीक्षण को इतना नजरअंदाज कर दिया कि आपने 14 प्रतिशत का प्रावधान रक्षा बजट में कर दिया।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं देश की आजादी के बारे में कहना चाहता हूं। आपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत जिस प्रकार का प्रावधान किया है, वह कम है आज देश की आबादी सौ करोड़ के आसपास पहुंच रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मामले में आपकी सरकार पूरी तरह से बेसुध है। बहुत से स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जैसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है, फिर से इस देश में मलेरिया प्रकट हो रहा है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन का कार्यक्रम देखें, जितने भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो अंदाजा लग जायेगा कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में क्या किया है। क्योंकि यह कहा गया कि हम सन् दो हजार में इस देश को शिक्षा देंगे और हर आदमी को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। आज से बहुत साल पहले अलमा आटा डिक्लेरेशन साइन किया गया था, मुझे भी जिनेवा में जाने का मौका मिला था। दुनिया के 112 देशों ने इस बात को कहा था। मैंने कहा था कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान इस सुविधा को उपलब्ध नहीं करा सकता है। बजट भाषण के पैरा-4 में वित्त मंत्री जी ने दस मुख्य उद्देश्य गिनाये हैं, मैं उन उद्देश्यों पर विशेष रूप से नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी क्या आप इन उद्देश्यों की पूर्ति कर पायेंगे। आप लोगों को इस प्रकार का सब्ज-बाग क्यों दिखा रहे हैं। देश की जनता इस बात को समझने लगी है। इस प्रकार के सब्ज-बाग दिखाने से आपका काम चलने वाला नहीं है। यह बजट किसान विरोधी है। आपने ट्रैक्टर पर कर बढ़ा दिया, कैमिकल्स और एग्रो के उपकरणों पर आपने कर बढ़ा दिया। हिंदुस्तान का किसान कराहने लगा है कि आखिर यह बजट कैसा है। जिस किसान के ऊपर सारा दारोमदार है। हमारा अनाज का उत्पादन चार करोड़ लाख मीट्रिक टन था उसे बढ़ाकर बीस करोड़ लाख मीट्रिक टन किसान ने किया है। किसान की कमर आपने तोड़ी नहीं, झुका दी है, अगर मैं कहूंगा कि तोड़ दी तो किसान उत्पादन नहीं कर पायेंगे। किसान की कमर को आपने झुकाया है।

रात्रि 11.00 बजे

माननीय सभापति जी, लघु कृषि विकास एवं छोटे जो उद्योग हैं, उनमें 1016 करोड़ रुपए रखे हैं। उस मद में कोई राशि नहीं बढ़ाई है। मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम जिन सरकारों ने शुरू किया, इंदिरा जी ने शुरू किया, उसमें कितनी कोताही बरती गई है कि 1092 करोड़ रुपये आपने रखे हैं। उसमें भी कोई राशि की बढ़ोत्तरी नहीं की है। राज्यों और केन्द्रों के संबंध के बारे में हम बहुत बखान करते हैं कि हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की राशि 89300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 90300 करोड़ रुपये की गई है। यह बात सभापति जी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप भी म.प्र. के हैं और आपको मालूम है कि म.प्र. में पिछले साल 222 लाख एकड़ जमीन में अतिवृष्टि के कारण फसल की बर्बादी हुई और करीब 2 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आप भी जानते हैं और साहू जी भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि आज म.प्र. का किसान कराह रहा है। मैंने बहुत पत्र लिखे। हालांकि मैं उस समय सांसद तो नहीं बना था, लेकिन मैंने पत्र लिखे। सांसद बनने के बाद भी पत्र लिखे। माननीय कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मात्र 10 करोड़ रुपये इस वर्ष में आपको मिलेंगे। जहां 2022 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ वहां 10 करोड़ रुपये से क्या होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सरकार की आलोचना तंग नजरिये से नहीं करना चाहता। यह आपकी आलोचना या समालोचना का समय नहीं है। आज जिस स्थिति से देश गुजर रहा है, आज जिस स्थिति से किसान गुजर रहा है, उस स्थिति से आप कैसे इंकार कर सकते हैं और उस प्रदेश को 10 करोड़ रुपये देने से कैसे काम चलेगा। आपदा राशि इस वर्ष म.प्र. के लिए 46 करोड़ रखी है उसमें से 10 करोड़ रुपये की राशि आपको दी जाएगी। ऐसा लिखने से कैसे काम चलेगा।

माननीय सभापति जी, यदि आपकी अनुमति हो, तो एक-दो मिनट और ले लूं। सरल, समाधान और सम्मान जैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। समाधान के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी

[श्री मोतीलाल वोरा]

ने कहा था कि यह समाधान भी तो कहीं वालंट्री डिस्क्लोजर के आसपास नहीं है। उन्होंने कहा था कि काले धन की जड़ पर कुठाराघात करना होगा। जब उदारीकरण हो गया है और कंट्रोल रेगुलेशन घट गए हैं, तो फिर काला धन इतनी मात्रा में बन रहा है कि इस पर गहराई से विचार करने की छूट देकर हम समझें कि हमारा कार्य पूरा हो गया, यह पूरा होने वाला नहीं है। वित्त मंत्री जी, कभी-कभी ऐसा लगता है कि वालेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम ईमानदारी का मजाक है। वाजपेयी जी ने कहा है और यह समाधान क्या होगा। जो अधिकारी होंगे और जो व्यापारी होंगे या जो बड़े-बड़े उद्योपति, करोड़पति और अरबपति होंगे, वे इकट्ठे बैठ कर फैसला करेंगे। मैं उनके फैसले पर शंका नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों के मन में शंका होगी कि उन्होंने बैठकर जाने क्या किया है। यह वाजपेयी जी ने कहा था कि इस देश के 50 करोड़ लोग इस बजट के महत्व को नहीं जानते हैं। आज देश की जनता 90 करोड़ के आसपास है। उन्होंने कहा था कि लगभग 50 करोड़ लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि बजट क्या है और हम बजट के माध्यम से लोगों को भरमा रहे हैं।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर अगर आप देखें जो हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है उसमें 1997-98 में 9096 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था उसे इस वर्ष घटाकर 8356 करोड़ कर दिया गया। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपका बजट इस विभाग में पिछले वर्ष के मुकाबले घट गया है। आपने कुछ अच्छे काम भी किए हैं क्योंकि हमारे वित्त मंत्री, इस देश के विद्वान मंत्रियों में से हैं। मुझे इस बात को कहने में गर्व है। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों के बीच में बैठे हैं, जिन लोगों से घिरे हुए हैं, मैं पार्टी की बात नहीं कहता हूं, बजट बनाते समय जिन लोगों से आप सलाह लेते हैं, जो आपके सलाहकार हैं, कम से कम आप उनसे बचकर रहिए। ऐसा बजट तो मत बनाइए कि जो बजट किसान-विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो।

सभापति महोदय, इस देश में 233 कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं।

हम रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का कोई अवसर देना चाहते हैं या नहीं। इस बजट को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। आखिर यह बजट कोई आइना तो नहीं है जिसे देखा जाए और क्या आइना देखने से काम चल जाएगा। मेरा कहना है कि आइना देखने से काम नहीं चलेगा। कहने को तो बहुत था, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि यह बजट महंगाई को बढ़ाने वाला, किसानों की पूर्ण उपेक्षा करने वाला और छोटे उद्यमों को 10 प्रतिशत कच्चे माल के आयात पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाकर आम आदमी पर बोझ डालने वाला बजट है जो वास्तव में आंकड़ों की बाजीगरी है।

[अनुवाद]

यह केवल खातों की बाजीगरी है। जो बजट में दिखायी गयी है। अब माननीय वित्त मंत्री उन सभी मामलों को देखेंगे क्योंकि कई बातें बतायी जानी हैं, किन्तु समय नहीं है।

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले अपने वित्त मंत्री माननीय यशवन्त सिन्हा जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने ऐसा सुन्दर और संपूर्ण बजट प्रस्तुत किया है जिसकी आलोचना करने के लिए विपक्ष को ढूंढने से भी कोई तथ्य नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए वे कुछ इस तरह की बातें कह रहे हैं कि आप अकेले बजट नहीं बना पा रहे हैं आपके साथ कोई और बजट बना रहे हैं।

श्री मोतीलाल वोरा: तभी तो मैं कह रहा हूं कि निंदक नियरे राखिए। प्रशंसकों से कहीं आप घबड़ा न जाएं।

प्रो. रीता वर्मा: सभापति महोदय, मैं माननीय मोती लाल वोहरा जी का बहुत सम्मान करती हूं। वे हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन जब वे कहते हैं कि यह बजट किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय मोती लाल वोहरा जी जैसे सम्माननीय व्यक्ति कैसे इस तरह से बोल सकते हैं जो तथ्य से इतने परे और किसान विरोधी बात हो। चूंकि यूरिया का 50 पैसे प्रति किलो दाम बढ़ा दिया गया है इसलिए हम किसान विरोधी हो गए, बजट किसान विरोधी हो गया। जबकि इस देश में लगभग 50 साल से कांग्रेस की सरकार शासन कर रही थी और हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। उसकी आत्मा हमारे गांवों में बसती हैं, लेकिन उस गांव में बसने वाले कृषक की वेदना, उसके दर्द को उसने कभी नहीं सुना। आज तक कभी कृषि पर इतना धन नहीं दिया गया जिससे किसान की आंख के आंसू पुंछ सकें। इस बार हमारे वित्त मंत्री जी ने इतिहास रचा है। बजट का 58 प्रतिशत एलोकेशन कृषि क्षेत्र में है और चूंकि 58 प्रतिशत एलोकेशन इन्होंने किया है इसलिए ये किसानों के दुश्मन हो गए, और जो किसानों की बात नहीं सुनते, या जिन्होंने 50 साल तक किसानों की बात नहीं सुनी वे किसानों के परम मित्र हो गए। अब इस विडंबना को क्या कहा जाए।

सभापति महोदय, मैं कल माननीय मुरली देवड़ा जी का भाषण सुन रही थी आज माननीय भजन लाल जी का भाषण भी सुना। भजन लाल जी ने कहा कि यूरिया तो बोरों में आता है लेकिन दाम किलो के हिसाब से बढ़ाया है, तो भइया जब आपकी सरकार के समय में 1700 रुपये प्रति टन दाम बढ़ा दिया था, तो

तब वे किसानों के मित्र हो गए और अगर हमने 20 रुपया प्रति मन बढ़ा दिया, तो हम किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। गेहूं का समर्थन मूल्य भी हमने बढ़ा दिया, तो हमसे बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है।

सभापति महोदय, विपक्षी दल के सदस्य इस क्रांतिकारी बजट का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, उससे यह समझना मुश्किल हो गया है कि वे वास्तव में किसानों के हितैषी हैं या दुश्मन। यह बात मैं नहीं कहती, यह कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से हमारे देश में यूरिया का मिसयूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है उससे हमारी कृषि योग्य भूमि बंजर होती जा रही है। उस भूमि में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश का अनुपात गड़बड़ा रहा है। इसीलिए यूरिया की खपत को कम करके फास्फेट और पोटाश की खपत को और बढ़ाया जाना चाहिए यदि हमें अपनी खेती की गुणवत्ता को बनाए रखना है और इसीलिए बजट बनाते समय कृषि वैज्ञानिकों की बात को ध्यान में रख कर यूरिया का इस्तेमाल थोड़ा कम हो और दूसरी रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़े, इसलिए यूरिया पर सब्सिडी 6600 करोड़ रुपये से घटा कर 6000 करोड़ रुपए कर दी गई थी। वहीं पर विनियंत्रित फास्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी 1997-98 के संशोधित अनुमानों में जो 2600 करोड़ रुपये थी, उसको बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये कर दिया गया। यानी एक तरफ यूरिया पर सब्सिडी 600 घटायी गयी तो फास्फेट और पोटाश पर 400 करोड़ रुपये बढ़ा दी गई, उसका ये कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। यहां किसानों के जो हमदर्द हैं, वे उसका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने खुद राजनैतिक स्वार्थ पूरे करने हैं। इनको किसानों के हितों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस सब्सिडी की ...*(व्यवधान)* अगर मैं इतने वोटों से जीतकर आती हूं तो मैं जरूरी हितैषी हूं तभी यहां आ रही हूं।

सभापति महोदय: कृपया आप उन्हें बोलने दीजिए।

प्रो. रीता वर्मा: हम लोगों को कब मौका मिलता है। ...*(व्यवधान)* आपकी बातें तो हम सुन रहे थे। ...*(व्यवधान)* वास्तव में विपक्षी दलों की कृषि विकास की बात बहुत कचोट रही है। पहली बार वाटरशेड इरीगेशन पर इतना पैसा दिया गया है। पहली बार किसान को क्रेडिट कार्ड दिये गये हैं। पहली बार उसकी भलाई के लिए इतना कुछ सोचा गया है और इनको लग रहा है कि अरे बाप रे अब तो हमारे पास कोई मुद्दे रह ही नहीं गये। हम जनता को क्या जाकर बतायेंगे इसलिए किसान विरोधी, किसान विरोधी की रट ये लोग लगा रहे हैं। मैं तो यही कहती हूं कि कांग्रेस की सरकार ने पांच वर्ष में यूरिया का मूल्य दो बार बढ़ाया था और संयुक्त मोर्चा की सरकार, अभी राधाकृष्णन जी नहीं हैं। यहां वासुदेव जी बैठे हैं। बासु दा आपकी सरकार दो साल से भी कम रही, उसमें भी एक बार दाम बढ़ा दिया। उसको यह लोग भूलकर हमें किसान विरोधी बोल रहे हैं। जहां तक मोती लाल वोरा जी ने मजदूर विरोधी की बात कही। कल मुरली देवरा जी भी आंकड़े बता रहे थे कि इतना अनइम्पलायमेंट बढ़ गया। यह तो वैसे ही बात हुई कि खुद ही गला भी काटते हैं और खुद ही कहते हैं कि मरीज मर भी रहा है। आपकी 1991 से जो नई आर्थिक नीति चली, उसके बाद जिस तरह आपने मजदूर विरोधी एक पर एक काम किये तो वास्तव में मजदूर विरोधी तो आप हैं और आज जो बेरोजगारी इस तरह बेतहाशा बढ़ी है, इसके पीछे पिछले आठ सालों की नीतियां बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल से बासु दा मेरी राय से इत्तफाक रखते होंगे और अब रोना रो रहे हैं कि हर जगह मजदूरों की संख्या घट रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। यह काम करने वाले कौन हैं? इसके जनक कौन हैं, आप ही तो हैं। फिर आप रोना किस बात का रो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ...*(व्यवधान)* मैं एक बार फिर यूरिया ...*(व्यवधान)* आप थोड़ा धैर्य रखो। अपनी बारी आने से आप जवाब दे देना। ...*(व्यवधान)* आप समय मत बर्बाद करिये।

एक बात और है जो यह नहीं बोल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूरिया पर 50 पैसे प्रति किलो वृद्धि पर पंजाब में धान की उत्पादन लागत पर सिर्फ 2.80 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में 1.10 रुपये प्रति क्विंटल और आंध्र प्रदेश में 2.85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ेगी। कितनी बड़ी राशि बढ़ी है लेकिन इस मामूली राशि पर, इस नगण्य राशि पर हमारे कृषि मंत्री ने यह घोषणा कर रखी है कि इस बढ़ोत्तरी को अगले साल के गेहूं के समर्थन मूल्य में समायोजित कर लिया जायेगा यानी किसान पर इसका एक पैसा भी बोझ नहीं पड़ने वाला है। हम किसानों के इतने बड़े दुश्मन हैं, क्या कहा जायेगा? यह कह रहे हैं कि छोटे ट्रैक्टरों के टायर पर कुछ मामूली उत्पाद शुल्क लगा दिया जायेगा तो छोटा किसान मारा जायेगा। मैंने तो बिहार में ऐसा कोई छोटा किसान नहीं देखा जो गरीब किसान हो और उसके पास ट्रैक्टर भी हो। ऐसा किसान हमारे बिहार में तो नहीं होता। अब हमारे एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री हमेशा पुअर फार्मर की बात करते थे। वैसे पुअर फार्मर होते हों जो कि ट्रैक्टर भी रखेंगे, ट्रक भी रखेंगे, मैं नहीं जानती परन्तु हमारे बिहार में तो कोई पुअर फार्मर न ट्रैक्टर रखता है और न टायर गाड़ी रखता है। यह अजीब बात है कि उद्योग वाली सुविधायें तो चाहिए लेकिन एक पैसा टैक्स नहीं देंगे। यह बड़ी अजीब बात है लेकिन मैं फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जब जनता की इतनी मांग है और जिसको बोलते हैं कि व्यर्थ की बदनामी मोल लेना, तो यूरिया पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाया है, उसको वापिस कर लें। मैं यह भी कहूंगी कि किसान की जमीन की गुणवत्ता बनाये रखने के

[प्रो. रीता वर्मा]

लिए फर्टिलाईजर में फिर से एक नया पैकेज बनाए कि इस तरह की वृद्धि किये बिना किस तरह हम पोटाश और फास्फेट के उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

इस पर ध्यान देकर फर्टिलाइजर की एक नीति बनाये, यह मैं उनसे अनुरोध करूंगी क्योंकि इनका इरादा नेक है और उस इरादे को पूरा होना चाहिए। इनको शोर करना है तो करते रहें, कोई खास बात नहीं है। माननीय चिदम्बरम जी की स्पीच भी मैं सुन रही थी और उनके कुछ उद्गार भी मैंने सुने थे कि इस बजट का क्या दोष है। नो विजन, नो बिग न्यू आईडियाज, जिसको कहते हैं कि पैडेस्ट्रियन बजट है। अब किया क्या जाये। हम लोग तो पैडेस्ट्रियन लोग हैं तो पैडेस्ट्रियन ही बजट बनायेंगे जो गरीब आदमी के ही लायक होगा। कल्पनाओं के आकाश में उड़ना हमें नहीं आता। हमारे पांव तो यथार्थ की खुदरी जमीन पर खड़े हैं इसलिए हम चिदम्बरम जी को जवाब देना चाहते हैं कि हम तो आपके जैसे विजनरी नहीं, हम बादलों और कल्पनाओं की दुनिया में नहीं उड़ते। लेकिन हम जो कहेंगे उसका फालोअप अच्छा करेंगे। आपने बहुत बड़े-बड़े सपने देखे और आपका बजट तो ड्रीम बजट था लेकिन अंत में क्या हासिल हुआ-शून्य।

सभापति जी, मैं सी.ए.जी. की रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि किस हद तक उन्होंने अर्थव्यवस्था को बिगाड़कर छोड़ा था। माननीय यशवन्त सिन्हा जी के पल्ले में जैसे इन्होंने कहा कि रातों की स्याही के सिवाय कुछ नहीं था और उस रातों की स्याही को इस तरह वह संवार रहे हैं कि सुबह की लालिमा अभी से दिखाई पढ़ रही है। मैं सी.ए.जी. की रिपोर्ट के कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूं। यह रिपोर्ट 31 मार्च 1997 तक की है। इसके हिसाब से हमारा ज्यादातर पैसा डेब्ट सर्विसिंग में चला जाता है। इस तरह के इंटरनल डैब्ट ट्रेप में हम लोग फंस गये हैं।

[अनुवाद]

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1997 के प्रतिवेदन में यह बताया गया है:

> "प्रतिवेदन के अनुसार सरकार की कुल संदाय राशि का 60 प्रतिशत तक ऋणों पर ब्याज देने में चला जाता है।"

[हिन्दी]

यह तो सी.ए.जी. का कहना है और वह कहते हैं कि पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट की टोटल लायबिलिटी 1 लाख 45 हजार 375 करोड़ सिर्फ इंटरनल डैब्ट के नाम पर हो गई। इसी तरह 1 लाख 2 हजार 240 करोड़ स्माल सेविंग आफ प्रोविडेंट फंड के नाम पर सरकार पर डेट है। इसका परिणाम यह है कि विकास के लिए राशि हर साल नगण्य होती जा रही है। रेवन्यू एक्सपेंडीचर टोटल एक्सपेंडीचर का 83.5 है और विकास के लिए कैपिटल एक्सपेंडीचर होता है जो कि प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने के काम में लाया जाता है, वह 5.79 परसेंट है। मोती लाल जी आपकी सरकार इतने वर्षों तक शासन कर रही थी तब यह था। इसके अलावा सी.ए.जी. की रिपोर्ट यह भी कहती है कि 10 वर्ष पहले रेवन्यू एक्सपेंडीचर सिर्फ 70 परसेंट होता था। 70.34 परसेंट ऑफ दी टोटल एक्सपेंडीचर और कैपिटल एक्सपेंडीचर 13.35 परसेंट है। 13.35 परसेंट से 5.79 परसेंट ले आये। यह तो कांग्रेस सरकार का ही करिश्मा है कि वह इतना बड़ा काम करते गये हैं।

सभापति जी, खुद तो इकनोमी को इतना मैस किया और अब दोष हमारे ऊपर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 1997-98 में विकास दर 5 फीसदी थी तो इस साल 6.5 परसेंट कैसे हो सकती है यानी खुद तो नहीं कर सके। यदि खुद इतने नालायक हैं तो हम भी उतने ही नालायक हैं कि हम भला कैसे 6.5 परसेंट कर सकते हैं। यह भी सवाल उठता है कि इतना रेवन्यू कहां से जनरेट होगा।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करिये।

प्रो. रीता वर्मा: सभापति जी, मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए तो मैं समाप्त कर देती हूं। ...*(व्यवधान)* नालायक अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मुझे लगता है कि बजट की बारीकियों को नजरअंदाज करने के कारण ...*(व्यवधान)* अरे भाई मेरी क्या हिम्मत कि मैं बेअदबी करूं। मैं बेअदबी नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि बजट की बारीकियों को नजरअंदाज किये जाने के कारण या राजनीतिक कारणों से यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। हकीकत यही है कि इस बजट से अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आयेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके आधार पर विकास दर 6.5 परसेंट न हो सके। इस बजट में कृषि विकास पर जोर है, इस बजट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर जोर है, इस बजट में मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र पर जोर है, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर है। इन सबका संबंध विकास दर बढ़ने से है।

पिछली सरकारों को इससे कुछ मतलब नहीं था कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, वे तो सस्ती लोकप्रियता के लिए काम करती रही। मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था के मद्देनजर राजस्व पर पड़ रहे दबावों को देखते हुए यह अपेक्षा करना कहां तक उचित है कि सत्ता में आते ही, अभी लोग हमसे पचास साल का हिसाब मांगने लगे, भाजपा गठबंधन की सरकार को देश में दूध की नदियां बहा देनी चाहिए। हर कोई कहता है रोल बैक-रोल बैक, हर जगह से टैक्स वापिस कर लो लेकिन एलोकेशन हर जगह

बढ़ा दो, यहां भी कुछ बढ़ा दो, वहां भी कुछ बढ़ा दो। ऐसा असंभव कार्य कैसे होगा। इसके बावजूद वित्त मंत्री जी ने जैसा बजट प्रस्तुत किया है, उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। पैसा कहां से आयेगा, जैसाकि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, छः मानकों में से किसी एक को पूरा करने वालों के लिए भी आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। इसलिए इसी चालू वित्तीय वर्ष में 40 से 50 प्रतिशत उनकी संख्या यानी 1.6 करोड़ तक बढ़ जाएगी।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए इन्होंने जो ठोस कदम उठाए हैं, उसमें प्रत्यक्ष कर के 1.7 लाख मामलों में 40,000 करोड़ की राशि अटकी हुई है और 1200 करोड़ रुपये की राशि अप्रत्यक्ष करों के पांच लाख मामलों में अटकी हुई है। इन मामलों के निपटने से राजस्व में भारी बढ़ोत्तरी होगी। कुल राजस्व वसूली का 34 प्रतिशत भाग कारपोरेट टैक्स के रूप में और 22 प्रतिशत भाग व्यक्तिगत आय के रूप में संग्रह करने का लक्ष्य है। समाधान योजना के तहत 5200 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह होगा। *...(व्यवधान)*

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हर समय इसका रटन लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्री जी ने इसका आकलन ही नहीं किया कि अमरीकी सैंक्शन से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इनको तो इस बात की चिन्ता होगी ही क्योंकि ये तो ''ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत'' की फिलॉस्फी में विश्वास रखते थे। पिछले पांच-छः सालों से लगातर ऋण लिये जा रहे थे, घी पिए जा रहे थे, इनको मालूम था कि सत्ता इनके हाथों में नहीं आनी है, वह ऋण तो हमको ही चुकता करना पड़ेगा, इसलिए आराम से बैठकर ऋण लेते गए। इसलिए ये बहुत चिन्तित हैं कि अब यदि आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा। इनको अपने देश के पौरुष पर, उसके पुरुषार्थ पर विश्वास तो है नहीं। मुझे सबसे मजेदार बात यह लगती है कि जिस समय सैंक्शन की घोषणा हुई थी, मैं अमरीका में थी। मैंने वहां के न्यूजपेपर में पढ़ा कि खुद अमरीकी सरकार को इस बात का आकलन नहीं है कि सैंक्शन से भारत पर क्या असर पड़ेगा और अमरीका पर क्या असर पड़ेगा। अमरीका में अमरीका को पता नहीं था, स्टेट डिपार्टमेंट को पता नहीं था और उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि उनको इसका आकलन करते-करते तीन महीने लग जाएंगे क्योंकि आज तक उन्होंने किसी देश पर सैंक्शन नहीं लगाया था और हमारे यहां सब लोग यह रट रटे जा रहे हैं कि आपने आकलन नहीं किया। अमरीका उसका आकलन करे, उसके पहले ही हम हाय-हाय करके छाती पीटकर उसका रोना रोने लगें, यही ये चाहते हैं। अब हम जब नहीं रो रहे हैं, हमको अपने देश के पौरुष पर विश्वास है कि हम किसी भी मुसीबत का सामना हंसकर कर लेंगे, तो फिर इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये क्या अगले चुनाव में जायेंगे, क्या ये हम लोगों को बोलेंगे, कैसे निंदा करेंगे, वही इनको चिन्ता हो गई है। *...(व्यवधान)*

आप बार-बार टोक रहे हैं इसलिए मैं बाकी बातें न बोलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं कि जितनी पूर्ववर्ती सरकारें हैं, विकास के नाम पर विदेशी पूंजी के लिए दरवाजे-दरवाजे जाकर चाहे जितना भी हाथ फैलाएं, कटोरा लेकर घूमें लेकिन सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि देश में आर्थिक सुधारों की शुरूआत के बाद यानी 1991 के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कुल पूंजी निवेश के दो फीसदी से भी कम रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी देश में विकास लगभग आंतरिक संसाधनों से ही हुआ। तो फिर किस बात का डर है।

मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। इतनी मेहनत से देश में जो इस्पात का उद्योग खड़ा किया गया था, कोयले का उद्योग खड़ा किया गया था, जो विद्युत क्षेत्र है उसमें इन्होंने जिस तरह अपने बजट से उनको रिलीफ दिया है और मुरझाते हुए इस्पात उद्योग को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जिस तरह इन्वैस्टमेंट बढ़ाया है, जिस तरह एलोकेशन बढ़ाया है, उससे इस देश की मृतप्रायः सांसों में फिर से जान आ गई है।

मैं एक-दो सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि फर्टिलाईजर के प्राइस की नई पैकेजिंग की जाए। आपने इन्कम टैक्स भरने के लिए जो छः क्राइटिरिया बनाए हैं, उसमें कृपा करके टेलीफोन को हटा दीजिए, टेलीफोन तो आजकल बिल्कुल ही निम्न मध्यम वर्ग की जरूरत हो गया है, यदि आप उसकी जगह सैलुलर और पेजर को आधार बनाएं। *...(व्यवधान)* बैंक एकाउंट खोलने के लिए पेन को अनिवार्य न कीजिए। हमारे बच्चे होस्टल में पढ़ते हैं, वे इन्कम टैक्स का नम्बर कहां से लाएंगे। इस तरह से कई लोग होंगे जो बहुत कम कमाते होंगे, वे भी बैंक में एकाउंट खोलते हैं, मेरे जैसी गृहणियां पति से बचाकर भी कुछ पैसे जमा किया करती थी। कहां से इन्कम टैक्स का एकाउंट लाएंगे। उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसके लिए इन्कम टैक्स का नम्बर देना अनिवार्य न करें।

पूंजी बाजार में नई-नई कई धोखेबाज कम्पनियां जैसे बिहार में एक हेलियस कम्पनी है, एक जे.वी.जी. कम्पनी है, ऐसी नॉन-इन्वैस्टमैंट कम्पनीज की आप कड़ाई से जांच करवाएं।

इतना कहकर मैं फिर से आपको हार्दिक बधाई देती हूं कि आपने देश को इतना बढ़िया बजट दिया।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुखियारी (कोकराझार): माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय वित्त मंत्री और इस सभा के विद्वान

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

सदम्यो, मुझे 1998-99 के सामान्य बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किये जाने के लिए मैं माननीय सभापति महोदय का धन्यवाद करता हूं।

मुझे बहुत दुख के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तावित बोडोलैण्ड के दलित बोडो लोगों, अन्य जनजातियों तथा वहां के समाज के विभिन्न वर्गों की बहुविध त्रासदियों और विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इन लोगों के द्वारा जीवन यापन के विभिन्न क्षेत्रों में सही जा रही परेशानियों का पूर्ण गंभीरता का वर्णन नहीं कर सकता हूं।

रात्रि 11.29 बजे

[प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

मैंने माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा इस सम्माननीय सभा में रखे गये बजट को देख लिया है। संपूर्ण देश की विशेषकर जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की आबादी की खुशहाली, सुरक्षा तथा विकास के लिए इस बजट में क्या कदम उठाये गये हैं? जनजातीय तथा अन्य दलित लोगों के कल्याण और विकास के लिए पर्याप्त धनराशि नियत नहीं की गयी है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही सभी सरकारों द्वारा जनजातियों और अनुसूचित जातियों के प्रतिकूल वित्तीय नीतियां अपनाई जाती रही जिसके कारण इन लोगों का विकास नहीं हो सका। इसीलिए देश के कमजोर लोगों को कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।

मैं अपना भाषण बढ़ाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा जो हमारे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बोडोलैण्ड के पिछड़ेपन के बारे में कुछ बातें विशेषतौर पर कहना चाहूंगा। हमारे बोडोलैण्ड में स्वच्छ पीने का पानी, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाएं, बिजली जैसी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं भी प्रदान नहीं की गयी हैं। वहां बिजली लगाने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधायें नहीं हैं। प्रस्तावित बोडोलैण्ड में कोई सिंचाई व्यवस्था नहीं है, पिछड़े लोगों के लिए आवास सुविधाएं नहीं हैं। कोई सुस्थापित महाविद्यालय नहीं है। एक भी मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। वहां एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। सभी विश्वविद्यालय बोडोलैण्ड क्षेत्र के बाहर, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित हैं। सभी मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, एयरपोर्ट और अन्य प्रकार की सुविधायें गैर-जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

हमारा बोडोलैण्ड बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। इन 50 वर्षों के दौरान हमारे साथ कई क्षेत्रों में भेदभाव किया गया है। हमारा कई प्रकार से शोषण किया गया है तथा हमारी उपेक्षा की गई है। इसीलिए कुछ दशक पहले हम एक अलग राज्य बोडोलैण्ड बनाने के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ने पर बाध्य हो गये थे। हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा बोडोलैण्ड राज्य कृषि तथा विकास के क्षेत्र में पूर्वोत्तर का पंजाब और हरियाणा बन जायेगा। ...*(व्यवधान)* मैं इस सम्मानीय सभा के जरिए भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वह बोडोलैण्ड के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे तथा बिना किसी विलम्ब के बोडोलैण्ड को एक अलग राज्य बनाने के संबंध में एक स्पष्ट निर्णय ले। अन्यथा आप हमारी जनजाति के लोगों को इस मंड़राते हुए खतरे से तथा अन्ततः लुप्त होने से नहीं बचा सकते हैं।

मैं माननीय सभापति महोदय तथा वित्त मंत्री के जरिए भारत सरकार से यह अपील करना चाहूंगा कि वह बोडोलैण्ड में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कालेज, एक इंजीनियरिंग कालेज, एक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा एक कम्प्यूटर साइंस सेन्टर को स्थापित करे।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी अपील करना चाहूंगा कि वह वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को दो शाखाओं में बांट दे। अलग से एक राष्ट्रीय जनजाति वित्त और विकास निगम होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को भी दो भागों में बांट देना चाहिए। अलग से एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होना चाहिए। इसी के साथ मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जनजातीय मामलों के लिए पृथक मंत्रालय बनाया जाए ताकि वह जनजातीय लोगों के विकास, कल्याण व उनकी सुरक्षा की देख रेख कर सके। गृह मंत्रालय की कुछ शक्तियाँ नए मंत्रालय को सौंप दी जानी चाहिए। भारत सरकार को अविलम्ब यह कार्य करना चाहिए।

मेरी भारत सरकार से अपील है कि पूर्वोत्तर के प्रमुख उग्रवादी संगठनों के साथ, स्पष्ट सकारात्मक और सार्थक बातचीत शुरू की जाए। अन्यथा, सरकार इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति और स्थायित्व नहीं ला सकती और सरकार द्वारा आबंटित राशि का उपयोग नहीं हो सकेगा। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहले ही 6100 करोड़ रुपये की आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है। यदि शान्ति, स्थायित्व और सामान्य स्थिति उस क्षेत्र में नहीं आएगी तो सरकार उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के बारे में कैसे सोच सकती है? अतः मेरा सरकार से पुनः अनुरोध है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करे तथा इस क्षेत्र की समस्त ज्वलन्त समस्याओं का राजनैतिक समाधान निकाले ताकि हम हमारे भटके हुए उग्रवादी संगठनों को विश्वास में ले सकें और उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में ला सकें।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे एक जाली वित्तीय कंपनी, फेवरेट स्माल इन्वैस्टमैंट कम्पनी द्वारा किये

गये एक अत्यन्त गम्भीर अपराध की जांच के लिए सी.बी.आई. को प्राधिकृत करें। यह कलकत्ता की कंपनी है। इसने बोडोलैंड क्षेत्र के जनजातीय बोडो लोगों से कई करोड़ रुपये इकट्ठे किये हैं। जिन लोगों ने इस कम्पनी में अपना पैसा जमा किया था वे अपना पैसा वापस नहीं ले सके। यह अति गंभीर अपराध है। इस अपराध की जांच करानी होगी।

सबसे पहले, मैं भारत सरकार से पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सांसदों को पूर्वोत्तर परिषद् में शामिल करने की अपील करना चाहूँगा। संभवत: इस संबंध में केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों को ही शामिल करने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक लाया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सदस्यों को पूर्वोत्तर परिषद् में शामिल करना पड़ेगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री से बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में किसी भी प्रकार की विनिवेश नीति लागू न करने का अनुरोध करूंगा। पूर्व सरकार उस तेल शोधनशाला के संबंध में विनिवेश की नीति लागू करना चाहती थी, जो बोडोलैण्ड–में है। हमने इस पर कड़ी आपत्ति की थी। मैं पुन: भारत सरकार से बोंगोईगांव थर्मल पावर स्टेशन, जो सलाकाटी में स्थित है, उसे असम सरकार को पट्टे पर देने की अनुमति न देने का अनुरोध करूंगा। बी.टी.पी.एस. को आदिवासी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अब असम सरकार इसे किसी अमरीकी कंपनी को पट्टे पर देने का प्रयास कर रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इतना पर्याप्त है। आप पहले ही 13 मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: इन शब्दों के साथ, मैं अपनी पहली बात को फिर दोहराता हूं कि भारत सरकार को राष्ट्रहित में बोडो लोगों की बेहतरी और सुरक्षा के साथ-साथ संपूर्ण देश की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग राज्य बनाने हेतु ठोस नीति निर्णय करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप स्पीच ले करना चाहते हैं तो ठीक है। पहले इनको ले करने दें। आप खड़े होकर ले कर दीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर): मैं अपनी स्पीच ले करता हूं।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के बजट को, जो माननीय वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा जी ने इस सदन में एक जून, 1998 को प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हूं।

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने बिहार से, जो हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्गम रही है, वहां नालंदा जैसा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और चन्द्रगुप्त के समय में चाणक्य की कौटिल्य नीति जो अर्थव्यवस्था का महान ग्रंथ है, उस बिहार के हमारे नए कौटिल्य यशवंत सिन्हा जी को भारत का वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी पहली उपलब्धि के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। बजट में पहली बार स्वदेशी चेहरा नजर आया है। कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए 58 प्रतिशत राशि की बढ़ोत्तरी की गई है। सिंचाई को भी उचित स्थान दिया गया है, जिसकी अभी तक अनदेखी की जाती रही है। कृषि और ग्रामीण विकास तथा लघु और ग्रामीण सेवा के लिए भी काफी प्रावधान किया गया है। कार्ड के जरिये किसानों को क्रैडिट कार्ड देने की उल्लेखनीय बात कही गई है कि जिसकी जितनी जमीन होगी, उसको उसी हिसाब से बैंकों के द्वारा कर्ज के रूप में राशि प्राप्त होगी। उस कर्ज का दोगुना से ज्यादा सूद नहीं लिया जाएगा, इस बारे में भी चर्चा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, उसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने जो संकल्प लिया है कि जी.डी.पी. का छ: प्रतिशत शिक्षा की मद में खर्च लिया जाएगा, विशेषकर महिलाओं को बी.ए. तक की शिक्षा मुफ्त में देने का जो प्रावधान है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बजट में घरेलू कम्पनीज को संरक्षण देने का वादा किया गया है और उसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इसकी भी व्यवस्था करने का संकल्प दोहराया है।

सभापति महोदय, एक विशेष बात जो आपने अपने भाषण में उठाई थी, मैं भी उसकी चर्चा करना चाहूंगा। इसी देश में एक व्यक्ति ब्रिटानिया के मालिक राजन पिल्लै थे, जो पहले सिंगापुर में थे। वहां उनके ऊपर आर्थिक अपराध के तहत मुकदमा चला और उन्हें सजा मिलने जा रही थी कि वह भागकर भारत आ गए। यहां उनकी गिरफ्तारी हुई और दुर्भाग्य से किसी बीमारी की वजह से जेल में उनकी मृत्यु हो गई। मैं मांग करना चाहूंगा कि आज देश में जितनी भी नॉन-बैंकिंग कम्पनी आई हैं, उन्होंने देश की गरीब जनता को जबर्दस्त तरीके से लूटा है। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे बिहार के एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री के रिश्तेदार थे, जो जे.वी.जी. के मैनेजिंग डायरेक्टर-कम-चेयरमैन थे। वे पूरे बिहार के शहरों में हैलीकॉप्टर लेकर घूमते रहे और उन्होंने लोगों से कहा कि आप जितनी राशि मुझे देंगे, मैं 25 महीने में उसकी दोगुनी राशि आपको वापस दूंगा। मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है, व्यापार है, जिसमें

[डा. मदन प्रसाद जायसवाल]

रुपया दो साल के अंदर दोगुना या तिगुना हो जाता है। इस तरह से उन्होंने बिहार की गरीब जनता का बीस हजार करोड़ रुपया लूट लिया। ऐसे आर्थिक अपराध करने वाले लोगों के प्रति ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस संबंध में ऐसा कानून बनाएं जिससे गरीब जनता को लूटने वाले जो शेयर होल्डर हैं, इस तरह की नॉन-बैंकिंग कम्पनीज हैं, उनको कैपिटल पनिशमेंट मिले। आपने प्रश्न उठाया, मैं भी उठाना चाहता हूं कि आजकल टैलीफोन सभी की आवश्यकता है। उसके लिए यह व्यवस्था कर दें कि अगर किसी का 500 या 100 रुपये तक बिल आएगा, उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जिनको 10000 या 20000 रुपये तक का बिल आता हो, उनकी बात अलग है। हम सांसदों को भी अब एक लाख रुपये तक के टैलीफोन के बिल की छूट है।

हमें भी इस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। हम लोग इनकम टैक्स में छूट की मांग कर रहे थे। मैं अभी बजट प्रस्तुत होने के बाद इनकम टैक्स पेयर्स की एसोसिएशन की सभा में गया था, तो वहां सारे टैक्स देने वालों ने आपकी जो प्रशंसा की, उसकी कोई सीमा नहीं, इसके लिए मैं भी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो मुद्रास्फीति की हालत है, उसको उसी से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे एक बार एक जजमैंट आया था कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान उनके महंगाई भत्ते के रूप में उस समय जो रुपये की स्थिति हो, उसके अनुसार दिया जाना चाहिए। जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है उसके आधार पर इनकम टैक्स की हायर लिमिट आपने चालीस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये की है, यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। पांचवें वेतन आयोग से लोगों के वेतन बढ़े हैं, उससे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए जो बढ़ती हुई महंगाई है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, उसके आधार पर इसको लागू किया जाए और इसे पचास हजार रुपये से बढ़ाया जाए और तय कीजिए कि कितनी राशि होनी चाहिए। इस देश के लोगों को ईमानदार बनाना चाहिए और टैक्स देना चाहिए। लोग टैक्स की चोरी करते हैं, चाहे कोई भी हों। मैं यह नहीं कहता कि सब बेईमान हैं, ईमानदार लोग भी हैं। आपने ईमानदार लोगों के लिए ''सम्मान'' के रूप में सम्मानित करने की जो व्यवस्था की है, उसके प्रति मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अंग्रेजों के समय भी ऐसी ही व्यवस्था थी। जो टैक्स देने वाले ईमानदार लोग हैं, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं सभी टैक्स देने वालों की तरफ से आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

पिछले वर्ष जो हमारा रक्षा बजट करीब 36099 करोड़ रुपये था, उसको बढ़ाकर आपने 41200 करोड़ रुपये कर दिया है। यह बढ़ोत्तरी तो जरूर हुई है, लेकिन यदि हमें विदेशों से नए टैंक खरीदने हैं, हमारे पास वायुयान वाहक युद्धपोत नहीं हैं, उनको खरीदने के लिए काफी पैसा चाहिए, तो जिस तरह से रुपये का अवमूल्यन हुआ है, क्या बढ़ोत्तरी हमारी सेना की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाएगी? यदि रुपये के अवमूल्यन के हिसाब से इस राशि को देखें तो पिछले वर्ष जो करीब 10 अरब डालर के बराबर रकम थी, वह अब साढ़े नौ अरब डालर के बराबर होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि रक्षा बजट में और बढ़ोत्तरी की जाए। रक्षा में जितना आधुनिकीकरण करना हो, उसके लिए वित्त मंत्री जी को व्यवस्था करनी चाहिए।

रेल हमारा महत्वपूर्ण साधन है। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय कोष से भी रेलवे को नई लाइनें बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

कल मुरली देवड़ा जी बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में बहुत से अखबारों में छपी खबरों और लेखों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अखबारों ने वित्त मंत्री के बारे में यह लिखा है, वह लिखा है। आप जानते हैं कि कुछ अखबार भारतीय जनता पार्टी के इतने विरोधी हैं कि वह कुछ भी करे, उसके विरोध में लिखेंगे। वे वैसे अखबारों की चर्चा कर रहे थे। लेकिन जिन अखबारों ने बजट की प्रशंसा की है, उनका जिक्र नहीं किया। मैं यहां उन अखबारों में से कुछ का जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे बारे में क्या लिखा है। मेरे पास 5.6.98 का इकोनोमिक टाइम्स है।

[अनुवाद]

महोदया मैं मूलपाठ उद्धृत करता हूं:

''ए फाईन बैलेंसिंग एक्ट नाई सिन्हा'' (सिन्हा की एक अच्छी समतुल्य कार्रवाही), यह डी.एस.पी. मैरिल लिंच ने कहा है। मैं दिनांक 5.6.1998 के 'दा इकोनोमिक टाईम्स'' को उद्धृत करता हूँ (आयकर कानून को दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे पुनः लागू किया) ''इन्कम टैक्स एक्ट रिवोकड टू कर्ब मिसयूज''। यह पुनः उसी समाचार-पत्र से है: कर समाधान स्कीम टू रेक इन मोर दैन बी.डी.आई.एस.'' (कर समाधान योजना से, वी.डी.आई.एस. से भी अधिक पैसे बटोरे जा सकेंगे)। इससे सरकार को वी.डी.आई.एस. से भी अधिक पैसा प्राप्त होगा। मैं 'दा हिन्दू' से उद्धृत करता हूं, ''मूव टू एकोर्ड प्रायरटी टू रूरल डिवलपमेंट हेल्ड बाई एवरी ग्राडी'' (ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने की बात की सभी ने प्रशंसा की। और ''समाधान एक्स टू लारजर रूपीज 5200 करोड़ ''(समाधान से 5200 करोड़ रुपये एकत्र होने की आशा)। दा इकोनोमिक टाईम्स के अनुसार सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विवाद निवारण निकाय की स्थापना''। इससे कर ढाँचा बढ़ेगा। यह

चिकित्सा के व्यवसाय के लिए लाभदायक है। मैं स्वयं एक चिकित्सक हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, लाइफ इंश्योरेंस पालिसी के द्वारा अब मैडिकल प्रोफैशन में भी हैल्थ केयर के बारे में स्कीम्स आयेंगी, यह एक सराहनीय कदम होगा। मैं मेडिकल प्रोफैशन में होने के नाते माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मद में जी.डी.पी. का जो 1.9 प्रतिशत राशि रखी गई है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि उद्योग जरूरी है, यदि सड़कें जरूरी हैं तथा अन्य चीजें जरूरी हैं, तो चिकित्सा भी इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं और इसके अलावा मलेरिया, जब हम मैडिकल प्रोफैशन में थे, अब फिर फैलने लगा है। यह बीमारी पहले समाप्त हो गई थी और देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़ गई है। एड्स तथा अन्य बीमारयां भी बढ़ गई हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जी.डी.पी. में निश्चित रूप से राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

अंत में, इस बजट का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार आपने ईस्टर्न स्टेस्ट से पैकेज दिया है, उसी तरह का पैकेज आप हिमाचल प्रदेश को भी देंगे। समस्या यह है कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार आ गई है और यहां भी आपकी सरकार है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का काफी पैसा यहां पर आया हुआ है, चाहे वह बिजली का हो या अन्य किसी क्षेत्र का हो, वह हिमाचल प्रदेश की सरकार को वापिस करना चाहिए। पंजाब का भी हिमाचल प्रदेश की योजनाओं का पैसा यहां पड़ा हुआ है, लेकिन वह पैसा हमको अभी तक नहीं दिया गया है। न पंजाब से और न हरियाणा से रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में बिजली की हमको रायल्टी मिलनी चाहिए थी, वह अभी तक हमारी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन सरकार कहती है कि हम केन्द्र से लायेंगे। वहां पर भी आपकी सरकार बन गई है, तो वह पैसा आपको देना चाहिए।

मुझे खुशी है कि आपने पंजाब राज्य को 8 हजार करोड़ रुपये की मदद की और काश्मीर को भी आप मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस राज्य के लोग शांतिप्रिय हैं, उनका आप ख्याल नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इस राज्य के विकास के लिए खासतौर से ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कोई साधन है, तो वह है—फल, लेकिन वहां के लिए कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है। न ही भारत सरकार ने महसूस किया कि उनको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, जबकि अन्य चीजों के लिए समर्थन मूल्य दिया जाता है। महाराष्ट्र में तो प्याज के लिए समर्थन मूल्य दिया जाता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश रक्षा की दृष्टि से जल के रुझान को रोकता है। हिमाचल प्रदेश मिट्टी के कटाव को रोकता है। जिस तरह से सिक्किम में बारिश हुई, यदि उसी प्रकार से हिमाचल में भी हो जाए, तो पंजाब में फल्ड आ जायेंगे। उत्तर प्रदेश में फल्ड आ जायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी बिजली के प्रोजैक्ट बनें, वे इन बातों का ख्याल करके बनें। बारिश की वजह से जो मिट्टी बहकर आ रही है, उससे सिल्टिंग की समस्या पैदा हो जाएगी और डैम्स की मियाद खत्म हो जायेगी। हमारे यहां नाथपा-जाखड़ योजना है, जो 1500 मेगावाट का बिजली का प्रोजैक्ट है। यह राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजैक्ट का काम 90 प्रतिशत पूरा हो गया है। अभी जितना भी पैसा वर्ल्ड बैंक से मिलता है, पहले उस पैसे पर लो-इन्टरैस्ट था, लेकिन अब इन्टरैस्ट ज्यादा हो गया है। पैसे की कीमत कम हो गई है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां की परियोजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार को देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पनबिजली योजनाओं द्वारा बीस हजार मेगावाट बिजली पैदा करती है। हमें कहा गया है कि कोयले से भी बिजली पैदा करने का प्रोजैक्ट लगाया जाए। यह योजना महंगी है, क्योंकि वन हमारी सम्पत्ति है। हाइडल द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है, वह सस्ती पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस ओर ध्यान दे, ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके।

मैं एक बात अब उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। इस राज्य में हरियाणा से लोग आते हैं, वे वहां की सरकार से भी लोन ले लेते हैं और यहां की सरकार से भी लोन ले लेते हैं और काम कुछ नहीं होता है। वे लोन वहां भी चाट जाते हैं और यहां का भी चाट जाते हैं। इस प्रकार कुछ ही लोग हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। मैं यह भी देख रहा हूं कि कुछ लोग बैंकों से पैसा लेकर काम को कार्यान्वित नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ही आगे से आगे पैसे मिल जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आपको जांच करनी चाहिए और जो इस तरह के धन का प्रयोग करते हैं, उसके साथ सख्त से सख्त सरकार को कदम उठाने चाहिए।

[श्री के.डी. सुल्तानपुरी]

इसी प्रकार कर की अदायगी भी जिन लोगों ने नहीं की है और करोड़ों रुपया उनके पास बकाया पड़ा हुआ है, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार नए लोगों को कर की सीमा में लाने का प्रयास कर रही है। जिन लोगों से पुराना कर वसूल करना है, चाहे वे उद्योगपति हों या कोई अन्य, उन लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। मेरे विचार से सरकार को इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार ने पैट्रोल की कीमत एक रुपए बढ़ाई है और कहा है कि इस राशि को नेशनल हाईवे के विकास के काम में लगाया जाएगा। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि जो पेट्रोल पम्प इस क्षेत्र में आगे आना चाहें वे आयें, इससे ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगा और लोगों को सुविधा होगी। इस प्रकार जिन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया हुआ है, वे किनारे हो जायेंगे।

मध्यरात्रि 12.00 बजे

आप सब को दे दीजिए। जब आपने फ्लोर मिल के लाइसेंस ओपन कर दिये, शुगर केन के कर दिए, आप इस तरह से क्यों करते हैं कि पेट्रोल पम्प उनको ही मिलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि पेट्रोल पम्प पर टैक्स भी ले लो और उसको सब को बांट दो।

बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपने कुछ प्रयत्न किए हैं, वे पूरे होने चाहिए और आपने किसानों के साथ जो-जो वायदा किया है, आपने जितने भी वायदे किए हों, चाहे हमारी आर्मी के लिए किए हों या जो भी किए हैं वे सारे के सारे पूरे हों ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि यह तो कांग्रेस की वजह से हुआ तो क्या अब भी कांग्रेस की वजह से ही हुआ? आज कांग्रेस की वजह से मुल्क में भाखड़ा डेम है और भी बहुत से डेम हैं, ये सारे हिन्दुस्तान के लोगों की मेहनत से बने हैं। आप जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। आपको नजर ही नहीं आता, सौ करोड़ की आबादी होने जा रही है और जब तक इस आबादी पर कंट्रोल नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए भी हमें प्रयत्न करने चाहिए। *...(व्यवधान)*

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां तो सारे घोटाले होते हैं लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। *...(व्यवधान)* आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अगर सरकार ठीक काम करती है तो हमें क्या तकलीफ है। हमने तो इतने साल राज किया, आप तो थोड़े दिन में ही हिन्दुस्तान के हीरो बनने लगे। *...(व्यवधान)*

जब परिवार के 18-20 आदमी खाने वाले हों तो वे इधर से भी खाएंगे और उधर से भी खाएंगे, अगर एक ही आदमी होता तो सब ठीक चलता। आज आप कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा देश बनाना है, जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो यही बात आप गलत बोलते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। मेरी सभी साथियों से प्रार्थना है कि अगर हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करनी है तो हमें अपने मुंह पर लगाम देनी चाहिए और जो कोई बात कहता है उसको आराम से सुनना चाहिए और जो माननीय सदस्य को एक करोड़ रुपया देते हैं उसको दो करोड़ करने का मैंने सुना है, यह अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

00.04 बजे (12.6.1998)

[अनुवाद]

श्री पी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): आदरणीय मैडम, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र कोयम्बटूर के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने डी.एम.के. और आई.एस.आई. प्रवर्तित मित्रों की कपटपूर्ण कार्यवाही के बावजूद मुझे इस सम्मान्य सभा के लिए निर्वाचित किया। मैं उन 60 हिन्दुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों, पुरुषों और महिलाओं को नमन करता हूं, जिन्हें 14 फरवरी, 1948 को बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था।

मैं अपने वित्त मंत्री महोदय को स्वातं-योपरांत सबसे बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। आज सुबह, जब मैं आटोरिक्शा में जा रहा था, तब मैंने ड्राइवर से पूछा कि बजट के बारे में उसका क्या विचार है। धोती और शाल देककर उसने सोचा कि मैं पी. चिदम्बरम का मित्र और उनकी पार्टी का सदस्य हूं।

उसने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक अच्छा बजट है। जब मैंने पूछा कैसे, तो उसने मुझे बताया, "आपके ही श्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि इस बजट में दर्शन का प्रभाव है। उनका दर्शन हमेशा से ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े व्यावसायिक घरानों की मदद करने के लिए होती है। गरीब लोगों के लिए उनके पास कोई दर्शन नहीं है। इसलिए श्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि इस बजट में कोई दर्शन नहीं है। परन्तु जहाँ तक निर्धन लोगों का सवाल है उनके लिए यह बजट निश्चित रूप से अच्छा ही होना चाहिए।

अत:, मैं अपने वित्त मंत्री जी को निर्धनों के लिए बजट, कृषकों का ध्यान रखने वाला बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं। स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार खेती के लिए योजना आवंटन 58 प्रतिशत बढ़ाया गया है अर्थात् 1,807 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,854 करोड़ रुपये कर दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और मैं कृषि क्षेत्र से निर्यात अवरोध हटाने के उनके साहसिक कदम

की सराहना करता हूँ। यह खेतिहरों के लिए एक अच्छा प्रोत्साहन है। कृषक अधिकांशत: इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके द्वारा किए गए आयात के बराबर भी लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। उनका कठोर श्रम उन्हें कभी भी अच्छे फल नहीं देता। आपने निर्यात के माध्यम से कृषकों को अच्छी कीमत प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर दिया है। मैं आपके साहसिक कार्य के लिए आपको बधाई देता हूं।

आपने नाबार्ड की पूँजी में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी है और 3,000 करोड़ रुपये नाबार्ड के पास की इसकी ग्रामीण अवसंरचना विकास योजना के लिए है। इस प्रकार नाबार्ड ऋण योजना अधिक जनाधार वाली तथा ग्रामीण लोगों में लोकप्रिय है। कृषक-समुदाय, जिसे निरंतर फसल की हानि और बढ़ते हुए ऋण से परेशानी उठानी पड़ी थी, किसान के क्रेडिट कार्ड प्रणाली और फसल-बीमा जैसे नये कदमों से मदद मिलेगी। कृषकों को एक बार क्रेडिट कार्ड प्रणाली की आदत हो जाये, फिर ये और अधिक वित्तीय अनुशासन सीख सकते हैं। मैं इस नये आविष्कार के लिए उनकी सराहना करता हूँ। यह कृषकों को खून चूसने वाले सूदखोरों के पंजों से धीरे-धीरे मुक्त करेगी। मैं कृषकों की हितों की रक्षा करने के लिए आपकी सराहना करता हूँ।

दूसरी धारणा, कि पूंजीवादियों और औद्योगिक घरानों की समर्थक है, टुकड़े-टुकड़े हो गई है। इस कदम से, आपने यह आशा बँधाई है कि केन्द्र में नई सरकार बन रही है, जो लघु और स्वदेशी-उद्यमियों का ध्यान रखती है।

मैं लघु उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क छूट बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपने इन स्वदेशी कागज उद्योग के लिए सीमा शुल्क में 10 प्रतिशत तथा कोल्ड रोल्ड स्टील के लि[illegible] प्रतिशत वृद्धि करके उद्योगों को बचाया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी वचनबद्धता पूरी कर रही है, इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय कार्य सूची में यह वर्णित है कि अगले पांच वर्षों में हिन्दुस्तान के सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध होगा। आपने ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 1627 करोड़ रुपये अर्थात् 25 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे भारत में एक नई स्थिति उत्पन्न होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को एक घड़ा पानी लाने के लिए कई किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं होगी। तमिल में हम यही कहा करते थे कि हम वही करेंगे, जो हमने कहा है और हम केवल वही कहेंगे जो हम कर सकते हैं। हम अपनी वचनबद्धता हमेशा पूरी करते हैं।

यूरिया की कीमत कांग्रेस सरकार और बाद में, संयुक्त मोर्चा की सरकार ने बढ़ाई है। वर्ष 1991 में, यह प्रति टन 2,350 रुपये थी, परंतु संयुक्त मोर्चा सरकार के सत्ता में आने से पहले, यह कीमत 3,664 रुपये कर दी गई थी। कृषकों की सबसे अनिवार्य आवश्यकता, उर्वरक की कीमत केवल एक रुपये बढ़ाई गई है और फिर भी, विपक्ष हल्ला मचा रहा है।

सभा में भाजपा का जो विरोध होता है, उससे उनका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लोग यह कभी नहीं सोचेंगे कि भाजपा कृषक विरोधी पार्टी है।

चूँकि आपने ऐसे बहुत से उपाय किसानों के लिए किए हैं, इसलिए आपने यह सिद्ध कर दिया है कि चरण सिंह के बाद यह बजट स्वतंत्र भारत का सबसे बढ़िया बजट है जो किसानों के हित में है।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: यह मेरा प्रथम भाषण है। आपको मुझे पांच मिनट और देने होंगे।

सभापति महोदय: अभी 15 सदस्यों को और बोलना है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: मैं शिक्षा हेतु 7047 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। यह शिक्षा के क्षेत्र में 6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सही कदम है। पहली बार, इंसान बनाने वाले मिशन को प्राथमिकता मिली है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें। ठीक है, आपको एक मिनट और दिया जाता है।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: मैं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निगम का स्वागत करता हूँ। मंत्री जी, जैसाकि आपने अपने बजट भाषण में स्वामी विवेकानन्द को ठीक ही उद्धृत किया है, सही विचार वाले युवकों का उपयोग राष्ट्र के पुनर्निर्माण में किया जायेगा। महोदय मैं, आपके माध्यम से, माननीय प्रधान मंत्री को आश्वासन देता हूं कि संपूर्ण देशभक्त युवा सफरॉन ब्रिगेड एक मजबूत हिन्दुस्तान के पुनर्निर्माण हेतु उनके आदेश पर होंगी। माननीय वित्त मंत्री, महोदय, मैं आपके कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन पर नये अभियान का स्वागत करता हूं।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल कपास से ही हम अपने सभी विदेशी ऋणों का भुगतान कर सकते हैं। अपने उच्च दर्शन से आपने कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

महोदया, तीन पृष्ठ और हैं। आपकी अनुमति से मैं इन्हें सभा पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय: हाँ, आप कर सकते हैं।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु मुख्यभूमि से दूर नहीं है। तमिल हिन्दू हैं। श्री मुरासोली मारन ने एक बार कहा है कि वे जन्म से तमिल हैं न कि जन्म से हिन्दू। तमिल हिन्दू हैं। हिन्दू धर्म के लिए उनका योगदान काफी बड़ा है। अखबारों, नयनमारों और तिरुवल्लूरों ने हिन्दू धर्म में काफी योगदान किया है। हम मुख्यभूमि से कभी दूर नहीं थे।

आपकी अनुमति से, मैं निम्नलिखित सामग्री सभापटल पर रखता हूँ। परमाणु ऊर्जा विभाग के आवंटन में 68 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है और इसे 828 करोड़ से बढ़ाकर 1391 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अन्तरिक्ष विभाग के आवंटन में भी 62 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है। इसके लिए आवंटन 850 करोड़ से बढ़ाकर 1381 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

भारत ने 11 और 13 मई को पोखरण में परमाणु बमों का विस्फोट किया था। इसे पोखरण-2 का नाम दिया गया है। सभा में विपक्ष के भी कुछ मित्रों ने सरकार की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है और भारत आक्रामक बन रहा है।

मैं विपक्ष के अपने कुछ मित्रों को सचेत करना चाहूंगा कि भारत ने आज तक किसी मुल्क पर हमला नहीं किया है। इस बात की महान विद्वान मेगस्थनीज ने भी प्रशंसा की है। क्या आप लोग ऐसे देश की महानता को कम करना चाहते हैं जिसने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया है। भारत ने आज तक किसी भी देश के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपनाया है। जबकि इस पावनभूमि पर अनेक हमलावरों ने हमला किया है। इनमें से एक हमलावर आपका चहेता बाहर भी था। यह सरकार राष्ट्र की प्रभुता की सुरक्षा के लिए दृढ़संकल्प है और इसी उद्देश्य के लिए देश ने परमाणु विस्फोट किये थे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों के लिए आवंटन में वृद्धि करने के लिए बधाई देता हूं। इससे हमारे वैज्ञानिकों को इन क्षेत्रों में और शोध और विकास करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। जहां तक सुरक्षा संबंधी पहलुओं का प्रश्न है तो हमारा राष्ट्र इन मामलों में दुश्मनों से सदैव आगे रहा है।

मैं वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करने के बाद उनसे कुछेक बातों के लिए अनुरोध करूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि वे यूरिया के मूल्य में कमी करके इसे शून्य के स्तर पर लाएं। वे किसानों की समस्याओं को विपक्ष में बैठे किसी भी सदस्य से अधिक जानते हैं। मैंने उत्तर भारत के किसान नेताओं को किसानों की समस्याओं पर काफी कुछ बोलते हुए सुना है जब वे सत्ता से बाहर होते हैं। लेकिन जब वे सत्ता में होते हैं तो वे अपनी चिन्ता भाषणों के जरिए व्यक्त करते हैं। वे धन के लालची हैं और किसानों को भूल जाते हैं। वे अपने आपको किसान नेता और यादव नेता कहलवाते हैं। वे पशुओं को खिलाने के लिए सरकार द्वारा आबंटित की गई धनराशि को स्वयं इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि कंस ने भी इस प्रकार का पाप नहीं किया होगा। ऐसे बिहार के लिए, मंत्री महोदय आपने किसानों की चिन्ता की है।

मैं आगे मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मसालों, घी और रबड़युक्त जूट के मेट्रेस पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिये जाने चाहिए। यद्यपि केरल से बी.एस.पी. का कोई संसद नहीं चुना गया है लेकिन मैं आपसे उनकी ओर से आग्रह करूंगा कि रबड़युक्त मेट्रेस से उत्पाद शुल्क समाप्त कर दें क्योंकि नारियल की भूसी के तन्तुओं के उद्योग से गरीबों की रोजी-रोटी चलती है।

महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने गरीब किसानों मध्यवर्गीय लोगों, अनिवासी भारतीयों, लघु उद्योगों का ध्यान रखा है तथा स्वदेशी औद्योगिक प्रगति और उदारीकृत आयातों, जहां भी जरूरी हो, तथा विशेषरूप से पूंजीगत वस्तुओं के लिए और आधुनिकीकरण का ध्यान रखा है।

इसके साथ ही मैं आप सभी को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने और ध्यान से मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को उनके धैर्य के लिए धन्यवाद देता हूं। वे पूरी अर्धरात्रि के दौरान सभी सदस्यों को ध्यान से सुनते रहे हैं। मैं प्रश्न करता हूं कि जब वे इस चर्चा का जवाब देंगे तो सदस्यों द्वारा यहां व्यक्त किये गये कुछ विचारों पर उचित ध्यान देंगे। इसी संदर्भ में मैं संक्षिप्त में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

मैं नहीं समझता कि मैं अपना भाषण निर्धारित समय में पूरा कर पाऊंगा। सिर्फ इसलिए यह बजट भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं नहीं समझता कि इस बजट का विरोध करना राजनैतिक दृष्टि से मेरा कर्त्तव्य है। श्री यशवन्त सिन्हा जी मेरे बहुत ही सम्माननीय मित्र हैं और मैं उन्हें बहुत ही वरिष्ठ और सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ मानता हूं। मैं वास्तव में इस बजट का समर्थन करना चाहता हूं। लेकिन मैं अपनी अन्तर्रात्मा से पूछ रहा हूं कि क्या मैं बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के इस बजट का समर्थन कर सकता हूं। मैं यहां हुई चर्चा को सुनता रहा हूं और अफसोस से कह रहा हूँ कि चर्चा का स्तर गिर गया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए।

मैं उनसे एक चीज की उम्मीद कर रहा था कि अपने अनुभव और सूक्ष्मदृष्टि के चलते और देश की उम्मीदों के मुताबिक वे ऐसा बजट पेश करेंगे कि गिरता औद्योगिक उत्पादन रुके और सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट पर विराम लगेगा। इस समय, औद्योगिक विकास की दर 4.2 प्रतिशत और कृषि उत्पादन की दर 3.7 प्रतिशत है जिसके लिए आप और आपकी सरकार उत्तरदायी नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट की समस्या का हल आपके बजट द्वारा किये जाने की उम्मीद की जा रही थी। 2.6 प्रतिशत की निर्यात दर भी शोचनीय है। इसके हल की भी आपकी सरकार से उम्मीद की जा रही थी।

. यदि आप पिछले पांच वर्षों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि प्राथमिक बाजार में पिछले पाँच महीनों में पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू बहुत कम संख्या में आए हैं इससे बाजार के रुख का पता चलता है और सरकार की राजकोषीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस प्रारूप का परिदृश्य इस बजट की पृष्ठभूमि है।

राजनीतिक भावना से हटकर ईमानदारी से कहा जाये तो इस परिदृश्य में राष्ट्र को आपके बजट से बहुत आशा थी। बहुत संकोच के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की इन समस्याओं और चिन्ताओं के निपटारे के बारे में आपके बजट में कोई समाधान अथवा दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम बाजार को बढ़ावा देने के लिए सुधारात्मक उपायों की घोषणा की जायेगी। आप अभी भी अर्थव्यवस्था को उत्साहित करने को कुछ उपाय लागू कर सकते हैं।

विश्व समुदाय में भारत अलग-थलग पड़ गया है। कोई कुछ भी कहे, पोखरन के बाद, विभिन्न राजनैतिक दृष्टियों से कुछ भी दावा किया जाये किन्तु भारत आज विश्व समुदाय में बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया है। मुझे डर है कि यह बजट हमें आर्थिक रूप से अलग-थलग न कर दे। मुझे यकीन है कि आपको उस राजनैतिक दल की विचारधारा को प्रतिबिम्बित करना है, जिस दल का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं यशवन्त सिन्हा जी को एक व्यक्ति के रूप में कई वर्षों से जानता हूं और मैं उस रूप में आप की सराहना कर सकता हूं। दल के प्रतिनिधि के रूप में आप उस दल की विचारधारा को व्यक्त करने के लिए बाध्य हैं जिस दल का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ओर मैं देखता हूं कि आपने स्वदेशी की मुहर लगाई अर्थात् सभी प्रकार के आयात पर आपने समान रूप से आठ प्रतिशत शुल्क लगाया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। किन्तु हम आपसे वास्तव में उस बारे में उत्तर की आशा रखते हैं जो श्री चिदम्बरम आज स्पष्ट कर रहे थे।

आपने सभा के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है और उस सर्वेक्षण के अनुसार 1996-97 में आयात शुल्क एकत्रीकरण दर 31 प्रतिशत है। यदि किसी उद्योग को उस समय सुरक्षा प्राप्त नहीं की गई जब आयात शुल्क एकत्र करने की दर 37 प्रतिशत शुल्क है तो क्या हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? हम प्रसन्न हैं कि आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं किन्तु आप भारतीय उद्योग को विश्व में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बना रहे हैं। हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां संचार, विज्ञान और विकास के कारण यह विश्व एक छोटा सा गांव बन गया है। अत: हमें प्रतिस्पर्धात्मक बनना पड़ेगा। चाहे इस बात को कोई माने अथवा नहीं 1991 से निरन्तर प्रयास किये गये कि भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धात्म बनाया जाए चाहे वह लघु स्तर का उद्योग हो अथवा मध्यम स्तर अथवा बड़े स्तर का उद्योग हो। प्रतिस्पर्धा के इस विश्व में भारतीय उद्योग को कायम रहना है। क्या हम भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बना रहे हैं। सभी प्रकार की सुरक्षाओं के अतिरिक्त भारतीय उद्योग पर अब आठ प्रतिशत का शुल्क लगा है। मैं भाजपा के नारे को समझ सकता हूं और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, किन्तु इसी के साथ जब आप एक बड़ी दीवार का निर्माण कर रहे हैं अर्थात जब आप भारतीय उद्योगपतियों को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो क्या यह उसके विपरीत नहीं होगा। मेरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न पर जरूर विचार करेंगे। बहुत से लोग इस बात से प्रसन्न होंगे। मैंने बहुत सावधानीपूर्वक बजट-पश्चात् विश्लेषण का अध्ययन किया है। एक नारे ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैं इस सभा के लाभ हेतु इसे प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बहुत प्रसिद्ध अखबार ने एक बहुत ही रोचक शीर्षक दिया है। इस बजट के बारे में अच्छा समाचार यह है कि कोई बुरी खबर नहीं है और बुरा समाचार यह है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। जब आप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि वह आपके व्यक्तित्व और आपकी योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं 8 प्रतिशत सुरक्षा, जो आपने भारतीय उद्योग को दी है, उससे यह सब उल्टा न हो जाए।

मैं सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में एक बात कहना चाहता हूं। 1991 से इस क्षेत्र में विनिवेश हो रहा है, इसे चाहे कोई निजीकरण कहे अथवा विनिवेश कहे। विनिवेश उस सरकार अथवा उस दल की नीति थी, जो उस समय सरकार चला रही थी और जिसका मैं भी एक सदस्य था।

मैं इस विचार से सहमत हूं कि निजीकरण कुछ हद तक करना आवश्यक है। किन्तु आपने बजट में एक अत्यन्त बेतुकी घोषणा की है कि जहां कहीं गैर-सामरिक क्षेत्र हों वहां सरकार की धारिता 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 6.7 प्रतिशत पूंजी और 85 प्रतिशत लोग गैर-सामरिक क्षेत्र में लगे है। इसका क्या अर्थ है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण काफी लम्बी अवधि में हुआ जो लोगों के धन से निर्मित

[श्री पी.सी. चाक्को]

किया गया और उत्तरवर्ती सरकारों की वचनबद्धता से यह निर्माण किया गया था। 85 प्रतिशत लोग उस क्षेत्र में लगे हैं और 67 प्रतिशत पूंजी गैर-सामरिक क्षेत्र में लगी है।

आपने एक घोषणा की है कि सरकार की धारिता केवल 26 प्रतिशत होगी। इसका अर्थ है इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त कर देना। मुम्बई क्लब के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, किन्तु देश में सार्वजनिक क्षेत्र की लागत पर नहीं। मैं महसूस करता हूं कि जहां कहीं भी ढील देने की आवश्यक है, जहां कहीं भी भारतीय जनता को अंशों की बिक्री करना आवश्यकता है, जहां तक नीति की बात है मुझे लगता है कि श्री मनमोहन सिंह जी के बजट में अथवा श्री पी. चिदम्बरम के बजट में अथवा आपके बजट में कोई खास अन्तर नहीं है। क्योंकि जिन बातों पर बल दिया गया है वे लगभग एक ही समान हैं। मूलभूत तरीका एक ही है, किन्तु जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो इसका देश में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्था पर संकट कैसे आया? हम यह जानते हैं। हमें उस ऋण जाल में नहीं फंसना चाहिये। किन्तु भारत में वह स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अत: हमें अत्यन्त सावधान और सचेत रहना पड़ेगा।

क्या हमने जिस क्षेत्र का निर्माण वर्षों में किया है उसे हम एक ही झटके में समाप्त करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं बजट का समर्थन करना चाहता हूं, किन्तु मैं आशा करता हूं कि आप उत्तर देते समय हमें तीन अथवा चार प्रश्नों का उत्तर देंगे।

कम से कम आप इस बात पर विचार करें कि इस बजट की कमी है सकल घरेलू उत्पाद, जिसकी गणना वित्तीय घाटे के आधार पर की गयी है, जो उससे भी कहीं ज्यादा होगा। यह आशंका इस सभा में कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी थी। तथ्य और आंकड़े आपके पास हैं। आप निसन्देह हमें इस बात का विश्वास दिला सकते हैं, कि यह आशंका बेबुनियाद है।

मुद्रा-स्फीति एक कारक है। घाटा अनुमान से कहीं अधिक होगा। मुद्रा-स्फीति और घाटा दोनों से, सकल घरेलू उत्पाद की दर आपकी अपेक्षाओं से कहीं कम होगी।

दूसरी आशंका यह है कि ईंधन के मूल्य में वृद्धि करने से अनेक चीजों में भारी वृद्धि हो जायेगी। जब हम इसका विरोध करते हैं हो सकता है कोई ऐसा कहे कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विगत में उन्होंने करों में वृद्धि की है। प्रति लीटर पैट्रोल पर एक रुपया लेना ही वृद्धि नहीं है बल्कि इसका अन्य चीजों के मूल्य पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से इससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। इस तरह की स्थिति में, जीवनयापन की लागत बढ़ जायेगी। मुद्रा-स्फीति और बढ़ जायेगी। कुछ लोगों ने कहा कि यह आठ प्रतिशत है। कुछ लोगों ने कहा यह दस प्रतिशत है। मेरे विचार से श्री यशवन्त सिन्हा भाग्यशाली होंगे यदि यह दस प्रतिशत रहे। किन्तु इससे निश्चित रूप से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। सभी प्रकार के निवेशों के बावजूद भी वर्ष 1996-97 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 3.8 प्रतिशत से घटकर 3.6 प्रतिशत हो गया। हमने और आबंटन किया है। क्षेत्रवार आबंटन में वृद्धि की गई है। हमने अत्यधिक दावे किए हैं। आंकड़े स्वयं बताते हैं। यह स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 3.81 प्रतिशत से घटकर 3.6 प्रतिशत तक गिर गया है। आपने सदन में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में इसको दर्शाया है।

जहां तक भारत सरकार द्वारा ली गई उधार का संबंध है। मैं इस सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। कोई भी उस प्रकार नहीं सोच सकता। किन्तु यह एक तथ्य है कि प्रतिभूतियों के माध्यम से सरकार की उधार बढ़कर 59.2 प्रतिशत अर्थात 707 बिलियन रुपये हो जाएगी; यह सरकार के ऋणों के साथ होने वाला है। अत: जब ऋण व अन्य बातों की चर्चा की जाती है तो कोई, कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहरा रहा था। किन्तु अन्तिम परिणाम क्या होंगे? निर्यात संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आपको ज्ञात है कि हमारी निर्यात वृद्धि मात्र 2.4 प्रतिशत रही।

मुझे मालूम है कि मेरे पास थोड़ा ही वक्त है। मैंने बजट पूर्व आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप में अनेक मामलों पर अभ्यावेदन दिया था। जब कच्चे माल का आयात किया जाता है, जब अर्धनिर्मित वस्तुओं का आयात किया जाता है, जब पूर्णनिर्मित वस्तुओं का आयात किया जाता है तो यह एक सामान्य प्रचलन है कि सरकार विभिन्न शुल्क दर लगाती है। इस देश में लघु उद्योग क्षेत्र में अनेक आयात प्रतिस्थापन उद्योग पनप रहे हैं। मैंने एक ऐसे उद्योग की आपकी जानकारी दी है। आपने उसके बारे में सुना और उस पर आयात शुल्क में कटौती की। आप 8 प्रतिशत शुल्क लगाकर एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से ले रहे हैं। आप शुल्क को 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर रहे हैं हो सकता है कि 8 प्रतिशत। जब आप और 8 प्रतिशत शुल्क लगा रहे हैं तो आपने उनके लिए जो स्वीकृत किया है उसे दूसरे हाथ से वापस ले रहे हैं।

मैं उस राज्य से आता हूं जहाँ कि उद्योग वास्तव में ना के बराबर अथवा न्यूनतम है। भारत में तांबे की आपूर्ति कम है और इनका आयात किया जाता है। मंत्री महोदय को इसके अंतिम उपयोग पर भी विचार करना होगा। माननीय मंत्री जी इस बजट को किसान का हितैषी बजट बताते हैं। तांबे का प्रयोग कीटनाशक तैयार करने में भी होता है। जिसे किसान प्रयोग करते हैं। अत:

मेरा आपसे अनुरोध है कि आयातित ताँबे के उपभोक्ता स्तर पर प्रयोग पर विचार किया जाए। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस पर आयात शुल्क नहीं लगेगा। कॉपर-सल्फेट बनाने के लिए ताँबे के छल्ले प्रयोग किये जाते हैं। अत: ताँबे को भी आयात शुल्क से मुक्त रखा जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने यह प्रस्ताव किया है कि वस्तुएं बनाने के लिए कृषि अवशेषों का प्रयोग किया जाता है। इसे भी शुल्क से मुक्त रखने का प्रस्ताव है। एक ऐसा कृषि अवशिष्ट नारियल जटा है। मैं केरल का रहने वाला हूं जहाँ लाखों मजदूर विशेषकर महिलायें नारियल जटा उद्योग में लगी हैं। नारियल जटा और रबड़ को मिलाकर हम तन्तु रस्सा (फाइबर रोप) बनाते हैं। किन्तु यह 8 प्रतिशत शुल्क का भार नहीं सह सकता। पी.यू.एफ. उच्च कर दर पर आयात किया जाता है। पी.यू.एफ. अब रबड़ में आ रहा है। केरल में देश का 99 प्रतिशत रबड़ का उत्पादन होता है। रबड़ और लेटेक्स असंख्य लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सहायक है। फाईबर पर हम कर नहीं सह सकते। बजट में लगाए गए 8 प्रतिशत शुल्क को अनेक अन्य आयातित कच्चे पदार्थ नहीं सह .सकते।

माननीय मंत्री महोदय को हमसे अनेक प्रश्नों पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए होंगे। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इन गलतियों को सुधारना चाहिए और यथासंभव इस बजट को सर्वमान्य बनाना चाहिए। यह निश्चित है कि हम यह नहीं चाहते कि यह सरकार कल चली जाए। इस देश को एक स्थायी सरकार चाहिए चाहे यह एक अल्पमत अथवा बहुमत की सरकार हो। अत: सरकार का प्रत्येक कदम इस देश की जनता को मान्य होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि इस बजट को देश के अधिकांश लोगों के लिए स्वीकार्य किस प्रकार बनाया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या** (तुमकर): सभापति महोदया, मैं गत 24 वर्षों से विपक्ष में हूं। इन सभी वर्षों में मैं बजट का विरोध करता रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने सदैव अच्छे कार्य की दिल से प्रशंसा की है। मैंने अन्याय का विरोध किया है तथा इसके विरुद्ध बोला है। आज मैं सत्ता पक्ष में हूँ और यह मेरे राजनैतिक जीवन का 25वां वर्ष है। मुझे बजट के स्वागत व समर्थन का अवसर मिला है।

वर्ष 1998-99 के बजट ने हमारे देश की योजनाओं और कार्यक्रमों को नई दिशा दी है।

बजट ने आम आदमी को आत्म संयम बरतने के योग्य बनाने का प्रयास किया है। इसने हमारे देशवासियों को प्रेरणा और उत्साह दिया है। बचत के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन किया गया है। इसने कठोर परिश्रम की महत्ता पर बल दिया है। इससे यह बात स्पष्ट है कि एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए लगन और बलिदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

गरीबी हमारे देश में व्याप्त है। अज्ञानता भी हमारे देश में विद्यमान है जिसे दूर किया जाना है। ज्ञान का विस्तार समय की आवश्यकता है। सरकार को अतितत्काल प्रशासन को चुस्त करना चाहिए। लोगों के लिए आबंटित धनराशि उन तक पहुंचनी चाहिए। इसमें किसी सरकार का रिसाव नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से, प्रशासन और अधिकारियों की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा मैं अपने दो माह के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। अधिकारीगण जैसे, पुलिस के सब-इंसपैक्टर, राजस्व इंसपैक्टर अथवा जिला अधिकारी और अन्य अधिकरियों को लोगों के साथ सहानुभूति तथा सहयोग करना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी दयनीय है। वहां, जो सड़के हैं और न ही स्कूल। ग्रामीण लोग तो दूरदर्शन और दूरभाष के बारे में सोच भी नहीं सकते। यह गरीब लोग ही देश के लिए योगदान करते हैं। वे अनेक वस्तुओं जैसे बीड़ी, सिगरेट, दवा आदि पर कर चुकाते हैं। हम इन निधियों का विकास से जुड़ी सभी गतिविधियों में प्रयोग करते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिली। हमारे में से कई लोग सांसद बन गये हैं। हमारे पास शक्ति है और साथ ही हमें सभी स्तरों पर इन साधारण लोगों की सहायता करना नहीं भुलाना चाहिए। देशभर में कई केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं। इनमें से कई विद्यालय विशेषकर मेरे राज्य कर्नाटक में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। रिक्त पदों पर अध्यापकों को नियुक्त नहीं किया गया है। इन विद्यालयों में प्रयोगशालाएं खेलने के लिए मैदान इत्यादि अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

माननीय मंत्री जी ने वर्ष 1998-99 के लिए एक सही संतुलित बजट पेश किया है। यह आम लोगों का बजट है। विपक्षी दलों को बिना वजह बजट की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इन दलों को चाहिए कि वे सरकार को रचनात्मक सुझाव दें। वास्तव में मेरा तो इनके लिए यह सुझाव है कि वे एक अशासकीय बजट बनायें और इसकी सरकारी बजट के साथ तुलना करें। इसके साथ-साथ इन सभी घटनाओं के बारे में लोगों को सूचित करना भी आवश्यक है ताकि ये लोग बजट की सही बातों की प्रशंसा कर सकें। इस वर्ष विपक्ष द्वारा ऐसा बजट तैयार नहीं किया गया है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे कम-से-कम अगले वर्ष एक अशासकीय बजट जरूर तैयार करें।

यूरिया की कीमत 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ाई गई है। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह यूरिया पर लगने

*मूलत: कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या]

वाले कर में वृद्धि न करें। वास्तव में मेरा तो यहां तक मानना है कि यूरिया पर कोई कर लगाना ही नहीं चाहिए। मैं भी एक किसान हूं। यूरिया के अधिक प्रयोग से कृषि भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैंने तो चार वर्ष पहले ही अपनी जमीन में यूरिया डालना बंद कर दिया। हम खाद को इकट्ठा करके रखते हैं तथा जरूरत के हिसाब से इसका फसलों में प्रयोग करते हैं। खाद का प्रयोग करने से हम बहुत ही अच्छी फसल पाते हैं। अधिकता में उर्वरकों के प्रयोग की बजाए खाद का प्रयोग करके हम मिट्टी की उर्वरता को भी बनाये रख सकते हैं।

ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि केवल अमीर व्यक्ति ही अपनी गाड़ियों के लिए पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। आम लोग और किसान भी मोटरसाईकिल, स्कूटर, टी.वी.एस. तथा अन्य मोपेडों जैसी गाड़ियों के लिए पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वृद्धि की गयी है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि न करें क्योंकि यह आम व्यक्तियों के लिए भी बहुत आवश्यक है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में सरकार ने खोपरे की कीमत निर्धारित की है। लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित यह कीमत बिल्कुल भी लाभकर नहीं है। खेती की कीमत में कई बार वृद्धि हुई है। मैंने इसकी गणना की है। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे खोपरे की कीमत 5500 रुपये प्रति क्विंटल तथा नारियलों की कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करें। ये कीमतें लाभकर होंगी तथा किसानों को थोड़ा फायदा हो सकता है। पके हुए नारियलों को नौ महीनों से भी अधिक गोदामों में रखा जाना होता है। तभी नारियल अच्छा खोपरा बन सकता है। यह थका देने वाला काम है। उन्हें अपने कड़े परिश्रम के बदले में कुछ मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे।

कृषकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह कि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। कभी-कभी मोटरों की तारें जल जाती हैं। किसानों को बिजली भी नियमित रूप से प्रदान नहीं की जाती है। कम वोल्टेज से भी कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बजट में किसानों के लिए धन आवंटित करते समय माननीय मंत्री जी को इनकी सभी समस्याओं पर गौर करना चाहिए।

सांसदों को निर्वाचित क्षेत्र के विकास हेतु दी जाने वाली धनराशि को 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं 10वीं लोक सभा का सदस्य था। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए दी गयी धनराशि का पूरा-पूरा प्रयोग किया है। वास्तव में सभी सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदान की गयी धनराशि का प्रयोग किया है। बंगलौर और तुमकुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 एक लेन की सड़क है। इस मार्ग पर प्रतिदिन बहुत-सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस अति महत्वपूर्ण तथा अधिक यातायात वाले मार्ग को दो लेन का बनाने के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करें। इसी प्रकार बंगलौर और तुमकुर के बीच जाने वाले रेलवे लाईन को दोहरा बनाने के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाये। मैंने भारत सरकार को कई अभ्यावेदन भेजे हैं जिसमें इस रेलवे लाईन को दोहरा बनाने की प्रार्थना की गयी है। मुझे माननीय मंत्री जी पर विश्वास है कि वे अब बिना देर किये इस महत्वपूर्ण मार्ग को दोहरा बनाने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

एक माननीय सदस्य: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: हाँ मैं इसे सभा पटल पर रख रहा हूँ। मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपकी समस्या से भली-भांति अवगत हूं।

सोमावारापेत में पांच तथा सकालेशपुरा में चार सहायक नदियाँ जाकर मिलती हैं। ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और इसे कुमारधारा कहा जाता है। 60 टी एम सी जल यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। यह पश्चिम की ओर बहती है। इसका बहाव पूर्व की ओर किये जाने की आवश्यकता है। यह कार्य वर्तमान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के आने से बिना किसी कठिनाई से किया जा सकता है।

केन्द्र को बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान कराने के कुछ करना चाहिए। स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री देवराज अर्स ने नई योजना शुरू की थी। इस योजना की तरह मेडिकल स्नातकों को 4,000 रुपये प्रति माह वजीफे के रूप में दिये जा सकते हैं। एक इंजीनियरिंग स्नातक को 3,5000 रुपये प्रति माह, स्नातकों को 2,500 रुपये स्नातक की पढ़ाई कर रहे लोगों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिये जा सकते हैं। इन सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। तब ये अपनी शिक्षा तथा अनुभव के अनुसार रोजगार की तलाश में जा सकते हैं। महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

*सरकारी कर्मचारियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाये। स्पष्ट मानक बनाये जायें, अंगीकृत

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

किये जायें और प्रकाशित किये जायें तथा अदायगी के समय ठीक ढंग से प्रदर्शित किये जायें। इन मानकों में स्टाफ की ओर से शिष्टता और सहायता करना शामिल होना चाहिए तथा सांविधानिक अधिभारों के अनुरूप परिशुद्धता तथा तुरंत कार्यवाही करने के लिए समर्पण होना चाहिए। ऐसी स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि जैसे-जैसे सेवा अधिक दक्ष बनें मानकों में उत्तरोत्तर सुधार आयेगा।

जहाँ भी प्रतिस्पर्धा मुल्य प्रदान करने वालों के बीच चयन होगा वह गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होगा। सार्वजनिक क्षेत्र को जहां भी व्यवहार्य हो चुनाव करने की सुविधा देनी चाहिए, सेवाओं द्वारा प्रभावित लोगों से सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए। लोगों से उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही सेवाओं के बारे में उनके विचार नियमित और व्यवस्थित रूप से जानने चाहिए जिससे उन निर्णयों के बारे में सूचना दी जा सके कि कौन सी सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

नागरिक को करदाता के रूप में यह अपेक्षा करने का अधिकार है कि सार्वजनिक सेवाओं को ऐसे कर बिल के अन्तर्गत जो देश वहन करने में सक्षम है, धनराशि का मूल्य देना चाहिए।

वर्तमान में व्यक्तियों और संगठनों दोनों में से किसी द्वारा की गई गलतियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने की प्रणाली बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आम धारणा यह बन गई है कि न तो जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है और न ही समुचित दंड दिया जाता है। कदाचित यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि नागरिकों द्वारा दायर की गई शिकायतों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जाता है। अत: नागरिकों को यह अपेक्षा करने का अधिकार है कि न केवल उनकी शिकायतों पर कार्यवाही हो और गलतियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाए अपितु उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनकी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है। यही तरीका है जिससे सरकारी तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता आ सकती है।

सेवाएं ग्राहकों की सुविधा के अनुकूल चलाई जानी चाहिए न कि स्टाफ के लिए। इसका अर्थ यह है कि सुविधानुसार कार्यालय समय और टेलीफोन पूछताछ केन्द्र होने चाहिए जो फोन करने वालों को उसके बारे में तुरंत बता सकें जिसकी वे उम्मीद करते हैं।

जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनके बारे में पूरी और सही सूचना सरल भाषा में तुरंत उपलब्ध होनी चाहिए। लक्ष्यों को प्राप्त किये गये परिणामों के बारे में ऊपरी और पक्की सूचना सहित प्रकाशित किया जाना चाहिए।

जहां भी सम्भव हो सूचना तुलनात्मक रूप में होनी चाहिए ताकि उन्हीं की तरह परिणाम प्राप्त करने की ललक पैदा करने का दबाव पड़ सके।

सार्वजनिक सेवाएं कैसे चलाई जा रही हैं, कौन से नियम और प्रक्रियाओं का इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पालन किया जा रहा है, उनकी क्या लागत है, कौन प्रभारी है। क्या वे मानकों के अनुरूप हैं या नहीं, इन सबके बारे में कोई गोपनीयता नहीं बरती जानी चाहिए। लोक सेवकों के बारे में सभी को मालूम होना चाहिए केवल जिनकी जान को वास्तविक खतरा है उनको छोड़कर बाकी सभी जो जनता से सीधे सम्पर्क कर रहे हैं, उन्हें अपने नाम का बिल्ला लगाना चाहिए और अपना नाम टेलीफोन और पत्रों में देना चाहिए।

जनता को न केवल संगत सूचना उपलब्ध करा कर अपितु ऐसी सूचना भी विशेषकर नियमों और प्रक्रियाओं तथा शिकायतों के निवारण के बारे में सरल तरीके से प्रदान की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं देंगी, इसलिए मैं खास करके मजदूरों के संबंध में कुछ बात कहूंगा।

सभापति महोदय: मीणा जी, एक मिनट रुकिए। जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच टेबल पर ले करना चाहते हैं वे अपनी स्पीच ले कर सकते हैं।

श्री भेरूलाल मीणा: सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी के भाषण में यह कहा गया है कि सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों की छंटनी कर दी जायेगी, उसका कारण यह बताया गया है कि सरकारी उपक्रम घाटे में जाते हैं और यह कहा गया कि उनको बंद कर दिया जायेगा और मजदूरों की छंटनी कर दी जायेगी। आपने इसके साथ ही थोड़ा लालच देने की बात कही है कि हम उनको थोड़ा पैसा देकर उनकी छंटनी कर देंगे और यह भी कहा कि मजदूरों के कारण ही घाटे के कारखानों को चलाना पड़ता है, आपने अपने भाषण में यह नहीं कहा लेकिन यह जरूर कहा था कि मजदूर ही कारखानों को घाटे में ले जाने के जिम्मेदार हैं। मैं स्वयं हिन्दुस्तान जिंक में काम करता था और आज भी हिंदुस्तान जिंक में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता हूं। हिन्दुस्तान जिंक में जितने भी मजदूर हैं वे यह जिम्मेदारी समझते हैं कि यह कारखाना हमारा है और हम इसको ठीक ढंग से चलायेंगे। उसी प्रकार से जो वहां का मैनेजमेंट है वह भी इस बात को समझता है कि मजदूरों की समस्या का समाधान किया जाए और इस कारखाने के उत्पादन को बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान जिंक में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जिससे कि कभी उनको घाटा हुआ हो। यह हमेशा लाभ कमाता रहा है।

सभापति महोदय: मीणा जी, यह डिस्कशन बजट पर हो रहा *है, पब्लिक सिस्टम पर नहीं* हो रहा है।

श्री भेरूलाल मीणा: *सभापति महोदय, मैं वही कह रहा हूं कि जब इन्होंने कहा है कि उपक्रमों को बंद करके मजदूरों की छंटनी कर दी जाएगी। जब सरकार यह चाहती है कि मजदूरों को* ज्यादा रोजगार मिले, बेरोजगारी कम हो।

सभापति महोदय, जो मजदूर पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनको भी निकाल रहे हैं, तो फिर बेरोजगारी कैसे दूर होगी। सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले मजदूरों और अधिकारियों, दोनों में समन्वय होना चाहिए। यह बात यदि दोनों तरफ से हो तो सरकारी उपक्रम में घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि मजदूरों के ऊपर दोषारोपण करके उपक्रमों को आप बंद करेंगे, तो यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं खासतौर से राजस्थान के पिछड़े इलाके से आता हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, वहां जमीन है ही नहीं, जहां छोटी-छोटी जमीनें हैं वहां पानी नहीं है, उन पहाड़ों का पानी छोटे-छोटे तालाब बनाकर या बांध बनाकर उनमें इकट्ठा किया जाए ताकि सिंचाई के काम आ सके, तो जवाब आया कि भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि एक तरफ गरीब लोगों को, आदिवासी, वनवासी और पिछड़े लोगों को कोई सुविधा देने की बात कही जाती है, तो उसका सीधा-सीधा उत्तर आ जाता है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और जब हम राज्य सरकार से पूछते हैं, तो वह कहती है कि भारत सरकार पैसा देगी, तो हम काम करेंगे। मेरा निवेदन है कि हमारे दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ हैं, पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है और उत्तर दक्षिणी राजस्थान में थोड़ा सा मैदानी भाग है। वहां कोई बड़े उद्योग भी नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान को अधिक से अधिक धनराशि दी जो ताकि उन गरीब लोगों को लाभ मिल सके क्योंकि वहां न तो कारखाने हैं और न वहां कोई और सुविधा है। इसलिए मैं इस मौके पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पहाड़ी इलाका है वहां वनों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगायी जाती है। एक क्षेत्र में जब बाड़ लगायी जाती है, तो उसे पांच साल तक लगाकर पुन: हटा दिया जाता है और आम जनता को उसे उसके यूज के लिए खोल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पांच साल में जो थोड़ा बहुत वन लगा होता है वह फिर खराब कर दिया जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जब एक बार बाड़ लगाकर किसी वन क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए, तो फिर उसे आम जनता के लिए खोला न जाए। उसमें जो घास-फूस हो, उसे जनता को लेने देना चाहिए। इससे स्थाीय जनता को लाभ होगा और वन की रक्षा भी हो सकेगी।

सभापति महोदय (प्रो. रीता वर्मा): माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट में कन्क्लूड कीजिए।

श्री भेरूलाल मीणा: *सभापति महोदया, यदि आप मुझसे बैठने को कह रही हैं, तो मैं बैठ ही जाता हूं।*

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: *सभापति महोदया, माननीय मीणा* जी, राजस्थान के पिछड़े इलाके से आते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच समाप्त नहीं की है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया उन्हें अपनी स्पीच समाप्त करने का मौका दें।

सभापति महोदय: मैंने तो माननीय सदस्य को एक मिनट में कन्क्लूड करने के लिए कहा था। मैंने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा था। यदि वे अब भी चाहें तो अपनी बात समाप्त कर सकते हैं।

श्री भेरूलाल मीणा: सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन यह है कि बी.जे.पी. की सरकार कहती है कि हम अच्छा काम करेंगे। मैं खुद सांसद हूं। हम अपने सांसद कोटे का पैसा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मीणा जी, कृपया एक मिनट में समाप्त करें। आप यह समझें कि आपको पांच मिनट और मिल गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री भेरूलाल मीणा: ठीक है, सभापति महोदया, मैं बैठ जाता हूं।

[अनुवाद]

***श्री बी.एम. मेनसिंकाई** (धारवाड़ दक्षिण):* सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे आम बजट 1998-99 पर बोलने की अनुमति दी है। उपहार-कर को समाप्त करने के लिए, मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। कई अन्य ऐसे कार्य हैं। जिन्हें किया जाना चाहिए।

पिछले वर्ष सरकार ने स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण स्कीम शुरू की थी और लगभग 40,000 करोड़ रुपये की आय प्रकट हुई थी। सरकार को कर के रूप में 10,000 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे।

वांछू समिति ने आयकर पर अपनी रिपोर्ट वर्ष 1984 में दी थी। मैं भी यह चाहता हूं कि आय कर अधिनियम की 44कख व 44कच धाराएं हटाई जानी चाहिए क्योंकि इससे तीन लाख से अधिक स्वनियोजित एडवोकेट प्रभावित होते हैं। 44कख व 44कच को हटाया जाना चाहिए या कर-एडवोकेट जिन्हें 5 से 10 वर्ष का अनुभव है उन्हें प्रैक्टिस और लेखापरीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हाल ही में कर्नाटक में कुछ किसानों ने आत्महत्या की है। वे उनके निवेश के अनुरूप उपज प्राप्त नहीं कर सके। समर्थन मूल्य और अन्य सहायता के अभाव में किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।

सरकार ने अभी हाल ही में समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल एक सौ रुपया बढ़ा दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस तरह का समर्थन मूल्य धान, ज्वार, गोबिना और राजी के लिए भी दिया जाए। पेट्रोल की कीमत एक रु. प्रति लीटर बढ़ गई है। लगभग 50 प्रतिशत पेट्रोल की खपत सरकारी वाहनों द्वारा होती है, इसलिए इस बारे में घबराने की कोई बात नहीं है।

हुबली में दक्षिणी रेल जोन स्थापित करने का प्रस्ताव था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस जोन को बंगलौर में स्थापित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस दक्षिणी जोन को हुबली में ही स्थापित किया जाए।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ हुबली में स्थापित की जाए। हुबली बंगलौर से अत्यधिक दूर है और आम आदमी को बंगलौर आने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए उत्तरी क्षेत्र में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ बहुत आवश्यक है। इसके लिए हुबली सर्वोत्तम जगह है। भ्रष्टाचार हमारे समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है। खासतौर पर उच्च पदों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मैंने सांसद के चुनाव के लिए परचे भरते समय चुनाव अधिकारी को अपनी परिसम्पत्ति ओर देयताएं घोषित की। मैं चाहता हूं कि दूसरे भी ऐसा ही करेंगे और सरकार को भ्रष्टाचार रोकने में सहायता करेंगे। कुछ लोग बिना कुछ कहे काम करते हैं। दूसरे कहते हैं और काम करते हैं। तीसरी श्रेणी के लोग कहते हैं लेकिन वे कभी काम नहीं करते हैं। मुझे कन्नड़ की यह कहावत तब याद आती है जब मैं ईमानदारी और तत्परता के बारे में बात करता हूं।

जैसा कि मेरे विद्वान साथी ने कहा है कि विपक्ष एक गैर-सरकारी बजट बनाए और इसकी सरकार के बजट के साथ तुलना करे। उन्हें सरकार की अनावश्यक आलोचना नहीं करनी चाहिए।

ऊपर थुंगा परियोजना कर्नाटक के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग है। इससे प्रथम चरण में ही 2.35 लाख एकड़ भूमि क लिए पानी मिल सकता है। यह परियोजना शनी बेन्नूर, हवेरी, हेरे केरूर तथा हनागल को कवर करती है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस वर्ष 1998-99 के दौरान इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करें और मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों का सपना साकार करें।

सभापति महोदया, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगी कि बाकी जो माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, वे अपनी बातें पांच मिनट में समाप्त करें, वरना सुबह हो जायेगी।

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर (डमडम): महोदया, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरा विचार है कि यह बजट आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर है। मैं इस बजट को भारतीय स्वतंत्रता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में स्वर्ण बजट मानता हूं, मैं मानता हूं कि यह बजट व्यावहारिक रूप से विदेशों के आदेश से मुक्त है, मैं मानता हूं कि यह बजट किसानों का हितैषी है और मानता हूं कि यह बजट लगों के हित में है। यह बजट देश को कृषि और उद्योग में उच्च तथा वहनीय वृद्धि के युग में ले जायेगा।

हमारे वित्त मंत्री के सामने दो चुनौतियाँ थीं। पहली चुनौती अर्थव्यवस्था को गति देना था, जो उद्योग, कृषि और निर्यात की वृद्धि की धीमी गति से गुजर रही थी। दूसरी चुनौती कई अमीर देशों द्वारा घोषित आर्थिक प्रतिबन्धों का सामना करना था। मैं हमारे वित्त मंत्री के इन चुनौतियों का सामना करने और व्यावहारिक रूप से चुनौतियों का निराकरण करने के लिए उनके ठोस कदम के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने केन्द्रीय योजना परिव्यय में 2400 करोड़ रुपये की वृद्धि की है, जो 30 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कृषि क्षेत्र परिव्यय में भी 58 प्रतिशत वृद्धि की है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जो इस बजट को किसान विरोधी मानते हैं कि कृषि क्षेत्र में यह 58 प्रतिशत वृद्धि, अभी तक की सबसे अधिक वृद्धि है। उन्होंने अवसंरचना संबंधी परिव्यय में भी 35 प्रतिशत वृद्धि भी है। यह बजट लघु उद्योग क्षेत्र हेतु भी एक योजना प्रदान करता है। मेरा विचार है कि सार्वजनिक निवेश में यह सभी वृद्धियां ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करेगी। यह ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास में मदद करेगा।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री का बेघरों के लिए 20 लाख मकान निर्मित करने का प्रस्ताव है। इन 20 लाख घरों में से 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और सात लाख शहरी क्षेत्रों में होंगे। वे लोग, जो इस बजट को निर्धन-विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यह महसूस करना चाहिये कि गत एक दशक से किसी अन्य सरकार द्वारा ऐसी कोई भी परियोजना नहीं ली गयी है।

[श्री तपन सिकदर]

अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष बाण्ड योजना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रोत्साहित करेगी और मेरा विचार है कि यह हमारे कृषि क्षेत्र की मदद करेगा। 90 दिन के भीतर विदेशी निवेश प्रस्तावों का तीव्र निपटान भी, प्रमुख क्षेत्र में लम्बे समय से लम्बित पड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह को बढ़ायेगा।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हालांकि विदेशी अखबारी कागज का आयात कर-मुक्त है, बजट ने रद्दी कागज के आयात पर कर लगा दिया है, जो कागज उद्योग के लिए कच्चा माल माना जाता है। मेरा अनुरोध है कि कागज उद्योग की मदद करने के लिए रद्दी कागज पर से कर हटाया जाए।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक (जोरहाट): चूँकि आपने मेरा समय सीमित कर दिया है, मैं केवल मुद्दों का उल्लेख करूंगा।

जहां तक उद्योग का संबंध है, स्वदेशी मंत्र का अर्थ संरक्षणवाद है। हमें यह दिमाग में रखना चाहिये कि आयात शुल्क के अधिकतम स्तर में कमी गत चार वर्षों की देन रही है। शुल्क 40 प्रतिशत तक कम हुआ था, जिससे ओवरसीज की कड़ी प्रतियोगिता भारतीय उद्योग को सामना करना पड़ा। तब से उद्योगपति सरकार पर वैश्वीकरण के साथ समायोजित करने के लिए स्वयं को योग्य बनाने के लिए शुल्क बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हालांकि इस आठ प्रतिशत वृद्धि का वास्तविक भार पूर्व कर कीमत के 12 प्रतिशत के करीब है, क्योंकि यह विद्यमान मूलभूत और विशेष सीमा शुल्क से अधिक ही लगाया गया है। इस प्रकार कुछ मदों के शुल्कों का अधिकतम स्तर 57 प्रतिशत तक बढ़ेगा। गत चार वर्षों में शुल्कों में कमी की प्रवृत्ति के विपरीत इसमें वर्ष के दौरान रुपये का 15 प्रतिशत अवमूल्यन जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार भारतीय उद्योगों के लिए संरक्षण का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। नि:सन्देह, यह तर्क दिया जा सकता है कि आयात शुल्क में इस वृद्धि की, विश्व व्यापार संगठन नियमों के अंतर्गत अनुमति है। किन्तु हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि ऊंची घरेलू दीवारें भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाती।

1.00 बजे

वे केवल घरेलू उद्योगपतियों को भरपूर अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि उच्च लागत मुद्रास्फीति को बढ़ाती है।

इसके अलावा संरक्षणवाद और उच्च शुल्क सदैव निर्यातकों की कीमत पर आयातकों को लाभ पहुंचाता है। वास्तव में अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर जोर दिया जाना चाहिए।

हालांकि यह बहुत अजीब-सी बात है कि पोखरन-दो परीक्षण के अस्पष्ट से उल्लेख के अलावा बजट में इसके बारे में और कुछ भी नहीं है। क्या इसका कारण यह है कि वित्त मंत्री कुछ महत्वपूर्ण बात छिपाना चाहते हैं? चूंकि वित्त मंत्री ने हमारे हाल ही में हुये परमाणु परीक्षण के कारण आर्थिक प्रभावों के बारे में बहुत कम चिन्ता दर्शायी है। नि:सन्देह, वे गम्भीरता से विश्वास नहीं कर सकते कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा लगाये गये प्रतिबंध और कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्रों के द्वारा किये गये अनुसरण का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निवल प्रभाव बहुत अधिक होगा, नि:सन्देह कम से कम वह इतना कम भी नहीं होगा, जिसे तुच्छ समझा जा सके। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यहां तक कि निर्यातों का अस्थायी रूप से रुकना भी हमारे विदेशी व्यापार के ढांचे को हिला सकता है।

माननीय वित्त मंत्री इन आधारों पर प्रतिबन्धों का डर कम करना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अभी अपने प्रतिबन्धों की गहराई और व्यापकता को परिभाषित करना है। इसका अर्थ है कि वह आर्थिक प्रतिबन्धों की आशा करते हैं जबकि उसकी गहराई और व्यापकता से अनभिज्ञ हैं। केवल उन्हें इसकी गहराई और व्यापकता की जानकारी नहीं है। इसलिए मैं यह नहीं जानता कि इसे कैसे लिया जाना चाहिए। क्या मुझे बेखबर करदाताओं को उस शिकार की तरह लेना चाहिए जिसकी ताक में एक चालाक शिकारी बैठा है, क्योंकि इस बात को मानने का कारण है कि एक कटु यथार्थवादी अनुपूरक बजट हो सकता है। मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं पूर्वोत्तर विकास का संदर्भ देना चाहूंगा, जो सभी बजटों में पिछले कुछ वर्षों से विषय रहा है। सभी बजटों में इसका उल्लेख किया गया है। तत्कालीन वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 1995 में पूर्वोत्तर विकास वित्तीय संस्थान को निर्गमित किया था। इस क्षेत्र की मूल समस्याओं में से एक अवसंरचना का अभाव है। इसीलिए पहले घोषित पंचवर्षीय योजना का कोई महत्वपूर्ण ढंग से फायदा उठाने वाले नहीं थे। केवल बड़ी परियोजनाओं पर ही जोर नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य आरम्भ में मध्यम और लघु परियोजनाओं का संवर्द्धन होना चाहिए। इससे शीघ्र परिणाम प्राप्त होंगे। निर्माण करने वाली इकाइयों के साथ अधिक व्यापारिक गतिविधियों के लिए अवसंरचना की अत्यधिक आवश्यकता है। हमें पड़ोसी देशों के साथ व्यापार मार्ग खोलने की संभावनाओं का पता लगाना है। एक प्रकार से वह अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। बाहर से चीजें पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आयात होंगी और वहां से निर्यात की जायेंगी।

1997 के आरम्भ में गंगा जल संधि से बंगलादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार से इस संबंध में भारी संभावनाओं की

आशा थी। दुर्भाग्य से, इसका गम्भीरता से पालन नहीं किया जा रहा है। विशेष तौर पर, मैं एक उदाहरण देता हूं। इसी प्रकार म्यामांर और भारत के बीच प्रस्तावित सड़क मार्ग से असम और म्यामांर तथा असम और बंगलादेश के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। नदी परिवहन, विशेषकर ब्रह्मपुत्र नदी में परिवहन की अपरिमित संभावना है क्योंकि इससे वस्तुओं को कलकत्ता लाने-ले जाने में 30 से 40 प्रतिशत की परिवहन लागत कम हो जाएगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, नये उद्यमियों को उत्साहित व प्रशिक्षित करना होगा। सर्वोपरि बात तो यह है कि हमें पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता है। सबसे उत्तम तरीका तो यह है कि एन.ई.एफ.डी.आई. की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए। इसके साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों को उद्यम संबंधी इन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। किन्तु हमें असम सरकार की भांति प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए अर्थात उसने पूर्वोत्तर में बैंकिंग कार्य के लिए एक ट्रेवल एजेन्सी थामस कुक को एन.ई.एफ.डी.आई. के समान बैंकिंग कार्य करने का लाईसेंस प्रदान किया। यह ट्रेवल एजेन्सी टाटा के द्वारा निकाले गए एक निदेशक के परिवार की है।

समापन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जबकि रुपया न्यूनतम दर पर है और जबकि स्टाक बाजार में मंदी का दौर है मुझे संदेह है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय अपनी द्वितीय रक्षा पंक्ति-एन.आर.आई. की धनराशि पर निर्भर रह पाएंगे। एन.आर.आई. से आशा की जाती है कि देश में महत्वपूर्ण ढंग से निवेश करेंगे। हमारा अतीत का अनुभव यह कहता है कि अनिवासी भारतीय भारत में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। किसी भी उतार चढ़ाव के कारण वह पीछे हट जाते हैं। लाभ और अधिक लाभ की लालसा उनके निर्णय पर हावी रहती है। सरकार को विश्वसनीयता का ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे विदेशियों तथा देश के पूंजीपतियों को यहाँ निवेश करने का प्रोत्साहन मिल सके जिससे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार और स्थायित्व ला सके।

कुछ बातों के बार में माननीय वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि बजट में कृषि क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन दिया गया है। मैं यह इसलिए मान रहा हूं क्योंकि जब हम बजट पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा व बुरी दोनों चीजें होती हैं। माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य किया है परन्तु फिर भी कुछ बातों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि पानी कृषि के लिए अत्यन्त अनिवार्य है। किन्तु उन्होंने सिंचाई के लिए पर्याप्त धन का आवंटन नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने केवल 300 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इस राशि को और बढ़ायेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि विषय अधिकांशत: राज्य सूची में आता है परन्तु राज्यों को हस्तान्तरित कुल ऐसे धनों को मात्र 89200 करोड़ से बढ़ाकर 90300 करोड़ ही किया गया है। इस प्रकार यह वृद्धि केवल 1000 करोड़ रुपये की है। इससे सामाजिक विकास के कार्यक्रम सिंचाई विकास तथा कृषि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विपरीत असर पड़ेगा। इस प्रकार के बड़े विकास कार्यक्रमों के लिए 300 करोड़ रुपया प्रति कार्यक्रम वृद्धि की गयी है। जब हम सरकार में थे तो हमने जवाहर रोजगार योजना या ग्रामीण रोजगार योजना को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाए थे। परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने इसमें मात्र 100 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। यह राशि नगण्य है। मुझे आशा है कि वे इस राशि को और बढ़ायेंगे ताकि इस कार्यक्रम को कांग्रेस सरकार से भी ज्यादा प्रभावी बनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और वित्त मंत्री जी को विशेषकर कृषि क्षेत्र के लिए पुन: धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): सभापति जी, बड़ी प्रतीक्षा के बाद आपने समय दिया, आपका आभारी हूं।

वैसे तो बजट पर लम्बी चर्चा हो चुकी है, बहुत से साथियों ने अपने बहुत से बिन्दुओं को रख दिया है, मैं उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है और विभिन्न विभागों के लिए जो मदें रखी हैं, उन पर जब हम नजर डालते हैं, वैसे आपके जरिये भी जो चर्चा हुई, उसको भी सुनने का मौका मिला। कृषि विभाग की बड़ी तारीफ की गई कि वित्त मंत्री जी ने हिन्दुस्तान में कृषि क्षेत्र में सबसे पहले इतनी अधिक धनराशि देकर उसको और सुदृढ़ किया है। हम समझते हैं कि जितनी कृषि विभाग को छूट दी गई है, कर्जे के मद में और दूसरी मदों में, उससे ज्यादा किसानों से लिया भी गया है, चाहे यूरिया का रेट बढ़ा दिया गया हो, चाहे ट्रैक्टर का दाम बढ़ाया गया हो और चाहे कीटनाशक दवाओं पर टैक्स लगाया गया हो। जितनी छूट नहीं दी गयी है, उनसे कहीं ज्यादा उनसे वसूलने का प्रयास भी किया गया है तो इसमें बराबर है कि एक कूड़े का बालू दूसरे कूड़े में डालकर वह काम करना और उसके पीछे तारीफ कराना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती। वैसे तो कृषि क्षेत्र हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी जो इरीगेशन की योजनाएं हैं, उनको पूरी तरह से सुदृढ़ किया जाना चाहिए और कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं कि कृषि उत्पादन की जो कीमत होती है, उसमें और औद्योगिक उत्पादन के बीच में बड़ा फर्क होता है। अगर कृषकों को फायदा पहुंचाने की सरकार की नीति है तो कृषि उत्पादन के मूल्यों और औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों में समानुपातिक मूल्यांकन होना चाहिए। जब कृषि उत्पादन के मूल्य और औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों में

[श्री मित्रसेन यादव]

समानुपातिक वृद्धि होगी, तभी किसान औद्योगिक उत्पादनों को खरीद सकेगा। इसलिए आज जो कृषि उत्पादन में हमें जरूरत है तो सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है, सबसे ज्यादा हमें उसके दाम की जरूरत है। कभी-कभी देखने को मिलता है, जैसी आप चर्चा कर रही थीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम लोग ट्रेनों में चलते हैं तो 100 ग्राम के आलू के चिप्स का दाम हम लोगों को 12 रुपया लिया जाता है। एक प्लास्टिक के डिब्बे में उसको अंकल चिप्स बोलते हैं। 100 ग्राम आलू के चिप्स का दाम 12 रुपया वे लोग वसूल लेते हैं। जो नई टैक्नोलोजी के साथ इस चीज को बनाते हैं। जो किसान पैदा करता है, वह एक किलो आलू का दाम भी 12 रुपये नहीं पाता है, इतना बड़ा अन्तर है। ऐसे ही हमारे दूसरे भी प्रोडक्ट हैं, हम यू.पी. निवास में ठहरे हैं, मैंने उनसे किसी दिन सवेरे नाश्ते में कोर्न फ्लेक मांगा कि हमको कोर्न फ्लेक दे दीजिए तो मालूम हुआ कि 250 ग्राम कोर्न फ्लेक 18 रुपये का है। किसान 18 रुपये चार किलो मक्की का दाम भी नहीं पाता है तो किसान की लूट किस प्रकार की है, इसे हमारे वित्त मंत्री जी को देखना चाहिए।

सरकार में बैठने वाले लोग जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, किसान की लूट के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। किसान की लूट और प्राकृतिक आपदाएं जितनी उसको झेलनी पड़ती हैं, वे शायद ही किसी और वर्ग को झेलनी पड़ती होंगी। जितनी उसको बाढ़, सूखा और तमाम दिक्कतों से निपटना पड़ता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बरसात का पानी बड़ी तेजी से आता है और बह जाता है। हम सूखे के शिकार भी होते हैं और हमारा पानी का स्टेटा भी नीचे चला जाता है। आज पीने के पानी की भी दिक्कत है, लकिन बरसात के पानी की उपयोगिता को हम रोकते नहीं। कहीं भी हम पानी को रोककर वाटर लेविल को ऊपर उठाने और इरीगेशन के सोर्स को बढ़ाने का काम नहीं करते। शायद हमारे बजट में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि किसान की दिक्कतों को हल करने का जो हमारे पास सोर्स है, उन पर भी आपको विचार करना चाहिए, इसलिए किसान के बारे में जो कहा गया है कि बड़ी रियायतें सरकार कर रही है, हम इससे सहमत नहीं हैं, बल्कि किसान के सामने और भी बड़ी दिक्कतें हैं, जिनमें इस सरकार को रियायतें करने की और उनकी योजनाओं को, सिंचाई की योजनाओं को, पानी को रोकने की योजनाओं को, पानी के स्टेटा को उठाने की योजनाओं को और दैवी आपदा से बचने की योजनाएं सरकार को बनानी चाहिए।

दूसरी बात है कि जो आपने ग्रामीण विकास की बात कही है, चाहे जे.आर.वाई. हो, चाहे एस.आर.वाई. हो, चाहे दूसरी योजनाएं हों, जो केन्द्र पोषित योजनाएं हैं और चाहे वह इन्दिरा आवास योजना हो। इन्दिरा आवास योजना में अपनी पिछली निवर्तमान सरकार ने उसमें रुपया बढ़ाकर 20 हजार किया। इसके पहले 12 हजार रुपया था। अब इस 20 हजार में तीन हजार रुपये का उसके साथ लैट्रीन बाथरूम जोड़ दिया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका दुरुपयोग होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो केन्द्र पोषित योजनाएं हैं, उनमें से जो परसेंटेज लगा देते हैं कि 20 परसेण्ट भूमि सुधार पर लागू होगा, भूमि संरक्षण पर होगा, वृक्षारोपण पर होगा, नाली पर होगा, नापदान पर होगा। यह जो परसेण्टेज आप लगा देते हैं, इस परसेण्टेज की कहीं-कहीं, किसी-किसी प्रदेश में और किसी-किसी जिले में जरूरत नहीं है, लेकिन इस परसेण्टेज के लिहाज से पैसे की कटौती होकर उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट में जो आप ग्रामीण विकास की योजनाओं में वित्त पोषित योजनाएं आप देते हैं, उन योजनाओं में आप इन चीजों को सोचकर डी.आर.डी.ए. की मीटिंग, जो ग्रामीण विकास अभिकरण की जिले की मीटिंग होती है, उनको छोड़ दीजिए कि वे उसका प्रयोग कैसे करेंगे।

दूसरी बात, मुझे आपसे करनी है कि ग्रामीण विकास अभिकरण की जो बैठकें होती हैं, आपके जिलाधिकारी उसके पूरे-पूरे मालिक होते हैं। हमारे सुझाव के मुताबिक, प्रस्ताव के मुताबिक कोई जरूरी नहीं, उसको मानें। जैसा चाहते हैं, वैसा बजट को एलोकेट कर देते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर इस लोकतंत्र में आप स्वतंत्र संस्थाओं को अधिकार देना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन यादव: जहां तक इसका सवाल है कि हमारे जो उत्पादन के स्रोत हैं, उन उत्पादन के स्रोतों को अगर आप प्राइवेट हाथों में रखेंगे तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी के पैसे या उसकी कमाई व्यक्तिगत हाथों में जायेगी, जिससे राष्ट्र का विकास नहीं होगा।

सभापति महोदय: अब आप एक मिनट में खत्म करें।

श्री मित्रसेन यादव: इस बजट में ग्रामीण विकास की, स्वास्थ्य सेवाओं की, सिंचाई की, कृषि की, बेरोजगारी की जो तमाम योजनाएं हैं, उनमें एक प्रश्न मैं और आपसे चाहूंगा कि ये सर्विसेज में आपने जो दो साल बढ़ा दिये हैं, 58 साल से 60 साल रिटायरमेंट की ऐज कर दी है, इसमें एक साजिश है। अगर कर्मचारियों को 58 साल में रिटायर कर दिया जाये तो हजारों लाखों लोगों को सेवा करने का मौका मिल जाता है, इसलिए आपको चाहिए कि उसको वापस ले लें। जैसे यूरिया के दाम को वापस लिया है, वैसे इन सेवाओं में जो बढ़ोत्तरी कर दी है, उसको भी वापस ले लें, जिससे बेरोजगारी को खत्म करने में मदद मिल सके। उससे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जो सूची है, उसमें भी उनको मौका मिले।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कृषि के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में बजट को लागू करने के लिए काम करें।

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): माननीय सभापति जी, मैं वर्ष 1998-99 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्राथमिकता तथा उद्देश्य की दृष्टि से यह बजट पूर्व सरकारों से भिन्न है। मैं इस बजट का समर्थन इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि इस बजट से देश को नई दिशा देने की कोशिश की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केन्द्र बिन्दु मानकर यह बजट बनाया गया है।

मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने यह बजट जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया है। यह एक साहसिक बजट है। इस बजट के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी ने मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को लाइन पर लाने का प्रयास किया है। फिस्कल डैफीसिट को 5-6 परसेंट तक लाने तथा ग्रोथ रेट को 6.5 परसेंट तक ले जाने के प्रयास इसका जीता जागता उदाहरण हैं। यह विकासोन्मुखी बजट है। यही कारण है कि इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास,. रोजगार एवं कल्याण के क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया है।

आजादी के 50 साल बाद भी देश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। गांव में रहने वाले लोगों की आजीविका मुख्य साधन कृषि है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गांव और कृषि एक दूसरे के पर्याय हैं। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। पूर्व में बजट में भी इसकी उपेक्षा की गई थी। इस बात का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि आजादी के 50 साल बाद भी कृषि योग्य जमीन पर 37 प्रतिशत ही आश्वस्त सिंचाई के अंतर्गत हैं। भारत का किसान मौसम के साथ जुआ आज भी खेलने को मजबूर है।

जब तक कृषि और गांव का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास सम्भव नहीं है। इस बात को वित्त मंत्री ने समझा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था मानकर बजट बनाया, मैं उसके लिए इन्हें बधाई देता हूं। यह बजट स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इसका लाभ निर्धनतम एवम् निर्बलतम व्यक्ति को मिले।

कृषि विकास दर में गिरावट दूर करने के लिए व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज की धुरी बताते हुए सिंचाई के लिए 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है। उसका मैं स्वागत करता हूं। नाबार्ड के द्वारा किसानों की होल्डिंग के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दिलाए जाने का भी मैं स्वागत करता हूं। उसके द्वारा किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां और नगदी प्राप्त कर सकेंगे। किसानों की चिरकालीन कठिन ऋण समस्या के समाधान के लिए आर.बी.आई. को बकाया कर्जों के पुराने मामलों क समस्या रहित निरस्तारण के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। किसानों को जो कर्ज दिया जाता है उसका ब्याज मूल से दोगुना नहीं वसूल करने के लिए आर.बी.आई. को जो कहा गया है, उसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। आजादी के पचास साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं बनी है आपने अपने बजट में राष्ट्रीय कृषि नीति का दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का वादा किया है, मैं उसका भी स्वागत करत हूं। ग्रामीण विकास पर 8182 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गय है, जबकि पिछले वर्ष के बजट के संशोधित अनुमान से 123 करोड़ रुपये ज्यादा है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर भी आवंट 268 करोड़ से बढ़ाकर 374 करोड़ रुपये कर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक मिलें उसके लिए बजट में पिछली बार की तुलना में 1556 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी क गई है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। बजट में शिक्षा की म में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा पर घरेलू सकल उत्पाद का छ प्रतिशत खर्च करने का अपना संकल्प भी दोहराया है, मैं उसक स्वागत करता हूं। 1997-98 में शिक्षा का संशोधित बजट 4715.8! करोड़ रुपये था, इस बार 1998-99 में यह बजट 7076.82 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लड़कियों को स्नातक तक की शिक्षा मुफ देने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गय है।

युवावर्ग तथा खेल कूद विभाग का 1997-98 का संशोधित बजट 158.39 करोड़ रुपये था, उसकी अपेक्षा इस बार 214.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण में लगाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की गई है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

बजट में आवासीय समस्या को पूरा करने पर अधिक बल दिया गया है। इस बात का मैं स्वागत करता हूं। इस साल में 20 लाख आवासीय मकान जिनमें 13 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और सात लाख शहरी क्षेत्र में बनाए जायेंगे। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है। इसका भी मैं स्वागत करता हूं।

[डा. रमेश चन्द तोमर]

बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैंने बजट के हर पहलू का स्वागत किया है, लेकिन मैं कुछेक बातें उनसे कहना चाहूंगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर की छूट सीमा को आपने चालीस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये किया है। इसी तरह से आपने मानक कटौती की सीमा जो पहले बीस हजार रुपये थी उसको बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये की है, चिकित्सा व्यय को कर मुक्त प्रतिपूर्ति की उच्चतम सीमा दर दस हजार से बढ़ाकर पन्द्रह हजार रुपये की है तथा करों को सरल बनाने के लिए तीन नई योजनाएं सरल, समाधान और सम्मान शुरू करने का प्रस्ताव किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

लघु उद्योगों के लिए भी बजट में बहुत सी रियायतों की घोषणा की है। लघु उद्योगों को ऋण के लिए बड़ी मारामारी करनी पड़ती थी, लेकिन वित्त मंत्री जी ने उसे सरल बनाने के लिए अधिकतर ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए संबद्ध बैंक के शाखा प्रबंधकों को अधिकार दिए हैं। इससे उद्योगों में ऋण का प्रवाह तेजी से बढ़ेगा। इंस्पैक्टर राज हटाने के लिए उत्पाद शुल्क प्रशासन, प्रशासन तंत्र में परिवर्तन की भी उद्योग जगत ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

अंत में मैं वित्त मंत्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। आपने यूरिया के दाम में पचास पैसे प्रति किलो की जो वृद्धि की है, आप उसे वापस लेने की कृपा करें। इस देश का किसान आपको धन्यवाद देगा। इसी तरह से आपने आयकर में छः मानकों का लिया है, उसमें टेलीफोन को भी शामिल किया है। मेरा सुझाव है कि टेलीफोन को उससे अलग रखने का कष्ट करें।

पांचवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ते की तीन स्लैब का प्रावधान किया है। इसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 100 रुपये महीना, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 400 रुपये और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 800 रुपये महीना देने का प्रावधान है। एक कर्मचारी चाहे वह चतुर्थ श्रेणी का हो या प्रथम श्रेणी का, जब बस से यात्रा करता है तो बराबर का टिकट लेता है। छः रुपये आने के और छः रुपये जाने के उसे रोज देने पड़ते हैं। एक महीने में उसे 360 रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस स्लैब को तीन श्रेणी से हटाकर केवल दो श्रेणी तक ही सीमित रखें और इसे 400 रुपये और 800 रुपये कर दें।

अंत में मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इतना अच्छा बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, आप उसे सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

श्री चन्द्रशेखर साहू: हमारी पार्टी अन्त्योदय पर विश्वास करती है, मेरा नाम अंतिम है, उस पर भी विचार करें।

सभापति महोदय: करेंगे।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई-उत्तर मध्य): अर्थ मंत्री ने जो इस साल का बजट सदन में पेश किया है, उससे देश में कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा। गरीबों की गरीबी हटाने के लिए इस बजट का उपयोग होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार नौकरशाहों में हैं कि वह बढ़ता ही जा रहा है। उसको कम करने के लिए हमें पहल करनी होगी। बजट से लोगों की प्रतिक्रिया है कि अमेरिका से, जापान से हम अभी भी बहुत पीछे हैं। इसके लिए वित्त मंत्री को लोगों की आय बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा भी करते हैं। आप लोग जब इधर थे तब आप भी बोलते थे, अब उधर आ गए हैं तो आपको भी इसमें दिक्कत आ रही है।

हम कोई रोने वाले नहीं हैं, आप जाने वाले हैं।
हम आने वाले हैं, आप रोने वाले हैं।

मैं भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि भाषण करूंगा तो आधा घंटा चला जाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत देश की आबादी पर कंट्रोल करने की है। हम डेढ़ करोड़ होने जा रहे हैं। इसको नियंत्रण में करने के लिए सरकार को कोई कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि एक परिवार-एक बच्चा। अभी तो यही होता है कि एक परिवार-तीन बच्चे। इस कारण हम एक सौ करोड़ तक पहुंच रहे हैं। इसलिए सरकार को एक परिवार-एक बच्चा का नारा देना चाहिए। आबादी कम करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है। इसके लिए समाज में परिवर्तन करने की भी जरूरत है। सामाजिक परिवर्तन करने के संबंध में भी विचार होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए केन्द्र सरकार, योजना आयोग की गाइडलाइंस होनी चाहिए।

सभापति महोदय: आप बजट में परिवर्तन का सुझाव दें और देकर खत्म करें, क्योंकि आपको सिर्फ दो मिनट मिले हैं और वह भी पूरे हो गए हैं।

श्री रामदास आठवले: खत्म तो करूंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा।

देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की पोपुलेशन 23 प्रतिशत है, इसलिए बजट में 23 प्रतिशत का एलोकेशन होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन द्वारा इस तरह की गाइडलाइन्स दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री जी को इस बारे में विचार करना चाहिए।

महोदय, इसके अलावा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स की स्कालरशिप्स को महंगाई के मुताबित होना चाहिए। यह भी हमारी मांग है। इसके अलावा जो बेरोजगार लोग हैं, उसको तीन साल के अन्दर नौकरी मिलनी चाहिए। अगर हम उनको तीन साल के अन्दर नौकरी देने में कामयाब नहीं होते हैं, तो उनको 1500 रुपये का बेरोजगरी भत्ता देना चाहिए।

एक बात मैं मुम्बई शहर के बारे में कहना चाहता हूं। मुम्बई अपने देश की इकोनोमिक कैपिटल है, इसलिए इस शहर के विकास के लिए भारत सरकार को अपने बजट में ज्यादा से ज्यादा पैसे देने चाहिए। मुम्बई में धारावी योजना के विकास के लिए 100 करोड़ दिया गया था, वह अभी तक पूरी नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि धारावी के विकास के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा बजट में प्रावधान करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी डायनेमिक मिनिस्टर हैं, मुझे आशा थी कि उनका बजट डायनेमिक बजट होगा, लेकिन बजट उतना डायनेमिक नहीं है, जितना डायनेमिक होना चाहिए। आप वहां हैं, जहां आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। किसानों के बारे में भी उधर से बोलने वाले नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द): सभापति महोदय, इस सदन में जिस बजट पर चर्चा हो रही है, साधारणतया यह मानकर चल रहे हैं कि इस देश के आर्थिक, सामाजिक सोच का यह सालाना प्रतिबिम्ब है। मैं पं. दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों को याद कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने इस देश के सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के लिए कहा था कि अर्थ का प्रभाव और अर्थ का अभाव, दोनों इस देश के लिए खतरनाक हैं अर्थात् पैसा अधिक होना तथा कम होना दोनों ही खतरनाक है। उन्होंने एक और बात भी कही थी कि उत्पादन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए न कि मशीनों द्वारा। इसको इस बजट में साबित करने का प्रयास हुआ है। मैं इस पवित्र सदन में और इस महान सदन में, 1964 में दिए गए डा. लोहिया के उस भाषण को याद करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था–27 करोड़ आदमी यहां तीन आने रोज में जिन्दगी बिताते हैं, साढ़े सोलह करोड़ आदमी 1 रु. रोज में जिन्दगी बिताते हैं और 50 लाख आदमी 35 रुपये में रोज अपनी जिन्दगी बिताते हैं। डा. राम मनोहर लोहिया जी ने आगे कहा था–अर्थ के हिसाब से और जाति के हिसाब से यह बजट आज तैयार नहीं हो रहा है। क्या समाजवाद है, क्या पूंजीवाद है, क्या एकाधिपत्यवाद है और उसके बारे में बड़ी रंगीन-रंगीन बातें करना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। उन्होंने आगे कहा था, 50 लाख लोग मेरे हिसाब से करीब 50 अरब रुपए हजम कर जाते हैं। क्या यह बजट उन लोगों के लिए बनाया गया है, जिनकी ओर इंगित किया गया है, माननीय चिदम्बरम जी के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट एसोसिएशन के इशारे पर नहीं बनाया गया है। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए है, उन करोड़ों सर्वाहार लोगों के लिए है, जिनके मुंह में वाणी नहीं है। ऐसे लोग जो रोज काम करते हैं, रोज मेहनत करते हैं और उनको जिन्दगी में एक जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए यह बजट है।

मैं आपका ध्यान यू.एन. विश्व निवेश की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसी सदन में आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट दिया है कि भारत में विश्व निवेश अमरीका के 1750 मिलियन डालर का है। 1995-96 की समीक्षा में इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ ऐसी कोई बात नहीं कही है, यह कतई स्पष्ट नहीं है मैं आपका ध्यान माननीय सांसद द्वारा प्रकाशित "इंडिया सम-फैक्ट्स" की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें पर-कैपिट इनकम को भी दर्शाया गया है। पर-कैपिटा इनकम दो महीने में कैसे घट जाये, कैसे कम हो जाए, न कभी ऐसा संभव हुआ है और न कभी ऐसा संभव होगा। यह बजट वास्तव में जिस प्रकार का है, वह इन बातों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा-पत्र है, उसमें जो स्पष्ट है कि हम आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं। हम ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसकी धुरी राष्ट्रवाद पर खड़ी हो। जिसमें सबसे अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए अर्थतन्त्र आए। अर्थतन्त्र न केवल पटरी पर आए, बल्कि गरीब से गरीब आदमी भी अपने आपको मुख्य धारा में शामिल माने। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है कि भारत तब तक शक्तिशाली, समर्थ और स्वाभिमानी नहीं होगा, जब तक हमारी ग्रामीण व्यवस्था और किसानों की स्थिति में गुणात्मक विकास नहीं हो जाता। इसलिए इस बजट को आप सैन्सैक्ट का बजट नहीं कह सकते हैं। कहा जाता है, सैन्सैक्ट नीचे गिर रहा है और पूंजी बाजार के लिए आपने कुछ नहीं किया। कैपिटल मार्केट की आपको कोई चिन्ता नहीं है। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं, जो पूंजी बाजार से संबंधित हैं। यदि आप देखें, देश में सौ करोड़ आबादी होने जा रही है। हम 20वीं सदी के आखरी पायदान पर हैं और 21वीं सदी के दहलीज पर खड़े हैं। इस बजट में भय, भूख और भ्रष्टाचार से लड़ने की बात है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, चाहे कोई आलोचना कर रहा हो, चाहे कोई प्रशंसा कर रहा हो, वे बड़ी ही शान्त और निर्लिप्त प्रभाव से सब की बात सुन रहे हैं। चैरेवेति-चैरेवेति के सिद्धान्त पर चल रहे हैं, मुझे विश्वास है, यदि सदन ने गम्भीरता से वास्तविक स्थिति को लिया, तो भारत अपने पुरुषार्थ पर खड़ा होगा। इसका उल्लेख आपने अपने भाषण में भी किया है।

अंत में, राबर्ट फास्ट ने जो पंक्तियां कही थी, वह मैं कह रहा हूं :

सघन है, गहन है, विजन है सुहाना
कहीं रुक न जायें, कहीं सो न जायें
हमें उसके पहले बहुत दूर है जाना, बहुत दूर है जाना।

श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला (हिसार): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा है और उनको ऊपर उठाने की बात कही है। यह एक सराहनीय कदम है।

पिछले पचास सालों के इतिहास में बजट तो हर साल सदन में प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनसे देश में गरीबी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है, हर चीज की दिक्कत आई है। मगर वित्त मंत्री जी ने इस बजट में विशेष ध्यान रखा है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूं। मैं उनका ध्यान कृषि की तरफ भी दौड़ाना चाहूंगा, क्योंकि 76 फीसदी इस देश के लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। पिछले दिनों जो आत्महत्याएं हुई वह आर्थिक तंगी की वजह से हुई, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कृषि में जो खर्चा होता है-चाहे वह बीज है, खाद है या और कुछ है उस पर भी सब्सिडी देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिससे किसानों को आर्थिक तंगी न आए, आत्महत्याएं न हों। इस देश के अंदर कुछ जमीन ऐसी है जो वाटर लोगिंग की वजह से खराब हो गई है। हरियाणा में तो लाखों एकड़ जमीन खराब हुई है। उसको सुधारने के लिए प्रदेश के पास कोई बजट नहीं है। मैं चाहूंगा कि केन्द्र की तरफ से बजट में प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि वह जमीन ठीक हो सके और किसान उसको फिर से कृषि के लिए योग्य बना सके। उद्योगों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी ने जो बजट में रुपया रखा है वह अच्छा रखा है, मगर कृषि उद्योग की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। छोटे-छोटे उद्योग, जो कृषि पर निर्भर हों, उनकी तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के लिए, खास कर लड़कियों के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान रख कर एक अच्छा कदम उठाया है, जिससे कि हमारी लड़कियां शिक्षित होकर समाज में बराबरी पा सकें, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं हरियाणा प्रदेश के एसवाईएल नहर की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने इस नहर को बनाने के लिए 1986 में संघर्ष किया था और हरियाणा प्रदेश में 1987 में चुनाव हुए, 85 सीटें जिता कर उनको मुख्य मंत्री बनाने का काम किया था। इस बात से अंदाजा लगा लें कि एसवाईएल नहर हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत महत्व रखती है, खास कर किसान के लिए प्यासी जमीन के लिए, पीने के पानी के लिए महत्व रखती है। जब चौधरी देवी लाल जी देश के उप प्रधान मंत्री जी थे तब पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर जी से इसको बीआरओ के अंदर इस काम को कराने का कार्य किया था और उस समय यह बीआरओ के सुपुर्द सौंप दिया गया था। मगर सात साल से इसके ऊपर एक पैसा भी बजट में नहीं रखा गया।

मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एसवाईल नहर को पूरा करने के लिए बजट में इसका पैसा रखा जाए, जिससे कि हरियाणा प्रदेश की प्यासी धरती को पानी मिल सके और गांव-गांव में पीने का पानी मिल सके। कृषि के ऊपर खाद की बात है, यूरिया का खाद 50 रुपये बढ़ाने का काम किया है, मैं अनुरोध करूंगा कि यह रुपये वापस लिए जाएं, जिससे कि किसान पर जो बोझ पड़ा है वह कम हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के.एच. मुनियप्पा** (कोलार): सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1998-99 के लिए एक संतुलित बजट लाने का प्रयास किया है। इस बजट में उन्होंने देश के गरीब किसानों को भी सहायता देने का प्रयास किया है। मेरे विचार से देश के गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिए यह पर्याप्त प्रयास नहीं है।

हमारे देश में 75 प्रतिशत से अधिक लोग किसान हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वाभाविक तौर पर कृषि के लिए इस बजट का 75 प्रतिशत आबंटित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है कि गरीबतम व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाना। अगर यह नहीं किया गया तो लोकतंत्र का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। देश के कमजोर वर्गों के उत्थान के माध्यम से ही रामराज्य की स्थापना की जा सकती है।

कृषकों की तीन श्रेणियाँ हैं, ऐसे किसान जो अपनी खेती को नदियों के जल, नहरों तथा अन्य संसाधनों से सिंचाई करते हैं-वे प्रथम श्रेणी में हैं। दूसरी श्रेणी के कृषक वे हैं जो कृषि के लिए तथा ट्यूबवैलों के पानी का उपभोग करते हैं क्योंकि उनके लिए सिंचाई के दूसरे साधन उपलब्ध नहीं हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में किसान भूमिगत पानी के लिए 400 से 500 फीट तक गहरे कुएं खोदते हैं। तीसरी प्रकार के किसान वे हैं जो पूर्णतया वर्षा पर निर्भर रहते हैं। कृषि लागत भी इन किसानों की अलग-अलग होती है क्योंकि उनके खेती करने के तरीके श्रेणी दर श्रेणी अलग-अलग हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश जब सरकार उन्हें सहायता देने लगती है तो सभी किसानों को एक समान मान लेती है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार को इस समस्या पर विचार करना चाहिए तथा इसका कोई समुचित हल ढूंढना चाहिए।

देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर कर्नाटक में पेयजल की समस्या है। वहाँ पर केवल पेयजल की ही नहीं वरन् सिंचाई के

*मूलत: कन्नड़ में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लिए भी पानी की भारी मांग है। इस समस्या का समाधान केवल यह है कि देश की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ा जाए। गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार से महानदी को कावेरी से जोड़ा जा सकता है। सभी नदियों को जोड़ने में 10 से 20 वर्ष तो लग सकते हैं। इन परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यदि हम अपने देश में रामराज्य की स्थापना करने के लिए उत्सुक हैं तो उपरोक्त नदियों को जोड़ना ही एकमात्र और स्थायी समाधान है।

मैं पहले भी इस बारे में कई बार मांग कर चुका हूं जब हमारी कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। इसलिए मैं वर्तमान वित्त मंत्री से निरन्तर निवेदन करता आ रहा हूं कि वे इन नदियों के जोड़ने संबंधी कार्य को तुरंत शुरू करें।

कर्नाटक में 8 जिले ऐसे हैं जो अक्सर सूखे की चपेट में आते रहते हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कोलार भी इन जिलों में से एक है। कोलार में पानी की भारी कमी है तथा पूरे जिले में खेती करना बहुत ही कठिन हो गया है।

केन्द्र निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च करता है। देश में (1) कुएं खोदना, (2) पनधारा कार्यक्रम शुरू करना, (3) बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटना।

प्रतिवर्ष बहुत धनराशि खर्च करने की बजाए यही समय है कि सरकार को चाहिए कि वह इन सभी समस्याओं का एक स्थायी समाधान तलाश करे। हमने अपने जिले के लिए एक आदर्श (माडल) योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार 500 गज गहराई पर उपलब्ध भूमिगल जल ऊपर आ जायेगा और यह 100 अथवा 150 गज की गहराई पर उपलब्ध हो जायेगा। इसके अतिरिक्त एक किलोमीटर दूर पानी को रिचार्ज किया जा सकता है और तब यह सतह पर आ जायेगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस महत्वपूर्ण सुझाव पर गंभीरता से विचार करेंगे।

बहुत से सार्वजनिक उपक्रम भारी घाटे में चल रहे हैं जबकि निजी क्षेत्र की इकाईयों को फायदा हो रहा है। कर्नाटक में बी.ई.एम.एल., एच.एम.टी., एच.ए.एल. आई.टी.आई, बी.जी.एम.एल. तथा बहुत से अन्य सार्वजनिक उपक्रम हैं। इन उपक्रमों में होने वाले घाटे को हर हालत में रोका जाना चाहिए।

भारत गोल्ड माईन्स भी भारी घाटे में चल रहा है। इसका प्रमुख कारण कुप्रशासन है। इस उपक्रम को सोने के विपणन में 600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यदि वे खुले बाजार में जाते तो इस भारी घाटे को टाला जा सकता था। एक समय था जब बी.जी.एम.एल. में 30,000 कर्मचारी काम करते थे। अब इसमें केवल 4-5 हजार कर्मचारी ही हैं। करीब तीन लाख लोग इन कर्मचारियों पर निर्भर थे। इस समय इन लोगों की दशा वास्तव में दयनीय है। बी.जी.एम.एल. खानों का अभी भी पुनरोद्धार किया जा सकता है। इन खानों में सोना उपलब्ध है। समय की मांग है 'इच्छा-शक्ति'। सरकार और बी.जी.एम.एल. के प्रशासन को चाहिए कि वे इन ऐतिहासिक सोने की खानों का पुनरुद्धार करें। यदि खनन के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाई जायें तो अगले 100 वर्षों तक इन खानों से सोना प्राप्त किया जा सकता है।

शिक्षा की भी यही दशा है। हमारी शिक्षा प्रणाली में एकरूपता बिलकुल भी नहीं है। कुछ विद्यार्थी तो कान्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं जबकि कुछ अन्य नवोदय विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे (90% से ऊपर) को मजबूरन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इन बच्चों के परीक्षाओं में बहुत ही कम अंक आते हैं। इन्हें इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिला नहीं मिल पाता है। कुल मिलाकर इनके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। इस असमानता को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।

महोदया, देश की जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 25 प्रतिशत लोग हैं। लेकिन आपने इन असहाय लोगों के लिए बजट में कितनी धनराशि आबंटित की है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए आपने बजट धनराशि लगभग 2-3% बढ़ाई है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वे वर्ष 1998-99 के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के लिए बजट धनराशि को कम से कम दस प्रतिशत तक बढ़ायें।

महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री विक्रम देव केशरी (कालाहांडी): महोदया, अपना प्रथम बजट भाषण शुरू करते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में बजट पेश किया है। 1998-99 के दौरान कुल खर्चे की अनुमानित राशि 2,68,107 करोड़ रुपये है। इसमें से 72,002 करोड़ रुपये की धनराशि केन्द्रीय, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए बजटीय सहायता के लिए है तथा बाकी 1,96,105 करोड़ रुपये गैर-योजना खर्च के लिए है।

जैसाकि आप जानते ही हो, यह बजट ग्रामीण क्षेत्र विकास को दिशा देने वाला है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान 50 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है। जहां

[श्री विक्रम देव केशरी]

तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है यह 34 प्रतिशत है। कल्याण क्षेत्र के लिए 91 प्रतिशत की और वृद्धि की गयी है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए यह 60 प्रतिशत है। अंतरिक्ष विभाग के लिए यह 62 प्रतिशत है। वन तथा पर्यावरण क्षेत्र के लिए यह 60 प्रतिशत है। जहां तक खाद्य राजसहायता की बात है, इसे बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त रक्षा संबंधी खर्चे में भी बढ़ोत्तरी की गई है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि यह बजट सभी क्षेत्रों में भारत की स्थिति सुधारने वाला प्रगतिशील बजट है।

ऐसा देखा गया है कि पिछली सरकारें बिगड़ती अर्थव्यवस्था वाली स्थिति छोड़ गये थे। इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमारे वित्त मंत्री ने एक दिशा देने वाला बजट दिया है जो हमें 21वीं शताब्दी में ले जायेगा। इसलिए, मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए सख्त कदम उठाये।

मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र पर अधिक जोर दिया है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने कालाहांडी, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जैसे स्थानों की सेवा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है।

कालाहांडी देश के सबसे अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। कोरापुट, फूलबनी और बोलंगीर उड़ीसा के पिछड़े हुए जिलों में से है। रोजगार की कमी की वजह से लोग वहाँ से प्रवास कर रहे हैं। लोग भूखों मर रहे हैं। पूर्व सरकार ने हमें यही सब कुछ दिया है। ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, जहाँ लोगों ने पैसे के लालच में बच्चों को बेचा है। भूख से मरने के उदाहरण मौजूद हैं। कालाहांडी-जिला, जिसने बंगाल के अकाल के दौरान 1942-43 में 50,000 टन चावल की आपूर्ति की थी, आज पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अक्सर पड़ने वाले अकाल के कारण किसान अत्यधिक गरीब हो गए हैं। वहाँ जो परियोजनायें शुरू हो रही थी, जैसे अपर इंदिरा परियोजना और अन्य परियोजनाएं अधर में लटक कर रह गई हैं। मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि जब पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने कालाहांडी का दौरा किया था, तब उन्होंने कालाहांडी, कोरापुट और बोलंगीर के लिए एक शानदार कार्यक्रम की घोषणा की थी। उन्होंने एक लंबी अवधि की कार्य योजना की घोषणा की, जिसकी संभावित लागत 4700 करोड़ रुपये थी ताकि उस क्षेत्र की गरीबी को दूर किया जा सके। परन्तु इस पर विचार नहीं किया गया। यह मात्र दिखावा ही था। परन्तु आज, मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों के लिए आबंटन निश्चित किया है, जो ऐसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से परिवर्तित करेगा। उदाहरण के लिए, उत्तरपूर्व की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गयी थी, परंतु उत्तर-पूर्व के विकास के लिए उन्होंने एक अलग प्रकोष्ठ बनाया है ताकि व्यवस्थित और समन्वित रूप से विकास हो सके जो गत समय में कभी नहीं हो सका।

मैं कुछ अन्य मुद्दों पर भी बोलना चाहता हूं। मैं कृषि पर जोर देना चाहूंगा। अब कांग्रेस दल का उड़ीसा में शासन है जो करोड़ों रुपये हड़प कर गई। उड़ीसा में कृषि विभाग में भारी घोटाला हुआ। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री को इसकी जानकारी है। मुझे आशा है कि वे इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करायेंगे। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कृषकों को दिए गए हाइब्रिड बीजों की खरीद में करोड़ों रुपये का विनियोजन हुआ था। यह विभाग मुख्य मंत्री के अंतर्गत है। इसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए और भ्रष्टाचार का पता लगाया जाना चाहिए। इस मामले पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था ताकि इस सभ में इस पर चर्चा की जा सके। मुझे आशा है कि इसे कल के लिए स्वीकृत किया गया है ताकि और अधिक विस्तार से इस पर चर्चा की जा सके ...*(व्यवधान)* शिक्षा के मामले में आप देखेंगे कि आवंटन को 3351 करोड रुपये से बढ़ाकर 4245 कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट लगता है कि सरकार की कार्यशैली की राष्ट्रीय कार्य-सूची में जिन वायदों की घोषणा की गई थी उस पर ध्यान दिया गया है। इसने निर्देश दिया है कि महिलाओं के लिए शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और पर्याप्त आवंटन किया जायेगा।

तत्पश्चात्, परमाणु-परीक्षणों ने हमारी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाया है। हमने आज विश्व के सामने अपनी शक्ति प्रमाणित कर दी है। आणविक ऊर्जा और अंतरिक्ष के लिए आवंटन क्रमश: 68 और 62 प्रतिशत कर दिया है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि भारत आगे बढ़कर विश्व को दिखाना चाहता है और विकसित देश, जो अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विकास और भविष्य से संबंधित अन्य बातों में आगे आये हैं, के स्तर तक पहुंचना चाहता है।

2.00 बजे

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि उड़ीसा निर्धनतम राज्यों में से एक है। देश में इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अत: माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि जो परियोजनाएं चल रही हैं, यथा सिंचाई तथा विभिन्न ऊर्जा-परियोजनाएं यथासंभव शीघ्र पूरी की जानी चाहिए।

अंत में, माननीय मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटन दुगुना कर दिया है। यह बात स्पष्ट है कि यह 190 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 404 करोड़ रुपये कर दिया गया

है और यह दर्शाता है कि सरकार देश में स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहती है।

सभापति महोदय: अब दो बज चुके हैं। अभी चार-पांच और सदस्यों को बोलना है। क्या मैं आपमें से प्रत्येक को केवल दो मिनट का समय लेने का अनुरोध कर सकती हूं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: हमें कल सुबह बोलने का मौका दे दिया जाये।

सभापति महोदय: सुबह कुछ नहीं होगा। जो कुछ बोलना है, अभी बोलिए। अभी जितने बोलने वाले लोग हाउस में बैठे हैं, मैं उन्हें दो-दो मिनट का समय दूँगी।

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी (भागलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भारत को ऐसा बजट दिया, जो कि अच्छा, संवेदनशील, स्वदेशी सिद्धांतों पर आधारित है। वह सभी ग्रामों में रहने वाले गरीब किसानों, मजदूरों और आयकर भुगतान करने वाले सभी नागरिकों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। बजट भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से बनाया गया है। बजट में भारत के नागरिकों की सभी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। सभी मदों में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक रुपया रखा गया है-चाहे वह रोड हो, पेयजल हो, सिंचाई हो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप चाहें तो इसे टेबल पर ले सकते हैं।

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी: चाहे छोटे-छोटे उद्योग हों, स्वरोजगार योजना हो, सभी को आगे बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया है। सुबह से दो हमारे मित्र बोले, मैं उनकी तरह आंकड़ों में अधिक नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें यहां रखना चाहूंगा।

हमारे वित्त मंत्री ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए काफी अधिक सिंचाई के क्षेत्र में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको दो मिनट समय मिला है। आपके दो मिनट खत्म हो गए। आप टेबल पर ले कर दीजिए। रात के दो बजे दो मिनट ही मिलेंगे।

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी: दो मिनट में कैसे होगा? मेरा भाषण लिखा हुआ नहीं है।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण ले कर दीजिए। वह सारा रिकार्ड में चला जाएगा।

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी: ठीक है। धन्यवाद।

सभापति महोदय: रघुनाथ चौधरी जी, आपको दो मिनट का समय मिला है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (नागौर): सभापति महोदय, दो मिनट में कुछ भी नहीं होता है। आपने किसानों की इतनी बातें कही हैं और मुझे भी वे कहनी पड़ेंगी।

सभापति महोदय: दो बजे के बाद दो मिनट ही मिलते हैं। आप अपना भाषण शुरू करें और ले कर दें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी: महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बात करके बजट के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं किसानों की बात कहना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद किसान हूं और किसानी करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यूरिया की जो कीमतें बढ़ाई हैं, हो सकता है आपने बहुत सोच समझ कर बढ़ाई हों। खाद यूज हों या न हों लेकिन यूरिया, फास्फेट और पोटाश खाद के अलग-अलग कार्य हैं। किस फसल के लिए कौन सी खाद की जरूरत है, यह अलग बात है। किसान बहुत समझदार है। जिस चीज से उसका उत्पादन बढ़ेगा, वह उसी को यूज करेगा। वह आयल सीड में पोटाश और फास्फेट खाद यूज कर सकता है। किस भूमि का टैस्ट कैसा है, उसमें कौन सी चीज की कमी है और किस की नहीं है, यह उस पर निर्भर करता है। अगर हमने यह कह दिया कि यूरिया बहुत यूज हो रही है और इससे जमीनें बहुत खराब हो रही हैं तो यह सही बात नहीं है। पंजाब में पानी ज्यादा आने से जमीनें खराब हो रही हैं। उसमें आपको जिप्सम चाहिए। जमीन खराब होने के अलग-अलग कारण हैं। आपने यूरिया के जो दाम बढ़ाए हैं वह उस समय बढ़ाए हैं जब किसानों की माली हालत बहुत खराब है। पिछली बार जब बरसात हुई और फसल में कीड़ा लगा, उसमें आपका कृषि विभाग कुछ नहीं कर सका। रुई में कीड़ा लगने से किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह दवाई की कीमत चुका नहीं पाए। इसका एक कारण यह था कि कृषि विभाग में जितने लोग लगे थे, वे इतना नहीं बता सके कि ये कौन से कीड़े हैं, कहां से आ गए हैं और ये कौन सी दवा से मरेंगे? इसके साथ दवाइयां इतनी खराब थी कि उनका असर नहीं हुआ। यही चीज कपास में हुई। इसके साथ ही मूंग में, दूसरी दालों और दूसरी फसलों पर भी इसका असर पड़ा। इससे किसानों की सारी फसलें खराब हो गई। आप किसानों के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आपका कृषि विभाग क्या कर रहा है, भूमि की जांच करता है या नहीं करता

[श्री रामरघुनाथ चौधरी]

है, ये सारी बातें इस परिप्रेक्ष्य में देखनी पड़ेंगी। जितनी स्कीम्स बनें, वे इसके साथ बनें। किसान को आप किसानी के लिए जो कुछ दे रहे हैं, उसके दाम नहीं बढ़ाएं। आप यूरिया की कीमत कम करें।

आपने क्रैडिट कार्ड की जो घोषणा की है, वह एक सराहनीय कदम है। अभी इसकी रूपरेखा नहीं बनी है कि उसको कितना पैसा मिल सकेगा? वह केवल खाद, बीज ही लेगा या उसके साथ उसको छोटे-छोटे औजार, बैलगाड़ी, ऊंट या छोटा-मोटा ट्रैक्टर खरीदने की क्षमता होगी या नहीं? मेरा निवेदन है कि कम से कम इसको एक-डेढ़ लाख की सीमा तक पहुंचाया जाए ताकि उसे जो छोटे-मोटे औजार खेत में किसानी के लिए चाहिए, वह भी उसे खरीद सके।

अगर यूरिया के लिए आपके वैज्ञानिक यह कहते हैं कि जमीन के लिए ठीक नहीं है तो आप लिक्विड यूरिया क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? इससे स्प्रे हो जाएगा और सीधे फसल को यूरिया मिलेगी। वह जमीन को टच ही न करेगा। इससे जमीन खराब ही नहीं होगी क्योंकि लेटेस्ट वैज्ञानिकों की यह राय है कि यूरिया यदि सीधे पत्तों को मिले तो फसल को लाभ मिल जाता है।

व्यापारी अपना सामान गोदाम या घर में ताला लगा कर रखता है। उसका ज्यादातर सामान घर में पड़ा रहता है। जब उसे अपना सामान गोदाम या घर से निकालना होता है तो वह ताला खोल कर उसे निकाल लेता है। अगर किसान अपने उत्पादन को बाजार में जाकर तुरन्त बेचता है तो उसे पूरे पैसे नहीं मिलते। अगर उसे गोदामों में रखता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि किसान अपना पैदा किया गया अनाज अपने घर में रखे और चाबी बैंक में जाकर दे दे। इससे उसे 70-80 परसैंट पैसा एडवांस मिल जाएगा और वह जब फसल बेचेगा उसका रिम्बर्समैंट हो जाएगा। इससे उसे फायदा होगा और उसे अपनी फसल अपने घर में रखने पर 80 परसैंट पैसा लेने की सुविधा हो जाएगी। इससे किसान मजबूत होगा। इस दृष्टिकोण से इसको देखा जाए और इसको लागू करने की कोशिश की जाए। ...*(व्यवधान)* मैंने कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कही है।

यहां फसल बीमा योजना के बारे में बहुत कुछ कहा गया। आपने कहा है कि कुछ प्रदेशों में इसको लागू किया जाएगा। यह बहुत जरूरी है। किसान की फसल तूफान, ओलावृष्टि और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के आने से खराब हो जाती है। इससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। अगर बीमे की गुंजाइश होती तो किसानों की यह हालत नहीं होती। इससे उसे कुछ पैसा मिल जाता और वह जमीन पर खड़े होने लायक हो जाता। फसल बीमा योजना को सभी प्रदेशों में लागू किया जाए और जहां किसान इसको करने को इच्छुक है, वहां फसल बीमा योजना शुरू की जाए।

सभापति महोदय: अब आप अपना भाषण ले कर दीजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी: मैंने इतना लिखा नहीं है। मैं क्या ले करूंगा? मैं थोड़ा-थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। आपने ऊर्जा, परिवहन, संचार की आधारभूत संरचना के लिए बहुत कुछ बातें कही हैं लेकिन राजस्थान में बिजली का यह हाल है कि किसानों को एक-डेढ़ घंटा बिजली नहीं मिल पा रही है। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे बिजली सभी स्टेट्स को बराबर मिल सके। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि अगर किसान को 24 घंटे में सिर्फ एक-डेढ़ घंटे बिजली मिलती हो तो किसान क्या करेगा। किसान के लिए तो कपास बोने का समय आ गया, कहीं मूंगफली की फसलें बोने का समय आ गया और बिजली एक घंटे मिलती है। वह अपनी फसल नहीं बो सकेगा चूंकि उसके पास बोने का समय ही नहीं है। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश हैं, उसमें बिजली की व्यवस्था ऐसी हो कि किसान को कम से कम छ: घंटे बिजली मिले। इस बारे में आपकी कोई घोषित योजना होनी चाहिए कि किसान को बिजली छ: घंटे मिलेगी तो वह छ: घंटे ही मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे आप पांच घंटे ही बिजली दें, बिजली की कमी है तो उसकी व्यवस्था आप उस हिसाब से कीजिए। लेकिन जो आपकी घोषित नीति है उतनी बिजली तो हर प्रदेश में किसान को मिलनी ही चाहिए।

इसके साथ ही मैं पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपके यहां से बहुत सी घोषणाएं हैं, पहाड़ी इलाकों के लिए एक अलग से स्कीम बनती है, पूर्वांचल में अलग स्कीम बनती है। सभापति महोदय, राजस्थान बहुत पिछड़ा इलाका ही नहीं बल्कि रेगिस्तानी इलाका भी है। वहां पीने के पानी की समस्याएं बिल्कुल अलग तरह की हैं। कहीं पर पानी तीन सौ, चार सौ या पांच सौ फीट तक पानी ही नहीं है। उसके बाद आपके वैज्ञानिक कहते हैं कि नीचे कोई ट्यूबवैल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, चूंकि नीचे पानी ही नहीं है। कई जगहों पर इतना खारा पानी है कि इंसान उसको पी नहीं सकता है बल्कि उसको मवेशी भी पिये तो मर जायेगा। कहीं पानी में इतना अधिक फ्लोराइड है कि वहां के लोग टेढ़े हो जाते हैं। राजस्थान और राजस्थान जैसे जो और इलाके हैं उनके लिए आप डी.आर.डी.ए. से देते हैं वह पैसा पूरा नहीं पड़ता है। इसलिए आपको अलग से एक स्कीम बनानी पड़ेगी, जिस तरह से आप पहाड़ी इलाकों

या पूर्वांचल में पानी की स्कीम बनाते हैं उस तरह से एक अलग से सर्वे कराकर, उसके लिए अलग पैसे का प्रावधान करके इन इलाकों में पानी पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे यहां एक सिंचाई योजना बनी थी, सिंचाई योजना का कई बार सर्वे हो चुका है, इसी प्रकार से एक लिफ्ट योजना बनी थी कि इंदिरा गांधी कैनाल से गंगा का पानी राजस्थान में लाया जायेगा और विशेषकर नागौर जिले में लाया जायेगा। मैं तो कहता हूं कि भले ही उससे सिंचाई कम हो लेकिन जैसे जोधपुर को लिफ्ट से पीने का पानी दिया है, इस तरह से राजस्थान के कुछ इलाकों को और विशेषकर नागौर जिले के पूरे इलाके को, जहां से मैं आता हूं वहां पीने का पानी मुहैया कराकर वहां की समस्या को हल करें। मैं कल नवलगढ़ और झुंझुनू इलाके में गया था, वहां के लोग पानी के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन वहां के मुकाबले नागौर जिले की हालत बहुत बदतर है, क्योंकि वहां तीन सौ, चार सौ फीट से पहले पानी नहीं आता है। हालांकि पानी के मामले में आपने विश्वास दिलाया है, लेकिन यह विश्वास इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि आप उसको जिलेवार बराबर-बराबर बांटने वाले हैं। जब तक पश्चिमी राजस्थान या जो रेगिस्तानी इलाका है या फ्लोराइड वाला इलाका है, उसके लिए अलग से स्कीम बनाकर अलग से पैसा नहीं देंगे तब तक इस समस्या का हल होने वाला नहीं है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आपने नेशनल हाइवे के लिए सदन में घोषणा की थी कि बीकानेर से जाने वाला हाइवे नागौर से अजमेर लाया जायेगा। लेकिन उसके बाद शांति कायम हो गई, मैंने उसको कहीं पढ़ा-लिखा नहीं और न ही वह बात फिर से मेरे सामने आई। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल हाइवे की जो घोषणा हुई थी कि बीकानेर से नागौर, जोधपुर तक है, नागौर से उसको अजमेर में लाया जायेगा, उसके लिए आपसे प्रार्थना है कि उस नेशनल हाइवे की आप स्वीकृति दें, ताकि यह कार्य शीघ्र हो सके।

*माननीय सभापति महोदय, आशा थी कि सरकार बजट बनाते समय ग्रामीण क्षेत्र व किसानों का ध्यान रखेगी। भारतवर्ष की 80 प्रतिशत जनता किसानी करती है एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इस बजट में इस समुदाय की पूरी उपेक्षा की गई है। न गांवों में सड़कें हैं, न पीने का पानी है और बिजली तो गांवों में नहीं के बराबर है। आशा तो यह थी कि छोटे किसानों को ट्रैक्टर कम कीमत पर मिलेगा, पर टायरों वगैरह पर टैक्स लगने से वह और महंगा हो जायेगा। काश्तकारों की पैदावार अच्छी कीमत पर बिके, इस बात की चिन्ता तो नहीं है और यूरिया जो किसान के लिए महत्वपूर्ण खाद है, उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कहने को तो 50 पैसे किलो दाम बढ़ाया गया है पर प्रति थैले पर 25 रुपये की लागत बढ़ गई है। एक काश्तकार पांच से 10 थैले कम से कम काम में लेता है। इससे किसान की फसल कितनी महंगी होगी। आपने कहने को तो कह दिया कि गेहूं की सरकारी खरीद की कीमतों में कुछ बढ़ोत्तरी कर देंगे, पर सरकारी खरीद इतनी कम है कि किसान को वास्तविक खर्चा भी नहीं मिलता। आपसे प्रार्थना है कि यूरिया में बढ़ी कीमतों को वापस लिया जाये।

आपने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है, पर अभी तक आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि आप किस प्रकार इसे लागू करेंगे, इसका क्या रूप रहेगा? आपने इतना जरूर बताने का प्रयास किया कि इसका आधार किसान की सम्पत्ति व उसकी भूमि होगी पर मेरा इस पर निवेदन है कि इसकी कम से कम सीमा दो लाख रुपये होनी चाहिए, ताकि अपने बीज, खाद व आवश्यक फसलों की दवाओं के साथ आवश्यक मशीनें खरीद सकें। बैल व बैलगाड़ी अथवा ऊंट व ऊंटगाड़ी का प्रबन्ध कर सकें। कुछ डेयरी के लिए मवेशी भी खरीद सकें।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि किसान से उसकी फसल को सरकार खरीदने का प्रबन्ध करे, पर अगर किसान फसल निकलते ही नहीं बेचना चाहता हो तो उसका अनाज सरकार अपने पास रखकर उसकी फसल की 75 प्रतिशत कीमत किसान को एडवांस करे तथा जब भी किसान उसे बेचना चाहे, तब बोचकर बाकी की धनराशि किसान को भुगतान करे। मैं इस अवसर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार व्यापारी अपने मकान पर सामान रखकर बैंक को गिरवी रखकर रुपया ले लेता है, ठीक उसी प्रकार किसान अपने गांव व अपने मकान में अनाज रखकर बैंक में गिरवी रख दे तो बैंक वालों को चाहिए कि अनाज की 75 प्रतिशत कीमत किसान को एडवांस कर दे। इससे किसान बिचौलियों से बच सकेगा एवं उसको सीधा पैसा मिल सकेगा।

किसान को बिजली नहीं के बराबर मिल रही है तथा जिस प्रकार बिजली की उपभोक्ता कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इससे किसान की कमर टूटती ही जायेगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि किसान को दी जाने वाली बिजली की कीमतें न बढ़ाई जायें एवं इस देश के हर प्रदेश के किसान को बराबर बिजली मिले, उसके समय का निर्धारण हो और उसका सख्ती से पालन किया जाये। अक्सर गांवों में देखा गया है कि सायंकाल जब घरों को बिजली चाहिए, पूरा ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में होता है। जब सब सो जाते हैं तब बिजली दी जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता।

जब बिजली नहीं होती तो पीने का पानी भी नहीं होता। राजस्थान गर्मी के मौसम में काफी गर्म होता है तथा पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है, पर मुसीबत है कि पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता। बजट में पीने के पानी की चिन्ता अवश्य की गई है पर समस्या का समाधान नजर नहीं आता। मैरे जिले

*भाषण का यह भाग सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री रामरघुनाथ चौधरी]

में पानी की बड़ी कमी है, जहां से मैं आता हूं। आधे जिले में पानी खारा है या फ्लोराइड मिक्स है अथवा 500, 600 फीट की गहराई तक भी पानी नहीं है। इन इलाकों का, जिसमें 700 गांवों से अधिक की जनसंख्या आती है, के लिए अलग से सर्वे कर स्कीम बनाने की आवश्यकता है। यह सारा इलाका रेगिस्तान का इलाका है। अत: जैसे पूर्वांचल व पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग से स्कीम बनती है, ठीक उसी प्रकार अलग से स्कीम बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान किया जाये। इसके लिए मेरा आपको सुझाव है कि इन्दिरा गांधी नहर से एक लिफ्ट योजना बनी थी। नागौर जिले में पानी लाया जाये, ताकि सदा के लिए पानी की कमी की पूर्ति की जा सके। आज आजादी के 50 वर्षों के बाद भी पीने के पानी के लिए तड़पता इन्सान और क्या आशा करेगा।

इसी प्रकार शिक्षा का हाल है। गांवों में स्कूल नहीं के बराबर हैं। बच्चे चाहते हुए भी पांचवीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाते हैं। लड़कियों के लिए अलग से पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को बेचना आरम्भ कर दिया है। मिडिल से हाई स्कूल क्रमोन्नत करने के लिए तीन लाख रुपये चाहिए, इसी प्रकार सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के लिए पांच लाख रुपये चाहिए, ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस शिक्षा को खरीदने में असमर्थ हैं। जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उन्होंने इस बोझ को ढो रखा है, वरना गांवों में शिक्षा होती ही नहीं या नहीं के बराबर होती। शिक्षा को इतने रूप दे रखे हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसका कुछ इस प्रकार स्वरूप बनाया जाये या आमूल-चूल परिवर्तन किया जाये ताकि शिक्षा का एक रूप हो। आज भी पूरे भारत में एक भाषा सब स्कूलों में नहीं हो पाई है। मेरा सुझाव है कि पूरे भारत के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में हिन्दी अनिवार्य कर दी जाये तथा प्रतिवर्ष एक-एक कक्षा बढ़ाई जाये तो कुछ वर्षों में हिन्दी अपने आप सब जगह अनिवार्य तौर से हो जायेगी।

मैं पंचायत राज के संबंध में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। भारत के संविधान में संशोधन कर पंचायती राज को तीन स्तरीय व्यवस्था में बांटा गया, पर खेद की बात है कि इन तीनों स्तरों का अपने आपमें कोई समन्वय नहीं रहा। पूर्व व्यवस्था में ग्राम पंचायत का सरपंच पंचायत समिति का सदस्य होता था, पंचायत समिति का प्रधान जिला परिषद का सदस्य होता था तथा सभी स्तर पर योजनाओं से जुड़े होते थे, पर अब ऐसी व्यवस्था नहीं होने से इन स्तरों पर कोई समन्वय नहीं रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच व जिला परिषद स्तर पर सरपंच व प्रधान की कोई भूमिका नहीं रह गई है। ग्राम सेवक व विकास अधिकारी ही सब कुछ रह गये हैं एवं एक प्रकार से सरकारीकरण रह गया है, जनप्रतिनिधियों की कोई भागीदारी नहीं रह गई है। राजस्थान प्रदेश की सरकार ने सारा कार्य बजाय जिला परिषद के जिला कलैक्टर को दे रखा है, जिला अभिकरण का अध्यक्ष प्रमुख को होना चाहिए पर कलैक्टर को बना रखा है। स्वीकृतियों में अधिकारीगण मनमानी करते हैं, इससे भ्रष्टाचार पनपता है। अगर इस ढांचे पर पुन: ध्यान देकर सुधार नहीं किया गया तो जिला परिषदों व पंचायत समितियों का कोई मतलब नहीं रह जायेगा। मेरा आपसे सुझाव है कि पंचायत राज के इन तीनों स्तरों को जोड़ा जाये एवं इनको पूरा अधिकार दिया जाये ताकि जनता से संबंधित विकास कार्य इन संस्थानों के द्वारा कराये जा सकें एवं जनप्रतिनिधि इन कार्यों से जुड़ सकें।

आपने कहीं टैक्स हटाये हैं, कहीं लगाये हैं। और तो और, हजामत बनाने के ब्लेड पर भी आपने टैक्स बढ़ाया है। रेडियो एक साधारण मनोरंजन का सस्ता साधन है, उसको भी आपने नहीं बख्शा है, जबकि कई अमीरों के काम आने वाले साधनों पर कर हटाया है या कम किया है।

राजस्थान मार्बल पत्थर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां के मकराना के पत्थर से बना ताजमहल आज भी पत्थर की खूबसूरत एवं कारीगरी की जीती जागती तस्वीर है। उस पत्थर पर आपने बड़ी मेहरबानी की है और यह की कि 30 प्रतिशत से ड्यूटी बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है। हम आशा तो यह करते थे कि आप इसे घटाकर 10 प्रतिशत करेंगे।

मैं आपका ध्यान उस लिफ्ट योजनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिनके बारे में पूर्व में कई बार इस सदन में वार्ता की गई परन्तु किया कुछ भी नहीं गया। मैं एक बार फिर आपका ध्यान राजस्थान के नागौर जिले को लाभान्वित करने वाली लिफ्ट योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। पूर्व में इंदिरा गांधी नहर से एक लिफ्ट योजना बनाई गई थी। एक योजना गंगा के पानी को लिफ्ट कर राजस्थान के नागौर जिले में लाने की थी, जिससे सिंचाई के साथ ही साथ पीने के पानी की उपलब्धता हो सके एवं एक बड़ी समस्या का निवारण हो सके।

फसल बीमा के लिए हर बार बात की जाती है पर अब कुछ जिलों में, प्रदेशों में लागू करने का मन बनाया है। आपसे निवेदन है कि अगर यह फसल बीमा योजना लागू होती तो विभिन्न प्रदेशों के लोग आत्महत्या नहीं करते। अत: सभी प्रदेशों में इसे लागू किया जाये। इसी प्रकार पशु बीमा योजना भी लागू की जाये।

पूर्व में इस सदन में घोषणा की गई थी कि नागौर से अजमेर को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाये, पर यह बात फाइलों तक सीमित हो गई है। अत: प्रार्थना है कि इस हाईवे को बनाने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हमारे देश का बजट पेश हुआ था तो इस बजट को पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आये हैं, हमारा अधिकांश देश गांवों में बसता है। इस बजट का जो भी हिस्सा मैंने देखा है मैं उसका ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन इसमें एक आवास की स्कीम है जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने प्राथमिकता के आधार पर लागू किया है। आज तक जो भी योजनाएं चली हैं, आवास की नीति चली है, परंतु गांवों में रहने वाले छोटे किसानों की जो पात्रता है, जो गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, उन गरीबों को मकान नहीं मिला।

आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसमें यह प्रयास किया है कि अधिक से अधिक गांवों में रहने वाली गरीब जनता को हम आवास मुहैया करायेंगे और इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बजट में उन्होंने इस मद में सबसे ज्यादा 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान गरीब परिवारों के लिए किया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजना के बारे में आप भी जानते हैं कि अधिकांश लोग यहां शिक्षा प्राप्त करते हैं। परंतु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने प्रोविजन किया है। हमारे देश का अधिकांश हिस्सा गांवों में बसता है। मैं स्वयं एक शिक्षक की हैसियत से स्वयं गांवों में अध्ययन कराने के लिए जाता था। गांवों में कोई अध्यापक नहीं जाता। हमारे बहुत से गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते। परंतु इस मामले में एक महत्वपूर्ण योजना अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की लागू की गई है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ निशुल्क शिक्षा और महिलाओं के लिए स्नातक स्तर तक की निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार की ओर से पहली बार की गई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तक किसी भी सरकार ने इस बारे में विचार नहीं किया था। परंतु भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार ने इस संबंध में विचार किया है।

सभापति महोदय, एक विशेष बात मैंने सदन में बार-बार कही है, पिछली बार भी मैंने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना भारत सरकार के पास है, जो गांवों के विकास के लिए करोड़ों-अरबों रुपये की धनराशि राज्य सरकारों को यहां से देती है, परंतु उसके बारे में कोई सिस्टम कोई कार्यक्रम अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। हम पैसा यहां से अलोकेट करते हैं। मैं इस पर वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से जो धनराशि हम राज्य सरकारों को देते हैं वह धनराशि सीधे प्रदेश सरकार के पूल में जमा हो जाती है और जहां आदिवासी हरिजनों की आबादी है, उस आबादी के आधार पर उन क्षेत्रों में उनके विकास पर इस धनराशि का उपयोग होना चाहिए। मैंने बहुत से आंकड़े देखे हैं, लेकिन उसके बारे में कभी चिंता नहीं की गई। प्रदेश सरकारें यहां से पैसा प्राप्त करती हैं लेकिन उसका हिसाब भारत सरकार को नहीं भेजती हैं जिसके बारे में हमारे मन में चिंता होती है। मैं मंडला जिले से निर्वाचित होकर आया हूं। मंडला जिला मध्य प्रदेश का शायद सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। वहां एक कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। जिसके बारे में मैंने कई बार कहा है। उसके विकास के लिए जंगल काटे गये परंतु किसी ने इस बारे में चिंता नहीं की। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, लेकिन मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन जहां तक किसान की बात है, हमारे यहां बैगा आदिवासी जनजाति है उनके लिए एक विशेष कार्य योजना बनी, उस जनजाति के नाम से करोड़ों रुपये की राशि यहां से रिलीज की गई, लेकिन वह बैगा जनजाति के लोग आज भी लंगोटी लगाते हैं, हिंदुस्तान में आप देखें बैगा जनजाति ऐसी जनजाति है जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, दो समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है, जंगलों में रहते हैं, जंगलों से जो कांदा निकलता है, उसे खाते हैं। परंतु सरकार ने करोड़ों रुपये की राशि खर्च करने के बाद भी उनकी कभी चिंता नहीं की। पिछली बार मैंने प्रयास किया था और एक विशेष योजना के अंतर्गत बैगा जनजाति के लिए बैगा प्राधिकरण की स्थापना मध्य प्रदेश में और मंडला जिले में हुई थी। इतनी धनराशि उनको दी गई, लेकिन उन गरीबों को चाहे शिक्षा हो, चाहे पीने का पानी हो और चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो, उनका आज तक कल्याण नहीं हो पाया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मामले विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनके बारे में हम चिंतित हैं, सरकार ने भी यह कहा है कि हम ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करेंगे, उनके बारे में विशेष प्रयास करके वह ऐसी योजना आने वाले समय में लागू करे, जिनसे उनका कल्याण हो सके। मैंने पिछले वर्ष के भी बजट देखे थे, आज जो बजट सदन में आया है या जो स्थिति सामने आई है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतर प्रयास किये गये हैं, उनको पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जुआल उराम (सुन्दरगढ़): सभापति महोदय, हम लोगों को बहुत देर बाद मौका मिला। हम नए सांसद हैं। इसलिए बोलने के लिए टाइम देना तो जरूरी था, लेकिन फिर भी चूंकि समय कम है इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो बजट आया है उसके आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे सदस्य इस बारे में बोल चुके हैं। यह बजट एक क्रांतिकारी बजट

[श्री जुआल उराम]

है। इसमें प्रैक्टीकल एप्रोच बहुत बढ़िया है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन विरोधी दलों ने दो बातें यूरिया की कीमत और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोत्तरी के बारे में कही हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जब वे सदन में अपना उत्तर दें तो यह अवश्य बताएं कि विरोधी दलों की सरकारें जब इस देश में रहीं तब कितनी बार और कितने-कितने दाम इन चीजों के इन्होंने बढ़ाए। ज्यादा पुराने नहीं बल्कि पिछले 10 साल में कितनी बार और कितने-कितने दाम यूरिया और पेट्रोल के बढ़ाए हैं, यह जरूर बताएं।

सभापति महोदय, मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है। महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया। जीते हुए पांडव जब सरशैय्या पर पड़े भीष्मपितामह के पास गए उनमें द्रौपदी भी थीं। पांडव जब उनसे शिक्षा लेने लगे कि लोकाचार कैसे करना चाहिए और महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने पर अस्त्र उठाना चाहिए, जब भीष्मपितामह इस बात को बोले, तो द्रौपदी हंस दीं। इससे अर्जुन और कृष्ण को भी गुस्सा आया क्योंकि भीष्मपितामह का अपमान हुआ। उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वहां से शिक्षा लेकर आ गए, तो रास्ते में द्रौपदी से अर्जुन ने पूछा कि तुम हंसी क्यों? वे बोलीं कि दुनिया में तीन तरह के आदमी होते हैं—एक वे जो ज्यादा बोलते हैं, दूसरे वे जितना बोलते हैं उतना काम करते हैं और तीसरे वे जो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन काम ज्यादा करते हैं। कल जब मैं अपने माननीय सदस्य श्री मुरली देवड़ा का भाषण सुन रहा था, तो वह ऐसा ही था कि करते कुछ नहीं हैं और बोलते ज्यादा हैं।

सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि द्रौपदी ने जो तीन बातें बताई उनमें से वे तीसरे में आते हैं, जो कम बोलते हैं, लेकिन बहुत काम करते हैं। मुझे उम्मीद है, वे बहुत ज्यादा और अच्छा काम करेंगे। मैं दो-तीन साइटेशन देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

"केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए सी.आई.आई. के अध्यक्ष श्री राजेश बी. शाह ने कहा कि इस बजट से निवेशकों में विश्वास बहाल करने और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की स्थिति-विशेष के संदर्भ में मूल्यवर्धक सहभागी का दर्जा प्रदान करने में मदद मिलेगी।"

[हिन्दी]

मैं यहां 'राष्ट्रीय सहारा' को भी कोट करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक दूसरे अखबार से कोट कर रहा हूं-

[अनुवाद]

"अनिवासी भारतीयों सहित अग्रणीय विदेशी निवेशकों ने नये बजट को विकासोन्मुख मानते हुए बजट में परमाणु परीक्षण के बाद लगाई जाने वाली पाबंदियों की धमकियों को महत्वहीन करने के लिए और अधिक विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह को सुनिश्चित करने में साहस की कमी पर खेद प्रकट किया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इसी प्रकार से "हिन्दुस्तान" लिखता है कि "अर्थव्यवस्था में प्राण फूंकने के प्रयास" मैं पूरा समाचार, समय की कमी के कारण नहीं पढ़ रहा हूं सिर्फ हैडलाइन ही बोल रहा हूं। 'राष्ट्रीय सहारा' ने क्या लिखा है वह मैं बताना चाह रहा हूं- "एक साहसिक बजट" इसको थोड़ा सा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं-"केन्द्रीय वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए संसद में पेश बजट के बारे में कोई भी आकलन प्रस्तुत करने के पहले यह कहना उचित होगा कि यह साहसिक बजट है।" मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि विपक्ष की तकलीफ क्या है क्योंकि दो मुद्दों, यूरिया और पेट्रोल को छोड़ कर उनके पास बजट के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे देश में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो स्वर्णमय बजट पेश किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस स्वर्णमय बजट के द्वारा हमारा देश स्वर्णमय कैसे बने उसका चित्रण इसमें किया गया है। इस बजट में ऐसी-ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे देश के लिए बहुत लाभकारी हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहनों को निशुल्क बी.ए. तक की शिक्षा देने का प्रस्ताव किया गया है। आज हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उसका कारण हमारे समाज में ज्यादा लोगों का अनपढ़ रहना है। यदि हमारी बहनें पढ़ कर आगे आएंगी, तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो आबादी आज अशिक्षित है, वह शिक्षित होकर इस देश को आगे बढ़ाएगी।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन हेतु धन का जितना प्रावधान किया है वह स्वागत योग्य कदम है। इंदिरा आवास योजना में 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जो हमारी आवास योजना है उससे भी हमारे देश के निर्धन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है उनको आवास मिल सकेगा।

सभापति महोदय: यदि आप चाहें, तो अपनी स्पीच ले भी कर सकते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: सभापति महोदया, सामाजिक सहायता कार्यक्रम में 700 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके माध्यम से हमारे जो वृद्ध माता-पिता हैं या हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी माता-पिता को ठुकरा देते हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए मंत्री महोदय ने प्रावधान किया है जिसके माध्यम से लगभग 50 लाख व्यक्तियों को पेंशन देने का प्रस्ताव किया है। ग्रामीण सफाई योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये 100 करोड़ रुपये एक तरफ हैं और सारा बजट दूसरी तरफ है। हमारे गांवों में जो माता और बहनें हैं, गरीब परिवार के लोग है, उन्हें अपने यहां परिवार में कोई जगह शौचालय के लिए नहीं मिलती है जहां वे शौचालय जा सकें। वह कोसों दूर शौचालय के लिए जाते हैं। वित्त मंत्री जी ने इसमें 100 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे स्वच्छ शौचालय बनेंगे।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिये।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया आप दो मिनट में समाप्त करने की कोशिश करिये।

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर): सभापति जी, सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि दो मिनट में कोई बोल ही नहीं पाता है।

सभापति महोदय: आपके अन्य साथी भी दो-दो मिनट बोले हैं।

श्रीमती उषा मीणा: मैं वर्ष 1998-99 के बजट का पुरजोर शब्दों में विरोध करती हूं क्योंकि यह बजट किसानों एवं गरीबों के हित का नहीं है। हमारे सामने वाले पक्ष से बार-बार यही सुनने को मिला है कि वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए इस बजट में बहुत पैसा दिया है। परन्तु जब हम देखते हैं तो खाद, यूरिया, ट्रैक्टर और किसान की अन्य इस्तेमाल की जो आवश्यक चीजे हैं, उनका पैसा बढ़ाया गया है। आज हम जब कहीं भी निकलते हैं चाहे बाजार में जायें, बस में जायें, ट्रेन में जायें तो हमें हर जगह यही सुनने को मिलता है कि यह बजट आम आदमी का बजट नहीं है। किसानों के हित का नहीं है और यह किसान विरोधी है। वैसे इसमें किसान के बारे में बहुत सी योजनायें हैं लेकिन किसानों पर हर साल जो प्राकृतिक विपदा आती है, उससे उनका लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है। अगर बड़े-बड़े उद्योगों में नुकसान होता है तो बीमा के माध्यम से उनको पूरा पैसा मिल जाता है परन्तु किसानों को चाहे उसके ऊपर ओलावृष्टि हो, अनावृष्टि हो या अग्नि से कुछ नुकसान हुआ हो तो उनको नाममात्र ही पैसा मिलता है। किसानों के लिए जो बीमा योजना है उसमें मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किस-किस क्षेत्र में बीमा होगा, कितनी राशि मिलेगी और उसका दायरा क्या होगा? हम किसान हैं, आदिवासी हैं और हमारे राजस्थान में जैसे मेरे पूर्ववक्ता श्री रामानंद सिंह चौधरी ने किसानों के बारे में कहा है कि चाहे ओला गिरे, बारिश आये या बाढ़ आये, किसानों को कुछ नहीं मिलता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जिसके लिए सदन में भी काफी हंगामा हुआ था कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। परन्तु आत्महत्या क्यों की, इसके बारे में आप सबको मालूम है कि किसान बड़ा मजबूर हो गया था। उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गयी थी जिसकी वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। चाहे उसकी फसल नष्ट हो गयी हो, अपनी बेटी की शादी करनी है या कर्जा देना है तो उसके लिए उसे आत्महत्या करनी पड़ी है।

सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री आई.ए.एस. अधिकारी रहे हैं और वे ब्यूरोक्रेट्स में से आते हैं तो किसानों के हित की बात को न समझकर अधिकारियों की बात को अधिक समझा है।

सभापति महोदय: आप समाप्त करिये।

श्रीमती उषा मीणा: मैं भाषण नहीं दे रही हूं। मैं केवल दो-चार बातें आपके सामने रखना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी ने लड़कियों की बी.ए. तक की शिक्षा को बढ़ावा दिया है, उसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं परन्तु अगर ग्रामीण क्षेत्र में जहां भारतवर्ष की 80 प्रतिशत जनसंख्या रहती है वहां प्राईमरी, मिडिल या 10वीं तक की शिक्षा फ्री कर देते, किसानों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा मुहैया करा देते, तो अच्छा होता। इसी तरह जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों के लिए अलग से सहायता दे देते, तो ज्यादा अच्छा होता। बहनों की शिक्षा का मामला है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हैं क्योंकि आपने यह अच्छा काम किया है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती उषा मीणा: सभापति जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है।

सभापति महोदय: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्रीमती उषा मीणा: शिक्षित बेरोजगार के लिए जो भत्ता मिलता है, उसमें आपने कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी है। हमारी

[श्रीमती उषा मीणा]

आपसे यह मांग है कि अभी तक यह भत्ता 500 रुपए है, इसको आप एक या डेढ़ हजार रुपए कर दें तो अच्छा रहता। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को जो वजीफा या स्कॉलरशिप मिलता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती उषा मीणा: सभापति जी, वह नाममात्र के लिए है। अगर उसमें भी वृद्धि कर दी जाये तो हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कल्याण होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बहुत हो गया, इसलिए अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती उषा मीणा: मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूं। मेरा एक प्वाइंट और रह गया है। मैं राजस्थान से आती हूं और राजस्थान में मार्बल बहुत है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने मार्बल पर 30 परसेंट से बढ़ाकर 40 परसेंट ड्यूटी की है। इससे वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उनको नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे कम कर दें तो अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिये। धन्यवाद।

श्रीमती उषा मीणा: मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि हमें जो विदेशी ऋण मिलता था, वह बंद हो गया है। उसके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या आप महंगाई बढ़ाकर उस ऋण को पूरा करने जा रहे हैं?

अंत में मैं यही कहूंगी कि यह बजट किसान और गरीबों के लिए हितकर नहीं है।

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू): सभापति जी, 50 साल की स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा बजट पेश हुआ है जो भारत की आत्मा, समाज और जीवन के साथ सटा हुआ है। ऐसा बजट उपस्थित करने पर मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ मुझे यह कहना है कि यह बजट इतना सर्वपक्षीय है कि हमारे समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसकी समुन्नति और सुधार के लिए इसमें प्रावधान न हो। इसके बावजूद भी कुछ लोग नुक्ताचीनी करते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं कि शायद रुपये का मूल्य गिरेगा, इनफ्लेशन बढ़ेगा। इसी तरह से जो फॉरन एक्सचेंज है, उसका भी भंडार करना होगा। मैं समझता हूं कि अगर वह इतने अच्छे भविष्यवक्ता हैं, ज्योतिषी हैं तो पिछले 50 सालों में क्या करते रहे? क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए थे तो जिन लोगों को इतिहास की जानकारी है, वह जानते होंगे कि भारत ने इंग्लैंड से करोड़ों रुपये का कर्जा लेना था। उस वक्त हम साहूकार थे और दुख इस बात का है कि लगातार 50 वर्षों में 50 ही बजट आये होंगे। आज हमारी दुर्दशा यह है कि हमारा फॉरन एक्सचेंज भी माइनस है, हमारा उत्पाद भी घट गया और हमारे रुपये की कीमत भी लगातार घटती जा रही है। हमारी 60 प्रतिशत अवाम गरीबी की रेखा से नीचे बसती है और दुनिया में सबसे कर्जदार मुल्कों में भारत की गणना है।

आज हमारी हालत यह है कि दुनिया का छोटा बड़ा कोई देश ऐसा नहीं है जिसके हम मकरूज नहीं हैं। ऐसे हालात में हमारे देश की स्थिति यह है कि यहां निर्धनता का नंगा नृत्य हो रहा है और मेरे गांव का किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। दुनिया के लोग बोलते हैं कि दुनिया में सबसे अनपढ़ किस मुल्क में हैं तो हम कहते हैं भारत में हैं। दुनिया में कहां अंधे बसते हैं तो हम कहते हैं कि भारत में बसते हैं। दुनिया में सबसे अधिक तपेदिक की बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या किस देश में है तो हम कहते हैं कि भारत में है। मलेरिया कहां सबसे ज्यादा होता है तो कहते हैं कि भारत में है। कोढ़ी कहां बसते हैं तो कहते हैं कि भारत में और बेरोजगारी किस मुल्क में सबसे ज्यादा है तो कहते हैं कि भारत में है। यह गरीबी, यह बेकारी, यह लाचारी और भुखमरी पैदा करने वाले लोग 50 साल तक शासन करते रहे, यह उसी का परिणाम है। ये दो महीने में हमसे उम्मीद करते हैं। इनकी पचास साल की कारीगरी पर हम कैसे लीपापोती कर सकते हैं। हमें कुछ समय चाहिए। हमें इस बात से आनंद होता है कि पहली बार भारतीय विचारधारा, भारतीय समाज के साथ जुड़ी हुई आत्मा से संबंधित बजट आया है और हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता से इसे पेश किया है। हमारे विरोधियों को नुक्ताचीनी करने का कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन ये कहते हैं कि बेरोजगारी दूर नहीं हुई। सरकारी नौकरी तो कोई भी सरकार नहीं दे सकती लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए साधन उपलब्ध किये जाते हैं। बेरोजगारी दूर करने की जो योजना इस बजट में है, मैं उसकी मोटी-मोटी बातें बताना चाहता हूं। इसमें बीस लाख घर बनाने की योजना है, भिन्न-भिन्न बस्तियों में दस लाख स्वच्छ शौचालय बनाए जायेंगे, और भी कई कार्य किए जायेंगे जिससे भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को रोजगार मिलेगा, लोहे के कारखाने चलेंगे, सीमेंट के कई कारखाने जो बंद पड़े हैं, वे चलेंगे। इसी तरह से लकड़ी के कारखाने चलेंगे, शीशे की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा एक लाख सैल्फ हैल्प ग्रुप, जिसमें गांवों में होने वाले दस्तकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वे अपने पांव पर खड़े हो सकें। ऐसे दस लाख लोगों के साथ चालीस लाख परिवार जुड़े होंगे। इस तरह से गांव के लोगों का आर्थिक सुधार होगा। खेती में काम करने वाले मजदूर जब बेकार होते हैं, उस समय उनको सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके

अलावा 60 करोड़ रुपये कपास की उपज बढ़ाने के लिए लगाए हैं और जब कपास बढ़ेगी तो उससे संबंधित सारे कल-कारखाने चलेंगे और इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी। 90 करोड़ रुपये चीनी के कारखाने और उसके सुधार के लिए खर्च किए हैं, आज चीनी के कई कारखाने बंद पड़े हैं। यदि वे चल पड़ेंगे तो बहुत से मजदूरों को रोजगार मिलेगा, ढुलाई करने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ऊर्जा, रोड और कम्युनिकेशन सैंटर्स को बढ़ावा देने के लिए बजट में बहुत कुछ किया गया है। 50 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की योजना है। इससे कई अध्यापक, अध्यापिकाओं और विद्यार्थियों को लाभ होगा। इस तरह से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां से रोजगार नहीं मिलेगा।

यह बजट रोजगार की दृष्टि से काफी सुंदर है, इससे देश की डैवलपमैंट होगी, यह ग्रोथ ओरिएन्टेड बजट है। ...*(व्यवधान)*

हमारे यहां आणविक विस्फोट हुए। यह दूसरे देशों को फूटी आंख नहीं भाया, वे यह कहते रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन हमने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मबल के लिए ऐसा किया। विरोधी पक्ष के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए यह बजट भी विस्फोट साबित हुआ। यह बजट देखकर हमारे विरोधी हताश होकर बैठ गए। जब उनको नुक्ताचीनी का कोई अवसर नहीं मिला तो कभी रोजगार के बारे में, कभी कीमत के बारे में बात करने लगे। जिस गाय को चारा खिलाया जाता है, उससे दूध की भी आशा की जाती है, हम दूध दोहन का अधिकार रखते हैं।

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (चैल): सभापति जी, आपने सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। रोटी, कपड़ा और मकान, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम यही लक्ष्य, उद्देश्य हर सरकार का होना चाहिए।

यह बजट आम आदमी पर बोझ तथा नौकरी वालों को थोड़ी राहत देता है। आम जनता की प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को आपने महंगा किया है जैसे डाक सामग्री, सोना, पेट्रोल, यूरिया, मिट्टी का तेल, सिगरेट, चाय, मसाले, मक्खन, घी, पनीर, मिठाइयां, नमकीन, पान मसाला, स्याही, टायर, सिलाई मशीन, चिकित्सा उपकरण, चश्में के फ्रेम, शस्त्रों के दाम।

बड़े लोगों के प्रयोग में आने वाले सामानों को माननीय मंत्री जी ने सस्ता किया है जैसे टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन, दस हार्स पावर वाले डीजल इंजन, कम्प्यूटर, न्यूजप्रिंट, बिना तराशे हीरे, सौर ऊर्जा उपकरण, रिकार्डेड आडियो कैसेट आदि।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

कल्याण के क्षेत्र में 91 प्रतिशत की वृद्धि की है जो बहुत कम है, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या दलित शोषित समाज की है, जिससे जुड़ी हुई यह रकम है। अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए 65 करोड़ रुपये में 22.66 लाख छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बहुत कम है। यह धनराशि प्रत्यक्ष रूप से लोगों को मिले, क्योंकि बहुत घपला होता है। इस पैसे को दलाल आदि खाए जा रहे हैं। विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के घटकों को 361 करोड़ रुपये दिए हैं। जिससे 24.80 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उनको इसका प्रत्यक्ष लाभ मिले इसलिए यह संसद सदस्यों की देखरेख में व्यय होना चाहिए।

नाबार्ड में दो लाख परिवारों के लिए दस हजार रुपये प्रति व्यक्ति को स्व-सहायता लघु ऋण देने की बात कही गई है। मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि कम से कम ब्याज में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त व्यक्ति को पूरा पैसा मिलना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित सुधार में घाटे या पुनर्जीवित नहीं होने वाले सभी सरकारी उपक्रमों के कामगारों को उदार प्रतिपूर्ति पैकेज की बात कही है, वह प्राइवेट सैक्टर के उद्यमों के लिए भी होनी चाहिए। हमारे यहां रेल विभाग द्वारा संचालित संस्थान सुबेदारगंज स्लीपर प्लांट फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। वी.पी.स. नैनी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, आई.टी.आई. नैनी और पूरे प्रदेश के आई.टी.आई. यूनिट घाटे पर हैं। त्रिवेणी इंजी. नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के 350 मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। मंत्री जी उक्त संस्थानों, जिनमें सरकारी, गैर-सरकारी सभी हैं, उनके सभी मजदूरों और कामगारों के लिए उदार प्रति-पूर्ति पैकेज देने का कष्ट करें।

टेलीविजन सीरियल, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहसिक फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए और टैक्स-फ्री रखा जाए। बड़ी तथा अश्लील फिल्मों पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन से पचास लाख वृद्ध व्यक्तियों को फायदा दिया गया है, जबकि एक अरब की आबादी में करोड़ों लोग वृद्ध हैं।

इंदिरा आवास योजना में 1600 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। यह पैसा पात्र व्यक्तियों को पूरा प्रत्यक्ष रूप से मिले। पैसे का दुरुपयोग रोका जाए, जिससे 13 लाख लोगों को फायदा होगा, यह भी बहुत कम है। 20 लाख अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य है, जिसमें 13 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और सात लाख शहरी क्षेत्र में बनाए जाएंगे। उक्त पैसों में दलाल व अधिकारी, कर्मचारियों को पैसे खाने से रोका जाए। हुडको में 110 करोड़ रुपये निवेश का प्लान है, जबकि आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। पैसे का

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

दुरुपयोग है, बड़े लोगों के लिए है, राष्ट्रीय आवास बैंकों की वित्तीय सहायता से एक लाख आवास की व्यवस्था है, जो बड़े लोगों के फायदे में है तथा कमजोर वर्ग के लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाएगा।

100 करोड़ रुपये 10 लाख शौचालयों की व्यवस्था के लिए रखे हैं। इसे ग्रामीण स्तर पर ले जाना चाहिए। 1627 करोड़ रुपये से एक लाख लोग कृषि ग्रामीण विकास के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। इस पैसे का भी दुरुपयोग रोका जाए। 450 करोड़ रुपये में दस लाख कूप बनेंगे, यह पैसा प्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खर्च होना चाहिए। पांच वर्ष में सभी ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की पूर्ति होगी, जबकि पूरा देश पेयजल के संकट से गुजर रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बस्तियों में पेयजल का घोर संकट है। मेरा सुझाव है कि छोटे नलकूप, स्टोर टंकी के साथ हर गांव में बनाए जाएं।

यूरिया के दामों में बढ़ोत्तरी पूरे देश के 76 प्रतिशत कृषकों को कंगाल करने की योजना है। मंत्री जी का वक्तव्य निराधार है कि मिट्टी की दीर्घावधिक उर्वरता संरक्षित करने के लिए यूरिया के दामों में बढ़ोत्तरी की गई है। यह एक बहाना है और दाम बढ़ाने का सहारा लिया गया है।

शिक्षा, युवावर्ग और लड़कियों की शिक्षा पर 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की समस्या है। ब्लाक स्तर पर एक इंटर कालेज खोला जाए। 1092 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा और पोषाहार सहायता के लिए दिए गए हैं, जो उपयोगी नहीं हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है।

राष्ट्रीय खेल कोष के गठन के अंतर्गत ग्रामीण स्तर के खेलों को बढ़ावा दिया जाए। ज्योति यादव क्रिकेटर जो इलाहाबाद के हैं, उनको भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया जाए। आधारभूत संरचना पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में इलाहाबाद में 64 पार एवम् पुल बनाए जाएं, जिससे हैवी ट्रकों का आवागमन बाहर से हो जाए और शहर स्वच्छ एवम् दुर्घटना रहित बन सके।

इस बजट में स्वास्थ्य मद की रकम में कमी गई है। पिछले वर्ष 1.8 प्रतिशत रकम थी, इस वर्ष 1.3 प्रतिशत ही रह गई है। सरकार 3600 करोड़ रुपये की रकम बताकर जनता को गुमराह कर रही है। गांवों में पी.एच.सी. की व्यवस्था की जाए, प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए और आम जनता का उचित इलाज एवम् दवाएं दिलाई जाएं।

सांसद निधि का पैसा बढ़ाया जाए। एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाए। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत को आर्थिक तौर पर मजबूत करें तभी देश में खुशहाली होगी।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखे इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर): देश के संक्रमण काल में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक साहसिक कार्य किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। प्राथमिकता एवं उद्देश्य—दोनों दृष्टि से यह बजट पूर्ववर्ती सभी सरकारों के बजट से भिन्न है। बजट में पहली बार कृषि एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार एवं कल्याण क्षेत्र पर विशेष वरीयता दी है। विश्व मंच में भारत के वैशिष्ट्य को काम करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि एवं ग्रामों को प्राथमिकता दी जाए।

1997-98 में आर्थिक विकास की दर गिर कर पांच प्रतिशत रह गई। कृषि उत्पादन 199 मीटरिक टन से 194 मीटरिक टन रह गया। औद्योगिक उत्पादन भी गिर गया। राजकोषीय घाटा 6.1% तक रहा। ऐसी आर्थिक स्थिति वित्त मंत्री को मिली। यह बजट बिगड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने वाला बजट है। इसलिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

इस बजट में बहुत सी सकारात्मक एवं स्वागत योग्य विशेषताएं हैं।

1. कृषि के विकास पर विशेष बल देकर बजटीय आवंटन में 90 प्रतिशत की वृद्धि कर साबित कर दिया कि उन्हें देश की 70 प्रतिशत जनता की चिंता है।
2. ग्रामीण विकास को प्राथमिकताएं।
3. ग्रामीण आवास को महत्व—20 लाख मकान बनाने की बात की गई—13 लाख ग्रामीण क्षेत्र, 7 लाख शहरी क्षेत्र (रोजगार का सृजन)
4. बस्तियों में पीने के पानी की आपूर्ति का प्रयास।
5. महिलाओं को निचले स्तर से उच्च स्तर पर निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
6. इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बहुत जोर दिया गया।
7. ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने की मात्र स्वरोजगार योजना ही पर्याप्त नहीं है, रोजगार का सृजन करने वाले कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट का उद्देश्य कृषि में गिरावट को खत्म करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, सिंचाई केवल 37 प्रतिशत कृषि भूमि की होती है इसलिए सिंचाई पर जोर दिये जाने की जरूरत है। भारत कृषि आधारित देश होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था की नीति कृषि है—इससे पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

सरकार का बीज, खाद आदि की आसान खरीद के लिए जरूरी नकदी प्राप्ति के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।

ग्रामीण ढांचागत विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर यह बता दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे।

सिंचाई के जल भंडारण और बंजर भूमि विकास पर मंत्री जी ने ध्यान दिया है।

1627 करोड़ रुपये की व्यवस्था जल आपूर्ति के लिए की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने की योजना है तथा नाबार्ड की शेयर पूंजी बढ़ाकर सहायता का प्रयास किया गया है।

लघु उद्योग रोजगार पैदा करते हैं—लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने व विकास पर विशेष ध्यान रखा गया है, जो 80 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराते हैं।

इस बजट में ऊर्जा, परिवहन एवं संचार के लिए योजनागत परिव्यय में 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई। धनराशि 35,252 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 61 करोड़ 1,146 करोड़ की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर पांच सौ करोड़ रुपये की राशि रखी गई।

बजट में शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत आबंटन की राशि रखी गई है।

लड़कियों को निशुल्क शिक्षा के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बीमा क्षेत्र को घरेलू निजी कंपनियों के लिए खोला गया—विदेशी कंपनियों के लिए नहीं।

देश के आर्थिक विकास के लिए आंतरिक पूंजी व विदेशी पूंजी दोनों की आवश्यकता है।

अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। उसके लिए पी.आई.ओ. कार्ड योजना रखी गई है।

विदेशी निवेशकों के निवेश प्रस्तावों का 90 दिन में निर्णय करना, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का सही कदम है।

आयकर की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई—यह 60 हजार होनी चाहिए।

समाधान, सरल, सम्मान—तीन स्कीमें

एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग उद्योग को अधिक राशि उपलब्ध।

स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक प्रावधान की जरूरत है।

1948 के आम बजट में सकल घरेलू आय का 5.7 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य के लिए था—आबादी के बढ़ने के कारण स्वास्थ्य मद में रकम कम होती गई। वर्ष 1997-98 में दर 1.8 परसेंट थी जबकि इस वर्ष 1.3 परसेंट रह गई है। जबकि बजट में 3600 करोड़ रुपये बता रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट का प्रावधान बढ़ायें तथा सकल घरेलू आय का 5.7 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य मद में आबंटित किया जाए।

केन्द्रीय रक्षा बजट में 1998-99 में 41,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो पिछले साल के संशोधित बजट से मात्र 5,101 करोड़ रुपया ज्यादा है। रुपये का अवमूल्यन एवं एक बड़ा हिस्सा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर खर्च होगा जो नगण्य है। हालांकि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सुरक्षा के मामले में कोई ढील नहीं दी जायेगी।

देशी उद्योग जगत आयात संबंधी उदारता से काफी परेशान है। न बिक्रीकर, न उत्पाद कर, न स्थानीय कर लगते थे, जबकि पूंजी तकनीक और गुणवत्ता कौशल के मामले में पिछड़े होने पर भी ऊंची दर पर उत्पाद शुल्क देता था। जिस कारण वह टिक नहीं पा रहे थे। आयात शुल्क पर आठ फीसदी लेवी लगाकर देशी उद्योग को बराबरी पर लाने का प्रयास किया, वह देशी उद्योग के लिए स्वागत योग्य फैसला है।

ब्रांडेड-पैकेज पर आठ प्रतिशत एडवांस उत्पाद कर लगाने से पिसे मसाले तथा चाय आम व्यक्ति के लिए महंगे होंगे, कृपया इस पर अवश्य विचार कर इसे वापस लेने की कृपा करें।

***श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी** (रीवा): माननीय सभापति जी, मैं आम बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया है, उनके अनुरूप ग्राम और किसान अभिमुख स्वदेशी बजट प्रस्तुत किया है।

मैं अभी प्रतिपक्ष के नेताओं के विचारों को सुन रहा था। वे अपनी बात कहने के पहले यह तो देखते कि उन्होंने पिछले 50 वर्षों में देश की क्या हालत पैदा कर दी है? माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ दिनों पहले ही 1997-98 की आर्थिक समीक्षा सदन के सभा पटल पर रखी थी। उसमें स्पष्ट है कि वर्ष 1997-98 में समग्र आर्थिक विकास कम होकर पांच प्रतिशत रह गया था। कृषि विकास नकारात्मक था जिसमें पिछले 199 मिलियन टन की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन घट कर 194 मिलियन टन रह गया था। औद्योगिक उत्पादन मंदी के कारण 4.2 प्रतिशत रह गया था। लगातार दूसरे वर्ष के लिए भी निर्यात निष्पादन कमजोर था और डालर के संदर्भ में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत हो गई थी। पूंजी बाजार की स्थिति निराशाजनक रही और आधारभूत बुनियादी सुविधाओं की कठिनाइयों के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसी चरमराई अर्थव्यवस्था जो माननीय वित्त मंत्री जी को विरासत में मिली थी। उसमें इससे बढ़िया बजट प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता था।

प्रस्तुत बजट में कृषि की गिरावट को दूर कर तेजी लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का जो साहसिक कदम उठाया गया है, वह प्रशंसनीय है। औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास के लिए जो प्रावधान किया गया है उससे देश के विकास की दिशा और दशा दोनों बदलेंगी। आयोजना आवंटन हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करता है। कृषि मंत्रालय के लिए आयोजना आबंटन में 58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और 1997-98 के 1807 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2854 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के लिए आयोजना आबंटन की राशि बढ़ा कर 9912 करोड़ रुपये कर दी गई है जो 9298 की संशोधित अनुमान की 8356 करोड़ रुपये की राशि से 1556 करोड़ रुपए अधिक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 34 प्रतिशत की वृद्धि की है। शिक्षा विभाग में 894 करोड़ रुपये की वृद्ध की है। कल्याण मंत्रालय के लिए 91 प्रतिशत की वृद्धि हमारे इरादे को दर्शाती है।

यह गांधी जी ने तावीज की कि हमारे काम से सबसे दरिद्र अंतिम छोर में खड़े आदमी को लाभ पहुंचे। पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय की दिशा में यह उपयुक्त कदम है। पहली बार ग्रामीणों, दस्तकारों और किसानों की बेहतरी का यह बजट पेश हुआ है, अभी तक गांव का लोहार का धंधा चौपट होता रहा और सबसे बड़ा लोहार टाटा फलता-फूलता रहा। गांव के मोची का धंधा चौपट होता रहा और सबसे बड़ा मोची बाटा बढ़ता गया। गांव के लोहार, गांव के मोची और बढ़ई का धंधा बढ़ाने वाला, इस बजट से वे लोग चिन्तित हो उठे हैं जो गांवों के विकास की ओर ध्यान न देकर दिल्ली के कनाट प्लेस, बम्बई की चोपाटी और कलकत्ता की चौरंगी को सजाने में व्यस्त रहे हैं।

इस बजट में 20 लाख लोगों के लिए आवास देने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र में 13 लाख मकान और शहरी क्षेत्र के लिए 7 लाख मकान। सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात आगामी पांच वर्षों में सभी बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था। बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों में आयोजन आबंटन वर्ष 1997-98 में संशोधित अनुमान को 517 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 677 रुपये किये जाने से देश की खेती का विकास होगा और किसानों के चेहरे खिल उठेंगे।

त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के लिए 1997-98 में संशोधित अनुमान की तुलना में 58 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि बाणसागर परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक राशि आबंटित करें। अंत में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यूरिया के दाम में जहां कमी की, वहीं जो यूरिया अभी सहकारी दुकानों से ही मिलती है, उससे किसानों को खाद नहीं मिल पाती। यूरिया की बिक्री खुले बाजार में करने का प्रावधान किया जाए।

इसी के साथ मैं अंतिम निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। केन्द्र सरकार की जो योजनाएं हैं और जिनके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को पैसा दिया जाता है उसका सही-सही उपयोग हो। इसको भी केन्द्र सरकार सुनिश्चित करे। हमारे निर्वाचन क्षेत्र रीवा में राजीव गांधी मिशन के नाम से संचालित सातों योजनाओं का पैसा सत्तारूढ़ कांग्रेस दल अपने निहित संकीर्ण हितों में कर रही है। उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन में भी भारी गड़बड़ी हो रही है। वित्त मंत्री जी इसको भी रोकने का प्रयास करेंगे, इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: सामान्य बजट पर माननीय वक्ताओं की सूची समाप्त हो गई है। माननीय वित्त मंत्री जी का उत्तर अपराह्न 2.00 बजे होगा। आज की सभा प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

प्रात: 2.46 बजे (12.6.98)

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।